डॉ० राजेन्द्र कुमार
वरिष्ठ व्याख्याता
राजनीति विज्ञान विभाग व शोध केन्द्र
दयानन्द वैदिक महाविद्यालय
उरई (जालौन) २८५००१
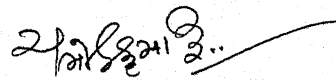
I have great pleasure to certify that the work, Shri Prayag Narayan Tripathi of Nahili ( Jalaun ) is submitting herewith for supplicating for the PH. D. Degree in Political Scinee of Bundelkhand University, has been prepared under my guidance.

The Thesis embodies the original work of the Candidate himself. He has remained engaged with the Project for more than 24 months commencing from the date of application. Although as teacher, he is not required personal attendance, Shri Tripathi has attended for more than two hundred days.

Wishing him success.

( Dr. Rajendra Kumar )
M.A. Ph.D.

Dated 7th Dec., 1989.

****

# भारत और बाँगला देश

## अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में एक अध्ययन

## (1971-85)

बुन्देल खण्ड विश्वविद्यालय की पी० एच० डी० की उपाधि हेतु प्रस्तुत

शोध प्रबन्ध

निर्देशक
डा० राजेन्द्र कुमार
ज्येष्ठ प्रवक्ता
राजनीति विज्ञान विभाग
दयानन्द वैदिक महाविद्यालय
उरई

शोधकर्ता
प्रयाग नारायण त्रिपाठी

राजनीति विज्ञान विभाग
बुन्देल खण्ड विश्वविद्यालय
झाँसी उ० प्र०
१९८९

## प्राक्कथन

द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद दक्षिण एशिया के नवोदित स्वतन्त्र राष्ट्र विश्व की महाशक्तियों के आकर्षण के केन्द्र बने हुये हैं । साम्राज्यवादी एवं विस्तारवादी शक्तियाँ इस क्षेत्र के लिये सबसे गम्भीर खतरा है । उनकी दूषित महत्वाकांक्षायें समस्त दक्षिण एशिया को आक्रान्त एवं अशान्त बनाने में संलग्न है । भारत दक्षिण एशिया की एक महाशक्ति के रूप में उभर कर आ चुका है । वह इस क्षेत्र में शान्ति, सुरक्षा एवं विकास के लिये अपने दायित्वों को पहिचान रहा है । विश्व राजनीति में, उसका एक स्वतन्त्र अस्तित्व है किन्तु साम्राज्यवादी एवं विस्तारवादी शक्तियों की कूटनीति के कारण उसे अपनी सीमा से लगे पड़ोसी देशों की आक्रामक नीतियों के परिणामस्वरूप कई युद्धों का सामना करना पड़ा है । आज भी उसकी संवेदनशील सीमाओं पर युद्ध का भयावह वातावरण बना हुआ है ।

भारतीय उप महाद्वीप में साम्राज्यवादियों द्वारा सम्प्रदायवाद के द्विराष्ट्र-वाद के घृणित सिद्धान्त पर किये गये अप्राकृतिक विभाजन ने उसी समय नया स्वरूप ग्रहण कर लिया जब पश्चिमी पाकिस्तान के दीर्घकालीन शोषण के परिणामस्वरूप पूर्वी पाकिस्तान ने पूर्ण स्वायत्तता की मांग करते हुये बंग-बन्धु शेख मुजीब के नेतृत्व ने मुक्ति - आन्दोलन चलाया ।

पूर्वी पाकिस्तान की जनता के जुझारू संघर्ष एवं भारतीय जनता की हार्दिक सहानुभूति के कारण नृशंस फौजी तानाशाही की पराजय लोकतन्त्रीय शक्तियों एवं मानव मूल्यों की विजय हुयी । विश्व के मानचित्र पर एक स्वतन्त्र सार्वभौमिक " सत्ता सम्पन्न " सोनार बांगलादेश " का अभ्युदय हुआ ।

इस ऐतिहासिक विजय के बाद भारतीय प्रधानमन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी की ढाका यात्रा के दौरान वहाँ की जनता ने "भारत मैत्री अमर रहे", "बांगला माता इन्दिरा गांधी " के गगनभेदी मधुर नारों से दोनों देशों के बीच मैत्रीय

सम्बन्धों की स्थापना हुयी परन्तु यह मधुर सम्बन्धों का काल अधिक समय तक स्थायी नहीं रह सका, बंग बन्धु मुजीब की हत्या, सत्ता परिवर्तन अनेक ऐसे विवादों एवं कारणों से तथा विदेशों की कूटनीति से भारत के सबसे घनिष्ठ पड़ोसी मित्र राष्ट्र में सन्देहास्पद स्थिति एवं विवादों की सृष्टि हुयी ।

अतः आवश्यकता इस बात की है कि भारत अपनी एकता, अखण्डता एवं स्वतन्त्रता के लिये अपने पड़ोसी देशों के प्रति अपनाई गई नीति पर पुर्नविचार करें । पड़ोसी देशों की आकांक्षाओं एवं समस्याओं को समझें और इन देशों से सम्बन्धित नीतियों को बदली हुयी परिस्थितियों में नया महत्त्व एवं रूप दें । भारत का भविष्य इन आस-पास के देशों से ही जुड़ा है, क्योंकि निर्धन एवं अशान्त दक्षिण एशिया भारत के लिये सबसे बड़ा अभिशाप है ।

आज भारत-बांगलादेश सम्बन्ध फरक्का जल विवाद, न्यूमूर द्वीप एवं चकमा शरणार्थियों जैसी ज्वलन्त समस्याओं के घेरे में हैं । भारत की कूटनीति के लिये यह एक गम्भीर चुनौती है । अस्तु, आवश्यकता है कि इस चुनौती को स्वीकार करके अपने घनिष्ठ पड़ोसी मित्र के स्थायी विश्वास भरे मैत्री सम्बन्धों को नयी दिशा देने की । यह केवल समय-समय पर दिये गये राजनीतिक वक्तव्यों अथवा सामान्य बातचीत के माध्यम से सम्भव नहीं है । इसे सामाजिक, सांस्कृतिक आर्थिक और गम्भीर रूप से राजनैतिक दृष्टि से महत्त्व देना होगा । तभी सभी विवादों एवं समस्याओं का समाधान सौहाद्पूर्ण वातावरण में द्विपक्षीय वार्ताओं के द्वारा सम्भव हो सकेगा । दक्षिण एशियायी क्षेत्रीय सहयोग संगठन का भविष्य भी इन देशों के मधुर सम्बन्धों की प्रतीक्षा में है ।

अतः आज भारत-बांगलादेश मैत्री सम्बन्धों की पुर्नस्थापना राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय जगत के लिये सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण आवश्यकता है । प्रस्तुत शोध प्रबन्ध इन सम्बन्धों के इतिहास, उनके विकास में अवरोधक तत्वों , अपेक्षित प्रसंगों उनकी वर्तमान स्थितियों और मधुर सम्बन्धों के लिये स्वस्थ सुझावों के विस्तृत

विश्लेषण पर आधारित है । विदेशनीति के क्षेत्र में इन सम्बन्धों को गहराई से जानने का प्रयत्न किया गया है । साथ ही अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में बदली हुयी परिस्थितियों का विषय वस्तु के सन्दर्भ में सम्यक् विवेचन भी प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है । अस्तु यह अरूणवादी एवं व्यापक अध्ययन ज्ञान के क्षेत्र में मौलिक योगदान देने में सक्षम होगा । ऐसी आशा की जाती है ।

किन्तु मुझे जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय ( स्कूल आफ इन्टरनेशनल स्टडीज ) तथा इण्डियन काउन्सिल आफ वर्ल्ड अफेयर्स ( सप्रू हाउस ) लाइब्रेरी के पुस्तकालयाध्यक्षों एवं सहयोगी कर्मचारियों ने इस शोध प्रबन्ध के लिये आवश्यक सामग्री प्राप्त करने में अध्ययन हेतु जिस आत्मीय भाव से सहयोग किया है, वह हमारे लिये चिर स्मरणीय रहेगा । मैं हृदय से उन सभी महानुभवों के प्रति कृतज्ञ रहूँगा ।

फिर मै अपने भगवत् स्वरूप गुरूजनों स्व० डा० उदय नारायण शुक्ल, डी०लिट० डा० पी०एन०दीक्षित, डा० राजेन्द्र कुमार पुरवार जिन्होने मुझे राजनीति विज्ञान की स्नातकोत्तर कक्षाओं में जिस स्नेह और अभिरूचि से ज्ञानार्जन कराया और जिसके परिणाम स्वरूप तभी से मैनें राजनीति विज्ञान में शोध कार्य करने का संकल्प ले लिया था । इसके लिये मैं अपने गुरूजनों का ऋणी रहूँगा ।

किन्तु बुन्देलखण्ड जैसे पिछड़े क्षेत्र के ग्रामीण अंचलों के पिछड़े क्षेत्र में रहकर मेरे लिये यह अत्यन्त दुष्कर कार्य था । लेकिन ईश्वर की कृपा एवं सौभाग्य से मुझे अपने गुरूदेव माननीय डा० राजेन्द्र कुमार, पुरवार प्रवक्ता राजनीति विज्ञान विभाग एवं शोध केन्द्र, दयानन्द महाविद्यालय (उरई) के निर्देशन में यह शोध कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ । वास्तव में हमारे निर्देशक महोदय ने अपने मृदुल स्वभाव से इस शोध कार्य में हमें जो स्नेह, उत्साह एवं मार्गदर्शन दिया है उसके लिये मैं पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ हृदय से आभारी रहूँगा । इसी परिप्रेक्ष्य में मैं श्रद्धेय डा० जय श्री जी वरिष्ठप्रवक्ता, राजनीति विज्ञान विभाग, दयानन्द महाविद्यालय का भी आभारी हूँ, जिनका मार्गदर्शन मेरे लिये विशिष्ट रूप से उपयोगी रहा है ।

मैं माननीय श्री टी०एन०बाजपेयी, अवर सचिव, मानव संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार और अपने अग्रज श्री पी०सी० त्रिपाठी, अभियन्ता (नई दिल्ली) का भी हृदय से आभारी हूँ, जिन्होंने मुझे अध्ययन हेतु, दिल्ली प्रवास के समय पूरा मार्गदर्शन एवं सहयोग दिया । मैं अपने विद्यालय प्रबन्ध समिति, प्रधानाचार्य श्री बी०एल० शुक्ला, और अपने सहयोगी श्री मन्न नारायण पाण्डेय, श्री अशोक कुमार मिश्र एवं समस्त अध्यापक बन्धुओं एवं कर्मचारियों के सहयोग को कैसे भूल सकता हूँ, जिन्होंने इस कार्य के लिये सदैव अवसर देकर उत्साहवर्धन किया है ।

मैं पुनः एकबार अपने समस्त गुरूजनों, पूज्य पिता जी, माता जी के चरणों में अपने को समर्पित करता हूँ, जिनकी कृपा से ही यह शोध प्रबन्ध पूर्ण हो सका है । अन्त में मैं अपने समस्त त्रिपाठी परिवार, पत्नी सरला त्रिपाठी एवं भाई-बहिनों का भी आभारी हूँ, जिन्होंने इस कार्य को पूरा करने में अपना सहयोग देकर, उत्साहवर्धन किया है । शोध प्रबन्ध में भूलवश यदि कोई त्रुटियाँ रह गयी हों उसके लिये मैं क्षमा प्रार्थी हूँ ।

नवम्बर, 1989.

(प्रयाग नारायण त्रिपाठी)

# अनुक्रमणिका

पृष्ठ संख्या

प्राक्कथन

मानचित्रों की सूची

संकेताक्षरों की सूची

भूमिका

भारत-बांगला देश मैत्री सम्बन्धों का महत्त्व 1-9

प्रथम परिच्छेद:

भारत-बांगलादेश सम्बन्धों के निर्धारक तत्त्व 10-53

(1) ऐतिहासिक पृष्ठ भूमि 10

(2) भौगोलिक स्थिति 22

(3) आर्थिक स्थिति 32

(4) सांस्कृतिक एवं सामाजिक सम्बन्ध 43

द्वितीय परिच्छेद:

बांगलादेश का स्वतन्त्रता संग्राम और भारत का सहयोग 54-130

I -

(1) बांगलादेशवासियों द्वारा स्वतन्त्रता अभियान 54

(2) पश्चिमी पाकिस्तान द्वारा पूर्वी बंगाल का एक उपनिवेश के रूप में शोषण। 63

(3) पश्चिमी पाकिस्तान द्वारा बंगालियों के मौलिक अधिकारों व स्वतन्त्रताओं का अपहरण। 68

(4) बंगालियों द्वारा पूर्व स्वायत्तता की मांग। 77

| | | |
|---|---|---|
| (2) | पश्चिमी पाकिस्तान के अधिनायकों द्वारा दमन | 85 |
| (3) | बंगाली नेताओं द्वारा विश्व के राष्ट्रों व महाशक्तियों से मानव अधिकारों की रक्षा की याचना । | 90 |
| (4) | शरणार्थियों का भारत आगमन- भारत के लिये एक गम्भीर समस्या । | 95 |
| (5) | भारत द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय जगत से समस्या के समाधान की अपील, विश्व जनमत की प्रतिक्रिया । | 103 |
| (6) | तत्कालीन क्षेत्रीय स्थिति | 114 |
| (7) | लोकतान्त्रिक मूल्यों की स्थापना के लिये भारत का स्वाभाविक सहयोग । | 120 |
| (8) | प्रभुता-सम्पन्न बांगलादेश का अभ्युदय | 126 |


तृतीय परिच्छेद :


| | | |
|---|---|---|
| | भारत और नवोदित बांगलादेश का सम्बन्ध | 131-211 |
| (1) | शेख मुजीब के शासन काल में | 132 |
| (क) | राजनीतिक सम्बन्ध | 132 |
| (ख) | आर्थिक सम्बन्ध | 141 |
| (ग) | सांस्कृतिक एवं वैज्ञानिक सम्बन्ध | 151 |
| (2) | जियाउर रहमान का काल | 153 |
| (क) | राजनीतिक सम्बन्ध | 153 |
| (ख) | आर्थिक सम्बन्ध | 162 |
| (ग) | सांस्कृतिक एवं वैज्ञानिक सम्बन्ध | 169 |

§3§ जनरल इरशाद का काल — 171

§क§ राजनीतिक सम्बन्ध — 171

§ख§ आर्थिक सम्बन्ध — 178

§ग§ सांस्कृतिक एवं वैज्ञानिक सम्बन्ध — 184

§4§ दोनों देशों के सम्बन्धों में तनाव — 186

§5§ शासन कालों की तुलनात्मक समीक्षा — 197

चतुर्थ परिच्छेद :

भारत-बांगलादेश के बीच प्रमुख विवाद — 212 - 261

§1§ फरक्का जल विवाद — 212

§2§ नवमूर द्वीपीय विवाद — 231

§3§ सीमा विवाद — 242

§4§ अन्य विवाद और उनके समाधान के प्रयास — 251

पंचम परिच्छेद :

भारतीय उपमहाद्वीप में अन्तर्राष्ट्रीय राजनैतिक समीकरण — 262 - 351

§1§ विश्व की महाशक्तियाँ : अमरीका-रूस की राजनीतिक महत्त्वाकांक्षायें — 262

§2§ पाकिस्तान की कूटनीति — 284

§3§ वाशिंगटन-इस्लामाबाद-पीकिंग-धुरी — 304

§4§ भारत-रूस मैत्रीपूर्ण सम्बन्धों का विकास — 323

§5§ भारत-बांगलादेश सम्बन्धों पर प्रभाव — 341

षष्ठम परिच्छेद :


पृष्ठ संख्या

भारत में बांगलादेश के कारण उत्पन्न समस्यायें 352 - 398

(1) घुसपैठियों की समस्या 352

(2) असम समस्या 367

(3) सीमा पर समस्यायें 383

(4) अन्य समस्यायें एवं समाधान के प्रयास 391


सप्तम परिच्छेद :


भारत- बांगलादेश: विवादों से परे अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग 399 - 473

(1) विश्व शान्ति और सुरक्षा में विश्वास 399

(2) संयुक्त राष्ट्र संघ में 409

(3) गुट निरपेक्ष आन्दोलन में 421

(4) दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन में 437

(5) विश्व समस्यायें 456


अष्टम परिच्छेद:


भारत और बांगलादेश के घनिष्ठ मैत्री सम्बन्धों के लिये स्थितियां 474-529

(1) दोनों देशों के लिये आन्तरिक एवं बाह्य शान्ति एवं सुरक्षा की आवश्यकता। 474

(2) बढ़ती जनसंख्या, निर्धनता एवं बेरोजगारी की समस्यायें। 491

(3) मित्रता की सम्भावनायें, सुझाव 499

(4) उपसंहार। 512

परिशिष्ट 530 - 538

# मानचित्रों की सूची

1- भारत और बांगलादेश की भौगोलिक स्थिति

2- गंगा का भारत और बांगलादेश में बहाव क्षेत्र

3- बांगलादेश द्वारा विवादास्पद न्यू मूर द्वीप (दक्षिण तालपट्टी) का मानचित्र

4- भारत द्वारा बांगलादेश को स्थायी पट्टे पर तीन बीघा गलियारे का नक्शा ।

5- भारत-बांगलादेश सीमा पर प्रस्तावित तारों की बाड़ का नमूना

6- प्रस्तावित निर्माणाधीन तारों की बाड़ के लिये असुरक्षित सीमा क्षेत्र का मानचित्र ।

7- दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) के देशों की भौगोलिक स्थिति ।

## शोध-प्रबन्ध में प्रयुक्त संकेताक्षरों की सूची

| | |
|---|---|
| पूर्वी बंगाल | पूर्वी पाकिस्तान |
| बंग-बन्धु | बंग बन्धु शेख मुजीबुर्र रहमान |
| यू०एस०ए० | संयुक्त राज्य अमेरिका |
| यू०एन०ओ० | संयुक्त राष्ट्र संघ |
| सार्क | दक्षिण एशियायी क्षेत्रीय सहयोग संगठन |
| दक्षेस | दक्षिण एशियायी क्षेत्रीय सहयोग संगठन |
| एफ०ए०ओ० | खाद्य एवं कृषि संगठन |
| बी०एस०एफ० | सीमा सुरक्षा बल |
| टी०एन०वी० | त्रिपुरा नेशनल वालेन्टियर्स |
| "आसू" | आल असम स्टूडेन्ट्स यूनियन |
| अ. ग. स. प. | असम गण संग्राम परिषद |
| मि० गांधी | मिस्टर राजीव गांधी |
| मि० जिया | मिस्टर जियाउर रहमान |
| श्रीमती गांधी | श्रीमती इन्दिरा गांधी |
| ले० जनरल | लेफ्टिनेंट जनरल |
| बंगाली नेता | पूर्वी पाकिस्तान के नेता |
| मि० भुट्टो | मिस्टर जुल्फकार अली भुट्टो |

# भूमिका

## भारत-बांगलादेश मैत्री सम्बन्धों का महत्त्व

## भूमिका

### "भारत-बाँगला देश मैत्री सम्बन्धों का महत्व"

शान्ति और सुरक्षा सदैव से मानव मूल्यों के पोषक तत्व रहे हैं और भविष्य में भी रहेंगे। इसीलिए नीति निर्धारक मानव द्वारा प्राप्त उपलब्धियाँ विश्व शान्ति सुरक्षा के लिए उत्पन्न खतरों के सम्बन्ध में पूर्व से ही विचार करते रहे हैं। इस संदर्भ में सर्वप्रथम डच विचारक ह्यूगो ग्रोसियस ने युद्ध और शान्ति के नियमों के बारे में सोचना शुरू किया और उसकी पुस्तक ( ला आफ पीस एन्ड वार एमान्ग नेशन्स ) अन्तर्राष्ट्रीय कानून की पहली पुस्तक के रूप में सामने आयी। यदि आज हम विनाशकारी युद्धों के भयानक परिणामों के सम्बन्ध में विचार करें तो अन्तर्राष्ट्रीय जगत में परस्पर मैत्रीपूर्ण सम्बन्धों का महत्व स्पष्ट हो जाता है।

भारत की सुरक्षा अन्य देशों की तरह पड़ोसी देशों के साथ मधुर सम्बन्ध बनाये रखने में निहित है, जिससे एशिया का यह विशाल क्षेत्र शीत युद्ध के तनाव से मुक्त होकर शान्ति क्षेत्र के रूप में विकसित हो सके। पं0 जवाहर लाल नेहरू[1] ने भारत की विदेशनीति में सीमावर्ती देशों की महत्वपूर्ण स्थिति को स्वीकार करते हुए कहा था, "पड़ोसी देश हमारे मस्तिष्क में प्रथम स्थान रखते हैं जैसा कि वह आगे कहते हैं- दूसरा स्थान एशिया के अन्य देशों के लिए जाता है, जिनके साथ भारत वर्ष घनिष्ठता के साथ जुड़ा हुआ है।" 14 अगस्त 1947 के पूर्व पाकिस्तान भारत का एक अंग था, किन्तु परतन्त्र भारत के ब्रिटिश शासकों की कूटनीति ने मुस्लिम साम्प्रदायिकता को प्रोत्साहित किया जिससे घृणा और हिंसा की राजनीति की रक्तरंजित गोद से पाकिस्तान का जन्म हुआ और अखण्ड भारत खण्डित हो गया।

---

1- दत्त, वी0पी0 इन्डियास फारेन पालिसी, विकास पब्लिशिंग हाउस प्रा0लि0 (प्रीन्टेड बाइ संजय प्रिन्टर्स शहादरा, 1984 पेज नं0 136

किन्तु जैसा कि डा० एस०आर० शर्मा कहते हैं कि पाकिस्तान का जन्म एक ऐतिहासिक भूल थी ,एक भौगोलिक असंगति और एक राजनीतिक काल गणना का भ्रम था। भारत को विभाजित करने के इस प्रयास ने स्वयं को विभाजित कर दिया।[1] लगभग 1200 मील लम्बी भारत भूमि ने इसके दोनों भागों को एक दूसरे से पृथक कर दिया।

पाकिस्तान निर्माण के लगभग 24 वर्ष बाद प्रकृति ने इस ऐतिहासिक भूल और भौगोलिक असंगति को सही स्वरूप प्रदान कर दिया। क्योंकि प्रारम्भ से ही पश्चिमी पाकिस्तान के सैनिक अधिनायकों ने पूर्वी पाकिस्तान का एक उपनिवेश के रूप में शोषण प्रारम्भ कर दिया था। नागरिकों की मौलिक स्वतन्त्रताओं का अपहरण किया गया। जब उन्होंने बंगबन्धु शेख मुजीबुर्ररहमान के नेतृत्व में अपने मौलिक अधिकारों की मांग की तो सैनिक अधिनायक तन्त्र ने अपनी पूर्ण शक्ति के द्वारा दमन करने का प्रयास किया। लाखों की संख्या में बंगला नागरिकों को जीवन रक्षा के लिए शरणार्थियों के रूप में भारत के सीमावर्ती राज्यों में प्रवेश करना पड़ा। भारत ने मानवीय दृष्टिकोण के आधार पर उनके भोजन,वस्त्र,चिकित्सा और आवास की व्यवस्था की। भारत के सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक जीवन पर भी भारी बोझ पड़ा। भारत के नेताओं ने विश्व के राष्ट्रों के समक्ष दक्षिण एशिया की भीषण समस्या को रखा,क्योंकि भारत इससे सर्वाधिक प्रभावित था।

अन्ततोगत्वा, भारत को अपनी सीमा से लगे हुए इस उत्पीड़ित राज्य के नागरिकों की जीवन रक्षा एवं लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना के लिए अपना आर्थिक,राजनीतिक एवं नैतिक सहयोग विवश होकर देना पड़ा। और उसके इस सक्रिय सहयोग से "सोनार बांगला देश का अभ्युदय हुआ।"

भारतीय उपमहाद्वीप में दिसम्बर 1971 में सार्वभौमिक स्वतन्त्र-गणतन्त्रीय बांगला देश का उदय इस युग की एक ऐतिहासिक घटना थी। इस नये राष्ट्र के जन्म

---

1- शर्मा, एस०आर० बांगलादेश क्राइसेस एन्ड इण्डियास फारेन पालिसी, पब्लिस्ड बाई यंग एशिया पब्लिकेशन, न्यू देलही, 1978, पेज०-15

ने दक्षिण ऐशिया के भौगोलिक, राजनीतिक एवं सामरिक स्वरूप को ही बदल दिया। दक्षिण एंशिया की परिस्थितियाँ बदल गयी और इस क्षेत्र की राजनीति ने एक नया मोड़ ले लिया।[1]

अब भारत और नवोदित बाँगलादेश दोनो ही पड़ोसी देशों की अपनी ऐतिहासिक, भौगोलिक, सामरिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा साँस्कृतिक आवश्यकताओं एवं आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए, परस्पर मैत्री सम्बन्धों को बनाये रखना राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय हितों की दृष्टि से अपरिहार्य है। भारत विभाजन के पूर्व दोनों ही देशों का एक ही गौरवशाली इतिहास रहा है। बाँगला देश भारत के बंगाल और असम राज्यों का ही एक भाग है। अतः दोनों देशों की ऐतिहासिक परम्पराएं, रीतिरिवाज, राजनीतिक एवं धार्मिक मान्यताएं आदि काल से एक सी रही हैं। अतः इस ऐतिहासिक धरोहर की सुरक्षा की पूर्ति के लिए दोनों देशों के बीच मधुर सम्बन्ध होना राष्ट्रीय हित में है।

भारत-बाँगलादेश मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध ऐतिहासिक आवश्यकता के साथ ही भौगोलिक, सामरिक आवश्यकताओं की उपज है। बाँगलादेश भारत को पूर्वोत्तर में दो भागों में बाँटता है। बाँगला देश के पश्चिम में पश्चिम बंगाल तथा बिहार है तथा पूर्वांचल में असम, त्रिपुरा, नागालैन्ड, मणिपुर तथा मेघालय भारतीय संघ के राज्य हैं। वहीं पर बाँगला देश की तीन ओर से सीमाएँ भारतीय संघ के राज्यों से घिरी हुई हैं। अब जिस प्रकार बाँगला देश की भौगोलिक स्थिति ढाका को भारत के साथ मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध बनाए रखने के लिए विवश करती है, उसी प्रकार भारत वर्ष भी अपने पूर्वांचल के सीमावर्ती राज्यों में एक स्थायी शान्ति हेतु बाँगला देश के साथ मधुर मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध बनाए रखने के लिए बाध्य है।

---

1- सिंह, कुलदीप- इमरजेन्स आफ बांगलादेश एन्ड इट्स रिलेशन्स विथ इण्डिया टिल 1975 अमूल पब्लिकेशन, देलही- 1975 पृ0 ।

यदि दोनो देशों के बीच परस्पर अविश्वास, आशंका एवं कटुता की स्थिति रहती है ,तो इनकी एकता,अखण्डता एवं सार्वभौमिकता के लिए कभी भी चुनौती उपस्थित हो सकती है। उदाहरणार्थ भारत के पश्चिम में पाकिस्तान है। भारत और पाकिस्तान के सम्बन्ध राष्ट्रीय पूर्वाग्रहों, आत्मघमण्ड, चोटिल अहम और समान प्रतिस्पर्धा का एक सम्मिश्रण हैं।[1]

भारत की उत्तरी पूर्वी सीमा पर साम्यवादी चीन गण राज्य है, जो एशियायी देशों को नेतृत्व के लिए भारत का प्रबल प्रतिद्वन्दी है, अतः पाकिस्तान और चीन दोनो देश मिलकर भारत में राजनीतिक एवं सामाजिक अस्थिरता पैदा करना चाहते हैं। भारत के पूर्व में आज जो नवोदित राष्ट्र बाँगला देश है वह अपनी स्वतन्त्रता से पूर्व चीन एवं पाकिस्तान के लिए भारत विरोधी गतिविधियों का केन्द्र रहा है। 4 अक्टूबर 1968 को भारत सरकार द्वारा अनेको दस्तावेजों की छाया प्रतिलिपियां (फोटो कापीज) दी गयी थी जिनमें पाकिस्तान द्वारा नागा एवं मिजो विद्रोहियों को हथियार,छापामार युद्ध का प्रशिक्षण ,एव धनराशि देने के प्रमाण थे।[2]

असम की सीमा से लगभग 75 मील दूर मिजो विद्रोहियों को छापामार युद्ध का प्रशिक्षण देने का कुशल चीनी छापामार युद्ध प्रशिक्षकों का सबसे बड़ा केन्द्र था।[3]

इस प्रकार भौगोलिक एवं सामरिक आवश्यकताएं दोनो देशों की मैत्रीपूर्ण सम्बन्धों के महत्व को स्पष्ट करती है। भारत- बाँगलादेश मैत्रीपूर्ण सम्बन्धों का महत्व दोनो पक्षों की परस्पर आर्थिक निर्भरता से भी जुड़ा है। दक्षिण एशिया के यह दोनों पड़ोसी आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए निर्धन देश हैं। इन देशों की अधिकांश जनता गरीबी की रेखा से नीचे रहकर जीवन-यापन कर

---

1- दत्त,वी०पी०- इण्डियास फारेन पालिसी पृ० 170
2- हिन्दुस्तान टाइम्स-5 अक्टूबर 1968
3- असम ट्रिब्यून 3 जनवरी 1970

रही है। इस उप महाद्वीप में एक नये राष्ट्र के रूप में बाँगलादेश का प्रादुर्भाव एक नये सहयोग और विकास की आवश्यकता के लिए प्रेरित करता है। यदि बाँगलादेश इस क्षेत्र में अपने प्राकृतिक सम्बन्धों को भारत के साथ पुर्नस्थापना करता है, जो भारत विभाजन के कारण नष्ट हो गये थे, तो इस उप महाद्वीप का आर्थिक भविष्य पुनः उज्जवल हो सकता है।[1]

बाँगलादेश एक पड़ोसी मित्र के रूप में देश की सीमा पर सैनिक शक्ति की आवश्यकता को कम करेगा, जिससे सुरक्षा व्यय भार में कमी होगी। उपमहाद्वीप के इस भाग से बनावटी राजनीतिक अवरोधों के हटने से दोनों देशों के बीच स्वस्थ परस्पर सम्बन्धों के लिए अन्तर्दृष्टि खुलेगी।

भारत बाँगलादेश का औद्योगिक विकास द्वियपक्षीय मैत्रीपूर्ण समझौतों के माध्यम से हो सकता है, उदाहरण के लिए परम्परागत जूट उद्योग प्रतिस्पर्धा में विकसित न होकर भविष्य के सहयोग पूर्ण वातावरण में विकसित हो सकेगा। इसी प्रकार चाय, मछली, रेशम, कपड़ा उद्योग का विकास दोनों देशों में विकसित हो सकता है।[2] लेकिन भारतीय उपमहाद्वीप में बढ़ती हुई पारस्परिक निर्भरता को जीवन के अंग के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है, किन्तु भारत बाँगलादेश के बीच सौहार्दपूर्ण सम्बन्धों को महत्व देना उचित है। क्योंकि क्षेत्रीय आर्थिक असन्तुलन, सुरक्षा सम्बन्धी आवश्यकताएं स्वतन्त्रता के लिए आपसी समझदारी को आवश्यक बनाती है।[3] किन्तु इन दोनों विकासशील देशों की आर्थिक समृद्धि तभी सम्भव है, जब इनके राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय जीवन में राजनीतिक स्थिरता रहे। भारत ने बाँगलादेश में सदैव से ही राजनीतिक स्थायित्त्व बनाये रखने के लिए रचनात्मक पहल की है। दोनों देशों के सम्बन्ध प्रारम्भ से ही क्षेत्रीय एकता एवं सार्वभौमिकता के परस्पर सम्मान पर आधारित रहे हैं। भारत का यह प्रयास रहना चाहिए कि उसका यह पड़ोसी देश विश्व महाशक्तियों की महत्वा-

---

1- पैट्रिआट- 17 जून 1972
2- चानना, चरणजीत- इकानामिक्स आफ बाँगलादेश प्रिन्टेड येट संजीवन प्रेस-न्यू देलही, 1972, पे0 56
3- नागपुर टाइम्स, 11 मई 1981

कांक्षाओं का शिकार न होने पाए, नहीं तो फिर बाँगलादेश केवल भारत विरोधी गतिविधियों का ही केन्द्र नहीं रहेगा, बल्कि यह सम्पूर्ण एशिया की अशान्ति के लिए एक सैनिक पड़ाव भी बन सकता है।

किन्तु भारत ने प्रारम्भ से ही बाँगलादेश को गुटनिरपेक्ष आन्दोलन में सम्मिलित होने के लिए प्रेरित किया- बंग बन्धु शेख मुजीब ने बाँगलादेश की स्वाधीनता के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ में अपनी आस्था व्यक्त करते हुए विश्वशान्ति, सुरक्षा, गुटनिरपेक्षता, परस्पर सह-अस्तित्व में विश्वास प्रकट किया। उन्होने समाजवाद एवं धर्मनिरपेक्षता पर भी अधिक बल दिया, जिससे भारत के साथ अधिक घनिष्ट सम्बन्ध हो सकें।[1]

भारत अपने पूर्वी पड़ोसी से दूरगामी हितों को ध्यान में रखते हुए मैत्री-पूर्ण सम्बन्ध चाहता है, क्योंकि बाँगला देश में उत्पन्न आर्थिक एवं राजनीतिक अस्थिरता भारत के लिए अनेको समस्याएं उत्पन्न कर सकती हैं। बाँगला देश में अस्थिरता के कारण बहुसंख्यक अप्रवासी भारतीय भूभाग में प्रवेश कर जाते हैं, जिससे भारत पर सामाजिक ,आर्थिक एवं राजनीतिक बोझ बढ़ जाता है। इसलिए भारत बाँगलादेश में राजनीतिक स्थायित्व चाहता है। पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा एवं मणिपुर राज्यों में बाँगलादेश से शरणार्थियों की आने वाली भीड़ के कारण सामाजिक एवं आर्थिक समस्याएं उत्पन्न हुयी हैं और जिससे इन राज्यो में आज भी भारी राजनीतिक असन्तोष व्याप्त है। यदि बाँगलादेश में अस्थिरता बनी रही, तो वह विदेशी हस्तक्षेप एवं भारत विरोधी गतिविधियों का आधार स्तम्भ बन जायेगा और इस देश की सुरक्षा खतरे में पड़ जायेगी।[2]

वी0पी0 दत्त का भी विश्वास है कि भारत और बाँगलादेश दोनों की मित्रता परस्पर हितों एवं समानता के सम्बन्धों के आधार पर इस उपमहाद्वीप में शान्ति एवं सुरक्षा की स्थापना के लिए परिस्थितियाँ उत्पन्न कर सकती हैं। तभी

---

1- दि ट्रिब्यून चण्डीगढ़, 1 जून 1981
2- दि ट्रिब्यून चण्डीगढ, 1 जून 1981

इन दोनों देशों की जनता का विकास सम्भव है। तभी समग्र रूप से अपने साधनों का प्रयोग गरीबी, बीमारी, अज्ञानता के विरूद्ध संघर्ष करने में प्रयोग कर सकते हैं। जो दोनों देशों के वास्तविक शत्रु है। यह पाकिस्तान के लिए भी एक उदाहरण होगा, तब उस देश की जनता को भी इस प्रकार के प्रयत्न में सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित किया जा सकता है।[1]

बांगला देश के प्रधानमंत्री शेख मुजीबुर्रहमान ने कहा था कि "भारत और बांगलादेश की मित्रता दोनों देशों के कल्याण एवं समृद्धि के लिए आवश्यक है। इसका महत्व किसी बाह्य शक्ति के प्रभाव से अस्वीकृत नहीं किया जा सकता है।"[2] उन्होने यह भी विश्वास व्यक्त किया था कि भारत और बांगला-देश के बीच मैत्री सम्बन्ध परस्पर हितों को मजबूत करेगें और क्षेत्रीय तथा विश्व शान्ति एवं स्थायित्व में वृद्धि करने में सहयोग करते रहेगें।[3]

भारत दक्षिण एशिया की एक महाशक्ति है। उसने विश्व राजनीति में गुटनिरपेक्ष आन्दोलन का जनक एवं नेता होने के कारण महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया है। यदि बांगलादेश एक मित्र के रूप में अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में भारत का सहयोगी बन जाता है तो निश्चित है कि दोनों ही देश विश्व राजनीति में उपनिवेशवाद, जातिवाद, साम्राज्यवाद, रंगभेद एवं सैनिक गुटबन्दियों का प्रबल विरोध करते हुए गुट निरपेक्ष आन्दोलन को और अधिक प्रभावी बनाने में सफल हो सकते है। आज हिन्द महासागर विश्व की महाशक्तियों की प्रति-स्पर्धा का केन्द्र बन रहा है, जिससे दक्षिण एशिया के देशों की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा उत्पन्न हो गया है। दोनो मित्र देश एक साथ मिलकर अन्तर्राष्ट्रीय मंच पर हिन्द महासागर को शान्ति क्षेत्र बनाने के लिए सकारात्मक प्रयास कर सकते हैं। विश्व समस्याओं के समाधान के लिए दोनों देशों का समान दृष्टिकोण निश्चय ही दक्षिण एशिया की प्रतिष्ठा को बढ़ावा देगा।

---

1- दत्त ,वी0पी0- इण्डियास फारेन पालिसी, पृ0 170
2- अमृत बाजार पत्रिका, कलकत्ता, 12 दिसम्बर 1974
3- बांगलादेश टाइम्स, ढाका, 21 दिसम्बर 1974

यद्यपि भारत बाँगला देश के बीच कुछ विवाद एवं समस्याएं हैं जैसे गंगाजल विवाद, नवमूरद्वीप विवाद, सीमा पर समस्यायें, चकमा शरणार्थियों आदि के सम्बन्ध में और भी कई समस्याएं हैं किन्तु इन विवादों और समस्याओं को द्विपक्षीय वार्ताओं द्वारा सहज ही निपटाया जा सकता है, क्योंकि भारत का अपने पड़ोसी देशों के प्रति सदैव ही सहयोगात्मक एवं सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण रहा है, आक्रामक कभी नहीं और न ही विश्व के इस सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश ने अपने छोटे पड़ोसी देशों को आतंकित करने काप्रयास किया है। विश्व की महाशक्तियां एवं अन्य देश अपनी कूटनीतिक सफलता के लिए भले ही आपस में भ्रम पैदा करने का प्रयास करते रहे हों।

बाँगलादेश के प्रस्ताव पर ही दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय परिषद कागठन हुआ है जो दक्षिण एशिया के देशों के बीच मैत्रीपूर्ण सम्बन्धों के लिए परस्पर विश्वास, सहयोग, सद्भावना, शान्ति एवं सुरक्षा के लिए एक ठोस पृष्ठभूमि तैयार कर सकती है। आर्थिक एवं राजनीतिक समस्याओं का समाधान क्षेत्रीय स्तर पर हो सकता है। सांस्कृतिक एवं वैज्ञानिक प्रगति की सम्भावनाओं में वृद्धि हो सकेगी। बाँगलादेश जो कृषि एवं विज्ञान के क्षेत्र में पिछड़ा हुआ है। भारत उसका विभिन्न तकनीकी क्षेत्रों में सहयोग कर सकता है।

इस प्रकार भारत-बाँगलादेश सम्बन्ध केवल भावनात्मक न होकर राष्ट्रीय एवं अन्तरार्ष्ट्रीय आवश्यकताओं की माँग हैं। किन्तु आज दोनों देश मुजीब युग की घनिष्ठता से दूर हट चुके हैं। बाँगलादेश लोकतंत्र एवं धर्मनिरपेक्षता के रास्ते से भटक रहा है, उसने सैनिक तानाशाही एवं इस्लामीकरण को स्वीकार किया है जिससे दोनों देशों के बीच कटुता उत्पन्न हो रही है। किन्तु यह स्थिति दोनों देशों के लिए घातक होगी। बाँगला देश के औद्योगिक विकास के लिए भारत को हर सम्भव प्रयास करना चाहिए। उसकी उपेक्षा करना भारतवर्ष की बुद्धिमानी नहीं है। अब भी एक दूसरे के प्रति विश्वास अर्जित किया जा सकता है, लेकिन यह तुच्छतापूर्ण मित्रता के द्वारा नहीं बल्कि आपसी समझदारी एवं सहयोग से ही सम्भव है।

वास्तव में, बाँगलादेश भारत के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है, जितना भारत बाँगलादेश के लिए। दोनों देशों की प्रगति एवं समृद्धि के लिए आवश्यक है कि हम एक दूसरे की प्रगति एवं समृद्धि के लिए पहले से अधिक रूचि लेते रहें।[1] क्योंकि भूगोल ने हमें पड़ोसी बनाया है, इतिहास ने हमे मित्र, अर्थशास्त्र हमें भागीदार बनाता है और हमारी आवश्यकताएं हमें स्थायी मित्र बनने के लिए प्रेरित कर रहीं हैं।

---

1- नागपुर टाइम्स, नागपुर, 10 अप्रैल 1981

# प्रथम परिच्छेद

## भारत-बांगलादेश सम्बन्धों के निर्धारक तत्व

## भारत-बाँगला देश मैत्री सम्बन्धों के निर्धारक तत्व

### ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

"किसी भी देश की विदेश नीति उसके इतिहास, भूगोल, अतीत के अनुभव तत्कालीन आवश्यकताओं, राष्ट्रीय हितों की सर्वोच्यता और अपने आदर्शों के प्रति जागरूकता के मिश्रित अन्तर्राष्ट्रीय खेल की उपज है।[1]

वस्तुतः किसी भी देश का इतिहास उसके राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, एवं सांस्कृतिक जीवन के आपसी सम्बन्धों एवं उसके उत्थान पतन का क्रमवद्ध ज्ञान होता है, जो भावी पीढ़ियों के श्रेष्ठ जीवन के लिए प्रकाशपुन्ज बनकर मार्गदर्शन करता है। अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में विभिन्न देशों की विदेश नीति एवं उनके अन्य देशों के साथ सम्बन्धों को निर्धारित करने में इतिहास एवं तत्कालीन परिस्थितियाँ विशेष रूप से प्रभावित करती हैं।

इतिहास और तत्कालीन अनुभव भारत की सशक्त एवं स्वतन्त्र विदेश नीति के निर्माण में वर्षों से प्रभावकारी तत्व रहे हैं।[2] इसी प्रकार विश्व के अन्य देश भी अपने ऐतिहासिक अनुभवों एवं तत्कालीन परिस्थितियों की उपेक्षा करके विश्व राजनीति में सफल नहीं हो सकते हैं। भारत बाँगलादेश सम्बन्धों को स्थायी एवं मैत्रीपूर्ण बनाये रखने में इन दोनों देशों के सम्बन्धों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि सदैव प्रेरणादायक रहेगी।

14 अगस्त 1947 के पूर्व बाँगलादेश भारत के बंगाल प्रान्त का पूर्वी भाग था। अतः विभाजन के पूर्व बाँगला देश काअपना कोई इतिहास नहीं था। अविभाज्य भारत का इतिहास ही बाँगलादेश का इतिहास था।

---

1- दत्त, वी०पी०- इण्डियास फारेन पालिसी, पृ० 1

2- वही, पृ० 2

अतः शताब्दियों से दोनों देशों की जनता के बीच समान राजनीतिक चेतना, सांस्कृतिक एवं सामाजिक जीवन में भावनात्मक एकता, परस्पर आर्थिक निर्भरता होने के कारण राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं के प्रति परस्पर सहयोग तथा समान दृष्टिकोण का होना ऐतिहासिक आवश्यकता है।

भारत का बंगाल प्रान्त भारतीय राष्ट्रवाद का प्रमुख केन्द्र रहा है। भारतीय राष्ट्रवाद के विरोध में ब्रिटिश शासकों ने अप्राकृतिक रूप से भारतीय उप महाद्वीप में स्थायी अशान्ति, घृणा, विद्वेष एवं हिंसा को प्रोत्साहन देने के लिए द्विराष्ट्रवाद के सिद्धान्त का बीजारोपण किया। उस समय यह दावा किया जाने लगा था, कि इस महाद्वीप में मुसलमान पृथक राष्ट्र के बिना नहीं रह सकते हैं।

सन् 1899 में लार्डकर्जन भारत का गर्वनर जनरल बनकर आया और सन् 1905 तक रहा। लार्डकर्जन साम्राज्यवादी नीति का पोषक था। लार्ड कर्जन का जनता को सबसे अधिक भड़काने वाला कार्य बंगाल का विभाजन था। उस समय बंगाल प्रान्त वर्तमान पश्चिमी बंगाल एवं बंगलादेश तक ही सीमित नहीं था बल्कि इसमें आधुनिक बिहार एवं उड़ीसा राज्य भी थे।[1] बंगाल की राजनीतिक चेतना को पराभूत करने के उद्देश्य से साम्राज्यवादियों ने कुछ मुस्लिम नेताओं को साथ लेकर बंगाल विभाजन की योजना बनायी। कर्जन ने बड़ी चतुरता से, बंगाल के मुसलमानों में कथित हिन्दू प्रभुत्व का जहर भरा और मुस्लिम चेतना को बंगाल विभाजन के लिए तैयार कर लिया। मुस्लिम नेताओं के दिमाग में यह विचार भरा गया, कि बंगाल के जन-जीवन में उच्च वर्गीय हिन्दू प्रभावी हो गये हैं, जिसके परिणामस्वरूप मुसलमानों का पृथक सांस्कृतिक वैशिष्ठ समाप्त हो जायेगा। इस विचार को मूर्त रूप देने का आशय था कि बंगाल के जो मुसलमान भाषा, संस्कृति एवं परम्पराओं में हिन्दुओं के सन्निकट थे, उनको स्थायी रूप से अलग किया जा सकेगा। मुस्लिम राजनीतिज्ञों का समर्थन प्राप्त करने के पश्चात, अंग्रेजों ने

---

1 – ब्राउन, डब्लoनारमन- दि यoएसoएo-इण्डिया-पाकिस्तान-बांगलादेश, हावर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, कैम्ब्रिज मैसेचुसेट्स, 1972, पृo 78-79

बहुमत की उपेक्षा करते हुए बंग-भंग की योजना को अन्तिम रूप प्रदान कर दिया। गंगा, यमुना तथा पद्मा द्वारा समान रूप से सिंचित उस भूमि को दो भागों में बाँट दिया गया। मुस्लिम बाहुल्य पूर्व बंगाल तथा असम का कुछ क्षेत्र मिलाकर सन् 1905 में एक पृथक राज्य बना दिया गया। जिसकी राजधानी ढाका रखी गयी। इस विभाजन पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कवीन्द्र रवीन्द्र नाथ टैगोर ने लिखा था -

"बाँगलार माटी बाँगला जल
बाँगलार वायु, बाँगलार फल
एक होक एक होक, हे भगवान[1]

जनमत पर बंगाल के विभाजन की प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए सुरेन्द्रनाथ बनर्जी ने बाद में लिखा कि " बंगाल विभाजन की घोषणा आश्चर्य चकित जनता पर एक बम के रूप में पड़ी। हमने अनुभव किया कि हमें अपमानित किया गया, हमारा उपहास उड़ाया गया है, और हमसे छल किया गया है। हमने यह भी अनुभव किया कि हमारा भविष्य संकट में है और यह कार्य बंगलाभाषी जनता की बढ़ती हुयी एकता और चेतना पर भीषण प्रहार है।"[2]

बंगाल की राजनीतिक चेतना ने अंग्रेजों के सामने समर्पण नहीं किया। बंगालियों के प्रबल विरोध के कारण भारत सरकार और लंदन स्थिति भारतीय कार्यालय के अधिकारी स्तब्ध रह गये। भयानक प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप बंगाल विभाजन के निर्णय को 1911 में पुनः वापस लेना पड़ा।[3]

किन्तु इसी समय मु0 अली जिन्ना का राजनीतिक चातुर्य बंगाल की उदारवादी मुस्लिम राजनीति को दुर्बल बनाने में सफल रहा और भविष्य में मुस्लिम लीग ने इसी योजना को स्वीकार कर लिया और मुसलमानों के दो

---

1-डा0 गौतम-प्रो0 मिश्रा- बांगलादेश पृ0 111-112
2-बनर्जी, सुरेन्द्र नाथ- ए नेशन इन मेकिंग पृ0 187-188
3-ब्राउन-डब्लू नार्मन-यू0एस0ए0, इण्डिया, पाकिस्तान, बाँगलादेश, पृ0 208

सार्वभौमिक -स्वतन्त्र राष्ट्रों की कल्पना को मान लिया। इसमें एक उपमहाद्वीप के उत्तर-पश्चिम में होना था और दूसरा उपमहाद्वीप के उत्तर-पूर्व में। ब्रिटिश सरकार इस दुष्कार्य को प्रोत्साहन देने के लिए पहले से ही क्रियाशील थी। पाकिस्तान का जन्म 14 अगस्त 1947 को भारतीय स्वतन्त्रता अधिनियम 1947 के प्रावधानों के अन्तर्गत हो गया। जिसे ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया था। अधिनियम के अन्तर्गत पंजाब और बंगाल प्रान्त विभाजित कर दिये गये। भारत का कुछ अन्य क्षेत्र भी पाकिस्तान राज्य को हस्तान्तरित कर दिया गया।[1]

भारत विभाजन के अवसर पर पं० जवाहर लाल नेहरू ने इस उपमहाद्वीप के लोगों को स्मरण दिलाते हुए कहा था कि " भारत अपने भूगोल, इतिहास, परम्परा, अपने मस्तिष्क और हृदय को नहीं बदल सकता है। पाकिस्तान के शासकों ने इतिहास की आवाज को ढोपने का प्रयास किया, लेकिन यह अधिक समय के लिए नहीं दब सकती , ये पुर्नस्थापित होने के लिए बाध्य है, क्योंकि इसमें लोगों की भावनायें और अभिलाषाएं सन्निहित हैं।" बांगलादेश का अभ्युदय इन अभिलाषाओं की पूर्ति का प्रत्यक्ष स्वरूप है।[2]

जवाहरलाल नेहरू को माउन्ट बैटन योजना को स्वीकार करना पड़ा, जिसके अन्तर्गत दो राज्यों की अवधारणा विद्यमान थी। उनके विचार से यह यह अवश्यम्भावी हो गया था। 3 जून 1947 को उन्होने बड़े दुःख भरे स्वर में कहा था " भावी पीढ़ियों के लिए हमने स्वप्न संजोये , और स्वतन्त्र, आत्मनिर्भर और अखण्ड भारत के लिए संघर्ष किया, लेकिन कुछ भाग अलग करने का प्रस्ताव मानना पड़ा। हममें से किसी को भी इस पर विचार करने से दुःख होगा फिर हम व्यापक हितों को ध्यान में रखते हुए वर्तमान निर्णय के लिए सहमत हैं।"[3]

---

1-सिंह, कुलदीप- इमरजेन्स आफ बांगलादेश एन्ड इदस रिलेशन्स विद इण्डिया टिल 1975, पृ० 2

2-शर्मा, एस०आर०- बांगलदेश क्राइसेस एन्ड इण्डियन फारेन पालिसी, पृ० 7-8

3-राव, बी० शिव-[एडीशन] द फ्रेमिंग आफ इण्डियास कांसटीट्यूशन स्टडी, वाल्यूम बाम्बे 1964 पृ० 21

पाकिस्तान का निर्माण हो गया। मुस्लिम लीग का राजनीतिक उद्देश्य भी सफल हुआ। लेकिन पूर्वी बंगाल ने मुस्लिम लीग की राजनीति और उसकी विचारधारा के अन्तर्गत पाकिस्तान के निर्माण में अपना मनोवैज्ञानिक, भावनात्मक एवं शारीरिक सहयोग अति सूक्ष्म दिया था। बंगाल के मुसलमानों ने पाकिस्तान विभाजन और स्वतन्त्रता के लिए होने वाले साम्प्रदायिक दंगों में बहुत ही कम राजनीतिक प्रपंच रचा था। वास्तव में यह तो बम्बई और उत्तर प्रदेश के मुसलमान थे जो इस आन्दोलन को चला रहे थे।[1] पूर्वी बंगालियों के साथ भारतीयों के भावनात्मक सम्बन्ध थे। भारत विभाजन के बाद साम्प्रदायिक दंगों में जो रक्तपात हुआ ,उससे भारतीय नेता अत्यन्त दुःखी थे।

कांग्रेस अध्यक्ष पुरूषोत्तम दास टण्डन ने लियाकत-नेहरू समझौते पर हस्ताक्षर के आठ महीने बाद कहा था कि " भारत विभाजन हमारे लिए एक दुखदनाटक सिद्ध हुआ है। इसने हमारे लाखो भाइयों को उनके निकट सम्बन्धियों से अलग कर दिया है,जिन्हे अकथनीय कष्टो का शिकार बनाया है।"[2] कुछ समय पश्चात जब पश्चिमी पाकिस्तान के शासको ने बंगालियों काशोषण प्रारम्भ कर दिया,तो उस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए तत्कालीन उप प्रधानमंत्री सरदार बल्लभ भाई पटेल ने 14 जनवरी 1950 को एक जनसभा में बंगाली जनता को सम्बोधित करते हुए कहा था कि " यह भाग्य की विडम्बना है ,हमने बंगाल विभाजन का प्रतिरोध किया, जबकि 40 वर्ष पूर्व ही इसको विभाजित करने की योजना थी। हम लोगों ने भारत की विपत्ति को टालने के लिए सब कुछ बलिदान किया। भारत तुम्हारे साथ था। अन्ततो गत्वा विभाजन की दूसरी विचारधारा को स्वीकार करना पड़ा, वो मित्र जो कल तक हमारे साथ थे। आज वे विदेशी हो गये, लेकिन हम व्यवहारिक जीवन में अलग कैसे हो सकते हैं। हमारे सम्बन्ध

---

1-दत्त वी0पी0- इण्डियास फारेन पालिसी,पृ0 153

2-चौधरी जी0डब्ल- पाकिस्तान रिलेशन्स विद इण्डिया- स्टोरी आफ इरिकॉसि-बिल हास्टीलिटी बीटवीन टू एशियन नेबर्स पृ0 176

और आर्थिक बन्धन तोड़े नहीं जा सकते हैं । आज वहाँ जो मुसीबते हैं, उनको दूर होना चाहिए। हम उनकी मदद कर सकते हैं। यदि हम दक्षिण अफ्रीका के लोगों के लिए सहानुभूति रख सकते हैं और उनकी सहायता के लिए दौड़ सकते हैं तब तो पूर्वी पाकिस्तान के लोगों की मदद करना और भी अधिक सरल है। मतभूलिये! भारत माता के महत्वपूर्ण अंग काट दिये गये हैं। बंगाली विकास के अधिक अवसर चाहते हैं। यह मेरी प्रबल इच्छा है कि हम उनकी अपनी अधिकतम क्षमता से सहायता करें।[1]

मुस्लिम लीग के नेताओं और ब्रिटिश शासकों ने कुछ समय के लिए इतिहास की धारा को विकृत करने में तो सफलता प्राप्त कर ली लेकिन अन्य पहलुओं के प्रति उनमें दृष्टिदोष रहा है। भारत भूमि ने पाकिस्तान के दोनों भागों को केवल 1200 मील की दूरी से ही पृथक नहीं किया है, बल्कि वे भाषा, जातिगत संगठन, सभ्यता एवं दृष्टिकोण से काफी भिन्न थे। पश्चिमी पाकिस्तान मुख्यतः मध्यपूर्व से सम्बन्धित रहा है पूर्वी बंगाल की अपेक्षा ईरान या ईराक से अधिक साम्यता रखता है। पूर्वी बंगाल की एक तिहाई आबादी जो हिन्दू है, पश्चिमी बंगाल से पृथक नहीं की जा सकती है। जिनका पूर्ववर्ती कलकत्ता राजधानी से आज भी लगाव है। पूर्वी बंगाल के प्रमुख श्रमिक संगठन कलकत्ता से ही संचालित होते हैं। इसी लिए कीथ कैलार्ड कहते हैं कि " पाकिस्तान की रचना एक वेदनापूर्ण गल्ती थी, जिसे आज भी सुधारा जा सकता है। कम से कम जहाँ तक पूर्वी बंगाल का सम्बन्ध है।"[2]

पाकिस्तान बन जाने के बाद भी बंगालियों में भारत के प्रति एक स्वाभाविक आत्मीयता रही है। उनकी इस आपसी आत्मीयता ने एक दूसरे के कष्टों के प्रति सदैव से सम्वेदनशील बनाएं रखा है। पश्चिमी पाकिस्तान के नेताओं

---

1- स्टेट्समैन- न्यू डेलही 5 जनवरी 1950
2- कैलार्ड कीथ- पाकिस्तान्स फारेन पालिसी- एन इन्टरप्रेटेशन , न्यूयार्क 1957 पृ0 11

ने विभाजन के बाद से ही पूर्व बंगाल की जनता के विकास के प्रति उदासीनता दिखायी, जिससे उनकी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति होना असम्भव हो गया। तब बंगालियों ने लोकतांत्रिक ढंग से मानव अधिकारों की रक्षा के लिए आन्दोलन चलाया। भारतीय जनता का उनके लिए सहयोग प्राप्त होना स्वाभाविक था।

सन् 1965 में जब 22 दिन का भारत पाक युद्ध हुआ। पश्चिमी पाकिस्तान को बचाने का जितना प्रयास पाकिस्तान सरकार ने किया उतना पूर्वी पाकिस्तान के लिए नहीं किया गया। उसी समय मुजीब और उनके साथियों को विश्वास हो गया कि जब से पाकिस्तान बना है, पूर्वी पाकिस्तान के लोग उससे किसी भी प्रकार की आशा नहीं कर सके। बंगालियों ने यह पुनः अनुभव किया कि पाकिस्तान की विदेश नीति की सम्पूर्ण रचना का सिद्धान्त भारतवर्ष के विरूद्ध बैर भाव उत्पन्न करना है और पाकिस्तान का मुख्य उद्देश्य पूर्वी पाकिस्तान का हर प्रकार से शोषण करने के लिए उस पर प्रभुत्व बनाए रखना है।[1]

सन् 1965 के युद्ध में भारत द्वारा पूर्वी पाकिस्तान की ओर से युद्ध का मोर्चा न खोलने से अवामी लीग द्वारा इसे बंगालियों के प्रति भारत की उदारता पूर्ण नीति का द्योतक समझा गया। बंगाली नेताओं ने यह अनुभव कर लिया कि भारत वर्ष पूर्वी पाकिस्तान के साथ मैत्रीपूर्ण सम्बन्धों के लिए आशान्वित एवं उत्सुक है। उनमें यह विश्वास पैदा हो गया कि भविष्य में जब वे स्वायत्तशाषी बनने का प्रयास करेंगे उस समय भारत से आज जैसे सहयोग की आवश्यकता है वैसा ही सहयोग प्राप्त होगा। युद्ध के समय पूर्वी बंगाल के मोर्चे के लिए सेनापति जनरल मानिकशा थे। वह पूर्वी बंगाल की ओर युद्ध का मोर्चा खोलने के पक्ष में थे। इस कार्यवाही के लिए उन्होंने अनुमति भी मांगी थी लेकिन तत्तकालीन सेनापति जनरल चौधरी ने पूर्वी पाकिस्तान की ओर मोर्चा खोलने की अनुमति नहीं दी। जनरल चौधरी राजनीतिज्ञों के लिए भावी संकेत देने में अत्य अधिक प्रवीण थे। जिन संकेतो को अवामी लीग के नेताओं ने सही ढंग से समझ लिया। लाल बहादुर शास्त्री

---

1- चोपड़ा प्रेम- इण्डियास सेकेन्ड लेबरेशन (विकास), देलही 1973 पृ0 66

उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे। उन्होंने जनरल चौधरी के पक्ष में सरकार का निर्णय लिया और उनकी राजनीतिक सूझ-बूझ उस सरकार के लिए सार्थक सिद्ध हुई। इसी प्रत्याशा में 13 फरवरी 1966 को 6 सूत्री मांगपत्र आवामी लीग द्वारा स्वायत्ता के लिए प्रस्तुत किया गया, जो आगामी संघर्ष का मुख्य आधार बन गया। पूर्वी बंगाल की जनता ने शेख मुजीब और अन्य बंगाली नेताओं के नेतृत्व में आन्दोलन प्रारम्भ कर दिया।

लेकिन पश्चिमी पाकिस्तान की सरकार ने इसे पश्चिमी भाग के लोगों के हितों एवं पाकिस्तान की एकता को बरबाद करने वाला अलगाववादी आन्दोलन घोषित किया। उन्होंने भारत पर इस आन्दोलन को भड़काने का आरोप लगाकर पश्चिमी पाकिस्तान की जनता को इसे नष्ट करने के लिए उद्वेलित किया। मुजीब और उनकी पार्टी ने यह अनुभव कर लिया कि उनका यह स्वायत्ता आन्दोलन तब तक आगे नहीं बढ़ सकता,जब तक कि उन्हे अपने लोकतांत्रित पड़ोसी देश भारत का सहयोग नहीं प्राप्त हो जाता।[1] इसलिए उन्होंने भारत पाकिस्तान के बीच अच्छे सम्बन्ध बनाए रखने की दृढ़तापूर्वक मांग की।

जबकि इसके विपरीत भुट्टो और पश्चिमी पाकिस्तान के अन्य नेतागढ़ राजनीतिक गतिरोध बनाने में लगे रहे। पाकिस्तान का शासकवर्ग शेख मुजीब को जेल की बैरकों में भेजना चाहता था। इस आन्दोलन से उनको अच्छा बहाना मिल गया। उनको 20 मार्च 1966 को गिरफ्तार कर लिया गया। अवामी लीग ने 6 सूत्री कार्यक्रम के समर्थन में पूर्ण हड़ताल की। जब आन्दोलन ने प्रचण्ड रूप धारण कर लिया तो अयूब सरकार ने उसे कुचलने का प्रयास किया। सरकार ने 1 जनवरी 1968 को मुजीब को मुक्त करने का निश्चय किया। किन्तु जैसे ही उनको जेल से मुक्त किया गया,तत्काल ही पुनः गिरफ्तार कर लिया गया। उन पर बंगलादेश को भारतीय कारिन्दा(एजेन्ट) बनकर स्वतन्त्र कराने के आरोप में अगरतला षडयन्त्र में फंसा कर ढाका सैनिक छावनी में वापस भेज दिया गया।

---

1-शर्मा, एस0आर0- बंगलादेश क्राइसेस एन्ड इण्डियास फारेन पालिसी पृ0 2।

पाकिस्तान के सैनिक शासक बांगलादेश के स्वतन्त्रता आन्दोलन को भारत के साथ जोड़ते रहे, जिसकी प्रतिक्रिया से जनता में भारत के प्रति विद्वेषभाव जीवित बना रहे। जिसके परिणाम स्वरूप शासक वर्ग जनता की सहानुभूति अर्जित करने में सफल होता रहे। समय की गतिशीलता के साथ पूर्वी पाकिस्तान का जन आन्दोलन उग्र रूप धारण करता गया। भारत की सहानुभूति एवं उत्सुकता उसी गति से बंगलादेश वासियों के साथ बढ़ती गयी। इस स्थिति में मानवीय विचारो के अतिरिक्त भारतीयों का बंगलादेशवासियों के स्वतन्त्रता आन्दोलन की सफलता के लिए अधिक उत्सुकता के विशेष कारण थे। सर्वप्रथम हम लोग इस तथ्य से पूर्ण परिचित थे, कि पाकिस्तान एक पृथक राज्य है, लेकिन यह तो हम लोग कभी नहीं भूल सकते कि उस देश के लोग भी कल तक हमारे ही देशवासी थे और पश्चिम बंगाल के लोगों के साथ अति घनिष्ठता के साथ जुड़े हुए थे, इसलिए उनके दुःखों से अन्य लोगों की अपेक्षा हमारे देशवासियों को अधिक प्रभावित होना स्वाभाविक था।[1]

बंगाली नेताओं ने जनता और अर्द्धसैनिक बलों को साथ लेकर मुक्त वाहिनी का गठन किया। पश्चिमी पाकिस्तान के सैनिक अधिनायक यहया खाँ ने यह आरोप लगाया कि मुक्त वाहिनी को भारतीय सेना का सहयोग मिल रहा है। यद्यपि भारत सरकार समस्या के राजनीतिक समाधान के लिए प्रारम्भ से ही प्रयत्नशील रही, क्योंकि वह इससे सर्वाधिक प्रभावित थी। भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गाँधी ने विदेश यात्रा से लौटने के पश्चात 16 नवम्बर को भारतीय दृष्टिकोण को स्पष्ट करते हुए कहा कि पूर्वी बंगाल की समस्या का राजनीतिक समाधान हो सकता है। इसके लिए शेख मुजीबुररहमान को मुक्त करके पाकिस्तान सरकार और अवामी लीग के नेताओं के बीच शान्तिपूर्ण वार्ता होनी चाहिए। उन्होने कहा कि समस्या की मूल जड़ 7.5 करोड़ पूर्वी बंगाल के लोगों के भाग्य और उनके अधिकारों की सुरक्षा में है।[2]

---

1-शर्मा, एस0आर0- बंगलादेश क्राइसेस एन्ड इण्डियास फारेन पालिसी पृ0 22
2-बांगलादेश डाकूमेन्ट वाल्यूम ।। पृ0 223-24

लेकिन पाकिस्तान सरकार ने समस्या का राजनीतिक समाधान न खोजकर विश्व-जनमत को गुमराह करने के उद्देश्य से 3 दिसम्बर 1971 को अपनी पूर्ण शक्ति के साथ भारत पर आक्रमण कर दिया। जिससे पूर्वी बंगाल की जनता द्वारा अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए चलाया जा रहा आन्दोलन भारत पाक युद्ध के रूप में बदल जाय और भारत पर पाकिस्तान की आन्तरिक मामलों में खुलकर हस्तक्षेप करने का आरोप सिद्ध कर दिया जाय। पाकिस्तान ने भारत पर यह आक्रमण उस समय किया जब वह बंगलादेश के जन आन्दोलन को दबाने अथवा उसका राजनीतिक समाधान करने में असफल हो गया। पाकिस्तानी आक्रमण के कुछ ही घन्टो बाद भारत के राष्ट्रपति ने देश में संकटकालीन स्थिति की घोषणा कर दी 3-4 दिसम्बर की अर्द्धरात्रि में प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरागांधी ने आकाशवाणी से राष्ट्र के नाम संदेश में घोषणा करते हुए कहा, "कि आज बांगलादेश पर एक युद्ध भारत का युद्ध हो गया है, पाकिस्तानी आक्रमण अन्ततः असफल कर दिया जायेगा।"[1] दूसरे दिन संसद ने युद्ध में सफलता के लिए पूर्ण समर्थन की घोषणा की 6 दिसम्बर 1971 को भारत ने औपचारिक रूप से 8 महीने पुरानी बांगला लोकतांत्रिक सरकार को मान्यता प्रदान कर दी।

भारत ने राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर बांगलादेश का भरपूर सहयोग किया। जब संयुक्त राष्ट्र संघ की साधारण सभा में युद्ध विराम का प्रस्ताव आया उस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के 131 सदस्यों में से 104 सदस्यों ने प्रस्ताव के पक्ष में मत दिया। उस समय भारत विश्व समुदाय में स्पष्ट रूप से अलग थलग पड़ गया था।[2] भूटान के अतिरिक्त केवल सोवियत संघ और इसके 7 पूर्वी योरोप के मित्र देशों तथा क्यूबा ने भारत का साथ दिया। साम्यवादी देशों में रोमानिया से जैसी कि आशा थी, चीन के साथ भारत के विरोध में मत दिया। योगोस्लाबिया और संयुक्त अरब गणराज्य जो तटस्थ राष्ट्रों की तिकड़ी के रूप में एक दूसरे के सहयोगी माने जाते थे पाकिस्तान के पक्ष में मतदान करके भारत और उसके मित्र देशों को आश्चर्य में डाल दिया।[3]

---

1- बांगलादेश डाकूमेन्ट वाल्यूम II पृ० 135
2- वही
3- टाइम्स आफ इण्डिया II दिसम्बर 1971

यदि संयुक्त राष्ट्र संघ की साधारण सभा द्वारा युद्ध विराम प्रस्ताव पारित हो जाता जैसी कि संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन की कुटनीतिक चाल थी तो यह सम्भव था कि बंगलादेश विश्व की महाशक्तियों की राजनीति का अखाड़ा बन जाता और उसका स्वतन्त्र राजनीतिक अस्तित्व खतरे में पड़ सकता था। जहाँ तक युद्ध क्षेत्र में भारतीय सेनाओं के कर्तव्य का सम्बन्ध था, उन्हे केवल बाँगलादेश वासियों की ओर से लड़ने का निर्देश था, जिससे पाकिस्तानी सेना की क्रूरता के दमन चक्र से उनके मौलिक अधिकार अक्षुण्य रह सकें। भारत नें संकट के समय बाँगला देश वासियों का जो सहयोग किया वह त्याग, बलिदान और निः स्वार्थ भावनाओं के उच्च आदर्शो से प्रेरित था। हमारी सेनाओं ने जो बलिदान बाँगलादेश के लोगों के लिए किए इतिहास उन गौरवशाली कार्यो के लिए हमेशा साक्षी रहेगा। भारत के विदेशमंत्री सरदार स्वर्णसिंह ने विश्व जनमत को जो आश्वासन दिया था कि " भारत बंगलादेश अथवा पश्चिम पाकिस्तान की भूमि अधिग्रहण करने की कोई इच्छा नहीं रखता है, अपने वचनों को पूरा करके दिखाया।"[1]

बाँगलादेश के नेताओं ने भारतीय सेना के प्रस्थान करते समय बिदाई समारोह में अश्रुपूरित नेत्रों से भारत के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते समय कहा था, कि हमारी पीढ़ियाँ कभी नहीं भूल पायेगी, जो भारतीय सेना ने उनके लिए किया है।[2]

पाकिस्तानी सेना के अत्याचारों से पीड़ित होकर लाखों की संख्या में बाँगलादेश वासियों ने भारत के सीमावर्ती राज्यों में प्रवेश कर लिया था। भारत सरकार ने उनके आवास, भोजन, चिकित्सा की व्यवस्था की। दुनिया के किसी भी देश ने आज तक इतनी भयावह शरणार्थी समस्या का समाधान नहीं किया।

बाँगलादेश के प्रधानमंत्री ने लाखों की संख्या में दुःखी शरणार्थियों को आश्रय देने के प्रयास के लिए भारत को धन्यवाद दिया। ताजुद्दीन अहमद ने कहा था कि ,"हम भारत के आभारी हैं जिसने युद्ध से भयभीत स्त्री, पुरूषो और बच्चों

---

1-फारेन एफेयर्स रिकार्ड्स ढाँका 1971 पृ0 518

2-शर्मा, एस0आर0- वही पुस्तक पेज 408

के जनसमूह को दुःखों से दूर करने में सहयोग दिया।[1]

उस समय भारत की संसद ,प्रेस और जनता ने खुलकर पूर्वी पाकिस्तान के स्वतन्त्रता आन्दोलन को सफल बनाने में सहयोग किया था। यह स्वाभाविक भी था, क्योंकि भारत और पूर्वी पाकिस्तान की 2720 मील की इस लम्बी सीमा पर कोई प्राकृतिक अवरोधक नहीं है। दोनों ओर के लोग एक ही प्रकार की भाषा बोलते हैं। एक समान वेशभूषा पहनते हैं। एक ही प्रकार का भोजन करते हैं,एक ही प्रकार का आचार-विचार एवं सांस्कृतिक स्वरूप है।[2]

इसीलिए भारत विभाजन के पश्चात पाकिस्तान के निर्माता कायदे-आजम मुहम्मद अली जिन्ना ने दुःख भरे स्वर में कहा था, कि पाकिस्तान बनाकर हमने भूल की है ,यदि मुझे समय मिल जाये तो मैं पण्डित नेहरू से एक बार मिलकर पुनः भूल को सुधारने का प्रयास करूंगा।

यह ऐतिहासिक संयोग था कि भारत के सहयोग से स्वतन्त्र सार्वभौमिक सत्ता सम्पन्न बांगलादेश को विश्व के मानचित्र पर अंकित होने कागौरव प्राप्त हो सका और वहाँ की जनता पश्चिमी पाकिस्तान के 24 वर्षों के शोषण से अपने को मुक्त कराने में सफल हो सकी। इसमें भारत की जनता को अनेकों बलिदान करने पड़े और यहाँ तक कि अपने देश के भविष्य को भी दाँव पर लगाना पड़ा था।

अतः भारत बांगलादेश सम्बन्धों को स्थाई और मैत्रीपूर्ण बनाने में दोनों देशों के सम्बन्धों की एतिहासिक पृष्ठभूमि उर्वरक भूमि के रूप में सदैव शक्ति प्रदान करती रहेगी।

---

1-नेशनल हेरल्ड देहली 4 जुलाई 1971

2-स्टेटमेन्ट आफ कांग्रेसमेन- बांगलादेश डाकूमेन्ट पेज 585

## 2. भौगोलिक स्थिति

"भूगोल, एक राज्य के लिए अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में सामरिक आवश्यकताओं, व्यवसायिक हितों, आपसी सम्बन्धों, अन्तर-राज्यीय संगठनों की सदस्यता, विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय मंचों, संयुक्त राष्ट्र संघ और इसके विशेष संगठनों से सम्बन्धों को निर्धारित करने में महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है।"[1]

कोई भी राज्य अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में भौगोलिक परिस्थितियों का तिरस्कार करके, अपने राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा नहीं कर सकता है। भारतीय विदेश नीति पर भौगोलिक स्थित के प्रभावपूर्ण चिन्ह स्पष्ट दृष्टिगोचर होते हैं। पं0 जवाहर लाल नेहरू ने भारतीय विदेश नीति पर भौगोलिक प्रभाव को स्वीकार करते हुए कहा है कि " नक्शे पर देखिये भारत दक्षिण पूर्व एशिया एवं मध्य पूर्व एशिया का द्वार है, यदि दक्षिण एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया, खाड़ी क्षेत्र, पश्चिम एशिया और हिन्द महासागर में कोई भी घटना होती है। भारत उसकी ओर अपनी आँखें मूँद कर नहीं रह सकता है।"[2]

भारत की प्राथमिकताएँ प्रकृति द्वारा सुनिश्चित हैं। इस देश के लिए अपने पड़ोसियों के साथ मधुर सम्बन्ध बनाए रखना पहली आवश्यकता है। पाकिस्तान, बंगलादेश, नेपाल, श्रीलंका, बर्मा, अफगानिस्तान और चीन से भी अच्छे सम्बन्ध बनाए रखना भारत के लिए विशिष्ट रूप से उसके राष्ट्रीय हित में है। क्योंकि भारत की सुरक्षा और उसके व्यापक हित इस क्षेत्र के भाग्य और भविष्य के साथ घनिष्टता से जुड़े हुए हैं।[3]

भारत के पड़ोसी देशों में बांगलादेश अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण सबसे महत्त्वपूर्ण देश है। 16 दिसम्बर 1971 के पूर्व यह पाकिस्तान का एक भाग था और इसी तरह 14 अगस्त 1947 के पूर्व पाकिस्तान भी भारत का एक हिस्सा

---

1- विन्द्रा, एस0एस0- डिटरमिनेशन आफ पाकिस्तान्स फारेन पालिसी, दीप एन्ड दीप पब्लिकेशन, न्यू डेलही पृ0 34
2- कान्सटीट्यूएन्ट एसेम्बली (लेजिसलेटिव) डिबेट्स, वाल्यूम 2, पार्ट 11 8 मार्च 1949-पृष्ठ 1225-36
3- दत्त, वी0पी0- इण्डियास फारेन पालिसी पृ0 3

मानचित्र संख्या 1. भारत और बांगलादेश की भौगोलिक स्थिति

था। भौगोलिक स्थिति ने भारत और बांगलादेश को जितनी अधिक घनिष्टता के साथ जोड़कर एक दूसरे के साथ मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध बनाये रखने के लिए बाध्य किया है, उतना दक्षिण एशिया का अन्य कोई भी देश एक दूसरे पर निर्भर नहीं है। भौगोलिक परिस्थितियों के कारण भारत को पूर्वी पाकिस्तान के बंगालियों के स्वतन्त्रता आन्दोलन में सक्रिय सहयोग देने के लिए विवश होना पड़ा था। जैसा कि मुजीबुर्ररहमान कहते हैं कि राजनीतिक भूगोल और वर्तमान समय के राजनीतिक इतिहास ने पूर्वी बंगालियों के संघर्ष में पाकिस्तान विभाजन के समय से भारत को महत्वपूर्ण भूमिका निभाने में सहयोग किया है।[1] और भारत के सहयोग से ही वह अपने स्वतन्त्र अस्तित्व को प्राप्त करने में सफल हो सका।

बांगलादेश एशिया उप महाद्वीप के दक्षिण में स्थित है। इस देश का क्षेत्रफल 143,776 वर्ग किलोमीटर (55000) वर्गमील है। यह देश $20^0$ उत्तरी अक्षांस तथा $88^0$ पूर्वी देशान्तर से लेकर $93^0$ पूर्वी देशान्तर तक फैला हुआ है। इस देश के उत्तर पूर्व में असम राज्य, उत्तर पश्चिम में पश्चिम बंगाल, दक्षिण पूर्व में बर्मा, पूर्व में त्रिपुरा प्रदेश तथा दक्षिण में बंगाल की खाड़ी है। बांगलादेश की स्थल सीमा 4712 कि0मी0 है।[2] दक्षिण में बंगाल की खाड़ी इसे हिन्द महासागर परिवार से मिलाती है। बांगलादेश -भारत के पूर्वोत्तर सीमा प्रान्त के राज्यों से घिरा हुआ है।

यदि हम विश्व मानचित्र पर भारत की भौगोलिक स्थिति पर दृष्टिपात करें तो इसकी आकृति पूर्णतः त्रिभुजाकार न होकर चतुष्कोणीय है। जो केवल पश्चिमी भागों को छोड़कर अन्य सभी ओर प्रकृति द्वारा इतनी अच्छी तरह से परिसीमित है जितना सम्भवतः अन्य कोई देश नहीं है।[3]

यह पूर्णतः उत्तरी गोलार्द्ध में स्थित है। यह महान देश विषुवत रेखा के उत्तर में $84^0$ से $37^0 18$ उत्तरी अक्षांस और $68^0 7$ तथा $97^0 25$ पूर्वी देशान्तरों के बीच फैला है।[4]

---

1- रहमान मिजीओर -इमरजेन्स आफ बंगलादेश, पृ0 61
2- मेमोरिया, चतुर्भुज जागरफी आफ एशिया पृ0 243
3- स्टैम्पएल0डी0 एन्ड ग्लीमोर, एस0सी0 चौसाल, हेन्डबुक आफ कामर्सियल जागरफी 1954, पृ0 554
4- नेशनल एटलस आफ इण्डिया-1957 पृ0 1

भारत की विशालता का अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि पूरब से पश्चिम तक यह 2,933 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण तक 3,214 किलोमीटर तक है। इसकी स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर और समुद्रीसीमा 6,100 किलोमीटर है। इसका क्षेत्रफल 32,87,782 वर्ग किलोमीटर है।[1] भारत की स्थिति अत्यन्त महत्वपूर्ण है। यह हिन्द महासागर के उत्तरी सिरे पर इस प्रकार स्थित है कि यह पूर्वी गोलार्द्ध के मध्य में पड़ता है। यूरोप और अमेरिका के पश्चिमी भागों से भारत लगभग समान दूरी पर पड़ता है। अन्तर्राष्ट्रीय सामुद्रिक मार्ग इसके तट से होकर निकलते हैं। भारत पश्चिमी कला कौशल प्रधान देशों को पूर्वी खेतिहर देशों से मिलाने के लिए एक श्रृंखला का कार्य करता है। वायु मार्गों के दृष्टि से भारत की स्थिति अति उत्तम कही जा सकती है। पश्चिमी देशों से सुदूर पूर्व को जाने वाले (चीन, जापान, इन्डोनेशिया, आस्ट्रेलिया आदि देशों से पश्चिम यूरोप) वायुयान भारत में होकर निकलते हैं। दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, अन्तर्राष्ट्रीय महत्व के हवाई अड्डे हैं। इन पर ठहर कर वायुयान ईंधन लेते हैं।[2]

स्थलीय स्थिति की दृष्टि से भी भारत का महत्व है। दक्षिण एशिया के तीन बड़े प्रायद्वीपों में भारत सबसे बड़ा और अन्य दो प्रायद्वीप (अरब - हिन्द चीन) के बीच में है। इस प्रकार अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की दृष्टि से भारत की स्थिति बहुत उपयुक्त है।

इस प्रकार प्रकृति ने भारत को विशाल भूभाग, जनसंख्या, जलवायु, प्राकृतिक संसाधनो, अन्तर्राष्ट्रीय वायु एवं समुद्रिक यातायात के साधनों, सामरिक सुरक्षा आदि के लिए महत्वपूर्ण भौगोलिक स्थितिप्रदान करके अत्यधिक समृद्धिशाली बनाया है। वह अपनी इस आकर्षक स्थिति के कारण ही विश्व की महाशक्तियों के लिए आकर्षण का केन्द्र और कभी-कभी चिन्ता का विषय बन जाता है।

---

1- इण्डिया-1980, पेज 1
2- मेमोरिया, चतुर्भुज आधुनिक भारत का भूगोल, पृ0 23

बांगलादेश भी भारत जैसे विशाल पड़ोसी देश से अच्छे सम्बन्ध बनाकर उसकी भौगोलिक समृद्धि का लाभ उठाकर अन्तर्राष्ट्रीय जगत में अपने महत्व को बढ़ा सकता है। क्योंकि भारत और बांगलादेश आदि काल से अपनी रचना, जलवायु, प्राकृतिक संसाधन, कृषि, उद्योग धन्धों और यातायात सहित अन्य अनेक भौगोलिक स्थितियों के कारण इतनी घनिष्टता के साथ जुड़े हुए हैं, कि भारतीय उप महाद्वीप में अन्य कोई देश इस प्रकार एक दूसरे पर अपनी राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं और समय -समय पर आने वाली प्राकृतिक विपदाओं के समाधान के लिए निर्भर नहीं हैं।

जैसे बांगलादेश एक निचला मैदान एवं डैल्टाई प्रदेश है। इस देश का अधिकांश भाग गंगा, ब्रह्मपुत्र नदियों के डेल्टा तथा बेसिन के अन्तर्गत है। डेल्टाओं से पूर्व इन नदियों के ढाल बड़े धीमें हैं। गंगा नदी का ढाल तो इतना धीमा है कि इससे आस-पास के भागों में पानी भर जाता है। भारत से बांगलादेश में जाने वाली नदियों में बाढ़ आ जाने से बांगलादेश में भयावह स्थिति उत्पन्न हो जाती है।

बांगलादेश प्राकृतिक प्रकोपों से पीड़ित रहता है। नदियों से गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदियों द्वारा लायी गयी गाद से बने इस देश के अस्तित्व के पिछले दिनों इन्ही नदियों से खतरा पैदा हो गया है। बांगलादेश की 230 नदियों में 57 का उद्गम भारत में हैं। इन नदियों ने पूरे देश को एक बड़े से तालाब में तब्दील कर दिया। बांगलादेश में 1987-88 के वर्षों में बाढ़ों की विनाश लीला ने वहाँ पर कल्पना से परे बर्बादी की है। बाढ़ से न केवल देश की अर्थव्यवस्था क्षति-विक्षति हुई है बल्कि मौजूदा व्यवस्था का ढाँचा तबाह होने से भारी नुकसान हुआ है। सरकारी सूत्रों के अनुसार 2,000 से ज्यादा लोग भूख, सर्पदंश और डूबने से मर चुके हैं । पीने के साफ पानी के अभाव में 15 लाख से ज्यादा लोग पानी जन्य रोगों के शिकार हो चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव मंजूर उल करीम कहते हैं "हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि कोई महामारी न फैलने पाये।"[1]

---

1-इण्डिया टू डे।5 अक्टूबर 1988, पृ0 43 बांग ला देश प्रकृति का कोप

लेकिन अहम समस्या यही नहीं है कृषि और पटसन उद्योग जो कि बांगलादेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं, बुरी तरह तबाह हो चुके हैं, दस लाख हेक्टेयर भूमि में खड़ी फसल नष्ट हो गयी है और पटसन की कीमतों में भारी गिरावट आयी, देश की 11 करोड़ आबादी में एक चौथाई बेघर-बार हो गयी। बाढ़ से 79,000 किलोमीटर लम्बी सड़के, 700किलोमीटर रेल लाइन 150 पुल और 450 किलोमीटर लम्बे नदी तटबन्ध बरबाद हो गये।[1]

जनरल इरशाद सरकार को बाढ़ की भीषणता का एहसास तब हुआ जब गंगा की सहायक नदी बूढ़ी गंगा ने राजधानी ढाका के 75 प्रतिशत हिस्से को जलमग्न कर दिया। जिया अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे में पानी भर गया और लगभग एक हफ्ते तक बाहरी दुनियाँ से उसका सम्पर्क टूटा रहा। ढाका से चटगाँव, टंगैल, खुलना, अरिछा और सिलहट के सभी प्रमुख सड़क और रेल सम्पर्क टूट गये।

भारत इस घोर विपत्ति में उसकी मदद के लिए सबसे पहले आया। भारतीय वायु सेना के 4 एम0 18 हेलीकाप्टरों का एक दस्ता पहुँचा। बाढ़ से घिरे लोगों में भोजन के पैकेट गिराने के लिए भेजा गया, दुनिया के दूसरे हिस्से से भी हवाई जहाज दूसरी सहायता सामग्री लेकर आए। बंगलादेश के जल विकास बोर्ड के अध्यक्ष और जल प्रबन्ध विशेषज्ञ अमतज हुसैन खाँ ने कहा कि "अन्तर्राष्ट्रीय सहायता के बिना बाँगलादेश का पुर्ननिर्माण सम्भव नहीं है।"[2]

भारत सरकार ब्रह्मपुत्र और खस्तुआ नदी के दो जल मार्गों की सफाई के लिए उसे एक करोड़ टका हर साल देती है।

ऐसा कहा जाता है कि एरशाद इस प्राकृतिक विपदा का इस्तेमाल बाँगलादेश में भारत विरोधी भावनाओं को भड़काने के लिए कर रहे हैं। आम आदमी को यह भरोसा दिला दिया गया है कि भारत द्वारा पश्चिम बंगाल में

---

1- इण्डिया टू डे 15 अक्टूबर 1988 पेज 43 -
2- वही

गंगा पर बने फरक्का बाँध के दरवाजे खोल देने के कारण यह बाढ़ आयी है, अपनी हर जनसभा में इरशाद पूछते हैं आखिर यह पानी कहाँ से आ रहा है? एक भारतीय कूटनीतिज्ञ का कहना है कि " भारत के प्रति उग्र रवैया रखना बांगलादेश की हर राजनैतिक पार्टी के लिए फायदे का सौदा है। "[1] साउदी अरब और ईराक के हेलीकाप्टरों के बाँगलादेश पहुँचते ही भारतीय हेलीकाप्टरों को वापस भेजने के एरशाद के आकस्मिक निर्णय से यह धारणा और पुख्ता हो जाती है।

जनरल इरशाद की इस हरकत पर जब भारत ने तीखी प्रतिक्रिया जाहिर की तो इरशाद ने सुलह के अंदाज में एलान किया कि पूरे हालात पर विचार विमर्श के लिए वे शीघ्र ही भारत का दौरा करेगें। लेकिन अमजद हुसैन खाँ कबूल करते हैं कि फरक्का बाँध बनने से पानी का प्रवाह कम हो गया है, इस बाँध की वजह से अब 39,200 क्यूसेक कम पानी यहाँ आता है। वे कहते हैं कि " बाढ़ के लिए मैं भारत को दोषी नहीं ठहराता हूँ यदि फरक्का बाँध न भी बनता तब भी बाढ़ तो आती ही अब जरूरत इस बात की है कि ऐसी विपदाएँ रोकने के लिए जलाशयों के इस्तेमाल की नीति तैयार की जाय। " 2

इस प्राकृतिक विपदा ने दोनों देशों के बीच तनाव की स्थिति पैदा कर दी। इस स्थिति को सामान्य बनाने के लिए बाँगलादेश के राष्ट्रपति जनरल इरशाद ने 29 सितम्बर को नयी दिल्ली आकर समस्या के समाधान का प्रयास किया। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के जल प्रबन्ध तथा बाढ़ की रोक थाम के लिए भारत बाँगलादेश द्वारा संयुक्त अध्ययन के लिए उच्च स्तरीय कार्य दल का गठन किया गया। बातचीत में यह भी तय हुआ कि ब्रह्मपुत्र के बहाव को नियंत्रित करने के लिए भारत में छः जलाशय बनाने पर विचार किया जायेगा। इनमें से एक जलाशय मिजोरम और मणिपुर की सीमा पर ,दो जलाशय असम में और तीन

---

1- इण्डिया टू डे 15 अक्टूबर 1988 पृ0 44
2- वही

जलाशय अरूणांचल प्रदेश में बनाये जाने का सुझाव दिया गया है। इन जलाशयों से 8 हजार मेगावाट बिजली भी पैदा की जा सकेगी।[1]

इस प्रकार के प्राकृतिक प्रकोपों से बचने के लिए इन दोनों पड़ोसी देशों में परस्पर विश्वास एवं सहयोग का होना दोनों देशों के आपसी हित में है।

इन प्राकृतिक विपदाओं के अतिरिक्त दोनों देशों की भौगोलिक स्थितियों के द्वारा अन्य अनेकों समस्याएं भी समय-समय पर उत्पन्न होती रहती हैं। जैसे भारत और बांगला देश के बीच सीमा पर कोई प्राकृतिक अवरोधक नहीं है। स्थलीय सीमा होने के कारण सुगमता से बांगला देश से भारत के सीमा वर्ती राज्यों असम, मेघालय, त्रिपुरा और पश्चिमी बंगाल में हजारों की संख्या में अवैधानिक रूप से अप्रवासियों के प्रवेश से संकट पैदा हो गया।[2] हाल में काफी चकमा आदिवासी त्रिपुरा में घुस आये हैं। जहाँ शिविरों में लगभग 70,000 चकमा शरणार्थी रह रहे हैं।[3] दोनों देशों की सीमाओं पर समय-समय पर तस्करी एवं अन्य अपराधों की घटनाएँ भी होती रहती हैं।

इन समस्याओं के कारण भारत बांगलादेश सम्बन्धों की मधुरता में विरोधाभास प्रारम्भ हो गया। वर्तमान परिस्थितियों का मुख्य उद्देश्य भारत विरोध हो गया है। सम्भवतः पुराने सभी घाव पुनः उभरकर आ गये हैं। कुछ समस्याओं ने तो ध्यान देने योग्य खटास पैदा कर दी है। जैसे सीमा पर गोलीबारी की घटनाएं, फरक्का बाँध विवाद, नोमूर द्वीपीय विवाद आदि। ये सभी घटनाएं और समस्याएं दोनों देशों की जनता को भड़काने वाली हैं।

उपरोक्त सभी समस्याओं का जन्म दोनों देश के बीच विद्यमान जिन भौगोलिक परिस्थितियों के कारण हुआ है। वहीं भौगोलिक परिस्थितियाँ भारत और बांगलादेश को इन समस्याओं के समाधान के लिए भी मजबूर करती हैं।

---

1- नवभारत टाइम्स । अक्टूबर 1988
2- द हिन्दू, मद्रास, 19 मार्च 1978
3- नव भारत टाइम्स , 20 सितम्बर 1988

द्विपक्षीय वार्ताओं के द्वारा इन समस्याओं का समाधान अभी भी सम्भव है।

भारत अपने किसी भी पड़ोसी देश की उपेक्षा नहीं कर सकता है। विशेषकर बाँगलादेश की। नयी दिल्ली को बाँगलादेश में अपने हितों का पूरा बोध है।[1] इसी प्रकार बाँगलादेश भी अपनी आर्थिक प्रगति के लिए अपने पड़ोसी देश भारत से सहयोग की अपेक्षा रखता है। बाँगलादेश में लोहा तथा इस्पात उद्योग का विकास किया जा सकता है। भारत सरकार की सहायता से इस देश में छोटी मशीने, कृषि यंत्र, जलयान एवं वायु यान उद्योग की स्थापना सम्भव है।[2]

किसी भी देश की विदेश नीति का सर्वमान्य लक्ष्य देश की एकता अखण्डता एवं सार्वभौमिक सत्ता की रक्षा करना है। कोई भी देश अपनी भू-सामरिक आवश्यकताओं की उपेक्षा करके जीवित नहीं रह सकता। इस संदर्भ में भारत और बाँगला देश की भू- सामरिक आवश्यकताएं दोनों देशों को अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए परस्पर मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध बनाये रखने के लिए सदैव सावधान रखती है। बाँगलादेश भारत को दो भागों में बाँटता है, असम के साथ पूर्व में, बंगाल और बिहार को पश्चिम में, वास्तव में एक छोटी से पट्टी, बिहार और असम को बाँगलादेश के उत्तर में ऊपर से जोड़ती है। यह भौगोलिक स्थिति भारत को अपने इन सीमावर्ती राज्यों में शान्ति व्यवस्था बनाए रखने के लिए बाँगलादेश के साथ अच्छे सम्बन्धों के लिए बोध कराती है।

भारत के उत्तर में राजनीतिक प्रतिस्पर्धा रखने वाला चीन है। भारत के पश्चिम में पाकिस्तान है। जिससे भारत के तीन युद्ध हो चुके हैं। सन् 1962 की लड़ाई के बाद पाकिस्तान को लगा कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। इसलिए चीन और पाकिस्तान दोनों ने एक दूसरे से दोस्ती गाँठ ली। 1963 में चीन ने पाकिस्तान के साथ सन्धि करके पाक अधिकृत काश्मीर का कुछ इलाका अपने अधीन कर लिया जिससे होकर कराकोरम राजमार्ग गुजरता है।[3]

---

1- रहमान मिजीओर- इमरजेन्स आफ बाँगलादेश पृ0 74
2- मेमोरिया, चर्तुभुज - दी जागरफी आफ एशिया, पृ0 240
3- नव भारत टाइम्स 21 अक्टूबर 1987

दोनों देशों ने (पाकिस्तान- चीन) भारत के इन पूर्वोत्तर राज्यों में राजनीतिक अस्थिरता पैदा करने के उददेश्य से एक समय सामूहिक प्रयत्न प्रारम्भ कर दिये थे। तत्कालीन रक्षा मंत्री जगजीवन राम ने 19 अगस्त 1970 को लोकसभा में कहा था कि पाकिस्तान और चीन नागालैन्ड और मिजोरम के विद्रोहियों को शरण दे रहा है। छापामार युद्ध का प्रशिक्षण देकर उनको शस्त्रों और युद्ध सामग्री सहित वापस भेज देते हैं।[1]

चीन और पाकिस्तान मिलकर पंजाब में आतंकवाद को प्रोत्साहन देकर भारत की अखण्डता के लिए चुनौती दे रहे हैं। भारत की केन्द्र सरकार इस बात से चिन्तित है कि पंजाब के आतंकवादियों को चीन में बनी ए0के0 47 राइफलें बडी पैमाने पर उपलब्ध करायी जा रही हैं।[2] पाकिस्तान भारत में अलगाव को भड़का रहा है। उसे प्रशिक्षण दे रहा है। उसे शस्त्र सुसज्जित कर रहा है।[3]

इस प्रकार चीन और पाकिस्तान मिलकर भारत में आंतरिक अशान्ति और अराजकता की स्थिति उत्पन्न करना चाहते हैं। जिससे उसके विकास का मार्ग अवरूद्ध हो जाय और उसकी शक्ति क्षीण होती रहे।

चीन और पाकिस्तान के बढ़ते हुए सम्बन्धों का केवल एक ही उददेश्य रहा है कि एशिया में रूस और भारत के प्रभाव क्षेत्र को सीमित किया जाय जिससे चीन के प्रभाव क्षेत्र में वृद्धि हो सके।[4]

बांगलादेश- भारत विरोधी राजनीतिक गतिविधियों का केन्द्र न बन सके इसके लिए भारत को बांगलादेश के सामरिक महत्त्व को ध्यान में रखते हुए उससे समानता और भ्रातृत्व भाव के आधार पर अच्छे सम्बन्ध बनाए रखने के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। बांगलादेश के भी राष्ट्रीय हित में है कि वह कहीं विश्व की सैन्य शक्तियों के कूटनीतिक जाल में फँस कर सैनिक अड्डा न बन जाय और जिससे

---

1- पैट्रीयोट -20 अगस्त 1970
2- नव भारत टाइम्स, 3 अप्रैल 1988
3- वही 22 मई 1988
4- टाइम्स आफ इण्डिया 29 मार्च 1978

उसके अस्तित्व के लिए खतरा उत्पन्न हो जाय। वास्तव में भारत और बाँगलादेश की भौगोलिक स्थिति दोनों देशों की एकता, अखण्डता और सार्वभौमिक सत्ता की रक्षा के लिए तथा आर्थिक विकास के लिए सुदृढ़ एवं मैत्रपूर्ण सम्बन्ध बनाने हेतु मार्ग दर्शन करती है।

## 3. आर्थिक स्थिति

भारत और बाँगलादेश का अभावग्रस्त आर्थिक ढाँचा, भौगोलिक निकटता का बन्धन और अच्छे राजनीतिक सम्बन्ध दोनों देशों के बीच व्यवसायिक अथवा आर्थिक सहयोग के लिए एक बहुत बड़ी आशा का संचार कर सकते है।[1] क्योंकि देश की सुरक्षा बहुत कुछ उसकी आर्थिक स्थिति पर निर्भर करती है। भारत और बाँगलादेश दोनों ही विकासशील देश हैं। यद्यपि भारत कुछ अच्छी स्थिति में है। वास्तविकता तो यह है कि दोनों देशों के प्राकृतिक संसाधनों का भरपूर सदुपयोग अभी तक हो नहीं पाया है। बाँगलादेश आज भी बहुत कुछ विदेशी आर्थिक,वैज्ञानिक और तकनीकी सहायता पर निर्भर है। इसलिए भारत जैसे गुटनिरपेक्ष तथा अपने निकटतम पड़ोसी राष्ट्र को आर्थिक सहयोगी बनाये रखना,उसके राष्ट्रीय हित में है। भारत भी अपनी परराष्ट्रनीति के अनुसार अपने पड़ोसी मित्र देशों की बिना किसी राजनैतिक दबाव के उनकी सहायता करने में विश्वास रखता है।

बाँगलादेश का एक स्वतन्त्र राष्ट्र के रूप में उदभव इस उपमहाद्वीप में आर्थिक सहयोग और विकास के लिए नई और प्रेरणादायक दृष्टि प्रदान करता है। यदि बाँगलादेश इस क्षेत्र के प्राकृतिक सम्बन्धों को भारत के साथ पुर्नस्थापित करने का निश्चय कर लेता है, जो भारत विभाजन के कारण नष्टभ्रष्ट हो गये थे, तो इस उपमहाद्वीप का आर्थिक भविष्य पुन: उज्जवल हो सकता है। सन् 1947 की घटनाओं ने भारत की अर्थव्यवस्था को पुरी तरह प्रभावित किया था। विभाजन के परिणाम स्वरूप बहुत सी राष्ट्रोपयोगी आर्थिक इकाइयां विखण्डित हो गयी थी। खेती से कच्चामाल और खाद्यान्न उत्पादन करने वाला बहुत बड़ा उपजाउ क्षेत्र पाकिस्तान के पास चला गया था। विभाजन से पूर्व जो इस क्षेत्र की आर्थिक प्रगति के लिए उपयोगी था। उदाहरण के लिए जूट और तम्बाकू का उत्पादन पूर्वी बंगाल में होता था, किन्तु पश्चिमी बंगाल के मिलों में तैयार किया जाता

---

1- इकोनामिक्स टाइम्स- न्यू दिल्ली, 19 अप्रैल 1979

2- इण्डिया-बाँगलादेश इकोनामिक कोआपरेशनइक्सिटिंग प्रासपेक्ट आफ म्यूचुएल गेन- बाई इकोनामिक एनालिसिस- पैट्रियाट 17 जनवरी 72

था। जबकि कपास, सिन्ध और पश्चिमी पंजाब में पैदा होता था, किन्तु बम्बई कानपुर और कलकत्ता के कपड़ा मिलों में भेजा जाता था। जानवरों की खालें और चमड़ा पूर्वी बंगाल से कानपुर के कारखानों में चमड़े का सामान बनाने के लिए आता था। मछली और अन्य भौज्य पदार्थ पूर्वी बंगाल से कलकत्ता के बाजार में खपत के लिए प्रायः आते थे।[1] दूसरी तरफ पाकिस्तान में पड़ने वाले क्षेत्र को पहले कोयला, विद्युत शक्ति, लोहा, स्पात और बहुत सी औद्योगिक सामग्री की आपूर्ति भारत संघ के राज्यों से होती थी। पहले भारत के कारखानों और मिलों में कार्य करने वाले अधिकांश श्रमिक पूर्वी बंगाल, सिन्ध और पश्चिमी पंजाब के रहते थे।

संक्षेप में भारत के आर्थिक जीवन का कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं था जो पाकिस्तान में पड़ने वाले क्षेत्र से जुड़ा हुआ नहीं, लेकिन परस्पर सम्बन्धों की वे सभी कड़ियाँ विभाजन के द्वारा तोड़ दी गयी।[2]

भारत विभाजन की तरह बाँगलादेश के स्वाधीनता आन्दोलन ने भारत की आर्थिक स्थिति को भयंकर रूप से प्रभावित किया। मार्च से दिसम्बर तक लगभग एक करोड़ शरणार्थी पूर्वी बंगाल की सीमा पार करके भारत में प्रवेश कर गये। भारत को 9 माह तक उनको भोजन, कपड़ा और आवास की व्यवस्था करनी पड़ी। जिससे कीमतों की बढ़ोत्तरी, विकास कार्यों में अवरोध पड़ने के कारण भारत की अर्थव्यवस्था पर भारी बोझ बढ़ गया। बाँगलादेश का स्वाधीनता अभियान तो सफलतापूर्वक समाप्त हो गया किन्तु अब भारत सरकार पर भारतीय अर्थव्यवस्था का पुर्ननिर्माण करना और बाँगलादेश के बर्बाद अर्थतन्त्र को पुर्नजीवित करने का उत्तरदायित्व आ गया। भारत और बाँगलादेश में आर्थिक सहयोग इस कठिन कार्य को सहज बनाने के लिए विश्वास पैदा कर सकता है और दोनों देशों की वित्तीय स्थिति को मजबूत कर सकता है।[3]

---

1- इण्डिया- बाँगलादेश इकोनामिक कोआपरेशन इक्सिटिंग प्रासपेक्ट आफ म्युचुएल गेन- बाई इकोनामिक एनालिसिस- पेट्रियाट 17 जनवरी 72
2- वही
3- वही

<u>जूट व्यापार</u>

भारत और बाँगलादेश के बीच आर्थिक सहयोग का क्षेत्र बहुत व्यापक है। बाँगलादेश में मुख्य उत्पादक वस्तुएँ कच्चा जूट, चाय, तम्बाकू, चमड़े की खालें आदि हैं। मुख्य आयात करने वाली चीजें (पाकिस्तान वार्षिक पुस्तिका 1968-69 के अनुसार) रसायनिक, दवाइयाँ, विद्युत उपकरण, रंग, मशाले, मशीनरी स्पात, कोयला, सीमेन्ट और खनिज तेल हैं।[1]

बाँगलादेश में कच्चे जूट का उत्पादन लगभग एक मिलियन टन है। 1969-70 में पाकिस्तान ने लगभग 141 करोड़ रूपया जूट और उससे तैयार सामान से कमाया था। किन्तु बाँगलादेश के जूट मिलों में उत्पादन का एक छोटा सा भाग ही उपयोग में लाया जा सकता है। अवशेष भाग कच्चे माल के रूप में निर्यात कर दिया जाता है। अब यदि उस कच्चे माल को पश्चिम बंगाल के जूट मिलों के लिए भेजा जा सकता है और इससे दोनों देशों को परस्पर आर्थिक लाभ मिलेगा। बाँगलादेश को विदेशी मुद्रा प्राप्त होगी और भारतीय मिलों को अच्छे किस्म का कच्चा माल सुगमता से प्राप्त हो जायेगा। यदि जूट नीति से दोनों देश सही ढंग से जुड़ जाते हैं तो इससे दोनों देशों को बहुत बड़ा आर्थिक लाभ प्राप्त करने का अवसर मिल सकता है।

बाँगलादेश द्वारा पश्चिमी बंगाल के जूट मिलों को जूट की आपूर्ति करने से एक अन्य लाभ भी मिल सकेगा। जैसा कि 1965 के भारत-पाक युद्ध के बाद पूर्वी बंगाल से जूट का निर्यात भारत के लिए पूर्णतः बन्द कर दिया गया था। उस स्थिति में पश्चिमी बंगालके जूट मिलों को चलाने के लिए बहुत सी धान योग्य कृषि भूमि में जूट की खेती करना आरम्भ किया गया था। इससे इस प्रान्त में धान उत्पादन में बहुत कमी आ गयी थी। इस पर भी जूट का जो उत्पादन किया गया था, वह भी घटिया स्तर का था। अब भारत और बाँगला देश में जूट के व्यापार की पुनर्रावृत्ति से धान की खेती मे जो जूट

---

1-इण्डिया- बाँगलादेश इकोनामिक कोआपरेशन इक्सिटिंग प्रासपेक्ट आफ म्यचुएल गेन- बाइ इकोनामिक एनालिसिस- पैट्रियाट-17 जनवरी 1972

2- वही

का उत्पादन किया जाने लगा था। अब पहले की तरह पुनः धान का उत्पादन किया जा सकता है। पश्चिमी बंगाल में खाद्य उत्पादन फिर से बढ़ाया जा सकता है।[1]

भारत- बंगलादेश सम्बन्धों के लिए यह एक अच्छा लक्षण है कि बंगलादेश सरकार, कच्चेमाल के रूप में जूट और जूट से बनी वस्तुओं को भारत भेजने के लिए प्रतिबन्ध हटाये हुए हैं।

भारत-बांगलादेश व्यापारिक सम्बन्ध पश्चिमी बंगाल की खाद्य समस्या के समाधान में दूसरे प्रकार से भी मदद कर सकते हैं। भारी मात्रा में मछली, मांस, बकरे, अंडे और सब्जियां सीमा पार से सरलता पूर्वक आयात की जा सकती है। इन सभी खाद्य पदार्थों का आयात 1965 के युद्ध के पूर्व पूर्वी बंगाल से किया जाता था। अब पुनः बांगलादेश से रोजमर्रा के लिए घरेलू खाद्य पदार्थों की आपूर्ति बांगलादेश से पश्चिमी बंगाल के बाजारों में होती है, जिससे कीमतों में गिरावट आ गयी है। बांगलादेश इन खाद्य पदार्थों के निर्यात से विदेशी मुद्रा अर्जित कर सकता है।[2]

दूसरी महत्त्वपूर्ण चीज जो भारत बांगलादेश से आयात कर सकता है वह है अखबारी कागज । बांगलादेश की अखबारी कागज की आवश्यकता की पूर्ति खुलना का न्यूजप्रिन्ट कारखाना कर सकता है, लेकिन भारत में समाचार पत्रों के मुद्रण के लिए कागज का पुराना अभाव है। अभी हाल में भारत सरकार ने समाचार पत्रों के अखबारी कागज में वृद्धि करने के साथ-साथ उनका आकार कम करने की सलाह दी है। किन्तु बांगलादेश से न्यूजप्रिंट की आपूर्ति सरलता से हो सकती है। इससे भारत की विदेशी मुद्रा में बचत होगी क्योंकि उसे किसी दूसरे देश से खरीदने की अपेक्षा अपने सीमा से लगे पड़ोसी देश से सस्ता पड़ेगा।

---

1-इण्डिया-बांगलादेश इकोनामिक कोआपरेशन इक्सिटिंग प्रासपेक्ट आफ म्युचुएल गेन- बाई इकोनामिक एनालिसिस- पैट्रियाट-17 जनवरी 1972
2-वही।

अशोक बी० देशाई[1] के विचार से बांगलादेश का निकट भविष्य भयानक लगता है। खाद्य स्थिति, यातायात साधनों, संचार साधनों का अभाव, अविकसित उद्योग धन्धे, बाहरी ऋणों की अदायगी की बढ़ती हुई धनराशि सभी एक साथ मिलकर आर्थिक दृष्टि से निर्बल एवं दीनहीन स्थिति प्रस्तुत करते हैं। यद्यपि स्थिति निराशाजनक जरूर है, किन्तु अधिक चिन्ता का विषय नहीं है।

आज भी बांगलादेश में भारत जैसे निकटतम पड़ोसी देश से आर्थिक सम्बन्ध बढ़ाने की काफी सम्भावनाये विद्यमान हैं- दोनों देशों के लिए आवश्यक वस्तुओं के आयात-निर्यात के लिए व्यापक क्षेत्र है। किन्तु बांगलादेश का भारत के साथ व्यापार इतना व्यापक रूप से नहीं है, जितना कि पहले पश्चिमी पाकिस्तान के साथ था। यदि वह भारत के साथ भी उसी सीमा तक वस्तुओं का आयात-निर्यात करने लगे जितना उसका पश्चिमी पाकिस्तान के साथ था, तो निश्चित ही उसे भारत से काफी लाभ मिल सकता है, क्योंकि पाकिस्तान की अपेक्षा भारत का एक आकर्षक औद्योगिक ढाँचा है और वस्तुओं का आयात-निर्यात पाकिस्तान की अपेक्षा भारत से सरलतापूर्वक हो सकता है। जैसा बांगलादेश भारत को सरलता से मछली का निर्यात कर सकता है उतना पाकिस्तान या अन्य किसी देश के लिए सम्भव नहीं है। उसी प्रकार बांगलादेश भारत से कोयला, लोहा और अन्य वस्तुएं खरीद सकता है।[2]

बांगलादेश को स्वाधीनता से पूर्व पूर्वी पाकिस्तान के रूप में बहुत सी उपभोक्ता वस्तुओं की आवश्यकता रहती थी, लेकिन वह पश्चिमी पाकिस्तान से प्राप्त नहीं कर पाता था। उसे अन्य देशों से बड़ी कीमत पर और भारी सीमा शुल्क देकर खरीदनी पड़ती थी। अपने पड़ोसी देश भारत से उन वस्तुओं का आयात करना इस्लामाबाद के लिए तो एक शाप था।[3] पाकिस्तान ने बड़ी कठोरता से पूर्वी बंगाल का भारत से सम्बन्ध विच्छेद रखा और मजबूर होकर पूर्वी बंगाल चीन

---

1-इण्डिया- बांगलादेश ट्रेड प्रासपेक्ट्स बाई अशोक वी० देसाई- स्टेट्समैन 12 जनवरी 1972
2- वहीं
3-इण्डिया एन्ड बांगलादेश रिलेशन - बाई इन्द्रा सेन- इन हिन्दुस्तान स्टैन्डर्ड 20 दिसम्बर 1971

से कीमत में अधिक और घटिया किश्म का कोयला निर्यात करता रहा। एक गरीब राज्य की जनसंख्या और भी अधिक गरीब होती गयी। अब वह अपनी सीमा के पार से बिहार और बंगाल से अच्छी किस्म का एक तिहाई कीमत पर कोयला उपलब्ध कर सकता है। पाकिस्तान के अधीन रहते हुए बाँगलादेश इसी तरह सीमेन्ट भी भारत से नहीं खरीद सकता था। अधिकांशत: पश्चिमी पाकिस्तान अथवा चीन से मंगाया जाता था। जिसकी भारत से आने वालें सीमेन्ट से 50 % से लेकर 100 % तक बढ़ी हुयी कीमत चुकानी पड़ती थी। बाँगलादेश एक दूसरा लाभ कलकत्ता के लिए ताजी सब्जियाँ बेचकर उठा सकता है। इसके बदले में वह भारत से लगभग 17 लाख टन खाने का अनाज प्राप्त कर लेगा, जितना उसे प्रति वर्ष कम पड़ जाता है। इसके अतिरिक्त वह मशीनरी और अन्य उपभोक्ता वस्तुयें ले सकता है। भारत को भी इन वस्तुओं के निर्यात के लिए एक नया बाजार उपलब्ध हो जायेगा।[1]

इसी प्रकार भारत को अपने जूट-उद्योग के लिए थाइलैन्ड जैसे दूर देश से कच्चे माल के खरीदने की आवश्यकता नहीं है, इसे तो अब हम अपने दूसरे दरवाजे पर बांगलादेश से ही खरीद सकता हैं। अब कलकत्ता मछली के अभाव से पीड़ित नहीं हो सकता है क्योंकि उसे अब केरल, बम्बई जैसे दूर स्थानों से मंगाने की आवश्यकता नहींरही।

बाँगलादेश के लिए भारत से व्यापारिक लेने देन के लिए अनेकों अवसर उपलब्ध हैं। एक तरीका तो यही हो सकता है कि बाँगलादेश भारत से कच्चा माल आयात करके और उससे वस्तुएँ बनाकर अन्य देशों को बेचे। उदाहरण के लिए बाँगलादेश चटगाँव के पास किनारे पर एक बहुत बड़ा कारखाना स्थापित कर सकता है। यह सस्ता और कच्चा लोहा भारत से आयात कर सकता है। इस कच्ची धातु से स्पात और उससे निर्मित सामान विदेशों को निर्यात किया जा सकता है। अनेको दृष्टि से बांगलादेश की स्थिति स्पात उत्पादन के मामले में

---

1-बाँगलादेश रिकांस्ट्रक्शन एन्ड इण्डिया-बाई ए0के0 मजूमदार इन आसाम ट्रिब्यून25 दिसम्बर 1971

इतनी उपयुक्त है कि जापान की तरह सस्ती एवं भारी मात्रा में उपलब्ध कराकर तकनीकी क्षेत्र में किसी भी विकासशील देश को चुनौती दे सकता है। हम लोग वह दिन देखने को प्रतीक्षारत हैं कि हमारे कच्चे लोहे से सस्ता स्पात कब बनकर आता है। इसी प्रकार भारत में अनेकों कागज बनाने की योजनायें सिक्किम, असम और नागालैन्ड में विचाराधीन है, लेकिन वे आगे नहीं बढ़ सकी है, क्योंकि वहाँ चिकनी लकड़ी का क्षेत्र नहीं है। इसका समाधान प्रत्यक्ष है कि बांगलादेश को और अधिक अखबारी कागज उत्पादन करना चाहिए, जिससे इसे भारत में अखबारी कागज के लिए लाभदायक बाजार मिल सकेगा।[1]

दूसरा, बाँगलादेश के लिए भारत से विद्युत शक्ति का आयात करना भी सम्भव है। असम और नागालैन्ड जब विद्युत उत्पादन की भारी क्षमता रखते हैं। बांगलादेश के लिए जल विद्युत प्राप्ति के लिए बाजार उपलब्ध है। बाँगलादेश विद्युत से संचालित उद्योगों के लिए इसका प्रयोग करके वस्तुओं का उत्पादन करके अन्य देशों को निर्यात कर सकता है। सस्ती विद्युत लिफ्ट सिंचाई के लिए पहली आवश्यक शर्त है। और इस प्रकार सिंचाई अधिकांशतः बांगलादेश में ही सम्भव है।[2]

जल यातायात-

ए0के0 मजूमदार लिखते हैं कि पाकिस्तान ने पश्चिमी बंगाल और पूर्वोत्तर राज्यों के बीच सामान ढ़ोने के व्यापार का परित्याग करके एक बहुत बड़े आर्थिक लाभ का अवसर खो दिया था। सन् 1965 के भारत- पाक युद्ध के बाद से पाकिस्तान ने भार ढ़ोने वाली नावों और स्टीमरों को पूर्णतः बन्द कर दिया था। अर्थशास्त्रियों का अनुमान है कि जब यह व्यापार खुलकर हो रहा था तो पूर्वी बंगाल प्रतिमाह लगभग एक करोड़ रूपया बंगाल और असम के बीच माल ढ़ोने से अर्जित कर रहा था। उस समय असम का पूरी तरह से

---

1-इण्डिया-बाँगलादेश ट्रेड प्रासपेक्ट्स - बाई ए0के0वी0देसाई स्टेट्समैन 12 जनवरी 1972

2-वही

से व्यापार भी बढ़ा हुआ था। यदि बाँगलादेश का नदी यातायात सम्पर्क मार्ग पुनः विकसित हो जाता है तो यह तब से व्यापारिक दृष्टि से दो गुना लाभदायक हो सकता है।[1]

इस प्रकार बाँगलादेश अपने पड़ोसी भारत के साथ मित्रवत् सम्बन्ध रखकर 15 से 24 करोड़ रू० तक प्रति वर्ष कमा सकता है। इससे नाविकों और मल्लाहों के समुदायों को पुर्नस्थापित होने का अवसर मिल सकेगा जो वर्षों से इस व्यापार के बन्द हो जाने से निराश्रयी हो गये थे। इस व्यवसाय के विकसित होने पर बांगलादेश के नाव और जलयानों को निर्माण करने वाले उद्योग बड़े पैमाने पर फिर से विकसित होकर बांगलादेश क भार वाहन उद्योग को सफल बनायेंगें। अभी खुलना में सक छोटा सा जहाजों की मरम्मत का कारखाना है और फिर तो यह देश का प्रमुख उद्योग बन सकता है।[2]

यह सत्य है कि इस सबके बावजूद बाँगलादेश एक कृषि प्रधान देश है और फिलहाल भविष्य में भी काफी समय तक इस प्रकार बने रहने की सम्भावना भी है। लेकिन वहाँ पर कृषि के द्वारा समृद्धि हो सकती है। जैसी डेनमार्क ने दिखायी है। यदि इसका सही ढंग से औद्योगीकरण करके आधुनिकी करण कर दिया जाय। इस देश का लगभग 143,000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है। इसमें लगभग 43,000 वर्ग किलोमीटर में कृषि योग्य भूमि है। भारी वर्षा होती है। वहाँ पर अनेकों जलमार्ग हैं, जिनसे यातायात काफी सुगम है, और अनेकों नालों और नहरों का विकास है। लगभग 700 मील प्रथम श्रेणी की सड़के हैं किन्तु दुर्भाग्यवश इन नदियों में प्रतिवर्ष आने वाली बाढ़ों से सिल्ट जमा हो गयी है जिससे लगभग 200 करोड़ रूपये का नुकसान हो जाता है। यदि नदियों पर जलाशयों का निर्माण करके मछली उत्पादन फार्म अथवा विद्युत उत्पादन के निर्माण का कार्य आरम्भ कर दिया जाय तो इस सम्बन्ध में अर्थशास्त्रियों का मत है कि

---

1-बाँगलादेश रिकांस्ट्रक्सन एन्ड इण्डिया- ए०के० मजूमदार- इन आसाम ट्रिब्यून 25 दिसम्बर 1971

2-वही

बांगलादेश की इन नदियों की बाढ़ से प्रति वर्ष जो बर्बादी और दुर्गति होती है। विद्युत और मछली उत्पादन उद्योग से दूर की जा सकती है और आर्थिक समृद्धि के अवसर भी बढ़ जायेंगे। वर्तमान समय में कुल दो लाख मेगावाट विद्युत काउत्पादन कापटी जल विद्युत परियोजना से है और कुछ तापीय विद्युत केन्द्र हैं। यह एक दयनीय स्थिति है। बाँगलादेश के पास जल का इतना विशाल भण्डार है, जिससे वह विद्युत शक्ति का उत्पादन 10 से 20 गुना तक कर सकता है और विद्युत शक्ति किसी भी देश के औद्योगीकरण के लिए पहली आवश्यकता है।[1]

ब्रिटिश और पाकिस्तान की सरकारों ने पूर्वी बंगाल को कीमती जूट उत्पादन के लिए एक अच्छा आकर्षक क्षेत्र बनाये रखा, किन्तु इस योजना में उनका इस क्षेत्र को विकसित करने का कोई विचार नहीं था जैसा कि प्रत्यक्ष देखने में आया। इनके शासन काल में पूर्वी पाकिस्तान का औद्योगिक विकास नगण्य रहा। जैसा कि खुलना में एक छोटी सी जहाज की कार्यशाल, कुछ जूट मिल, थोड़े से शक्कर मिल, कागज मिल, एक नन्हा सा तेल शोधक कारखाना जोहरीपुर में है। एक छोटा सा स्पात मिल, जिसमें 2.5 लाख टन स्पात चटगाँव के कारखाने में तैयार हो सकती है। किन्तु अब तो भारत के सहयोग से बाँगलादेश को अपना पूर्ण औद्योगिक विकास करने कापूरा अवसर है।[2]

मछली और माँस का निर्यात, कृषि, मशीनरी, नदी, यातायात, जहाज, मशीनरी के साथ उनकी मरम्मत, स्पात और कागज उद्योगों को और अधिक विकसित करने की सम्भावना को साकार बनाने के बहुत से अवसर हैं। भारत उपरोक्त सभी कार्यों में सहयोग कर सकता है। भारत के पास इतनी क्षमता हो गयी है कि वह बाँगलादेश को सभी उद्योगों और व्यवसायों के लिए सहयोग दे सकता है।[3]

---

1- असम ट्रिब्यून- 25 दिसम्बर 1971
2- वही
3- वही

बाँगलादेश औद्योगिक रूप से निर्धन देश है ,लेकिन कृषि के क्षेत्र में धनवान है। वास्तव में पश्चिमी बंगाल और बांगलादेश के बीच भारत विभाजन के पूर्व प्रशंसनीय सहयोग था। अब भी बाँगलादेश कृषि के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होकर लगभग 125 करोड़ मूल्य की वार्षिक विदेशी मुद्रा अपने आर्थिक विकास के लिए अर्जित करके वह कुछ ही वर्षों में अपनी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ कर सकता है। भारत सरकार और बांगलादेश के लिए आर्थिक सहयोगी के रूप में बाँगलादेश की गरीबी दूर करने और भारत की पूर्वोत्तर राज्यों पश्चिमी बंगाल,असम,मेघालय,त्रिपुरा आदि राज्यों के आर्थिक विकास के लिए परिपूरक परियोजनाएं बनाने के तमाम अवसर उपलब्ध हैं। सौभाग्यवश भारत आर्थिक विकास के एक अच्छे स्तर पर पहुँच चुका है, अब वह बाँगलादेश को केवल उपभोक्ता वस्तुएँ ही नहीं दे सकता है बल्कि उसकी आर्थिक दशा को बदलने के लिए उपयोगी सामान भी भेज सकता है। भारत सरकार और बाँगलादेश के बीच मिल जुल कर अपनी गरीबी दूर करने के लिए एक चुनौती है।[1]

आर्थिक निर्धनता धार्मिक अवरोधों को नहीं पहचानती। आज की स्थिति हमारे ऊपर दबाव डाल रही है कि हम आर्थिक रूप से पिछड़े एवं शोषित बाँगलादेश को समानता की स्थिति में लाने के लिए तत्काल प्रयत्न करने में जुट जाँय।[2]

चरनजीत चानना का मत है कि दोनों देशों में कृषि का विकास, बाढ़ नियंत्रण के संयुक्त प्रयास और जलसंसाधन का उचित प्रयोग भारत उपमहाद्वीप के अविकसित क्षेत्र में हरितक्रान्ति लाकर इसके भविष्य को बदला जा सकता है। भारत को कृषि,विज्ञान और उद्योग की विभिन्न क्षेत्रों में बाँगलादेश के विकास के लिए हरसम्भवसहयोग देने को तैयार रहना चाहिए। उसकी निर्बल आर्थिक स्थिति के कारण द्रुतगामी आर्थिक विकास की आवश्यकता है। प्राकृतिक संसाधनो

---

1-कम्प्लीमेन्ट्री इकोनामिक्स आफ इण्डिया एन्ड बाँगलादेश फ्री प्रेस जर्नल, बाड़20 दिसम्बर 1971

2-वही।

से धनी, कृषि एवं औद्योगिक उत्पादन की क्षमता के साथ इसकी आर्थिक जीवन्त शक्ति सन्देह के परे है।[1]

इन्दरा सेन का स्पष्ट मत है कि भारतीय नेताओं, अधिकारियों, एवं व्यापारियों को यह अनुभव करना चाहिए कि बांगलादेश को दी जाने वाली सहायता कोई अहेतुक कृपा का विषयनहीं है। बाँगलादेश को अल्पकाल में ही आत्म निर्भर होना हमारे राष्ट्रीय हित में है। एक कमजोर और अभावग्रस्त बाँगलादेश विदेशी शक्तियों को लालायित करेगा। वह स्थिति हमारे लिए कभी भी स्वागत योग्य नहीं हो सकती है। भारत को बाँगलादेश की आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए यथाशीघ्र प्रयास करना चाहिए। अमेरिका पहले ही भविष्यवाणी कर चुका है कि बाँगलादेश, भारत और चीन का मुअक्किल होगा और वह दोनों देशों में मतभेत होने की स्थिति का लाभ उठाने के लिए प्रतीक्षारत है। भारत को इस भविष्यवाणी को मिथ्या कर देनी चाहिए। दोनों ही देश स्वतन्त्र, सार्वभौमिक सत्ता सम्पन्न और समान प्रतिष्ठा वाले हैं। किसी भी देश के अधिकारी को अपने समकक्षी के सामने अपने को बड़ा और शक्ति सम्पन्न दिखाने का अवसर नहीं देना चाहिए।[2]

संक्षेप में भारत और बाँगलादेश के बीच विद्यमान भौगोलिक स्थितियाँ और आर्थिक परिस्थियाँ दोनों पड़ोसी देशों के लिए मित्रता के स्वर्णिम अवसर को उपलब्ध करा सकती हैं।[3]

---

1- चरनजीत चानना- इकानामिक्स आफ बाँगलादेश पृ0 3-4
2- हिन्दुस्तान स्टैन्डर्ड- 20 दिसम्बर 1971, इण्डिया एन्ड बाँगलादेश रिलेशन्स इन्द्रा सेन।
3- दि पेट्रियाट 17 जनवरी 1972

## 4. सांस्कृतिक एवं सामाजिक सम्बन्ध

कोई भी संस्कृति जीवित नहीं रह सकती यदि वह अपने को अन्य संस्कृतियों से पृथक रहने का प्रयास करे। फिर भारतीय संस्कृति ने तो विश्व की अन्य संस्कृतियों को अपने शाश्वत मूल्यों से प्रभावित करने एवं समय-समय पर उनसे प्रभावित होने में भी हिचकिचाहट नहीं की है। भारत प्राचीन काल से लेकर आज तक विश्व के अन्य देशों के साथ सांस्कृतिक एवं सामाजिक सम्बन्ध बनाने के लिए सदैव उत्सुक रहा है। भारत के पड़ोसी देशों जैसे श्रीलंका, नेपाल, बर्मा, चीन आदि देशों के साथ तो हमारे सांस्कृतिक सम्बन्ध आदि काल से प्रगाण रहे हैं और जहाँ तक पाकिस्तान और बाँगलादेश का सम्बन्ध है इनको तो भारतीय सांस्कृतिक जीवन से पृथक किया ही नहीं जा सकता है।

जिस प्रकार भारत और बाँगलादेश के सम्बन्धों को निर्धारित, विकसित एवं गतिशील बनाने के लिए ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, भौगोलिक स्थिति एवं आर्थिक परिस्थितियाँ महत्त्वपूर्ण हैं। उसी प्रकार दोनों देशों के बीच प्राचीन काल से चले आ रहे सांस्कृतिक एवं सामाजिक सम्बन्ध भी ठोस आधार प्रदान कर सकते हैं।

भारत और बाँगलादेश आज भले ही ऐतिहासिक घटनाक्रम के अनुसार विश्व के मानचित्र पर दो पृथक प्रभुसत्ता सम्पन्न राष्ट्रों के रूप में दर्शनीय हों, किन्तु उनको सांस्कृतिक और सामाजिक रूप से कोई भी राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय शक्ति पृथक नहीं कर सकती है, क्योंकि दोनों ही देशों का सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन प्राचीन भारतीय संस्कृत से प्रेरणा प्राप्त कर रहा है और भविष्य में भी करता रहेगा। जैसा कि प्रो० हुमायूँ कबीर का कथन है, " भारतीय संस्कृत की कहानी इसकी जीवन शक्ति और बुद्धिमत्ता के मर्म को दर्शाती है। यह एकता और सामंजस्य, पुर्नमिलन और उन्नति, पुरानी और नयी परम्पराओं के पूर्ण सम्मिश्रण की गाथा है।"[1]

---

1-महाजन, बी०डी०-दि हिस्ट्री आफ एंसियंट इण्डिया, पृ० 5

बाँगलादेश, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अनुसार पाकिस्तान के रूप में और सन् 1971 के उसके स्वाधीनता आन्दोलन ने उसे पाकिस्तान से पृथक कर एक स्वतन्त्र राज्य बना दिया है। लेकिन इसके पूर्व तो यह भारत उपमहाद्वीप का पूर्वी बंगाल था। बंगाल भारतीय साहित्य, संगीत, कला, ज्ञान विज्ञान का एक विश्व विख्यात केन्द्र रहा है। भारत के सांस्कृतिक एवं सामाजिक जीवन के बारे में बाँगला संस्कृति को पृथक करके उस पर विचार करना तो दूर रहा कल्पना भी नहीं की जा सकती है। बाँगला साहित्य विश्व का एक समृद्धिशाली एवं प्रेरणादायक साहित्य है, जो प्राचीन काल से भारतीय साहित्य से प्रेरणा लेकर उसके एक अभिन्न अंग के रूप में आज भी फल-फूल रहा है।

बाँगलादेश की बंगाली भाषा इस युग की महान समृद्धिशाली साहित्यिक भाषा है। इसने प्राचीन हिन्दू साहित्य से प्रेरणा और शैली ग्रहण की है। बाँगलादेश में प्रमुख समाचार पत्र और मासिक पत्रिकाएँ बंगाली भाषा में प्रकाशित होती है। पाकिस्तान से बाँगलादेश में प्रयोग की जाने वाली हस्तलिपि भिन्न है। पूर्वी बंगाल में बंगाली हस्तलिपि है, जो मूल रूप से भारतीय लिपिक से सम्बद्ध है और जो बांयी से दांयी ओर लिखी जाती है। जैसे रोमन लिपि में अंग्रेजी लिखी जाती है। पश्चिमी पाकिस्तान में उर्दू और सिन्धी प्राय: फारसी अरबी लिपि के तरीके से लिखी जाती है।[1]

पूर्वी बंगाल और पश्चिमी पाकिस्तान की सांस्कृतिक जीवन में जितनी भिन्नता है, उतनी ही भारतीय समाज से उसकी आत्मीयता है। पाकिस्तान निर्माण के बाद से ही भाषा और संस्कृति सम्बन्धी विभिन्नताओं का विवाद प्रारम्भ हो गया था। कभी-कभी पश्चिमी बंगाल के साथ पुर्नएकीकरण की सम्भावना भी व्यक्त की जाती रही।

---

1-ब्राउन डब्लू नारमन- यूनाइटेड स्टेट इण्डिया, पाकिस्तान एन्ड बांगलादेश पृ0 207
2-वही।

पश्चिमी पाकिस्तान की जनता और शासकवर्ग पूर्वी पाकिस्तन को सांस्कृतिक एवं सामाजिक दृष्टि से भारतीयों के सांस्कृतिक एवं सामजिक जीवन के अधिक समीप समझ कर उनके प्रति घृणा एवं ईर्ष्या की भावना रखता था। इन विचारों ने पाकिस्तान को खंडित करने एवं बाँगलादेश को एक स्वतन्त्र राष्ट्र के रूप में जन्म लेने में सहयोग किया। इन दोनों सम्भागों की संस्कृति पूर्णत: भिन्न है। पूर्वी बंगाल की बहुसंख्यक आबादी हिन्दुओं की छोटी जातियों का धर्मान्तरण है । पूर्वी बंगाल के गर्वनर मलिक फीरोज खाँ नून ने एक पत्रकार सम्मेलन में बड़ी अशिष्ट भाषा में यह कहा था कि, "बंगाली मुसलमान सच्चे मुसलमान नहीं हैं, क्योंकि वे गाय का माँस नहीं खाते और अपने धार्मिक संस्कारों में हिन्दू पण्डितों को बुलाते हैं। पश्चिमी पाकिस्तानी उन्हे आज भी हिन्दू मानते हैं, यद्यपि वे इस्लाम धर्म के सच्चे अनुगामी हैं।[1]

कट्टर इस्लाम धर्मावलम्बी बाँगलाभाषा को हिन्दुओं की भाषा होने के सम्बन्ध में तर्क देते हैं। बंगाली साहित्य हिन्दू विचारों और आदर्शों से भरा पड़ा है। अतएव वे बंगाली को इस्लाम विरूद्ध मानते हैं। इसीलिए पाकिस्तान की सरकार बंगला भाषा को राष्ट्रभाषा कादर्जा न देने के लिए कृत. संकल्प रही।[2]

पूर्वी बंगाल के बंगाली अपने को बंगाली होने पर गर्व का अनुभव करते रहे है और आज भी कर रहे हैं। वास्तव में पूर्वी पाकिस्तान को ही वे सही रूप में बंगाल मानते थे जो आज बाँगलादेश है।[3] पश्चिमी पाकिस्तान के मुसलामान बंगालियों को हिन्दू संस्कृति का अनुयायी मानते हैं। पूर्वी बंगाल अपनी ऐतिहासिक परम्पराओं, भूमि की संरचना, नदियों, कविता, संगीत से एक भिन्न क्षेत्र है। उनकी संस्कृति एवं सामाजिक व्यवहार पश्चिमी पाकिस्तानियों से पूर्णत: भिन्न हैं।

---

1-सिंह, कुलदीप- इण्डिया एन्ड बंगलादेश, पृ0 10
2-सेन, गुप्ता, ज्योति- हिस्ट्री आफ फ्रीडम मुमेन्ट इन बंगलादेश, 1943-73 पृ0 8
3-चन्द्र प्रबोध-ब्लड बाथ इन बंगलादेश पृ0 98

किन्तु पश्चिमी बंगाल से उतना ही अनुरूप है। इन भिन्नताओं के कारण प्रारम्भ से यह सन्देह था कि क्या वे पश्चिमी पाकिस्तान के मुसलमानों से समायोजित हो सकते हैं ? वे धर्म के आधार पर एक किये गये थे, लेकिन वे यह अनुभव नहीं कर पाये कि केवल इस्लाम धर्म दो भिन्न समुदायों को एक सामान्य स्वरूप में परिवर्तित नहीं कर सकता है।[1]

चौबीस वर्ष तक पाकिस्तान की जनता और शासक वर्ग ने बंगला संस्कृति का इस्लामीकरण करने का भरसक प्रयत्न किया किन्तु उसके मौलिक स्वरूप में किंचित मात्र भी परिवर्तन नहीं आ सका। बंगाली परम्परायें सुरक्षित रही हैं। संस्कृति, धर्म दर्शन और आर्युवेद पढ़ने की रूचि इस काल में भी रही है। दुर्गापूजा, कालीपूजा और सरस्वतीपूजा यहाँ के मुख्य त्यौहार रहे हैं। ग्रामों की अपनी संस्कृति है और लोक कलाओं, लोक संगीत, नाटक और साहित्य में समूचा बाँगलादेश समृद्ध रहा है। यहाँ की जनता की भाषा बंगला रही है। अब वह नवोदित राष्ट्र में राष्ट्रभाषा के पद पर सुशोभित है। साहित्य की दृष्टि से भी यह भाषा अधिकारिक समृद्ध और विकसित है।[2]

बाँगलादेश वासियों की शारीरिक संरचना मानसिक चिंतन की पद्धति, मनोविज्ञानिक सूझ-बूझ के साथ ग्रामीण एवं शहरी अंचलों में प्रयोग की जानी वाली भाषा, लोकसंगीत में मछुआरे गीतों की ध्वनियों, कला, सामाजिक जीवन की परम्पराओं, रीतिरिवाजों, वेष-भूषा, धार्मिक त्यौहारों को मनाने की पद्धति आदि में जो पश्चिमी बंगाल के सामाजिक जीवन के साथ सदियों से चली आ रही एकरूपता और समरूपता विद्यमान है, उसे इन देशों की कृत्रिम सीमाएं कभी भी एक दूसरे से पृथक नहीं कर सकती हैं। तभी तो शहीदुल्ला जैसे लेखक, भाषाविद ने 31 दिसम्बर सन् 1948 को ही जब यह घोषित किया कि " हम लोगों का हिन्दू या

---

1-सिंह कुलदीप- इण्डिया एन्ड बाँगलादेश, पृ० 11

2-डा० गौतम प्रो० मिश्रा, बाँगलादेश पृ० 13

मुसलमान होना एक सत्य है, पर उससे एक बड़ा सत्य यह है कि हम बंगाली हैं। यह कोई आदर्श की बात नही है, एक यथास्थिति है। माँ प्रकृति ने अपने हाथों से हमारे चेहरे और भाषा पर बंगालीपन की जो छाप लगायी है, उसे माला, तिलक, चुटिया ,टोपी,लुंगियाँ और दाड़ी से हरगिज नहीं छिपाया जा सकता है।[1]

भारतीय संस्कृति की यह मूलभूत विशेषताहै कि उसने सदैव ही विश्व की अन्य संस्कृतियों की अच्छी बातों की आत्मसात करने का प्रयास किया है और अपने सार्वभौमिक एवं शाश्वत सिद्धान्तों से अन्य संस्कृतियों को प्रभावित करने कासतत प्रयास किया। इसी का परिणाम रहा है कि बाँगलादेश की बहुसंख्यक जनता ने इस्लाम संस्कृति की अनुगामी होने के बावजूद भी भारतीय संस्कृति के शाश्वत सिद्धान्तों को अपने सामाजिक जीवन में व्यापक रूप से स्वीकार किया है। ढाका विश्वविद्यालय में जब डा० करीम की कक्षा में एक छात्र मौलवी कट दाढ़ी रखकर अपनी धार्मिक असहिष्णुता का डंका पिटता हुआ आया, तो उन्होने बहुत ही शालीनता से उससे कहा " सुनिये मि० मौलाना, यदि आपका दृढ़ विश्वास है कि सत्य केवल कुरान सरीफ में लिखा तथा अन्य कहीं भी नहीं है ,तो आपके लिए उचित है कि आप विश्वविद्यालय से नाम कटवा लीजिए और मौलवी बन जाइये और दीन तथा मिन्नत की खिदमद फरमाइये। हाँ यदि आपका विश्वास है कि सत्य अन्य धर्मो में भी हो सकता है तो आज से दिमाग की सब खिड़की खोल लीजिए और कक्षा में मौलवी नहीं विद्यार्थी बन कर आइये। तथा वैज्ञानिक दृष्टिकोंण में सत्य को खोजने की कोशिश कीजिए।

डा० आरिफ, डा० करीम , डा० अहमद और यहाँ तक कि पश्चिमी पाकिस्तान {करांची} के डा० महकरी तक इस व्यापक वैचारिक उथल-पुथल में अपने राष्ट्र को अपने राज्य की सही सुदृढ नींव की खोज में व्यस्त थे। डा० महकरी ने एक बार लिखा था " क्या धर्म बदल जाने से शरीर का रक्त और नस्ल बदल जाती

---

1- डा० गौतम,प्रो० मिश्रा, बांगलादेश पृ० 44
2- वही।

है। मुझे तो गर्व है कि मेरी धमनियों में जो रक्त बह रहा है, वह महान ऋषियों और विचारकों का है, जिन्होंने विश्व को ज्ञान से आलोकित किया है।[1]

बंगाली जब बंगाला साहित्य कला से अपने को पृथक करके विचार करता है तो वह व्यथित हो उठता है।

तोबू कन्ना पाय
अमार प्रिय दुखनी मायोर
भाषा वर्णमाला
प्रिय को बीर गान ।

जाखुन सुनी भूलते हाव, आभार रक्त स्त्रोत के मूछते हाबे।
(फिर भी रो उठता है मन, जब सुनता हूँ कि माँ की भाषा, वर्णमाला, रवीन्द्र की रचनाएँ भूलनी होंगी और अपने से काटकर अलग-फेंकनी होंगी।[2]

पूर्वी बंगालियों के बंगला संस्कृति से इस प्रगाढ़ स्नेह को देखकर पश्चिमी पाकिस्तान पूर्वी पाकिस्तान के बंगालियों का तिरस्कार करता था। वह उनको सच्चा मुसलमान मानने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि उनकी समझ में पाकिस्तान के प्रति श्रद्धा संदिग्ध थी। उनकी भाषा और संस्कृति हिन्दू बंगाल के अधिक निकट थी। इसीलिए बंगाली भाषा पर उन्होंने मुख्य हमला किया, लेकिन पाकिस्तानी शासकों की यह भयंकर भूल थी । इसने पूर्व बंगालियों पर उर्दू थोपने का प्रयास किया। बंगाली को तो वे हिन्दू भाषा समझते थे।[3]

बंगलादेश के बंगाली सदैव से अपने को बंगाली होने का गर्व का अनुभव करते हैं। उनका यह दावा रहा है कि यह कला, संगीत, प्राकृतिक सौन्दर्य विशेष कला आकृतियों और मुख्य रूप से बंगाली भाषा की भूमि थी। पश्चिमी पाकिस्तान में मुसलमान बंगाली को हिन्दू संस्कृति का एक भाग मानते हैं।[4]

---

1-डा० गौतम-प्रो० मिश्रा- बांगलादेश पृ० 46-47
2-दत्त, वी०पी०- इण्डियास फारेन पालिसी पृ० 154
3-चन्द्रप्रबोध- ब्लड बाथ इन बंगलादेश पृ० 98-99
4-वही

बांगलादेश के स्वाधीनता आन्दोलन के समय पश्चिमी पाकिस्तान के सैनिक अधिकारियों एवं सैनिकों ने बड़ी ही निर्दयता से बंगाली जनता को कुचलने का जो प्रयास किया उसके पीछे भी यह भावना सक्रिय थी कि बांगलादेश के लोग सच्चे मुसलमान नहीं हैं, वे भारतीय संस्कृति एवं सामाजिक जीवन के अधिक सन्निकट हैं। उन्होने बंगलादेश के साहित्य, संगीत और कला के सांस्कृतिक केन्द्रों को भी किसी उददेश्य से नष्ट करने का प्रयास किया। प्रसिद्ध लेखक मेसकरहेन्स ने पाकिस्तान के सैनिक अधिकारियों द्वारा पूर्वी बंगाल के मुसलमानों को आतंकित करने एवं उनकी हत्याएं करने के सम्बन्ध में जो तर्क दिये हैं उनका वर्णन किया है। मेजर वसीर ने मेसकरहेन्स को स्पष्ट करते हुए कहा कि वह "पवित्र और अपवित्र लोगों के बीच की लड़ाई है।" पूर्वी बंगाल के लोग मुसलमान नाम रखते हैं और अपने को मुसलमान कहते भी हैं, लेकिन हृदय से वे हिन्दू हैं।"[1]

बांगलादेश की बहुसंख्यक जनसंख्या मूलरूप से भारतीय जातियों से सम्बद्ध है। वे प्रारम्भ से ही हिन्दू संस्कृति एवं भाषा से प्रभावित हैं। अब इसमें कोई सन्देह नहीं है कि सांस्कृतिक रूप से दोनों बंगालएक दूसरे के बहुत समीप है और वे जो भी प्रयास करेगें उनसे उनके सम्बन्ध घनिष्ठ भी होगें।[2]

भारत और बांगलादेश के बीच जहाँ तक सामाजिक सम्बन्धों की बात है, ऐतिहासिक, भौगोलिक, आर्थिक समीपता क तरह ही बांगलादेश की जनसंख्या और उसके सामाजिक जीवन में भी समरूपता है, जिसमें देश की भौगोलिक सीमाएं कभी भी विघ्न नहीं डाल सकती हैं। मुस्लिम जनसंख्या वाले इस देश में तीन अल्पसंख्यक वर्ग हैं। हिन्दू, बौद्ध और ईसाई जो लगभग एक करोड़ हैं। लगभग सभी लोग एक विशिष्ट जाति से सम्बन्ध रखते हैं, और कर्णप्रिय बंगलाभाषा बोलते हैं। अपनी भाषा और संस्कृति केप्रति उनका अनुराग लोगों के लिए ईष्या की वस्तु है। प्राणों की बाजी लगाकर बंगाली युवकों ने पाकिस्तान के शासकों को विवश कर दिया था कि वे बांगलाभाषा को उर्दू के साथ राष्ट्रभाषा घोषित करें।

---

1-वही पे० 272
2-मुहम्मद अयूब खाँ - फ्रेन्इस नॉट मास्टर्स§ करांची§ 1967 पे० 187

पाकिस्तान निर्माण के बाद से ही पूर्वी बंगाल अर्थात अब बांगलादेश की संस्कृति एवं परम्परा को नष्ट करने का प्रयास किया गया। लेकिन आन्दोलन के माध्यम से इसका प्रतिरोध हुआ। उन्होने आगे कहा कि कोई भी बंगाली संस्कृति एवं साहित्य की टैगोर और नजरूल के अभाव में कल्पना नहीं कर सकता है।[1]
बंकिम चन्द्र चट्टोपाध्याय ने " सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम, शस्य श्यामलाम" गाया था, उस समय उनकी आँखों में सम्पूर्ण बंगाल की छवि झलक रही होगी। वास्तविकता तो यह है कि भारत और बांगलादेश की ये कृत्रिम भौगोलिक सीमाएँ बंकिम नजरूल इस्लाम और रविन्द्र नाथ टैगोर की सांस्कृतिक विरासत को कभी भी भारत बंगलादेश को एक दूसरे से पृथक नहीं कर सकती हैं। इसीलिए शेख मुजीबुर्ररहमान ने एक बार जनता को रवीन्द्र नाथ टैगोर, काजी नजरूल इस्लाम और बंकिम चन्द्र चटोपाध्याय द्वारा बंगला साहित्य और सांस्कृतिक जीवन में किये गये योगदान की ओर आगाह करते हुए कहा था, "यदि रवीन्द्र नाथ टैगोर और काजी नजरूल इस्लाम का नाम यदि पूर्वी बंगाल की जनता ने भुला दिया तो यहाँ संस्कृति और साहित्य के नाम पर कुछ भी शेष नहीं बचेगा। धर्म के नाम पर इनको विनष्ट करने के विधिवत षडयंत्र चल रहे हैं। इन्हे जनता द्वारा असफल बनाने के लिए यथाशक्ति प्रयास करना चाहिए। धर्म जहाँ है, उसे भाव भाषा और संस्कृति के साथ एकाकार होकर चलना होगा। धर्म यदि मूल संस्कृति के विरोध में आकर खड़ा होता है तो वह विदेशी सत्ता और साम्राज्यवाद का प्रमुख एजेन्ट ही बनता है।[2]

बांगलादेश ने अपना राष्ट्रीय गीत कोइ संगीत नहीं चुना है बल्कि नोबिल पुरस्कार विजेता रविन्द्र नाथ टैगोर की कविता को स्वीकार किया है- 'सोनार बंगाल'।[3]

-----------------

1-दि डाउन करांची- 5 जनवरी 1971
2-गौतम एन्ड प्रो0 मिश्रा- बांगलादेश पृ0 39
3-बांगलादेश डाकूमेन्ट पृ0 490

यद्यपि भारत की बहुसंख्यक जनसंख्या हिन्दू धर्म की अनुयायी है और बांगलादेश की इस्लाम धर्मावलम्बी है। देखने में हिन्दू और मुसलमानों में सामाजिक भिन्नताएँ है। शताब्दियों के साथ-साथ एक साथ रह रहे हैं। इसलिए सामाजिक जीवन की आवश्यकताओं एवं उनकी पारस्परिक निर्भरताओं ने उनको एक दूसरे के निकट कर दिया है। कुछ क्षेत्रों में भी इनकी संस्कृति भी परस्पर सम्बद्ध है।

हिन्दुओं और मुसलमानों में जातियों और उपजातियों के बावजूद भी वे अपने धर्म की जातियों और उपजातियों के भेदभाव को भुलाकर सामाजिक एवं आर्थिक क्रियाकलापों में एक दूसरे का सहयोग करते हैं।[1] हिन्दू और मुसलमानों के बीच कथात्मकसम्बन्ध पाये जाते हैं। जातियों और उपजातियों उत्सवों में कथात्मक सम्बन्ध स्थापित करने की परम्परा है। इस समय यह शिष्टाचार के सम्बन्ध कहे जाते हैं। यह एक प्रकार से मौलिक सम्बन्धों तक सीमित हैं। जैसे बाबा, माँ, भाई बन्धु या दोस्त आदि।

बांगलादेश में शादी-ब्याह, यहाँ तक कि श्राद्ध कर्म जैसे महत्त्वपूर्ण विषयों पर आपस में विचार-विमर्श करके निर्णय लेते हैं। आवश्यकता पड़ने पर एक दूसरे को तन, मन, धन से सहयोग करते हैं। इन सम्बन्धों में वे विभिन्न धर्मावलम्बी होने का विचार छोड़ देते हैं।[1]

बांगलादेश के सामाजिक जीवन में हिन्दू और मुसलमानों के बीच जो अच्छे सामाजिक सम्बन्ध पाये जाते हैं उनके पीछे कोई राजनीतिक लाभ भी है। हिन्दू, ग्रामीण एवं देश के अन्य क्षेत्रों में अल्प मत में होने के कारण साम्प्रदायिक तनाव के समय अपनी सुरक्षा की आशा से मुसलमानों से सम्बन्ध रखते हैं। उनके विचार से उनकी स्त्रियों, बहनों, लड़कियों और उनकी सम्पत्ति की सुरक्षा संकट के समय सही ढंग से हो सकती है। सन् 1971 के स्वतन्त्रता आन्दोलन के समय और हिन्दू-मुस्लिम साम्प्रदायिक दंगों के समय भी हिन्दुओं ने मुसलमानों के घरों में शरण लेकर अपने प्राणों की रक्षा की थी।[2]

---

1- सरकार पी०सी०-बंगलादेश हिस्ट्री एण्ड कल्चर पृ० 187-88
2- वही।

भारतीयसमाज में भी जहाँ पर हिन्दू ,बहुसंख्यक एवं मुसलमान अल्पसंख्यक हैं। सामाजिक क्रियाकलापों में कहीं-कहीं पर इतनी समरूपता देखने को मिलती है जो अन्य लोगों के लिए भी अनुकरणीय है।

भारत और बांगलादेश में हिन्दुओं और मुसलमानों के वार्षिक उत्सव होते हैं। हिन्दुओं के वार्षिक त्योहार,दुर्गापूजा,काली,लक्ष्मी,और सरस्वती की पूजा होती है। इन त्योहारों से पहले हिन्दूकेजिन मुसलमानों से निकटतम सम्बन्ध है या उनके पड़ोसी अथवा ग्राम के प्रमुख व्यक्ति हैं,त्योहार के दिन मुसलमान अपने मेजबान के घर सुन्दर कपड़े पहन कर आते हैं। वे उसमें शान्तिपूर्वक भाग लेते हैं। पूजा के बाद वे मुसलमान मेहमानों को प्रसाद वितरण भी करते हैं। वे विभिन्न प्रकार के सूखे भोज्य पदार्थ जैसे चिरा, मुर्की, मुरी,खाई और विभिन्न प्रकार की मिठाइयाँ आदि वितरित करते हैं।[1]

दूसरी ओर मुसलमानों के मुख्य त्योहार इदुल अजा और इदुल फितर है। इदुल फितर के दिन मुसलमान हिन्दुओं को भी उसी प्रकार आमंत्रित करते हैं जैसे हिन्दू उनको बुलाते हैं। आमंत्रित हिन्दू मेजमान के घर आकर विभिन्न प्रकार की मिठाइयां खाते हैं और उनमें कुछ पोलाव भी लेते हैं। लेकिन इन त्योहारों में औरतें भाग नहीं लेती हैं। बांगलादेश में हिन्दुओं की शादी ब्याह में मुसलमान मित्र एवं मेहमान नकदी एवं वस्तुओं के रूप में बिना ब्याज का कर्ज देकर मदद करते हैं। कभी-कभी मुस्लिम मेहमान बारातों में भी सम्मिलित होते हैं। इसी प्रकार हिन्दू भी अपने पड़ोसी एवं मित्र मेहमानों को उपहार आदि भेंट करके सहयोग करते हैं।[2]

लेकिन स्कूलो और कालेजों के शिक्षा प्राप्त प्रगतिशील हिन्दू छात्र मेहमान मुसलमानो के घर पका-पकाया भोजन खा लेते हैं। यह भी आशा की जानी चाहिए कि भविष्य में यह सामान्य सामाजिक सम्बन्ध और अधिक विकसित हो सकेंगे । यदि हम हिन्दू और मुसलमानों के सम्बन्धों के इतिहास पर दृष्टिपात करें तो हमे हिन्दू और मुसलमानों के अन्तर्जातीय सम्बन्ध भी देखने को मिलते हैं। ब्रिटिश भारत

---

1-सरकार पी0सी0 बाँगलादेश हिस्ट्री एन्ड कल्चर पेज 188
2- वही।

भारत में हिन्दू और मुसलमान ब्रिटिश शासन के खिलाफ साथ-साथ लड़े थे और वे विजयी भी हुये थे। यदि हम पाकिस्तानी शासन के अन्तर्गत भाषा आन्दोलन को देखे अथवा बांगलादेश के स्वतन्त्रता आन्दोलन में दोनों ही जातियों ने मिल जुलकर प्रयास किया। और सफल भी हुए थे। दुर्भाग्यवश ये भावनाएं निजी स्वार्थों आपसी विश्वासघात ,आर्थिक दबावों और अन्तर्राष्ट्रीय शक्तियों के कारण जीवित नहीं हो सकी हैं। लेकिन इस देश के स्वतन्त्रता आन्दोलन के बाद हिन्दू और मुसलमानों के अन्तर्जातीय सम्बन्ध सद्भावनापूर्ण हो गये हैं और आशा की जाती है कि इनके मधुर सम्बन्ध भविष्य में भी रहेंगें।[1]

भारत और बांगलादेश की जनता के बीच आदि काल में चले आ रहे सांस्कृतिक एवं सामाजिक सम्बन्धों को यदि और अधिक विकसित करने के लिए प्रयत्नशील किये जांय तो निश्चय ही दोनों देशों के बीच परस्पर मैत्री सम्बन्धों को और अधिक मजबूत करने के अवसर प्राप्त हो सकते हैं क्योंकि सांस्कृतिक एवं सामाजिक सम्बन्धों की सुदृढ़ नीव पर ही आर्थिक एवं राजनैतिक सम्बन्धों को विकसित किया जा सकता है।

---

1- सरकार पी०सी० -बांगलादेश हिस्ट्री एन्ड कल्चर पे० 19।

# द्वितीय परिच्छेद

## बांगलादेश का स्वतन्त्रता संग्राम और भारत का सहयोग

## 1. बांगलादेश वासियों द्वारा स्वतन्त्रता अभियान

ऐसा कहा जाता है कि पाकिस्तान का निर्माण भौगोलिक परिस्थितियों ऐतिहासिक मान्यताओं और सांस्कृतिक सम्बन्धों का गला घोट कर कट्टर धर्मान्धता के गर्भ से हुआ था। अतः मुस्लिम लीग के नेताओं की राजनीतिक अदूरदर्शिता उस समय स्वयं सिद्ध हो गयी जब पूर्वी पाकिस्तान की जनता ने अपने राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अस्तित्व की रक्षा के लिए स्वतन्त्रता अभियान की घोषणा कर दी।

बांगलादेश वासियों के स्वतन्त्रता अभियान के लिए पश्चिमी पाकिस्तान के सैनिक तानाशाहों द्वारा पूर्वी पाकिस्तान की जनता का राजनैतिक एवं आर्थिक शोषण उत्तरदायी है। भारत विभाजन के बाद पश्चिमी पाकिस्तान के शासकों ने पूर्वी पाकिस्तान की जनता को लोकतांत्रित प्रक्रिया के अन्तर्गत कभी भी अपने भाग्य का फैसला करने का अवसर नहीं दिया और न ही पूर्व बंगाल की जनता को एक स्वतन्त्र राष्ट्र के नागरिकों के रूप में अपने सर्वांगीण विकास के लिए आर्थिक परिस्थितियों उपलब्ध हो सकीं।

शेख मुजीब के शब्दों में " स्वतंत्रता के बाद के 23 वर्षो की लम्बी अवधि बांगलादेश की जनता के लिए शोषण, निराशा और अन्धकार का युग रहा और जो फिर निराश्रय की स्थिति में बदल गया। उन्होंने आगे कहा कि यदि आज कायदे- आजम पाकिस्तान के संस्थापक जिंदा होते तो उनको यह कहना पड़ता कि वह इस प्रकार का पाकिस्तान नहीं चाहते हैं।"[1]

किन्तु जब बांगलादेश में राष्ट्रवाद के जागरण का सुभारम्भ हुआ, तब बंगला संस्कृति और सामाजिक परम्पराओं के सामने इस्लामिक राज्य के धार्मिक बन्धन कमजोर पड़ने लगे। सन् 1949 में अवामी-मुसलिम लीग की स्थापना की गयी किन्तु अन्त में शेख मुजीबुररहमान के सुझाव पर इस नाम के साथ से मुस्लिम शब्द

---

1- दि डाउन- करांची- 3 मार्च 1971

हटा दिया गया और आवामी लीग की सदस्यता सभी वर्गो ,जातियों और धर्मों के नागरिकों के लिए सुलभ हो गयी। बाँगलादेश के स्वतन्त्रताअभियान का संचालन और बंगला राष्ट्रवाद का उदभव आवामी लीग के द्वारा हुआ। आवामी लीग के नेताओं द्वारा समय-समय पर पश्चिमी पाकिस्तान की अलोकतांत्रिक नीतियों एवं जनविरोधी निर्णयों का सदैव प्रबल विरोध किया गया।

सन् 1952 में पश्चिमी पाकिस्तान के शासकों ने उर्दू को सम्पूर्ण पाकिस्तान की राजभाषा के रूप में थोपने काप्रयास किया,जबकि उर्दू केवल 6 % लोगों की मातृभाषा थी। पूर्वी बंगाल में व्यापक प्रदर्शन हुए और ढांका में बंगला भाषा समर्थक जुलूस में पुलिस ने गोली वर्षा की । जनता की उग्र भावनाओं के कारण पाकिस्तान सरकार को बंगला को राज्य भाषा का दर्जा देना स्वीकार करनापड़ा। यह बंगला देश वासियों के स्वतंत्रता अभियान का प्रथम चरण था।

इसी समय से आवामी लीग ने पूर्वी बंगाल की जनता को लोकतांत्रिक अधिकार दिलाने के लिए अनेक आन्दोलनों को एवं योजनाओं को कार्यान्वित करने का प्रयत्न किया। इसी समय दल के जन्मदाता हसन सोहरावर्दी की मृत्यु हो गयी और उनकी मृत्यु के उपरान्त संगठन का पूर्ण उत्तरदायित्व शेख साहब के कन्धों पर आ गया और तभी से दल के प्रचार एवं प्रसार तथा बाँगलादेश वासियों के स्वतंत्रता अभियान में उनकी महत्त्वपूर्ण भूमिका रही। 1954 में संसदीय शासन के विशेषज्ञ ए०के० फजलुलहक ने संयुक्त मोर्चा गठित कर मुस्लिम लीग को करारी हार दी। इस चुनाव को संयुक्त मोर्चे ने 31 सूत्री कार्यक्रम के आधार पर लड़ा था। इसकी प्रमुख मांगे थी- रक्षा, विदेशनीति एवं मुद्रा को छोड़कर सभी क्षेत्रीय मामलों में पूर्वी बंगाल को स्वशासन प्राप्त हो। जूट के निर्यात में केन्द्रीय हस्तक्षेप को समाप्त की जाय और भारत-पाक व्यापार पर लगे सभी प्रतिबन्धों का अन्त किया जाय।

शेख मुजीब और उनके दल की बढ़ती लोकप्रियता को देखकर पश्चिमी पाकिस्तान के शासकों ने गृह युद्ध भड़काने का आरोप लगाने के प्रयत्न आरम्भ कर

दिये, जिसमें अगरतल्ला षडयंत्र कांड को जोड़कर पाकिस्तानी शासकों ने जनता के सामने इनको बदनाम करने का षडयंत्र रचा। इस कांड के अन्तर्गत मुजीब पर यह अभियोग लगाया कि उन्होने सेना के कुछ जवानों के साथ पाकिस्तान को भारत के हाथ सौपने की कोशिश की है। किन्तु शेख मुजीब के नेतृत्व में बांगलादेश का स्वाधीनता आन्दोलन व्यापक एवं उग्र रूप धारण करता गया।

पाकिस्तान की स्थापना के 23 वर्ष पश्चात पूर्वी बंगाल की जनता के सौभाग्य एवं संयोग से यह प्रथम अवसर था कि राष्ट्रीय विधान सभा के लिए 7 दिसम्बर 1970 को प्रथम महानिर्वाचन सम्पन्न हुआ। प्रान्तीय परिषदों के चुनाव इसके बाद हुए। इस महानिर्वाचन में शेख मुजीब की अवामी लीग को राष्ट्रीय सभा एवं पूर्वी पाकिस्तान की प्रान्तीय परिषद में स्पष्ट बहुमत प्राप्त हुआ। शेख मुजीब ने यह आम चुनाव अपने पूर्व घोषित 6 सूत्रीय कार्यक्रम के आधार पर लड़ा था। जिसे पूर्व बंगाल की जनता ने पूर्णतः स्वीकार करके अपना साकारात्मक समर्थन प्रकट कर दिया। इस प्रकार बंगला देश में स्वाधीनता आन्दोलन के माध्यम से जनतंत्रात्मक क्रान्ति का श्रीगणेश मतदान के द्वारा आरम्भ हो गया।

इस प्रकार जनतंत्रीय निर्वाचन के माध्यम से पूर्वी बंगाल ने 20वी शताब्दी के उत्तरार्द्ध में एक ऐतिहासिक तथा अभूतपर्वू आन्दोलन छेड़कर सैनिक तानाशाही को आश्चर्य चकित कर दिया था।

जनरल याहिया खाँ ने चुनाव में असाधारण विजय प्राप्त करने के उपलक्ष्य में शेख मुजीब और उनके दल को हार्दिक बधाई भेजी। इसके प्रतिउत्तर में मुजीब साहब ने विनम्र शब्दों में धन्यवाद भेजते हुए राष्ट्रीय सभा को शीघ्रातिशीघ्र आहूत करने का निवेदन किया था। कार्यक्रम के अनुसार राष्ट्रीय सभा की प्रथम बैठक 3 मार्च 1971 को निश्चित की गयी थी क्योंकि लोकतांत्रित प्रक्रिया के अन्तर्गत विधान सभा के बहुमत दल के नेता को सरकार गठित करने काअधिकार होता है। राष्ट्रयाध्यक्ष, राष्ट्रीय सभा के अधिवेशन को आहूत करता है किन्तु याहिया खाँ

और जुल्फकार अली भुट्टो की दुर्नीतियों के कारण पाकिस्तान की राष्ट्रीय सभा का अधिवेशन महीनों प्रतिक्षा के बाद भी आहूत नहीं किया गया। जिसके परिणाम स्वरूप आवामी लीग के नेता शेख मुजीब और उनके वरिष्ठ सहयोगियों में यह शंकापुष्टि होने लगी कि पश्चिमी पाकिस्तान के शासक पूर्वी बंगाल के किसी भी बहुमत दल के नेता को सत्ता हस्तान्तरण करने के पक्ष में नहीं है वे तो केवल पूर्वी पाकिस्तान का एक विदेशी उप निवेश की तरह शोषण करने में ही रूचि रखते हैं।

अतः 51 वर्षीय बंग बन्धु शेख मुजीबुर्ररहमान ने 15 मार्च 1971 को 10 बजे स्वाधीन बंगलादेश की घोषणा कर दी थी। प्रशासन के कार्य भार को सम्हालते हुए 35 आदेश जारी किये। यह कदम उस समय उठाया गया, जब सैनिक सत्ताधारियों के हुकुमों की कार्यरूप में परिणति होनी थी। इन हुकमों के अनुसार 15 मार्च की सुबह 10 बजे जो सैनिक, कर्मचारी अपने काम पर नहीं लौटता उसे नौकरी से निकाल दिया जायेगा साथ ही साथ 10 साल की सजा भी दी जायेगी। ये आदेश तो प्रभावी नहीं हुए, बल्कि मुजीबुररहमान की पकड़ सत्ता पर मजबूत हो गयी। उधर मुजीब ने सत्ता सम्हालने की घोषणा की। राष्ट्रपति याहया खाँ करांची से तुरन्त ढाका पहुँचे, लेकिन तब तक शेख मुजीब की स्थिति काफी सुदृढ हो चुकी थी।[1]

शेख ने कहा[2] " अवामी लीग पूर्वी पाकिस्तान की एसेम्बली और राष्ट्रीय एसेम्बली में बहुसंख्यक दल है। इस नाते वह देश की सत्तासंभाल रहे हैं, ताकि बांगलादेश के 7.5 करोड़ लोगों की बहाबूदी के लिए कुछ किया जा सके। शेख ने सभी लोगों से जो स्वाधीनता चाहते हैं या स्वाधीनता प्राप्ति के लिए संघर्षरत हैं, सहयोग की माँग की। उन्होने आगे कहा कि "बांगलादेश में स्वाधीनता की भावना जो बढ़ी है उस पर अब रोक नहीं लगायी जा सकती है,

---

1- दिनमान 21 मार्च 1971 पृ0 33
2- दिनमान, 21, मार्च, 1971, पृ0 33.

क्योंकि जरूरत पड़ने पर हममे से हर कोई जान तक की आहुति देने को तैयार है, ताकि हमारी मौत से अगली पीढ़ी को स्वाधीन मुल्क की स्वाधीन हवा में जीने को मौका मिल सके। अतः बांगलादेश का हर आदमी ,औरत और बच्चा अपना सिर ऊँचा करके कदम से कदम मिलाकर चलने को आतुर है। बांगलादेश के सरकारी कर्मचारियों और कारखानों के मजदूरों, किसानों तथा छात्रों ने यह बात साफ कर दी है कि वे आत्म समर्पण का जीवन जीने से बेहतर मर जाना समझते हैं।"

35 आदेश[1]
--------

शेख मुजीब ने बांगला देश के स्वाधीनता आन्दोलन को व्यापक एवं गति शील बनाने के लिए पूर्वी बंगाल की जनता के लिए 35 आदेशों की उद्घोषणा की जिन्हे सरकारी कर्मचारियों एवं जनता ने हर्षोल्लास के साथ व्यापक समर्थन दिया जिनमें प्रमुख निम्न हैं।

आदेशों के अन्तर्गत सभी सरकारी संघीय सचिवालय, प्रादेशिक और अर्द्ध सरकारी कार्यालयों और न्यायालयों में हड़ताल रहेगी, डिप्टी कमिश्नरों और उपखण्डीय अधिकारियों को आदेश दिये गये कि बिना दफ्तर खोले जितना भी काम हो सके करें। पुलिस को कानून और व्यवस्था बनाये रखने के लिए कहा गया। बंदरगाह अधिकारियों से कहा गया कि वे देश में आने वाले और बाहर जाने वाले जहाजों का संचालन करें, किन्तु पश्चिमी पाकिस्तान की उन जहाजों में सहयोग न करें ,जिनमें पूर्वी बंगाल की जनता के दमन की सामग्री है। डाक तार विभाग को आदेश दिया गया कि वे केवल बंगलादेश के लोगों के ही पत्र ,तार,मनी आर्डर वितरित करें । डाक तार सीधे ढाका से विदेशों को भेजे जा सकते हैं। रेडियो टेलीविजन और समाचार पत्रों को ताकीद किया गया कि वे सभी वक्तव्यों और लोगों से सम्बन्धित समाचारों को बिना किसी

---

1- दिनमान पत्रिका,21 मार्च ,1971 पृ0 33

डर के पूरी तरह प्रकाशित करें। खाद्यान्नों के आयात-वितरण संग्रह और आवाजाही को उच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। सभी प्रादेशिक एवं स्थायी करों को बंगलादेश के खातों में जमा किया जाय। केन्द्रीय सरकार के लिए भी दो करवसूले जायेंगे और उन्हे भी दो बंगाल बैकों ईस्टर्न मरकंटाइल और ईस्टर्न बैंकिंग कारपोरेशन में जमा किया जाय। सभी निजी, व्यावसायिक और औद्योगिक संस्थाओं को काम करने के आदेश दिये गये। किन्तु विद्यालय बन्द रहेगें। साथ ही सभी इमारतों पर काले झंडे फहराये जायेगें। शेख के आदेश की यह तीन सैनिक छावनियों पर लागू नहीं हुयी, ये छावनियाँ ढाका, ... मिला और जैशोर में है।[1]

इस प्रकार जब शेख मुजीब के नेतृत्व में बांगलादेश की जनता में पश्चिमी पाकिस्तान की सार्वभौमिक सत्ता के लिए एक अद्भुत चुनौती उपस्थित कर दी, तब पाकिस्तान के सैनिक तानाशाहों ने इस जनक्रान्ति को कुचलने के लिए सैन्य शक्ति का भरपूर प्रयोग करने का आदेश देकर व्यापक नरसंहार आरम्भ कर दिया।

एन0सी0 मैनेनके अनुसार ढाका से लन्दन पहुँचने वाले एक कानून के छात्र शमसुल आलम ने पत्रकारों को बताया कि स्त्रियों और बच्चों को इस तरह भूना जारहा है कि जैसे बच्चे बन्दूक के खिलौने से खेलते हैं। यह नरसंहार यह कत्लेआम निहत्थे और निर्दोषो का किया जा रहा है। यह तो हिटलर ने भी नहीं किया था। कोलम्बो पहुँचने वाली एक स्त्री ने कहा था कि ढाका की सडांध से तो मैं आजित आ गयी थी।[2]

पाकिस्तानी सेना के इस व्यापक नरसंहार से घबराकर लाखों नर-नारी भारत के सीमावर्ती राज्यों, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, असम, मेघालय आदि राज्यों में जीवन की रक्षा और भोजन को लालसा में प्रवेश कर गये। स्थिति की

---

1- दिनमान पत्रिका, 21 मार्च 1971 पृ0 33
2- दिनमान पत्रिका, 11 अप्रैल 1971 पृ0 34

भयानकता को देखकर भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने विश्व की महाशक्तियों एवं अन्य देशों से समस्या के राजनैतिक समाधान की अपील की।

शिशिर गुप्त (राजनय के प्राध्यापक, जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय, ने अपना स्पष्ट मत व्यक्त किया था कि महाशक्तियों को यह भली-भाँति समझ लेना चाहिए कि बंगलादेश के मामले में ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और भू-राजनैतिक कारणों से भारत का अत्यधिक सम्बन्ध है। मुजीब जिन सिद्धान्तों के लिए लड़ रहे हैं, वे सिद्धान्त भारतीय गणतंत्र के आधार है, जबकि पाकिस्तान का अस्तित्व एकदम विरोधी मूल्यों पर टिका हुआहै। अतः इस परीक्षा की घड़ी में भारत चुप नहीं रह सकता ।[1]

बांगलादेश का स्वतन्त्र अभियान बड़ी ही राजनीतिक दूरदर्शिता एवं सामरिक सोच-समझ के साथ संचालित किया जा रहा था। पाकिस्तान की रक्त पिपासु सेना का सामना करने के लिए "मुक्ति वाहिनी" नाम के एक छापामार संगठन का निर्माण किया गया, जिसमें बांगलादेश के अर्द्ध सैनिक बलों के नौजवान तथा नये प्रशिक्षित बंगलादेश के राष्ट्रभक्त नवयुवक सम्मिलित होकर सारे देश में कहीं-कहीं सामने आकर और कभी-कभी मुस्लिम छापामार पद्धति का सहारा लेकर स्वाधीनता संग्राम को सफल बनाने के लिए अपनी अपनी जानों की आहुति दे रहे थे।

वास्तव में, बांगलादेश का मुक्तिसंग्राम अपनी सभी मुख्य विशिष्टताओं में एक अभूतपूर्व घटना है और प्रक्रिया है, हिन्दू- मुस्लिम दंगों से बना राज्य, जिसका एक हिस्सा दूसरे हिस्से से हजार मील दूर है। एक छोटे से हिस्से के मुट्ठीभर लोगों का शासक वर्ग और शासक वर्ग की सैनिक तानाशाही राज्य की बहुसंख्यक और चुनाव में बहुमत प्राप्त करने वाले दल के लोकतांत्रिक आन्दोलन के विरुद्ध सैनिक तानाशाही काहमला और जिसकी प्रतिक्रिया स्वरूप, लोकतांत्रिक आन्दोलन के पूर्व हिन्दू ,मुस्लिम एकता। अपने ही राज्यकी जनता के विरुद्ध

---

1- दिनमान पत्रिका 11 अप्रैल 1971 पृ0 11

सेना की अमानुषिक बर्बरता इस तरह की कोई और मिशाल नहीं है।[1]

बांगलादेश के बयोबृद्ध नेता मौलाना भसानी ने बंगलादेश के स्वाधीनता संग्राम के चर्मोत्कर्ष के समय पत्रकारों से बात चीत करते हुए कहा था कि बांगलादेश का स्वाधीनता संग्राम अब एक जनक्रान्ति का रूपधारण कर चुका है। अत: अब वह स्वाधीन, सार्वभौमिक सत्ता सम्पन्न बांगलादेश के कम में कोई समझौता करने के विरूद्ध हैं और समस्या के समाधान के लिए जो राजनैतिक समझौते के सुझाव दिये गये हैं वे अवास्तविक हैं। उन्होने पाकिस्तान के इस आरोप को भी सर्वथा मिथ्या बताया कि बांगलादेश की क्रान्ति के पीछ भारत का हाथ है। उनका कहना है कि क्रान्ति का बाहर से आयात नहीं किया जा सकता है और न ही आयातित क्रान्ति सफल हो सकती है। बांगलादेश की क्रान्ति के पीछे राष्ट्रवाद ही एक मात्र कारण नहीं है बल्कि वह तो पिछले 24 वर्षों के लोगों के राजनैतिक और आर्थिक शोषण का परिणाम है। मौलाना भसानी का कहना है कि स्वाधीन प्रभुसत्ता सम्पन्न बांगलादेश की मांग को व्यापक समर्थन प्राप्त है औरयदि किसी देश को इस बारे में सन्देह है तो वह संयुक्त राष्ट्र संघ की देखरेख में जनमत संग्रह करा सकता है, उन्होने विश्वास व्यक्त किया कि बंगलादेश के 99% से अधिक लोग प्रभुसत्ता सम्पन्न बांगलादेश की मांग के समर्थक हैं।[2]

वास्तविक उस समय स्वयं सिद्ध हो गयी जब 16 दिसम्बर 1971 को पाकिस्तान के लगभग एक लाख सैनिको ने भारतीय सेनाध्यक्ष मानेकशा की चेतावनी पर पश्चिमी पाकिस्तान की सेना के वरिष्ठ अधिकारी जनरल नियाजी ने भारत के ले० जनरल मि० अरोड़ा और मुक्ति वाहिनी के संयुक्त सैन्य संचलको के सामने आत्म समर्पण कर दिया। यह विश्व की एक विशालतम सेना का एक ऐतिहासिक समर्पण था। बांगलादेश के स्वतन्त्रता संग्राम की सफलता और

-----------------

1-दिनमान- 6 जून 1971 पृ० 13
2- वही।

सम्प्रभुता सम्पन्न बांगलादेश ने सुप्रसिद्ध आदर्शवादी दार्शनिक टी०एच० ग्रीन का यह प्रसिद्ध कथन सिद्ध कर दिया कि-

"राज्य का आधार शक्ति नहीं, इच्छा है।"

## 1.1 पूर्वी पाकिस्तान का एक उपनिवेष के रूप में शोषण

किसी भी देश की जनक्रान्ति अथवा उसका स्वतन्त्रता अभियान किसी एक आकस्मिक घटना का परिणाम नहीं होता है, बल्कि उसके पीछे उस देश की जनता के राजनीतिक उत्पीड़न एवं आर्थिक शोषण का एक लम्बा इतिहास प्रेरणा स्रोत बनकर उसका पथ प्रदर्शन करता है। वास्तव में, बांगलादेश का स्वतन्त्रता अभियान भी उस समय की केवल तत्कालिक राजनीतिक परिस्थितियों का परिणाम नहीं था, बल्कि उसके पीछे कुछ आर्थिक कारण भी थे। भारत विभाजन के बाद बंगलादेश की जनता को 23 वर्षों में पश्चिमी पाकिस्तान द्वारा उसके साथ किये जा रहे आर्थिक अन्याय एवं शोषण का पूर्ण अनुभव हो चुका था।

चरनजीत चानना का कथन है कि पश्चिमी पाकिस्तान के सैनिक, शासकों का मुख्य स्वार्थ पूर्वी पाकिस्तान से अधिक से अधिक आर्थिक लाभ प्राप्त करना था, और व्यवहारिक रूप में भी उन्होने उन सभी लाभों को प्राप्त किया, जिन्हे कोई विदेशी साम्राज्य अपने किसी अधीनस्थ उप निवेष से प्राप्त करता है। वास्तव में पाकिस्तान का शासन तन्त्र बंगलादेश की अर्थव्यवस्था पर एक जोंक की तरह चिपका हुआ था, क्योंकि उसे पूर्वी पाकिस्तान के रूप में एक उत्तम बाजार उपलब्ध था और राजनैतिक दृष्टिकोंण से वे पूर्वी पाकिस्तान को भारत के विरूद्ध एक मोहरे के रूप में प्रयोग करने में भी कभी नहीं चूके, जिससे दक्षिण पूर्व एशिया में उसके बढ़ते हुए प्रभाव को रोका जा सके।[1]

किन्तु जब ब्रिटिश साम्राज्यवादियों ने 1947 के भारत स्वाधीनता अधिनियम के अन्तर्गत भारत विभाजन के साथ भारत और पाकिस्तान के शासकों की सत्ता का हस्तान्तरण किया था, उस समय पूर्व तथा पश्चिमी पाकिस्तान की एक समान आर्थिक स्थिति थी, किन्तु तदन्तर, पश्चिमी पाकिस्तान के शासकों

---

1 - चानना चरन जीत- इकोनामिक्स आफ बंगलादेश, प्रेफेस पृ.क. 1

ने पूर्वी पाकिस्तान को अपना एक उपनिवेष मानकर उसका आर्थिक शोषण आरम्भ कर दिया, जिसके दुष्परिणाम स्वरूप पश्चिमी पाकिस्तान का तो आर्थिक विकास होने लगा किन्तु पूर्वी पाकिस्तान की जनता को अपने आर्थिक अभावों के कारण कराह प्रारम्भ हो गयी। आरम्भ में तो सभी लोग पूर्वी तथा पश्चिमी पाकिस्तान के बीच बढ़ रही आर्थिक विषमता को अनदेखा करते रहे। सन् 1949-50 में पश्चिमी पाकिस्तान की प्रति व्यक्ति आय पूर्वी पाकिस्तान की प्रति व्यक्ति आय से 9 % बढ़ी हुई थी, किन्तु इस विषमता में निरन्तर बृद्धि होती गयी और यह बढ़कर 1955-60 के बीच 30 % हो गयी।[1] इस प्रकार पूर्वी बंगाल के एक उप निवेश के रूप में शोषण की प्रक्रिया 1947 से ही प्रारम्भ हो गयी थी।

कुछ ऐसे मौलिक तथ्य हैं जो पश्चिमी पाकिस्तान द्वारा पूर्वी पाकिस्तान पर आर्थिक आधिपत्य स्थापित करने के संदर्भ में इसकी औपनिवेषिक स्थिति को स्पष्ट करते हैं। पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान के बीच इतनी अधिक आर्थिक विषमताएँ बढ़ गयी थी कि पाकिस्तान के शासन की सर्वोच्च योजना शक्ति को इस पर अपनी टिप्पणी देने के लिए विवश होना पड़ा। योजना आयोग के विशेषज्ञों के एक निरीक्षण दल ने पाकिस्तान सरकार को पाकिस्तान के दोनो भागों की आर्थिक विषमता के सम्बन्धों में एक अधिकारिक दस्तावेज प्रस्तुत किया।[2] इस प्रतिवेदन में सबसे अधिक विचित्र बात पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान के बीच औसत आय में व्याप्त भारी विषमता थी। सन् 1959-60 में पश्चिमी पाकिस्तान के प्रति व्यक्ति की आय पूर्व की अपेक्षा 32 % अधिक थी।[3] आगामी दस वर्षों में पश्चिमी पाकिस्तान को आय की वार्षिक वृद्धि दर 6.2 प्रतिशत थी, जबकि पूर्वी पाकिस्तान में मात्र 4.2 प्रतिशत थी। जिसके परिणाम स्वरूप 1969-70 में पूर्व की अपेक्षा पश्चिमी पाकिस्तान की प्रति व्यक्ति आय 61 % अधिक थी । इस प्रकार दस वर्षों में आय के प्रतिशत में ठीक दो गुना अवसर आ गया।[4]

---

1-चानना चरनजीत- इकोनामिक्स आफ बंगलादेश प्र॰2
2-रिपोर्ट आफ द एडवाइजरी पैनेल्स फार फोर्थ फाइव इयर प्लान-1970-75 वाल्यूम I
3-वही॰
4-बंगलादेश डाकूमेन्ट-पे01।

पूर्वी पाकिस्तान के लोग अपनी इस शोषण की स्थिति के लिए केन्द्र सरकार के निम्न तीन साधनों को दोषी मानते हैं-

1- विदेशी सहायता से प्राप्त धन पूर्वी पाकिस्तान की उपेक्षा करके पश्चिमी पाकिस्तान के विकास पर अधिक व्यय किया गया।

2- पूर्वी पाकिस्तान में उत्पादित होने वाली वस्तुओं से अर्जित धन पश्चिमी पाकिस्तान पर व्यय हो जाता था।

3- पाकिस्तान की आर्थिक नीति पूर्वी पाकिस्तान को उपेक्षा करके पश्चिमी पाकिस्तान के अधिक अनुकूल थी। पूर्वी पाकिस्तान के लिए दैनिक उपभोक्ता वस्तुओं को पश्चिमी पाकिस्तान को विश्व के अन्य बाजारों से अधिक कीमत देकर खरीदनी पड़ती थी।

पूर्वी पाकिस्तान तो केवल पश्चिमी पाकिस्तान के पूंजीपतियों, व्यापारियों, उद्योग पतियों, ठेकेदारों, सैनिक एवं प्रशासनिक नौकरशाहों के लाभ के लिए था। पाकिस्तान सरकार में प्राय: पश्चिमी पाकिस्तान के ही लोग रहे और बड़ी चतुरता से ऐसी योजनाएं बनाते रहें जिससे पूर्वी पाकिस्तान की निर्धनता बढ़ती रही जो भी सरकारी आंकड़े उपलब्ध हो सके हैं, उनसे उनकी दुर्भाबनाएं स्पष्ट हो जाती हैं।[1]

पूर्वी पाकिस्तान कुल राजस्व का 60 प्रतिशत उपलब्ध कराता था और उसे लगभग 25 % ही व्यय के लिए प्राप्त होता है और पश्चिमी पाकिस्तान 40 प्रतिशत ही राजकोष को उपलब्ध कराता हैं और 75 प्रतिशत व्यय के लिए प्राप्त करता है।[2]

अन्तर क्षेत्रीय व्यापार

| 1964-1969- | निर्यात, पश्चिमी पाकिस्तान से- पूर्वी पाकिस्तान के लिए | निर्यात, पूर्वी पाकिस्तान से पश्चिमी पाकिस्तान को |
|---|---|---|
| | रू0 5,2,92 मिलियन | रू0 3,174 मिलियन |

---

1- बंगलादेश डाकूमेन्ट पे0 16

2- वही।

| मद | पश्चिमी पाकिस्तान | पूर्वी पाकिस्तान |
|---|---|---|
| विदेशी विनिमय बहुत से विकास कार्यों के लिए | 80 प्रतिशत | 20 प्रतिशत |
| विदेशी सहायता (अमेरिका के अलावा) | 96 प्रतिशत | 4 प्रतिशत |
| अमेरिका सहायता | 66 प्रतिशत | 34 प्रतिशत |
| पाकिस्तान औद्योगिक विकास निगम | 58 प्रतिशत | 42 प्रतिशत |
| पाकिस्तान औद्योगिक शाखा और लागत निगम | 80 प्रतिशत | 20 प्रतिशत |
| औद्योगिक विकास बैंक | 76 प्रतिशत | 24 प्रतिशत |
| गृह निर्माण | 88 प्रतिशत | 12 प्रतिशत |
| | 77 प्रतिशत | 23 प्रतिशत |

उपरोक्त आंकड़े पश्चिमी पाकिस्तान के भारी औद्योगिक विकास को इंगित करते हैं जो सम्पूर्ण विकास व्यय का 77 प्रतिशत अपनी 40 प्रतिशत कुल आबादी पर प्राप्त किया।[1]

पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तन के बीच प्रति व्यक्ति आय में भारी अन्तर।

| | पश्चिमी पाकिस्तान | | | पूर्वी पाकिस्तान | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1950- रू0 | 1960- रू0 | 1970 रू0 | 1950- रू0 | 1960- रू0 | 1970 रू0 |
| प्रति व्यक्ति आय | 307 | 355 | 492 | 251 | 242 | 308 |

पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान में प्रति व्यक्ति आय में अन्तर 1950 में 56 रूपये था। 1960 में यह 113 रू0 का था और 10 वर्ष बाद 184 रू0 हो गया।[2]

---

1- बंगलादेश डाकूमेन्ट पे0 17
2- वही पेज 18

अतः पूर्वी पाकिस्तान की जनता द्वारा व्यक्ति और व्यक्ति क्षेत्र और क्षेत्र के बीच व्याप्त अन्याय की निरन्तरता के विरूद्ध विद्रोह करना स्वाभाविक था। तभी पूर्वी पाकिस्तान की जनता ने इस आर्थिक एवं राजनैतिक शोषण के विरूद्ध अपना आन्दोलन शेख मुर्जीबुर रहमान आदि नेताओं के नेतृत्व में तीव्र कर दिया। शेख मुजीब ने कहा कि "हम किसी को भी बंगाल को एक उप निवेष के रूप में शोषण करने की छूट नहीं देगें और आज लोग अपने अधिकारों को पहिचानने के लिए दृढ संकल्प है।"[1]

वास्तव में दोनों सम्भागों के बीच उसी तरह के सम्बन्ध थे जैसे कि किसी सर्वोच्च राजशक्ति और उसके अधीन जनता के बीच होते हैं।

---

1- मार्निंग न्यूज- करांची एन्ड ढाका- 26 अक्टूबर 1970

## 1.2 पूर्वी पाकिस्तन की जनता के मौलिक अधिकारों और स्वतन्त्राओं का अपहरण

पश्चिमी पाकिस्तान के शासकों ने पूर्वी पाकिस्तान की जनता का केवल आर्थिक शोषण नहीं किया बल्कि उनके मौलिक अधिकारों एवं स्वतन्त्राओं का अपहरण करके पूर्वी पाकिस्तान की जनता को उन आशाओं एवं अपेक्षाओं पर भी पानी फेर दिया जिनको उन्होने वर्षों से संजोया था। भारत विभाजन के पूर्व मुस्लिम लीग के नेताओं ने पूर्वी पाकिस्तान की जनता को उनके मौलिक अधिकारों एवं स्वतन्त्राओं के सम्बन्ध में जो भी आश्वासन दिये थे, उन्हे पश्चिमी पाकिस्तान के शासकों ने कभी भी पूरा नहीं किया ,जिसके परिणाम स्वरूप पूर्वी पाकिस्तान की जनता के राजनैतिक,आर्थिक एवं सांस्कृतिक विकास के सभी मार्ग अवरुद्ध रहे। यद्यपि कायदे-आजम ने अनेको बार यह घोषणा की थी कि "पाकिस्तान एक लोकतांत्रिक देश होगा। यहाँ पर अधिनायक तंत्र एवं सैनिक शासन नहीं होगा। कायदे- आजम ने यह भी आश्वासन दिया था कि पाकिस्तान के प्रत्येक नागरिक को अपने बच्चों की शिक्षा एवं उनके सर्वांगीण विकास के लिए समान अवसर प्राप्त होगें।[1]

किन्तु पूर्वी पाकिस्तान की नेशनल आवामी पार्टी के अध्यक्ष मौलाना भसानी ने[2] एक भाषण में कहा कि "इतने वर्ष बीत जाने के बाद भी कायदे-आजम के आश्वासन कभी पूरे नहीं हो सके और दयनीय स्थिति यह है कि बहुत सी सरकारें बनी और उनका पतन हो गया,लेकिन इस पर कोई विश्वास नहीं करेगा कि पाकिस्तान की 25 % जनता न तो अंग्रेजी जानती है और न उर्दू अथवा अरबी। 23 वर्ष बीत जाने के बाद इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया गया है और इस काल में तो पूर्वी पाकिस्तान की जनता के मौलिक अधिकारों का जानबूझ कर हनन किया गया है।

---

1-पाकिस्तान टाइम्स 6 नवम्बर 1970

किसी भी जाति अथवा समाज के सर्वांगीण विकास के लिए उत्तम शिक्षा की व्यवस्था पहली शर्त है किन्तु पूर्वी पाकिस्तान की जनता को अपने इस मौलिक अधिकार से भी हाथ धोना पड़ा। पश्चिमी पाकिस्तान की सरकार ने पूर्वी पाकिस्तान की बंगाली जनता को प्रारम्भिक एवं उच्च शिक्षा प्राप्त करने का अवसर कभी नहीं दिया, जिससे पूर्वी पाकिस्तान शिक्षा, कृषि एवं उद्योग के क्षेत्र में निरन्तर पिछड़ता रहा।

20 वर्षों में शिक्षा की तुलनात्मक प्रगति[1]

| क्षेत्र | पश्चिमी पाकिस्तान | | पूर्वी पाकिस्तान | |
|---|---|---|---|---|
| प्रारम्भिक पाठशालाएँ | 1947-48 | 1968-69 | 1947-48 | 1968-69 |
| | 8,413 | 39,418 | 29,663 | 28,308 |
| | साढ़े चार गुनी संख्या बढ़ी | | यद्यपि बच्चों की संख्या बढ़ी लेकिन पाठशालाओं की संख्या घटी। | |
| माध्यमिक विद्यालय | 1947-48 | 1965-66 | 1947-48 | 1965-66 |
| | 2598 | 4472 | 3481 | 3,964 |
| | 176 % बढ़ोत्तरी | | 114 % बढ़ोत्तरी | |
| कालेज विभिन्न तरह के | 1947-48 | 1968-69 | 1947-48 | 1968-69 |
| | 40 | 271 | 50 | 162 |
| | 675 % बढ़े | | 320 प्रतिशत बढ़े | |
| मेडिकल कालेज इंजीनियरिंग कालेज/ कृषि कालेज | 4 | 17 | 3 | 9 |
| | 425 प्रतिशत बढ़े | | 300 प्रतिशत बढ़े | |
| विश्वविद्यालय | 2 (654 छात्र) | | 1 (1620 छात्र) | |
| | 6 (18,708 छात्र) | | 4 (8,831 छात्र) | |
| छात्रों में वृद्धि | 30 गुनी | | 5 गुनी | |

---

1- बांगलादेश डाकूमेन्ट पृ0 19

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर स्पष्ट है कि पूर्वी पाकिस्तान के विद्यालयों में जाने वाले बच्चों की संख्या में तो वृद्धि होती रही, किन्तु जानबूझ कर विद्यालयों की संख्या को कम करने की साजिश भी होती रही। जिस तरह पश्चिमी पाकिस्तान के सैनिक शासकों ने पूर्वी पाकिस्तान की जनता को शिक्षा प्राप्त करने की मौलिक अधिकार से वंचित रखा उसी दुर्नीति के तहत उन्हे लोक प्रशासन, सेना और अन्य सरकारी सेवाओं में भी पद प्राप्त करने के मूल भूत अधिकारों से वंचित रखा। बहुत सी रिक्तियों का विज्ञापन पूर्वी पाकिस्तान के समाचार पत्रों में होता ही नहीं था। अभ्यर्थियों का चयन करने वाले बोर्ड में प्राय: पश्चिमी पाकिस्तान के लोग रहते थे, जो पूर्वी पाकिस्तान के लोगों को चयनित होने का अवसर नहीं देते थे।

निम्नलिखित आंकड़े[1] इस बात का सबूत देते हैं कि पूर्वी पाकिस्तान की जनता को पद प्राप्त करने के अधिकारों से किस तरह से वंचित रखा गया।

| | पश्चिमी पाकिस्तान | पूर्वी पाकिस्तान |
|---|---|---|
| केन्द्रीय सेवाओं में | 84 प्रतिशत | 16 प्रतिशत |
| विदेशी सेवाओं में | 85 प्रतिशत | 15 प्रतिशत |
| विदेश में शिष्ट मण्डलों के प्रधान | 60 प्रतिशत | 9 प्रतिशत |
| सेना में सामान्य ओहदे के अधिकारी | 16 प्रतिशत | 1 प्रतिशत |
| नेवी सेना में तकनिशियन | 81 प्रतिशत | 19 प्रतिशत |
| नेवी में गैरतकनिशियन | 91 प्रतिशत | 9 प्रतिशत |
| वायु सेना के चालक | 89 प्रतिशत | 11 प्रतिशत |
| सैन्य शक्ति (संख्या) | 500,000 | 20,000 |
| पाकिस्तान वायुसेना | 7,000 | 280 |

---

1. बंगलादेश डाकूमेन्ट पृ0 20

प्रत्येक देश के नागरिकों को जीवन-रक्षा एवं स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करने का अधिकार होता है और नागरिकों के इस अधिकार को संरक्षण प्रदान करने के लिए एक लोक कल्याणकारी राज्य का कर्तव्य होता है कि वह अपने देश के नागरिकों को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराये किन्तु पश्चिमी पाकिस्तान की सरकार ने पूर्वी पाकिस्तान की जनता कोइस अधिकार से भी वंचित रखा।

| | पश्चिमी पाकिस्तान | पूर्वी पाकिस्तान |
|---|---|---|
| जनसंख्या | 5.5 मिलियन | 75 मिलियन |
| डाक्टरों की कुल संख्या | 12,400 | 7,600 |
| अस्पतालों में कुल पलंगों की संख्या | 26, 000 | 6,000 |
| ग्रामीण स्वास्थ्य केन्द्र | 325 | 88 |

विश्व के प्राय: सभी देशों में सरकार से यह आशा की जाती है कि वह अपनी जनता की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु उत्तम परिस्थितियां उपलब्ध कराकर उनके जीवन स्तर को ऊँचा उठाने का प्रयास करेगी किन्तु उसके विपरीत पश्चिमी पाकिस्तान की सरकार ने पूर्वी पाकिस्तान के लोगों की औसत आय को कभी बढ़ने नहीं दिया और जीवन निर्वाह के लिए खाद्य सामग्री के मूल्यों को भी पश्चिमी पाकिस्तान की अपेक्षा हमेशा बढ़ा कर रखा।

पूर्वी पाकिस्तान के लोगों के लिए मुख्य खाद्य सामग्री चावल है और पश्चिमी पाकिस्तान के लिए गेहूँ। किन्तु पूर्वी पाकिस्तान की जनता को खाद्यानों की अधिक कीमत चुकानी पड़ती थी।[1]

| | पश्चिमी पाकिस्तान | पूर्वी पाकिस्तान |
|---|---|---|
| चावल प्रति मन | 18 रू0 | 50 रू0 |
| गेहूँ प्रति मन | 10 रू0 | 35 रू0 |

---

1-बंगलादेश डाकूमेन्ट पे0 21

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि विगत दो दशाब्दियों में अनेक सामाजिक एवं आर्थिकअधिकारों की उपेक्षा करके पूर्वी पाकिस्तान के साथ अन्याय किया गया है। इन प्रमाणों से इस बात की पुष्टि होती है कि उनको स्वशासन का अधिकार प्राप्त करना वांछनीय था। पूर्वी पाकिस्तान के लोगों को स्वतन्त्रता , समानता, शिक्षा एवं संस्कृति को सुरक्षित रखने, सम्पत्ति अर्जित करने, शोषण के विरुद्ध अधिकारों एवं अन्य नागरिक स्वतन्त्रताओं का उपभोग करने का सौभाग्य कभी प्र ाप्त नहीं हो सका। उदाहरण के लिए मार्च 1954 में पहला आम चुनाव पूर्वी पाकिस्तान में सम्पन्न हुआ। फजलुल हक के यूनाइटेड फ्रन्ट को जनता ने प्रचण्ड बहुमत से बिजयी बनाया। यह निर्वाचन संयुक्त मोर्चे ने 21 सूत्री कार्यक्रम के आधार पर लड़ा था। फ्रन्ट को 247 में से 237 स्थान प्राप्त हुए। मुस्लिम लीग को मात्र 10 स्थान ही प्राप्त हो सके। 3 अप्रैल 1954 को फजलुल हक ने मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण करके सरकार बनायी।[1]

किन्तु पश्चिमी पाकिस्तान का शासकवर्ग पूर्वी पाकिस्तान के लोगों की इस विजय को पचा नहीं सका। 30 मई 1954 को एसेम्बली को भंग कर दिया गया। लोकप्रिय सरकार को बर्खास्त कर दिया और बंगाल प्रान्त में गवर्नर शासन थोप दिया। इसी प्रकार एक बार पुनः पूर्वी पाकिस्तान के लोगों को अपने मौलिक अधिकारों का प्रयोग करके अपने भाग्य का फैसला करने का उस समयअवसर प्राप्त हो गया जब राष्ट्रपति याहिया खाँ ने राष्ट्रीय असेम्बली के आम चुनाव की तिथि पुनः 7 दिसम्बर निश्चित कर दी और प्रान्तीय निर्वाचन 19 दिसम्बर के पूर्व होने की घोषणा की।[2] राष्ट्रीय सभा की कुल 313 सीटें थी, जिसमें आवामी लीग ने 167 स्थानों पर विजय प्राप्त की। इस प्रकार इस दल को सदन में पूर्ण बहुमत प्राप्त हो गया।[3] राष्ट्रीय सभा के बहुमत दल के नेता होने के

---

1- शर्मा, एस0आर0 बंगलादेश क्राइसेस- इण्डियाज फारेन पालिसी पृ0 17
2- दि डाउन करांची 16 अगस्त 1970
3- ब्राउन डब्लू नारमन यू0एस0ए0,इण्डिया,पाकिस्तान एन्ड बांगलादेश पृ0 214

नाते शेख मुजीबुररहमान का यह वैधानिक अधिकार हो गया था कि उन्हे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के रूप में नयी सरकार बनाने का अवसर प्राप्त हो। 14 जनवरी 1971 को ढाका हवाई अड्डे पर राष्ट्रपति याहिया खाँ ने सम्वाददाताओं से कहा था कि " शेख मुजीबुर्रहमान पाकिस्तान के भावीप्रधानमंत्री होंगे।"[1]

इन परिस्थितियों में भुट्टो ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का पद खोता हुआ देख कर यह सुझाव दिया कि पाकिस्तान के प्रत्येक भाग के लिए समान स्तर के दो प्रधानमंत्री होने चाहिए।[2] 28 फरवरी को भुट्टो ने याहिया खाँ से राष्ट्रीय सभा के अधिवेशन को स्थगित करने की माँग की, जिससे अवामी पार्टी से नये सिरे से वार्ता हो सके।[3] याहिया खाँ ने आकाशवाणी से 1 मार्च को राष्ट्रीय सभा के उदघाटन को स्थगित करने की घोषणा करते हुए कहा कि राष्ट्रीय सभा का 3 मार्च को होने वाला अधिवेशन दोनों पार्टियों के एकमत न होने के कारण स्थगित किया जाता है।[4]

उपरोक्त स्थितिसे स्पष्ट हो जाता है कि पश्चिमी पाकिस्तान के नेताओं ने पूर्वी पाकिस्तान की जनता को अपने वैधानिक अधिकारों का प्रयोग करने से सदैव वंचित रखा । और निर्ममता पूर्वक लोकतांत्रिक परम्पराओं को कुचलते रहे। राष्ट्रीय सभा के अधिवेशन को स्थगित होने से बांगलादेश के लोगो में भारीरोष पैदा हो गया। शेख मुजीब ने कहा कि इसके पीछे एक बहुत बड़ी साजिश है किन्तु उन्होंने घोषणा कि बंगाल के लोग अपने वैधानिक अधिकारों को प्राप्त कर लेगें क्योंकि वे अब खून बहाना सीख गये हैं।[5]

शेख मुजीब के नेतृत्व में पूर्वी पाकिस्तान की जनता ने प्रदेश व्यापी ऐतिहासिक हड़ताल की और याहिया की सैनिक तानाशाही को चुनौती देने

---

1- पाकिस्तान आब्जरवर, 15 जनवरी 1971
2- वाशिंगटन पोस्ट 4 अप्रैल 1971
3- पाकिस्तान टाइम्स ,लाहौर 2 मार्च 1971
4- स्टेट्समेन ,न्यू देलही, 2 मार्च 1971
5- दि डाउन करांची, 15 जून 1970

के लिए ढाका की सड़कों पर निकल पड़े। उस समय याहिया ने कहा " कि मुजीब एक देशद्रोही है और उसकी पार्टी के लोग पाकिस्तान के दुश्मन हैं।"[1]

याहिया शासन के नये सैनिक कानूनी आदेश [2] जारी किए, जिससे पूर्व पाकिस्तान के नागरिकों के समस्त वैधानिक अधिकारों एवं नागरिक स्वतंत्राओं को पूर्णतः प्रतिबन्धित कर दिया गया।

आदेश संख्या 117

इसके द्वारा पूर्वी पाकिस्तान में सभी राजनैतिक गतिविधियों पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया। कोई भी व्यक्ति न तो किसी सभा में उपस्थित हो सकता है और न ही उसे संगठित करके उसमें भाषण दे सकता है। यह कार्य घर के बाहर या अन्दर कहीं पर नहीं हो सकते हैं।

आदेश संख्या 118

इसके अनुसार कोई भी समाचार, भाषण, विज्ञापन, पत्रक, किसी भी प्रेस से पूर्व स्वीकृत के बिना प्रकाशित नहीं हो सकता।

आदेश संख्या 119

किसी भी प्रकार ऐसे समाचारो, विचारों को रेड़ियो, टेलीविजन एवं अन्य प्रचार साधनों से प्रसारित नहीं किया जायेगा जिनसे पूर्वी पाकिस्तान की कानून व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े।

आदेश संख्या 120

सभी सरकारी, अर्द्ध सरकारी एवं स्वायत्त शाषी संस्थाओं में कार्यरत कर्मचारियों को अपनी सेवाओं की उदासीनता में 24 घंटे की सूचना पर सेवाएं समाप्त की जायेगीं।

---

1- टाइम्स आफ इण्डिया, 17 मार्च 1971

आदेश संख्या ।21

सभी शिक्षण संस्थाएं अगले आदेश के आने तक पूर्वी पाकिस्तान में बन्द रहेगी।

आदेश संख्या ।22

कोई भी व्यक्ति अग्नेयास्त्र नहीं रख सकता है। 24 घंटे के अन्दर निकटतम पुलिस स्टेशन पर जमा करने होगें।

आदेश संख्या ।23

पूर्वी पाकिस्तान की सभी बैकें बन्द रहेंगी। सभी व्यक्तिगत खाते लाकर्स भी बन्द रहेगें।

आदेश संख्या ।24

कोई भी व्यक्ति इस प्रकार की गतिविधियों में भाग नहीं लेगा जिसका उद्देश्य सैनिक, अर्द्धसैनिक, अन्य स्वयं सेवी संगठनों को सृजित करना हो।

आदेश संख्या ।25

पाँच और इससे अधिक व्यक्तियों को एक साथ इकट्ठा होने के सम्बन्ध में 72 घन्टो के लिए प्रतिबन्ध लगाया जाता है। धार्मिक कार्यों के लिए भी स्वीकृति आवश्यक होगी।

उपरोक्त सैनिक कानूनी प्रतिबन्धों के द्वारा पूर्वी पाकिस्तान की जनता को समस्त मौलिक अधिकारों एवं नागरिक स्वतंत्रताओं को प्रतिबन्धित कर दिया गया। शेख मुजीब ने कहा कि जब भी पूर्वी पाकिस्तान की जनता ने अपनी वांछनीय मांगों के लिए आवाज उठायी, उनके नेताओं एवं कार्यर्ताओं के लिए लाठी, गोली और जेल ही उपलब्ध रही। [1] पाकिस्तान का इतिहास पूर्वी पाकिस्तान की जनताके प्रति बेईमानी की कूटनीति से भरा पड़ा है। [2]

---

1- दि पिपुल ढाका 21 अक्टूबर 1970
2- चन्द्र प्रबोध, ब्लड बाथ इन बांगलादेश पृ0 113

सभी स्थितियों का सूक्ष्म विश्लेषण करने के पश्चात ही शेख मुजीबुररहमान ने कहा था कि " यदि पूर्व बंगाल के लोग अपने अधिकारों को प्राप्त करने में असफल रहते हैं तब उन्हे अपनी ही भूमि पर दासों की तरह रहना होगा। अतः अब संघर्ष ही हमारा रास्ता है।[1]

जिस तरह पश्चिमी पाकिस्तान के शासकों ने पूर्वी पाकिस्तान की जनता के मौलिक अधिकारों एवं स्वतन्त्रताओं की अपहरण करके उनके आर्थिक एवं राजनैतिक भविष्य का निर्लज्जतापूर्वक शोषण किया, उसी की प्रतिक्रिया स्वरूप पूर्वी पाकिस्तान की जनता को अपने स्वतन्त्र एवं सार्वभौमिक राष्ट्र के महासंग्राम के लिए महाशक्ति और प्रेरणा प्राप्त होती रही।

---

1- दि पिपुल (ढाका) 24 अक्टूबर 1970

## 1.3 बंगालियों द्वारा पूर्ण स्वायत्ता की मांग

पश्चिमी पाकिस्तान द्वारा पूर्वी पाकिस्तन के आर्थिक और राजनीतिक शोषण ने बंगालियों की प्रान्तीय स्वायत्ता की मांग को स्वाभाविक रूप से बल दिया। बंगालियों द्वारा स्वाधीनता की मांग पश्चिमी पाकिस्तान की सैनिक सरकार द्वारा बर्बर और घोर पाप करने के कारण विवश होकर उठानी पड़ी। बंगाली वास्तविक रूप से क्षेत्रीय स्वायत्ता, आर्थिक एवं सामाजिक न्याय चाहते थे। तत्कालीन घटनाओं से यह स्पष्ट था कि उनकी पूर्ण स्वाधीनता के लिए किसी भी प्रकार की सैनिक तैयारियाँ नहीं थी। उनका राष्ट्रपति याहियाखाँ द्वारा दिखाये जा रहे लोकतांत्रिक प्रक्रिया के संकेतों के प्रति आशा और विश्वास था लेकिन पश्चिमी पाकिस्तान की सेना द्वारा योजनाबद्ध ढंग से निहत्थे नागरिको की हत्यायो ने पूर्वी बंगाल की जनता को पूर्ण सार्वभौमिक सत्ता सम्पन्न राज्य का निर्णय लेने के लिए विवश कर दिया। एक स्पष्ट रेखा दृढ़ता के साथ बंगाली बोलने वाले पूर्व के लोगों और पश्चिमी पाकिस्तान के बीच खींच दी गयी। पश्चिम द्वारा पूर्व के बंगालियों का निरन्तर शोषण करने से उनका निर्णय और भी स्थायी हो गया। दुनिया को इसीलिए कोई आश्चर्य नहीं हुआ। काफी समय से इसके लिए भविष्य वाणियां की जा रही थीं। धर्म के अतिरिक्त इन लोगों में कोई समयता नहीं थी। वे जातिगत, सांस्कृतिक, वैधानिक भाषा और जीवन पद्धति आदि रूपों में दो पृथक राष्ट्र थे। उनकी सन्निवना की भी कभी कोई प्रयास नही किया गया।[1]

यह तो स्पष्ट है कि पूर्वी बंगाल के लिए स्वायत्ता की मांग केवल मुजीब के दिमाग की कोई लहर नहीं थी , यह तो पाकिस्तान के निर्माण के समय से ही चल रही थी। स्वायत्ता की मांग वस्तुतः यह आर्थिक स्वायत्ता के लिए मांग थी। पूर्वी बंगाल की यह क्रान्ति आर्थिक और राजनैतिक रूप से शोषित लोगों द्वारा अत्याचारियों के विरूद्ध विद्रोह का परिणाम था।[2]

---

1- बंगालेदेश डाकूमेन्ट पेज 16
2- सन्डे टाइम्स 18 अप्रैल 1971

पूर्वी पाकिस्तान में स्वतंत्रता आन्दोलन नागरिकों के लिए लोकतंत्र और स्वायत्ता की दो मूलभूत मांगों को लेकर प्रारम्भ हुआ। पूर्वी बंगाल की जनता का इसके लिए संघर्ष तो 1948 से ही प्रारम्भ हो गया था जब पश्चिमी पाकिस्तान के शासक वर्ग ने बड़ी चतुरता से उर्दू को पाकिस्तान की राजभाषा के रूप में थोपने का प्रयास किया।

बांगलादेश के इस भाषा वाद के संघर्ष ने 1952 में वृहत रूप धारण कर लिया और धीरे-धीरे यह लोकतंत्र और स्वायत्ता की मांग के रूप में विकसित हो गया।

पूर्वी पाकिस्तान में इस लोकतंत्र और स्वायत्ता की पृष्ठभूमि में 1954 में प्रान्तीय चुनाव लड़ा गया उस चुनाव में सभी विरोधी दलों ने शासक पार्टी मुस्लिम लीग की होड में एक संयुक्त मोर्चा बनाया। संयुक्त मोर्चे के द्वारा मार्च 1954 में 21 सूत्रीय कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया।[1] यूनाइटेड फ्रन्ट के 21 सूत्री कार्यक्रम में 4 सूत्र पूर्ण स्वायत्ता की मांग के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण थे।

1- पूर्वी पाकिस्तान को सभी मामलों में पूर्ण स्वायत्ता प्राप्त होनी चाहिए।

2- जूट के निर्यात के सम्बन्ध में केन्द्र से स्वतन्त्रताहोनी चाहिए।

3- केन्द्र और पूर्वी पाकिस्तान के बीच विदेशी विनिमय के बंटवारे के सम्बन्ध में विचार विमर्श होना चाहिए।

4- पूर्वी और पश्चिम बंगाल के बीच विद्यमान सभी प्रतिबन्धों को समाप्त कर देना चाहिए।

किन्तु पश्चिमी पाकिस्तान के द्वारा उपर्युक्त सूत्रों की इस प्रकार व्याख्या की गयी कि पूर्वी पाकिस्तान के लोगों का यह अपने को स्वतंत्र घोषित करने का प्रयत्न है।[2]

---

1- ज्योति सेन गुप्ता, इक्लिप्स आफ इस्ट पाकिस्तान, कलकत्ता 1963 पृ0 167-68

2- गुप्ता आर0के0 दास- रिवोल्ट इन इस्ट बंगाल-देलही 1971 पृ037

23 मार्च 1956 को पाकिस्तान का पहला संविधान प्रकाशित किया गया। लेकिन पूर्वी पाकिस्तान कोइससे संतोष नहीं मिला, क्योंकि उनके द्वारा काफी समय से की जा रही स्वायत्ता की मांग को पर्याप्त महत्व नहीं दिया गया था और जनसंख्या के आधार पर उनको राष्ट्रीय संसद में उचित प्रतिनिधित्व भी नहीं मिला।[1]

2 अप्रैल 1957 को बंगाल एसेम्बली ने एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें केन्द्र सरकार को केवल प्रतिरक्षा, विदेश सम्बन्ध एवं मुद्रा को छोड़कर पूर्ण स्वायत्ता की मांग की। लेकिन नया संविधान पाकिस्तान की राजनीति को स्थायित्व प्रदान नहीं कर सका। स्थिति बिगड़ती चली गयी। देश इसबात का गवाह है कि 1956 और 1958 के बीच केन्द्र में तीन सरकारें आयीं और चली गयीं उनमें से एक का कार्यकाल तो केवल 3 माह ही रहा।

जनरल अयूब के प्रारम्भिक लोकतंत्र के विचार पर आधारित नये संविधान की 1 मार्च 1962 को घोषणा की गयी। यह पूर्णतः अलोकतांत्रीय संविधान था। पूर्वी बंगाल के नेताओं को इससे कोई प्रसन्नता नहीं हुई क्योंकि उनकी मुख्य मांग तो अपने प्रान्तीय प्रशासन में पूर्ण स्वायत्ता की मांग थी। स्वायत्ता के लिए आन्दोलन जारी रहा। बांगलादेश की स्वायत्ता की कहानी शेख मुजीब को बार-बार गिरफ्तार करने और नजरबन्दी की अवधि को बढ़ाने की पुनरावृत्ति की कहानी है।[1] मुजीब विविधता में एकता पर आधारित सर्वोत्तम संघवाद और अधिकतम स्वशासन और न्यूनतम केन्द्रीय आधिपत्य के सिद्धान्त के प्रधान समर्थक थे।[2]

शेख मुजीब का स्वायत्ता कार्यक्रम पूर्वी पाकिस्तान की स्वायत्ता तक ही सीमित नहीं था। शेख ने अपने स्वायत्ता का कार्यक्रम सम्बन्धी अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि " हमारे स्वायत्ता कार्यक्रम का उद्देश्य केवल पूर्वी

---

1- एस0 आर0 शर्मा -बंगलादेश क्राइसेस एन्ड इण्डियन फारेनपालिसी पृ0 19
2- आई0एन0 तिवारी- वार इन इन्डीपेन्डेस इन बंगलादेश-इन्द्रप्रस्थ प्रेस न्यू देलही।

शेख मुजीब ने पूर्वी पाकिस्तान की स्वायत्ता के लिए 13 फरवरी 66 को 6 सूत्रीय मांग पत्र तैयार किया, और वहीभावी विवाद का मुख्य स्रोत हो गया।

पूर्व निर्धारित तिथि 7 दिसम्बर को आम चुनाव सम्पन्न हुए। अवामी पार्टी ने 1970 के आम निर्वाचन में 6 सूत्री कार्यक्रम को ही अपने चुनाव अभियान में घोषणा पत्र का आधार बनाया। नये संविधान के शासक के सम्बन्ध में इनको प्रस्तुत किया। ये निम्नलिखित थे।

1- मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन सन् 1940 के स्वायत्ता प्रस्ताव के आधार पर पाकिस्तान के दो भाग व अनेक राज्य बनाये जांय और एकात्मक शासन प्रणाली के स्थान पर संघात्मक शासन प्रणाली अपनायी जाय जिनमें संसदीय शासन प्रणाली की व्यवस्था हो और राष्ट्रीय सभा वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति पर गठित हो।

2- संघात्मक सरकार के पास केवल दो ही विभाग रहे- परराष्ट्र नीति एवं सुरक्षा और शेष सभी अधिकार संघीय इकाइयों में निहित होना चाहिए।

3- दोनों भागों के लिए वित्तीय व्यवस्था पृथक-पृथक रहे।

अ- दोनों भागों के लिए अलग-अलग मुद्रा हो जिनका बेरोक टोक एक दूसरे से विनिमय हो सके।

ब- या विकल्प के रूप में दोनों देशों के लिए एक ही प्रकार की मुद्रा हो वशर्ते कि पूर्वी क्षेत्र से पश्चिमी क्षेत्र को पूंजी पलायन के विरुद्ध कानूनी प्रतिबन्ध लगायी जांय।

4- कर लगाने व राजस्व वसूली के अधिकार संघ में सम्मिलित राज्यों के पास रहें, केन्द्रीयव्यय का प्रबन्ध राज्यों के करों में से केन्द्र के निर्धारित भाग में से हो।

5- विदेशी व्यापार काखाता प्रत्येक भाग का अलग-अलग रखा जाय। संघ सरकार की आवश्यकताएं दोनों भागों द्वारा समानता के अनुपात में पूरी की जांय या किसी निश्चित आधार पर जिस पर दोनों सहमत हों।

6- प्रतिरक्षा के विषय में पूर्वी बंगाल आत्म निर्भर हो। संघ की प्रान्तीय इकाइयों को सैनिक और अर्द्धसैनिक बलों को संस्थापित करने का अधिकार होना चाहिए जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा में प्रभावी ढंग से सहयोग हो सके।

7 दिसम्बर को राष्ट्रीय एसेम्बली के चुनाव सम्पन्न हुए। शेख मुजीब के नेतृत्व में आवामी लीग को राष्ट्रीय एसेम्बली में पूर्ण बहुमत मिल गया। संसदीय परम्परा के अनुसार आवामी पार्टी को सरकार बनाने के लिए बुलाना चाहिए लेकिन शासक दल ने इसकी पूर्णतः उपेक्षा की। 19 दिसम्बर 1970 को शेख मुजीब ने चेतावनी दी कि 6 सूत्री कार्यक्रम पर आधारित होने के अतिरिक्त कोई भी संविधान नहीं हो सकेगा।[1]

राष्ट्रीय सभा की बैठक के स्थगन आदेश से पूर्वी बंगाल में आम हड़ताल एवं नागरिकों द्वारा सार्वजनिक अविज्ञा आन्दोलन के रूप में भारी रोष बढ़ गया। याहिया खाँ ने पूर्वी पाकिस्तानियों को राष्ट्रीय सभा का अधिवेशन 25 मार्च को बुलाने का आश्वासन दिया।

मुजीब ने कहा कि वह चार शर्तों के पूरा होने पर ही राष्ट्रीय सभा की बैठक में भाग लेंगें।

1- फौजों को अपनी बैरकों में वापस भेजा जाय।

2- सेना द्वारा मारे गये लोगों की न्यायिक जाँच हो।

3- मार्शल ला उठाया जाय।

4- निर्वाचित लीग प्रतिनिधियों को सत्ता हस्तान्तरित की जाय।

---

1- एशियन रिकार्डर 1971 (मई 14-20) पृ0 10150

शेखमुजीब ने कहा कि ,आवामी लीग की महानिर्वाचन में सफलता बांगलादेश के दबे और शोषित लोगों की निः स्वार्थो के प्रति विजय है। यह 6 सूत्री कार्यक्रम का जनमत संग्रह था, जिससे मनुष्य का मनुष्य के द्वारा एक क्षेत्र का दूसरे क्षेत्र के द्वारा शोषण समाप्त हो गया।"[1] उन्होने आगे कहा कि पूर्वी बंगाल की जनता का मुख्य उद्देश्य अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए पूर्ण स्वायत्ता प्राप्त करना है। इसके लिए हमारा संघर्ष जारी रहेगा। वर्तमान संघर्ष का मुख्य उद्देश्य सैनिककानूनो को तुरन्त समाप्त करके ,चुने हुए प्रतिनिधियों को सत्ता हस्तान्तरित करनी चाहिए। जब तक हमारा उद्देश्य प्राप्त नहीं होता हमारा अहिंसात्मक असहयोग आन्दोलन जारी रहना चाहिए।[2]

शेख ने हृदयस्पर्शी शब्दों में कहा कि " बांगलादेश में स्वतन्त्रता की भावना को दबाया नहीं जा सकता है। हम जीते नहीं जा सकते हैं,क्योंकि हममे से प्रत्येक ने मरने का दृढ संकल्प लिया है। यदि हमारी भावी पीढ़ियों को यह विश्वास है कि हम स्वतंत्र देश के स्वतंत्र नागरिक के रूप में गरिमा के साथ रहेगें तो मैं लोगों से किसी भी बलिदान के लिए तैयार रहने की अपील करता हूँ।[3]

लेकिन पाकिस्तानी शासकों का यह आरोप गलत था कि मुर्जीबुर्रहमान पूर्वी बंगाल को पाकिस्तान से अलग करना चाहते थे। उनके 6 सूत्री कार्यक्रम में अलगाव के लिए कोई स्थाननहीं था।[4] उन्होने विभाजन के सम्बन्ध में कभी नहीं कहा वे तो केवल पाकिस्तान के संघीय ढाँचा के अन्तर्गत स्वायत्ता चाहते थे।

किन्तु भुट्टो आवामी लीग से सहमत नहीं हुए और उन्होने ने कहा कि पाकिस्तान की एकता के लिए कर व्यवस्था,व्यापार और विदेशी सहायता

---

1- दि डाउन-करांची- दिसम्बर 18, 1970
2- दि डाउन -करांची- 8 मार्च 1971
3- दि डाउन -करांची मार्च 16, 1971
4- दि पिपुल -ढाँका-26 अक्टूबर 1970

को केन्द्र सरकार के अन्तर्गत रहना चाहिए।[1] भुट्टो ने कहा कि पाकिस्तान जिस स्थिति का सामना कर रहा है, वह उसकी भौगोलिक दूरी के कारण है, बहुमत के शासन का नियम यहाँ लागू नहीं हो सकता है। मि0 भुट्टो ने यह कहा कि केन्द्र में सत्ता दोनों भागों के बहुमत वाले दलों और प्रान्तों में प्रान्तों के बहुमत वाले दलों को सौंपनी चाहिए।[2]

मि0 भुट्टो के विचारों पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए ताहिर मसूद ने कहा कि " इतिहास भुट्टो को इस राजनीतिक संकट पैदा करने के कारण कभी क्षमा नहीं करेगा।[3] मईन निजामुद्दीन हैदर ने एक वक्तव्य में कहा कि " मि0 भुट्टो में सत्ता का विभाजन करके देश का विभाजन प्रस्तुत करता है। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी का प्रमुख चाहता था - दो संविधान, दो सरकारें और दो देश।[3]

इस गम्भीरराजनीतिक संकट को देखकर आवामी लीग ने 8 मार्च 1971 से नागरिक अविज्ञा आन्दोलन प्रारम्भ कर दिया था।[4]

लेकिन अब तक पाकिस्तान की सरकार ने बंगालियों की स्वायत्ता की मांग पर कोई ध्यान नहीं दिया और उल्टे उनकी लोकप्रिय भावनाओं को कुचलने का अभियान प्रारम्भ कर दिया । जिसके परिणाम स्वरूप मुक्ति वाहिनी जिसे मौलिक रूप से मुक्ति फौज कह सकते हैं। 25-26 मार्च 1971 को अस्तित्व में आ गयी।[5]

जब यह स्पष्ट हो गया कि पाकिस्तान की सैनिक शक्ति ने बंगालियों के आत्म निर्णय के लिए संघर्ष को कुचलने का अभियान प्रारम्भ कर दिया है। 26 मार्च 1971 को गृहयुद्ध छिड़ गया और आवामी नेता मुजीब ने एक सार्वभौमिक स्वतन्त्र लोकगणतन्त्रीय गणराज्य की घोषणा की।[6]

---

1-एशियन रिकार्ड्स 1971 (अप्रैल 9-15) कालम 1 पेज 10089
2-दि डाउन करांची, 16 मार्च 1971
3-वही 15 मार्च 1971
4-दि पाकिस्तान टाइम्स लाहौर 16 मार्च 1971
5-एशियन रिकार्डर 1971 (मई 14-20) कालम 11 पेज 10150
6-चौधरी सबरात राय- दि जेनसिस आफ बंगलादेश- एशियन पब्लिशिंग हाउस न्यूयार्क 1972 पृ0 155

शेख मुजीब ने कहा कि सैनिक शासकों के पास दौलत है उनके पास शक्ति और क्षमता है जिसे वे हमारे लोगों के विरूद्ध प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन इतिहास इसका साक्षी है कि संकल्प शक्ति रखने वाले लोग ही इस प्रकार की सैनिक शक्तियों का सफलता पूर्वक सामना कर सकते हैं।[1] और इसी संकल्प के साथ पूर्वीबंगाल की जनता का अन्तिम उद्देश्य पूर्ण स्वायत्तता प्राप्त करना है। तभी हम अपने मौलिक अधिकार एवं नागरिक स्वतंत्रताओं की रक्षा करने में सफल हो सकते हैं।

---

1- कश्यप एस०सी०- बैकग्राउन्ड एन्ड प्रासपेक्टिव- दि इन्स्टीट्यूट आफ कांस्टीटयूशनल एन्ड पार्लियामेन्टी स्टडीज- नेशनल पब्लिशिंग हाउस 1971।

## 2. पश्चिमी पाकिस्तान के अधिनायकों द्वारा पूर्वी पाकिस्तान की जनता का दमन

जब पूर्व पाकिस्तान की जनता ने अपने आर्थिक शोषण और मौलिक अधिकारों के हनन के विरूद्ध स्वतन्त्रता अभियान का कार्यक्रम घोषित करके अपनी पूर्ण स्वायत्तता की न्यायोचित माँग रखी, तो उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप पश्चिमी पाकिस्तान के सैनिक अधिनायकों ने पूर्वी पाकिस्तान की निर्दोष जनता का क्रूरता पूर्ण दमन आरम्भ कर दिया।

जो वृक्ष मुहम्मद अली जिन्ना ने लगाया था, उसके कड़ुए फल मुसलमानों को चखने को मिलने लगे। इससे साबित हो गया कि मजहब किसी देश के जीवन का आधार नहीं हो सकता है। पाकिस्तानी बंगालियों को भारतीय बंगालियों से तो सहारा मिला पर अपने मुस्लिम भाइयों यानि पंजाबियों से बन्दूक की गोलियां ही मिलीं।[1]

एन0सी0 मेनन[2] के अनुसार पाकिस्तानी सेना ने जिस तरह पूर्वी पाकिस्तन की जनता को रौंदा उसकी कोई दूसरी मिशाल नहीं है। पश्चिमी पाकिस्तान की फौजों ने केवल कत्लेआम हीं नहीं किया बल्कि लाशों को इकट्ठा कर उन पर बुलडोजर चलाया और लाशों को पीसकर जमी जोंद कर दिया।

शिशिर गुप्ता ने लिखा है कि संवैधानिक लोकतन्त्रीय अधिकारों के वास्तविक हकदारों पर पाकिस्तानी सेना की विधिवत सैनिक कार्यवाही 18दिन तक चलती रही। नादिरशाह, चंगेज खाँ और हिटलर के खूनी कारनामें फीके पड़ गये मगर विश्व की छोटी-बड़ी सभी शक्तियां कूटनीति के तराजू पर हानि-लाभ तौलने मे व्यस्थ रहीं।[3]

---

1- दिनमान पत्रिका 4 जुलाई 1971 पृ0 5

2- वही 11 अप्रैल 1971 पृ0 34

3- वही 18 अप्रैल 1971 पृ0 32 (मि0 शिशिर गुप्ता, जवाहर लाल विश्वविद्यालय में कूटनीति के एक प्रोफेसर हैं)

एक ईसाई पत्रकार एन्थोनी मैसकरहेन्स कहता है कि पश्चिमी पाकिस्तान के अधिनायकों ने पूर्वी पाकिस्तान की जनता का दमन करना ही समस्या का समाधान समझ लिया था। हिटलर के समय से ऐसा पैशाचिक पापकर्म किसी ने नहीं किया था।[1]

वर्तमान युग में कोई भी ऐसी विपत्ति नहीं आयी जिसमें इतनी अधिक मानवजाति एवं भौतिक सम्पदा की बरबादी की हो जितनी कि बंगालादेश में हुई जिसे राजनीतिक दृष्टि से पूर्वी पाकिस्तान और भौगोलिक दृष्टि से पूर्वी बंगाल माना जाता था। उस व्यापक नरसंहार की गवाही आज भी विश्व दे रहा है। लगभग तीन लाख लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया, जिनमें देश के योग्यतम बुद्धिजीवी, समाजसेवी और खेलते हुए सुन्दर पुष्पों की तरह नवनिहार युवक भी थे। एक करोड़ से अधिक लोग अपने घरों को छोड़कर अपने पड़ोसी देश भारत में पलायन कर गये। इस प्रकार साढ़े सात करोड़ की समस्त आबादी अकथनीय यातनाओं की शिकार बन गयी।[2]

किन्तु इस सम्पूर्ण संकट के लिए राष्ट्रपति याहिया खाँ ही जिम्मेदार थे। यदि उन्होने राष्ट्रीय सभा का अधिवेशन स्थगित न करके संसदीय परम्पराओं के अनुसार बहुमत प्राप्त दल के नेता को सत्ता हस्तान्तरित कर दी होती, तो पाकिस्तान की जनता को ये दुर्दिन न देखने पड़ते।

शेख मुजीबुर्रहमान ने यह स्पष्ट कर दिया था कि देश की वर्तमान स्थिति के लिए न तो वह और न कोई अन्य व्यक्ति जिम्मेदार है। जिम्मेदार तो वे षडयंत्रकारी लोग हैं, जो निर्वाचित प्रतिनिधियों को शान्तिपूर्ण ढंग से सत्ता हस्तान्तरित नहीं करना चाहते। बहुमत प्राप्त दल आज भी उपेक्षित है।[3]

प्रबोध चन्द्र ने लिखा है[4] कि पूर्वी पाकिस्तान की जनता को जब यह अनुभव होने लगा कि सैनिक शासक देश की सत्ता निर्वाचित प्रतिनिधियों को

---

1- मैस कर हिंस, अन्थोनी- दि रेप आफ बंगलादेश पृ0 117
2- शर्मा, एस0आर0 -बंगालादेश क्राइसेस -फैक्चुअल बैकग्राउन्ड पृ0 15
3- दि डाउन- करांची 4 मार्च 1971
4- चन्द्र प्रबोध- ब्लड बाथ इन बंगलादेश पृ0 112

हस्तान्तरिक न करके विभिन्नप्रकार के हथकन्डे अपना रहे हैं। तब पूर्वी पाकिस्तान की जनता ढाका की गलियों और सड़को पर आ गयी और उसने शेख मुजीब से पूर्वी पाकिस्तान की सम्पूर्ण स्वाधीनता के लिए आग्रह किया। लेकिन शेख फिर भी समस्या के राजनीतिक समाधान के लिए प्रयत्नशील रहे। जुल्फकार अली भुट्टो और शेख मुजीबुररहमान के बीच वार्ता चलती रही और बाद में शेख और याहिया के बीच भी विचार विमर्श चलता रहा। किन्तु ये सभी वार्ताएं निस्फल रहीं और अन्त समय में ही यह स्थिति तोपों की गड़गड़ाहट में बदल गयी। बन्दूकें, तोपें, अवैध टैन्क और तोपधारी नावें पाकिस्तान की एकता को बनाये रखने के लिए अन्त तक प्रयत्नशील रहीं। उसी तरह स्वाधीनता आन्दोलन की शक्तियां भी समान रूप से सक्रिय हो गयीं। और कुछ समय बाद उन्होने उस भारी सिद्धान्तविहीन सैन्य संगठन के विरूद्ध जो सफलता प्राप्त की है वह बेमिशाल है।

25 मार्च को राष्ट्रपति याहिया खॉ मि० भुट्टो एवं अन्य उनके साथी ढाका से सेना को अपने कर्तव्य पालन का निर्देश देकर इस्लामाबाद के लिए रवाना हो गये। 26 मार्च को सेना युद्ध स्तर पर निहत्थे पूर्वी पाकिस्तान के लोगों पर सैनिक दमन के लिए टूट पड़ी। शेख मुजीब ने स्वतन्त्रता, सार्वभौमिक बंगलादेश राज्य की घोषणा कर दी। पाकिस्तान का इस्लामिल राज्य एकाएक उन्ही सीमाओं में सिकुड़कर रह गया जिसको इकबाल आदि ने कल्पना की थी।

ताजुद्दीन अहमद ने[1] एक विदेशी सम्बाददाता से उस समय एक साक्षात्कार में कहा था कि " हम पाकिस्तान के लोगों के लिए लोकतांत्रिक अधिकारों की स्थापना करना चाहते हैं और अन्त तक इसी के लिए हमारा सर्वोत्तम प्रयास होगा।

पूर्वी पाकिस्तन के नेताओं द्वारा बंगलादेश को एक स्वतन्त्र राज्य घोषित कर देने के बाद सेना का दमन चक्र अब और तीव्र हो गया। इस सम्बन्ध में ए०एच०एम० कमरूज्जमा ने 30 मई 1971 को अपने एक वक्तव्य में कहा, के

1-हिन्दुस्तान टाइम्स 29 मई 1971

"सेना अब निर्दोष बच्चों और नागरिकों की हत्या तथा औरतों के साथ सामुहिक बलात्कार कर रही है। वह हमारी राष्ट्रीयता को चुनौती दे रही है। बांगलादेश के लोगों के लिए इन हालातों में पाकिस्तान के लोगों के साथ रहना असम्भव है, क्योंकि याहियाखाँ और उसके पिछलग्गू बांगलाजाति को नष्ट करने के लिए प्रयत्नशील हैं।

सेना द्वारा पूर्वी पाकिस्तान के लोकप्रिय राजनेता शेख मुजीबुर्रहमान सहित आवामी पार्टी के सभी शीर्षस्थ नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। 25 मार्च की रात्रि में ढाका राजधानी में सेना के टैन्को का पहला निशाना ढाका विश्व विद्यालय के प्रोफेसर, छात्र और छात्राएं बने, क्योंकि वे भी अपने वैधानिक अधिकारों के लिए हो रहे संघर्ष में अग्रगणी थे।[1]

पेरिस के समाचार पत्र ले- माण्डे ने उसी समय अपनी टिप्पणी में कहा था कि " याहिया दमन चक्र आरम्भ किये हुए है और पाशविकता के उस स्तर तक पहुँच गया, जहाँ तक पहले किसी ने सोचा भी न होगा।[2] पाकिस्तानी सैनिक गाँवों को केवल इसलिए जला रहे हैं क्योंकि वहाँ पर प्रतिशोधक शक्तियाँ छिप न जांय। पड़े हुए किसानों के शवों पर गिद्ध झूप-झूप कर घिर रहे हैं और कुत्ते और कौए उनको खींच-खींच कर ले जा रहे हैं।[3]

इस प्रकार सैनिक तानाशाह याहिया खाँ के निर्देशन पर जो सैनिक अभियान 25 मार्च 1971 को आरम्भ हुआ था। उस खूनी पाकिस्तानी सेना ने लगभग 2,00000 निर्दोष लोगों की हत्या के साथ अपनी रक्त पिपाशा को शान्त किया और सेना के इस भय और आतंक से व्याकुल होकर लाखों लोगों को अपने प्राणों की रक्षा के लिए भारत में शरण लेने के लिए विवश होना पड़ा।[4]

---

1- वाशिंगटनपोस्ट 30 मार्च 1971
2- लि माण्डे पेरिस 9 अप्रैल 1971
3- न्यू यार्क टाइम्स 14 अप्रैल 1971
4- वाशिंगटन- डेली न्यूज 30 जून 1971

एस0एस0 सेठ ने लिखा है कि 26 मार्च 1971 को अपनी गिरफ्तारी से कुछ घंटो बाद शेख मुजीब ने घोषणा की थी कि " उनके पास बन्दूकें हैं वे हमे मार सकते हैं, लेकिन उनको यह मालुम होना चाहिए कि वे साढ़े सात करोड़ लोगों की आत्मा को कभी नहीं मार सकते" उनके यह शब्द भविष्य में सत्य सिद्ध हुए। [1]

वास्तव में यदि लोगों के स्वाधीनता के अधिकार की कीमत खून ही है तब तो बांगलादेश ने इसके लिए अधिक चुका दिया। अभी हाल के सभी संघर्षों में जो राष्ट्रीय आन्दोलन के रूप में सरकारों को गिराने और सीमाओं को बदलने के लिए हुए हैं। पूर्वी पाकिस्तान की लड़ाई सबसे अधिक खूनी और अल्पकालिक हुयी है। पूर्वी पाकिस्तान की जनता ने बहुत अधिक दुःखों को भोगा है।

---

1- सेठ एस0एस0-दि डिसीसीव बार इमरजेन्स आफ ए न्यू नेशन पृ0 ।

### 3. पूर्वी पाकिस्तान के नेताओं द्वारा विश्व के राष्ट्रों और महाशक्तियों से मानव अधिकारों की रक्षा की याचना:

निर्वासित सरकार के प्रधानमंत्री ताज्जुद्दीन अहमद ने बड़े ही मार्मिक एवं हृदय विदारक शब्दों में विश्व के राष्ट्रो एवं महाशक्तियों से याहिया शासन की क्रूरताओं का जिक्र करते हुए बांगलादेश के नागरिको के अधिकारों की सुरक्षा के लिए सहयोग देने की अपील करते हुए कहा, " पाकिस्तान अब मर चुका है और लाशों के ढेर के नीचे दफना दिया गया है। पूर्वी पाकिस्तान में सेना द्वारा मारे गये सैकड़ों और हजारों लोग पश्चिमी पाकिस्तान और बांगलादेश के लोगों के बीच अभेद्य अवरोधक के रूप में कार्य करेंगें। याहिया खाँ को यह समझ लेना चाहिए कि उसका बंगला जाति को समूल नष्ट करने का पूर्व नियोजित अभियान पाकिस्तान की स्वयं ही कब्र खोद रहा था।"[1]

विश्व के राष्ट्रो एवं उन महाशक्तियों को यह अनुभव करना चाहिए कि पाकिस्तान अब मरा हुआ है औरउसकी याहिया द्वारा ही हत्या की गयी है। बांगलादेश अब एक वास्तविकता है जो साढ़े सात करोड़ लोगों की जीवन्त इच्छा शक्ति द्वारा जीवित है और प्रतिदिन इस राष्ट्र को वे अपने खून के द्वारा सींच रहे हैं। अब दुनियां की कोई भी शक्ति इस नये राष्ट्र को मिटा नहीं सकती है। विश्व की छोटी और बड़ी शक्तियां अभी अथवा कुछ समय बाद राष्ट्रो के विश्व समुदाय में स्वीकार कर लेगी तभी नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा हो सकती है।"[2]

इसलिए यह बड़ी शक्तियों के राजनैतिक और मानवीय हित में है, कि वे अब याहिया पर पूरा प्रभाव डालकर उन हत्यारों को पश्चिमी पाकिस्तान बुलाकर उनको कैद खाने में बन्द करें। हम सोवियत संघ और भारत एवं उनसभी

---

1- प्रेस स्टेटमेन्ट आफ मि० ताज्जुबद्दीन अहमद- 17 अप्रैल 1971-इन हिन्दुस्तान टाइम्स

2- वही।

स्वतन्त्रता प्रेमी देशों के हृदय से आभारी हैं जिन्होने इस संघर्ष में हमें पूरा सहयोग दिया है। हम इसी तरह चीन ,अमेरिका, फ्रान्स ,ग्रेट ब्रिटेन एवं अन्य सभी राष्ट्रों के सहयोग कास्वागत करेगें। इनमें सभी को अपनी शक्ति एवं प्रभाव का प्रयोग करना चाहिए जिससे याहिया बांगलादेश के विरूद्ध एक दिन भी अपने इस युद्ध अपराध को आगे न बढ़ा सकें, जिससे वहाँ की जनता के मानवीय अधिकार जीवित रह सकें।"

श्री अहमद ने आगे कहा कि " हम विश्व के राष्ट्रो से अपील करते है कि वे हमारे राष्ट्रीयता के संघर्ष को भौतिक एवं नैतिक समर्थन प्रदानकरें, क्योंकि एक दिन के विलम्ब से हजारों जाने जा रहीं हैं और पूर्वी बंगाल की जनता की बहुत बड़ी पूँजी नष्ट की जा रही है। अब मानवता के नाम पर सहयोग करो और हमारी अमर मित्रता को प्राप्त करो।"

बांगलादेश की जनता के मौलिक अधिकारों की रक्षा तभी हो सकती है जब विश्व के राष्ट्र बांगलादेश को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता प्रदान कर दें। अतः आज विश्व के राष्ट्रों के सामने बांगलादेश का मामला उपस्थित है। कोई देश इससे अधिक मान्यता का अधिकारी नहीं हो सकता है और न ही कोई राष्ट्र अपने देश के नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए इतना लड़ा होगा।[1]

क्योंकि वे तो जातीय घृणा और मानवता के तत्वों का विनाश करने की लालसा से कार्य कर रहे थे।[2]

पूर्वी पाकिस्तान की कम्युनिष्ट पार्टी के केन्द्रीय समिति के सचिव अब्दुल सलम ने बांगलादेश में मानव अधिकारों के हनन के सम्बन्ध में विश्व के विभिन्न राष्ट्रों से अपील करते हुए कहा कि "विश्व के लोग उस वास्तविकता

---

1- हिन्दुस्तान टाइम्स 17 अप्रैल 1971
2- आई0एन0 तिवारी- वार आफ इन्डेपेन्डेन्स इन बांगलादेश पृ0 167

से परिचित हो गये हैं कि पूर्वी पाकिस्तान को (अब बाँगलादेश) में प्रतिक्रिया-वादी पाकिस्तान का शासक दल बंगाली जनता को समूल नष्ट करने का अकथनीय प्रयास कर रहा है। पिछले पाँच सप्ताहों में लाखों लोग मार दिये गये हैं। जिनमें प्रमुख राजनीतिज्ञ एवं बुद्धिजीवी हैं। इस प्रकार की मानव जाति एवं धन सम्पदा की आज भी अमर्यादित बर्बादी हो रही है। लगभग 1 करोड़ असहाय एवं धनाभाव से पीड़ित लोग अपने जीवन रक्षा की आशा में सीमा पार करके भारत में शरण लिए हुए हैं।

पूर्वी बंगाल की कम्युनिस्ट पार्टी विश्व के साम्यवादी आन्दोलन से यह आशा करती है कि उसे निर्दयी एवं क्रूर शत्रु के विरूद्ध मातृभूमि के मुक्ति संग्राम में उसका सहयोग प्राप्त होगा जिससे बाँगलादेश की जनता के मानव अधिकार जीवित रह सकें।[1]

बाँगलादेश की नेशनल आवामी पार्टी के नेता मौलाना भसानी ने विश्व के राष्ट्रों से अपील की कि बाँगलादेश के लिए पूर्ण स्वाधीनता ही पश्चिमी पाकिस्तान द्वारा बंगालियों के अमानवीय शोषण से उनके मानव अधिकारों की रक्षा की समस्या का समाधान है। भसानी ने आगे कहा कि यह तो बड़े आश्चर्य की बात है कि जो देश अभी तक दबे हुए और सताए गये लोगों की सहायता के लिए दुनिया भर में खड़े रहते थे। आज वही बंगलादेश में मानवजाति की दुष्टता पूर्ण बर्बादी के लिए अब बिल्कुल मौन हैं। उन्होंने कहा कि मैंने सोवियत प्रधानमंत्री कोशीजन, चीन के प्रधानमंत्री माओत्से तुंग, अमरीका के राष्ट्रपति मि० निक्सन और ब्रिटिश प्रधानमंत्री मि० हीथ से कहा है कि वे लोग पाकिस्तान के झूठे प्रचार से भ्रमित न होकर बाँगलादेश में अपने दूतों को भेजकर स्थिति का सही जायजा लें, कि किस तरह से पश्चिमी पाकिस्तान की सरकार बंगालियों के अधिकारों का शोषण कर रही है।

---

1- टेक्स्ट आफ दि लेटर आफ सेन्ट्रल कमेटी आफ दि कम्युनिष्ट पार्टी आफ इस्ट पाकिस्तान (बांगलादेश) टू इन्टरनल कम्युनिस्ट एन्ड वर्कर्स पार्टीज दिनांक 31 मई 1971 इन बांगलादेश डाकूमेन्ट्स पृ० 307

अवामी नेता ने आगे कहा कि ,अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति की उदासीनता आश्चर्य जनक है। आज विश्व समुदाय शान्त दर्शकों की तरह देख रहा है। जबकि बाँगलादेश के लोग खून से भीग चुके हैं। विश्व में कोई भी ऐसा देश नहीं है, जिससे बाँगलादेश सरकार को मान्यता देने के लिए निवेदन न किया हो। अभी तक उन्होने केवल सहानुभूति ही दर्शायी है। नेशनल अवामी नेता ने भारत के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करते हुए कहा कि, भारत ही ऐसा देश है ,जो लाखों बंगला शरणार्थियो के जीवन रक्षा के लिए भोजन ,आवास आदि की व्यवस्था कर रहा है। उन्होने दुःख अनुभव करते हुए कहा कि दुनिया में कोई ऐसा देश नहीं है ,यह चाहे समाजवादी हों अथवा साम्राज्यवादी जिसने बाँगलादेश की जनता की दयनीय दशा पर ध्यान दिया हो।"[1]

मौलाना भसानी ने एक वक्तव्यमें कहा कि ," चीन में चियाँग काई शेक और रूस में जार, अविभाजित भारत में ब्रिटिश सरकार के अथवा कारबाला में जालिम याजीद के जुल्मों के अत्याचार के उदाहरण अभी हाल के इन अमानवीय अत्याचारों के सामने फीके पड़ गये हैं"।[2]

पश्चिमी पाकिस्तान के सैनिक अधिनायकों से बंगालियों के स्वतन्त्रता संग्राम को सहयोग देने के लिए बाँगलादेश के राष्ट्रपति सैयद नजरूल इस्लाम ने इस्लामिक सम्मेलन के महासचिव अब्दुल रहमान को एक तार भेजकर कहा कि, " बाँगलादेश के नरमेघ को तत्काल रोकने के लिए उन्हे अपने प्रभाव और शक्ति का प्रयोग करना चाहिए।" तार में पाकिस्तानी सेना द्वाराकी गयी व्यापक बर्बादी का जिक्र करते हुए उन्होने अपील की कि " पवित्र इस्लाम के नाम पर अपने दोषों को छिपाने के लिए पश्चिमी पाकिस्तान के युद्ध के स्वामी पूर्वी बंगाल की जनता पर जघन्य अपराध करकेउनके मौलिक अधिकारों को रौंद रहे हैं।"[3]

---

1- इण्डियन एक्सप्रेस । जून 1971

2- हिन्दुस्तान स्टैन्डर्ड 24 अप्रैल 1971

3- स्टेटसैमैन 25 जून 1971

बांगलादेश के गृहमंत्री के0ए0एच0एम0 कमरूज्जमाँ ने एक प्रेस रिपोर्ट में कहा , कि मुट्ठि दुश्मन को बाहर निकालने में मुक्ति फौजे समर्थ हैं,हम उन सभी राष्ट्रों का स्वागत करते जो मानव अधिकारों की सर्वोच्चता और लोकतंत्र में विश्वास करते हैं और अपना भौतिक एवं नैतिक समर्थन दे रहे हैं।[1] कमरूज्जमा ने आगे कहा कि " उनकी सरकार और जनता भारत और उसके प्रति बहुत ही शुक्रगुजार है जिन्होने पूर्वी बंगाल की जनता के मानवीय अधिकारों और हितों की रक्षा के लिए अपना दृढ़ता पूर्वक सहयोग दिया है।"[2]

---

1- दि टाइम्स आफ इण्डिया 25 जून 1971
2- वही 12 अगस्त 1971

4. शरणार्थियों का भारत आगमन- भारत के लिए गम्भीर समस्या

जहाँ तक भारत के वित्तीय संसाधनों का सम्बन्ध है वह एक गरीब देश है लेकिन जहाँ तक भारतवासियों के हृदय का सम्बन्ध है, भारत कभी भी गरीब नहीं रहा है। एक पड़ोसी देश के दुष्कर्मों से उत्पन्न हुयी, यह मुख्यरूप से मानवीय समस्या थी। भारत सरकार ने मानवता के आधार पर ही पूर्वी बंगाल से आने वाले शरणार्थियों के प्रवेश के लिए आज्ञा दे दी थी।[1]

मार्च 1971 में बांगला देश के लोगों द्वारा स्वतन्त्रता की घोषणा करने पर पाकिस्तान के सैनिक शासकों ने तत्काल ही प्रतिघात करना प्रारम्भ कर दिया। सैनिक शासकों की क्रूरताओं से सामान्य व्यक्ति को अपना घर-बार छोड़कर भारत के पड़ोसी राज्यों में शरण लेने के लिए विवश होना पड़ा। भारत में एक करोड़ शरणार्थियों का प्रवेश हो गया। जब से मानव जाति का इतिहास प्रारम्भ हुआ है, इतनी बड़ी संख्या में किसी भी अन्य देश में शरणार्थियों का कभी भी प्रवेश नहीं हुआ है। यह द्वितीय विश्वयुद्ध के समय भी बेघर बार हुए लोगों की संख्या से भी अधिक थी। भारत में आये शरणार्थियों की संख्या विश्व के लगभग 98 देशों की जनसंख्या से अधिक थी। इससे भारत पर तात्कालिक आर्थिक प्रभाव सुनिश्चित हो गया।[2]

शरणार्थियों का भारत आगमन पश्चिमी पाकिस्तान द्वारा भारत के विरूद्ध एक जातीय जनसंख्या के आक्रमण के अपराध के समान था।[3] जैसा कि भारत के प्रवक्ता ने अन्तर्राष्ट्रीय कानून पर संयुक्त राष्ट्र संघ की छठवीं समिति में कहा था," यह एक प्रकार का अनोखा रक्तहीन आक्रमण था, जिसके परिणाम स्वरूप बहुत बड़ी संख्या में लाखों मानवजीवों को विवश होकर अनवरत रूप से दूसरे देश

---

1- सेठ एस0एस0- द डिसीसिव वार इमरजेन्स आफ ए नेशन-पृ0 67-68
2- चरनजीत, चानना- इकोनामिक्स आफ बांगलादेश पृ0 57
3- डेली टेलीग्राफ- लन्दन- 30 मार्च 1971

में भाग कर आना पड़ा। संक्षेप में पाकिस्तान ने अघोषित युद्ध के रूप में युद्ध जैसी परिस्थितियों को पैदा कर दिया।[1]

तभी पाकिस्तानी शासकों के अत्याचारों से पीड़ित लोग बांगलादेश के सभी क्षेत्रों से सिर पर बाँस,टीन और सीमेन्ट की चद्दरें ,कुछ घरेलू सामान की पोटरी बांधे हुए स्त्री,पुरूष,बच्चे सीमा पार करते हुए जीवन रक्षा की लालसा में भारत के पूर्वी राज्यों में आये। उनके चेहरों पर परेशानी अपने भाग्य के प्रति अनिश्चितता और व्याकुलता थी। वे भूखे ,अधथके और बीमारी जैसी स्थिति में अपने पुराने पड़ोसी घर में प्रवेश कर रहे थे। पालवेयर विकली लिखता है,भारत वर्ष जिसे पाकिस्तान अपना नम्बर एक का दुश्मन मानता है, उसने मानवीय कारणों से पूर्वी पाकिस्तान से आने वाले शरणार्थियों की बहुत बड़ी संख्या के लिए आवास,शरण और भोजन की व्यवस्था की जबकि उसकी बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण,स्थिति स्वयं भयानक है।[2]

बांगलादेश से आने वाले शरणार्थियों के कुछ आंकड़े[3]

| | | |
|---|---|---|
| 1- | भारत में आने वाले शरणार्थियों की संख्या (31-7-1971 तक) | 82,81,220 |
| | शिविरों में | 57,37,264 |
| | शिविरों से बाहर | 25,43,956 |

2- शरणार्थियोंकी भारत में आगमन की प्रगति संख्या

| सप्ताह के अंत तक | प्रवेश | योग |
|---|---|---|
| 17-4-71 | 1,19,566 | 1,19,566 |
| 24-4-71 | 5,36,308 | 6,55,874 |
| 1- 5-71 | 2,11,554 | 8,67,428 |
| 8-5- 71 | 70,4,752 | 15,72,220 |

---

1-इक्सटर्नल एफेयर्स मिनिस्ट्री गर्वनमेन्ट आफ इण्डिया,फारेन एफेयर्स रिकार्डस दिसम्बर 1971,पृ0 345
2-दि पालवेयर विकली,घाना,8 जुलाई 1971
3-बांगलादेश डाकूमेन्ट,चेप्टर 7,पृ0 446

| | प्रवेश | योग |
|---|---|---|
| 15-5-1971 | 8,27,447 | 23,99,667 |
| 22-5-1971 | 9,72,264 | 33,71,931 |
| 29-5-1971 | 3,16,419 | 36,88,350 |
| 5-6- 1971 | 12,94,442 | 49,82,792 |
| 12-6-1971 | 7,84,380 | 57,67,172 |
| 19-6-1971 | 1,36,267 | 59,23,439 |
| 26-6-1971 | 3,72,559 | 63,25,998 |
| 3-7- 1971 | 2,15,448 | 65,41,446 |
| 10-7- 1971 | 2,88,414 | 67,33,076 |
| 17-7- 1971 | 37,336 | 70,21,490 |
| 24-7-1971 | 74,178 | 70,58,826 |
| 31-7- 1971 | 2,31,995 | 71,33,004 |
| 7-8- 1971 | 2,02,278 | 73,64,979 |
| 14-8-1971 | 4,51,486 | 75,67,257 |
| 21-8- 1971 | 2,38,061 | 80,18,743 |
| 28-8- 1971 | - | 82,56,804 |

| | | |
|---|---|---|
| 3- जातीय आधार संख्या (16-8-1971 को) | हिन्दू | 69.71 लाख |
| | मुसलमान | 5.41 लाख |
| | अन्य | 0.44 लाख |

4- 80 लाख शरणार्थियों पर 3-00 प्रति व्यक्ति की दर से 6 महीने में व्यय का आंकलन रुपये 432 करोड़

5- बाहर से प्राप्त सहायता का कुल (30-8-1971 तक) यू०एस० $ 146.85 मिलियन[1]

---

1- दि बंगलादेश डाकूमेन्ट, चेप्टर 7, पेज 446

जापान के सांसद मि० के० निशिमुरा ने इस दुखद स्थिति का चित्रण करते हुए बताया कि जब उन्होने भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों के शिविरों का दौरा करते हुए देखा कि हजारों आदमी, औरतें, बच्चे दूर-दूर से अपनी सुरक्षा के लिए भारत की सीमा पार करके आ रहे हैं, जब इस प्रकार की भयानक स्थिति बांगलादेश में उत्पन्न हो गयी है, तब तो विश्व के लोगों को वास्तविक स्थिति का जायजा लेना चाहिए।[1]

अमेरिकी सीनेटर एडवर्ड कनेडी ने शरणार्थियों के शिविरों का भ्रमण करते हुए हवाई अड्डे पर एक वक्तव्य में कहा कि यह हमारे समय की सबसे बड़ी दुखद घटना है। शिविरों में बहुत से बच्चे, बूढ़े बीमार और बन्दूक की गोलियों के घावों से पीड़ित हैं। सीनेटर कनेडी ने इस सम्भावना से भी इन्कार किया कि वे शीघ्र ही बांगलादेश के लिए वापस हो जायेंगे। उन्होने आशंका व्यक्त करते हुए कहा कि सम्भावना यह है कि यह संख्याएक करोड़ से ऊपर पहुँच सकती है। किन्तु भारतीय अधिकारियों ने बड़े सही ढंग से इनके लिए पंजीकरण पद्धति को अपनाया है। 3 जून से शरणार्थियों की संख्या 4.8 मिलियन के लगभग पहुँच गयी थी और उनमें से दो तिहाई को असम, त्रिपुरा और मुख्य रूप से पश्चिमी बंगाल में बसाया गया। 17 लाख जनसंख्या तो कूचबिहार की है।

भारत-बंगलादेश की 1300 मील सीमा है। यह लोग सेना के भय से कभी-कभी मुख्य मार्गों को छोड़कर जंगलों, दलदल आदि विपत्तियों को पार कर भारत में प्रवेश कर पाते हैं। कभी-कभी भारत के प्रमुख भागों से 24 घंटे में ही 50,000 की संख्या में आ जाते थे। बे बसने के लिए पर्याप्त जमीन और पानी की सुविधा को देखकर उचित स्थान पर टिक जाते थे। भारत सरकार और पश्चिमी बंगाल की सरकारों को इन शरणार्थियों के लिए असाधारण व्यवस्था करनी पड़ी। यह शिविर प्राय: गांवो के निकट ही स्थापित किये गये थे।

---

1- दि टाइम्स आफ इण्डिया- न्यू देलही 26 जुलाई 1971

अधिकांश शरणार्थियों के चेहरों को देखकर यह अनुभव होने लगता था कि वे कठिनाइयों में फंसे हैं। बहुत बड़ी संख्या में वयस्क, बूढ़े और बच्चे चर्मरोगों, यकृत सम्बन्धी बीमारियों, हैजा, डायरिया आदि के शिकार हो रहे थे। कुछ दमा आदि रोगों से पीड़ित थे। यद्यपि हैजे पर नियंत्रण कर लिया गया था। शरणार्थी जनसंख्या के स्वास्थ्य की देखभाल करना सबसे बड़ी समस्या थी। शिविरों में भ्रमण करती हुई स्वास्थ्य इकाइयां बड़ी तत्परता से दवाइयों का वितरण करने में संलग्न रहीं। मानसूनी वर्षा आरम्भ होने से सभी शरणार्थियों को सुरक्षित आवास उपलब्ध कराने की सबसे बड़ी गम्भीर समस्या उत्पन्न हो गयी। दूसरी बड़ी समस्या पीने वाले स्वच्छ पानी के उपलब्ध कराने की रही।[1]

छोटे बच्चों के लिए दूध की व्यवस्था करना भी एक कठिन कार्य था। भारत सरकार और पश्चिमी बंगाल की सरकारों ने इन कठिन परिस्थितियों में बड़ी तत्परता के साथ अपने दायित्वों का निर्वाह किया था। वास्तव में जिस प्रकार से भारत ने इस शरणार्थी समस्या का सामना किया है यह द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की सबसे गम्भीर समस्या थी।

संयुक्त राष्ट्र संघ से एक अध्ययन दल पूर्वी बंगाल से आये हुए शरणार्थियों की समस्या का अध्ययन करने के लिए आया। उसने कहा कि यह बहुत बड़ी हृदय विदारक घटना है जो भविष्य में विचार करने के लिए बाध्य करेगी।

इन शरणार्थियों के लिए भोजन, आवास, कपड़ों और दवाइयों आदि उपलब्ध कराने के अतिरिक्त भारत के लिए भविष्य में भी अन्य अनेकों समस्याएं उत्पन्न होगीं। यदि वे शरणार्थी अधिक समय तक रूक जाते हैं तो जनता में उनके प्रति रोष बढ़ेगा और यहाँ तक कि हिंसा भी भड़क सकती है।[2]

यद्यपि भारत मानवीय भावनाओं से विवश होकर पूर्वी पाकिस्तान से आये हुए शरणार्थियों की देखभाल कर रहा है लेकिन बांगलादेश के नरसंहार के

---

1-रिपोर्ट वाज सब्मीटेड आन 28 जुलाई 1971- ए0 ब्रिडील ड्यक, चेयरमैन इन्टरनेशनल रेस्क्यू कमेटी न्ययार्क टू मि0 एस0एल0 कैलोग, स्पेशल असिस्टेन्ट टू द सिक्रेटरी आफ स्टेट फार रिफ्यूजी एफेयर्स, गवर्नमेन्ट आफ यू0एस0ए0 इन बंगलादेश डाकूमेन्ट पे0 60-61

2-दि आटोवा-सिटीजेन 10 मई 1971

नरसंहार के लिए उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। छ:सप्ताह बीत चुके हैं पूर्वी पाकिस्तान से शरणार्थियों का भारत के पूर्व में त्रिपुरा, उत्तर में असम और सबसे भारी संख्या में पश्चिमी बंगाल में जमाव है लेकिन भारत सरकार और उसकी स्वयं सेवी संस्थाएं बड़ी ही साहसिक ढंग से उनकी सेवा कार्य में लगी हैं। इस बात की कम ही आशा है कि इस बड़ी भीड़ के लिए सभी तात्कालिक आवश्यकताओं की वस्तुएं उपलब्ध हो जायेंगी।[1]

इस गम्भीर समस्या के लिए पाकिस्तान नेभारत पर दोषारोपण लगाया। उसका आरोप था कि भारत ने पाकिस्तान की एकता को नष्ट करने के उद्देश्य से इस कृत्रिम समस्या को जन्म दिया है और उसने यह भी आरोप लगाया कि बहुत से शरणार्थी जो स्वदेश लौटना चाहते हैं। भारत वर्ष उनकी वापसी में भी बाँधा उत्पन्न कर रहा है। इस पर अपनी प्रतिक्रिया उत्पन्न करते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ में शरणार्थियों के लिए उच्चायुक्त राजकुमार सदरूद्दीन आगा खां ने पाकिस्तान के इस आरोप को झूठा बताया कि भारत शरणार्थियों को पूर्वी पाकिस्तान में वापस होने में बाधा पहुँचा रहा है।[2]

इस्लामाबाद की भावनाएं इस सम्बन्ध में कुछ भी हो सकतीं हैं लेकिन यह समझ में नहीं आता कि चाहे भारत हो या अन्य कोई देश इस प्रकार की विपत्ति को कोई क्यों पैदा करेगा ? जैसा कि प्रत्यक्ष है जब लोगों ने पूर्वी पाकिस्तान से भागना प्रारम्भ किया तो भारत के सिवाय उनके लिए और दूसरी जगह कहाँ थी। यह भौगोलिक मजबूरियां हैं इसको न तो कोई धार्मिक उपदेशक अथवा न ही कोई राजनीति बदल सकती है। इसलिए भारत पर यह आरोप लगाना कि शरणार्थी समस्या भारत द्वारा उत्पन्न की गयी है । सरासर गलत है।[3]

स्पष्ट रूप से नई दिल्ली इस समस्या को अकेले निपटाने में सक्षम नहीं है। पाकिस्तान में जो कुछहोरहा है वह उसका आन्तरिक मामला नहीं है।

---

1-दि टाइम्स लन्दन । जून 1971

2- टाइम्स आफ इण्डिया, न्यू देहली 26 जुलाई 1971

3- दि कामनर काठमान्डू । जून 1970

वास्तविकता यह है कि इसने भारत के लिए समस्या खड़ी कर दी है जिसने उसे खतरनाक स्थिति में पहुँचा दिया है।[1]

उस समय भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गाँधी ने संसद में कहा, "लाखों की संख्या में पूर्वी पाकिस्तान से शरणार्थियों के आ जाने से भारत को बड़े-बड़े कष्टों को झेलना पड़ सकता है।"[2]

भारत में शरणार्थियों के एकाएक आगमन का प्रभाव यह होगा कि उसके सामाजिक आर्थिक जीवन में अनेको समस्याएं पैदा हो जायेंगी, लेकिन आज मानवता की मांग पर त्याग करना ही चाहिए।[3]

श्रीमती गाँधी के अनुसार" विश्व में आज तक किसी भी देश में इतनी बड़ी मात्रा में शरणार्थियों का बोझ नहीं उठाया है। वास्तविकता यह है इस प्रकार की स्थिति का दशांस भाग भी किसी को सामना नहीं करना पड़ा लेकिन श्रीमती गांधी ने जोर देकर कहा कि " यदि जरूरत पड़ी तो भारत शरणार्थियों की सहायता के लिए नर्क से भी बड़ा कष्ट बर्दाश्त करने को तैयार है।"[4] शरणार्थियों के भारत में बहुत बड़ी संख्या में आ जाने से भारतीय अर्थव्यवस्था पर भारी बोझ बढ़ गया है। भारत सरकार का यह अनुमान है कि आने वाले 6 महीनों में पूर्वी पाकिस्तान की शरणार्थियों की सुख-सुविधा के लिए उसे 10 खरब रूपये की आवश्यकता है और यह अतिरिक्त व्यय भावी राष्ट्रीय बजट पर काफी असर डालेगा।[5]

भारत के विभिन्न राज्यों में जो शरणार्थी शिविर बने हुए हैं जिनकी भारत सरकार द्वारा व्यवस्था की जा रही है और इसमें वे लोग शामिल

---

1- दि स्टेट्स टाइम्स- मलेशिया-8 जून 1971
2- इवनिंग न्यूज 16 जून 1971
3- दि गुयना, इवनिंग पोस्ट 17 जून 1971
4- वही
5- ए रसियन लैन्गुयेज विकली- जा-रूलेगहोम- जुलाई 16-20, 1971

नहीं है जो अपने मित्रों और रिश्तेदारों के यहाँ ठहरे हुए हैं। उनके भोजन वस्त्र, दवाइयों और अन्य खर्चों पर प्रतिदिन का लगभग 5 करोड़ रूपये व्यय होता है। यह भारत जैसे गरीब देशों के लिए असाधारण व्यय भार है। जो भारत की अर्थ व्यवस्था पर भारी दबाव डाल रहा है। इससे 20 प्रतिशत विकास कार्यों के व्यय में कमी की गयी है। चौथी पंचवर्षीय योजना में भी कटौती करनी पड़ी। विदेशी सहायता जो इस सम्बन्ध में प्राप्त हुई वह भी अपर्याप्त रही। और इससे भारत की संकुचित आय साधनों पर जो दबाव पड़ रहा है उससे भारत का वित्तीय ढाँचा लड़खड़ा सकता है।

इस अतिरिक्त व्यय भार को पूरा करने के लिए भारत सरकार एवं राज्य सरकारों ने आय के संसाधनों में गतिशीलता लाने के लिए जनता पर सीधे अतिरिक्त करों में वृद्धि करनी पड़ी। इससे जन साधारण पर कीमतों के बढ़ने से आर्थिक दबाव और तनाव बढ़ गया।[1]

इस प्रकार भारत में शरणार्थियों का आगमन भारत के लिए आर्थिक, सामाजिक एवं राजनैतिक दृष्टि से एक गम्भीर समस्या थी । यह किसी भी देश पर द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद का सबसे बड़ा मानवीय दुख था।

-----------------

1- चानना चरनजीत, इकोनामिक्स आफ बंगलादेश पृ0 58

5. भारत द्वारा विश्व के राष्ट्रो से समस्या के समाधान की अपील विश्व जनमत की प्रतिक्रिया

भारत विभाजन के बाद बांगलादेश का यह संकट भारत के लिए सर्वाधिक शोचनीय और खतरनाक चुनौती के रूप में आया था। स्वतन्त्र भारत की सुरक्षा, स्थायित्व, राज्य व्यवस्था और उसकी विदेश नीति के लिए एक भयानक धमकी थी। यह एक धर्म निरपेक्ष, लोकतांत्रित देश के जीवन-मरण का प्रश्न बन गया था।

भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने लोकसभा में अपने एक वक्तव्य में कहा था कि " बांगलादेश की समस्या का कोई सैनिक समाधान नहीं हो सकता है, बल्कि ऐसी परिस्थितियां पैदा की जांय कि वे लोग {शरणार्थी} सुरक्षित अपने घरों को लौट सकें।[1]

भारत ने भयोत्पादक स्थिति के संकेत की उदघोषणा करते हुए विश्व जनमत से पाकिस्तान के सैन्य शासकों पर दबाव डालने का आग्रह किया लेकिन विश्व जनमत की प्रतिक्रिया संदिग्ध एवं दोषपूर्ण थी । श्रीमती इन्दिरागांधी की समस्याएं केवल अनिष्टकारक ही नहीं थी वरन यह प्रत्यक्षत: विरोधात्मक भी थी। यह समस्या तो पाकिस्तान में थी, लेकिन फिर भी यह पाकिस्तान का आन्तरिक मामला नहीं रह गया था और न ही यह भारत और पाकिस्तान की समस्या थी। यह एक अन्तर्राष्ट्रीय मामला था। वस्तुत: यह केवल मानवीय समस्या भी नहीं थी और न ही शरणार्थियों की सहायता के लिए डालर अथवा पौन्ड प्राप्त करने का प्रश्न था।[2] विश्व के सामने इस परिस्थिति का सही चित्रण कैसे किया जाय जिससें वर्तमान समय की इस ज्वलन्त समस्या का कोई

---

1- स्टेटमेन्ट आफ लोकसभा, 29 मई 1971- इन दि इयर्स आफ इनडेवेयर पृ0 525-27

2- वही - दि यीयर्स आफ इनडेवेयर पृ0 531-34 रिप्लाई टू डिवेट इन राज्य सभा 15 जून एन्ड मीटिंग विथ इकानामिक्स एडीटर्स इन न्यू देलही 17जून,71

राजनैतिक समाधान निकाला जा सके। ऐसी परिस्थितियों में जबकि पाकिस्तान भारत पर उसके आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप करने का दोषारोपण करके विश्व जनमत को गुमराह करने में अपनी पूरी कूटनीतिक शक्ति लगा रहा था।

इस सम्बन्ध में मेहरूनिसा हमीम इकबाल ने " भारत और पाकिस्तान की साथ 1971 का युद्ध" शीर्षक में लिखा है कि," पूर्वी पाकिस्तान का संकट भारत द्वारा बड़े प्रयत्नों से पालन-पोषण करके उत्पन्न किया गया था। उसे पाकिस्तान की क्षेत्रीय एकता को तोड़ने का काफी समय बाद अवसर प्राप्त हो गया जिससे निर्बल पाकिस्तान के पूर्ण विभाजन का रास्ता तैयार हो जाय।"[1]

लेकिन प्रधानमंत्री इन्दिरागांधी ने लोकसभा में एक वक्तव्य में कहा कि यह कहना शरारत पूर्ण है कि बांगलादेश में जो कुछ हो रहा है उसमें भारत का हाथ है। यह बांगलादेश के लोगों की उन भावनाओं और बलिदानों का अपमान है और यह तो पाकिस्तान के शासको का अनवरत प्रयास है कि वे अपने दुष्कर्मों को ढकने के लिए भारत को बलि का बकरा बनाया जाय। 23 वर्षों से अधिक समय हो गया है। भारत ने कभी भी पाकिस्तान के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं कियाहै।[2] श्रीमती गांधी ने कहा कि आज जो समस्याएं हमारे सामने खड़ी हैं वह असम, त्रिपुरा, मेघालय और पश्चिमी बंगाल की सीमाओं तक सीमित नहीं है। ये तो राष्ट्रीय समस्याएं है। वस्तुतः मूल रूप से तो अन्तर्राष्ट्रीय समस्या है। हमने अपने प्रतिनिधियों को बाहर भेजकर और विदेशी सरकारों के प्रतिनिधियों को भारत बुलाकर उनके द्वारा विश्व चेतना को जगाने के लिए आवाज लगायी है। हमने संयुक्त राष्ट्र संघ से भी निवेदन किया है और अन्त तक इस समस्या की सच्चाई को विश्व की जागरूक एवं निष्पक्ष शक्तियां अनुभव करेंगी।[3]

---

1- हकीम इकबाल मेहरूनिसा- इण्डिया एन्ड दि 1971 वार विथ पाकिस्तान (पाकिस्तान इन्स्टीट्यूट आफ इनटरनेशनल एफेयर्स, कराची 1973 पृ 21
2- प्रधानमंत्री का लोकसभा में वक्तव्य-बांगलादेश की स्थिति पर 24 मई71।
बांगलादेश डाकूमेन्ट पेज 673.
3- वही,

श्रीमती गाँधी द्वारा विश्व समुदाय से समस्या के समाधान की अपील

श्रीमती गाँधी समस्या के समाधान की अपील और वस्तुस्थिति का बोध कराने के उद्देश्य से 24 अक्टूबर की तीन सप्ताह के लिए 6 देशों की यात्रा पर रवाना हुई । यह बेल्जियम, आस्ट्रिया, ब्रिटेन, यू०एस०ए०, फ्रान्स और पश्चिमी जर्मनी यात्रा करने के 12 नवम्बर, को वापस लौटी । लगभग 25,000 मील की इस शान्ति यात्रा का उद्देश्य श्रीमती गाधी द्वारा विश्व समुदाय की चेतना को बाँगलादेश के भीषण नरसंहार के प्रति जगाने के लिए एक कूटनीतिक प्रयत्नों की पराकाष्ठा थी । यह श्रीमती गाँधी का बांगलादेश की समस्या पर विश्व का समर्थन प्राप्त करने का अन्तिम प्रयास था ।[1]

इसके पूर्व 5 और 22 जून, 1971 के बीच विदेशमन्त्री सरदार स्वर्ण सिंह ने भी मास्को, पेरिस, ओटावा, न्यूयार्क, वाशिंगटन और लन्दन में राष्ट्राध्यक्षों और विदेश मंत्रियों से बात चीत की । यू०एन०ओ० के प्रधान कार्यालय में महामन्त्री यू थान्ट से मिले । उन्होने विश्व के विभिन्न राजनीतिक विचारों के नेताओं से विचार विमर्श किया और इन देशों के जनमत को बाँगलादेश समस्या के प्रति जागृत करने का प्रयास किया ।[2] मेजबान देशों की सरकारों से विचार-विमर्श के परिणाम स्वरूप समझौतें का निम्नलिखित स्वरूप उभर कर सामने आया ।[3]

1- पूर्वी बंगाल की समस्या का कोई सैनिक समाधान नहीं होना चाहिये ।

2- भारत में पूर्व बंगाल से आने वाले शरणार्थियों के आगमन पर तत्काल रोक लगानी चाहिये ।

3- इस प्रकार की परिस्थितियां पैदा की जाय कि शरणार्थी शान्ति और सुरक्षापूर्वक अपने-अपने घरों को वापस लौट जांय ।

---

1- टाइम्स आफ इंडिया, 25 अक्टूबर, 1971

2- टाइम्स आफ इंडिय, 25 जून, 1971,

3- स्टेटमेन्ट इन लोकसभा बाइ इक्सर्टनल मिनिस्टर, 25 जून, 1971

इन स्टेट्समैन, 26 जून, 1971.

4- पूर्वी बंगाल के लोगों के लिए स्वीकार्य राजनीतिक स्थिति में ही परिस्थितियां सामान्य हो सकती हैं।

5- वर्तमान स्थिति इस क्षेत्र की शान्ति और सुरक्षा के लिए बहुत ही गम्भीर और खतरनाक है।

30 सितम्बर 1971 को न्यूयार्क में गुट निरपेक्ष देशों के सम्मेलन में विदेशमंत्री सरदार स्वर्णसिंह के एक प्रभावशाली वक्तव्य के बाद तटस्थ राष्ट्रों द्वारा बांगलादेश समस्या एवं अन्य समस्याओं के समाधान के लिए एक विज्ञप्ति जारी की गयी।[1]

इसके पूर्व 29 सितम्बर 1971 को ब्रिटेन के विदेश मंत्री सर एलक डगलस होम ने संयुक्त राष्ट्र की साधारण सभा में कहा था कि भारतीय उप-महाद्वीप में युद्ध का खतरा तभी टाला जा सकता है जबकि पूर्वी बंगाल में एक नागरिक सरकार का गठन किया जाय।[2]

20 अक्टूबर को श्रीमती गांधी और यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति टीटो ने एक संयुक्त वक्तव्य जारी करके पूर्वी बंगाल की स्थिति को सामान्य बनाने के लिए तत्काल कदम उठाने की पेशकश की आवश्यकता पर बल दिया।[3]

प्रधानमंत्री 24 अक्टूबर को दोपहर बाद ब्रूसल्स पहुँच गयी। बेल्जियम के प्रधानमंत्री से तीन दौरों की वार्ता सम्पन्न हुई। बेल्जियम के प्रधानमंत्री पूर्वी बंगाल की समस्या के राजनैतिक समाधान के इच्छुक थे। जिससे शरणार्थी अपने-अपने घरों को सुरक्षित लौट सकें। अन्त में उन्होंने आश्वासन दिया कि उनके देशवासियों की आवाज पूर्वी बंगाल में आतंक समाप्त करने के लिए उठेगी।[4] बेल्जियम सुरक्षा परिषद में भी एक सदस्य के रूप में यू०एन०ओ० में इससमस्या के आने पर महत्वपूर्ण सहयोग कर सकता है।[5]

---

1- एशियन रिकार्डर(अक्टूबर 22 से 28)कालम II-III पेज 10424-1971
2- वही कालम I पेज 10425
3- एशियन रिकार्डर( 1971 (नवम्बर 19,25)कालम-II पेज 10465)
4- हिन्दुस्तान टाइम्स 26 अक्टूबर 1971
5- वही

ब्रूसेल्स से श्रीमती गांधी वियना के लिए रवाना हुई। यह 6 पश्चिमी देशों में दूसरा देश था। जहाँ पर उनकी चान्सलर डा० ब्रूनो क्रेस्की और राष्ट्रपति जोनस से मैत्रीपूर्ण वार्ता हुई। यहाँ पर श्रीमती गांधी ने स्पष्ट रूप से कहा कि वह किसी निजी स्वार्थ की पूर्ति के लिए यहाँ नहीं आयीं हैं बल्कि मित्रता और समझदारी की आशा से यहाँ आना हुआ है। आष्ट्रियन मेजबानों ने यह दृष्टिकोण स्पष्ट किया कि पूर्वी बंगाल की समस्या का समाधान वहाँ के लोगों की इच्छानुसार ही होना चाहिए।[1]

श्रीमती गांधी 29 अक्टूबर को 5 दिन की यात्रा पर लन्दन पहुँची। ब्रिटेन की प्रधानमंत्री हीथ से विश्वसनीय बातचीत हुई। श्रीमती गांधी ने ब्रिटीश सरकार से स्पष्ट कहा कि अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय को तत्काल पाकिस्तान के सैनिक तानाशाह पर प्रभावकारी दबाव डालना चाहिए, जिससे ऐसी परिस्थितियां बन सकें कि शरणार्थी अपने घरों को वापस जा सकें नहीं तो भारत अपने राष्ट्रीय हित में निर्णय लेने के लिए मजबूर हो जायेगा।

श्रीमती गांधी ने अपना असन्तोष व्यक्त करते हुए इन शब्दों में कहा कि "मेरे विचार से विश्व के किसी व्यक्ति एवं सरकार को इतनी बड़ी मुसीबत का सामना नहीं करना पड़ा जितना कि आज मुझे इतनी बड़ी विपत्ति का सामना करना पड़ रहा है। यह स्थिति हमको कहाँ ले जा रही है ? हमें कहीं भी पास में स्थिर होने का स्थान नहीं दिख रहा है। इसके विपरीत परिस्थितियां अत्यन्त नाजुक स्थिति में पहुँच रहीं है। श्रीमती गांधी ने आगे कहा कि यदि इस संघर्ष को शान्त न किया गया और इस पर प्रतिबन्ध न लगाया गया तो भविष्य में युद्ध का खतरा उत्पन्न हो सकता है।[2]

भारत की वकालत के बावजूद ब्रिटेन ने भारत को पाकिस्तान के बराबर ही रखकर व्यवहार किया और इस समस्या के समाधान के लिए भारत और

---

1- दि हिन्दू, मद्रास-28 अक्टूबर 1971।
2- टाइम्स आफ इण्डिया-3 नवम्बर 1971।

पाकिस्तान से आपसी बातचीत के लिए कहकर टालता रहा जबकि श्रीमती गांधी ने यह कहा - यह भारत और पाकिस्तान के बीच का द्विपक्षीय मामला नहीं है ब्रिटेन के सर एलक डगलस होम ने कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच भयानक और निश्चित युद्ध की स्थिति है। इसलिए ब्रिटेन दोनों पक्षों को उदार दृष्टिकोण को अपनाने की सलाह देता रहा जिससे बदतर स्थिति न होने पाये। उन्होने यह भी कहा कि समस्या का राजनीतिक समाधान होने पर ही तनाव में कमी आ सकती है। पाकिस्तान का जहाँ तक सम्बन्ध है उससे अपने संवैधानिक ढाँच के अन्तर्गत समस्या का समाधान करना चाहिए।[1]

श्रीमती गांधी 3 नवम्बर को लन्दन से न्यूयार्क पहुँच गयीं। यह वह अमेरिका है जिसने द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद के सबसे व्यापक नरसंहार की ओर से आँखें मूँद ली थीं।[2] भारत की ओर से अमरीकी प्रशासन के सामने यह विचार रखा गया कि इस समस्या के राजनीतिक समाधान के लिए बंगलादेश के लोकतांत्रिक नीति से निर्वाचित नेताओं और जिनमें शेख मुजीब प्रमुख हैं से बातचीत होनी चाहिए।

वार्तालाप के बीच अमरीका के लोगों ने कहा कि उनके देश के लिए पाकिस्तान की क्षेत्रीय एकता आवश्यक है क्योंकि उसकी एकता भंग होने से उपमहाद्वीप में युद्ध भड़क उठेगा या याहिया खाँ शासन से बाहर हो जायेंगे अथवा पाकिस्तान चीन के हाथों चला जायेगा। अमरीका वालों के लिए यह परिस्थितियाँ स्वीकार नहीं थीं।[3] भारत द्वारा अमरीका से यह स्पष्ट कह दिया गया कि यह जो कुछ पूर्वी बंगाल में हो रहा है यह भारत-पाक समस्या नहीं है बल्कि इस्लामाबाद की सैनिक सरकार के बीच का विवाद है। इसलिए

---

1- दि टाइम्स आफ इण्डिया- 6 नवम्बर 1971
2- द हिन्दू ,4 नवम्बर 1971
3- कामथ, एम0वी0 "टाकिंग एट क्रास परपजेज" दि टाइम्स आफ इण्डिया- 9 नवम्बर 1971।

इस समस्या का समाधान उन्ही के बीच हो सकता है। जिससे शरणार्थी शान्ति और सुरक्षा से अपने घरों को लौट सकें।[1]

लेकिन दुर्भाग्यवश निक्सन के मस्तिष्क में यह विचार जम गया था कि भारत पाकिस्तान की एकता को नष्ट करना चाहता है। इस पर भी वाशिंगटन जो पाकिस्तान कापुराना मित्र है, इस समय वह भारत का सहयोगी कैसे हो सकता था।[2] तो फिर निकसन भारत के लिए अधिक उत्साह कैसे दिखा सकते थे। यद्यपि भले ही श्रीमती गांधी सही रास्ते पर थीं ।

वाशिंगटन पोस्ट लिखता है " गांधी - निकसन वार्ता गुणकारी असफलता थी[3]" निकसन इन्दिरा वार्ता असफल रही। कोई भी संयुक्त विज्ञप्ति जारी नहीं हुई। यद्यपि यात्रा पूर्ण असफल रहीं है फिर भी यह आवश्यक और बुद्धिमानी पूर्ण थी। भारतवर्ष बिल्कुल सही ढंग से यह दावा करके कह सकता था कि उसने शान्ति बनाए रखने के सही प्रयास किये । श्रीमती गांधी ने यह स्पष्ट चेतावनी दी कि यदि युद्ध हो जाता है ,तो हमने तो इसे रोकने के सभी प्रयास किये।[4]

श्रीमतो गांधी -निकसन प्रशासन पर पूर्वी बंगाल के दृष्टिकोंण से विजय पाने में भले ही असफल रहीं होलेकिन वह अमरीका के जनमत को जीतने में जरूर सफल रहीं। अमरीका के उच्च कोटि केशिष्ट लोगों ने सिनेटरों और पत्रकारों को अपने बंगलादेश के लोगों के दुखों से एकात्म कर लिया था और सीधा प्रशासन विरोधी रूख अख्तियार किया था। अमरीका के 350 विद्वानों ने अपने हस्ताक्षर करके श्रीमती गांधी की यात्रा के समय निकसन प्रशासन से अपील को थी कि

---

1-द टाइम्स आफ इण्डिया-8 नवम्बर 1971
2-द हिन्दू-2 नवम्बर 1971 वाई जी0के0रेड्डी
3-द टाइम्स आफ इण्डिया-16 नवम्बर 1971
4-इण्डियान एक्सप्रेस-10 नवम्बर 1971

पाकिस्तान को दी जाने वाली समस्त सहायता उस समय तक स्थगित रखी जाय जब तक कि शेख मुजीब के दल के साथ कोई समझौता न हो जाय। उनमें से पाँच हस्ताक्षरकर्ता नोबिल पुरस्कार विजेता थे।[1]

श्रीमती गांधी 7 नवम्बर को न्यूयार्क से पेरिस पहुँची। श्रीमती गांधी ने वहाँ बताया किभारत के स्थायित्व और सुरक्षा के लिए बहुत बड़ी चुनौती पैदा हो गयी है जिससे सम्पूर्ण दक्षिण पूर्व एशिया की शान्ति पर सीधा प्रभाव पड़ेगा।[2] उन्होने फ्रेन्च मेजबान से कहा कि जो कुछ भी पूर्वी बंगाल में हो रहा है, वह गृह युद्ध नहीं है वरन लोकतंत्र के लिए मतदान करने वाले लाखों को दण्डित किया जा रहा है।[3]

श्रीमती गांधी ने स्थिति की गम्भीरता को बताते हुए कहा कि " मेरा अनुभव है कि मैं ज्वालामुखी पर बैठी हूँ।"[4] इसलिए पूर्वी बंगाल के निर्वाचित प्रतिनिधियों को समस्या का स्वीकार राजनैतिक समाधान होना चाहिए। यही समय की माँग है। श्रीमती गांधी की यात्रा के अन्त में चावन डैलमस ने कहा कि बात चीत रचनात्मक हुयी है। भारत और फ्रान्स के बीच कोई मौलिक मतभेद नहीं है। फ्रान्स ने बंगलादेश की समस्या को अन्य पश्चिमी देशों की अपेक्षा बड़ी नजदीकी से समझा। वह यह जान गये कि इस संकट की जड़ लोकतांत्रित आन्दोलन को दबाने के प्रयास में है और इसका केवल एक ही समाधान है कि पश्चिमी पाकिस्तान के शासकों द्वारा पूर्वी बंगाल के नेताओं से इस समस्या के विषय में विचार विमर्श का वैध और अन्तिम उपाय होगा।[5]

---

1-इण्डियन एक्सप्रेस-10 नवम्बर 1971
2-टाइम्स आफ इण्डिया-3नवम्बर 1971
3- टाइम्स ,लन्दन-3 नवम्बर 1971
4- वही
5-हिन्दुस्तान टाइम्स-9 नवम्बर 1971

श्रीमती गांधी 2 दिन की शासकीय यात्रा पर पेरिस से बोन रवाना हो गयीं। पश्चिमी जर्मनी के चॉसलर विली-ब्रान्डर ने एक सम्बादाता सम्मेलन में कहा कि मुझे श्रीमती गांधी द्वारा भारत उपमहाद्वीप की समस्याओं के बारे में अवगत कराया गया है। जर्मनी के संघीय गणतंत्र ने श्रीमती गांधी और चांसलर विली ब्रान्डर के बीच जो वार्ता हुई उस पर एक वक्तव्य जारी किया गया। वक्तव्य में भारत उपमहाद्वीप की स्थिति के बिगड़ने पर गहरी चिन्ता व्यक्त की गयी और यह भी स्पष्ट कर दिया कि जर्मन की संघीय सरकार समस्या के राजनीतिक समाधान के लिए सहयोग करने को तैयार है। संघीय सरकार के विचार से उस क्षेत्र की शान्ति की स्थापना और स्थायित्व के लिए पूर्वीपाकिस्तान की समस्या का राजनैतिक समाधान होना चाहिए जिससे वर्तमान कलह की स्थिति समाप्त हो जाय और अन्तोगत्वा शरणार्थियों को वापस आना चाहिए।[1]

श्रीमती गांधी 27 सितम्बर से 29 सितम्बर तक सोवियत संघ की राजकीय यात्रा पर गयी। श्रीमती गांधी ने विश्व जनमत के उपेक्षापूर्ण रवैये पर खेद प्रकट करते हुए कहा कि विश्व के राजनेता पाकिस्तान से ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न करने के लिए नहीं कह सके जिससे शरणार्थी अपने घरों को सम्मान और गरिमा के साथ वापस जा सकें[2] हवाई अड्डे पर सोवियत प्रधानमंत्री कोशीजिन ने कहा, "कोई भी इस तरह का जघन्य अपराध करके हमारे समर्थन को कभी भी प्राप्त नहीं कर सकता। हमारी सहानुभूति पाकिस्तान की लोकतांत्रित शक्तियों के साथ है।[3]

सोवियत यूनियन सम्भवतः पहला उपमहाद्वीप के बाहर का देश था जिसने पूर्वी बंगाल में 25 मार्च 1971 को जो कुछ भी हुआ उसके विरुद्ध खुल कर विरोध किया। सोवियत समाचार पत्र प्रवदा- में 2 अप्रैल 1971 में कहा गया कि "ये सैनिक कार्य और कुछ नहीं हैं, यह केवल जंगली स्वेच्छाचारी और हिंसात्मक कृत्य है जिससे सोवियत जनता के लिए गहरा सम्बन्ध हो गया है।[4]

---

1-टाइम्स आफ इण्डिया-12 नवम्बर 1971
2-हिन्दू-29 सितम्बर 1971
3- टाईम्स आफ इण्डिया-30 सितम्बर 1971
4- इन टाइम्स आफ इण्डिया-3 अप्रैल 1971

अगस्त के प्रारम्भ में प्रधानमंत्री ने एक पत्र चाउ -एन-लाई को बंगलादेश की घटनाओं केविषय में लिखा था ,लेकिन चीनी नेता ने इसके उत्तर को भेजने की परवाह नहीं की।[1] चीन ने भारत की आलोचना करते हुए कहा कि यह भारत का पाकिस्तान के आंतरिक मामलों में भारी हस्तक्षेप है और वह पाकिस्तान की आन्तरिक समस्याओं का शोषण कर रहा है। उन्होने आरोप लगाया कि भारत पूर्वी बंगाल के शरणार्थियों को अपनी भूमि पर बुलाकर इस समस्या को एक बहाने के रूप में लेकर पाकिस्तान के उपर आक्रमण करना चाहता है जिससे इन्ही परिस्थितियों के आधार पर तिब्बत के विरूद्ध भी इसी प्रकार के अभियान को उचित ठहरा सके[2]।

संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत के स्थायी प्रतिनिधि एस0सेन ने एक वक्तव्य में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों से अपील करते हुए कहा कि संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव इन समस्याओं के लिए ऐसी सलाह और सहायता देंगे जिससे उनका समाधान हो सके। इससमस्या का सम्बन्ध केवल भारत से नहीं है। यह विषय अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध का है। अन्तर्राष्ट्रीय सक्रियता इसका समाधान कर सकती है। यह भारत और पाकिस्तान की समस्या नहीं है। हम सामाजिक समति से आशा करते हैं। इन मानवीय समस्याओं के समाधान के लिए अनुकूल कदम उठायेगी।[3]

भारत ने 6 मई 1971 को संयुक्त राष्ट्र संघ से बांगलादेश के शरणार्थियों की सहायता उपलब्ध कराने के लिए सीधा उत्तरदायित्व लेने की अपील की। जैसा कि उसने पैलिस्टाइन एवं अन्य जगहों पर किया है।[4] क्योंकि उस समय तक लाखों बंगला शरणार्थी भारत की सीमा पार कर चुके थे। चर्च विश्व परिषद ने 5 मई 1971 को 37000 रूपये शरणार्थियों की सहायता के लिए तत्काल भेजने की घोषणा की। एफ्रो एशियन जनएकता संगठन ने पूर्वी पाकिस्तान पर दसवीं कार्य-

1-द स्टेट्समैन 3 सितम्बर 1971
2-इण्डियन एक्सप्रेस 25 दिसम्बर 1971
3-स्टेटमेन्ट बाई एम्बेसडर एस0सेन परमानेन्ट रिप्रसेन्टेटिव आफ इण्डिया टू यनाइटेड नेशन्स इन सोसल कमेटी आफ इकानामिक्स एन्ड सोसल कौंशिल रिपोर्ट आफ द कमीशन आन ह्यूमन राइट्स 12 मई 1971 पृ0 624-25
4-एशियन रिकार्डर, 1971 जून 18-24 कालम 111 पेज 10216

समिति के अधिवेशन के एक प्रस्ताव पारित करके कहा गया कि शरणार्थी समस्या का मानवीय आधार पर समाधान होना चाहिए जिससे वे लोग अपने घरों को वापिस हो सकें।[1]

अन्तर्राष्ट्रीय इस्लामिक संगठन के महामंत्री ने मुस्लिम देशों से पूर्वी बंगाल के शरणार्थियों की सहायता के सम्बन्ध में वक्तव्य दिया। एच0एच0मर्जुकी जजीम ने मुस्लिम देशों से पूर्वी बंगाल से भारत में आये हुए शरणार्थियों की सहायता के लिए आग्रह किया।[2]

संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि विश्व जनमत की शरणार्थियों के प्रति मानवीय आधार पर तो सहानुभूति थी ही और वह समस्या के राजनीतिक समाधान के इच्छुक था, जिससे शरणार्थी शान्ति और सुरक्षा से अपने घरों को लौट सकें। किन्तु विश्व के कुछ देश इसे भारत और पाकिस्तान का विवाद समझ कर इस समस्या से अपने को दूर करने का प्रयास करते रहे। जैसे पश्चिमी देशों के विचार से बंगलादेश का संकट यह भारत और पाकिस्तान का विवाद था।[3] कुछ लोगों ने तो इसे भारत की एक बहुत बड़ी कूटनीति का एक अंग बताया- जैसा कि मुजीउर रहमान ने लिखा है, कि भारत सरकार ने अपनी सीमाओं को बन्द नहीं किया था, जैसे इसने बहुत सोच समझ कर कूटनीतिक मुहरें रखें हो और यह मानवता के नाम पर बांगलादेश के लोगों को पूरा समर्थन देता रहा और जब यह पाकिस्तान का आन्तरिक मामला नहीं रहा, भारत ने पूर्वी बंगालियों की मदद की जो स्वतन्त्रता आन्दोलन के लिए लड़ रहे थे। भारत ने प्रतिद्वन्द्वी बन कर उच्च कूटनीतिक कार्यवाही के साथ सैनिक कदमों को भी उठाया।[4]

लेकिन भारत की इस कूटनीतिक सफलता के लिए भी पाकिस्तान के अदूरदर्शी सैनिक शासक ही उत्तरदायी है। जिन्होंने ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न करके अन्य देशों की कूटनीतिक सफलता के लिए अवसर दिया।

---

1-बंगलादेश डाकूमेन्ट पृ0 60
2-अमृत बाजार पत्रिका-9 नवम्बर 1971
3-रहमान मिजाउर -इमरजेन्स आफ नेशन्स इन मल्टी पोलर वर्ड बांगलादेश 1979 पृ068

6. तत्कालीन क्षेत्रीय स्थिति

जब किसी भू-भाग की समस्त जनता अपने लोकतांत्रित अधिकारों की रक्षा के लिए ,अपने घरों और जीविका को लात मारकर सड़कों पर सैनिक सत्ताधारियों से जूझ रही हो और लाखों की संख्या में स्त्री-पुरूष,बाल वृद्ध अपनी जान बचाकर उदरपूर्ति और जीवन रक्षा के लिए अपने निकटतम पड़ोसी देश में जा घुसे हो तो इन भयावह परिस्थितियों के कारण तत्कालीन क्षेत्रीय स्थिति का प्रभावित होना स्वाभाविक है।

भारत

पूर्वी पाकिस्तान की तत्कालीन घटनाओं से उसका सबसे निकटतम पड़ोसी भारत वर्ष सर्वाधिक प्रभावित हुआ है। श्रीमती गांधी की सरकार के लिए बड़ी-बड़ी समस्याएं उत्पन्न हो गयीं। यहाँ पर साम्प्रदायिक हिंसा भड़कने का खतरा उत्पन्न हो गया। शरणार्थियों के कारण आर्थिक दबाव भी बढ़ गया। भारत को युद्ध का खतरा भी बढ़ रहा था। क्योंकि चीन से उसका पुराना तनाव एवं प्रतिस्पर्धा है,जो पुर्नजीवित हो रही थी। चीन इस संघर्ष में हस्तक्षेप कर सकता था।[1]

किन्तु भारत को इससे अनेकों लाभ भी हैं। भारत वासियों में विगत कई वर्षों से इतनी एकता नहीं रही है। सभी भारतीय राजनीतिक दल और जनता पूरी शक्ति के साथ इस संकट का सामना करने के लिए सरकार का समर्थन कर रही थी। भारत की स्थिति पाकिस्तान की अपेक्षा अधिक शक्ति सम्पन्न है। अनाधिकारिक सूचनाओं के आधार पर भारत -बांगलादेश की कई मोर्चों पर प्रत्यक्ष रूप से मदद भी कर रहा था। भारत वर्तमान परिस्थितियों में फँस चुका था अब उसके सामने इस समस्या के राजनैतिक समाधान के अतिरिक्त जो उस पूर्वी बंगाल की जनता को मान्य हो अन्य कोई विकल्प नहीं रह गया था। और इसके लिए भारत सरकार और जनता हर तरह के सहयोग के लिए उत्साहपूर्वक तैयार थी।

---

1-कांग्रेसनर रिकार्ड सिनेट (यू०एस०ए०) 6मई 1971

नेपाल

भारत और बांगलादेश का दूसरा निकटतम पड़ोसी देश नेपाल है। नेपाल से लगा हुआ साम्यवादी चीन है,जो एशियाई देशों के नेतृत्व के लिए भारत को अपना प्रबल प्रतिद्वन्द्वी समझता है। इस प्रकार सामरिक और सुरक्षा की दृष्टि से नेपाल का भारत और चीन दोनों के लिए महत्त्व है। पं० जवाहर लाल नेहरू ने 6 दिसम्बर 1950 को लोकसभा में कहा था कि " नेपाल में हमारी केवल सहानुभूति पूर्ण रूचि ही नहीं है, इसके अतिरिक्त हमारे अपने देश की रक्षा के लिए हित भी निहित हैं।"[1]

भारत ने नेपाल के साथ सदैव अच्छे सम्बन्ध बनाए रखने का प्रयास किया है लेकिन वह कभी-कभी-भारत के साथ कूटनीतिक चालें चलता रहा है। कभी-कभी यह भी समझ में आया है कि नेपाल का राजमहल चीन को भारत के खिलाफ भारत का मुहरा बनाने का प्रयास कर रहा है। बहुत सी ऐसी भी अफवाहें फैलायी गयी कि भारत नेपाल का गला घोंटने का प्रयास कर रहा है।[2] इस प्रकार राज महल चीन और पाकिस्तान को भारत के खिलाफ खिलाने में लगा था जिससे वह अपने दक्षिण पड़ोसी पर दबाव रख सके। किन्तु अब पूर्वी बंगाल के संकट के समय भारत और नेपाल के बीच अच्छे सम्बन्धों की आवश्यकता थी। सरदार स्वर्ण सिंह सितम्बर के पहले सप्ताह में काठमान्डु गये। स्वर्ण सिंह ने दोनों देशों के बीच तनाव कम करने के लिए आपस में विचार विमर्श किया। भारत ने यह आश्वासन दिया कि उसे इस हिमालियन साम्राज्य में अस्थिरता फैलाने में कोई रूचि नहीं है। विदेशमंत्री ने विश्वास दिलाया कि भारत की नीति है कि नेपाल में स्थिरता और उसकी प्रगति में निरन्तर वृद्धि होती रहे। स्वर्णसिंह नेपाल से यह आश्वासन प्राप्त करने में सफल हो गये कि वह बांगलादेश की समस्या से गम्भीरता पूर्वक जुड़ा है तथा शरणार्थी समस्या के तत्काल समाधान के लिए बांगलादेश

---

1- नेहरू,जवाहर लाल- इण्डियास फारेन पालिस-सेलेक्टेड स्पीचेज सितम्बर 1949 अप्रैल 1961,नयी दिल्ली,पब्लिकेशन डिवीजन 1961 पेज 36
2- स्टेट्समैन 3 जनवरी 1971

में समस्या का राजनैतिक समाधान ढूढ़ना चाहिए। बांगलादेश संकट के समय नेपाल ने किसी भी प्रकार से परिस्थितियों में परिवर्तन करने का प्रयास नहीं किया। भारतीय सेना को गोरखा बटालियन के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की रोक नहीं लगायी। नेपाल ने संयुक्त राष्ट्रसंघ में भारत का समर्थन किया और अन्त में तत्परता पूर्वक शीघ्र ही बंगलादेश को मान्यता दे दी।[1]

## भूटान

भूटान -भारत , बांगलादेश और नेपाल तथा चीन का पड़ोसी देश है। बांगलादेश संकट के समय जैसी कि उससे आशा की जाती है भारत का पूरा साथ दिया। भारत ने 6 दिसम्बर को जैसे ही बांगलादेश को एक नये राष्ट्र के रूप में मान्यता दी उसी परिप्रेक्ष्य में भूटान नरेश ने 7 दिसम्बर को बांगलादेश को विविधवत् मान्यता दे दी। संयुक्त राष्ट्र संघ में भी भूटान ने सदैव भारत का साथ दिया।

## श्रीलंका

श्री लंका सरकार ने इस समस्या को अपने देश से बाहर रखने का ही प्रयास किया। इसके दो कारण थे। पहला- चीन,जो कि भारत का राजनैतिक विरोधी और पाकिस्तान का समर्थक है,वह अपने मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध बनाए रखना चाहता था क्योंकि उसके चीन से व्यापारिक सम्बन्ध भी हैं। दूसरा- श्रीलंका, भी अन्य दूसरे देशों की तरह जातीय और भाषायी विविधताओं के संकट में फँसे होने के कारण वहाँ के नेता स्वयं जाति विभाजन के संकट से भयभीत हो रहे थे। इसलिए उन्होने पूर्वी पाकिस्तान की जनता पर हो रहे अत्याचारों से अपनी आँखे मूंद लीं।

भारत के विदेशमंत्री सरदार स्वर्णसिंह श्रीलंका ,श्रीमती भंडारनायके से मिलने गये। श्रीलंका के कुछ हलकों में भारत- रूस मैत्री संधि को भी भारत की

---

1- द टाइम्स आफ इण्डिया-27 नवम्बर 1971

तटस्तता की नीति पर सन्देह की दृष्टि से समझा जाने लगा था। सरदार स्वर्णसिंह भारत -रूस मैत्री सम्बन्ध के विषय में सन्देह मेटने में तो सफल हो गये लेकिन श्रीमती भंडारनायके का बांगलादेश के राजनीतिक संकट के सन्दर्भ में सहानुभूति अर्जित करने में सफल नहीं हो सके। वह पाकिस्तान की घटनाओं को आन्तरिक मामला ही समझती रहीं। यद्यपि शरणार्थी समस्या उनके लिए एक मानवीय समस्या थी।[1]

वर्मा

भारत-वर्मा दोनों देशों के बीच सम्बन्ध स्थायी और अच्छे रहे हैं। बाँगलादेश संकट के समय वर्मा की स्थिति जैसी कि उससेआशा थी कहीं उससे भी सकारात्मक थी। जैसा कि अप्रैल 1973 में सरदार स्वर्ण सिंह ने अपनी 3 तीन की रंगून यात्रा के समय कहा था कि बांगलादेश संकट के समय इस उपमहाद्वीप की स्थिति को वर्मा द्वारा सही ढंग से अनुभव कर लिया गया था। मार्च 1971 में बांगलादेश की समस्या के प्रारम्भ होने से ही वर्मा ने समय के अनुसार बड़ी बुद्धिमानी से उसको समझा था। उन्होने आगे कहा कि "वर्मा उन देशों में एक था जिसने बांगलादेश को उसकी स्वतन्त्रता के तत्तकाल बाद ही मान्यता दे दी थी। दोनों देश दक्षिण पूर्व एशिया की तटस्था के लिए साथ-साथ प्रयास करते रहेगें। और हिन्द महासागर को भी शान्ति क्षेत्र घोषित करने के लिए दोनों देशों का संयुक्त प्रयास रहेगा।[2]

चीन

चीन,जो दक्षिण एशिया की राजनीति में विशेष अभिरूचि रखता है। भारत और बांगलादेशका पड़ोसी देश है। चीन की दूसरी ओर की सीमाएं साम्य-वादी रूप से मिलती हैं। चीन, भारत और रूस को अपना राजनैतिक प्रतिद्वन्द्वी मानकर इन दोनों देशों से सम्वन्धित समस्याओं में पहले से ही रूचि लेता रहा है।

---

1-द हिन्दू-13 सितम्बर 1971

2-एशियन रिकार्डर-1973 पृ0 11420

बांगलादेश संकट में चीनी लोग भारत के कारण प्रारम्भ से ही अधिक रूचि ले रहे थे। सम्भवतः वे अन्य लोगों की अपेक्षा इस मामले में पाकिस्तान को अपना दोस्त बनाने में कूटनीतिक और सामरिक महत्त्व समझते थे। चीनियों का यह विश्वास था कि वे पाकिस्तान को अपने साथ रखकर अपने दो प्रमुख पड़ोसियों भारत और सोवियत संघ का सरलता पूर्वक सामना कर सकते हैं। पाकिस्तान की भौगोलिक स्थिति चीन के लिए विशेष महत्त्व की थी, क्योंकि जब से भारत का बहुत बड़ा भूभाग पाकिस्तान के दोनों भागों के बीच में था। भारत के लिए पश्चिम और पूर्व दोनों ओर से संकट उत्पन्न कर सकता था।[1]

चीन की ,बांगलादेश संकट के सम्बन्ध में प्रेस के माध्यम से पहली प्रतिक्रिया चोद गर्नी द्वारा याहिया खाँ से की गयी उस अपील पर हुई, जिसमें उन्होने याहिया को पूर्वी बंगाल की समस्या के राजनीतिक समाधान के लिए बंगाली नेताओं से विचार विमर्श करने की सलाह दी थी।[2] दि पिपुल्स डेली ने ।। अप्रैल को सोवियत संघ की आलोचना करते हुए लिखा कि -सोवियत संघ बिना बुलाये ही पाकिस्तान के मामलों में हस्तक्षेप करता है। यह तो उसकी सरकार से सम्बन्धित आन्तरिक मामला है।[3] उसके विचार से यह एक तरफा भारत का सहयोग था, जिससे पाकिस्तानियों में रोष उत्पन्न हुआ और भारत को पाकिस्तान पर आक्रमण करने के लिए उत्साह वर्धन मिला।[4]

चीन के समाचार संसाधनों ने प्रारम्भ से ही सम्पूर्ण विश्व में यह विश्वास पैदा करने का प्रयास किया कि यह पूर्वी बंगाल की कानून और व्यवस्था की समस्या है, जो कुछ असंतुष्ट लोगों के द्वारा पैदा कर दी गयी है जिन्हे भारत द्वारा उत्साहित किया जा रहा है, जिससे पाकिस्तान की एकता को भंग कर दियाजाय।[5]

---

1-दि टाइम्स आफ इण्डिया-29 मार्च 1971
2-इण्डियन एक्सप्रेस-5 अप्रैल 1970
3-इन्टरनेशनल हेरल्ड एन्ड दि ट्रिब्यून-13 अप्रैल 1971
4-हिन्दुस्तान टाइम्स-12 अप्रैल 1971
5-जैन. गिरिलाल-दि चाइनिज रिडल इन टाइम्स आफ इण्डिया 7 दिसम्बर 1971

3 दिसम्बर को जब पाकिस्तान ने भारत की हवाई अड्डों पर पूरी शक्ति के साथ हमला किया ठीक आधा घंटे बाद ही पाकिस्तान और चीन के समाचार माध्यमों ने भारत को आक्रमणकारी घोषित कर दिया। इससे स्पष्ट था कि पाकिस्तान और चीन के बीच भारत को आक्रमणकारी घोषित करने के लिए मिली -जुली साँठ-गाँठ पहले से ही थी।[1] चीन ने युद्ध के समय अपने ढंग से पाकिस्तान की मदद का प्रयास किया, लेकिन वह सफल नहीं हुआ।

यद्यपि राष्ट्रपति याहिया को यह पूरा विश्वास था कि भारत -पाक युद्ध के समय संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन उसकी मदद के लिए आयेंगे। क्योंकि आत्मसमर्पण के समय जनरल नियाजी ने जनरल जैकब से कहा था -कि मुझे याहिया ने आत्म समर्पण के लिए रोका था- याहिया ने कहा था कि चीन अथवा अमरीका हमारी रक्षा के लिए आयेंगे।[2] लेकिन समय की कसौटी ने याहिया की समस्त कूटनीतिक चालों को असफल कर दिया और उसके मित्रों ने भी भविष्य के लिए अन्तर्राष्ट्रीय जगत में मैत्री सम्बन्धों के लिए अपनी साख गिरायी।

फिर भी यह दुर्भाग्य पूर्ण था कि याहिया खाँ ने अपनी कूटनीति और विदेशी हस्तक्षेप में ही अधिक भरोसा किया। उनका विश्वास था कि चीन और वाशिंगटन के अतिरिक्त सारा मुस्लिम विश्वभी उनको सहयोग करेगा।[3] यद्यपि उसका यह भरोसा आधारहीन नहीं था।

पाकिस्तान ,दो मुख्य शक्तियों के सहयोग के बावजूद वह भारत के विरुद्ध उनके सक्रिय सहयोग को प्राप्त नहीं कर सका लेकिन भारत की कूटनीतिक सफलता ने पाकिस्तान के साथ युद्ध क्षेत्र में भी जाकर बांगलादेश को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में प्रगट होने में आशातीत सफलता प्रदान की।[4]

---

1-दि स्टेट्समैन-4 दिसम्बर 1971
2-दि टाइम्स आफ इण्डिया-16 दिसम्बर 1971
3-दि टाइम्स आफ इण्डिया-16 दिसम्बर 1971
4-सुचता घोष, "दि रोल आफ इण्डिया- इन द इमरजेन्स आफ बांगलादेश, 1983 पृ0 201-202

## 7. लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना के लिए भारत का स्वाभाविक सहयोग

डा० सुभाष कश्यप के शब्दों में ,"हमारे देश के दूसरे दरवाजे पर बांगलादेश में भयानक घटनाएं घट रहीं हैं। आज बांगलादेश विप्लव में फंसा है। इतिहास लिखा जा रहा है और इतिहास बन भी रहा है। जो हमारे देश के भविष्य और पड़ोसी देशों के भविष्य को दशाब्दियों तक प्रभावित करता रहेगा।"[1]

लेकिन भारत ,अपनेसम्पूर्ण इतिहास में जब कभी किसी देश में इस प्रकार की घटनाएँ हुयी हैं वह कभी शान्त नहीं रहा है। हम स्वाधीनता के लिए लड़े हैं ,हम न्याय के लिए लड़े हैं, हमने निरंकुशता की भर्त्सना की है। हमने उपनिवेशवाद का विरोध किया है।

भारत द्वारा बंगलादेश के लोगों की मदद करना अपने व्यक्तिगत स्वार्थो से ऊपर उठकर उसके अपने कुछ उन आदर्शों के कारण भी था,जिनके लिए भारत बहुत समय से कृतसंकल्प रहा है। भारत ने विश्व के उन सभी देशों को सहयोग दिया है,जिन्होने उपनिवेशवाद के विरूद्व संघर्ष किया है, जो लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए लड़े हैं। वे चाहे पड़ोसी देश हों या उसके दूर के रहे हों। भारत ने कभी भी जाति और क्षेत्र के आधार पर औपनिवेशिक दमन और शोषण से पीड़ित देशों के बीच भेद नहीं किया है। बांगलादेश की स्वाधीनता से भारत एशियायी भ्रातृत्व का बीजारोपण करके मित्रता का एक बड़ा आधार बन सकता है।

इसलिए भारत अपने आदर्शों और नैतिक मूल्यों की रक्षा के लिए विश्व का पहला देश था जिसने बांगलादेश के स्वाधीनता आन्दोलन के योद्धाओं को

---

1- डा० सुभाष ,सी कश्यप -असिस्टेन्ट आडिटर डा० आर०एस० कपूरिया, द इन्स्टीट्यूट आफ कांस्टीट्यूशनल एन्ड पार्लियामेंट्री स्टडीज न्यू देहली नेशनल पब्लिशिंग हाउस दरियागंज-पृ ।

सर्वप्रथम नैतिक सहयोग और सहानुभूति देने की घोषणा की थी।

यदि भारत स्वतंत्रता प्रेमी लोगों का समर्थन करने में असफल रहता तो वह अपने ही आदर्शों के प्रति आत्मघात करने के लिए बदनाम किया जाता और अपनी छवि को धूमिल कर लेता। यदि भारत बंगलादेश में इन निरंकुश शक्तियों का प्रतिरोधक नहीं बनता तो वे लोकतांत्रिक मूल्य जिनकी रक्षा के लिए वह सदैव कमर कसे खड़ा रहता है, दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया में मृत प्राय हो जाते। जब 25 मार्च को ढाका पर पाकिस्तानी सेना ने लोकतांत्रित शक्तियों के दमन के लिए टूट पड़ी और यह समाचार भारत में पहुँचा, तब विदेशमंत्री ने 27 मार्च को संसद में एक वक्तव्य दिया। संसद में एक स्वर से पश्चिमी पाकिस्तान की सेना द्वारा पूर्वी बंगाल के निर्दोष लोगों पर किये जा रहे अत्याचारों की निन्दा की गयी। प्रधानमंत्री ने सदन की भावना का सम्मान करते हुए कहा, "यह किसी आन्दोलन का दमन नहीं है, बल्कि यह निहत्थे लोगों पर टैन्कों द्वारा हमला है। सदन का यह एक समान विचार था कि अल्पमत शासन की सेना द्वारा बहुमत को दबाने का यह प्रयास है। इस स्थिति में सदन ने इच्छा व्यक्त की कि भारत को हर प्रकार की सहायता पूर्वी बंगाल के लोगों की करनी चाहिए।[1]

31 मार्च 1971 को भारतीय संसद के दोनों सदनों ने पूर्वी बंगाल के स्वतंत्रता संग्राम के लिए भारतीय जनता की सहानुभूति एवं सहयोग देने के लिए एक सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया। प्रस्ताव प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरागांधी द्वारा स्वयं ही प्रस्तुत किया गया था। प्रस्ताव में कहा गया कि, " यह सदन पूर्वी बंगाल के लोगों के स्वाधीनता आन्दोलन के लिए जो लोकतांत्रितक जीवनमूल्यों के लिए संघर्ष कर रहे हैं अपनी पूर्ण सहानुभूति के साथ उनके हितों के लिए घनिष्ठता से जुड़ा है। भारत अपने हृदय से स्थायी शान्ति के लिए बचनबद्ध है। यह मानव अधिकारों की सुरक्षा के लिए भी दृढ़ प्रतिज्ञ है। यह सदन तुरन्त सैनिक कार्यवाही को रोकने की माँग करता है। यह सदन विश्व की जनता और सरकारों से माँग

---

1- दि टाइम्स आफ इण्डिया-न्यू देहली- 28 मार्च 1971

करता है कि वह पाकिस्तान की सरकार पर निर्दोष लोगों के क्रमबद्ध एवं पूर्व नियोजित हत्याकान्ड को रोकने के लिए तत्काल ही कदम उठाने के लिए दबाव डाले।"[1] "यह सदन पूरे विश्वास के साथ यह स्वीकार करता है कि साढ़े सात करोड़ लोगों का ऐतिहासिक संघर्ष अवश्य ही सफल होगा। यह सदन उनको पूर्ण विश्वास दिलाना चाहता है कि उनके संघर्ष और बलिदानों को भारतीय जनता का सम्पूर्ण हृदय से सहानुभूति और समर्थन प्राप्त होगा।[2]

इसी बांगलादेश की समस्या को लेकर 16 मई को लोकसभा में प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधीने भारतीय दृष्टिकोण को स्पष्ट करते हुए कहा, कि यह तो स्वाभाविक ही है कि जब हमारी स्वतंत्रता ,लोकतंत्र और मानव अधिकारों के मूल्यों में आस्था रही है पर जब इन मूल्यों को कहीं पर भी कुचला जाता है, तब तो हमको गहरा आघात लगना ही चाहिए। प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि हमने लोकतंत्र के बारे में बहुत कुछ सुना है। मित्र राष्ट्र हमेशा यह दावा करते रहे कि द्वितीय विश्वयुद्ध लोकतंत्र के लिए लड़ा गया था। लेकिन आज जब लोकतांत्रिक मूल्यों को इतनी दुष्टता एवं पाशविकता से नष्ट किया जा रहा है। तो हमने इस पर किसी की प्रतिक्रिया नहीं सुनी स्थिति की गम्भीरता को देखते हुए किसी ने भी समस्या के समाधान के लिए भरपूर जोर नहीं दिया है। क्या लोकतंत्र का इससे बड़ा और स्पष्ट प्रदर्शन और कहीं हो सकता है ? जैसा कि पाकिस्तान के चुनावों से प्रत्यक्ष देखने को मिला है। मैं सदन को यह भी याद दिलाना चाहती हूँ कि चुनाव भी सैनिक शासन द्वारा बनाये गये कानूनों के अनुसार हुए थे । किन्तु कुछ ही समय बाद वही सैनिक शासन क्रूरता पूर्ण ढंग से पाकिस्तान के लोकतांत्रित सरकार को शासन में आने से रोकने का प्रयास करने लगें।[3]

---

1-द स्टेट्समैन नयी दिल्ली- 1अप्रैल 1971
2-एशियन रिकार्डर, मई 14-20 , 1971 कालम 11 पृ0 10158
3-दि टाइम्स आफ इण्डिया- 28 मई 1971

कुछ लोगो ने यह विवाद खड़ा करने काप्रयास किया कि यह पाकिस्तान का आन्तरिक मामला होते हुए भी भारत ने इतनी रूचि क्यों दिखायी ? लेकिन जब यह आन्तरिक मामला अनैतिक रूप धारण कर चुका हो तो भारत चुप कैसे रह सकता था। भारत का तो विश्व के विभिन्न भागों में लोकतांत्रिक आन्दोलनों के प्रति सक्रिय सहयोग जगजाहिर रहा है। जैसा कि सत्ता में आने के तुरन्त बाद ही नेहरू ने इन्डोनेशिया का मामला उठाया। जनवरी 1949 से दिल्ली में एक सम्मलेन का आयोजन किया गया और आष्ट्रेलिया की सहायता से यू0एन0ओ0 में इस समस्या पर विचार करने के लिए मामला उठाया गया। 1950 में भारत ने नेपाल के राजा त्रिभुवन की वहाँ के राणाओं से मदद की थी। यह लोकप्रिय सरकार की स्थापना के लिए सहयोग था। भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ के निर्देशन पर कॉंगों की शान्ति की स्थापना के लिए सेना भेजी थी। अप्रैल 1971 में भारत ने श्रीलंका सरकार की मदद के लिए सहायता भेजी,जहाँ पर सम्पूर्ण देश विप्लव की चपेट में आ गया था।

किन्तु यहाँ पर तो पाकिस्तान की सरकार ने अपनी असफलताओं को छिपाने के लिए राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को बदनाम करना ही अपने प्रचारतंत्र का मुख्य उद्देश्य बना लिया था और जब वह स्वयं ही निराशा औरअसफलता के जाल में फंस गया तब उसने 3 दिसम्बर को भारत पर आक्रमण करके बांगलादेश समस्या को एक नयी दशा देने का प्रयास किया जिससे यह भारत-पाक युद्ध के रूप में एक अन्तर्राष्ट्रीय समस्या बन जाय। प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गाँधी ने 3-4 दिसम्बर की अर्द्धरात्रि में यह घोषणा की कि आज बांगलादेश के ऊपर युद्ध भारत के लिए युद्ध बन गया है और पाकिस्तान को अन्तिम रूप से पराजित कर दिया जायेगा। भारत ने 6 दिसम्बर को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में बांगलादेश को मान्यता दे दी। प्रधानमंत्री श्रीमती गाँधी ने संसद में कहा कि "मुझे सदन को सूचित करते हुए हर्ष है ,कि वर्तमान स्थिति के परिप्रेक्ष्य में और बांगलादेश सरकार की पुनः प्रार्थना करने पर भारत सरकार बहुत ही सोच विचार कर लोकतंत्रीय बांगलादेश सरकार को मान्यता देने कानिर्णय लिया है।[1]

---

1- एशियन रिकार्डर जनवरी 1-7 कालम। पृ0545

16 दिसम्बर को भारतीय सेनाओं की जो शानदार विजय हुई वह भारत के लिए श्रीमती गांधी के शब्दों में "यह विजय केवल हथियारों की नहीं, वरन विचारों की थी।" इस युद्ध का उद्‌देश्य कोई व्यक्तिगत लाभ प्राप्त करना नहीं था, किन्तु यह तो उस महान कार्य की परिणित के लिए था जिसमें साढ़े सात करोड़ लोग सैनिक शासन के दमनचक्र में पिस रहे थे उनको मुक्त कराने और उन्हे खोये हुए सम्मान को पुन: स्थापित करने के लिए था।[1] फिर यह ऐसा युद्ध था जो किसी रोष अथवा कटुता की छाया में किसी के विरूद्ध नहीं लड़ा गया था। भारत ने जो युद्ध लड़ा उसने अपनी लोकतंत्र की गहरी आस्थाओं के लिए लड़ा। और मानव जाति की भावनाओं की रक्षा के लिए जो धर्म, जाति और राष्ट्रीयता के बन्धनों को पार करता है। भारत ने बांगलादेश के लोगों की जो मदद की है वह उसने अपने प्राचीन राजनीतिक परम्पराओं के अनुकूल है। भारत हमेशा सताये गये एवं दमन किये गये लोगों के लिए लड़ता रहा है। वास्तव में युद्ध मानवीय भावनाओं से प्रभावित होकर लड़ा गया। भारतीय नेता बार-बार सेनाओं को निर्देश देते रहे कि जहाँ तक सम्भव हो शत्रु की सम्पत्ति और मनुष्य जीवन की रक्षा की जाय।

हमारा युद्ध मानवीय कष्टों को कम करने के लिए था। हमारी सेना अपने कट्टर शत्रु को भी समाप्त नहीं करना चाहती थी। सर्वाधिक सम्बन्ध मानव जीवन की सुरक्षा का उस समय था जब जनरल मानिक शा ने बार-बार पाकिस्तान की सेनाओं के आत्म-समर्पण के लिए कहा। वह अपनी जीत के लिए पूर्ण आश्वस्त थे। किन्तु वह चाहते थे कि कम से कम खून खराबा हो।[2] भारत सरकार द्वारा पश्चिमी मोर्चा पर पर भी बांगला देश की स्वतंत्रता का उद्‌देश्य पूर्ण होने पर युद्ध विराम की घोषणा कर दी गयी। युद्ध का उद्‌देश्य पूरा हो गया पश्चिमी पाकिस्तान के उपनिवेश शासन से मुक्ति मिल गयी और

---

1-भारत ज्योति-19 दिसम्बर 1971
2- द पेट्रीयाट-31 दिसम्बर 1971

उनको झूठा साबित कर दिया जो भारत को आक्रमण कारी होने का आरोप लगा चुके थे।[1]

जैसा कि प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने घोषणा की थी कि भारतीय सेनायें बांगलादेश वासियों की इच्छा के विरुद्ध एक दिन भी नहीं रुकेंगी। उन्होने अपने वचनों को पूरा किया और भारतीय सेनाएं बांगलादेश की लोकप्रिय सरकार को सत्ता सौंप कर अपार सम्मान के साथ स्वदेश वापस आ गयी।

हमारी सेनाओं ने बांगलादेश की जनता के लिए शानदार आदर्शो को प्रस्तुत किया है। उसके उपलक्ष में जब भारतीय सेनाओं ने सत्ता सौपकर स्वदेश के लिए प्रस्थान किया उस समय बांगलादेश के नेताओं ने अपने अश्रुपूरित नेत्रों से विदाई समारोह के अवसर पर कहा कि भावी पीढ़ियाँ भारत द्वारा लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए किया गया हमारा सहयोग कभी नहीं भूलेंगी। भारतीय सेना के एक अधिकारी ने कहा, हमारी यह हार्दिक इच्छा है कि हमने जो कुछ भी आपकी सेवा की है,उसे रातों रात न भुलाया जाय।

अब इस वास्तविक तथ्य से कोई इनकार नहीं कर सकता है कि चाहे जो भी परिस्थितियाँ रही हों। भारत का बांगलादेश की उत्पत्ति में बहुत बड़ा सहयोग रहा है। जी0के0 रेड्डी ने हिन्दू पत्र में लिखा : "श्रीमती गांधी की बांगलादेश संकट के समय की सूझ-बूझ प्रशंसनीय रही है,उनके अनुसार वह भारतीय जनता को सहयोग और विश्वास इज्जत के साथ प्राप्त कर सकेगी क्योंकि पूर्वी बंगाल के क्रूरतापूर्ण अभियान के समय भारत ही पहला देश था जो कंधों से कंधा जोड़कर उनके साथ लड़ा।[2]

---

1- हिन्दू- 30 दिसम्बर 1971

2- साउथ एसियन फार्म- नवम्बर 2,काठमाण्डू स्प्रीन्ग 1982

8. प्रभुसत्ता सम्पन्न बांगलादेश का अभ्युदय

25 मार्च 1971 के बाद बांगलादेश में पाकिस्तानी फौजों द्वारा किया गया नरसंहार 20वीं सदी का सबसे बड़ा हत्या कांड था। लेकिन अपनी आजादी के लिए लड़ रही जनता का लहू कभी व्यर्थ नही जाता। बांगलादेश के नरसंहार के 8 महीने बाद (16 दिसम्बर 71) पूर्वी पाकिस्तान की जनता के स्वतन्त्रता संग्राम की सफलता और स्वाधीन बांगलादेश का उदय विश्व इतिहास की एक महान घटना है।

अति प्राचीन होने के बावजूद अब बांगलादेश एक नया देश और एक स्वतन्त्र राष्ट्र है। शक और हूंणो के पूर्वज जंगेज खाँ, नादिरशाह के वंशधर और हिटलर, मुसोलनी के नयें संस्करण, बर्बर पाकिस्तानी सामरिक कुचक्र चलाने वालों के नृशंस चंगुल से छुटकारा पाकर बांगलादेश स्वतन्त्र हुआ है। हजारो देशभक्त युवकों के ताजा खून से रंजित और अनगणित नर-नारी और निष्पाप शिशुओं के पवित्र रक्त से स्नात बंगलादेश का अभ्युदय हुआ है। पाकिस्तानी सामरिक कुचक्र रचने वालों के लिए यह इतिहास जिस तरह कलंकित है, उसी तरह अपने देश और अपनी जाति के प्रेम से ओत-प्रोत युवक और वृद्ध बंगलादेश वासियों के लिए गौरवपूर्ण है।

स्वाधीनता बांगलादेश की पूर्व घोषणा[1]

स्वाधीनता की घोषणा का आदेश 10 अप्रैल को निर्गत किया गया था। उसी का संक्षेप में मूलरूप जैसा कि "स्वाधीनता की घोषणा का आदेश 10 अप्रैल 1971 के दिन" हम बंगलादेश के चुने हुए प्रतिनिधियों ने जैसा कि उनकी सर्वोच्च इच्छा जो हम लोगों में समाहित है, हमें एक सम्बैधानिक सभा बनाने के लिए आज्ञा पत्र प्रदान किया है। आपसी विचार-विमर्श करके बांगलादेश के लोगों के लिए समानता, मानवीय गरिमा और सामाजिक न्याय को सुनिश्चित

---

1- दि स्टेट्समैन- दिल्ली 19 अप्रैल 1971

करने के रूप में घोषणा की जाती है और बंगबन्धु शेख मुजीबुर्रहमान द्वारा घोषणा की पुष्टि कर दी गयी है। यह निश्चय किया गया है कि जब तक संविधान बनेगा, बंगबन्धु शेख मुजीबुर रहमान गणतंत्र के राष्ट्रपति होगें और सैयद नजरूल इस्लाम गणतन्त्र के उपराष्ट्रपति होगें और राष्ट्रपति गणतन्त्र की तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति भी होगा, सभी कार्यपालिका एवं विधायनी शक्तियों का प्रयोग कर सकेगा, क्षमादान का अधिकार प्राप्त होगा। प्रधानमंत्री एवं सहयोगी अन्य मंत्रियों की भी नियुक्ति कर सकता है और आवश्यकता पड़ने पर वह कर लगा सकता है। उसे संविधान सभा को आहूत एवं स्थिगित करने का अधिकार होगा और बांगलादेश की जनता के लिए जो भी आवश्यक समझेगा एक प्रभुत्व सम्पन्न एवं न्यायप्रिय सरकार की तरह कार्य कर सकेगा।

अतएव इस प्रस्ताव को प्रभावी बनाने के लिए प्रोफेसर यूशिफ अली राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति को पद की शपथ दिलायेंगें।[1]

मौलाना भसानी ने जोरदार शब्दों में कहा कि "पाकिस्तान और बांगलादेश अब कभी नहीं मिल सकते हैं, उनके बीच भारी और अन्तिम दरार पड़ चुकी है।[2]

पुनः बांगलादेश सरकार ने एक बार विश्व के लोकतांत्रिक देशों से बांगलादेश सरकार को मान्यता देकर इससे कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापित करने का अपील की।[3] इस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए श्रीमती गांधी ने कहा, "भारत सरकार स्थितिपर पूरी निगाह रखे हुए है, समय आने पर उचित कदम उठाया जायेगा।[4]

---------------

1- दि सन्डे स्टैन्डर्ड, अप्रैल 18, 1971
2- नेशनल हेरल्ड स्टैन्डर्ड जून3, 1971
3- दि स्टेट्समैन- नयी दिल्ली 14 अप्रैल 1971
4- इण्डियन एक्सप्रेस- नयी दिल्ली-16 अप्रैल 1971

पाकिस्तानी सेनाओं का आत्मसमर्पण और श्रीमती गांधी द्वारा युद्ध विराम की घोषणा

बांगलादेश की समस्या का राजनीतिक समाधान न खोजकर पाकिस्तान के राजनीतिज्ञों ने अपनी कूटनीतिक अदूरदर्शिता का परिचय दिया है। इतना ही नहीं इन्होने कुंठा और निराशा की स्थिति में फंसकर 3 दिसम्बर 1971 को भारत पर पूरी शक्ति के साथ हवाई आक्रमण कर दिया, किन्तु 14 दिन के इस युद्ध में 16 दिसम्बर को 4-30 बजे पाकिस्तानी सेना के ले0 जनरल नियाजी ने पूर्वी पाकिस्तान की राजधानी ढाका में सेना के आत्मसमर्पण दस्तावेज पर हस्ताक्षर करके भारतीय सेना के अधिकारी ले0 जनरल अरोड़ा को सौंप दिये।[1]

श्रीमती इन्दिरा गांधी ने संसद में बताया कि अब सेनाओं ने आत्म समर्पण कर दिया है और बांगलादेश अब स्वतन्त्र हो चुका है। इसलिए हमने अपनी सेनाओं को हर जगह पश्चिमी सीमा पर भी युद्ध विराम की घोषणा कर दी है और यह 17 दिसम्बर से प्रभावी है।[2]

इस प्रकार 16 दिसम्बर 1971 को पाकिस्तान के व्यापक रूप से विभाजित क्षेत्रों की भागीदारी इस शताब्दी की एक चौथाई अवधि तक साथ-साथ रहने के साथ समाप्त हो गयी और एक नये प्रभुसत्ता सम्पन्न राष्ट्र के रूप में बांगलादेश का जन्म हुआ।

बंगालादेश की उत्पत्ति का सबसे महत्वपूर्ण कारण इसका राजनैतिक एवं आर्थिक शोषण था।[3] एन्थोनी मेसकरहेन्स लिखता है कि इस प्रकार बांगलादेश का अभ्युदय एक वास्तविकता बन गया। मानसिक और भावनात्मक रूप से विभाजन पूरा हो चुका है। इस घटना की पूरी जिम्मेदारी सैनिक शासन राष्ट्रपति याहिया पर जाती है।[4]

---

1- टाइम्स आफ इण्डिया, 20 दिसम्बर 1971

2- दि ट्रिब्यून 18 दिसम्बर 1971

3- ए0एम0ए0 रहीम, एन एनालिसिस आफ प्लानिंग स्ट्रेटेजी इन बांगलादेश . एशियन सर्वे, वाल्यूम 15 न05-मई 1975 पेज 383

4- मासीर्हेन्स एन्थोनी, दि रेप आफ बांगलादेश- पृ0 135

अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय द्वाराबांगलादेश को मान्यता

वर्तमान युग अन्तर्राष्ट्रीयता का युग है। विश्व का कोई भी नया या पुराना राष्ट्र विश्व के अन्य राष्ट्रों के सहयोग के अभाव में अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा एवं समृद्धि को अक्षुण्य बनाये रखने में असमर्थ रहेगा, अतः बांगलादेश एक स्वाधीन राष्ट्र अवश्य हो गया, किन्तु अभी उसे विश्व के अन्य राष्ट्रों से एक सार्वभौमिक स्वतन्त्र राष्ट्र के रूप में मान्यता लेनाअनिवार्य था। तभी वह अन्तर्राष्ट्रीय कानूनों एवं नियमों के अनुसार विश्व संगठनों के सदस्य के रूप में अपने अस्तित्व की मान्यता प्राप्त कर सकता था। और तभी उसे विश्व समुदाय के अन्य देशों से एक स्वतन्त्र राष्ट्र के रूप में राजनैतिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक सम्बन्ध स्थापित करने का अवसर प्राप्त हो सकेगा।

बांगलादेश को सर्वप्रथम मान्यता देने वालों में उसके समीपस्त पड़ोसी भारत और भूटान थे। इसके बाद पूर्वी यूरोप के समाजवादी देशों ने पहल की। इनमें पूर्वी जर्मनी ने सबसे पहले मान्यता दी। इसी दौर में बुल्गारिया, पोलैन्ड और मंगोलिया भी आके आ गये। इन देशों से पाकिस्तान ने सम्बन्ध विच्छेद कर लिया। बांगलादेश को मान्यता देने वाले तीसरे दौरे में बर्मा और नेपाल सामने आये। कनाडा द्वारा मान्यता देने के बाद राष्ट्र मण्डल के सभी प्रमुख देशों ने इस तथ्य को स्वीकार कर लिया कि बांगलादेश एक स्वतन्त्र प्रभुता सम्पन्न राष्ट्र है। सोवियत संघ और ब्रिटेन द्वारा मान्यता देने पर विश्वजनमत ने बांगलादेश की स्वतन्त्र सत्ता को स्वीकार कर लिया।

फिर मान्यता देने वाले देशों में फ्रान्स और जापान भी पीछे नहीं रहे। पूर्वी योरोपीय देशों के अतिरिक्त इटली, आयरलैन्ड, पश्चिमी जर्मनी, नीदरलैन्ड, लग्जमवर्ग और बैलजियम थे। स्वीडन, डेनमार्क, योगोस्लाविया भी मान्यता देने वालों की सूची में शामिल हो गये।[1]

---

1- दिनमान पत्रिका 20 फरवरी 1972 पृ0 34

उपरोक्त सभी राष्ट्रो द्वारा एक स्वतन्त्र राष्ट्र के रूप में मान्यता प्राप्त करके, बांगलादेश विश्वसमुदाय का एक सक्रिय सदस्य और विश्व राजनीति का एक नया सहयोगी बन गया।

सुचेता घोष ने[1] ठीक ही लिखा है कि इसमें सन्देह नहीं है कि जब से ब्रिटिश शासन का अन्त हुआ है बांगलादेश का एक सार्वभौमिक स्वतन्त्र राष्ट्र के रूप में उदभव दक्षिण एशिया की सबसे महत्वपूर्ण घटना है। इस घटनाने पाकिस्तान के केवल भौगोलिक स्वरूप को नही बदला है, बल्कि दक्षिण एशिया के इतिहास और भूगोल को बदल कर, विश्व राजनीति के समीकरणों को भी बदल दिया है।

---

1- घोष, सुचेता- दि रोल आफ इण्डिया, इन दि इमरजेन्स आफ बांगलादेश 1983- मिररवा एसोसियेट्स (पब्लिकेशन) 7I3 हेक प्लेस- कलकत्ता पृ० ।

# तृतीय परिच्छेद

## भारत और नवोदित बांग्लादेश का सम्बन्ध

## भारत और नवोदित बाँगलादेश का सम्बन्ध

### शेख मुजीब शासन काल में राजनीतिक सम्बन्ध

लोकतांत्रिक गणतन्त्रीय बाँगलादेश के 16 दिसम्बर 1971 को स्वाधीन होने के तुरन्त बाद ही भारत और बाँगलादेश के बीच कूटनीतिक सम्बन्धों का एक नया युग आरम्भ हो गया। दोनों देश एशिया राजनीतिक क्षितिज पर प्रगाढ़ मैत्री के साथ उभर कर आये। इसी परिप्रेक्ष्य में 5 जनवरी, 1972 को बाँगलादेश के विदेशमंत्री मि० अब्दुस समद ने नयी दिल्ली की 4 दिन की राजकीय यात्रा की। विदेशमंत्री मि० समद जैसे ही हवाई अड्डे पर उतरे वहाँ उनके स्वागत के लिए विदेशमंत्री सरदार स्वर्ण सिंह ,श्री डी०पी० धर, और अन्य राजप्रतिनिधि और विदेश मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।[1]

सोवियत यूनियन,मंगोलिया,पोलैण्ड,हंगरी,बूल्गारिया और चेकोस्लाविया के राजदूत और भूटान के प्रतिनिधि भी श्री समद की अगवानी के लिए उपस्थित थे। श्री समद ने सभी राजनायिकों के बीच कहा,"भारत और बाँगलादेश हृदय से एक है? विदेशमंत्री के साथ श्री लतफुर रहमान,सचिव,वाणिज्य और उद्योग,श्री हुसैन अली,कलकत्ता में बाँगलादेश मिशन के अध्यक्ष, डा० मुसर्फर हुसैन, योजना आयोग के सदस्य, श्री फारूक चौधरी विदेश मंत्रालय के महानिदेशक और श्री इनाम अहमद चौधरी वाणिज्य और उद्योग के संयुक्त सचिव भी उपस्थित थे।

दूसरे दिन श्री शमद ,प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गाँधी,विदेशमंत्री, प्रतिरक्षा मंत्री,योजनामंत्री,सिंचाई और उर्जा मंत्री से भी मिले। श्री शमद ने कहा कि,"हमलोग मिलकर इस महाद्वीप का एक उत्तम वातावरण बनायेंगे,~~हम लोग मिलकर इस महाद्वीप का एक उत्तम वातावरण बनायेंगे~~, हम लोग ऐसी आर्थिक और राजनीतिक परिस्थितियों का निर्माण करेगें,जिनमें रहकर हमारे

---

1- मदरलैन्ड- 6 जून ,1972.

देशवासी अपना बहुमुखी विकास कर सके। उन्होने आगे कहा, शोषण और दमन से यह स्वतन्त्र राष्ट्र आपस में मिलकर न्यायसंगत और सौजन्यतापूर्ण सम्बन्ध बनायेंगे। श्री समद ने भावविभोर होकर कहा कि यह सहयोग, भाईचारा और भ्रातृत्व हम लोगों के बीच में जो महान आदर्शो के स्तम्भ पर आधारित है, पाकिस्तान सहित समस्त विश्व के लिए देदीप्यमान ज्योति के रूप में होगा। उन्होने गौरव के साथ कहा, यह इतिहास का सबसे गौरवशाली क्षण है, भारत की महान जनता ने प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गाँधी के प्रभावशाली नेतृत्व के अन्तर्गत दोनों देशों के बीच स्थायी मित्रता के सम्बन्धों को बनायाहै।[1] श्री समद ने यह विश्वास प्रगट किया कि हमारे दोनों देशों के लोगों ने कुछ महीनों से साथ-साथ काम किया, अत्याचारियों से युद्ध भी करना पड़ा। लेकिन यह संघर्ष हमारे देश को पश्चिमी पाकिस्तान की सैन्य शक्तियों और उनकी निरंकुशता से मुक्ति दिलाने के लिए नहीं था, बल्कि सभ्यता के मौलिक सिद्धान्तों लोकतन्त्र और लोकसम्प्रभुता के लिए किया गया था। यह केवल हमारे लिए गर्व और संतोष की बात नहीं वरन भारत के लोगों के लिए भी है। जिन्होने बुद्धिमतापूर्ण श्रीमती गाँधी के नेतृत्व में हम लोगों के जीवन में अंधकार को लाने वाली शक्तियों, बुराई और बर्बादी लाने वाली शक्तियों और बर्बतापूर्ण उन शक्तियों को पराजित कर दिया जिन्होने इस उपमहाद्वीप के निर्मल वातावरण को आच्छादित कर लिया था।[2]

श्री समद ने कहा कि "मुझे पूरा विश्वास है कि भारत और बांगलादेश के लोगों के बीच शाश्वत मित्रता और सहयोग का युग प्रारम्भ होगा, जो धर्मनिरपेक्षता, लोकतन्त्र और समाजवाद के सामान्य सिद्धान्तों पर आधारित होगा।[3]

भारत के विदेशमंत्री श्री स्वर्णसिंह ने आशा व्यक्त की कि अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय स्थिति की वास्तविकता को समझेगा और कानून के अन्तर्गत वह बांगलादेश

---

1-मदरलैन्ड 6 जून 1972
2-वही
3-वही

को मान्यता देगा। भारत और बाँगलादेश हाथ में हाथ मिलाकर प्रगति और शान्ति की ओर आगे बढ़ते रहेंगे।[1]

श्री समद ने भारत की यात्रा दो उद्देश्यों से की - प्रथम वह शेख मुजीब को पाकिस्तान से मुक्त कराने के लिए भारत का सहयोग चाहते थे। दूसरा, भारत से बाँगलादेश के लिए हर तरह की अधिक से अधिक सहायता चाहते थे।[2] भारत पहला देश था जिसने अन्तर्राष्ट्रीय जगत में बाँगलादेश को एक स्वतन्त्र राष्ट्र के रूप में स्वीकार करते हुए 6 दिसम्बर 1971 को मान्यता प्रदान की । श्री समद ने अपनी यात्रा के समय श्रीमती गाँधी और विदेशमंत्री सरदार स्वर्ण सिंह से मुख्य रूप से तीन विषयों पर बात-चीत की।

1- दो महीने के अन्दर शरणार्थियों की वापसी।

2- भारतीय सैनिकों की बाँगलादेश से वापसी।

3- शेख मुजीब की पाकिस्तान से मुक्ति।

शेख मुजीबुररहमान को 8 जनवरी 1972 को मुक्त कर दिया गया।[3] 9 जनवरी 1972 को भारत और बाँगलादेश की सरकारों ने यह स्पष्ट कर दिया कि बाँगलादेश के रूप में इस नये राष्ट्र के अस्तित्व को यदि कोई मिटाने का प्रयास करेगा, जो आज एक ऐतिहासिक वास्तविकता के रूप में है, उसके उन समस्त प्रयासों को धराशायी कर दिया जायेगा। यदि कोई बाँगलादेश की वास्तविकता से अपनी आँखें मूँदने का दृढता पूर्वक प्रयास करेगा, तो यह समझा जायेगा कि वह इस क्षेत्र में अस्थिरता एंव विश्व शान्ति को खतरा उत्पन्न करने के लिए जिम्मेदार है।[4]

10 जनवरी 1972 को भारत की प्रधानमंत्री और बाँगलादेश ने दोनों देशों की जनता की ओर से लोकतन्त्र, सामाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, गुटनिरपेक्षता में गहरी आस्था व्यक्त करते हुए दृढ़तापूर्वक इन सिद्धान्तों को स्वीकार किया

---

1-मदरलैन्ड, 6 जून 1972
2-एशियन रिकार्डर, 1972 (फरवरी 5-11) कालम 1 पृ0 107605
3-वही- कालम I पेज 10603
4-वही- कालम I पेज 10605

और जातिवाद, उपनिवेशवाद के सभी स्वरूपों का विरोध करते हुए अपना विचार व्यक्त किया।[1] 19 फरवरी 1972 को श्रीमती गांधीऔर शेख मुजीब ने कलकत्ता में एक बैठक में भाग लेते हुए छ:सूत्री वक्तव्य जारी किया।

1- भारतीय सेनाओं की 25मार्च 1972 तक वापसी हो जायेगी

2- दोनो देश शान्ति और सहयोग से कार्य करेगें।

3- दोनों ही देश एक अच्छे पड़ोसी मित्र की तरह रहेगें।

4- दोनों ही देश लोकतन्त्र, समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता की नीति का अनुसरण करेगें।

5- दोनों ही देश जातिवाद, उपनिवेशवाद का विरोध करेगें।

6- शरणार्थियों के पुर्ननिवास में सहयोग करेगें।[2]

भारत-बाँगलादेश मैत्रीय सन्धि

भारत और बाँगलादेश के बीच मित्रता और शान्ति के लिए 25 वर्षीय सन्धि पर 19 मार्च 1971 को दोनों देशों के प्रधान मंत्रियों ने हस्ताक्षर किये। यह भारत-रूस सन्धि के समरूप थी। यह सन्धि शान्ति, धर्मनिरपेक्षता, लोकतन्त्र के सामान्य आदर्शों से प्रेरित थी।[3]

बाँगलादेश को सभी प्रकार का सहयोग और सहानुभूति का आश्वासन देते हुए श्रीमती गांधी ने कहा " हम आपकी जो मदद कर रहे हैं यह इसलिए नहीं कि हम तुम पर किसी प्रकार का प्रभाव रखना चाहते हैं। हम सच्ची दोस्ती भाई चारे की भावना और उन उच्च आदर्शों के लिए जिनको हम लोगों ने स्वीकार किया है आपका सहयोग करनाचाहते हैं।[4] 12 मई 1974 को शेख मुजीबुर रहमान ने अपनी भारत यात्रा के समय दोनों देशों के बीच प्रभुसत्ता, समानता और एक दूसरे देशों के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने के लिए परस्पर सम्मान पर आधारित सम्बन्धों पर गहरा संतोष व्यक्त किया।[5]

---

1-वही- कालम 1 पेज0 10003
2-एशियनरिकार्डर ﴾मार्च 4-10﴿ कालम 1 पेज 10650-1972
3-परिशिष्ट अ-
4-एशियन रिकार्डर 1972 ﴾अप्रैल 15-21﴿ कालम 1, पे0 10717
5-वही 1974 ﴾जून 4-10﴿ कालम 11 पेज 12035

कुछ समय बाद दिसम्बर 1974 में उन्होने कहा कि भारत और बाँगलादेश के बीच मित्रता दोनों की भलाई और समृद्धि के लिए है। इनकी उपयोगिता इतनी व्यापक है, कियह सन्देह के परे हैं। यह जीवन का एक वास्तविक तथ्य है,इसे किसी भी प्रकार से विदेशी शक्तियाँ, जो प्राय:सम्बन्धों को प्रभावित करने का प्रयास करती हैं,उनके द्वारा भी यह निषिद्ध नहीं किये जा सकते हैं।[1]

फिर मि0 वाई0वी0 चह्वाण ने नई दिल्ली में दिसम्बर 1974 में कहा कि भारत-बाँगलादेश के बीच ऐसी कोई समस्यायें नहीं है जो आपसी बात-चीत से मित्रता पूर्ण वातावरण में सुलझाई न जा सके।[2]

पुन: बाँगलादेश के द्वितीय स्वाधीनता समारोह के अवसर पर भारतीय पत्रकारों के साथ एक विशेष साक्षात्कार में प्रधानमंत्री ने भारत के साथ मैत्री सम्बन्धों को बनाये रखने के लिए अपनासंकल्प पुन: दोहराया, उन्होने कहा कि भारत और बांगलादेश में कुछ ऐसे लोग हैं,जो दोनों देशों के सम्बन्धों में बिगाड़ कराना चाहते हैं। वे कपट पूर्ण भावनाओं के शिकार है लेकिन उनका विश्वास है कि दोनों देश एक शान्तिपूर्ण और मित्र पड़ोसियों की तरह रहेगें। पिछले आम चुनावों का जिक्र करते हुए उन्होने कहा," तुमने मेरे चुनावों के वक्तव्य सुने होगें। मैने भारत की दोस्ती को अपने चुनाव का मुख्य मुद्दा बनाया था और हमें भारी विजय प्राप्त हुयी,हम अपने वायदे से कभी भी पीछे नहीं हटते हैं,उन्होने कहा कि हमारी निकट भविष्य में भारत यात्रा की योजना है। हमारी त्रिपुरा,मेघालय और असम यात्रा की विशेष इच्छा है। जिससे हम अपनी कृतज्ञता व्यक्त कर सकें। उन्होने आगे कहा कि "बाँगलादेश के जन्म के साथ साम्प्रदायिकता की मौत हो गयी और हमेशा के लिए दफना दी गयी है। हमारे लोग गैर साम्प्रदायिक हैं।[3]

---

1- अमृत बाजार पत्रिका (कलकत्ता) दिसम्बर 21- 1974
2- आसाम ट्रिब्यून- गौहाटी दिसम्बर 12- 1974
3- एशियन रिकार्डर - जनवरी (22-28) 1974 पेज 11809

शेख ने बाँगलादेश के साथ स्वाधीनता आन्दोलन के सहयोग के लिए भारत ने उसके बाद भी जो भारी मदद की है अपना पुन: आभार व्यक्त किया, उन्होने बाँगलादेश को भारतीय उपमहाद्वीप और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच की कड़ी बताया।

बांगलादेश के प्रधानमंत्री शेख मुजीबुर्रहमान की नई दिल्ली यात्रा

बांगलादेश के प्रधानमंत्री शेख मुजीबुर रहमान 12 मई को सरकारी यात्रा पर दिल्ली पहुँचे।[1] उनकी हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी और उनके मंत्रिमण्डल के सहयोगियों ने भव्य स्वागत किया। शेख की अगवानी के लिए एक बहुत बड़ी संख्या में संसद सदस्य, काँग्रेस के नेता और बाँगलादेश के नागरिक हवाई अड्डे पर पहुँचे।

भारतीय प्रतिनिधि मण्डल में श्रीमती इन्दिरा गांधी के अतिरिक्त विदेश मंत्री सरदार स्वर्ण सिंह, वाणिज्यमंत्री प्रो० डी०पी० चट्टोपाध्याय, सिंचाई और ऊर्जा मंत्री श्री क०सी० पन्त, आयोजना आयोग के सदस्य प्रो० सुखमय चक्रवर्ती, विदेश सचिव, श्री केवल सिंह और प्रधानमंत्री के सचिव श्री पी०एन० धर थे।

शेख मुजीबुर रहमान के साथ विदेश मंत्री डा० कमाल हुसैन, वाणिज्यमंत्री श्री खण्डेकर मुस्तका अहमद, सचिव फकरूद्दीन अहमद थे। शेख मुजीबुर रहमान और श्रीमती गांधी ने द्विपक्षीय मामलों परबात-चीत की, उन्होने उपमहाद्वीप की स्थिति पर भी विचार किया। बातचीत के दरम्यान दोनों प्रधानमंत्रियोंने, भारत और बांगला देश के बीच बढ़ते हुए सहयोग की घनिष्ठता परगहरासंतोष व्यक्त किया। यह सहयोग भी परस्पर सम्मान, सार्वभौमिकता, समानता और एक दूसरे के आन्तरिक मामलों की अहस्तक्षेपीय नीति पर निर्भर है।[2]

भारत और बाँगलादेश के दोनों प्रधानमंत्रियों ने सभी क्षेत्रों में दोनों देशों की गहरी आंकाक्षाओं के आधार पर और अधिक सहयोग बढ़ाने के लिए पुन:

1-. एशियन रिकार्डर जून 4- 1974 पेज 12035
2- वही, पेज 12036

विश्वास व्यक्त किया। उन्होने यह भी आशा व्यक्त की कि इन दोनों देशों का आपसी सम्बन्ध इस पूरे क्षेत्र में आपसी सहयोग बढ़ाने में मदद करेगा।[1]

भारत के राष्ट्रपति वी0वी0 गिरि की ढाका यात्रा

भारत के राष्ट्रपति श्री वी0वी0 गिरि पाँच दिन की राजकीय यात्रा पर ढाका पहुँचे। जहाँ पर उनका भव्य स्वागत हुआ। इस नये राष्ट्र के लिए भारतीय राष्ट्राध्यक्ष की पहली यात्रा थी। ढाका हवाई अड्डे पर राष्ट्रपति मुहम्मद उल्लाह के द्वारा उनका स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री श्री शेख मुजीब और उनके सहयोगी भी उपस्थित थे। श्री गिरि अपनी पत्नी श्रीमती गिरि और पुत्र शंकर गिरि सांसद भी साथ में थे। विदेश राज्यमंत्री सुरेन्द्र पाल और के0पी0एस0 मैनन विदेश सचिव भी साथ में थे। उसी दिन गिरि ने शेख मुजीब के साथ द्विपक्षीय मामलों एवं उपमहाद्वीप की स्थिति पर बात चीत की। रात्रि भोज के समय श्री गिरि ने स्पष्ट रूप से कहा कि " भारत अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए प्रयास रत है, उसका यह प्रयास सैनिक शक्ति बढ़ाने के लिए नहीं है, बल्कि हम अपने देश के प्रत्येक नागरिक को और अधिक समृद्धिशाली जीवन देने के लिए सक्रिय हैं। उन्होने आगे कहा, "हम लोग इससे सहमत हैं कि यह महान कार्य जिसमें हम लोग संलग्न हैं। दोनों देशों के सहयोग के द्वारा और भी सरल हो सकता है और यह सहयोग दोनो देशों की परस्पर समानता और आपसी लाभ पर आधारित हो सकता है। श्री गिरि ने कहा "भविष्य के इतिहासकार अल्पकाल में ही दोनों देशों के विभिन्न क्षेत्रों के सहयोग पर चकित हो जायेंगे।" आज यह हमारे- तुम्हारे राष्ट्रों के लिए समय है कि हम अपने राष्ट्र की ठोस शक्ति को बढ़ाकर पुनर्निमाण कर सकें।[2]

बांगलादेश के सहकारिता राज्यमंत्री श्री फरीदगाजी ने अपने स्वागत भाषण में कहा कि राष्ट्रपति गिरि अपने साथ बांगलादेश के लिए नई आशा और खुशी लेकर आये हैं। उन्होने कहा कि श्री गिरि उस महान मित्र राष्ट्र के प्रतीक

---

1-एशियन रिकार्डर जन 4-10 पे. 12036,74

2-एशियन रिकार्डर (जुलाई 16-22) 1974 वालूम xx नं0 29

हैं जो बांगलादेश के साढ़े सात करोड़ लोगों के संकट के समय हमारे साथ खड़ा था। उनका पूरा विश्वास है कि बांगलादेश भारत से मित्रतापूर्ण सम्बन्धों की घनिष्टता के आधार पर ही प्रगति के रास्ते पर आगे बढ़ सकता है।[1]

जातीय संसद के विशेष अधिवेशन में 18 जून को सम्बोधित करते श्री गिरि ने कहा था कि भारत- बांगलादेश के बीच सहयोग की बड़ी आवश्यकता है। और उन्होने कहा कि इसी तरह के सहयोग के द्वारा ये दोनो पड़ोसी देश बाहरी दबाव और विश्व के परिवर्तनों का सामना कर सकते हैं।[2]

एक संयुक्त विज्ञप्ति में 19 जून को राष्ट्रपति गिरि की यात्रा को दोनों देशों के बीच स्थायी मित्रता के लिए एक मजबूत बन्धन समझा गया। श्री गिरि और श्री मुहम्मदुल्लाह ने अपना दृढ़ विश्वास व्यक्त करते हुए कहा "दोनों देशों के बीच नजदीकी और मैत्री सम्बन्ध जो मूल रूप से सामान्य आदर्शों, सार्वभौमिक समानताओं और परस्पर सम्मान में स्थित है वे धीरे-धीरे और अधिक मजबूत हो जायेंगें।"[3]

श्री गिरि ने श्री मुहम्मदउल्लाह और शेख मुजीबुर रहमान को भारत सरकार और जनता की ओर से बांगलादेश के लिए गहरी उत्साह युक्त मित्रता का सन्देश दिया। उन्होने उन वीर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की जिन्होंने ने बांगलादेश की स्वाधीनता के लिए अपने को बलिदान कर दिया था।[4] उन्होने बांगलादेश द्वारा सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में की जा रही प्रगति की भी प्रशंसा की। विज्ञप्ति में कहा गया कि श्री गिरि जातीय संसद को उद्बोधन पर बड़े ही खुश थे। यह सदन बांगलादेश के लोकतांत्रिक आदर्शों को व्यक्त करता है।[5]

---

1-एशियन रिकार्डर {जुलाई 16-22} 1974 वाल्यूम XX नं0 29 कालम 1 पृ0 12099
2-वही -कालम 11
3-वही -कालम 1 पेज 12100
4-वही- कालम 111
5एशियन रिकार्डर जुलाई 16-22, 1974 कालम 1 पेज 12100

पुनः मार्च 1975 में श्रीमती गांधी ने कहा कि बांगलादेश और भारत समान रूप से एक समान आदर्शों, स्वतन्त्रता, धर्मनिरपेक्षता और लोकतन्त्र के आदेशों से प्रेरणा प्राप्त करते हैं। भारत और बांगलादेश मित्रता इन मूल्यों की रक्षा करने के लिए ही उत्पन्न हुयी है। उन्होने दोनों देशों को आगाह करते हुए कहा हमे अपने उद्देश्यों के प्रति सतर्क रहना चाहिए और आपसी सहयोग के लिए सद्भावना और इच्छा को सदैव दृढ रखना चाहिए, जिसका हमारे दोनों देशों की जनता में व्यापक स्थान है।[1]

शेख मुजीब की हत्या

भारत सरकार इससे पूर्णतः अनभिज्ञ थी कि वह उसी दिन अपनी स्वाधीनता की 28 वीं वर्षगांठ मनाने जा रही है। एक दिन पूर्व मुजीब ने स्वाधीनता दिवस के उपलक्ष में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के नाम संदेश में दोनों देशों के बीच मित्रता और सहयोग में विश्वास व्यक्त किया और भारतीय जनता की तरह स्वतन्त्रता, लोकतन्त्र, समाजवाद और सामाजिक न्याय तथा उच्च आदेशों में अपना विश्वास व्यक्त किया। उसी दिन 14 अगस्त को बांगलादेश के उच्च आयुक्त ने अपना परिचय पत्र राष्ट्रपति फखरूद्दीन अली अहमद को प्रस्तुत किया। उसने भी समाजवाद, लोकतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता और राष्ट्रवाद में भारत की तरह अपने देशवासियों का विश्वास व्यक्त करते हुए कहा कि वे विश्व के लाखों लोगों की स्थायी शान्ति और लोक कल्याण में सहयोगी बने रहेगें।[2]

एक दिन पूर्व विदेशमंत्री कमाल हुसैन ने भारत की तरह हिन्द महासागर को महाशक्तियों की प्रतिस्पर्धा से स्वतन्त्र रखने के लिए अपनी विदेश नीति के एक उद्देश्य को व्यक्त किया। इन्होने कहा, हम हिन्द महासागर को शान्ति क्षेत्र घोषित करने और सैनिक प्रतिस्पर्धा को रोकने का समर्थन करते हैं।[3]

यह सब होता रहा और 15 अगस्त की सुबह को सारा विश्व उस समय एक समाचार पाकर स्तब्ध रह गया कि एक सैनिक विप्लव द्वारा बंगबन्धु

---

1- टाइम्स आफ इण्डिया (नयी दिल्ली) मार्च 27, 1975
2- टाइम्स (लन्दन) 25 अगस्त 1975
3- हिन्दूस्तान टाइम्स, 25 अगस्त 1975

शेख मुजीबुर्रहमान, बांगलादेश के राष्ट्रपति, उनके पूरे परिवार को उनके कुछ राजनीतिक साथियो सहित नृशंस हत्या कर दी गयी और नयी सरकार खाण्डेकर मुस्ताक अहमद के नेतृत्व में जो अभी तक व्यापार वाणिज्य मंत्री थे पदारूण हो गयी।[1] लेकिन मुजीब की हत्या का प्रभाव उपमहाद्वीप की राजनीति पर दूरगामी होगा। शेख मुजीब की हत्या के साथ ही भारत और बंगलादेश मैत्रीपूर्ण सम्बन्धों का विश्वास से भरा नये युग का अध्याय भी समाप्त हो गया।

आर्थिक सम्बन्ध

बांगलादेश के लोगों को अपनी अर्थव्यवस्था के पुर्ननिर्माण के लिए बड़ी-बड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि स्वाधीनता आन्दोलन में उसकी अर्थव्यवस्था पूर्णतः ध्वस्त हो गयी थी। अतः अपने आर्थिक उत्थान के लिए उसे विश्व के छोटे, बड़े विकसित और विशेषकर अपने पड़ोसी देशों से सहयोग की आवश्यकता है। इस भयातुर स्थिति में भारतवर्ष जो उसके स्वाधीनता आन्दोलन में एक मानवता के प्रहरी के रूप में पहले से ही सहयोगी बन चुका था और अब वह वर्तमान समय में भी उसकी हर सम्भव सहायता करने को तत्पर है। इन्द्रसेन का मत है कि बांगलादेश का श्री भसानी समर्थक एक समाचार पत्र श्रीमती इन्दिरा गांधी को बांगलादेश के एक नये राष्ट्र के रूप में जन्म के समय उनके सहयोग के कारण उनको एक दाई के रूप में मानता है। इस नवजात शिशु रूपी राष्ट्र का जन्म बड़ी कठिनाइयों के बाद हुआ था। यह राष्ट्र रूपी बालक वर्तमान काल में निःसन्देह हृष्ट पुस्ट है। इसका स्वास्थ्य प्राकृतिक संसाधनों के रूप में पर्याप्त है। लेकिन इसका तात्पर्य यह नहीं लगाना चाहिए कि अब उसे तत्काल सहायता और देखभाल की आवश्यकता नहीं है। उसको जीवित एवं स्वस्थ्य रखने के लिए भारत जैसे समीपस्त पड़ोसी देशों के सहयोग की आर्थिक पुर्ननिर्माण के लिए बहुत बड़ी आवश्यकता है।[2]

---

1- टाइम्स आफ इण्डिया, 4 नवम्बर 1975
2- हिन्दुस्तान स्टैन्डर्ड, कलकत्ता 24 जनवरी 1972- हेल्प बंगलादेश नीड्स- इन्द्रा सेन।

बांगलादेश की जनता को भोजन,आवास और कपड़ों की पहली आवश्यकता थी। उद्योगों के लिए कच्चे माल और पूर्जों की जरूरत,कृषि के लिए बीज,बैल, उर्वरक और यंत्रों की, घरेलू और औद्योगिक इकाइयों के लिए ईंधन चाहिए। इस प्रकार वर्तमान समय में प्रत्येक वस्तु की तत्काल आवश्यकता थी। उसे ठोस आर्थिक सहयोग की आवश्यकता थी जिससे वह स्वयं अपने पैरों पर खड़ा हो सके।[1]

बांगलादेश विश्व का सबसे बड़ा निर्धन राष्ट्र है जबकि जनसंख्या की दृष्टि से यह आठवां बड़ा राष्ट्र है। प्रत्येक व्यक्ति की वार्षिक आय 210 रूपये प्रति वर्ष है। उसके विकास के लिए संकुचित साधन हैं। यह नवजात राष्ट्र आर्थिक संकट के दलदल में तब तक फंसा हुआ है जब तक सामूहिक रूप से उसे खींचने के प्रयास नहीं किये जाते।[2] भारत ने बांगलादेश की तत्कालिक कठिनाइयों को दूर करने के लिए कपड़ा, खाने के योग्य तेल ,नमक,शक्कर,दाल और किरोसिन, घड़िया और दवाइयाँ भेजी थी।[3] जब 5 जनवरी 1972 को बांगलादेश के विदेशमंत्री समद ने भारत से आर्थिक सहायता प्राप्त करने के लिए नयी दिल्ली की यात्रा की और उन्होने श्रीमती गांधी और विदेशमंत्री सरदार स्वर्ण सिंह से भेंट की। विचार विमर्श के बाद श्रीमती गांधी और विदेशमंत्री मि0 समद ने एक संयुक्त विज्ञप्ति में घोषणा की[4]-

1- दोनों देशों के बीच व्यापारिक सम्बन्ध सुधार कर आपसी सहयोग बढ़ाया जाय।

2- भारत नें बांगलादेश को सभी आवश्यक सामग्री की आपूर्ति का आश्वासन दिया।

3- भारत ने बांगलादेश को अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग संगठन में सम्माननीय स्थान दिलाने में सहयोग करने का वचन दिया।

4- भारत,बांगलादेश को संयुक्त राष्ट्रसंघ के लिए सदस्यता के लिए भी सहयोग करेगा।

---

1-हिन्दुस्तान स्टैन्डर्ड,कलकत्ता,24 जनवरी 1972
2-इकानॉमिक्स टाइम्स,नयी दिल्ली,31 दिसम्बर 1971 पृ0 1 बी0टी0रिसर्च ब्यूरोस एनालिसिस आफ दि बार इम्पैक्ट
3-हिन्दुस्तान स्टैन्डर्ड ,कलकत्ता,20 दिसम्बर 1971
4-एशियन रिकार्डर, 1972(फरवरी 5-11)कालम 1 पेज 10605

भारत के वित्तीय प्रतिनिधि मण्डल और बांगलादेश के अधिकारियों की प्रारम्भिक बातचीत के बाद 150,000 टन खाद्य सामग्री, बांगलादेश को उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में एक समझौता हुआ। बांगलादेश के पुर्ननिर्माण और शरणार्थियों के पुर्नवास के लिए भारतीय सहायता की एक विस्तृत रूपरेखा बनाई गयी। भारत ने 25 करोड़ रूपये की नकद धनराशि और तत्कालीन कच्चे माल की आपूर्ति के लिए स्वीकृति दे दी।[1]

बांगलादेश को खेती का कार्य प्रारम्भ करने के लिए 3 लाख बैलों की आवश्यकता थी। भारत ने इस संकट कालीन स्थिति में उसकी आवश्यकता की पूर्ति में भी सहयोग किया। बांगलादेश को खेती में बुआई के लिए बीजों की आवश्यकता थी। पश्चिमी बंगाल की सरकार ने जैसोर जिले के अधिकारियों के निवेदन पर 80 टन धान का बीज भेजकर सहायता की।[2]

दूसरा व्यापारिक समझौता 28 मार्च 1972 को बांगलादेश के साथ 100 करोड़ रूपये के व्यापार के लिए किया गया। यह समझौता प्राथमिक अवस्था में एक वर्ष के लिए ही वैध था। इस समझौते के अनुसार भारत बांगलादेश को सीमेन्ट, कोयला, मशीनरी, तम्बाकू निर्यात करेगा और बांगलादेश भारत को ताजी मछली, कच्चा जूट, अखबारी कागज, जलाने वाला तेल और आपस की आवश्यकतानुसार अन्य सामग्री भी दोनों देश एक दूसरे को उपलब्ध करायेंगें। समझौते पर भारत के वाणिज्य मंत्री एल०एन० मिश्र और मि० सिद्दीकी ने हस्ताक्षर किये।[3]

यह समझौता तीन सूत्री है। 1- 16 किलोमीटर सीमावर्ती क्षेत्र में नाशवान और रोजमर्रा की चीजों के लिए उन्मुक्त व्यापार की व्यवस्था। 2- विशेष महत्त्व की चीजों के लिए दोनों देशों में संतुलित आधार पर व्यापार इसके अन्तर्गत दोनों देश एक दूसरे को 25-25 करोड़ रूपये का माल निर्यात करेगें।

---

1-दि स्टेट्मैन, 21और 22 जनवरी 1972
2-हिन्दुस्तान स्टैन्डर्ड 24 जनवरी 1972
3-एशियन रिकार्डर, फरवरी 5-11, 1972 पेज 10605

3- 25 करोड़ रूपये से ऊपर आयात-निर्यात का भुगतान मुक्त विदेशी मुद्रा में करने की व्यवस्था की गयी। जहाँ तक सीमा व्यापार का सम्बन्ध है इस 16 किलोमीटर के क्षेत्र में पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, असम, मेघालय और मिजोरम के लोगों को ही यह सुविधा प्राप्त होगी, जिसके लिए विशेष परमिट जारी किये जायेंगें। परमिटधारी समझौते में निहित वस्तु को ही ले जा सकेंगें। यह व्यापार नाशवान चीजों अर्थात मछली, दूध, मुर्गीपालन, सब्जी आदि तक सीमित होगा। सीमा व्यापार आयात, निर्यात और अन्य तरह के नियंत्रणों से मुक्त होगा। सीमा पार करने वाला व्यक्ति केवल 100 रूपये बंगलादेश की भारतीय मुद्रा में अपने साथ ले सकता है। भारतीय विदेशमंत्री ललित नारायण मिश्र ने समझौते पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि इस समझौते को केवल व्यापार समझौते की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। दोनों देशों की सीमा पर रहने वाले ग्रामीणों के लिए यह समझौता बहुत महत्त्वपूर्ण है। इससे सामान्य आर्थिक सम्बन्ध पुख्ता होगें।[1]

भारत ने 13 करोड़ रूपये की धनराशि रेलवे के पुर्ननिर्माण के लिए और 40 हजार टन यूरिया उर्वरकों की कमी को पूरा करने के लिए दी।[2] भारत ने 1972 में बांगलादेश को उदारतापूर्वक आर्थिक सहायता देने की घोषणा की और प्रारम्भ में ही भारत ने 18.60 करोड़ की सहायता शरणार्थियों के पुर्नवास के लिए दिये। इसने बांगलादेश को दो नये जहाजो को खरीदने के लिए अनुदान दिया। एक लाख रूपये चालकों को प्रशिक्षण के लिए भी दिये। इसके अतिरिक्त भारत ने 13 लाख रूपये दूर संचार के लिए प्रदान किये और छः करोड़ रूपये सहायता सामग्री के रूप में दिये। भारत ने बांगलादेश को 800 ट्रक भी दिये। 45 लाख रूपये आन्तरिकत व्यवस्था के लिए और 10 करोड़ रूपये का ऋण 20 वर्षों की अवधि में अदायगी के लिए दिया गया।[3]

---

1- दिनमान 2 अप्रैल 1972, पृ0 15

3- एकानामिक्स टाइम्स, नयी दिल्ली, 19 अप्रैल 1979

2- अमृत बाजार पत्रिका, कलकत्ता 2 फरवरी 1972

मार्च 1972 में प्रथम व्यापारिक समझौते पर हस्ताक्षर हुए जो भारत और बांगलादेश घनिष्ठ सम्बन्धों का एक प्रमाण था। यह तीन स्तरीय समझौता था।

1- मार्च 1972-[1] में प्रमुख वस्तुओं का भारत से निर्यात की गयी सामग्री

| | निर्यात मूल्य |
|---|---|
| 1- तम्बाकू | रू0 10 करोड़ |
| 2- सीमेन्ट | रू0 4.5 करोड़ |
| 3- कोयला | रू0 4 करोड़ |

2- मार्च 1972 में बांगलादेश से मुख्य निर्यात की गयी वस्तुएं

| | निर्यात मूल्य |
|---|---|
| 1- मछली | रू0 9 करोड़ |
| 2- कच्चा जूट | रू0 7.5 करोड़ |
| 3- न्यूज प्रिंट | रू0 3 करोड़ |

इसके पश्चात भारत ने 200 करोड़ रूपये मूल्य की सहायतादेने की घोषणा की और जिसमें जून 1972 तक 116 करोड़ रूपये की सहायता देनी थी। भारत बांगलादेश को 750,000 टन खाद्य पदार्थ की आपूर्ति करने के लिए राजी हो गया। यह वायदा वर्ष के अन्त तक पूरा होना था। एक सीमित अदायगी के समझौते के लिए मार्च 1972 में हस्ताक्षर हुए,दोनों देशों के बीच 50 करोड़ रूपये का व्यापार होना था। बांगलादेश ने 24.10 करोड़ रूपये के सभी ऋण प्राप्त कर लिये। 16 मई 1972 को 3 ऋण समझौतों पर हस्ताक्षर हुए।[2] ये कर्जे अर्द्धवार्षिक समान किश्तों की 25 वर्षों में सात वर्षों की अनुग्रह सहित अदायगी का समय था।[3]

---

1- इकानामिक्स टाइम्स ,नयी दिल्ली 19 मार्च 1979
2- दि ट्रब्यून ,असम, 14 जून 1972
3- इण्डियन एक्सप्रेस, 28 जुलाई 1972

शेख मुजीबुर रहमान ने 13 मई 1972 को एक प्रेस साक्षात्कार में अपने देश के लिए भारत के आर्थिक सहयोग की सराहना की और कहा कि अभी जो दोनों देशों के बीच सन्धि हुई है वह आवश्यक थी वह लाभ प्रद भी है। 14 मई 1972 तक भारत द्वाराबांगलादेश को सहायता और कर्ज के रूप में कुल 495.12 मिलियन टका की वचनबद्धता थी।[1] कुल 201.20 मिलियन टका कर्ज के रूप में दिये गये और स्वाधीनता के बाद बांगलादेश की प्रारम्भ हुयी अनेकों परियोजनाओं के लिए 93.32 मिलियन टका सहयोग के रूप में दिये गये।[2]

एक सीमित अदायगी समझौते पर मार्च 1972 में हस्ताक्षर हुए जिसके अनुसार दोनों देशों के बीच 50 करोड़ का व्यापार होना था।[3] दुर्भाग्यवश प्राकृतिक विपदाओं ने बांगलादेश की जनता के दुःखों में और भी अधिक वृद्धि कर दी। उत्तर पूर्वी क्षेत्र भयानक सूखे का शिकार हो गया। भारत ने 20 हजार टन खाद्यान्न की सहायता इस समस्या से निपटने के लिए अतिरिक्त सहायता के रूप में 15.52 करोड़ मूल्य की अतिरिक्त सहायता की।[4]

बाद में एक साक्षात्कार देते हुए बांगलादेश के वित्त मंत्री श्री ताजुद्दीन अहमद ने कहा भारत-बांगलादेश समझौता अभी अपनी प्रारम्भिक अवस्था में है। सबसे ज्यादा विचार करने की बात है कि आर्थिक सहयोग के लिए केवल भावुकता ही पर्याप्त नहीं है। यह अन्ततोगत्वा आपसी लाभ और परस्पर हितों पर आधारित होना चाहिए। भारत और बांगलादेश सामान्य आदर्श रखते हैं। हमारे हित केवल सामान्य ही नहीं हैं वरन एक दूसरे के पूरक भी हैं। भारत बांगलादेश से 7.5 करोड़ मूल्य का जूट खरीदने को तैयार हो गया। दोनों देशों के बीच व्यापारिक राशि बांगलादेश के पक्ष में अधिक है।

9 करोड़ मूल्य की मछली भी मार्च 1973 में समाप्त होने वाले समझौते के पूर्व ही खरीद ली गयी। एक समझौता 28 अगस्त 1972 को भारत -बांगलादेश

---

1-एशियन रिकार्डर, 1972 (जून 10-16) पेज 10813
2-वही (जून 17-23) कालम 111 पेज 10825
3-वही (जुलाई 1-7) कालम 111 पेज 10849
4-इण्डियन एक्सप्रेस 8 अगस्त 1972

के बीच हुआ। इस समझौते से 9 करोड़ मूल्य का निर्यात था। 5 करोड़ मूल्य की मछली पश्चिम बंगाल एवं भारत के अन्य पूर्वी राज्यों को भेजी जायेगी।[1]

भारत की दूसरी बचनबद्धता 100,000टन कच्चे तेल के अनुदान सहित (वर्ष पूरा होने के पूर्व) 500,000टन व्यापारिक आधार पर देने की थी, जिससे चटगाँव का शोधक तेल कारखाना चलता रहे।[2] वर्ष के पूरा होने के पूर्व ही भारत ने 921,000 टन खाद्यान्न की पुनः आपूर्ति की। यह भारत द्वारा सबसे बड़ा खाद्यान्न सहयोग था। इसी सहायता से बांगलादेश का अकाल टाला जा सका।[3] बांगलादेश की आर्थिक स्थिति पूर्व अनुमान की अपेक्षा अधिक दुःसाध्य हो रही थी। भारत और बांगलादेश के बीच व्यापार की गति भी मंद थी।

भारत और बांगलादेश के बीच 1 नवम्बर 1972 को एक समझौते के मसवदे पर हस्ताक्षर हुए जिसमें अन्तर्देशीय जल यातायात के द्वारा तय हुआ। इस समझौते से भारत 7 वर्ष बाद आवागमन की सुविधा प्राप्त कर सका जिसके अन्तर्गत भारत अपनी सामग्री को असम और अन्य पूर्वी राज्यों को भेज सकता है। बांगलादेश की नदियों के रास्तों के द्वारा आवागमन 1965 के भारत-पाक युद्ध के बाद बन्द हो गया था।

यातायात की सुविधा में वृद्धि करने के लिए भारत ने एक 12680 टन वजन का एक जहाज बांगलादेश को दिया। यह बांगलादेश के लिए दूसरे जहाज की पूर्ति थी। यह उसी 6 करोड़ ऋण समझौते के अन्तर्गत था।[4] बांगलादेश ने भारत से 25000 गांठें कपड़े के धागे और मोटे कपड़े की मांग की।[5]

भारत और बांगलादेश ने ढाका में 5 जुलाई 1973 में एक त्रिवर्षीय व्यापारिक समझौते पर हस्ताक्षर किये। तीन वर्षीय समझौते के प्रथम वर्ष में यह 61 करोड़ रूपये का व्यापार था। इस पर भारतीय वाणिज्यमंत्री श्री डी0पी0 चटोपाध्याय और बांगलादेश के सहयोगी मि0 ए0एच0एम0 कमरूज्जमां ने हस्ताक्षर

---

1-एशियन रिकार्डर (1972) सितम्बर 9-15 कालम 1 पेज 10970
2-स्टेट्समैन-15 सितम्बर 1972
3-स्टेटमैन-9 नवम्बर 1972
4-इण्डियन एक्सप्रेस-10 जून 1973
5-इण्डियन एक्सप्रेस-7 जून 1973

किये। इसमें 305 करोड़ रुपये मूल्य की वस्तुओं को दोनो देशों के बीच भेजने के लिए निर्धारित किया गया।

5 जुलाई 1973 को[1] एक नया समझौता तीन वर्षों के लिए दोनों देशों के बीच किया गया। समझौते के अनुसार निम्नलिखित वस्तुओं का आयात-निर्यात किया गया।

1- भारत से बांगलादेश को निर्यात की गयी सामग्री-

| निर्यात की गयी वस्तुएं | निर्यात मूल्य |
|---|---|
| 1-तैयार तम्बाकू | 5.20 करोड़ रुपये |
| 2-कपास और उत्पादित वस्तुएं | 9.50 करोड़ रुपये |
| 3-कोयला | 6 करोड़ रुपये |

2- बांगलादेश से मुख्य आयातित वस्तुएं

| आयात की गयी वस्तुएं | मूल्य |
|---|---|
| 1- कच्चा जूट | 20 करोड़ रुपये |
| 2- ताजी मछली | 3.50 करोड़ रुपये |
| 3- अखबारी कागज | 4.50 करोड़ रुपये |

भारत में कपड़े के धागे और सीमेन्ट की कमी थी। फिर भी भारत 3 करोड़ टका का सीमेन्ट और 2 करोड़ टका का सूत भेजने को तैयार हो गया। बांगलादेश ने उसी तरह से अखबारी कागज अपनी घरेलू उपयोगिता से अधिक मांग होने पर भी भेजा।[2]

भारत और बांगलादेश जूट की कीमत के निर्धारण में किसी भी प्रकार की कटौती न करने पर भी सहमत हो गये। भारत सरकार ने जूट निगम को सलाह दी कि वह कलकत्ता में 157.68 रुपये प्रति क्विटंल की औसत कीमत से बांगलादेश

---

1-इकानामिक्स टाइम्स, नयी दिल्ली 19 अप्रैल 1979

2-एशियन रिकार्डर 1973 {अगस्त 27, सितम्बर 2} पेज 11563

में 146रूपये प्रति क्विंटल की तुलना में खरीदे।[1] जुलाई 1973 में एक दीर्घकालीन समझौते के के अतिरिक्त 29 दिसम्बर 1973 को एक द्विपक्षीय आर्थिक सहयोग के रूप में समझौता हुआ। यह समझौता कच्चा जूट और उससे बनी हुई वस्तुओं के निर्यात के लिए था। भारत 600,000 जूट की गांठे बांगलादेश से अन्तर्राष्ट्रीय बाजार भाव पर खरीदने को राजी हो गया।[2]

भारत ने बांगलादेश को 4.20 करोड़ रूपये मूल्य की 50 रेलवे यात्री गाड़ियां भेजीं।[3] 16मई 1974 को श्रीमती गांधी और मुजीबुर रहमान ने संयुक्त प्रयासों से बांगलादेश के औद्योगिक विकास की क्षमता बढ़ाने और आर्थिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए एक संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किये। एक व्यापार और अदायगी के समझौते पर दोनों देशों के द्वारा 1973 में हस्ताक्षर हुए थे।[4]

भारत और बांगलादेश के बीच एक नया व्यापार समझौता दोनों देशो के बीच व्यापक आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिए ढांका में सितम्बर 1974 के अन्त में हुआ।[5] सितम्बर 1974 में दोनों देशों का कुल व्यापारिक उलट-फेर 60 करोड़ रूपये का था। भारत और बांगलादेश के बीच अधिकारिक एवं मंत्री स्तर की वार्ता 30 सितम्बर 1974 को ढांका में हुई। यह सुझाव दिया गया कि 1975 के लिए 3 महीने में एक यथार्थ व्यापार योजना बनायी जाय जो दोनों देशों की समान रूप से आवश्यकता और क्षमता के अनुरूप हो। दो दिन बात-चीत के बाद भारत और बांगलादेश के बीच व्यापारिक सफलता पर वार्ता हुई। दोनों देशों के वाणिज्य मंत्रियों ने व्यापारिक योजना की अवधि बढ़ाने का निश्चय किया, जो 27 सितम्बर को खत्म होने को थी। तीन महीने के लिए और बढ़ा दी गयी।[6]

---

1-नेशनल हेरल्ड, जुलाई 1973
2-स्टेटमेन 30 सितम्बर 1973
3-अमृत बाजार पत्रिका 31 अगस्त 1974
4-एशियन रिकार्डर, 1974 (जून 4-10) कालम । पृ0 12036
5-बांगलादेश टाइम्स, ढांका 25 सितम्बर 1974
6-टाइम्स आफ इण्डिया, 18 दिसम्बर 1974

वे लोग इस पर भी सहमत हुए कि जूट और कोयला दोनों देशों के बीच 1975 में व्यापार की मुख्य वस्तुएं होगीं।[1]

शासन के स्तर से प्रयासों की पुनरावृत्ति और कुछ औद्योगिक परिवर्तन भारत और बांगलादेश के बीच आर्थिक और व्यापारिक सम्बन्धों को बढ़ाने में असफल रहे।[2] लेकिन बांगलादेश के अधिकारियों ने भारत से और अधिक घनिष्ठ आर्थिक सम्बन्धों के लिए रूचि दिखायी है। इनके विचार से दोनों देशों के बीच अधिक धनराशि का व्यापार होना चाहिए। यद्यपि दोनों देशों के बीच जितना अधिक आर्थिक सहयोग होना चाहिए उतना नहीं हुआ है।[3]

---

1-हिन्दुस्तान टाइम्स 16 दिसम्बर, 1974
2- इकॉनामिक्स टाइम्स, नयी दिल्ली 7 जुलाई 1975
3- स्टेटसमैन 14 जुलाई 1975

## सांस्कृतिक सम्बन्ध

वर्तमान युग में सांस्कृतिक सम्बन्धों को विशेष महत्त्व दिया जाता है। सांस्कृतिक कूटनीति दो राष्ट्रों के बीच सामान्य एवं मधुर सम्बन्ध बनाने के लिए एक अच्छा माध्यम है। जहाँ तक भारत और बांगलादेश के बीच सांस्कृतिक सम्बन्धों का प्रश्न है, उनमें अद्भुत समरूपता है, उसका कारण है कि प्रारम्भ में पश्चिम बंगाल और अब बांगलादेश एक ही बंगाल प्रान्त के हिस्से थे, जिस पर अंग्रेजों का शासन बना रहा। फिर भी भारत और बांगलादेश के बीच शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति और खेल के सहयोग और सम्बन्धों के लिए व्यापक क्षेत्र के सम्बन्ध में 19 जून 1972 को प्रो० डा० नुरूल हसन शिक्षा, समाज कल्याण और सांस्कृतिक मंत्री और प्रोफेसर यूसुफ अली, बांगलादेश के शिक्षा और सांस्कृतिक मंत्री के बीच समझौता सम्पन्न हुआ।[1] वे आणविक शक्ति के शान्तिपूर्वक प्रयोग के लिए भी आर्थिक सहयोग हेतु सहमत हुए और उच्च शिक्षा के लिए एक संयुक्त आयोग गठित किया गया।[2]

युनेस्कों के उच्च आदर्शों से प्रेरणा लेकर 30 दिसम्बर 1972 को भारत-बांगलादेश ने संस्कृति, कला और शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति और विकास के लिए एक समझौता किया।[3] दोनों देश छात्रों को शिक्षा प्राप्ति के लिए छात्रवृत्तियाँ देने के लिए राजी हो गये और खेल, शारीरिक शिक्षा और आणविक शोध कार्य के क्षेत्र में विकास के लिए भी 7 अगस्त 1973 को एक समझौता हुआ।[4]

बाद में 27 सितम्बर 1974 को भारत और बांगलादेश, संस्कृति, शिक्षा, सूचना और खेलों के आपसी आदान-प्रदान के लिए एक दो वर्षीय समझौते पर हस्ताक्षर करने को सहमत हो गये। इस क्षेत्र में इस समझौते को लागू करने के लिए और इन कार्यक्रमों के विकास के लिए वार्षिक आधार पर कार्यक्रम आरम्भ किया

---

1- टाइम्स आफ इण्डिया-11 जून, 1972
2- एशियन रिकार्डर, 1972 {जुलाई 1-7} कालम 1 पृ० 10854
3- सतीश कुमार, डाकूमेन्ट आफ इण्डियन फारेन पालिसी-प्रथम संस्करण, न्यू दिल्ली, 1975
4- एशियन रिकार्डर 1973 {सितम्बर 17-23} कालम 1 पृ० 11595

जाय। श्री समरसिंह और भारत के उच्च आयोग ढाका में और श्री ए०के०एम जकारिया, बांगलादेश के शिक्षा सचिव ने इस प्रोटोकाल पर हस्ताक्षर किये। भारत ने बांगलादेश के उच्च शिक्षा और शोधकार्य के लिए 100 छात्रों को छात्र वृत्तियां देने का भी प्रस्ताव किया। बांगलादेश ने भी भारत के बहुत से नागरिकों को विशेष क्षेत्रों के अध्ययन के लिए बहुत सी छात्रवृत्तियां देने का प्रस्ताव किया।[1]

भारत ख्याति प्राप्त संगीतज्ञ और नर्तक बांगलादेश को संगीत नृत्य के लघु पाठ्यक्रम की शिक्षा देने के लिए भेजने का तैयार हो गया। समझौते के अनुसार विद्वानों, वैज्ञानिकों, शिक्षाविदों, साहित्यकारों, खिलाड़ियों, सांस्कृतिक टोलियों और खेल की टीमों के आपसी आदान प्रदान पर भी सहमत हो गये। दोनों देशों में फुटबाल, बाली-बाल, कबड्डी आदि विद्यालयी छात्रों के बीच और छात्राओं के एथलीटेक्स और विश्वविद्यालय के फुटबाल टीमों के आदान-प्रदान की व्यवस्था की गयी।

दोनों देश चल-चित्रों के एक दूसरे के देशों में होने वाले उत्सवों में भाग लेने पर भी राजी हो गये। दोनों देश अपने-अपने शिक्षा केन्द्रों और शोध संस्थानों के बीच सहयोग को प्रोत्साहन देने के लिए प्रयास करेंगे।

समझौते पर हस्ताक्षर के बाद सेमुअल हक ढाका मुजियम के निदेशक ने सुझाव दिया कि इन कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की देखभाल के लिए एक समिति बनायी जाय क्योंकि गत वर्षों में इस प्रकार के कार्यक्रमों का अधिकारियों के बिलम्ब और अक्षमता के कारण सफल नहीं हो सके।

बांगलादेश के समाचारों और आकाशवाणी के द्वारा भारतनेबांगलादेश को 40 छात्रवृत्तियां दी गयी थी। किन्तु उनका सही उपयोग नही हो सका। भारत के विदेश मंत्री श्री यशवंत राव चवहाण ने कहा कि हमारे दोनों देशों ने शान्ति में विश्वास रखने की सपथ ली है और हम लोग वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्रों में आपसी सहयोग के लिए सहमत हो गये हैं।

---

1-एशियन रिकार्डर 1974, अक्टूबर 22-28, कालम 11, पृ० 12255
2-बांगलादेश टाइमस ढाका-8 दिसम्बर 1974

## जियाउर रहमान के शासन काल में राजनैतिक सम्बन्ध

अगस्त 1975 के प्रथम सैनिक विप्लव से सत्ता परिवर्तन ने बांगलादेश में राजनैतिक अस्थिरता पैदा कर दी और वहाँ पर सैनिक तानाशाही स्थापित हुई। इस हिंसक उपद्रव में शेख मुजीबुर रहमान और परिवार के सदस्यों तथा मंत्रिमंडल के कुछ सहयोगियों की भी हत्या कर दी गयी थी। सेना ने मुजीब मंत्रिमण्डल के कुछ सहयोगियों की भी हत्या कर दी थी। सेना ने मुजीब मंत्रिमण्डल के एक सदस्य खण्डेकर मुश्तिका को सत्तासीन कर दिया।[1]

बांगलादेश के वरिष्ठ सैनिक अधिकारी इस षडयंत्र से पूर्णतः अपरिचित थे। यह योजना बड़ी ही गोपनियता से बनायी गयी थी। 7 युवा अधिकारियों का यह दुःसाहस पूर्ण खेल था। ले० कर्नल अब्दुल रशीद इन सब में भ्रष्ट अधिकारी थे।[2] पुनः 3 नवम्बर 1975 को खूनी सैनिक विप्लव में खांडेकर मुश्तिका अहमद द्वारा 11 सप्ताह पुराना संचालित शासन का अन्त हो गया। खालिद मुशर्रफ के नेतृत्व में सत्ता पर अधिकार हो गया और सेना के उन कनिष्ट सैनिक अधिकारियों को भी पदच्युत कर दिया गया जो खण्डेकर को शासन में लाये थे। इस खूनी संघर्ष में ताजुद्दीन अहमद, सैय्द नजुरल इस्लाम, ए०एच०एम० कमरूज्जुमा और मंजूर अली सहित सभी नेताओं की निर्दयता पूर्वक हत्या कर दी गयी। इन नेताओं ने स्वाधीनता आन्दोलन के समय महत्वपूर्ण सहयोग दिया था और बंगालियों के विकास में भी इन लोगों का प्रशंसनीय सहयोग रहा था।

इसी सत्ता संघर्ष के समय जियाउर रहमान जो सेना अध्यक्ष थे। उन्हे भी पदच्युत करके गिरफ्तार कर लिया गया। यह खूनी हिंसक घटनाएं बांगलादेश जैसे नवजात राष्ट्र के लिए बड़ी ही घातक थी। भारत ने इन घटनाओं की घोर निन्दा की और उसने बांगलादेश की राजनीतिक अस्थिरता के लिए बड़ा ही खेद और भय व्यक्त किया।[3]

---

1-इण्डियन एक्सप्रेस, 16 अगस्त 1975
2-चक्रवर्ती एस०के० -दि इवोल्यूशन आफ पालिटिक्स इन बांगलादेश, नयी दिल्ली 1981 पृ० 236
3-दि ट्रिब्यून, असम, 8 नवम्बर 1975

लेकिन खालिद मुसर्रफ को बांगलादेश के इस खूनी गद्दी पर मौका बहुत थोड़े समय के लिए मिला। जब यह झूठी अफवाह फैला दी गयी कि इन हिंसक घटनाओं के पीछे आवामी लीग और भारत का हाथ है, तब खालिद मुसर्रफ की हत्या कर दी गयी और पूर्व जनरल जिया को पुनः सेनाध्यक्ष बना दिया गया।[1] बंगलादेश में 21 अप्रैल 1976 तक अनिश्चितता रही। जब तक जियाउर रहमान मुख्य सैनिक प्रशासक ने बांगलादेश के राष्ट्रपति के रूप में शपथग्रहण नहीं की और राष्ट्रपति सैयाम ने स्वास्थ्य खराब होने के आधार पर अपने पद से त्यागपत्र दे दिया। बांगलादेश में सत्ता परिवर्तन के साथ ही भारत और बांगलादेश के बीच अच्छे पड़ोसी के सम्बन्धों का युग समाप्त हो गया।[2]

बांगलादेश की राजनीतिक घटनाओं के सम्बन्ध में श्रीमती इन्दिरागांधी ने भारत का गहरा सम्बन्ध बताते हुए जनभावनाओं की अभिव्यक्ति की और एक अधिकारिक वक्तव्य में कहा, " बांगलादेश में जो भी घटित हो रहा है, भारत उससे अलग और अछूता नहीं रह सकता है। राजनेता ने आगे कहा, "जैसा कि मैं पहले कह चुकी हूँ कि ये घटनाएं बांगलादेश का आन्तरिक मामला हैं लेकिन इस पर भी भारत इनसे अपने को अलग नहीं रख सकता है।"[3]

बांगलादेश के राजनीतिक क्षितिज से बंग बन्धु के अदृश्य हो जाने से भारत-विरोधी भावनाएं अब और भी तीव्र हो गयीं। भारत के प्रति कटुतापूर्ण भावनाएं आवामी लीग के शासन काल में ही प्रारम्भ हो गयी थीं और अब इन सैनिक शासकों द्वारा इस तरह की भावनाओं को और भी हवा दी गयी। वस्तुतः बांगलादेश सरकार ने भारत विरोधी भावनाओं को उभाड़कर राजनैतिक लाभ लेने का प्रयास किया। बांगलादेश के समाचार पत्रों और सरकारी प्रेस ने भी भारत विरोधी प्रचार करने में काफी सहयोग किया। ढाका के दैनिक अखबारों ने भारत पर बांगलादेश के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप करने का आरोप लगाया। इस

---

1- रौनक जहाँ, बांगलादेश-पालिटिक्स -प्राबलम्ब एन्ड इशूज-ढाका 1980 पृ0198-99
2- सिंह, कुलदीप-इन्डो-बांगलादेश रिलेशन्सदिल 1975 पृ0 39
3- एशियन रिकार्डर, दिसम्बर 10-16, 1975 पृ0 12917

सबका दुसपरिणाम यह हुआ कि ढाका में भारतीय राजदूत पर प्राणघातक हमला हो गया। ढाका में भारतीय उच्चायुक्त श्री समर सेन पर 26 नवम्बर 1975 को एक शस्त्रधारी गैंग द्वारा उनके ही कार्यालय में आक्रमण कर दिया गया। यह आयुक्त के जीवन पर दूसरा हमला था। एक हथगोला 15 नवम्बर 1975 को उनके आवास के अहाते में मुख्य रूप से उनको मारने के लिए फेंका गया था।[1]

भारत सरकार ने भारतीय उच्च आयोग पर इस घातक हमले के सम्बन्ध में गम्भीर रूख अपनाया और इस कुकृत्य की कठोर शब्दों में भर्त्सना की । नयी दिल्ली ने ढाका से हमलावरों को दण्डित करने और इस षडयंत्र की जांच के लिए तत्काल जांच नियुक्त करने के लिए कहा।[2] इस घटना के संदर्भ में दोनों देशों के अधिकारी 7 दिसम्बर 1975 के दिन आपसी समझदारी और मैत्रीपूर्ण सम्बन्धो की प्रगति के लिए संयुक्त प्रयासो के लिए राजी हो गये। भारत की ओर से श्री पार्थसारथी प्रतिनिधित्व कर रहे थे और बांगलादेश की ओर से अब्दुल सत्तार जो बांगलादेश राष्ट्रपति के विशेष सहायक थे प्रतिनिधिमण्डल का नेतृत्व कर रहे थे। बैठक के बाद दोनों देशों ने आपस में मित्रता और सहयोग को मजबूत करने की इच्छा व्यक्त की। दोनो देशों ने कहा कि इस क्षेत्र के लोगों का कल्याण इस क्षेत्र की शान्ति और स्थायित्व पर ही निर्भर करता है।[3]

दिसम्बर की वार्ता के बावजूद भी बांगलादेश में भारत विरोधी प्रचार होता रहा। भारत ने अपने पूर्व के प्रस्ताव की पुनरावृत्ति करते हुए प्रस्ताव रखा कि बांगलादेश की सीमा से लगे भारतीय क्षेत्र में असामान्य सैनिक गतिविधियों को देखने के लिए अपने प्रतिनिधि भेजे ये वक्तव्य और प्रयास यह प्रदर्शित करते हैं कि भारत बांगलादेश के साथ अच्छे पड़ोसी सम्बन्धों को चाहता है। भारत सरकार के विदेशमंत्री श्री विपिनपाल दास ने संसद में कहा कि भारत-बांगलादेश के साथ भ्रातृत्व पूर्ण सम्बन्ध बनाए रखने के लिए बचनबद्ध है। उप विदेशमंत्री ने आज

---

1-दि हिन्दू-27 नवम्बर 1975
2-वही
3-एशियन रिकार्डर 1975 जनवरी 1-7 पृ0 12950
4-बांगलादेश आब्सरवर, 12 नवम्बर, 1975

संसद में इसबात का जोरदार खण्डन किया कि भारतीय सेना बांगलादेश में घुसपैठ करती हैं । एक अन्य प्रश्न का जबाब देते हुए उन्होने कहा कि बांगला देश से व्यापारिक एवं सांस्कृतिक सम्बन्ध यथावत चलते रहेंगें।[1]

बांगलादेश के राष्ट्रपति और मुख्य सैनिक प्रशासक जस्टिस ए०एम० सैयाम ने कहा कि भारत और बांगलादेश के बीच मित्रता, समझदारी और सहयोग के बन्धन और अधिक मजबूत होंगें। राष्ट्रपति ने बीसवीं वर्षगांठ के अवसर पर बांगलादेश की जनता की ओर से हार्दिक बधाई और धन्यवाद भेजा।[2] भारत के विदेशमंत्री ने यह स्पष्ट किया कि भारत बांगलादेश में अस्थिरता नहीं चाहता है क्योंकि बांगलादेश की अस्थिरता सम्पूर्ण भारत की शान्ति को प्रभावित करेगी।

भारत की विदेश मंत्रालय की निति नियोजन समिति के अध्यक्ष मि० पार्थसारिथी उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मण्डल दल के साथ भारत बांगला देश सम्बन्धों पर व्यापक बात-चीत करने के लिए ढांका पहुँचे। भारत और बांगलादेश के प्रतिनिधियों के बीच 17 चक्रों की व्यापक वार्ता मधुरता पूर्ण वातावरण में 4 दिनों में सम्पन्न हुई। बांगलादेश के प्रतिनिधिमण्डल का नेतृत्व एच०ओ०एम० खान नवसेना के अध्यक्ष एवं उप मार्शल ला प्रशासक कर रहे थे। भारत के प्रतिनिधि मण्डल के अध्यक्ष ने जियाउर रहमान से भी दो घंटे बातचीत की। जनरल जियाउर रहमान ने जो सेनाध्यक्ष भी हैं ढाका में कहा कि भारत बांगलादेश की सीमा पर विद्रोहियों को सैनिक प्रशिक्षण देने के लिए भारत ने सैनिक शिविर लगाये हैं। जो उनको छापामार युद्ध में प्रशिक्षित कर रहा है। भारत ने ढाका प्रेस द्वारा भारत की निन्दा पर खेद प्रकट किया।[3]

बांगलादेश में प्रेस और अन्य माध्यमों से भारत विरोधी प्रचार रोकने का भारत सरकार ने कई बार आग्रह किया और ऐसे प्रयास न करने का निवेदन

---

1-बांगलादेश आब्सरवर, ढॉका-17 जनवरी 1976
2-वही, 19 जनवरी 1976
3-.पेट्रोट-14 अगस्त 1976

किया जिनसे आपस में परस्पर सम्मान, समझदारी और मित्रता की भावनाओं को चोट पहुँचे।[1]

भारत ने बांगलादेश के साथ आपसी कटुता को दूर करने के लिए प्रयास जारी रखे जिससे मित्रता और समझ-दारी के परम्परागत बन्धन और अधिक मजबूत हो सकें। तभी दोनों देशों को परस्पर लाभ मिलेगा। श्रीमती गांधी ने आशा व्यक्त की कि भारत और बांगलादेश की समस्याओं का सीधी वार्ता के द्वारा उचित समाधान हो सकता है। एक भारतीय पत्रकार को उत्तर देते हुए उन्होने कहा, "जहाँ तक जल विवाद और अन्य समस्याओं का सम्बन्ध है, हम उस सम्बन्ध में बात कर रहे हैं और हम सोचते हैं कि यहाँ पर यह इच्छा है कि यह चीजें आपसी बातचीत और विचार-विमर्श के माध्यम से हल होनी चाहिए।[2]

बांगलादेश सरकार ने भी पुनः भारत के प्रति अपनी विदेश नीति को स्पष्ट करते हुए कहा कि बांगलादेश सरकार भारत के साथ मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध बनाये रखेगी और पहले शेख मुजीबुर रहमान के द्वारा किये गये सभी समझौतों का सम्मान किया जायेगा। किन्तु एक ओर तो बांगलादेश सरकार भारत के साथ अच्छे पड़ोसी मित्र की तरह सम्बन्ध बनाये रखने की बार-बार घोषणा करती रही और दूसरी तरफ उसकी राजनीतिक गतिविधियां राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत विरोधी चलती रहीं।[3]

विदेशमंत्रालय की 1975-76 की वार्षिक रिपोर्ट 3 अप्रैल को नयी दिल्ली में भारत द्वारा प्रकाशित की गयी। विदेश मंत्रालय ने बांगलादेश प्रेस द्वारा भारत पर आधारहीन अभियोग लगाये जाने पर अफसोस प्रकट किया। बांगलादेश के समाचार पत्र भारत पर उसके आन्तरिक मामलों पर हस्तक्षेप करने का अभियोग लगा रहे थे। यह कहा गया कि सबसे अधिक दुख की बात यह है कि

---

1- इण्डियन एक्सप्रेस-19 मार्च 1976
2- बांगलादेश आब्सरवर-12 मई, 1976
3- इण्डियन एक्सप्रेस-16 अगस्त 1976

अभी हाल में एक उच्च स्तरीय बांगलादेश के प्रतिनिधि मण्डल के साथ नयी दिल्ली में एक समझौता इसी सन्दर्भ में हुआ था, जिसमें इस प्रकार के विरोधी प्रचार न करने का आग्रह किया गया था।[1]

21 अप्रैल 1977 को जियाउर रहमान बंगलादेश के राष्ट्रपति बन गये। भारत और बांगलादेश सम्बन्धों ने एक नया मोड़ लिया और प्रत्येक क्षेत्र में प्रगति के प्रायः नये चिन्ह दिखायी देने लगे। भारत में भी लोकतांत्रिक ढंग से सत्ता परिवर्तन हुआ। कांग्रेस पार्टी की आम चुनाव में भारी पराजय के बाद जनता पार्टी ने केन्द्र में अपनी सरकार बनायी। जनता सरकार ने अपने निकटतम पड़ोसियों के साथ अच्छे सम्बन्ध बनाने के लिए अपनी विदेशनीति का मुख्य लक्ष्य बनाया। इस विदेश नीति के लक्ष्य को लाभदायक द्विपक्षवादी मैत्री के रूप में घोषित किया गया।[2]

जनता पार्टी की सरकार के विदेशमंत्री श्री अटल बिहारी बाजपेयी थे। श्री बाजपेयी ने स्पष्ट रूप से कहा कि ढाका से हमारी मित्रता सुदृढ रहेगी। बांगलादेश के नेताओं ने भी भारत की पड़ोसी देशों की मित्रता बढाये जाने के प्रयासों की प्रशंसा की।[2] 17 फरवरी को बांगलादेश के राष्ट्रपति जिया ने सम्बाददाताओं को बताया कि भारत और बांगलादेश के बीच सम्बन्धों में प्रगति हो रही है। सीमा समस्या के समाधान के बारे में उन्होने कहा कि इस सन्दर्भ में भी वार्ता चल रही है और हमें आशा है कि समस्या का समाधान हो जायेगा।[3]

लन्दन में भारत के प्रधानमंत्री श्री देसाई ने कहा कि भारत और बांगलादेश के बीच स्थायी सम्बन्ध हैं। भारत के प्रधानमंत्री ने संकेत दिया कि वह बांगलादेश के राष्ट्रपति जियाउर रहमान से मिलेगें और दोनों देशों के

---

1-एशियन रिकार्डर, अप्रैल 27-28, 1976 कालम 11 पेज 13125

2-म्युरी एस0डी0- इण्डियाज बेनिफिसियल -बिलेटरलिसम-इण्डियाज क्वाटरली वाल्यम XXX नं0 4 अक्टूबरदिसम्बर 1979 पृ0 417

3-हिन्दुस्तान टाइम्स, 18 फरवरी 1978

अन्य महत्वपूर्ण के कुछ द्विपक्षीय सम्बन्धों पर विचार-विमर्श करेंगे।[1] राष्ट्रपति जियाउर रहमान और मोरार जी देसाई ने दोनों देशों के बीच स्थित समस्याओं पर राष्ट्रमण्डल के सम्मेलन के समय 50 मिनट तक वार्ता की। दोनों नेताओं ने पहली बार एक होटल के बन्द कमरे में बात-चीत की। राष्ट्रपति जिया ने कहा कि उन्होने भारत के प्रधानमंत्री से सिडनी में दो बार मुलाकात की है और भारत और बांगलादेश सम्बन्धों के विषय में व्यापक बात-चीत हुई।[2] बांगलादेश के राष्ट्रपति ने कहा कि बांगलादेश अनुभव करता है कि " भारत के प्रति हमारे देशवासियों में उदासीनता और अविश्वास की भावनाएं समाप्त हो रही हैं। लगभग डेढ़ वर्ष से हमारे सम्बन्ध काफी अच्छे हो रहे हैं और मुझे विश्वास है कि आगामी रिस्ते भी सुधरेंगे।[3]

भारत और बांगलादेश के बीच सम्बन्ध नाटकीय ढंग से सुधार की ओर हैं। और यह तभी से हैं जब से मोरार जी देसाई सत्ता में आये हैं। बांगलादेश के अधिकारियों ने कहा कि मुझे विश्वास है कि राष्ट्रपति जियाउर रहमान गंगा जल विवादसहित सभी महत्वपूर्ण मसलों को निपटाने में सफल होंगे।[4]

## मोरार जी देसाई की ढाका यात्रा

भारत के प्रधानमंत्री मोरार जी देसाई ने 24 सदस्यीय प्रतिनिधि मण्डल के साथ 17 अप्रैल से 18 अप्रैल 1979 में बांगलादेश की शासकीय यात्रा की।[5] श्री देसाई की यात्रा जनता पार्टी सरकार द्वारा अपने निकटतम पड़ोसियों के साथ सम्बन्ध सुधारने का यह एक प्रयास था। यात्रा के अन्त में संयुक्त विज्ञप्ति में कहा गया कि दोनों पक्षा के बीच बात-चीत बहुत मधुर और आपसी समझदारी के वातावरण में हुई। क्षेत्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय मामलों पर द्विपक्षीय वार्ता हुई। बात-चीत में यह सामान्य इच्छा प्रकट की गयी कि दोनों देशों के बीच अच्छे सम्बन्धों को और

---

1-बांगलादेश आबसरवर- ढाका-9 जून 1977
2- हिन्दुस्तान टाइम्स-19 फरवरी 1978
3- स्टेट्स मैन-15 जून 1978
4- सिलोन डेली न्यूज-17 अप्रैल 1979
5- दि टाइम्स आफ इण्डिया ,अप्रैल 20-1979

अधिक मजबूत किया जाय। प्रधानमंत्री ने कहा कि बांगलादेश सरकार ने आश्वासन दिया है कि वह मिजो राष्ट्रीय मोर्चे को किसी भी प्रकार की सहायता नहीं देगा।[1]

श्री मोरार जी देसाई के साथ विदेश मंत्री श्री अटल बिहारी बाजपेयी भी थे। ढाका में दोनों लोगों का जोरदार स्वागत हुआ । मि० देसाई ने बांगलादेश के राष्ट्रपति के साथ दो घंटे बात-चीत की। दोपहर बाद दोनों देशों के प्रतिनिधि मण्डलों के बीच औपचारिक बात-चीत हुई। श्री देसाई और राष्ट्रपति जिया के बीच विचार विमर्श सन्तोषजनक रहा। सम्बाददाताओं से बातचीत करते हुए श्री देसाई ने कहा कि , "हमारे यहाँ बहुत से मित्र हैं । जब उनसे पूछा गया कि बांगलादेश के लिए वह क्या संदेश लेकर जा रहे हैं,उन्होने उत्तर दिया, "हम मित्र हैं ,हमे मित्र रहना चाहिए, हर किसी को भी अपने बीच आने की इजाजत नहीं दी जायेगी।" जब उनसे एक अन्य प्रश्न किया गया कि दोनों देशों के वार्ता में कौन सी चीज प्रमुख रही,उन्होने उत्तर दिया, " मित्रता "।[2]

राष्ट्रपति जियाउर रहमान की नयी दिल्ली यात्रा

जनता पार्टी की सरकार अपनी कार्यकाल पूरा नहीं कर सकी और उसका पराभव हो गया। श्रीमती गांधी मध्य ावधि चुनाव में विजयी होकर पुनः सत्ता में आ गयीं। बांगलादेश के राष्ट्रपति जियाउर रहमान ने नयी दिल्ली की यात्रा की । उन्होने श्रीमती इन्दिरा गांधी से दो चक्रो में वार्ता की। राष्ट्रपति जिया ने विश्वास व्यक्त किया कि सभी समस्याओं का समाधान हो जायेगा, बातचीत काफी उपयोगी रही है।[3]

भारत और बांगलादेश के बीच सचिव स्तर की बातचीत भी हुई। एक समझौते के अन्तर्गत यह तय हुआ कि आने वाले महीनों में द्विपक्षीय समस्याओं का समाधान करने का प्रयास किया जायेगा जिससे दोनों देशो के बीच घनिष्ट और मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध स्थापित हो सकें।[4]

---

1-इण्डियन एक्सप्रेस ,20 अप्रैल 1979
2-द हिन्द,मद्रास,अप्रैल 17,1979
3-हिन्दुस्तान टाइम्स,23 जनवरी,1980
4-वही, 15 फरवरी,1980

बांगलादेश के राष्ट्रपति जियाउर रहमान द्वारा भारत सरकार के लिए ढाका में उच्च आयुक्त श्री मचकुन्द दूबे द्वारा भारत के विदेश मंत्रालय को एक क्षेत्रीय समिति का प्रस्ताव भेजा। जनरल जिया ने कहा कि इस समिति का उद्देश्य इस क्षेत्र का आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में सहयोग की वृद्धि करना है।[1]

बांगलादेश के विदेशमंत्री शमसुल हक शुक्रवार को दो दिन की यात्रा पर नयी दिल्ली पहुँचें।[2] प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने विदेश मंत्री श्री हक से कहा कि भारत सदैव दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय समस्याओं के समाधान के लिए व्यवहारिक एवं रचनात्मक प्रयत्न करेगा। उन्होने पुनः दोहराया कि भारत अपने पड़ोसियों के साथ मित्रता, सहयोग और अच्छे पड़ोसी सम्बन्धों का बनाये रखने के लिए बचनबद्ध है।[3] श्रीमती गांधी ने विदेशमंत्री मि0 हक को आश्वासन दिया कि भारत ने समस्याओं के समाधान का सदैव प्रयास किया है। उन्होने कहा कि गंगाजल विवाद , न्यूमूर द्वीप विवाद, सीमा विवाद, विदेशों से आकर बसने वाले लोगों की समस्याओं का समाधान, रचनात्मक, व्यवहारिक एवं विवेकपूर्ण ढंग से किया जा सकता है।[4]

---

1-अमृत बाजार पत्रिका- 21 मई 1980
2-टाइम्स आफ इण्डिया, 8 दिसम्बर 1981
3-हिन्दुस्तान टाइम्स, 13 सितम्बर 1981
4-टाइम्स आफ इण्डिया 13 सितम्बर 1981

जियाउर रहमान के शासनकाल में आर्थिक सम्बन्ध

भारत और बांगलादेश के सम्बन्धों में मित्रता, सहयोग और सदभावना राजनीतिक स्तर पर धूमिल हो रही थी, उसका प्रभाव दोनों देशों के आर्थिक सम्बन्धों पर भी पड़ रहा था। अब पहले की तरह आर्थिक सम्बन्ध भी उत्साह वर्धक नहीं थे। यद्यपि बांगलादेश के अधिकारियों ने भारत के साथ घनिष्ठ आर्थिक सम्बन्ध बनाये रखने के लिए विशेष अभिरूचि प्रदर्शित की। मुख्य रूप से वे सन्तुलित व्यापार चाहते थे। अनेकों परिस्थितियों से भारत और बांगलादेश के बीच आर्थिक उपलब्धियां इतनी नहीं थी जितनी होनी चाहिए।[1]

लेकिन फिर भी दोनों देशों की ओर से समय-समय पर आर्थिक सम्बन्धों को और अधिक व्यापक बनाये जाने के लिए प्रयास होते रहे। बांगलादेश के विदेश व्यापार मंत्री नुरूल इस्लाम और भारत के आर0सी0 एलेक्जेंडर अपनी 6 दिन की आपसी बात-चीत के बाद 12 जनवरी 1976 को एक समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए राजी हो गये। दोनों देशों के प्रतिनिधियों ने गत दो वर्षों से गिरते हुए व्यापारिक सम्बन्धों के स्तर पर पुर्नविचार किया और आने वाले वर्षों में अधिक लेन-देन करने पर सहमति हुई।[2] व्यापार की चार वस्तुओं उदाहरण के लिए मछली, दूध, कोयला और कागज के व्यापार पर बैठक में मुख्य रूप से चर्चा हुई। दोनों देश आपस में व्यापार बढ़ाने के लिए उचित कदम उठाने के लिए सहमत हुए। दोनो देश 4.9 करोड़ की भारतीय प्राविधिक अविशिष्ट बांगलादेश के ऋण को बदलने को सहमत हो गये। मार्च 1977 में किस्त के रूप में यह ऋण चुकाना होगा। इसके अतिरिक्त तम्बाकू, कपड़ा और इंजीनियरिंग की वस्तुओं का भी दीर्घकालीन व्यापार तय हुआ।

1975 में भारत ने 100 करोड़ मूल्य की मछलियां तय की थी। लेकिन समझौते के अनुसार यह व्यापार 350 करोड़ मूल्य का बढ़ा दिया गया। बांगलादेश फरवरी के अन्त तक 3.5 लाख का कोयला खरीदेगा।[3] यह 15 अगस्त 1975 के

---

1-स्टेट्स मैन-14 जुलाई 1975
2-बांगलादेश टाइम्स, ढाका, 13 जनवरी 1975
3-नेशनल हेरल्ड, 13 जनवरी 1976

बाद का भारत-बांगलादेश के बीच का सबसे बड़ा समझौता था । जिस पर दोनों देशों के अधिकारियों ने हस्ताक्षर किए। भारत बांगलादेश से 3.5 करोड़ रूपये मूल्य की मछली का आयात करने को राजी हो गया। जैसाकि बांगलादेश से 1973-74 में 5,878,00,00 रूपये से गिर कर 4,217,00,000 रूपये 1974-75 में रह गया और 1,650,00,000 रू० का निर्यात जुलाई से दिसम्बर तक रह गया। बांगलादेश भारत को मुद्रण कागज की आपूर्ति करने वाला प्रधान देश था जो एक वर्ष में 500,000 टन मुद्रण कागज का निर्यात करता था।

भारत और बांगलादेश के बीच व्यापारिक क्षेत्र बढ़कर 1975-76 में 58.50 करोड़ टका हो गया था। जबसे दोनों देशों के बीच प्रारम्भ हुआ था। इसका सन्तुलन बांगलादेश के विपरीत था।[1] इसलिए विशेष प्रयास से भारत द्वारा बांगलादेश से अधिक आयात के लिए हस्ताक्षर हुए। एक संयुक्त विज्ञप्ति भी जारी की गयी। भारत ने 1970 में बांगलादेश से 5,000 टन न्यूजप्रिंट, 20,000 टन तैयार किया हुआ तेल खरीदा। यह दोनों देशों के बीच व्यापारिक दूरी समाप्त करने का प्रयास था।[2]

भारत के खान और धातु आयोग के प्रतिनिधि और बांगला सरकार के कोयला नियंत्रण अधिकारी के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर हुए जिसके अनुसार 375,000 मै० टन कोयला भारत से बांगलादेश को 1977-78 की वर्ष में भेजा जायेगा।[3]

कुछ समय बाद नयी दिल्ली में 25 फरवरी से 27 फरवरी तक भारत और बांगलादेश के बीच व्यापारिक बात-चीत सम्पन्न हुई। यह वार्ता 1978-79 के व्यापार के संदर्भ में थी। भारतीय प्रतिनिधि मण्डल का नेतृत्व आर०डी० थापर, वाणिज्य सचिव, भारत सरकार कर रहे थे। बांगलादेश के वाणिज्य सचिव, मतिउर रहमान अपने प्रतिनिधि मण्डल का नेतृत्व कर रहे थे।[4] भारत का बांगलादेश

---

1-बांगलादेश आब्जरवर, ढाका 6 फरवरी 1977
2-बांगलादेश टाइम्स, ढाका 12 फरवरी 1977
3-बांगलादेश टाइम्स, 31 जुलाई 1977
4-एशियन रिकार्डर, 1978 (मार्च 26-अप्रैल 1) पेज 14229

को मुख्य निर्यात कोयला,अभियंत्रणीय सामान,तैयार किया हुआ कपड़ा,लोहा, इस्पात,कपड़े का धागा,कैमिकल्स आदि था। बांगलादेश से भारत के लिए निर्यात सामग्री,न्यूजप्रिंट पेपर,मछली इत्यादि का होना था।[1]

बात-चीत के समापन पर,यह तय हुआ कि यदि वस्तुओं का मूल्य उचित रहता है तो भारत-बांगलादेश से 10,000 टन न्यूजप्रिंट,20,000टन ज्वलनशील तेल (खनिज तेल) 40,000 टन शुद्ध तेल 15,000टन खांड़,15,000 टन कलोरोक्वीन, फासफेट खरीदेगा। बांगलादेश इन्ही शर्तों पर भारत से 300,000 टन स्टीम कोयला और दूसरा 75,000 असम कोयला खरीदेगा।[2] भारत बांगलादेश को गैर विद्युत मशीनरी,स्टील का सामान और विद्युत उत्पादन करने की सामग्री और अनेको उपभोक्ता वस्तुएं बेचने को तैयार हो गया।[3]

इसके पश्चात भारत और बांगलादेश ने ढाका में 6 मई 1978 को हवाई सन्देश सेवा के हस्ताक्षर किये। इस क्षेत्र में व्यापार एकअस्थायी आधार पर चल रहा था। यह समझौता दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग और भावी मैत्रीपूर्ण सम्बन्धों के लिए गौरव का था। भारत ने बांगलादेश के व्यापार को व्यापक बनाने और उसमें आर्थिक संतुलन को व्यवस्थित करने के लिए बहुत बड़ी किफायत देकर सहयोग किया।[4]

बांगलादेश के वाणिज्य मंत्री श्री सैफुल रहमान 11 जुलाई 1978 को नयी दिल्ली पहुँचे और उन्होंने श्री मोहन धारिया से द्विपक्षीय व्यापार और वित्तीय सहयोग पर बात-चीत की।[5] बांगलादेश और भारत ने 14 अगस्त 1978 को नेपाल के व्यापार के सम्बन्ध में एक स्मृति-पत्र पर हस्ताक्षर किये। जिसमें बांगलादेश और अन्य देशों से भारत और बांगलादेश के क्षेत्रों से व्यापार होना था।

---

1-एशियन रिकार्डर 1978 मार्च 26-अप्रैल । कालम 1-111 पृ0 14229
2-अमृत बाजारपत्रिका,कलकत्ता,28 फरवरी,1978.
3-एशियन रिकार्डर 1978,मार्च 26-अप्रैल। कालम 1 पृ0 14230
4-फाइनेन्सियल एक्सप्रेस,बाम्बे,30 अप्रैल 1978
5-दि हिन्दूस्तान टाइम्स,12 जुलाई 1978

समझौते का कार्यान्वयन 15 सितम्बर 1978 से हुआ। यह आपसी समझ की बात श्री जी0एस0 शाहनी ,सदस्य और सहायक सचिव वित्त मंत्रालय और श्री एस0बी0 चौधरी,अतिरिक्त सचिव बांगलादेश के बीच हुई।[1]

29 दिसम्बर 1978 को एक भारतीय प्रतिनिधि मण्डल केन्द्र सरकार के वाणिज्य सचिव, श्री सी0आर0 कृष्णास्वामी राव साहेब के नेतृत्व में द्विपक्षीय व्यापार सम्बन्धों पर बात-चीत के लिए बांगलादेश की यात्रा परगया।[2] बातचीत के बाद भारत-बांगलादेश से न्यूजप्रिंट, लकड़ी के लट्ठे,ज्वलनशील तेल और खाँड़ 1979 के अन्तर्गत खरीदने पर सहमत हुआ। भारत ने बांगलादेश को कुछ विशेष सुविधाएं दीं जिससे वह भारत वर्ष को विशेष वस्तुओं का निर्यात कर सके।[3]

दिसम्बर 1978 के अन्त तक बांगलादेश ने भारत से 97 करोड़ रुपये की सहायता प्राप्त की । यह भारत द्वारा प्राप्त सहायता सभी अन्य देशों की अन्य प्राप्त सहायता से एक चौथाई से अधिक थी। सूद की दरों में भी अन्तर था। यह शून्य (0) से 6 प्रतिशत तक था। भारत कृषि के क्षेत्र में प्राविधिक आर्थिक सहायता देने को राजी हो गया[4]

भारत ने औद्योगिक और प्राविधिक क्षेत्रों में भी बांगलादेश की सहायता की। दिसम्बर 1977 में ईस्टर्न पेपर लिमिटेड ने निर्धारित मूल्य 2 करोड़ के ठेके पर बांगलादेश में पेपर बोर्ड मिल्स प्लॉट स्थापित किया। जुलाई 1978 में भारत को 18 करोड़ रुपये का विद्युत के लिए महत्वपूर्ण कार्य सौंपा गया। दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग प्रगति के साथ गतिशील रहा। भारत की औद्योगिक विकास बैंक के द्वारा बांगलादेश को 1200 करोड़ मूल्य की प्रमुख वस्तुओं की आपूर्ति के लिए एक शाक समझोते पर हस्ताक्षर हुए। भारत इस पर भी राजी हो गया कि भारतीय बाजारों के लिए बढ़ती उत्पादक वस्तुओं को बांगलादेश भेज

---

1-एशियन रिकार्डर 1978 (अक्टूबर 29-नवम्बर 4) पृ0 14575
2-इण्डियन एक्सप्रेस-30 दिसम्बर 1978
3-इण्डिया-बांगलादेश इकोनामिक्स रिलेशन, कामर्स,वाल्यूम सी xxx 111 नं0 3540 अप्रैल 21,1977 पेज 639-640
4-वही।

दिया जायेगा। भारत कृषि के विभिन्न क्षेत्रों के लिए प्राविधिक सहायता उपलब्ध करायेगा। दोनों देशों के अधिकारियों की अनेकों बैठकें दोनों ओर से सामान के आदान-प्रदान के लिए की गयीं।[1]

भारत और बांगलादेश के बीच 1979-80 के बीच आयात-निर्यात आकर्षक नहीं था। बांगलादेश की भारत के साथ व्यापार में इतनी न्यूनता आयी कि यह आकर वर्षभर में 47 करोड़ रूपये के आस-पास स्थिर रह गया।[2]

किन्तु जब भारत के प्रधानमंत्री मोरार जी देसाई ने 15 अप्रैल से 17 अप्रैल तक बांगलादेश की राजकीय यात्रा के रूप में प्रवास किया।[3] यह बांगलादेश की किसी भी प्रधानमंत्री की कईवर्षों में पहली यात्रा थी। दोनों पक्षों ने इस वास्तविकता को स्वीकार किया कि उनके द्वारा किया गया रचनात्मक विचार विमर्श आपसी विश्वास और मित्रता बढ़ाने में सहयोग कर सकता है। देानों पक्षों ने व्यापार को बढ़ाने एवं उसके स्वरूप को बदलने पर बल दिया। जिससे वर्तमान असंतुलन को कम किया जा सके। इस बात पर भी सहमति व्यक्त की गयी। कि निम्न स्तर के मालवाहक और दूर संचार व्यवस्था को सुविधापूर्ण बनाने के लिए वर्तमान ढांचें में प्रोन्नति होनी चाहिए। श्री मोरार जी देसाई और जियाउर रहमान इस बात पर सहमत हो गये कि आर्थिक सहयोग बढ़ाने की बहुत ही सम्भावनाएं हैं। कृषि,जहाज और प्राविधिक क्षेत्रों सहित विभिन्न क्षेत्रों में संयुक्त प्रयास करने की आवश्यकता है।[4]

श्री देसाई ने संसद में बांगलादेश के राष्ट्रपति जियाउर रहमान से जो भी चर्चा हुई, मुख्य मुद्दों की जानकारी देते हुए बताया कि भारत 200,000 टन खाद्यान्न बांगलादेश को देगा, लेकिन इसमें पहले से यह तय हो चुका है कि इसका बहुत बड़ा भाग सहायता उपकार के रूप में दिया जायेगा।[5]

---

1-रिपोर्ट-गर्वनमेन्ट आफ इण्डिया, मिनिस्ट्री आफ इक्सटरनल एफेयर्स, नयी दिल्ली 1977-78पृ० 2
2-सन्डे स्टैन्डर्ड-15 अप्रैल 1979
3-दि टाइम्स आफ इण्डिया 19 अप्रैल 1979
4-एशियन रिकार्डर, (28 मई-3 जून 1979) पृष्ठ 14903
5-वही।

भारत वर्ष 50,000 टन गेहूँ और 150,000 टन चावल की आपूर्ति बांगलादेश के इस भयंकर खाद्य संकट के समय करेगा। गेहूँ मई के महीने में और चावल जून और अगस्त में भारत ऋण के रूप में यह सामग्री भेजेगा। एक समझौता 4 मई को नयी दिल्ली में कृषिमंत्री श्री सुरजीत सिंह बरनाला और अब्दुल मोमिन खाँ, बांगलादेश के खाद्यमंत्री के बीच हुआ। बांगलादेश के राष्ट्रपति के विशेष आग्रह पर श्री देसाई 200,000 टन गेहूँ और चावल की तत्काल आपूर्ति के लिए सहमत हो गये। गेहूँ के ऋण को ब्याज मुक्त रखा गया। चावल के सम्बन्ध में ऋण ढाई वर्ष के लिए था।[1]

बांगलादेश और भारत के बीच 18 अक्टूबर को पुनः दोनों देशों के लिए व्यापारिक प्रगति के लिए समझौता हुआ। समझौते पर 3 दिन तक अधिकारिक स्तर की वार्ता बांगलादेश के संयुक्त सचिव, वाणिज्यमंत्री चौधरी अमीनुल हक और भारत के वाणिज्य मंत्रालय के निदेशक, मि० ए०ए० दयाल के बीच सम्पन्न हुई। दोनों पक्षों की ओर दोनों देशों के बीच व्यापारिक प्रगति के लिए पुर्न-विचार किया गया और इनके विस्तार में आने वाली समस्याओं के निस्तारण के लिए दोनों देशों के अधिकारियों और व्यापारियों के बीच सम्बन्ध बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया।[2] भारत ने बांगलादेश को अक्टूबर 1979 से सितम्बर 1980 तक 1.20 लाख टन कोयले की आपूर्ति करने का आश्वासन दिया।[3]

बांगलादेश के वाणिज्य मंत्री सफीउर रहमान ने कहा कि बांगलादेश औद्योगिक मशीनरी जापान से अथवा पश्चिमी देशों से न खरीद कर भारत से खरीदना अधिक पसन्द करता है।[4]

भारत और बांगलादेश ने 4 अक्टूबर को ढाका में त्रिवर्षीय समझौतें की पुनरावृत्ति की। इससे दोनों देशों में एक दूसरे के प्रति अधिकतम अनुकूलता आ गयी।

---

1-एशियन रिकार्डर, जून 18-24, 1979 पृ0 14939
2-एशियन रिकार्डर, नवम्बर 12-18, 1979 पृ0 15165
3-बांगलादेश टाइम्स, ढाका 9 अक्टूबर 1979
4-दि ट्रिब्यून चंडीगढ 22 फरवरी 1980

समझौते पर भारत के वाणिज्य मंत्री प्रणव मुखर्जी और बांगलादेश के चौधरी तनवीर अहमद सिद्दकी ने हस्ताक्षर किये। समझौते में दोनों देशों के बीच व्यापार की सभी सम्भावनाओं पर विस्तार, विकास और आपसी लाभ के अवसर खोजने की मंशा प्रकट की गयी। समझौते के अन्तर्गत दोनों देश अपने व्यापारिक सुविधाओं को उपलब्ध कराने के लिए तैयार हो गये। जैसे व्यापारिक मेले, नुमाइशें और व्यवसायिक लोगों की यात्राएं तथा व्यापारिक प्रतिनिधियों को एक देश से दूसरे देश में जाने की सुविधाएं। इसके अन्तर्गत आपसी विचार-विमर्श का भी प्राविधान रखा गया। जिससे समझौते का कार्यान्वयन सुगमतापूर्वक हो सके। इसमें यह भी प्राविधान रखा गया कि दोनों देशों की आपसी सहमति से समझौते की अवधि फिर से 3 वर्ष के लिए बढ़ायी जा सकती है। श्री मुखर्जी ने पाँच अक्टूबर 1980 को कलकत्ता में कहा कि भारत बांगलादेश के साथ द्विपक्षीय व्यापार बढ़ाने का इच्छुक है। बांगलादेश की अधिक वस्तुएं खरीद कर सीमेन्ट और लोहे के उपक्रमों में सामूहिक प्रयासों को संयुक्त रूप से सम्पादित किया जा सकता है। भारत और बांगलादेश के व्यापारिक सम्बन्ध 1973 के समझौते के द्वारा नियंत्रित थे। जिसकी अवधि दो बार बढ़ने के बाद इस वर्ष की 27 सितम्बर तक वैध थी। भारत और बांगलादेश के साथ व्यापार 1976-77 और 1978-79 के बीच औसतन 500 मिलियन था। भारत ने बांगलादेश के निर्यात के लिए प्रमुख वस्तुएं कोयला, कपड़ों का धागा, बना हुआ तैयार कपड़ा कच्ची धातुएं, मशीनरी और यातायात का सामान, कच्चे उर्वरक आदि हैं।[1]

---

1-एशियन रिकार्डर (25नवम्बर, 1दिसम्बर 1980) पृ0 15759

सांस्कृतिक सम्बन्ध

भारत और बांगलादेश सांस्कृतिक रूप से अभिन्न है। दोनों देशों की सांस्कृतिक एकता अविछिन्न है। इसीलिए दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक समझौते के अन्तर्गत 1978 मेंभी सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आदान-प्रदान बराबर बढ़ा रहा।[1] समझौते के अन्तर्गत एक वर्ष से दूसरे वर्ष तक के कार्यक्रम निश्चित किये गये जिसमें छात्रों,प्रोफेसरों और सांस्कृतिक टीमों में आपसी आदान-प्रदान का कार्यक्रम था। भारत ने 1979 के लिए भी सांस्कृतिक कार्यक्रमों के प्रस्ताव का प्रारूप तैयार कर लिया था, लेकिन बांगलादेश इसे अन्तिम रूप नहीं दे सका।

लेकिन भारत के प्रधानमंत्री मोरार जी देसाई ने कहा कि भारत और बांगलादेश बहुत सी महत्वपूर्ण समस्याओं का निराकरण खोजने में सफल हुए हैं और सांस्कृतिक क्षेत्र में भी आर्थिक सहयोग और सहायता के नये क्षेत्र खोजने को तैयार हैं।[1] तब बांगलादेश के प्रधानमंत्री अजिउर: रहमान ने कहा कि एक दूसरे के लोगों में सांस्कृतिक, भाषा, प्राचीन विरासत और इतिहास के ज्ञान के आदान-प्रदान से हमेशा मित्रता और समझदारी बढ़ेगी।[2]

प्रधानमंत्री मोरार जी देसाई की बांगलादेश की तीन दिवसीय यात्रा के समय भी भारत-बांगलादेश ,सांस्कृतिक सम्बन्धों पर बल दिया गया। उन्होने कहा कि शिक्षा, संस्कृति,सूचना ,विज्ञान और प्राविधिक क्षेत्रों पर भी बातचीत हुई। इस बात को स्पष्ट किया गया कि इस प्रकार के सहयोग के लिए काफी क्षेत्र है।[3]

फिर ढाका में एक संयुक्त वक्तव्य में 18 अगस्त 1980 में भारत के विदेशमंत्री पी0वी0 नरसिंम्हाराव और बांगलादेश के दोनों पक्षों की ओर से यह संतोष व्यक्त किया गया कि सांस्कृतिक और शैक्षिक आदान-प्रदान के लिए

---

1- दि हिन्दू, मद्रास 18 अप्रैल 1979
2- एशियन रिकार्डर,28 मई -3 जून 1979 पेज 14903
3- एशियन रिकार्डर 1980,30 सितम्बर -अक्टूबर 6,कालम I और II। पृ0 15671

दोनों देशों के बीच समझौते पर हस्ताक्षर होंगे। दोनों देश वैज्ञानिक और प्राविधिक क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए सामूहिक प्रयत्न करने के लिए राजी हो गये।[1]

30 दिसम्बर 1980 को भारत और बांगलादेश सांस्कृतिक समझौते पर हस्ताक्षर हुए जिसमें नियमित ढंग से विज्ञान, शिक्षा और अन्य समाज कल्याणकारी क्रिया कलापों के क्षेत्र में आपसी विचारों का आदान-प्रदान होता रहेगा।[2] बांगलादेश में भारतीय उच्चायुक्त श्री मचकुन्द दूबे और बांगलादेश के खेल और सांस्कृतिक सचिव मुहम्मद सिद्दकी रहमान ने भी सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आदान प्रदान के समझौते पर हस्ताक्षर किये।[3]

---

1- एशियन रिकार्डर 1980, 30 सितम्बर 6 अक्टूबर, कालम 1 और 111 पेज 15671

2- टाइम्स आफ इण्डिया, नयी दिल्ली-1 जनवरी 1981

3- वही।

## जनरल इरशाद काल

### राजनीतिक सम्बन्ध

सैनिक राजद्रोहियों ने 30 मई, 1981 को राष्ट्रपति जियाउर रहमान की उस समय हत्या कर दी जब वह चटगाँव की यात्रा पर थे[1] । बांगलादेश के छोटे और बड़े सभी खूनी उपद्रवों को मिलाकर यह आठवाँ खूनी उपद्रव था । जिया के काल में भारत-बांगलादेश सम्बन्धों में विशेष प्रगति नहीं हुयी थी । इसीलिये इस समय भारत और बांगलादेश के सम्बन्ध एक आदर्श की स्थिति से काफी दूर हो गये । दोनों पक्षों की ओर से कटुता का वातावरण व आपसी विश्वास का अभाव आ गया । लेकिन फिर भी किसी प्रकार की घृणा हम लोगों को एक दूसरे से विलग नहीं कर सकती है । दोनों देशों के राजनेता, अधिकारी और कूटनीतिज्ञ अच्छे सम्बन्धों के सम्भावित मूल्यों की कीमत अवश्य समझते हैं ।[2]

चूंकि राष्ट्रपति जियाउर रहमान की हत्या ने यह अवश्यसिद्ध कर दिया कि बांगलादेश में राजनीतिक अस्थिरता है और इसीलिये बांगलादेश की कुछ अवसर वादी शक्तियाँ भारत विरोधी भावनाओं को उछालकर लाभ प्राप्त करना चाहती हैं ।

परन्तु जनरल इरशाद के सत्ता में आने पर दोनों देशों के सम्बन्धों में सुधार के लिये प्रयास में गतिशीलता आयी है क्योंकि पहली बार जब बांगलादेश में भारतीय उच्चायुक्त श्री मचकुन्द दूबे ने बांगलादेश के मुख्य सैनिक प्रशासक ले0जनरल इरशाद से 45 मिनट तक बातचीत की । तब उन्होंने जनरल इरशाद को भारतीय नेताओं की भावनाओं से अवगत कराया कि भारत औरबांगलादेश के बीच मित्रता और सहयोग के सम्बन्ध बढ़ते रहेंगे ।[3] जनरल इरशाद ने भी आश्वासन दिया कि बांगला देश भी भारत से अच्छे सम्बन्ध बनाये रखने का इच्छुक है । भारत के विदेश मन्त्री श्री नर सिम्हा राव ने बताया कि जनरल इरशाद शीघ्र

---

1- एशियन रिकार्डर, जुलाई2, 8, 1981 कालम 1 पृ0 16099

2- इण्डियन एक्सप्रेस, 20 जनवरी, 1981

3- इण्डियन एक्सप्रेस 6 अप्रैल, 1982

ही भारत यात्रा का विचार बना रहे हैं।[1] ले0 जनरल इरशाद ने 24 मार्च को सत्ता पर पूरा आधिपत्य स्थापित करके देश पर सैनिक कानून लागू कर दिया।[2]

प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने कहा कि भारत-बांगलादेश के साथ घनिष्ठ मैत्री सम्बन्ध है इसलिए वह भविष्य में हर सम्भव उसकी सहायता करता रहेगा। श्रीमती गांधी ने आगे कहा कि "हमारा देश धनी नहीं है, हमारे सामने देश के विकास के रास्तें में अनेकों कठिनाइयाँ और अड़चने हैं। प्रधानमंत्री 30 सदस्यीय सांस्कृतिक मण्डली (बुलबुल एकडमी आफ फाइन आर्टस) को सम्बोधित कर रही थी। यह मण्डली भारत में 30 मार्च से हैं। इसने वाराणसी, अजमेर और दिल्ली का भ्रमण किया।[3]

इसी परिप्रेक्ष्य में बांगलादेश के नये सैनिक शासक जनरल इरशाद ने प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी को ढाका की शीघ्र यात्रा के लिए आमंत्रित किया जिससे भारत-बांगलादेश सम्बन्धों के संदर्भ में नये समीकरणों को खोजा जा सके।[4]

भारत के विदेश मंत्री 22 मई को एक संक्षिप्त यात्रा पर ढांका पहुँचे। उन्होने मुख्य सैनिक कानूनी प्रशासक जनरल इरशाद से भेंट की, उनके पास विदेश विभाग भी है। मि0 नरसिम्हा राव ने भारत-बांगलादेश द्विपक्षीय मामलों सहित भारत और बांगलादेश से सम्बन्धित सभी समस्याओं पर वार्ता की।[5] ढांका से लौटने के बाद विदेशमंत्री श्री नरसिम्हा राव ने रात्रि में कहा कि ढाका की दो दिन की यात्रा में बांगलादेश के नेताओं के साथ बात-चीत बड़ी लाभप्रद रही है। दोनों नेता 1974 के भूमि सीमा समझौते के कार्यान्वयन पर राजी हो गये हैं और तीन बीघा भूमि के पट्टे की निरन्तरता के लिए परिस्थितियाँ और शर्तों को तय

---

1-स्टेट्समैन, दिल्ली-3 अप्रैल 1982
2-एशियन रिकार्डर (अप्रैल 30-मई 1) 1982 वाल्यूम 28 न0 18 पेज016575
3-हिन्दुस्तान टाइम्स- 15 अप्रैल 1982
4-टाइम्स आफ इण्डिया- दिल्ली-24 अप्रैल 1982
5-हिन्दुस्तान टाइम्स-22 मई 1982

करने एवं सीमा निर्धारण आदि समस्यायों का समाधान शान्तिपूर्ण ढंग से हो सकता है। दोनों पक्ष द्विपक्षीय सम्बन्धों को गतिशीलता देने को सहमत हो गये।

भारत सरकार के विदेश सचिव के०एस० बाजपेयी 19 सितम्बर को ढाका पहुँचे। वहाँ पर भारत-बांगलादेश समिति के बारे में मधुरतापूर्ण बातचीत हुयी।[2]

बांगलादेश के मुख्य प्रशासक जनरल एच०एम० इरशाद दो दिन की राजकीय यात्रा पर नयी दिल्ली पहुँचे, जहाँ पर उन्होने प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी से दोनों देशों के बीच सम्बन्धों की प्रगति में समान रूप से प्रयास करने के सम्बन्ध में बात-चीत की।[3]

बांगलादेश के मुख्य सैनिक प्रशासक एच०एम० इरशाद और भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी के बीच महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात-चीत हुई। दोनों पड़ोसी देशों में 8 वर्षों के अन्तराल के बाद गम्भीर विचार-विमर्श हुआ। समिति स्तर की वार्ता 1974 में शेख मुजीबुर रहमान की दिल्ली यात्रा के समय हुई थी।[4]

प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने कहा कि "हम भारत के लिए घनिष्ठ मित्र चाहते हैं।" उन्होने आगे कहा "हम अपने लोगों के लिए राजनीतिक और आर्थिक मजबूती चाहते हैं, जिससे लोगों की आशाएं पूरी हो सकें। हमारी नीति आपको भी स्थिर और शक्तिशाली देखने की है। श्रीमती गांधी ने जनरल इरशाद से कहा कि हम विश्वास और उत्साहपूर्वक उनके साथ सहयोग करना चाहते हैं। बांगलादेश के नेता ने जोर देकर कहा कि हमने छः माह पूर्व ही कहा था कि भारत बांगलादेश सम्बन्ध एक निकटता पड़ोसी के रूप में सद्भावना, उदारहृदयता और समझदारी पर आधारित होने चाहिए। ये सम्बन्ध स्वाधीन बांगलादेश के पूर्व के पुराने अवरोधों से मुक्त रहकर समान सार्वभौमिकता के सिद्धान्तों पर आधारित होने चाहिए।

---

1-स्टेट्समैन- दिल्ली, 24 मई 1982
2-हिन्दुस्तान टाइम्स-20 सितम्बर 1982
3-दि हिन्दू, मद्रास- 6 अक्टूबर 1982
4-टाइम्स ऑफ इण्डिया, 6 अक्टूबर 1982

जनरल इरशाद की बांगलादेश के राष्ट्राध्यक्ष के रूप में स्व0 जिया की । जनवरी 1980 के यात्रा के बाद यह प्रथम यात्रा थी।[1]

तीन बीघा जमीन पर बांगलादेश को स्थायी पट्टा कर देने से भारत ने अपने एक छोटे से पड़ोसी देश के साथ अच्छा व्यवहार करके अपने सम्मान को बढ़ाया है। यह समिति आपसी मतभेदों को दूर करने में सफल हो रही है।

लेकिन कुछ समय बाद बांगलादेश सरकार द्वारा नक्शे में जम्मू और काश्मीर को भारत क्षेत्र से अलग करके दिखाया गया। इससे भारत को बड़ा भारी झटका लगा और उसे आश्चर्य भी हुआ कि क्या बांगलादेश द्वारा भारत के लिए विवाद खड़ा करने के लिए जानबूझ कर प्रयास किया गया है। अथवा नौकरशाही की उपेक्षा के कारण यह सब हुआ है। नक्शे में भारत संघ के 22 वें राज्य को एक स्वतन्त्र राज्य के रूप में दिखाया गया। दुर्भाग्यवश यह सब कुछ तय हुआ जब भारत-बांगलादेश सम्बन्ध में सुधार की दशा की ओर थे। तभी यह भारतीय जनता की भावनाओं को ठेस पहुँचाने वाले कार्य किये गये। भारत सरकार ने यह आशा व्यक्त की कि ढाका सरकार इस स्थिति को स्पष्ट कर देगी।[2]

कुछ समय बाद बांगलादेश सरकार ने उपरोक्त त्रुटिपूर्ण मानचित्र पर खेद व्यक्त करते हुए इसे निकट भविष्य में सुधारने का वचन दिया। बांगलादेश में भारत के उच्चायुक्त मि0 दूबे ने कहा कि भारत-बांगलादेश की स्थिरता में विशेष अभिरूचि रखता है क्योंकि उसकी इस देश से प्राकृतिक समीपता है। उन्होने कहा, बांगलादेश में जो कुछ भी इसके विपरीत घटित होता है, हमारे देश पर उसका अवश्यम्भावी प्रभाव पड़ेगा। मि0 दूबे ने कहा कि भारत और बांगलादेश के सम्बन्ध ही संवेदनशील हैं क्योंकि इन देशों में सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक समीपता इतनी है कि यदि किसी भी प्रकार की घटना दोनों देशो में किसी भी देश में होती है, तो दोनों देशों की जनता के मस्तिष्क और विचारों को प्रत्यक्षतः प्रभावित करती है।[3]

---

1- दि हिन्दुस्तान -मद्रास 9 अक्टूबर 1982
2- नेशनल हेरल्ड-5 अप्रैल 1983
3- पेट्रीयाट-13 सितम्बर 1982

भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के वास्तविक प्रतिवेदन में यह कहा गया कि भारत के प्रयासों से भारत और बांगलादेश के बीच एक अच्छे पड़ोसी की तरह मैत्रीपूर्ण सहयोग स्थायी रूप से विकसित होता रहेगा। भारत-बांगलादेश सम्बन्ध राष्ट्रपति जनरल इरशाद की यात्रा आपसी समझदारी और विश्वास के कारण विशिष्ट यात्रा समझी गयी। यात्रा के समय दोनों सरकारों ने एक आर्थिक आयोग के लिए समझौता किया। तीन बीघा जमीन पर बांगलादेश का अधिकार और गंगाजल पर भी एक स्मृति पत्र पर हस्ताक्षर हुए।[1]

मुख्य सैनिक प्रशासक जनरल इरशाद ने रियायतों की श्रृंखला में बांगलादेश के सबसे अल्पसंख्यक हिन्दू समुदाय को कुछ रियायतों की घोषणा की। इसके पहले कभी भी किसी भी नेता ने इतनी अधिक सुविधाओं की घोषणा नहीं की।[2] उपरोक्त घोषणा से भारत और बांगलादेश के सम्बन्धों में और भी अधिक समीपता बढ़ी। जनरल इरशाद ने श्रीमती गांधी में अपना विश्वास व्यक्त करते हुए कहा कि "यदि श्रीमती इंदिरा गांधी पुनः सत्ता में आ गयी हैं ,तो हमारी समस्यायों का समाधान हो सकता हैं।" उन्होने आगे कहा कि "श्रीमती गांधी कीतरह नेता ही हमारी समस्याओं का समाधान कर सकता है। भारत एक बड़ा देश है और जिसकी तुलना में बांगलादेश छोटा और निर्धन देश है। उपरोक्त विचार अरब न्यूज में प्रकट करते हुए जनरल इरशाद ने कहा कि भारतीय नेता इस वास्तविकता को समझेंगें।[3]

31 अक्टूबर 1984 को आतंकवादियों द्वारा श्रीमती गांधी की निर्मम हत्या के बाद श्री राजीव गांधी को देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। बांगलादेश के राष्ट्रपति एच0एम0 इरशाद ने कहा कि मुझे आशा है कि भारत के नये प्रधानमंत्री राजीव गांधी के नेतृत्व में दोनों देशों के सम्बन्ध अवश्य मजबूत होगें। जनरल इरशाद ने राजीव गांधी के अपना पदभार ग्रहण करते समय एक सन्देश में कहा, "मुझे विश्वास है कि हमारे दोनों देशों के बीच में जो मैत्री सम्बन्ध रहे हैं, वे आपके कार्यकाल में और अधिक प्रगाढ और सुदृढ होंगे।" इरशाद शनिवार को होने वाले श्रीमती गांधी

---

1-एनुअल रिपोर्ट 1982-83 मिनिस्ट्री आफ इक्सटरनल एफेयर्स, भारत सरकार भारत- अध्याय । पेज 1-3
2-टाइम्स आफ इण्डिया ﴾दिल्ली﴿ 16 अगस्त 1984
3-हिन्दूस्तान टाइम्स-1 सितम्बर 1984

के दाहसंस्कार में भी भाग लेंगे। बांगलादेश के राष्ट्रीय झंडे स्वर्गीय नेता के सम्मान में झुके रहे।[1]

जनरल इरशाद ने प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी की नीतियों की प्रशंसा की। राष्ट्रपति इरशाद ने कहा कि प्रधानमंत्री राजीव गांधी क्षेत्रीय समस्याओं के प्रति व्यापक दृष्टिकोण रखते हैं और इसीलिए क्षेत्रीय वातावरण पहले की अपेक्षा काफी अच्छा है। इरशाद ने कहा कि भारत ही एक ऐसा देश है जिसकी सीमाएं 6 देशों को मिलाती है, कम से कम तीन देशों के साथ कुछ सीमा सम्बन्धी विवादों के कारण मतभेद भी है। लेकिन वे मतभेद सार्क समिति की भावनाओं के विपरीत है।[2]

भारत -बांगलादेश के बीच जो मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध स्थापित है उनको भारत सरकार और भी अधिक मजबूत बनाने के लिए प्रयत्नशील है।[3] भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी 6 दिसम्बर 1985 को दक्षिण एशिया के राष्ट्राध्यक्षों के शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए ढाका पहुचे। मि0 इरशाद ने बड़ी गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। मि0 इरशाद ने भारत के प्रधानमंत्री से व्यक्तिगत रूप से भेंट की और कहा कि द्विपक्षीय वार्तालाप के माध्यम से उनकी मित्रता सुदृढ़ हुयी है।[4]

भारत-बांगलादेश के प्रतिनिधि एवं सरकारों के प्रमुख. 16 नवम्बर 1986 को बंगलोर में होने वाले दक्षेस के शिखर सम्मेलन में पुनः एक मंच पर एकत्रित हुए। दक्षिण एशिया की विभिन्न समस्यायों एवं आपसी सहयोग के मामलों पर विचार-विमर्श किया। इसमें आतंकबाद की समाप्ति के लिए आपसी सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया गया। भारत में मौसम केन्द्र और ढाका में कृषि केन्द्र की भी स्वीकृति हुयी।[5]

---

1-सिलोन- डेली न्यूज- 3 नवम्बर 1984
2-टाइम्स आफ इण्डिया- 2 दिसम्बर 1985
3-एनुअल रिपोर्ट-1984-85 मिनिस्ट्री आफ इक्सटरनल एफेयर्स ,भारत सरकार पे03
4-मिश्रा, प्रमोद कुमार, ढाका समिति एन्ड एस0ए0ए0आर0सी0 पेज 29
5-जनसत्ता, 20 नवम्बर 1986

1987 की तरह 1988 भी बांगलादेश के लिए बाढ़ का वर्ष रहा। पर 1988 की बाढ़ जलमग्न क्षेत्र और तबाही की दृष्टि से दो हजार लोग जल समाधि में मारे गये। भारत ने सबसे पहले पहुँचकर अपने संकटग्रस्त पड़ोसी की सहायता की, किन्तु इसके पहले की बाढ़ में स्वयं प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने श्रीलंका के राष्ट्रपति जयवर्धने के साथ बांगलादेश जाकर मौके पर ही बांगलादेश के राष्ट्रपति इरशाद और वहाँ की जनता के प्रति सहानुभूति प्रदर्शित की थी।[1]

बांगलादेश के विदेशमंत्री अनिसुल इस्लाम महमूद एक दिन की यात्रा पर नयी दिल्ली पहुँचे। उन्होंने भारतीय अधिकारियों के साथ दक्षेस विदेश मंत्रियों केसम्मेलन के बारे में बात-चीत की, किन्तु मि0 महमूद ने भारत श्रीलंका विवाद में बांगलादेश द्वारा मध्यस्थ की भूमिका अदा किये जाने की संभावना से इंकार कर दिया।[2]

भारत-बांगलादेश सीमा समन्वय समिति का 5 दिन का सम्मेलन गोहाटी में आरम्भ हुआ। इसमें सीमा सुरक्षा बल और बांगलादेश राईफिल्स के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। सम्मेलन में सीमा पर कांटेदार तार लगाने तथा असम, त्रिपुरा और मेघालय सीमाओं पर होने वाले अपराधों को रोकने सम्बन्धी अनेक मुद्दों पर बात-चीत हुयी।[3]

---

1- नवभारत टाइम्स, 3 जनवरी 1989
2- जनसत्ता 8 जुलाई 1989
3- दैनिक कर्मयुग प्रकाश 23 अगस्त 1989

आर्थिक सम्बन्ध

जनरल इरशाद द्वारा सत्ता सम्भालने के समय से भारत-बांगलादेश के बीच आर्थिक सम्बन्ध सामान्य रूप से पूर्ववत् रहे। उनमें कोई विशेष गिरावट नहीं आयी। दोनों देशों के बीच आर्थिक सम्बन्धों की प्रगतिशीलता भारत और बांगलादेश जैसे अति निकट पड़ोसी देशों के लिए आपसी हितों की पूर्ति अपरिहार्य है।

भारत अपने निकटतम पड़ोसी देश बांगलादेश के साथ आर्थिक सम्बन्ध बढ़ाने के लिए सदैव से प्रयत्नशील रहा है। इसीलिए नयी दिल्ली ने ढाका को 60 करोड़ रुपये ऋण के रूप में बहुत ही साधारण शर्तों पर देने का निश्चय किया है। दूसरा 40 करोड़ रुपये का आयात-निर्यात बैंक से प्राप्त होगा। इसके ब्याज की दर विश्व बाजार में प्रचलित दर से कम होगी। दोनों ऋण बांगलादेश की अर्थव्यवस्था के लिए उपयोगी हैं। बांगलादेश में भारत की प्रधान वस्तुएं सार्वजनिक एवं व्यक्तिगत जीवन के क्षेत्र में उपयोगी हैं।[1]

बांगलादेश में सीमेन्ट उद्योग एवं आधा दर्जन के लगभग कपड़ा मिलों को स्थापित करने के लिए मशीनों की आपूर्ति हेतु बांगलादेश आपसी सहयोग खोजने के लिए वार्ता को तैयार हो गया है। भारत औरबांगलादेश के बीच अन्तर्देशीय जल यातायात के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर हुए और 4 अक्टूबर 1980 में दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते के व्यापक प्राविधानों के अन्तर्गत व्यापार करने का निश्चय हुआ। यह व्यापार समझौता 3 अक्टूबर 1983 तक प्रभावी रहेगा और यह समझौता आपसी शर्तों की सहमति के आधार पर बढ़ाया भी जा सकता है। इस समझौते में जल यातायात और आपसी व्यापार के सम्बन्ध में अनेक पहलुओं पर बात-चीत हुई। दोनों देशों के उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मण्डलों के बीच तीन दिन तक गहरा विचार-विमर्श हुआ। भारतीय प्रतिनिधि मण्डल का नेतृत्व मि0 मोहिन्दर सिंह और बांगलादेश की ओर से ए0के0एम0 कमरूद्दीन चौधरी बंदरगाह और जहाजरानीके सचिव कर रहे थे।[2]

---

1-टाइम्स आफ इण्डिया, 19 नवम्बर 1982
2-एशियन रिकार्डर [अगस्त 20-26, 1982] पेज 16751

दो दिन की समिति स्तरीय वार्ता बंगलादेश के चीफ मार्शल जनरल इरशाद और प्रधानमंत्री इन्दिरा गांधी के बीच नयी दिल्ली में हुई। दोनों देशों के सरकारों ने एक संयुक्त आयोग गठन के दस्तावेज पर हस्ताक्षर किये, जिससे दोनों देशों के बीच आर्थिक और व्यापारिक सहयोग बढ़ सके।[1]

दोनों देशों के बीच विभिन्न स्तरों पर विस्तृत विचार विमर्श के बाद एक दूसरा निर्णय लिया गया कि रेलवे यातायात को और भी अधिक व्यापक रूप दिया जाय और इसके वर्तमान स्वरूप को संशोधित किया जाय जिससे बांगलादेश क्षेत्र से भारतीय सामान उसके पूर्वी राज्यों को सुविधापूर्वक पहुँचाया जा सके। दोनों देशों के नेता इस बात से सहमत हो गये कि दोनों देशों के बीच व्यापार बढ़ाने के लिए बड़ी-बड़ी सम्भावनाएं और व्यापक क्षेत्र विद्यमान है। विशेष रूप से बांगलादेश में दोनों देशों के संयुक्त प्रयास से उद्योगों को स्थापित किया जा सकता है।[2]

दोनों देशों ने यह स्वीकार किया कि दोनों देशों के बीच व्यापारिक सम्बन्धों को स्थायी बनाने के लिए तत्काल ऐसे कदम उठाने की आवश्यकता है जिससे बांगलादेश से भारत का निर्यात बढ़ाया जा सके और व्यावसायिक असमानता मिट सके। इसके साथ ही अधिक समय के लिए आर्थिक सहयोग के लिए यह निश्चित किया गया कि बांगलादेश में सामूहिक प्रयासों के द्वाराऔद्योगिक विकास के लिए भारतीय तकनीशियनों को भेजा जाय। बांगलादेश को लोहा सीमेन्ट और उर्वरकों के उत्पादन के लिए प्राविधिक और वित्तीय सहयोग मिलना चाहिए और इन इकाइयों से उत्पादित सामग्री का भारत को निर्यात हो सके। जिससे व्यापारिक संतुलन प्राप्त किया जा सके।[3]

14 जून 1982 के एक समझौते पर हस्ताक्षर करके भारत-बांगलादेश को 10हजार टन गेहूँ की आपूर्ति करने को राजी हो गया। यह समझौता भारत के

---

1- एशियन रिकार्डर, नवम्बर 5-11, 1982 पृ0 16878

2- वही

3- एशियन रिकार्डर, जुलाई 9-15, 1982 पृ0 16685

विदेशमंत्री पी0वी0 नरसिम्हा राव के ढाका यात्रा के समय उनके द्वारा दिये गये वचनों की औपचारिकता की पूर्ति के लिए था।[1] दोनों देशों के संयुक्त आर्थिक आयोग की पहली बैठक 17 नवम्बर 1982 को नयी दिल्ली में हुई। भारत-बांगलादेश के आयात को बढ़ाने के लिए तैयार हो गया।[2] भारत और बांगलादेश के बीच व्यापारिक सम्बन्धों में काफी प्रगति हुई और वास्तविकता में दोनों देशों के बीच कई समझौते हुए। 14 जून 1983 को एक समझौता सम्पन्न हुआ जिसमें भारत-बांगलादेश को 20 करोड़ का एक ऋण देने को तैयार हो गया। भारत ने बांगलादेश को चालीस करोड़ का एक ऋण 9.25 प्रतिशत ब्याज की दर पर भी देना स्वीकार कर दिया जिसकी अदायगी 13 वर्षो में होनी थी। इसके अतिरिक्त दोनों देशों नें कृषि के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग के लिए एक अन्य समझौते पर भी हस्ताक्षर किये।[3]

यह समझौता भारत के विदेश सचिव के0एस0 बाजपेयी और बांगलादेश के संसाधन सचिव मँजुुर रहमान के बीच दो दिन के बात चीत के परिणाम स्वरूप हो सका। दोनों अधिकारियों ने दोनों देशों के लिए नये क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ाने और व्यापारिक रिश्तों में आने वाले अवरोधों को हटाने के सम्बन्ध में पुर्नविचार भी किया। पत्रकारों से वार्ता करते हुए श्री बाजपेयी ने कहा कि भारत -बंगालदेश बढ़ते हुए न्यूजप्रिन्ट पेपर को खरीदने की व्यवस्था बनारहा है। उन्होने एक प्रश्न के जबाब में बताया कि रेलवे अधिकारी सुविधाओं को बढ़ाने के लिए सम्पर्क बनाएं हुए हैं।

भारत सरकार ने बांगलादेश से अपने सम्बन्धों को और अधिक मजबूत बनाने के निरन्तर प्रयास किये। एक भारत-बांगलादेश समझौता अर्न्तदेशीय जल

---

1-एशियन रिकार्डर, 5-11 नवम्बर 1982 पृ0 16771
2-वही, जनवरी 1-8, 1983 पृ0 16064
3-एशियन रिकार्डर अगस्त 13-19, 1983 पृ0 17313

यातायात और व्यापार पर 17 सितम्बर 1984 को नयी दिल्ली में दोनों देशों के सचिव स्तर के अधिकारियों के वार्ता के परिणामस्वरूप हुआ। यह समझौता दो वर्षों के लिए वैध माना जायेगा। जबकि इसके पूर्व के समझौते एक वर्ष की अवधि के लिए मान्य थे। भारत के विदेश मंत्रालय के वार्षिक रिपोर्ट में कहा गया है कि हमारे बांगलादेश से द्विपक्षीय सम्बन्धों में स्थायी रूप से प्रगति हुई है। विशेष रूप से आर्थिक सहयोग के क्षेत्र में।[1]

समझौते के नवीनीकरण के अन्तर्गत भारत ने बांगलादेश की प्रार्थना पर और एक अच्छे पड़ोसी के भाव को प्रस्तुत करते हुए उसने वार्षिक मालवाहक भाड़ा दर को वर्तमान 25,00,000 टका से बढ़ाकर 5000,000 टका कर दिया। यह नवीनीकृत एक वर्षीय समझौता 4 अक्टूबर से प्रभावी हुआ। इस पर जी0मिश्रा संयुक्त सचिव,जहाजरानी मंत्रालय और मि0 एम0 ओमर अली योजना अध्यक्ष तथा बांगलादेश के संयुक्त सचिव के बीच हुआ।[2] भारत और बांगलादेश ने 5 मिलियन मूल्य का एक और समझौता किया इसके अन्तर्गत संयुक्त प्रयास में केमिकल्स,टेक्सटाइल्स और फिल्म निर्यात उद्योग में आपसी सहयोग करेंगें।[3]

पंजाब,हरियाणा और दिल्ली के एक प्रतिनिध मण्डल ने एक सप्ताह की बांगलादेश की यात्रा के बाद,ढाका के व्यापारियों की एक संघ के साथ के एक स्मृति लेख पर हस्ताक्षर किये। दोनों देशों के व्यापारियों के लिए नियम निर्धारित करके द्विपक्षीय व्यापार और आर्थिक सहयोग व्यक्तिगत क्षेत्र में भी बढ़ाने के प्रयास होगें।[4]

भारत औरबांगला देश ने अपने द्विपक्षीय व्यापार को आगामी तीन वर्षों के लिए वार्षिक व्यापार लगभग 106 करोड का 1983-84 में दो गुना करने

---

1-मिनिस्ट्री आफ इक्सटरनल एफेयर्स ,एनुअल रिपोर्ट 1984-85 पृ0 3
2-एशियन रिकार्डर,जनवरी 15-21,1984 पृ0 17553
3-वही,जनवरी 15-21,1984 पृ0 17697
4-वही।

पर विचार किया। 1980 में जिस समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे, उसका नवीनीकरण कियागया। यह भारतीय वाणिज्य सचिव मि0 आबिद हुसैन और बांगलादेश के मि0 एस0 हुसैन अहमद ने,आपसी बात-चीत के बाद किया। दोनों पक्ष व्यापार का विस्तार करने पर भी राजी हो गये।[1]

भारत अब बांगलादेश से और अधिक सामान खरीदेगा और उसने भविष्य में भारत को प्राकृतिक गैस का निर्यात भारत के लिए प्रमुख सामग्री के रूप में प्रस्तुत किया है। भारत अभी हाल में न्यूजप्रिन्ट, नेफ्था और कोयला निर्यात करेगा।[2]

भारत सरकार ने बांगलादेश के साथ अपने आर्थिक सम्बन्ध निरन्तर बढ़ाने का प्रयास किया है जिससे एशिया के दोनों देश औद्योगिक रूप से समृद्धशाली बन सकें।

भारत और बांगलादेश वर्तमान समय में चल रहे समझौते को तीन वर्ष के लिए अर्थात अक्टूबर 1989 तक बढ़ाने के लिए राजी हो गये। यह बांगला देश के वाणिज्य सचिव, ए0वी0एम0 गुलाम मुस्तफा और भारतीय बाणिज्य सचिव श्री प्रेम कुमार के बीच हुआ। बांगलादेश के वाणिज्य सचिव ने भारत के व्यापारियों से बांगलादेश के छोटे क्षेत्रों में उद्योग लगाने में सहयोग करने का आग्रह किया।[3]

भारत सरकार के वाणिज्यराज्य मंत्री प्रिय रंजनदास मुंशी 8 सितम्बर 1989 को वाणिज्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के एक प्रतिनिधि मण्डल के साथ ढाका पहुँचे। जहाँ पर मंत्री स्तर की बात चीत भारत बांगलादेश आर्थिक सम्बन्धों के विकास की सम्भावनाओं के सम्बन्ध में आरम्भ हुई। भारत-बांगलादेश के बीच आर्थिक मुद्दों पर इस प्रकार कोबात-चीत तीन वर्ष बाद हो रही है।

---

1-एशियन रिकार्डर नवम्बर 4-10,1984 पृ0 18017

2- वही।

3- इण्डियन बैकग्राउन्ट सर्विस वाल्यूम XI नृ0 13 {535} जून 30,1985 पृ0 88-89

इसमें बांगलादेश के औद्योगिक विकास के लिए बांगलादेश की मशीनों के लिए पुर्जे, औजार, उपकरण एवं अन्य तकनीकी सहायता देने के सम्बन्ध में भी चर्चा हुई। भारत और बांगलादेश ने 10 सितम्बर 1989 को एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। जिसके तहत दोनों देशों के बीच आपसी व्यापार समझौते को तीन वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। भारतीय प्रतिनिधि मण्डल के नेता वाणिज्य राज्यमंत्री प्रियरंजन दास मुंशी और पाकिस्तान के वाणिज्य मंत्री एम०ए० सत्तार ने अपने-अपने देशों की ओर से इस समझौते पर हस्ताक्षर किये।[1]

1980 में हुए इस तीन वर्षीय समझौते का कार्यकाल तीसरी बार बढ़ाया गया है। जूट के सामान के निर्यात मूल्यों के बारे में भारत और बांगलादेश आपसी सहमति का एक और प्रयास करेंगे। बांगलादेश के जूटमंत्री श्री महर-उल रहमान का 24 सितम्बर को नयी दिल्ली पहुँचने का कार्यक्रम बना। यदि दोनों देशों में जूट निर्यात मुद्दे पर सहमति हो जाती है तो इससे दोनों देशों की विदेशी मुद्रा की कमायी होगी। 1987-88 के वर्ष के दौरान तथा 1988-89 के पहले 6 महीनों के दौरान भारत के निर्यात में बढ़ोत्तरी हो रही है। जबकि बांगलादेश के होने वाले आयात में कमी हो रही है।[2]

1987-88 में भारत ने 186.8 करोड रूपये का निर्यात किया इसके पिछले वर्ष 164 करोड़ रूपये का था। बांगलादेश से किये जाने वाले आयात में कमी हुई है। 1987-88 में यह 14.8 करोड़ रूपये का था जबकि उसके पहले वाले वर्ष में भारत ने बांगलादेश से 23 करोड़ रूपये का आयात किया।

बांगलादेश को निर्यात किये जाने वाले प्रमुख उत्पादनों में परिवहन उपकरण वस्त्र, यान, कोयला, विजली तथा अन्य मशीनरी, रसायन, दवाइयां, फल व सब्जियां शामिल हैं। अब भारत कारें भी निर्यात कर रहा है। बांगलादेश से भारत अखबारी कागज तथा रसायन आयात करता है।[3]

---

1-नव भारत टाइम्स, नयी दिल्ली 12 सितम्बर 1989
2-वही, इकानामिक्स टाइम्स 17 सितम्बर 1989
3-वही ।

सांस्कृतिक सम्बन्ध
-------------

भारत की सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद ने विदेशों से सांस्कृतिक सम्बन्धों में प्रगति के लिए अनेकों कार्यक्रम बनाएं हैं। वर्ष 1982-83 में परिषद ने लगभग 10 विशिष्ट पर्यटकोंका जो आष्ट्रिया, बंगलादेश, भूटान और चीन से आये थे उनसे सम्पर्क स्थापित करके स्वागत किया। ये कला, साहित्य, संगीत और विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में ख्याति प्राप्त लोग थे।[1]

भारत और बांगलादेश में 12 अप्रैल को ढाका में एक सांस्कृतिक और शैक्षिक कार्यक्रमों के आदान -प्रदान पर 1983-84 के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किये। जिससे दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक सम्बन्ध और अधिक मजबूत होगें। भारत के उच्चायुक्त आई0पी0 खोसला और अतिरिक्त सचिव खेल और सांस्कृतिक मि0 मंजूर मुर्शीद ने दस्तावेज पर हस्ताक्षर किये। यह कार्यक्रम 1977 के मौलिक समझौते पर रहेगा। 1981-82 के वर्तमान समझौते का नवीनीकरण है। दोनों देशों की सरकारें सांस्कृतिक, कला, साहित्य के क्षेत्र में विख्यात लोगों के पर्यटन के लिए राजी हो गयीं और इसके साथ-साथ दोनों देशों के पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग के अधिकारियों की आपसी यात्राओं के आदान-प्रदान पर भी सहमति हो गयी।[2]

भारत और बंगलादेश के बीच एक विज्ञान और प्राविधिक सहयोग पर भारत के विदेश मंत्री पी0वी0 नरसिम्हा राव और मि0 दोहा के बीच एक समझौता सम्पन्न हुआ। समझौते द्वारा विज्ञान ,प्राविधिकी में प्रतिनिधि मण्डलों, शोध कर्ताओं का कृषि, स्वास्थ्य, दूर संचार एवं अन्य सांस्कृतिक क्षेत्रों में आदान प्रदान होगा।[3]

भारत और बांगलादेश में विज्ञान ,शिक्षा, और समाज कल्याण के अन्य क्षेत्रों में निरन्तर नये रूप में परस्पर विचारों के आदान प्रदान के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किये। भारत की ओर से ढांका में उच्चायुक्त मि0 मचकून्द दूबे और

-----------------

1- एनुअल रिपोर्ट 1982-83 चेप्टर 9, पृ0 55
2- एशियन रिकार्डर, मई 28-जून 1, 1983 पृ0 17193
3- दि हिन्दू।; नवम्बर 1982

बांगलादेश के खेल और सांस्कृतिक मंत्रालय के सचिव मि0 मुहम्मद सिद्दकी रहमान ने सांस्कृतिक आदान प्रदान के एक समझौते पर अपनी सम्माननीय सरकारों की ओर से हस्ताक्षर किये।[1] लगभग 70 बांगलादेश के छात्रों को भारत द्वारा 1984-85 में छात्रवृत्तियां उपलब्ध करायीं गयी। यह छात्रवृत्तियां विश्वविद्यालयों और प्राविधिक संस्थानों में अध्ययन हेतु दी गयी थीं।[2]

बांगलादेश के सांस्कृतिक संगठन ने भारत के प्रसिद्ध गायक हेमन्त कुमार को माइकिल मधुसूदन पुरस्कार दिया है। बांगला पत्र इत्तिफाक ने लिखा है कि आयोजकों ने समारोह की टिकटें भारी कीमत पर बेंची लेकिन उन्होंने हेमन्त कुमार को पहले से तय राशि नहीं दिया। बांगलादेश सरकार मामले की जाँच कर रही है।[3]

भारत -बांगलादेश के बीच प्राचीन सांस्कृतिक सम्बन्धों की परम्परा का निर्वाह आज भी दोनों देशों की जनता कर रही है। बांगला साहित्य आज भी दोनों देशों के लिए बहुमूल्य सांस्कृतिक धरोहर है।

---

1- स्टेट्समैन 31 दिसम्बर 1984
2- मिनिस्ट्री आफ इक्सटरनल रिपोर्ट 1984-85 पृ0 4
3- नव भारत टाइम्स नयी दिल्ली 12 सितम्बर, 1989

दोनों देशों के सम्बन्धो में तनाव

बांगलादेश के सत्ता परिवर्तन के साथ ही भारत और बांगलादेश के बीच अच्छे पड़ोसियों के सम्बन्धों का एक युग समाप्त हो गया। बंगबन्धु शेख मुजीब की हत्या के बाद भारत-बांगलादेश के मधुर सम्बन्धों का बुरी तरह से ह्रास होने लगा। भारतीय दृष्टिकोंण से यह घटनायें हित साधक नहीं थी। यद्यपि देखने में यह लग रहा था कि बांगलादेश के नये शासक भारत विरोधी अभियान को और अधिक उछालने में सहयोग कर रहे हैं। लेकिन ये परिस्थितियां आकस्मिक एवं आश्चर्यजनक नहीं थी। वास्तविकता तो यह है कि इन परिस्थितियों का बीजारोपण बंगबन्धु के शासन काल में ही हो गया था[1] और भारत-विरोधी तत्वों का अभियान शेख मुजीब के शासन में आरम्भ हो चुका था। आवामी लीग के नेतृत्व की सरकार एवं उसके प्रशासन ने समाचार संसाधनों के माध्यम से इन दुर्भावनापूर्ण विचारों को कभी भी दूर करने का प्रयास नहीं किया है। बांगलादेश सरकार के इस मौनव्रत के सम्बन्ध में भारतीय प्रेक्षकों ने यह अनुमान लगाया कि बांगलादेश सरकार अपनी असफलताओं के कारण उमड़ रहे जन आक्रोस को भारत पर थोपने से कुछ राजनैतिक लाभ काअनुभव कर रही है। जब बांगलादेश के विरोधी राजनैतिक दल भारत के खिलाफ विभिन्न प्रकार से दोषारोपण कर रहे थे उस समय न तो सरकार ने और न ही अवामी लीग दल ने इन अभियोगों का प्रतिवाद किया।[2]

दोनों देशों के बीच तनाव के लिए उत्तरदायी परिस्थितियाँ

वास्तविकता तो यह है कि शेख सरकार लोगों की रोजमर्रा की समस्यायों का समाधान करने में असफल रही। पाकिस्तान की सैनिक सरकार के दमन चक्र से छुटकारा पाने के साथ ही उन्हे अपने घर की लोकतांत्रित सरकार से जो उच्च आशाएं थीं वे बुरी तरह धूमिल होने लगी। देश की आर्थिक एवं आन्तरिक कानून और व्यवस्था की स्थिति शेख सरकार के समय बदतर हो चुकी थी। जनता ने अपने भाग्य के शुभ लक्षणों के सम्बन्ध में जो आशाएं लगायी थी, उनका भ्रमजाल शीघ्र ही दूर हो

---

1- सिंह कुलदीप- इन्डो-बांगलादेश रिलेशन्स1975-86 पेज 29
2- नैयर भाष्करन, " इण्डियास इमैज इन बांगलादेश जनता वाल्यूम xxxनo 3 फरवरी 16, 1975 पेज 8

गया। दूसरी ओर शेख मुजीब अपने पार्टी कार्यकर्ताओं को अनुशासित एवं एक सूत्र में बांधने में असफल रहे। श्री एस0आर0 चक्रवर्ती एवं वीरेन्द्र शर्मा लिखते हैं, कि आवामी पार्टी में अराजकता एवं सिद्धान्तहीनता का वर्चस्व हो गया और प्रत्यक्ष रूप से प्रत्येक गतिविधि के लिए मुजीब नेतृत्व की असफलता मानी जाती थी। जबकि दल के कुछ महत्वाकांक्षी नेतागण अपने व्यक्तिगत उत्थान के लिए प्रयासरत थे और इस प्रकार आन्तरिक विरोधियों के षडयंत्रों एवं विदेशी शक्तियों के षडयंत्रों के वे ही लोग शिकार बन गये।[1]

बांगलादेश के लोग वैसे भी पाकिस्तान द्वारा बनाये गये 24 वर्षों के भारत विरोधी माहौल में रह चुके थे। भारत के द्वारा उनके मुक्ति संघर्ष में किये गये अकथनीय बलिदानों के कारण वहाँ के शासक वर्ग ने तो अपने स्वभाव एवं व्यवहार में कुछ परिवर्तन करने का प्रयास किया, किन्तु इस सत्ता वर्ग में भी पूरी तरह बदलाव की अपेक्षा नहीं की जा सकती थी। इसके अलावा राजनैतिक शक्ति में भी बलि का बकरा बना दिया। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सम्बन्धों के बावजूद, बांगलादेश की आन्तरिक राजनैतिक घटनाओं ने स्थिति को और भी नाजुक बना दिया।

स्वाधीनता के बाद बांगलादेश में उसके समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग यह अनुभव करने लगा कि वर्तमान स्थिति से वे लोग पाकिस्तानी शासन के अन्तर्गत अधिक सुखी थे। उन्होने भारत पर यह भी आरोप लगाना आरम्भ कर दिया कि उसने अवामी लीग के नेताओं से मिलकर पाकिस्तान को विभाजित कर दिया। उनके विचार से भारत पाकिस्तान से बदला लेना चाहता था क्योंकि वह पाकिस्तान निर्माण के हादसे को भूला नहीं था। भारत काफी समय से अपने निहित स्वार्थों को पूरा करने का अवसर देख रहा था। यद्यपि पाकिस्तान में 1971 की घटना याहिया खां कीगलत नीतियों के कारण उत्पन्न हुयी किन्तु इसने भारत के शासक वर्ग को उसके पाकिस्तान को विभाजित करने का अवसर दे दिया। उनके विचार से बांगलादेश की स्वाधीनता भारत की विजय और बांगलादेश की पराजय थी।[2]

---

1-चक्रवर्ती एस0आर0 एन्ड नारायन वीरेन्द्र -फारेन पालिसी आफ बांगलादेश- ट्रेन्डस एन्ड इशू साउथ एसियन स्टडीज, वाल्यूम XIII नम्बर 5, 1-2 जनवरी एन्ड जून एन्ड जुलाई, दिसम्बर 1977 पेज 80

2-एम नरायन भास्करन, "इण्डियाज इमैज इन बंगलादेश जनता-पेज 8

इस्ताक हुसैन का मत है कि यह बात सही है कि स्वाधीनता आन्दोलन में भारतीय सेनाओं की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण एवं व्यापक रही है। किन्तु बांगलादेश की जनता और सेना के अधिकारी पाकिस्तान की सेना के आत्मसमर्पण के समय प्रसन्न नहीं थे। जिस समारोह में पाकिस्तान के जनरल नियाजी ने भारत के मेजर जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के सामने आत्म समर्पण किया और उस समय वहाँ पर बांगलादेश की सेना को उपस्थित रहने की इजाजत नहीं दी गयी। भारतीय सेनाओं के प्रति दूसरा आक्रोश यह भी था कि भारतीय सेनाये ढाका में मित्र सेनाओं के रूप में गयी थी। अतः ढाका विश्वविद्यालय के छात्रोएवं सेना के अधिकारियों ने भारतीय सेनाओं पर आरोप लगाया कि वे एक बहुत बड़ी मात्रा में सैन्य सामग्री अपहित करके ले गयी है। इसमें आत्म समर्पण करने वाली सेनाओं से तथा मित्र राष्ट्रो से प्राप्त सुरक्षा उपकरण थे। ये सभी हथियार और गोलाबारूद भारतीय सेना के साथ भारत भेज दी गयी है जबकि 6 दिसम्बर 1971 को भारत और बांगलादेश की सेनाओं की संयुक्त कमान के द्वारा यह अभियान चलाया गया था। अतः बांगलादेश का भी उन पर वैधानिक हक बनता था।[1]

ज्योतिकुमार के विचार से बांगलादेश का अर्थतन्त्र देश स्वतन्त्र होने के बाद बुरी तरह क्षतिग्रस्त था। भारत ने बांगलादेश की आर्थिक दशा सुधारने के उद्देश्य से अनेको व्यापारिक समझौते किये और अपनी आर्थिक स्थिति के मुताबिक भारी ऋण देकर आर्थिक सहयोग भी किया किन्तु मुजीब सरकार जनता की आर्थिक एवं सामाजिक दशा सुधारने में असफल रही। इसके विपरीत बांगलादेश के लोग यह अनुभव करने लगे कि भारत और बांगलादेश के बीच जो समझौते हुए हैं उन्ही के कारण भारत-बांगलादेश सीमा पर तस्करी बढ गयी है, जिससे बांगलादेश की आर्थिक स्थिति और भी खराब हो गयी है। इस सब के लिए उन्होने भारत को जिम्मेदार ठहराया। मुजीब सरकार की औद्योगिक नीतियों के अच्छे परिणाम नहीं निकले, जिससे गरीब और गरीब होता गया, धनी और धनी बन गया। दल के कुछ नेताओं के प्रयास दल और शासन की सम्मानजनक स्थिति को बचाने में असफल रहे क्योंकि

---

1- इस्ताक हुसैन एन- बांगलादेश- इण्डिया रिलेशन: इशूज एन्ड प्राबलमस एसियन सर्वे वाल्यूम XI न0 11 नवम्बर 1981 पेज 1116

शासक दल के कुछ नेता अधिकारियों और व्यापारियों से मिलकर सरकार की मान मर्यादाओं को भंग करने में सहयोग कर रहे थे।[1]

शेख मुजीब की आर्थिक-नीतियों की असफलता के लिए आम जनता द्वारा आलोचना होने लगी। इस समय भारत विरोधी भावनायें आकाश छू रहीं थीं। वास्तविकता यह थी कि शेख मुजीबुर रहमान संविधान में संशोधन करके और अन्य अनेकों प्रस्तावों के द्वारा अधिक से अधिक अधिकार प्राप्त करने में लगे हुए थे। शेख द्वारा अधिक शक्ति प्राप्त करने पर भी समस्याओं का कोई हल नहीं हो सका। बांगलादेश में मुजीब विरोधी नेता जनता को गमराह करने के प्रलाभन से यह प्रचार करने लगे कि शेख साहबभारत की सह पाकर देश में लोकतन्त्र समाप्त करके सर्वशक्ति सम्पन्न अधिनायक बनना चाहते हैं।

किन्तु वस्तु स्थिति यह थी कि भारत का इन सभी बातों से कोई सम्बन्ध नही था। विरोधी दलों ने नये राष्ट्र के गौरव को बढ़ाने में कोई सहयोग नहीं दिया- दूसरी ओर भारत विरोधी भावनाएं भड़काकर दोनों देशों के बीच सामाजिक एवं राजनीतिक तनाव बढ़ाने में पूरा सहयोग दिया। ये पार्टियां स्वाधीनता विरोधी शक्तियों के साथ अपना सामन्जस्य बनाये हुयी थीं। चीन, पाकिस्तान सउदी अरब तथा संयुक्त राज्य अमरीका से हर प्रकार का सहयोग प्राप्त कररही थी। इन स्वाधीनता विरोधी शक्तियों ने देश में आतंकवाद और हिंसा को जन्म दिया।[2]

बंगलादेश में जो भारत विरोधी लहर जोर पकड़ रही थी, इससे भारत सरकार अनभिज्ञ नहीं थी। समय-समय पर उठने वाली समस्याओं के समाधान के लिए भारत के नेता बांगलादेश के साथ आपसी विचार-विमर्श के द्वारा निपटाने का प्रयास करते रहे, किन्तु इसके बावजूद भी दोनों देशों में मतभेद तीव्र होते गये।

---

1-रे, जयंत कुमार - पालिटिकल एन्ड सोसल टेन्सन इन बांगलादेश इन कालनी बहादुर (इडि) साउथ एसियन इन ट्रांसिशन कान्फ्लीक्ट एन्ड टेन्सन (नयी दिल्ली) 1986 पेज 161-162

2-सिंह, कुलदीप- इन्डो बांगलादेश रिलेशन- पेज 43

बांगलादेश भारत से अब प्रसन्न नहीं था। दोनो देशों के बीच तनाव की प्रक्रिया बांगलादेश की स्वाधीनता के 6 माह बाद भी प्रारम्भ हो गयी थी। बांगलादेश समाज के कुछ भागों भारत सर्वाधिक आलोचना का पात्र बन चुका था और उसका सबसे बड़ा कारण बंगलादेश की आर्थिक पुर्नसंरचना की मंद गति रही, जिसका दोषारोपण प्रयत्क्ष रूप से भारत पर थोपा जा रहा था।[1]

भारत-बांगलादेश सम्बन्धों में सबसे अधिक हृदय विदारक बात तो यह है कि दोनों देशों के शीर्षस्थ नेताओं के बीच आपसी समझदारी पूरी तरह से विद्यमान रही किन्तु जनमानस में भारत के प्रति भ्रान्तियां स्थायी रूप धारण करती रहीं।

बांगलादेश सरकार ने असामाजिक एवं सरकार विरोधियों से निपटने के लिए एक विशेष सुरक्षा बल का गठन किया जिसे जातीय रक्षा वाहिनी कहते थे। 1972 के मध्य में बांगलादेश के गृह विभाग ने 10,000 जवानों को इस बल में भर्ती की। इसका बजट 74.4 मिलियन टका से बढ़कर 1972-73 में 150 मिलियन टका हो गया। रक्षा वाहनी के अधिकारियों का प्रशिक्षण भारत में हुआ था। रक्षा वाहिनी के अत्याचारों से मुजीब विरोधी और भारत विरोधी भावनायें और अधिक भड़काने लगी।[2] रक्षा वाहनी का गठन राष्ट्र विरोधी शक्ति के रूप में देखा गया, जिस पर यह आरोप लगाया गया कि इसको शासन विरोधी राजनीतिक शक्तियों को कुचलने के लिए बनाया गया है। बांगला देश में यह अफवाहें जोर पकड़ने लगी। रक्षा वाहनी का गठन भारत से गुप्त विचार-विमर्श करके किया गया है, जिससे आवामी लीग सरकार को विरोध से कोई खतरा होगा, तो भारतीय सेनायें चुपके से रक्षा वाहिनी में सम्मिलित होकर जन आन्दोलन को कुचल सकें।[3]

इन दुष्प्रचारों ने शेख की स्थिति को अति निर्बल बना दिया और इनसे भारत विरोधी तत्वों की ओर भी अधिक बल मिला। बांगलादेश के स्वाधीनता संग्राम के समय भारत के सहयोग के विषय में जो विश्वास पैदा हुआ था, अब

---

1-शर्मा, श्री राम -इण्डियन फारेन पालिसी- एनुअल सर्वे -1972 इस्टरलिंग रालिशंस नयी दिल्ली, पेज 217 "माइनर इरीटेन्ट्स"

2-सिंह, कुलदीप इन्डो बांगलादेश रिलेशन-पेज 46

3-नैयर एम भाष्करन " इण्डियास इमेज इन बांगलादेश- जनता वाल्यूम xxx न09 पेज 9

निराशा में बदल गया। परिणाम स्वरूप वहाँ की जनता भारत पर यह आरोप लगाने लगी कि भारत ने उनके लिए कुछ नहीं किया है। वह तो केवल अपने व्यक्तिगत स्वार्थपूर्ति के लिए संघर्ष कर रहे थे। भारतीयों का मुख्य ध्येय पाकिस्तान को सबक सिखाना था।

भारत-बांगलादेश सीमा पर व्यापक पैमाने पर हो रही तस्करी ने भारत विरोधी भावनाओं को काफी हवा दी। बांगलादेश की जनता के दिमाग में यह बात मजबूती के साथ भर दी गयी कि बांगलादेश से भारत में बहुत बड़ी मात्रा में चावल, जूट, मछली और अन्य वस्तुओं की तस्करी हो रही है, जिससे बांगलादेश में भारी मात्रा में काला धन संचित होने से आर्थिक स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। बांगलादेश के विरोधी नेता यह आरोप लगा रहे थे कि 400 करोड़ की खाद्य सामग्री और 10 लाख जूट की गाँठे, बांगलादेश की सीमा से लगे पड़ोसी देश भारत में तस्करी के रूप में चली गयी है। अब लोग यह भी आरोप लगाने लगे कि बांगलादेश सरकार अपनी सैनिक दुर्वलताओं के कारण सीमा पर इन अपराधिक तत्वो को रोकने में असफल हैं। भारत के साथ उसकी लम्बी सीमायें होने पर उसका कर्तव्य हो जाता है कि वह तस्करी रोकने के उपायों को खोजकर उस पर नियंत्रण करे। जब तस्करी का धन्धा बन्द नहीं हुआ तब सीधाभारत पर दोषारोपण किया जाने लगा कि भारत जान बूझकर बांगलादेश में आर्थिक अस्थिरता पैदा करना चाहता है।[1]

1971 के पूर्व भारत और पाकिस्तान के बीच और बांगलादेश को स्वाधीनता के बाद फरक्का का गंगा जल विवाद भारत और बांगलादेश के बीच झगड़े की जड़ बना हुआ है। जिन दिनों गंगा जल प्रवाह 55,000 क्यूसिस से अधिक नहीं रहता है, जिसमें भारत को 4400 क्यूसेक की आवश्यकता रहती है। तभी कलकत्ता बंदरगाह को संकट से बचाया जा सकता है। किन्तु मुजीब काल में दोनों देशों के नेताओं ने आपसी समझदारी के तहत कई चक्रो की बात-चीत की जिससे जल विवाद का स्थायी हल निकाला जा सके लेकिन यह उपाय भी सफल नहीं हो सका। शेख मुजीब की हत्या

---

1-नैयर एम भाष्करन " इण्डियास इमैज इन बांगलादेश-जनता वाल्यूम xxx नं0 9पेज9

के बाद बांगलादेश भारत पर फरक्का पर पानी की अधिकता प्राप्त करने के लिए दोषी ठहराने लगा और उसने इस मामले का अन्तर्राष्ट्रीय करण के उपाय किये।

भारत बांगलादेश की समस्याये भू- राजनीतिक हैं। जैसे ही दोनों देशों के आपसी सम्बन्ध खराब हुये। इससे नये-नये संदेहो का जन्म होने लगा और आपसी तनावों का मार्ग बनने लगा। वास्तव में, ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत-पाकिस्तान के बीच विवादास्पद सीमा निर्धारण के द्वारा ही भारत-बांगलादेश के बीच सीमा विवाद उत्पन्न हुआ है। कभी-कभी सीमा पर दोनों ओर से जबाबी फायरिंग होने से संकट उत्पन्न हो गया। जब भी सम्बन्धों को सुधारने के लिए प्रयास किये गये इस प्रकार की घटनाओं को रोकनेके स्थान पर सीमाओं पर हो रही वारदातों के लिए सीधा भारत को दोषी ठहराया गया।

जनरल जिया ने तो जान बूझकर भारत पर सीमाओं पर हिंसा उत्पन्न करने का आरोप लगाया। यह आरोप उस समय लगाया गया जब 10 दिसम्बर 1976 को गंगा जल वितरण पर द्विपक्षीय वार्ता के लिए बैठक बिनाकिसी निर्णय के स्थगित हो गयी।[1]

बांगलादेश के राजनीतिक क्षितिज से बंगबन्धु के हट जाने से भारत विरोधी भावनाओं को बहुत बड़ा बल मिल गया। यद्यपि इन कटुतापूर्ण भावनाओं का जन्म अवामी लीग के शासन काल में ही हो चुका था। किन्तु सैनिक शासन काल में तो इनको बहुत अधिक उछाला गया। सैनिक शासक उन लोगों को रोकने के इच्छुक नहीं थे जो दोनों देशों के बीच पच्चड़ ठोककर मनमुटाव पैदा कर रहे थे। वस्तुतः बांगलादेश सरकार भारत विरोधी भावनाओं से लाभ उठाना चाहती थी। बांगलादेश के समाचार पत्र और सरकारी एजेन्सियां भारत विरोधी प्रचार में खुलकर सहयोग दे रही थी। जब ढाका के प्रमुख समाचार पत्र डेली ने भारत पर बांगलादेश के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप करने का आरोप लगाया। इससे ढाका में भारतीय राजदूत पर प्राण घातक हमले में परिणित हुयी। भारतीय राजनायक श्री समरसेन पर गोलियों से हमला कर दिया और वह गम्भीर रूप से घायल हो गये।[2]

---------------

1-इन्टरनेशनल हेरल्ड ट्रिब्यून।। दिसम्बर 1975
2-दि हिन्दू- मद्रास 27 नवम्बर 1975

भारत सरकार ने भारतीय राजनायक पर किये गये प्राणघातक हमले के प्रति गंभीर रूख अपनाया और कठोर शब्दों में इसकी निन्दा करते हुए बांगलादेश सरकार को विरोध पत्र प्रेषित किया। भारत विरोधी प्रचार बांगलादेश में हफ्तों चलता रहा। भारतीय उच्च आयुक्त कार्यालय में बांगलादेश सरकार को चेतावनी दी गयी कि यदि बांगलादेश में इसी प्रकार भारत विरोधी अभियान चलता रहा तो इसके गम्भीर परिणाम होगें। नयी दिल्ली ने इन षडयन्त्रकारियों की तत्काल जाँच करने और अपराधियों को दण्डित करने के लिए कहा।[1]

दोनों देशों के बीच आपसी सम्बन्धों को सुधारने के लिए कुछ बैठकें भी हुई। दिसम्बर में होने वाली वार्ता में बांगलादेश सरकार द्वारा आश्वासन देने के बावजूद भारत विरोधी प्रचार बढ़ता रहा। भारतीय विदेश मंत्रालय के एक सरकारी प्रवक्ता ने 30 जनवरी 1976 को बांगलादेश समाचार साधनों द्वारा भारत विरोधी प्रचार पर आश्चर्य और गहरा क्षोभ व्यक्त किया और उन्होने स्पष्ट रूप से कहा कि बांगलादेश ने यह दुष्प्रचार अपनी आन्तरिक विवशताओं और अन्य कारणों से भारत पर आरोप लगा रहे हैं। प्रवक्ता ने बांगलादेश के समाचार पत्रों द्वारा लगाये गये इन आरोपों का भी खण्डन किया कि भारत-बांगलादेश में राष्ट्रद्रोही संगठनों को हथियार, प्रशिक्षण और शरण दे रहा है। भारत ने बांगलादेश के पास एक संदेश भेजकर कहा कि उसे असामान्य सैनिक गतिविधियों की जानकारी के लिए अपने प्रतिनिधि भारतीय सीमा पर भेजना चाहिए।[2]

बांगलादेश में जो लोग भारत विरोधी अभियान में संलग्न थे। बांगलादेश सरकार द्वारा उनको रोका नहीं जा सका। भारत के सदभावनापूर्ण सम्बन्धों के संकेतों के बावजूद, बांगलादेश सरकार भारत को कलंकित करने से रोकने में असमर्थ रही। श्री वाई0 बी0 चह्वाण ने 13 मार्च 1976 को राज्यसभा में बताया कि भारत के विरोध के बावजूद बांगलादेश ने भारत विरोधी गतिविधियों को नियंत्रित करने के सम्बन्ध में कोई संतोषजनक प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की है।[3]

---

1-दि हिन्दू, 27 नवम्बर, 1975
2-बांगलादेश आब्सरवर, 12 नवम्बर, 1975
3-इण्डियन इक्सप्रेस 20 मार्च 1976

उपरोक्त सभी परिस्थितियां भारत एवं बांगलादेश के बीच सम्बन्धों को बिगाड़ने के लिए उत्तरदायी रही है। भारत बांगलादेश के बीच राजनीतिक सम्बन्ध जैसे-जैसे तनावपूर्ण होते गये । दोनों देशो के बीच आर्थिक सम्बन्धों में गिरावट आने लगी। 1979 तक दोनों देशों के बीच सीमा सम्बन्धी विवादों के कारण पुनः हिंसक घटनाएं आने लगी। 1979 तक दोनों देशों के बीच सीमा सम्बन्धी विवादों के कारण पुनः हिंसक घटनाएं हुयी। 4 नवम्बर 1979 को बांगलादेश राईफिल्स और भारतीय सीमा बलों के बीच जबकि गोली बारी फिर हो गयी। यह विवाद उस समय हुआ जब भारतीय कृषक सीमा सुरक्षाबलों के संरक्षण में लगभग 50 एकड़ मुहारी नदी के तट पर नयी पड़ी हुई मिट्टी पर बोयी गयी फसल को काट रहे थे। यह क्षेत्र बेलोनिया में पूर्व बांगलादेश और उत्तर पूर्व भारतीय राज्य त्रिपुरा की सीमा पर है।[1] जबकि 1 नवम्बर 1979 को भारत सीमा सुरक्षा बल और बांगलादेश सीमा राईफिल्स के अधिकारियों की बीच बात-चीत होकर यह निश्चित हो गया था कि यह भूमि भारतीय कृषकों के अधिकार में रहनी चाहिए।[2]

मुहारी नदी छारलैन्ड ने जिस तरह दोनों देशों के बीच तनाव उत्पन्न किया उसी तरह न्यूमूर-द्वीप के सम्बन्ध में भी दोनों देशों के बीच गर्मा-गर्मी पैदा हो गयी। बांगलादेश ने 1979 में अपना दावा पेश कर दिया जबसे पश्चिम बंगाल सरकार न्यूमूर को पुरबसा कहने लगी। बांगलादेश ने समझा कि न्यूमूर और पुरवसा दो द्वीप है अतः इसे दक्षिण ताल पट्टी कहकर अपना दावापेश करने लगा।[3] यह द्वीप सम्बन्धी विवाद अनिर्णित है। 30 मई 1981 को जियाउर रहमान की हत्या से यह स्पष्ट हो जाता है कि वहाँ पर अभी तक राजनीतिक स्थिरता नहीं है। इसलिए भारत विरोधी कुप्रचार से राजनैतिक लाभ उठाने की अभी और आवश्यकता है।

---

1-दि ट्रिब्यून 6 नवम्बर 1979; नरुद्दिन हाक्हुसेन, बांगलादेश-इण्डिया रिलेशन इशूज एन्ड प्राबलेम एशियन सर्वे वाल्यू xx नं0 11 नवम्बर 1981 पेज 1124।

2-दि टाइम्स आफ इण्डिया, 2 नवम्बर 1979

3-इण्डियन बैक ग्राउन्ड, वाल्यू नं0 19 (280) अगस्त 10, 1981 पेज 2759

जनरल इरशाद के सत्ता में आने के बाद भी दोनों देशों के बीच तनाव कम नहीं हुआ। श्री एम०एस० प्रभाकर[1] बांगलादेश की यात्रा के संदर्भ में एक विशेष रिपोर्ट प्रकाशित करते हुए लिखा है कि भारत और बांगलादेश के बीच वैसे तो अनेकों समस्यायें हैं लेकिन बांगलादेश से भारी संख्या में सीमा पार करके आने वाले घुसपैठियों ने भारत के पूर्वोत्तर सीमावर्ती राज्यों विशेषकर असम और त्रिपुरा में शरण लेकर गम्भीर समस्याये पैदा कर दी हैं। अभी कुछ समय पूर्व पश्चिम बंगाल सरकार ने भी इस अवैधानिक ढंग से आने वाले शरणार्थियों के सम्बन्ध में आपत्ति उठायी है। जबकि जनरल इरशाद ने यह स्पष्ट रूप से इंकार कर दिया है कि बांगलादेश से भारत में घुसपैठिये अपना डेरा डाले हुए हैं।

अभी हाल में त्रिपुरा सरकार ने केन्द्र सरकार पर इस बात के लिए दबाव डाला है कि वह बांगलादेश से आये 68,000 से भी ज्यादा चकमा शरणार्थियों की वापसी के मसले पर ढाका सरकार से बात करें। राज्य के मुख्य सचिव श्री आई०पी०गुप्त के अनुसार विदेश मंत्रालय से आग्रह किया है कि बांगलादेश सरकार को इस बात के लिए मनाये कि वह इन शरणार्थियों को वापस ले, क्योंकि राज्य को वैसे भी भारी आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।[2]

जब भारत सरकार ने इन घुसपैठियों एवं अन्य आर्थिक अपराधियों की गतिविधियों पर नियंत्रण के लिए भारत-बांगलादेश सीमा पर तारों की बाढ़ लगाने का प्रस्ताव रखा उसका भी जनरल इरशाद की सरकार ने कड़ा विरोध किया।

ले० जनरल इरशाद ने भारत पर आरोप लगाया है कि वह चटगाँव पहाड़ी क्षेत्र में अराजकता पैदा करने के उद्देश्य से आतंकवादियों को शस्त्रास्त्रों की आपूर्ति कर रहा है। यह कार्य सार्क भावना के विपरीत है, जबकि भारत सरकार ने इसका कड़ा प्रतिवाद किया है।[3] बांगलादेश में आई बाढ़ के समय अपनी प्रशासनिक असफलता को यह कहकर ढांपा कि यह भारत का षडयंत्र है। भारत को बाढ़-प्रेषक

---

1-स्पेशल रिपोर्ट आफ एम०एस० प्रभाकरन, पीयर्स आफ यूसिंग ब्रदर एन्ड इनारमस गुडविल -दि हिन्दू 28 अगस्त 1984

2- नव भारत टाइम्स- नयी दिल्ली-11 जुलाई 1989

3-इण्डियन इक्सप्रेस, 7 मई 1988

मानकर इस हद तक पहुँचगये कि उन्होने राहत कार्य में लगे भारतीय हेलीकाप्टरों को वापिस भेज दिया और अन्य दूसरे विदेशी हेलीकाप्टरों को बुलाया। पर लोगों के सरकार विरोधी क्रोध को शमन करने के लिए इरशाद ने भारत की नाराजगी मोल ले ली।[1]

बांगलादेश के उप प्रधानमंत्री और सत्तारूढ़ पार्टी के महासचिव मि० शाह मुअज्जम हुसैन ने आरोप लगाया कि बांगलादेश में लोकतन्त्रबहाली की जो आन्दोलन चलाया जा रहा है उसके पीछे भारत का हाथ है। भारत के एक सरकारी प्रवक्ता ने कहा कि बांगलादेश के नेताओं का ऐसाभ्रामक बयान देना दोनों देशों की मित्रता को आघात पहुँचायेगा। प्रवक्ता ने कहा कि बांगलादेश के कुछ और नेता भी इसी प्रकार के गैर दोस्ताना और आक्रमक बयान देते रहे हैं। जिनमें बिना किसी आधार के बांगलादेश के अंदरूनी आन्दोलन के लिए भारत को बदनाम किया जाता है। ऐसे बयान केवल बीमार मस्तिष्क की ही उपज हो सकती है।[2]

वास्तव में इसमें सन्देह नहीं है कि भारत-बांगलादेश के बीच भाईचारे के मधुर सम्बन्धों में कडुवाहट पैदा करने में मुख्य हाथ वहाँ की उस राजनैतिक मण्डली का रहा है जो अपनी असफलताओं को ढकने के लिए बांगलादेश की जनता को भ्रमित करके उसकी सहानुभूति प्राप्त करने के उद्देश्य से भारत को दोषी ठहराने में अपनी कूटनीतिक सफलता समझते रहे और बांगलादेश के राजनैतिक अभिनय में भारत को भी एक पक्ष बनालिया।[3] लेकिन अब "सार्क" के अस्तित्व में आने से सम्भव है कि दोनों देशों के सम्बन्धों के बीच आपसी समझदारी और सदभावना का पुर्नजन्म हो सके और दोनों देश अपनी समस्याओं का राजनैतिक लाभ न उठाकर उनके निदान के लिए आपसी विचार-विमर्श के द्वारा तत्पर हो जाये।

---

1-नव भारत टाइम्स- नयी दिल्ली-2 अक्टूबर 1988
2-हिन्दुस्तान -नयी दिल्ली, 3 जनवरी 1988
3-दि मुजीब फैक्टर एन्ड द सेकुअल - राजेन्द्र सरीन दि ट्रिब्यून 22-9-82

## विभिन्न कालों की तुलनात्मक समीक्षा

भारत को विशाल सीमाएं पाकिस्तान, बांगलादेश, नेपाल, भूटान, श्री लंका एवं चीन जैसे देशों को स्पर्श करके अपना निकटतम पड़ोसी बनाती है और भारत राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय मंचों पर अपने पड़ोसी देशों के साथ मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध बनाये रखने के लिए अपनी वचनबद्धता को प्रकट कर चुका है, किन्तु इन सभी पड़ोसी देशों में भारत और बांगलादेश के सम्बन्ध उसके (बांगलादेश) स्वाधीनता संग्राम के ऐतिहासिक घटनाक्रम के संदर्भ में जिस विशिष्टता के साथ जुड़े हुए हैं। सम्भवतः ये समरूपता दक्षिण एशिया के ही पड़ोसी देशों में मिलना दुर्लभ हैं।

भारत ने भले ही अपनी भू- राजनैतिक एवं सामरिक आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए बांगलादेश को एक स्वतन्त्र राष्ट्र के रूप में प्रादुर्भूत होने में अपना अद्वितीय सहयोग दिया हो, किन्तु इसके साथ ही उसकी इस नये राष्ट्र के सम्बन्धों के संदर्भ में निश्चित ही कुछ आशाएं एवं अपेक्षाये रही होंगी, जिससे वह अपने पूर्वोत्तर राज्यों की सीमाओं पर एक स्थायी मित्र राष्ट्र को पाकर अपने राष्ट्रीय हितों का पोषण कर सके।

किन्तु दुर्भाग्यवश परिस्थितियों के घटनाक्रम ने भारत की भविष्य के लिए की जाने वाली सभी आशाओं पर पानी फेर दिया। जैसा कि श्री इंदरजीत कहते हैं[1] कि बांगलादेश आज वह नहीं है जैसा कि भारत के लिए 1971 में था, और विशेष रूप से 16 दिसम्बर 1971 के दिन जब पूर्वी पाकिस्तान के ले० जनरल ए० ए० के० नियाजी ने भारत और बांगलादेश की संयुक्त सैन्य बल के प्रमुख सेनापति (ज०.अरोड़ा) थे। पूर्वी पाकिस्तान के मोर्चे पर भारतीय सेनाओं ने मुक्तिवाहिनी के साथ मिलकर जो चमत्कार दिखाया था, वह विश्व के सैनिक इतिहास में अद्भुत था। भारतीय बांगलादेश की स्वाधीनता पर उसी तरह खुशियों में झूम

---

1- जीत, इन्दर -दिल्ली-ढाका एन्ड फ्रेंडशीप, नागपुर टाइम्स 10 अप्रैल 1981

रहे थे जैसे ढाका में स्वाधीनतासंग्राम के योद्धा प्रफुल्लता से भरे हुए थे। दोनो देश सच्चे मित्रों की तरह एक दूसरे से बंधे हुए थे।

लेकिन आज परिस्थितियों में जमीन आकाश का अन्तर आ गया है। आज बांगलादेश में सरकार के कुछ मंत्रियों, राजनेताओं एवं कुछ समाचारपत्रों के द्वारा उसी भारत को सबसे बड़ा शत्रु के रूप में नियोजित किया जाता है। भारत को बार-बार विस्तारवादी की संज्ञा देकर अन्तर्राष्ट्रीय जगत में उसकी छवि धूमिल करने के उद्देश्य से षड्यंत्रकारी शक्तियां सक्रिय हैं।[1] इन भारत विरोधी शक्तियों को बहुत कुछ सफलता भी प्राप्त हुयी।

मुजीब युग

बांगलादेश स्वाधीनता आन्दोलन के नायक मुजीबुररहमान लोकतंत्र धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद, गुटनिरपेक्षता, विश्वशन्ति, सुरक्षा, सह-अस्तित्व एवं परस्पर सहयोग एवं विश्वबन्धुत्व के उच्च आदर्शों के पोषक थे। इन्ही उच्च आदर्शों से प्रेरणा लेकर वह पाकिस्तान के सैनिक शासकों को मात देने में सफल रहे और बांगलादेश की जनताको लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित शासन व्यवस्था सौपने में सक्षम बन सके। शेख मुजीब युग भारत-बांगलादेश मैत्रीपूर्ण सम्बन्धों के लिए एक स्वर्णयुग कहा जा सकता है। शेख मुजीब अपने जीवनकाल में भारत ने जो सहयोग किया उसके प्रति वे कृतज्ञ रहे। जब वह पहलीबार भारत को राजकीय यात्रा पर आये तब उन्होने श्रीमती गांधी के साथ संयुक्त विज्ञप्ति में कहा कि बांगलादेश भारत की तरह लोकतन्त्र, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, तटस्थता और जातिवाद एवं उपनिवेषवाद का विरोध करने के लिए भारत के साथ इन आदर्शो से निर्देशित होता रहेगा।[1]

दोनों देशों के नेताओं ने शीघ्र ही विकास के विभिन्न क्षेत्रों जैसे आर्थिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्रों में भी सहमति व्यक्त की। यह भी निश्चित किया कि परम्परागत सीमावर्ती व्यापार पर भी विचार होना चाहिए और जितनी जल्दी हो सके इसका भी कार्यान्वयन हो सके।

---

1- फारेन अफेयर्स रिकार्ड, फरवरी 1972 पेज 36

भारत-बांगलादेश सम्बन्धों में विश्वास एवं स्थायित्व पैदा करने के उद्देश्य से श्रीमती गांधी ने मार्च के मध्य में बांगलादेश की यात्रा की। दोनों देश के नेताओं ने पुनः समान दृष्टिकोणों, आदर्शों एवं परस्पर हितों के सम्मान में अपनी ठोस आस्था व्यक्त की। दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने 19 मार्च 1972 को एक 25 वर्षीय सन्धि पर हस्ताक्षर किये। इस संधि के अन्तर्गत शान्ति सुरक्षा, धर्मनिरपेक्षता, लोकतन्त्र, समाजवाद और राष्ट्रवाद के उच्च आदर्शों में पुनः आस्था व्यक्त की।[1]

भारत ने बांगलादेश को संयुक्त राष्ट्रसंघ की सदस्यता के लिए पूरा सहयोग दिया जबकि वाशिंगटन-इस्लामाबाद-पेइचिंग, धुरी इसके विरोध में सक्रिय थी। दोनों प्रधानमंत्रियों ने हिन्द महासागर में महाशक्तियों की राजनैतिक प्रतिस्पर्धा का विरोध करते हुए इसे शान्ति क्षेत्र घोषित करने की घोषणा की।

प्रधानमंत्री श्रीमती गांधी ने उस समय यह स्पष्ट कर दिया कि भारत ने अतीत में बांगलादेश की जो सहायता की है और हम जो आज सहयोग कर रहे हैं। इसके पीछे हमारा यह स्वार्थ कदापि नहीं है कि हम बांगलादेश पर अपना वर्चस्व कायम रखना चाहते हैं। भारत अपने उन उच्च आदर्शों के प्रति समर्पित है जिनके लिए बांगलादेश की जनता ने कुर्बानियां की है और आज भारत एवं बांगलादेश की सरकारों ने लोकतंत्र, धर्म निरपेक्षता एवं लोक कल्याण के सामान्य आदर्शों को स्वीकार किया है।

शेख मुजीब अपने शासनकाल में भारत के साथ एक चिरस्थायी मैत्री का संकल्प दोहराते रहे। बांगलादेश की स्वाधीनता की दूसरी वर्षगांठ पर भारत के पत्रकारों से वार्ता करते हुए यह स्पष्ट कहा था कि भारत की तरह बांगलादेश भी एक धर्म निरपेक्ष राज्य है और बांगलादेश के जन्म के साथ ही साम्प्रदायिकता की मौत हो चुकी है। शेख मुजीब की सरकार का लोकतन्त्रएवं धर्म निरपेक्षता में विश्वास भारत से गहरी मित्रता का प्रतीक था।

---

1-फारेन एफेयर्स रिकार्ड, मार्च 1972 पेज 63

जैसा कि दो निकटतम पड़ोसी देशों के बीच विभिन्न भू-राजनीतिक समस्याओं का पैदा होना स्वाभाविक होता है। भारत-बांगलादेश के बीच भी मुजीब शासनकाल के समय भी अनेको ज्वलंत समस्याये रही हैं। जैसे फरक्का जल विवाद, सीमाविवाद ,बैरूवारी की समस्या के साथ अन्य अनेको विवादों को मुजीब सरकार ने भारतीय नेताओं एवं उच्च अधिकारियों के साथ परस्पर विश्वास, मैत्री एवं सहयोग की भावना से प्रेरित होकरबड़ी सहजता से निपटाने का प्रयास किया।

भारत ने बांगलादेश की बर्बाद अर्थव्यवस्था को पुर्नजीवित करने के उददेश्य से कृषि, उद्योग, व्यापार एवं विज्ञान के क्षेत्र में भी यथाशक्ति सहयोग किया। भारत ने विज्ञान शिक्षा एवं सांस्कृतिक सम्बन्धों को भी विकसित करने की दिशा में मुजीब सरकार का पूरा-पूरा सहयोग किया। भारत और बांगलादेश के बीच व्यापारिक, सम्बन्ध प्रगति पथ पर थे। भारत सरकार ने राज्यसभा में एक सूचना में 17 अगस्त 1973 को बताया था कि भारत सरकार ने बांगलादेश को 210 करोड़ रूपये की वित्तीय सहायता के अनुदान एवं ऋणों के रूप में दी है।[1]

कहने का तात्पर्य है कि मुजीब युग में भारत के राजनैतिक ,आर्थिक सांस्कृतिक एवं वैज्ञानिक सम्बन्ध तथा विभिन्न विश्व समस्याओं के प्रति दोनो देशों के सम्बन्ध में दो विश्वसनीय मित्र देशों की तरह सहयोग और विश्वास पर आधारित थे।

लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मुजीब युग में जितने मधुर सम्बन्ध राजकीय स्तर पर रहे और जो समझदारी दोनों देशों के शीर्षस्थ नेताओं के बीच रही वही देश के विरोधी दल के नेताओं, अन्य सामाजिक संगठनों के नेताओं एवं बौद्धिक वर्ग में भी रही हो। मुजीब शासन काल में ही 1972 के सूखे और 1973 के बाढ़ जैसी प्राकृतिक विपदाओं के कारण बांगलादेश की आर्थिक स्थित भयावह हो रही थी। आर्थिक अभावों ने जनता में भारी असन्तोष और अविश्वास को जन्म. देकर मुजीब रहमान शासन के लिए चुनौती खड़ी कर दी।

---

1-फारेन एफेयर्स रिकार्ड अगस्त ,1973 पेज 63

इन परिस्थितियों ने भारत-विरोधी पाकिस्तान समर्थक, चीन समर्थक, मुजीब विरोधी शक्तियों को इतना अधिक बल प्रदान किया कि जनता के मन में यह विश्वास पैदा हो गया कि इन सभी कठिनाइयों के लिए भारत-बांगलादेश मित्रता उत्तरदायी है। प्रशासनिक पकड़ पर लचीलेपन ने मुजीब शासन की अक्षमता को सिद्ध कर दिया। बांगलादेश में आज भी अमरीका समर्थन नौकरशाही मौजूद थी जो वर्तमान समस्याओं का दोषारोपण भारत परथोपकर परिस्थिति का पूरा शोषण कर रही थी। चीन और पाकिस्तान समर्थक लोग छोटी सी छोटी समस्याओं के लिए मुजीब सरकार की असफलता एवं भारत विरोधी प्रचार अभियान में सक्रिय थे।[1]

बांगलादेश में इस समय भारत की स्थिति एक तिरस्कृत बच्चे एवं प्रमुख खलनायक की तरह बन गयी। इस मुजीब और भारत विरोधी अभियान की प्रक्रिया ने जहाँ मुजीब और उनके अनुयायियों की लोकप्रियता को तहस-नहस कर दिया उसी के साथ भारत-बांगलादेश सम्बन्धों के लिए भी एक विकट परिस्थिति पैदा कर दी और जिसमें भविष्य के लिए निराशा और विपत्ति के बीज बो दिये।[2]

## जियाउर रहमान काल

बांगलादेश में आन्तरिक कलह इतना अधिक बढ़ गया कि सेना के कुछ वर्गों को यह एहसास हो गया कि मुजीब शासन की अन्तेयेष्टि करने से किसी भारी जन आक्रोस की सम्भावना नहीं है क्योंकि जनता मुजीब सरकार की विफलताओं से उबकर पाकिस्तान के सैनिक शासन को ही उचित ठहराने लगी थी। इस अवसर का लाभ उठाकर 15 अगस्त 1975 को बंगबन्धु की पूरे परिवार और कुछ सहयोगियों सहित एक सैनिक गिरोह ने हत्या कर दी।

---

1-दत्त, वी0पी0 इण्डियास फारेन पालिसी- दि नेबर्स बांगलादेश एन्ड नेपाल पेज-76
2-वही।

बंग बन्धु की हत्या का प्रभाव विश्व राजनीति परभले ही न पड़ा हो, किन्तु भारत उपमहाद्वीप की राजनीति पर दूरगामी प्रभावरहा। मि० खाडेकर मुस्तका को शासन सत्ता प्राप्त हुयी। भारत को पुनः आश्वस्त किया गया कि बांगलादेश की नयी राजनैतिक शासन व्यवस्था धर्मनिरपेक्ष होगी।[1] किन्तु यह तो भारत को बहकाने वाली कोरी राजनैतिक बातें थी। देश की आन्तरिक परिस्थितियों के अनुसार खाण्डेकर ने लोगों में अपनाप्रभाव जमाने के लिए पाकिस्तान के प्रति सामान्य सम्बन्ध बनाने की घोषणा की। मि० भुट्टो के शुभकामना संदेश के संदर्भ में उन्होने कहा कि उनका देश पाकिस्तान के साथ पुनः अच्छे सम्बन्ध बनाने के लिए काफी समय से उत्सुक हैं।

भारत, बांगलादेश के इस सत्ता परिवर्तन से काफी हैरानी का अनुभव कर रहा था, क्योंकि उसको यह अनुभव हो चुका था कि शेख की मृत्यु के बाद ढाका के नयी दिल्ली से सम्बन्ध अवश्य ही प्रभावित होगें। खाण्डेकर मुस्तका अहमद ने भारत के साथ किये गये सभी समझौतों को सम्मान के साथ जारी रखने का आश्वासन दिया।[2]

मि० खाण्डेकर की सरकार का 11 सप्ताह के बाद ही दूसरे सैनिक विप्लव के द्वारा अन्त हो गया। इस अल्प अवधि में भारत बांगलादेश के सम्बन्धों में कोई विशेष परिवर्तन सम्भव नही था। बांगलादेश में आन्तरिक अस्थिरता इतनी बढ़ चुकी थी कि अनेको हिंसक घटनाओं में बड़े-बड़े देशभक्त राजनेताओं को मौत के घाट उतार दिया गया। किन्तु जब 21 अप्रैल 1977 को जिया-उर-रहमान बांगलादेश के राष्ट्रपति बन गये तब कुछ समय के लिए राजनैतिक स्थिरता आयी। जिया-उर-रहमान का कार्यकाल भारत-बांगलादेश सम्बन्धों के परिप्रेक्ष्य में मुजीब काल की तरह मित्रता और विश्वास से भरा हुआ तो कभी नहीं रहा, किन्तु जिया ने समय-समय पर दोनों देशों के बीच सम्बन्धों को सुधारने के लिए राजनैतिक शिष्टाचार को नहीं भुलाया। दोनों देशों के बीच सम्बन्धों को सुधारने का

---

1-हिन्दुस्तान टाइम्स 21 अगस्त 1975
2-दि हिन्दू- 20 अगस्त 1975- द्वारा जी0के0 रेड्डी।

प्रयत्न किया गया। जनरल जिया ने[1] स्टेटसमैन अंग्रेजी दैनिक को दिये गये एक साक्षात्कार में कहा, "बांगलादेश की जनता में भारत के प्रति संदेह और भ्रम दूर हो रहे हैं, उन्होने आगे कहा कि लगभग डेढ वर्ष से हमारे सम्बन्ध बहुत कुछ सुधरे हैं और मुझे विश्वास है कि भविष्य में और भी अधिक सुधरेगें।"

मुजीब काल में धर्म और राजनीति को पृथक करने का प्रयास किया गया था। शेख मुजीब का लोकतन्त्र एवं धर्मनिरपेक्षता में अटूट विश्वास था किन्तु सैनिक प्रशासक जियाउर रहमान लोकतन्त्र और धर्म निरपेक्षता के उच्च आदर्शों को व्यवहारिक रूप देने में पूर्ण विफल रहे। इसका मुख्य कारण तो यह था कि जियाउर रहमान अपने शासन की वैधानिकता सिद्ध करके राज्य में स्थायित्व कायम करना चाहते थे। नयी सरकार ने इस संक्रमण काल में बंगाली राजनीति से हटकर "इस्लाम" का नारा दिया। जिसे स्वाधीनता आन्दोलन के समय से ही कुछ समय के लिए दबा दिया गया था।[2] बांगलादेश एक इस्लामिक गणतंत्र घोषित कर दिया गया। अब तो बांगलादेश रेडियो से इस्लामिक ध्वनि से आयतें कहीं जाने लगी और लोगों ने उर्दू में बात-चीत आरम्भ कर दी। भारत को राजनैतिक चातुर्य से प्रेरित होकर बांगलादेश सरकार को एक धर्म निरपेक्ष सरकार रहने का आश्वासन जरूर दिया गया।[3]

खेद की बात तो यह रही कि बांगलादेश के स्वाधीनता आन्दोलन में धर्म निरपेक्षता को एक मौलिक सिद्धान्त के रूप में स्वीकार कियागया था। मुजीब काल में धर्म को राजसत्ता से पृथक रखा गया था, किन्तु जिया द्वारा इस्लाम को राजधर्म घोषित कर देने से अल्पसंख्यकों की स्थिति नाजुक बन गयी। दोनो देशों के सम्बन्धों पर भी भारी दबाव पड़ा। भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में व्यापक अस्थिरता का वातावरण उत्पन्न हो गया। ऐतिहासिक एवं अन्य मनोवैज्ञानिक

---

1-दि स्टेट्समैन- जून 15, 1978
2-थामस मोरे- मुजीब रिवेन्ज फ्राम ग्रेव- दि गारजीयन (लन्दन) 28 अगस्त, 1975
3-हिन्दुस्तान टाइम्स, 21 अगस्त 1975

कारणों से अल्पसंख्यक भयातुर होकर शरण और सुरक्षा के उद्देश्य से भारत की ओर पलायन करने लगे। अल्पसंख्यकों में असुरक्षा की भावना उत्पन्न होने का मूल कारण जिया द्वारा बांगलादेश को एक इस्लामिक राज्य घोषित करना था।

वास्तविकता तो यही है कि भारत-बांगलादेश के सम्बन्धों में धर्म निरपेक्षता का एक विशिष्ट महत्त्व है, मुजीब शासनकाल में दोनों देशों के बीच जो मैत्री सम्बन्धों में विश्वसनीयता थी उसमें लोकतन्त्र एवं धर्म निरपेक्षता की अहम भूमिका रही किन्तु जिया द्वारा जब इन दोनों सिद्धान्तों को तिलांजलि दे दी गयी, तब तो दोनों देशों की जनता एवं शासक वर्ग में अविश्वास एवं असहिष्णुता पैदा होना स्वाभाविक हो गया। शेख. के कार्यकाल में दोनों देशों के शीर्षस्थ नेताओं एवं जनता के बीच मनोवैज्ञानिक सम्बन्ध भी स्थापित हो गये थे, क्योंकि मुजीब का दृष्टिकोण व्यापक था और उनका व्यक्तित्व भी गम्भीर था।

जिया-उर-रहमान ने मुस्लिम लीग और जमायते इस्लाम जैसी साम्प्रदायिक पार्टियों से प्रतिबन्ध उठा लिया था। 1977 में धर्म निरपेक्ष शब्द को राष्ट्रपति के आदेश से समाप्त कर दिया गया। यह सभी हथकन्डे बांगलादेश के इस्लाम धर्मावलम्बियों एवं विश्व के अन्य मुस्लिम राष्ट्रो को खुश करने के लिए किये जा रहे थे। इस प्रकार मुजीब का उत्तरकालीन युग दोनों देशों के बीच सम्बन्धों में विरोधी था।

जिया ने भारत पर आरोप लगाने का सिलसिला जारी रखा। उन्होने एक सम्बाददाता सम्मेलन में कहा कि बांगलादेश को एक बड़े पड़ोसी देश के साथ कुछ समस्यायें है, इनमें सीमा समस्यायें एवं फरक्का जल विवाद प्रमुख हैं। जनरल ने कुछ और भी आगे बढ़कर भारत को बदनाम करने के लिए यह खुलकर आरोप लगाया कि भारत के मेघालय और त्रिपुरा राज्यों में आतंकवादियों को प्रशिक्षण देने के शिविर चल रहे हैं। जिसमें आतंकवादियों को हमारे देश में आतंवादी गतिविधियो के लिए शिक्षित किया जाता है। सरकार इस चुनोती से निपटने के लिए उपाय

खोज रही है। उन्होने कहा कि हम विश्व जनमत को भी इस सच्चाई से अवगत करायेंगें।[1]

अतः मुजीब काल में भारत और बांगलादेश के बीच जो सम्बन्ध अपने शिखर परपहुँच चुके थे अब जिया के सैनिक शासन के अन्तर्गत दोनों देशों के सम्बन्धो का बुरी तरह ह्रास हो गया था।

कुलदीप सिंह का मानना है कि भारत में सत्ता परिवर्तन होने से जब 1977 में जनता पार्टी शासन में आ गयी और बांगलादेश की आन्तरिक स्थिति में भी कुछ सुधार हुआ तब जरूर दोनों देशों के बीच राजनैतिक, व्यापारिक एवं सांस्कृतिक सम्बन्धों में व्यापक रूप से सुधार हुआ।[2] आम चुनाओं के बाद भारत के प्रधानमंत्री श्री मोरार जी देसाई ने बांगलादेश की राजकीय यात्रा की। जिया ने भारत के प्रधानमंत्री की यात्रा पर टिप्पणी करते हुए कहा, भारत-बांगलादेश के सम्बन्ध जनता पार्टी के सत्ता में आने से बहुत कुछ सुधर गये हैं। उन्होने पुनः इस बात को दोहराया कि मोरार जी देसाई की यात्रा से दोनों देशों के बीच सम्बन्ध निःसन्देहऔर अधिक मजबूत हो गये।[3] राजनीतिक दृष्टि से श्री देसाई की यात्रा अति फलदायक रही। दोनों देशों के टूटे हुए सम्बन्ध पुर्नजीवित हुए। इस यात्रा के सम्बन्ध में सबसे अधिक यही कहा जा सकता है कि यह नीरश अतीत को भुलाने के लिए नया उत्साहपूर्ण प्रयत्न था।[4]

---------------

1- बांगलादेश आब्जरवर - ढांका-10-3-76

2- सिंह, कुलदीप - इण्डो-बांगलादेश रिलेशन सिन्स 1985- पेज 6।

3- मोरार जी देसाई इन बांगलादेश (येडोटोरियल) कामर्स वाल्यूम नम्बर 3530 अप्रैल 21, 1979 पेज 63।

4- दि टाइम्स आफ इण्डिया, अप्रैल 19, 1979

## जनरल इरशाद काल

बांगलादेश में अभी तक राजनैतिक स्थिरता का पूर्ण अभाव था और इसी कारण 30 मई 1981 को एक खूनी सैनिक विद्रोहियों के गिरोह ने राष्ट्रपति जिया की हत्या कर दी। ले0 जनरल इरशाद को सत्ता हथियाने का अवसर प्राप्त हो गया। जनरल इरशाद ने पदभार ग्रहण करते ही देश की स्थिति पर काबू पाने के लिए भरसर प्रयत्न किये हैं, लेकिन देश में कानून व्यवस्था की स्थिति आज भी नाजुक है। भारत सरकार बांगलादेश के साथ अपने सम्बन्धों में पुनः प्रगति के लिए चिन्तित है। इरशाद ने भी भारत-बांगलादेश सम्बन्धों को विश्वसनीय बनाने के लिए समय-समय पर अपनी अभिरुचि दिखायी है।[1]

जिया-उर-रहमान की तरह उन्होने विवादों को उलझाने का प्रयत्न तो नही किया है, किन्तु उनके समाधान के लिए प्रयत्नशील भी रहे हैं। बांगलादेश आब्जरवर समाचार पत्र ने अपनी एक टिप्पणी में लिखा है कि वह भारत के साथ विवादों को द्विपक्षीय बात-चीत के द्वारा सुलझाने के पक्ष में है।[2]

लेकिन दुर्भाग्यवश बांगलादेश की राजसत्ता पर अब पाकिस्तान समर्थक एवं प्रतिक्रियावादी तत्व इतने अधिक प्रभावी हो गये हैं कि उन्होने प्रशासन एवं समाचार संसाधनों के माध्यम से भारत विरोधी संवेगों को उद्वेलित करने का अपना धर्म मान लिया है और कभी-कभी शासक वर्ग भी अपनी असफलताओं को छुपाने के लिए भारत विरोधी कार्ड खेलने में नही चूकता है।[3] जनरल इरशाद के शासनकाल में जनरल जिया की तरह फरक्का, न्यूमूर द्वीप एवं सीमा समस्याओं को समय-समय पर जनता को मनोवैज्ञानिक ढंग से भ्रमित करके राजनैतिक लाभ लेने का प्रयास किया जाता है।

---

1- टाइम्स आफ इण्डिया- 11 नवम्बर 1982-नयी दिल्ली- ढाका डाइलाग, मेनटेनिंग दि मोमेंटम -बाइ मल्होत्रा इन्दर ।
2- ट्रिब्यून - 11 जनवरी 1985
3- वही।

बांगलादेश के स्वाधीनता संग्राम के समय तो लाखों की संख्या में बांगलादेशी शरणार्थियों ने भय और आतंक के कारण भारत के पूर्वी राज्यों में एक विकराल समस्या खड़ी कर दी थी, किन्तु बांगलादेश स्वाधीन होने के बाद वे सभी अपने-अपने घरो को वापस हो गयें। किन्तु तभी से बांगलादेश की स्वाधीनता के बाद भी बहुत बड़ी संख्या में अप्रवासियों का भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में आने का क्रम जारी है किन्तु जनरल जिया-उर रहमान की तरह मि0 इरशादने भारत सरकार द्वारा बार-बार आग्रह करने पर भी इस समस्या के समाधान में कभी रूचि नहीं दिखायी और उल्टा जनरल इरशाद ने यह स्पष्टीकरण दिया कि बांगलादेशी भारत जैसे निर्धन देश में आकर अपने कोआर्थिक संकट में क्या फंसायेंगें ?।

इसी प्रकार जब भारत सरकार ने सीमा समस्याओं को रोकने के लिए भारत-बांगलादेश सीमा पर तारो की बाढ़ की योजना बनाई तब जनरल इरशाद की सरकार ने भारत सरकार के इस निर्णय के विरूद्व अपने देश में उत्तेजना भड़काने के लिए भारत विरोधी स्वर अलापनाआरम्भ कर दिया। अभी तक इरशाद अपने राजनैतिक विरोधियों को सैनिक शासन के अधीन करने में सफल नहीं हुए ,अतः वह भारत-बांगलादेश सीमा पर संकट पैदा करके राजनैतिक विरोधियों की ओर से जनता का ध्यान भटकाना चाहते हैं। इरशाद की कुर्सी को जन आन्दोलन ने कई बार हिलाया है। किन्तु वह भारत-बांगलादेश की बीच की समस्याओं को ईश्वर प्रदत्त मानकर अपनी सुरक्षा की ढाल के रूप में उनका इस्तेमाल कर रहे हैं। वह अपनी प्रबल राजनीतिक प्रतिद्वन्दी शेख हसीन वाजिद को भारत समर्थक कह कर बदनाम भी कर सकते हैं।[1]

जनरल इरशाद[2] अपने लिए विदेशी शक्तियों का सहारा भी ढूंढ रहे हैं। अमरीका को प्रसन्न करने के लिए उन्होने सोवियत राजनायक को हटा दिया ।

---

1- पेट्रियाट- 26 अप्रैल 1984 इरशाद फोनी क्राइसेस ।
2- वही।

साउदी अरब और पाकिस्तान को खुश करने के लिए उसने इस्लाम में विशेष रूचि दिखानी शुरू की है। इरशाद ने शेख मुजीबुर्र रहमान की धर्मनिरपेक्षता की नीतियों को उस समय दफना दिया जबकि उन्होने इस्लाम को राजधर्म बनादिया। बांगलादेश की संसद में 11 मई 1988 को आठवे संविधान संशोधन विधेयक के रूप में प्रस्तुत किया गया। किन्तु इस विधेयक का बांगलादेश में बड़े पैमाने पर विरोध किया गयाफिर भीविधेयक 254 के मुकाबले शून्य मतों से पारित हो गया। जैसे ही संसद में इस विधेयक के पारित होने की खबर फैली बांगलादेश की प्रमुख पार्टी आवामी लीग ने राजधानी ढाका की सड़कों पर जबरदस्त प्रदर्शन किया।[1]

उन्होने अब इस्लामी कारण के माध्यम से जनता को धर्म की घुट्टी पिलाकर सुला देने की बात सोची है,लेकिन जरूरी नहीं है कि जो सिक्का पाकिस्तान में चल रहा है वह बांगलादेश में भी चलाजाय।बांगलादेश का निर्माण इस्लामी जूनून के तरह नहीं बल्कि एक अलग-सांस्कृतिक पिपासा के फलस्वरूप हुआ था।

जब बांगलादेश में भारी बाढ का प्रकोप हुआ तो बड़ी सहजता से बांगलादेश की सरकार ने अपनी असफलताओं से उत्पन्न रोष से अपनी जान-बचाने के लिए इसे भारतीय इंजीनियरों का एक सुनियोजित षडयंत्र कहकर छुटकारा पा लिया,जबकि भारत का असम क्षेत्र प्रलयंकारी बाढ़ का शिकार स्वयं ही था।

रोमिंदर सिंह लिखते हैं[2]कि इंकलाब और इत्तेफाक नामक दो दैनिक जिनके मालिक इरशाद मंत्रिमण्डल के सदस्य है, भारत के खिलाफ जहर उगलते जा रहे हैं। इन समाचार पत्रों में यह खबर प्रमुखता से छपी है कि भारत ने बांगलादेश को बाढ में डुबाने के लिए फरक्का बांध के दरवाजे खोल दिये हैं। इसका नतीजा यह हुआ है। भारतीय उच्च आयोग का हर कर्मचारी भयभीत है। प्रदर्शनकारियों ने भारतीय उच्च आयोग पर एक देशी बम फेंका और इण्डियन एयरलाइन्स के दफ्तर पर पत्थर बरसाये।

---

1-नवभारत टाइम्स 9 जून 1988

2- बंगलादेश- शाह नशीद इरशाद इन इण्डिया टू डे 15 दिसम्बर 1987
बाई सिंह रोमिंदर।

घरेलू विवाद से लोगों का ध्यान हटाते तभी निलिगिरि कांड हो गया। बांगलादेश सरकार ने भारत से शिकायत की कि उसके समुद्री बेड़ आइ-एन-एस निलिगिरी ने चटगांव के पास बांगलादेश की समुद्रीसीमा में ही लंगर डाल दिया है। भारत ने इस विरोध को ठुकरा दिया। उसका कहना था कि जहाज अपने इंजन की मरम्मत के लिए बेडा डाले हुए था, पर यह जगह बांगलादेश की जल सीमा से 20 मील दूर है।

भारतीय उच्चायुक्त इंदजीत सिंह चड्ढा ने इंडिया टुडे को बताया "भारत के विरोध में जहर उगले जाने और झूठे आरोप लगाये जाने से हम चिंतित है।"[1]

जब दो देशों के अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में आपसी अविश्वास और कटुता उत्पन्न हो जाती है तब राजनैतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक सम्बन्धों में स्वभावत: गिरावट आने लगती है। मुजीबकाल में भारत-बांगलादेश सम्बन्धों का जो चर्मोत्कर्ष काल था उसके पीछे दोनों देशों के शीर्षस्थ नेताओं में आपसी समझदारी के साथ दोनों देशों के नेताओं का लोकतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, सार्वजनिक लोककल्याण के सिद्धान्तो में गहरी आस्था थी। उस समय श्रीमती गांधी ने बांगलादेश को अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों में भागीदार बनाने में पूरा सहयोग करके उसकी राजनैतिक प्रतिष्ठा को बढ़ाने का प्रयत्न किया। दोनों देशों के बीच आर्थिक एवं सांस्कृतिक सहयोग को विकसित करने के लिए भरसक प्रयत्न किये गये।

किन्तु मुजीब काल के भारत-बांगलादेश सम्बन्धों का चरमोत्कर्ष काल अल्पकालीन सिद्ध हुआ। भारत विरोध के अंकुर मुजीब के शासन में ही उगने लगे थे और जब मुजीब की हत्या के बाद तो बांगलादेश के नेताओं ने भारत विरोध को एक राजनैतिक मुद्दा बनाकर अधिक से अधिक लाभ उठाने का प्रयास किया। जिन समस्यायों के समाधान के लिए मुजीब सरकार द्विपक्षीय वार्ताओं के माध्यम से

---

1- बांगलादेश- शाद नाशाद इरशाद इन इण्डिया टुडे 15 दिसम्बर 1987 बाइ सिंह, रोमिंदर।

सुलझाने के लिए तत्पर रही, उन्ही समस्याओं को जिया-उर-रहमान एवं इरशाद ने अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर उछालने का प्रयास किया। जिया और इरशाद के शासन काल में राजसत्ता ने स्वयं बांगलादेश की जनता में भारत के प्रति अविश्वास, भय, आतंक और नफरत पैदा करने में सक्रिय भूमिका का निर्वाह किया है। जिया ने बांगलादेश के संविधान से जहाँ धर्म निरपेक्षता शब्द को पृथक करने की पक्रिया आरम्भ की थी, उसे जनरल इरशाद ने इस्लाम को बांगलादेश का राजधर्म घोषित करके शेख मुजीब के सिद्धान्तों का अन्तिम संस्कार कर दिया।

शेख मुजीब ने बांगलादेश की स्वतन्त्र एवं गुट निरपेक्ष नीति का अनुशरण करके बांगलादेश को अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में स्वावलम्बी बनाने का जो प्रयास किया था उसे जियाउर रहमान और जनरल इरशाद ने व्यक्तिगत स्वार्थों से प्रेरित होकर परांगमुखी बना दिया। जियाउर रहमान और इरशाद ने पाकिस्तान के सैनिक शासकों की राह पर चलकर अपने विरोधियों को नीचा दिखाने एवं देश की उभरती लोकतांत्रिक शक्तियों को कुचलने के लिए भारत के प्रति शत्रुता एवं शंका का वातावरण बनाये रखना अपना राजधर्म मान लिया है। यद्यपि भारत आज भी मुजीब काल की नीतियों पर कायम है। वह अपने पड़ोसियों के साथ एक स्थायी शान्ति का वातावरण बनाकर रहना चाहता है। श्रीमती गांधी ने कहा था कि भारत सदैव से समस्याओं को उलझाने के पक्ष में कभी नहीं रहा है। वह चाहता है कि गंगा जल विवाद, न्यूमूर द्वीप विवाद, अप्रवासियों की समस्याओं का समाधान शान्तिपूर्ण रचनात्मक ढंग से होना चाहिए।

किन्तु जिया के काल में भारत की ओर से निरन्तर सद्भावना एवं सहयोगी रवैये के बावजूद भारत-बांगलादेश सम्बन्धों में कोई सन्तोषजनक प्रगति नहीं हो सकी। मुजीब काल की आत्ममियता तो समाप्त हो ही गयी थी, किन्तु सबसे खेद की बात तो यह थी कि उस आत्मियता का स्थान घृणा और असन्तोष ने ग्रहण कर लिया था।

राजीव गांधी बांगलादेश के साथ गंगा जल वितरण एवं अन्य समस्याओं के साथ सभी विवादों को हल आपसी बात-चीत के साथ हलकरना चाहते हैं। यद्यपि जनरल इरशाद ने भी अभी हाल में दिल्ली यात्रा के समय सभी समस्याओं का शान्तिपूर्ण ढंग से हल करने में अपनी दिलचस्पी व्यक्त की है। किन्तु इंदिरा मुजीब युग के सम्बन्धों की पुर्नस्थापना के लिए दोनों देशों की जनता एवं सरकार के बीच विश्वास और सद्भावना का होना आवश्यक है।

संक्षेप में यही कहा जा सकता है कि मुजीब काल की तुलनामें जिया भारत के साथ अपने राजनैतिक,आर्थिक एवं सांस्कृतिक सम्बन्धों में इस स्थायित्व एवं विश्वास को विकसित करने में असफल रहे,जिसका शिलान्यास बंगबन्धु जैसे लोकतांत्रिक एवं धर्म निरपेक्ष नेताओं द्वारा किया गया था। इस काल में तो शासक वर्ग अपने संकीर्ण उददेश्यों को प्राप्त करने के लिए प्राय: भारत विरोधी प्रचार करता था। बांगलादेश की आन्तरिक मजबूरियां भी उसे भारत विरोधी प्रचार करने के लिए प्रेरित करती थी। जनता शासन में दोनों देशों के सम्बन्धो में जो थोड़ा बहुत सुधार आया भी था वह भी श्रीमती गांधी के पुन: सत्ता में आने से क्षीण होने लगा,क्योंकि बांगलादेश के राजनीतिक प्रेक्षको ने यह अनुमान लगाया कि श्रीमती गांधी का रूख बांगलादेश के प्रति कुछ शुष्क रहा जिससे तनाव पुन: यथावत हो गया। लेकिन ऐसा नहीं था, दोनों देशों की सरकारों ने अधिकारिक स्तर पर द्विपक्षीय सम्बन्धों को सुधारने का प्रयत्न किया था।

क्योंकि जब बांगलादेश के विदेशमंत्री मि0 हक दो दिन की शासकीय यात्रा पर नई दिल्ली पहुँचे। प्रधानमंत्री गांधी ने यह स्पष्ट रूप से कहा कि भारत अपने पड़ोसियों के साथ मित्रता एवं सहयोग के साथ रहना चाहता है। श्रीराजीव गांधी ने कहा कि भारत सदैव से समस्याओं के उलझाने के पक्ष में कभी नही रहा है। वह चाहता है कि गंगा जल विवाद,न्यूमर द्वीप विवाद,अप्रवासियों को समस्याओं का समाधान शान्तिपूर्ण रचनात्मक ढंग से होनाचाहिए।

# चतुर्थ परिच्छेद

## भारत-बांगलादेश के बीच प्रमुख विवाद

## फरक्का -जल-विवाद

जिस बांगलादेश को जन्म देने की प्रसवपीड़ा हिन्दुस्तान ने भी सही और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए जो स्वयं उसके मुक्ति संग्राम में शामिल हुआ, आज वही बांगलादेश हिन्दूस्तान से एक नहीं अनेक मुददों पर उलझा हुआ है। भारत-बांगलादेश के बीच फरक्का-जल-विवाद, नवमूर द्वीपीय विवाद , सीमाविवाद सहित अन्य अनेकों ऐसे विवाद हैं जिन्होने समय-समय परइन दो अति निकटतम पड़ोसी देशों के सम्बन्धों में आपसी कटुता और तनाव को पैदा किया है। किन्तु इन सबमें फरक्का-जल-विवाद दोनों देशों के सम्बन्धों के बीच सर्वाधिक उलझन पैदा करने वाला विवादास्पद मामला है। जैसा कि श्यामली घोष ने लिखा है कि भारत -बांगलादेश के बीच गंगा जल विवाद ने हमेशा से ही बैर-भाव पैदा किया है।[1]

वैसे तो फरक्का जल विवाद बांगलादेश के एक नये सार्वभौमिक राष्ट्र के रूप में जन्म लेने के बहुत पहले का है। सर्वप्रथम भारत सरकार द्वारा गंगा पर फरक्का स्थान परबांध बनाने की योजना का निर्णय 1956 में लिया गया। फरक्का गॉव पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में कलकत्ता के उत्तर में लगभग 200 मील की दूरी पर स्थित है।[2] यह बांगलादेश की सीमा से लगभग 11 मील की दूरी पर है। लेकिन इस स्थान पर बांध बनाने की योजना का विचार तो ब्रिटिश काल में ही आया था। सर आर्थर काटन नामक अंग्रेज ने 1858 में इसी से मिलती-जुलती बांध बनाने की योजना प्रस्तुत की थी और जिसे सर विलियम विलकोकस ने 1930 में और डा0ए0 वेवस्टर ने 1946 में पुर्नजीवित करने का प्रयास किया। किन्तु ब्रिटिश शासन काल में यह प्रस्ताव कार्यान्वित नहीं हो सका क्योंकि इस योजना की लागत से प्राप्त होने वाला लाभ औपनिवेशिक नीतियों के अनुकूल नहीं था।[3]

---

1-श्यामली,घोष -इण्डिया-बांगलादेश रिलेशन इन हिन्दुस्तान टाइम्स-7 नवम्बर 85

2-फरक्का एकार्ड एन इक्साम्पुल आफ इण्डियास गुड नेबरबंली पालिसी-बाई-एस0सी गंगाल-इण्डियन एक्सप्रेस-11 अक्टूबर 77

3-वही।

गंगा का भारत और बांगलादेश में वहाव क्षेत्र
पाकिस्तान
देहली
यमुना
गंगा
नेपाल
भूटान
गंगा
फरक्का बांध
फीडर कैनाल
बांगलादेश
हार्डिंग पुल
भारत
हुगली
कलकत्ता
नदी
नहर
अन्तर्राष्ट्रीय सीमा
गंगा बैसिन सीमा

मानचित्र संख्या 2.

परन्तु जब भारत सरकार ने 1951 में फरक्का बाँध बनाने की योजना के निर्णय की घोषणा की, तो पाकिस्तान ने इसका प्रतिरोध किया। और इस तर्क के साथ कि इस स्थान पर गंगापार बाँध के बनने से पूर्वी पाकिस्तान और अब (बांगलादेश) के लिए पर्याप्त पानी की उपलब्धता सम्भव नहीं हो सकेगी। पाकिस्तान द्वारा उठाये गये इस गंगा जल विवाद ने अब भारत और बांगलादेश के बीच स्थायी कलह का रूप धारण कर लिया है।

भारत-पाक दीर्घकालीन वार्ता

पाकिस्तान ने 1951 में गंगा जल बंटवारे के प्रश्न को संयुक्त राष्ट्रसंघ अथवा अन्य किसी तीसरे पक्ष को सौंपने का प्रयास किया।[1] इसी प्रकार का सुझाव 1957 में दोहराया गया जबकि संयुक्त राष्ट्र संघ का एक दल (क्रग-मिशन पूर्वी पाकिस्तान में तभी कार्यरत था।[2]

लेकिन भारत प्रारम्भ से ही जब भारत के प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू थे इस समस्या के समाधान के लिए द्विपक्षीय वार्ताओं के माध्यम से प्रयास करता रहा।[3] पाकिस्तान ने 1955 में इस समस्या के द्विपक्षीय आपसी बात-चीत के द्वारा समाधान के सुझाव को स्वीकार किया।[4] 20 वर्षों के अन्तराल में (1951-71) भारत और पाकिस्तान के विशेषज्ञों के बीच पाँच बार सचिव और मंत्रियों के स्तर की बात-चीत हुयी।[5]

लकिन इस समस्या के किसी भी स्थायी समाधान परनहीं पहुँच सके, जिसके अन्तर्गत पानी की मात्रा का बँटवाराहो सके। लेकिन वे इस बात पर अवश्य सहमत हो गये कि ढाका की जल आपूर्ति के लिए फरक्का एक निर्दिष्ट स्थान होना चाहिए। सिद्धान्त रूप से यह भी स्वीकार कर लिया गया कि जल की सही ढंग से आपूर्ति के लिए एक दो सदस्यीय समिति बनायी जायेगी, किन्तु 1971 में बांगलादेश के जन्म के बाद यह विवाद भारत और बांगलादेश के बीच हो गया।

---

1- मिर्च आंदनी, जी0जी0 (बडी) रिपार्टिंग इण्डिया 1976 (अभिनव पब्लिकेशनंस)
2-वही
3-वही
4-वही पेज 16
5-वही

दोनों देशों के बीच विवाद की मुख्य समस्या गंगा के जल प्रवाह और उसकी सहायक नदियों हुगली और पदमा जो बंगाल से होकर बहती है उनके जल प्रवाह की समस्या है। लगभग दो सौ वर्ष पूर्व गंगा बंगाल में प्रवेश करने के बाद इन दोनों सहायक नदियों में प्रायः बहती थी। यह वर्षा ऋतु में आने वाली बाढ को भी नियंमित रखने का भी कार्य करती थी, लेकिन जब गंगा ने अपनाजल मार्ग बदल दिया और सीधे अधिकांशतः पदमा में बहने लगी। इसका परिणाम यह हुआ कि हुगली पानी के अभाव के कारण कलकत्ता की आवश्यकताओं की आपूर्ति करने में अभावग्रस्त हो गयी।[1]

कलकत्ता भारत का सबसे बड़ा शहर है जिसकी आबादी लगभग एक करोड़ है, जो इस देश का प्रमुख औद्योगिक केन्द्र और पूर्वी भारत का औद्योगिक हृदय है। कलकत्ता बंदरगाह इस देश का प्रमुख महत्त्वपूर्ण बन्दरगाह है। यह असम-विहार, उड़ीसा और पश्चिमी बंगाल को उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और भारत के पड़ोसी राज्यों नेपाल और भूटान के बीच सम्पर्क स्थापित करने वाला दरवाजा है। भारत का लगभग 40 प्रतिशत व्यापार इसी बंदरगाह से होता है। इसके सामुद्रिक व्यापार और भारत, नेपाल तथा भूटान की अर्थव्यवस्था के लिए एक सहयोगी के रूप में इसके महत्त्व को नकारा नहीं जा सकता है।

बांगलादेश की गंगा जल पर निर्भरता

गंगा जल ने बांगलादेश के एक बहुत बड़े समतल भू-भाग की उपजाउ मिट्टी जमा करके संरचना की है। शताब्दियों से यहाँ के लोगों के सांस्कृतिक जीवनके लोक व्यवहार को भी प्रभावित किया है। गंगा नदी ने लगभग 37 प्रतिशत आबादी तथा सम्पूर्ण क्षेत्र का लगभग 20,000 वर्गमील भूभाग और एक प्रकार से बांगलादेश की एक तिहाई जनसंख्या का हर प्रकार से पोषण किया है। यह जल की आपूर्ति, भूमि को उपजाउ बनाती है। कृषि उत्पादन को बढ़ाती है। मछली उत्पादन को जीवित रखती है। जंगली लकड़ी में वृद्धि करती है। मुख्य यातायात साधन के रूप में भी इसका

---

1-इण्डियन एक्सप्रेस-11 अक्टूबर 1977

उपयोग होता है। इसके साथ ही यह बंगाल की खाड़ी से आने वाले क्षारीय पानी को रोकने में सहायक है। यह गंगा जल बांगलादेश में वातावरण को सामान्य बनाये रखने के साथ-साथ इस क्षेत्र की भावी विकास की पूर्ण क्षमता उपलब्ध कराती है।

अतः प्राकृतिक संसाधन के रूप में गंगा जल की उपयोगिता दोनों देशों के भविष्य के साथ जुड़ी हुई है।

फरक्का बाँध का निर्माण

भारत सरकार ने पश्चिम बंगाल और विशेष रूप से कलकत्ता शहर के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए 1956 में फरक्का परियोजना का नक्शा तैयार करवाया। इसका निरीक्षण एवं अनुमोदन अमरीका के जलगति एवं विद्युत शक्ति विशेषज्ञ डा० बाल्टर हेन्सन ने 1958 में किया। इस परियोजना का शुभारम्भ 1963 में हो गया। प्रारम्भ में इसकी लागत 130 करोड़ रूपये भारतीय धनराशि व्यय हुयी। इसकी योजना बनाने तथा इसका कार्य पूर्णतः भारतीय अभियन्ताओं द्वारा किया गया। लगभग 8 वर्ष की अवधि में सम्पूर्ण परियोजनापूरी हो गयी और इसके साथ ही एक सहायक नहर भी बनायी गयी जो भूमि धरातल एवं गहराई में स्वेज नहर से भी बड़ी है।[1]

फरक्का परियोजना की पूर्णता और बांगलादेश का स्वाधीनता अभियान लगभग एक दूसरे के समकालीन है। लेकिन फरक्का बांध के निर्माण से यह प्रश्न उठ खड़ा हुआ कि गंगा जल वितरण भारत और बांगलादेश के बीच कैसे किया जा सकेगा। इस समस्या के निदान के लिए दोनों देशों ने मार्च 1972 में संयुक्त नदी आयोग गठित किया[2] जिसमें दोनों देशों के सिंचाई और जल आपूर्ति के विशेषज्ञ थे किन्तु वार्ता में कुछ ही समय में गतिरोध पैदाहो गया क्योंकि बांगलादेश में

1-इण्डियन एक्सप्रेस 11 अक्टूबर 1977
2-इण्डियन एक्सप्रेस 11 अक्टूबर 1977

अपने लिए फरवरी और मई के महीने के लिए गंगाधारा के उदगम को रोककर जल भण्डारण की मांग करने लगा।

भारतीय पक्ष से यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि गंगा बेसिन भारतीय भूभाग से 90 प्रतिशत उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल के मैदानों में स्थित है। इसलिए कोई भी गंगाजल का भण्डारण उत्तर भारत के व्यापक कृषि क्षेत्र को उपेक्षा करनके नहीं बनाया जा सकता है। गंगा जल वितरण की समस्या मुख्य रूप से फरवरी से मई तक के महीनों को है जिससमय गंगा जल का स्तर काफी कम हो जाता है। इस अवधि में 55,000 क्यूसेक पानी उपलब्ध होने का आंकलन किया गया है। इसमें बांगलादेश ने 49,000 क्यूसेक पानी अपनी कृषि योग्य भूमि के क्षारीयपन को रोकने और मछली उद्योग को जीवित रखने के लिए मांगा है। जिससे उसकी जनता के लिए खाद्यान्न की आवश्यकता पूरी हो सके। भारतीय विशेषज्ञों ने हुगली और कलकत्ता बंदरगाह के लिए 40,000 क्यूसेक की आवश्कता का आंकलन किया है।

भारत- बांगलादेश के बीच फरक्का जल विवाद पर वार्तायें एवं बैठकें

दिसम्बर, 1971 में बांगलादेश के जन्म के साथ ही फरक्का जल विवाद के समाधान हेतु दोनों देशों के बीच अनेकों बैठके बड़ी ही मित्रतापूर्ण वातावरण में हुयी। बांगलादेश के विदेशमंत्री ने अपनी पहली भारत यात्रा के समय गंगा जल वितरण पर बातचीत की। मार्च 1972 में श्रीमती इंदिरा गांधी की ढाका यात्रा के समय भी वार्ता हुयी। 19 मार्च 1972 को दोनों देशों द्वारा एक संयुक्त वक्तव्य जारी किया गया।[1]

अनेकों विषयों पर बात-चीत हुयी और बाद में एक संयुक्त नदी आयोग, बाढ़ नियंत्रण तथा बाढ़ की चेतावनी के सम्बन्ध में संयुक्त प्रयास के लिए भी राजी हो गये।[2] 24 नवम्बर 1974 को संयुक्त नदी आयोग के संदर्भ में एक औपचारिक समझौते पर हस्ताक्षर किये गये। इस सम्बन्ध में मार्च के महीने में जो घोषणा की गयी

---

1- मीरचन्दानी जी०जी० (एडी) रिपोर्टिंग इण्डिया" अभिनव पब्लिकेशन) नयी दिल्ली पेज -16
2- टाइम्स आफ इण्डिया, नयी दिल्ली -17 अगस्त 1974

उसका संक्षिप्त अंश इस प्रकार है। संयुक्त नदी आयोग की स्थापना के लिए दोनों देशों के विशेषज्ञ होगें जो स्थायी रूप से नदी जल वितरण का व्यापक रूप से सर्वेक्षण कर सके और दोनों देश अपने-अपने देशों से सम्बद्ध बाढ़ नियंत्रण के लिए योजना बनाकर उनका कार्यानिवयन कर सकें।

आयोग द्वारा 1974 के अन्त तक अनेकों समस्याओं के सम्बन्ध में बृहद विचार और वाद-विवाद के बाद भारत और बांगलादेश के लिए मिली-जुली योजनाएं बनाने का निश्चय किया गया, जिसमें संयुक्त प्रयासों के द्वारा गंगा-ब्रह्मपुत्र और मेघना नदी के जल संसाधनों का सदुपयोग के विस्तार की योजनाबनाकर किया जा सके।[1] गंगा जल की वास्तविक स्थिति का व्यापक सर्वेक्षण भारत के फरक्का से बांगलादेश में गोरई तक किया गया। यह लगभग 190 किलोमीटर की दूरी थी। इससर्वे का उद्देश्य बांगलादेश और उससे मिले भारतीय क्षेत्र में बाढ़ नियंत्रण के लिए विशिष्ट परियोजनाओं को व्यवहारिक रूप देनाथा, जिससे दोनों देशों के आपसी सहयोग से दोनों पक्ष लाभान्वित हो सकें।

## 16 मई 1974 की संयुक्त घोषणा

गंगा जल के बंटवारे के प्रश्न पर संयुक्त नयी आयोग किसी भी निर्णय पर नहीं पहुँच सका है। इस प्रकार यह समस्या उच्च स्तरीय मामला बन गया और जिस पर बांगलादेश के प्रधानमंत्री शेख मुजीबुर रहमान की मई 1974 में होने वाली यात्रा के समय विचार विमर्श होना तैय हुआ।[2]

दोनों देशों के नेताओं ने समस्या के समाधान को ढूढने का प्रयत्न किया। 16 मई 1974 को प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरागांधीऔर शेख मुजीबुर रहमान के बीच फरक्का जल विवाद पर सम्पन्न हुयी वार्ता को फलस्वरूप एक संयुक्त घोषणा पर हस्ताक्षर करके यह विचार व्यक्त किया गया कि जल बंटवारे के एक ऐसे निर्णय पर पहुँचा जाय,

---

1- टाइम्स आफ इण्डिया, नयी दिल्ली, 22 अगस्त 1974
2- वही, 15 मई 1974

जो दोनों पक्षों को स्वीकार हो। संयुक्त घोषणा में यह भी कहा गया कि अच्छी वर्षा होने पर गंगा जल बढ़ जाने पर जल वितरण भी उसी प्रकार होगा।[1]

दोनों प्रधानमंत्रियों ने इस वास्तविकता को बताया कि 1974 के अन्त तक फरक्का बाँध परियोजना का कार्य पूरा हो जायेगा। इस पर दोनों नेता सहमत हो गये कि समस्याओं का समाधान आपसी समझदारी के साथ होना चाहिए, जिससे दोनों देशों के हितों की पूर्ति हो सके और कठिनाइयों को मित्रता एवं सहयोग की भावना से दूर किया जा सके। तदनुसार, यह भी निश्चित किया गया कि संयुक्त नदी आयोग इस क्षेत्र में उपलब्ध जल संसाधनों की सर्वोत्तम उपयोगिता के लिए अध्ययन करेगा। आयोग को दोनों देशों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उपयोगी संस्तुतियाँ करनी चाहिए। यह भी स्वीकार कर लिया गया कि संयुक्त जल आयोग की संस्तुतियों की परिणति में कुछ समय लगेगा जिनको दोनों देशों की सरकारों ने स्वीकार किया है। अतः इस आन्तरिम समय में दोनों देश फरक्का परियोजना की पूर्णता के पूर्व गंगा के न्यूनतम प्रवाह के समय जल की उपलब्धि के अनुसार बँटवारे को आपसी स्वीकारोक्ति के द्वारा प्राप्त करेंगे।[2]

ढाका समझौता – अप्रैल 18–1975

16 मई, 1974 की घोषणा का अनुशरण करते हुए संयुक्त जल आयोगने 1975 तक 4 बार बैठकें की किन्तु किसी भी सर्वमान्य समझौते पर यह पहुँचने में सफल रहा। फिर भारत के कृषि मंत्री श्री जगजीवन राम और बांगलादेश के कृषि मंत्री श्री अब्दुर रवसेरीवत के बीच तीन दिन तक बात-चीत चली। इसमें एक अल्पकालीन समझौता 18 अप्रैल 1975 को गंगा-जल वितरण के सम्बन्ध में सम्पन्न हो गया।[3]

---

1–फ्राम दि टेक्स्ट आफ दि ज्वाइंट डिक्लेरेशन साइंड बाई दि टू पी०एम० श्रीमती इन्दिरा गांधी और पी०एम० शेख मुजीबुर रहमान 16 मई 1974 क्लासेज 7,8 दि हिन्दू, मद्रास 17 मई 1974

2–एशियन रिकार्डर (जून–4–10) पेज 12037 कालम ।

3=दि स्टेट्समैन – नयी दिल्ली–22 अप्रैल, 1975

21 अप्रैल 1975 को फरक्का बांध का कार्य पूरा हो गया।[1] ढाका समझौते के अन्तर्गत दोनों देश 1975 के अभावग्रस्त समय में भारत के कलकत्ता बंदरगाह के लिए अपनी सहायक नहर के द्वारा विशिष्ट जलराशि ले सकेगा। यह इस प्रकार था।[2]

| | |
|---|---|
| अप्रैल 21 से 30 तक | 11000 क्यूसेक |
| मई 1 से 20 तक | 12000 क्यूसेक |
| मई 11 से 20 तक | 15000 क्यूसेक |
| मई 21 से 31 तक | 16000 क्यूसेक |

बचा हुआ जल प्रवाह बांगलादेश के लिए जायेगा। समझौते में कहा गया कि दोनों देशों की सरकारों की ओर से विशेषज्ञों का दल फरक्का और हुगली नदी बांगलादेश और कलकत्ता के लिए पानी की उपयोगिता के सम्बन्ध में जाँच करके सूचित करेगा। संयुक्त दल फरक्का के सहायक नदी को छोड़े जाने वाले जल कोभी अंकित करेगा और बांगलादेश को जाने वाले जल को भी देखेगा। यह दल दोनों देशों की सरकारों को अपना प्रतिवेदन विचार के लिए भेजेगा।[3] बाबू जगजीवन राम ने ढाका समझौते को आपसी समझदारी और परस्पर सुविधा का एक उदाहरण बताया। उन्होने आगे कहा कि यह आपसी बात-चीत के माध्यम से त्वरित समझौते के लिए आशा की आधारशिला है।

## फरक्का पर बांगलादेश का विरोधात्मक रूख

शेख मुजीबुर रहमान (बंग बंधु) की हत्या 15 अगस्त 1975 को हुई उसके बाद फरक्का विवाद ने एक गम्भीर रूप धारण कर लिया। उसके बाद बांगलादेश में राजनीतिक विप्लव पैदा हो गया। मैत्री पूर्ण बात-चीत और आपसी सहयोग का वातावरण पूर्णतः समाप्त हो गया। शीघ्र ही जनवरी 1976

---

1- टाइम्स आफ इण्डिया नयी दिल्ली- 22 अप्रैल 1975
2- फ्राम दि टेक्स आफ दि शार्ट टर्म एग्रीमेन्ट साइंड बाइ टू कन्ट्रीज आन अप्रैल 18, 1975- दि हिन्दू मद्रास-19 अप्रैल 1975
3- वही- इण्डियन एक्सप्रेस, नयी दिल्ली-सितम्बर 1976

में बांगलादेश की ओर से भारत सरकार को यह शिकायत प्राप्त हुई कि फरक्का बाँध के कारण बांगलादेश की नदियों और उसकी अर्थव्यवस्था परदुष्प्रभाव पड़ रहा है।[1]

उसी समय से बांगलादेश सरकार के समाचार संसाधन और नेतागण फरक्का बाँध परियोजना से होने वाली हानियों का दुष्प्रचार करने लगे। एक श्वेत पत्र ढाका में प्रकाशित किया गया।[2] बांगलादेश में होने वाली क्षति के लिए भय और आशंका उत्पन्न करने वाली सूची जारी की गयी। यह राज्य का मनोवैज्ञानिक वातावरण बदलने का एक उपक्रम था। बांगलादेश जल विकास परिषद ने एक दस्तावेज तैयार किया, जिसमें बहुत सी शिकायते लिखी हुई थी।[3]

अ- नदी का जल स्तर और गंगा में पानी का प्रवाह उस समय से बहुत कम रह गया है जब पर्यवेक्षक के समय यह सुनिश्चित किया गया था।

ब- भारी मात्रा में रेत का जमाव होने से नदी के जल स्तर में ह्रास हो गया है। इसलिए स्थिति आशा से ज्यादाखराब हो गयी है। अब साधारण बाढ़ का पानी भी बांगलादेश में तबाही मचा सकता है।

स- गंगा की जल क्षमता में कमी के कारण कौबदक पम्प भी बुरी तरह प्रभावित हुआ है। पम्प को बंद भी करनापड़ सकता है।

द- खुलना जिले में भूमि उसर हो रही है और यह निरन्तर बढ़ रही है। कुछ औद्योगिक इकाइयां भी प्रभावित हो रही है। उनमें से कुछ को बंद करने की भी स्थिति आ गयी है।

बांगलादेश के नेताओं द्वारा फरक्का जल विवाद को एक कूटनीतिक अस्त्र के रूप में प्रयोग करके भारत विरोधी जन भावनाओं को भड़काने के प्रयासों की प्रतिक्रिया स्वरूप भारतीय नेताओं ने इस पर गहरी चिन्ता व्यक्त की। भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती गांधी ने समस्या के समाधान के लिए आपसी समझदारी और परस्पर सहयोग और द्विपक्षीय वार्ता द्वारा निपटाने के लिए आग्रह किया।

---

1-हिन्दुस्तान टाइम्स §नयी दिल्ली§ 19 फरवरी 1976
2-बांगलादेश टाइम्स§ढाका§ 14,15 सितम्बर 1976 एवं बंगलादेश आब्सरवर ढाका 19,20 सितम्बर 1976
3- बांगलादेश टाइम्स-ढाका 6 और 7 मार्च 1976

अवामी नेता मौलाना भसानी ने 9 मई को प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी की फरक्का समस्या के आपसी समझदारी और सहयोग से समाधान करने के प्रयासों की सराहना की। श्रीमती गांधी को पत्र का जबाब देते हुए मौलाना भसानी ने कहा कि समस्या का समाधान स्थायी और व्यापक रूप से होना चाहिए। बल्कि पूरे वर्ष के जल प्रवाह का उचित बंटवारा होना चाहिए। श्रीमती गांधी का पत्र मौलाना को भारतीय उच्च आयोग के एक अधिकारी के द्वारा 8 मई को दिया गया था और इसे 9 मई को प्रकाशित कर दिया गया। श्रीमती गांधी का यह पत्र मौलाना द्वारा अप्रैल में भेजे गये पत्र के जबाब में दिया गया था। अपने पत्र में श्रीमती इन्दिरा गांधी ने लिखा था कि फरक्का बांध पर 150 करोड़ रूपये कलकत्ता बंदरगाह को तबाह होने से बचाने के लिए व्यय किये गये हैं जो पूर्वी भारत के लिए जीवन श्रृखला के रूप में है। अतः इसकी किसी भी प्रकार से उपेक्षा नहीं की जा सकती है।[1]

श्रीमती गांधी ने कहा कि कोई भी बांगलादेश का सच्चा नागरिक यह विश्वास कर सकता है कि जिस भारत ने अपनी फौजें असाधारण शीघ्रता से वापस बुला ली, तो फिर क्या आज वही अपने पड़ोसियों के प्रति दुराग्रह पूर्ण भावनाएं रख सकता है।[2]

श्रीमती गांधी ने मौलाना भसानी के 18 अप्रैल के पत्र के विषय में आश्चर्य और दुःख व्यक्त करते हुए कहा कि " यह कल्पनाकरना ही कठिन है कि जो व्यक्ति हमारे कन्धे से कन्धा मिलाकर औपनिवेशिक शासन के विरूद्ध लड़ा हो और बांगलादेश के स्वाधीनता आन्दोलन के समय दुःखों और बलिदानों में भागीदार बना हो और आज हमारे प्रति इतनी अधिक भ्रान्तियाँ उठायी जा रही हैं और जिनके कारण हमारे उद्देश्यों की पवित्रता पर भी प्रश्न चिन्ह लग गये हैं। यह स्वाभाविक है कि दो पड़ोसियों के बीच कभी-कभी समस्याये उठ खड़ीहो जाती हैं

---

1-एशियन रिकार्डर- जून {3-9} वाल्यूम II नं0 23 पेज 13189 -1976
2-वही।

लेकिन उस समय यही महत्वपूर्ण है कि समस्याओं का समाधान आपसी समझदारी और परस्पर सहयोग के द्वारा होनी चाहिए। यदि हम लोग संघर्ष और उग्रता का मार्ग पकड़ लेते हैं तब तो हम लोगों को क्षति ही पहुँचायेंगे।[1]

श्रीमती गांधी ने विश्वास दिलाया कि भारत अपनी पूर्ण निष्ठा के साथ बांगलादेश की स्वाधीनता को स्थायी और मजबूत देखना चाहता है और इसीलिए वह उसमें शान्ति और समृद्धि चाहता है। उन्होने आगे कहा कि हम एक सच्चे सहयोगी की तरह उसको सहयोग देते रहेगें। इन्होने आगे कहा कि गंगा जल के बँटवारे के सम्बन्ध में दोनों सरकारों के बीच वार्ताएँ चल रही हैं लेकिन इस प्रयास के लिए दोनों देशों की जनता का सहयोग अपेक्षित है। श्रीमती गांधी ने कहा कि हमारे दरवाजे शंका के निवारण और स्वस्थ तर्क के लिए सदैव खुले हैं, लेकिन यह भारत से किसी को भी आशा नहीं करनी चाहिए कि वह किसी भी धमकी में आकर किसी भी प्रकार की अनरगल एवं असंगत मांगों को स्वीकार कर लेगा।[2]

श्रीमती गांधी के प्रत्युत्तर में मौलाना भसानी ने कहा कि मैं श्रीमती गाँधी से कई बार फरक्का के स्थायी और विस्तृत समझौते के लिए कह चुका हूँ। उन्होने कहा कि इसमें साढ़े तीन करोड़ लोगों के जीवन-मरण का प्रश्न निहीत है और इसका समाधान दोनों देशों के नेताओं द्वारा ही किया जा सकता है। इसका समाधान नौकरशाही के द्वारा नहीं हो सकता है। एक पत्र में उन्होने श्रीमती गांधी से बांगलादेश के उत्तरी जनपदों का दौरा करने का आग्रह किया जिससे स्थिति का सही मूल्यांकन किया जा सके। उन्होने कहा कि मैं भारत की महान जनता का स्वाधीनताआन्दोलन में किये गये ऐतिहासिक सहयोग के लिए कृतज्ञ हूँ। उन्होने श्रीमती गांधी से निवेदन किया कि वह व्यक्तिगत रूप से इसमें हस्तक्षेप करके समस्या समस्या के समाधान को निकाले, जो बांगलादेश के लिए स्वीकार हो।

---

1-एशियन रिकार्डर- जून(3-9)वाल्यूम 1976न0 23 पेज 13189
2-वही

अन्तोगत्वा उन्होने चेतावनी दी, " यदिमेरी प्रार्थनातुम्हारे द्वारा स्वीकार नही की गयी तो हमे विवश होकर संघर्ष के रास्ते को अपनाकर भावी कार्यक्रम बनाने के लिए बाध्य हो ना पड़ेगा। मैने आपके पूर्वजों और महात्मा गांधी जैसे नेताओं से उत्पीड़ित जनता से संघर्ष करना सीख लिया है। फरक्का शान्ति यात्रा- मौलाना भसानी ने 16 मई को राजशाही से फरक्का तक शान्तिपूर्ण पद यात्रा के कार्यक्रम का आयोजन किया। उन्होने शान्तिपूर्ण यात्रा करने वाली जनता को सम्बोधित करते हुए कहा कि इस पद यात्रा का उद्देश्य गंगा जल के न्यायपूर्ण बंटवारे के लिए भारत का ध्यान आकर्षित करना था। जबकि बांगलादेश राइफल्स के जवान माल्दा और मुर्शिदाबाद जिलों की सीमाओं पर पहले से ही सतर्क थे जिससे यह आन्दोलनकारी भारत की सीमा में प्रवेश न कर सकें।[1]

भारतीय सीमा सुरक्षा बल के महा निदेशक श्री अश्वनी कुमार को एक विश्वसनीय सूचना प्राप्त हुयी है कि बांगलादेश राईफिल्स के अधिकारियों द्वारा जवानों को कड़े निर्देश दिये गये हैं कि वैधानिक कागजों के अभाव में भारतीय सीमा में किसी को भी प्रवेश न दिया जाय।[2]

भारत की ओर से भी सीमा सुरक्षा बल द्वारा माल्दा और मुर्शिदाबाद जिलों की सीमाओं पर भारी चौकसी के आदेश दे दिये गये हैं। बांध को किसी भी प्रकार के खतरे से बचाने के लिए सभी प्रकार के सुरक्षा सम्बन्धी सतर्कता प्रबन्ध कर लिये गये हैं। जिसकी सुरक्षा के सहयोग केन्द्रीय रिजर्व पुलिस के जवान भी कर रहे हैं। फरक्का शान्ति यात्रा 17 मई को माल्दा के नजदीक भारतीय सीमा से 7 किलोमीटर की दूरी पर शिवगंज पर रोक दी गयी। शान्ति यात्रा का समापन शिवंगज के मैदान में मौलाना भसानी द्वारा एक जनसभा में घोषित किया गया।

भारत का प्रतिरोध [3]

भारत वर्ष ने बांगलादेश की इस उग्रवादी, हिंसक और सनकी भीड़ के प्रयासों के प्रति गम्भीर रूख अपनाया जिससे भारत की सीमा पार करके फरक्का

---

1-एशियन रिकार्डर(जून-3-9) रजि०नं०डी(सी)92 1976 ... पेज 13183
2-वही
3-वही

बाँध को धराशायी करने की धमकी दी थी। विदेश मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने 13 मई को एक वक्तव्य में कहा कि सरकार ने " मौलाना भसानी और उनके अनुयायियों द्वारा दी गयी हिंसात्मक धमकी के लिए गम्भीर रूख अपनाया है। बांगलादेश के उच्च आयुक्त मि0 शमसुर रहमान को विदेश विभाग के कार्यालय में बुलाकर बांगलादेश के नेताओं द्वारा भारत के प्रति फरक्का पर उत्तेजनात्मक दुष्प्रचार करने के लिए उसकी असफलता के सम्बन्ध में गहरा क्षोभ व्यक्त किया है।[1]

भारत सरकार शुष्क मौसम में गंगा जल वितरण के लिए स्थायी समझौते के लिए मित्रता और आपसी सहयोग की भावना से प्रेरित होकर द्विपक्षीय वार्ता के द्वारा दोनों देशों के न्यायिक हितों की सुरक्षा के लिए कटिबद्ध है।[2]

13 सितम्बर 1976 को ढाकामें एक श्वेत पत्र प्रकाशित किया गया जिसमें भारत पर यह दोष मढ़ा गया कि लगभग 4,00,000 एकड़ चावल की खेती पानी के अभाव के कारण सूख गयी है, जिससे 2,36,000 टन के लगभग चावल की पैदावार की क्षति हुयी है। बांगलादेश के लोग घरेलू उपयोग के पानी की कमी के कारण प्यासों मर रहे हैं। मछली उद्योग चौपट हो गया है। विश्व के इतिहास की यह असाधारण क्षति हुयी है।

इण्डियन एक्सप्रेस में एस0सी0 सैगल लिखते हैं कि आश्चर्य की बात तो यह है कि भारत जब केवल अपनी आवश्यकताओं के लिए 40,000 क्यूसैक पानी की मांग करता है तो उस परबांगलादेश अनेकों प्रकार के आरोप लगाकर भारत को बदनाम करने का प्रयास करता है और अपनाअति कठोर रूख प्रस्तुत करने लगता है। बांगलादेश गत एक वर्ष से §1976§ इस फरक्का विवाद को तीन अन्तराष्ट्रीय मंचों इस्लामिक सम्मेलन, इस्तानबुल, कोलम्बों में होने वाले गुट निरपेक्ष सम्मेलनों तथा संयुक्त राष्ट्रसंघ में उठाने के प्रयास किया। इस प्रकार उसने इस फरक्का जल विवाद का अन्तर्राष्ट्रीय करण करने का प्रयत्न किया है, किन्तु इससे इस समस्या

---

1-एशियन रिकार्डर§जून 3-9§रजिस्टर्ड न0 92 वाल्यूमXX॥5623 पेज 13183
2-वही।

का स्वरूप एक विवादस्पद गुत्थी के रूप में बन जाने की सम्भावनाएं बढ़ गयी हैं। जिसके परिणाम स्वरूप विभिन्न वाह्य मंचों पर इस समस्या के पहुँचने से भारत के लिए एक दीर्घकालीन समस्या बन जायेगी।[1]

क्योंकि भारत एक बार काश्मीर समस्या के संयुक्त राष्ट्र संघ में उलझ जाने से अपनी उँगली झुलसा चुका है इसलिए उसका सम्भावित प्रयास तो यही रहा कि इस परिस्थिति की उपेक्षा हो सके। वास्तविकता तो यह है कि भारत एक शान्तिप्रिय देश होने के नाते उसका अन्तर्राष्ट्रीय जगत में छोटे और बड़े देशों के साथ सदैव ही मानवीय दृष्टिकोण रहा है।

इसी भावना से प्रेरित होकर भारत और बांगलादेश के बीच 18 अप्रैल 1975 को एक अल्पकालीन समझौता + गंगाजल वितरण के सम्बन्ध में सम्पन्न हो सका था।[2] इससे बांगलादेश भी संतुष्ट था। उसी समय इसने भारत को 28000 क्यूसेक पानी देने के लिए अपनी सहमति दी थी और इससे दोनों देशों की जनता के बीच परस्पर समझदारी और मित्रता के एक नये वातावरण का शुभारम्भ हुआ था।[3]

किन्तु जब बांगलादेश भाई चारे की भावना को भूलकर अपनी आन्तरिक कूटनीतिक चालों का शिकार हो जाता है, तब वह इस प्रकार की विवादों को मुद्दा बनाकर भारत को भी लांछित करने में चूकता नहीं है और अन्तर्राष्ट्रीय जगत में भी भारत की छवि धूमिल करने के षडयन्त्र में शामिल हो जाता है और यही हुआ जब उसने फरक्का विवाद को संयुक्त राष्ट्र संघ के मंच पर उठाने का प्रयास किया।

संयुक्त राष्ट्रसंघ की विशेष समिति ने 24 नवम्बर 1976 को एक बक्तव्य जारी करते हुए घोषणा की कि भारत और बांगलादेश मंत्रिपरिषदीय

---

1-इण्डियन इक्सप्रेस-11 अक्टूबर 1977
2-एशियन रिकार्डर {जून 11-17} 1975 पेज 12625
3-इण्डियन एक्सप्रेस 11-10-77

स्तर पर शीघ्र ही ढाका में एक बैठक करेंगें जिससे फरक्का बांध से सम्बन्धित जल विवाद पर एक सही और शीघ्रता से निर्णय कर सकें।[1] सैनिक प्रशासक मेजर जनरल जियाउर रहमान ने आकाशवाणी से राष्ट्र के नाम एक संदेश में दिसम्बर 1976 में कहा कि गंगा-जल वितरण के सम्बन्ध में शीघ्र ही भारत और बांगलादेश के बीच द्विपक्षीय समझौते के लिए प्रयत्न किये जा रहे हैं।[2]

फरक्का समझौते पर 5 नवम्बर 1977 को[3] कूटनीतिज्ञों के एक दल द्वारा 23 वर्ष पुराने मामले के समाधान के लिए भारत और बांगलादेश के बीच एक समझौता हुआ। भारत सरकार के कृषि मंत्री सुरजीत सिंह बरनाला और बांगलादेश के राष्ट्रपति के सलाहकार परिषद के सदस्य एडमिरल श्री एम०एच० खान ने अपनी सम्माननीय सरकारों की ओर से हस्ताक्षर किये। इसे एक ऐतिहासिक समझौते की संज्ञा दी गयी।[4]

समझौते के अन्तर्गत दोनों देश संयुक्त रूप से गंगा जल प्रवाह में वृद्धि करने के लिए संयुक्त अध्ययन के लिए भी राजी हो गये, जिससे दोनों देशों की एक बहुत बड़ी आबादी के जीवन और खुशहाली को सुरक्षित रखा जा सके और कलकत्ता बंदरगाह को बचाया जा सके।[5]

भारत सरकार के कृषि मंत्री श्री सुरजीत सिंह बरनाला एवं बांगलादेश के राष्ट्रपति की सलाहकार परिषद के सदस्य एम०एच०खान ने कहा कि दोनों देश आपसी समझदारी की भावना से अच्छे सम्बन्धों को प्रोत्साहन देने के लिए प्रयत्नशील रहेंगे।[6]

---

1-एशियन रिकार्डर-जनवरी 8-14-1977 वाल्यूम XXIII नं०2

2-एशियन रिकार्डर-जनवरी 15-21, 1977 रजि०नं० डी(०)92 न03

3-ब-परिशिष्ट

4-एशियन रिकार्डर दिसम्बर 10-16-1977 V० XXIII 5650 पेज 14065

5-इण्डिया एन्ड बंगलादेश पुट एन्ड टू डिस्पुट आफ 25 यीयर्स आन नाउ टू शेयर दि गंगा वाटर- फ्राम पीयोर्ड वीग-दि टाइम्स -7 नवम्बर, 1977

6-वही

गत सप्ताह श्री अटल बिहारी बाजपेयी, विदेशमंत्री, भारत सरकार को एक संसदीय समिति के द्वारा कटु और तीव्र आलोचना का सामना करना पड़ा। श्री बाजपेयी ने पूर्व कांग्रेस सरकार द्वारा किये गये उन दोनों समझौतों का जिक्र किया जिसके अन्तर्गत 40,000 क्यूसेक फीट जल की अधिकतम मांग कलकत्ता बंदरगाह के लिए की गयी थी। वही कांग्रेस सरकार 1975 में 16000 क्यूसिक फीट पानी लेने के लिए सहमत हो गयी थी और जो समझौता बाद में निरस्त हो गया था।[1]

जब ग्रीष्म काल में जल प्रवाह कुल 50,000 क्यूसेक फीट रह जाता है। श्री बाजपेयी ने कहा कि बांगलादेश से 15,000 क्यूसेक फीट पानी स्वीकार करने के लिए नहीं कहा जा सका। इस समझौते के अन्तर्गत अप्रैल के तीसरे सप्ताह में भारत 20,500 क्यूसेक फीट पानी लेगा और बांगलादेश 34,500 क्यूसेक फीट पानी प्राप्त करेगा।[2]

लोकतंत्रीय बांगलादेश के राष्ट्रपति जियाउर रहमान 19 दिसम्बर 1977 को राजकीय यात्रा पर नयी दिल्ली पहुँचे। 20 दिसम्बर 1977 को एक संयुक्त विज्ञप्ति जारी की गयी, जिसमें यह सामान्य इच्छा व्यक्त की गयी कि दोनों देशों के बीच फरक्का समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद अच्छे सम्बन्धों के लिए वातावारण विकसित होता रहेगा। श्री मोरारजी देसाई और मि० रहमान ने फरक्का समझौतेको एक ऐतिहासिक महत्त्व बताया।[3]

लेकिन उपरोक्त अल्पकालीन समझौते के बाद फरक्का जल विवाद का कलह समाप्त नहीं हो सका। एक अन्तर्राष्ट्रीय नदी के जल वितरण का विवाद परम्परागत ढंग से राजनीति के साथ व्यापक रूप से जुड़ गया है। 25 मार्च 1978 को भारत और बांगलादेश ने परस्पर अपने-अपने ग्रीष्मकालीन समय के लिए गंगा जल वृद्धि आयोग के विचारार्थ प्रस्ताव रखे।[4]

भारत सरकार के विदेश मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 23 मार्च को संसद में प्रस्तुत की गयी, जिसमें यह स्पष्ट कर दिया गया कि भारत किसी भी देश

---

1-वही
2-वही
3-एशियन रिकार्डर- जनवरी 8-14, 1978 पेज 14109
4-[illegible]

के लिए धमकी या दबाव की नीति नहीं अपना रहा है। बांगलादेश के प्रतिअपने सम्बन्धों को स्पष्ट करते हुए बताया गया कि ग्रीष्मकालीन में गंगा जल का स्तर नीचा होने की स्थिति में गंगा जल के प्रवाह में वृद्धि करने के सम्बन्ध में एक समझौता होने के लिए प्रयास हो रहे हैं।[1]

प्रधानमंत्री मोरार जी देसाई ने बांगलादेश की दो दिन की राजकीय यात्रा सम्पादित की। किन्तु मोरार जी देसाई की इस यात्रा की सबसे बड़ी उपलब्धि गंगा जल विवाद को सुलझाने के लिए उन्होने वचनबद्धता को दुहराया। दोनो देशों के नेताओं ने अपनी सहमति व्यक्त करते हुए कहा कि संयुक्त नदी आयोग शीघ्र ही इस सम्बन्ध में अपनी बैठक करेगा और गंगा जल की उपयोगिता के सम्बन्ध में अपनी भिन्नताओं पर बात-चीत करेगा। आपसी बात-चीत के द्वारा यथा सम्भव शीघ्रता से उस समाधान को ढूँढ निकाला जाय, तो दोनों देशों को स्वीकार्य हो। यह भी निश्चित किया गया कि यह आयोग कुछ ही समय में तीस्ता के जल वितरण के सम्बन्ध में कोई समझौता कर लेगा।[2]

दोनों देशों के बीच अक्टूबर 1982 में समझौता का नवीनीकरण हुआ और इसके अन्तर्गत बांगलादेश को 34,500 क्यूसेक पानी और भारत को 20,500 क्यूसेक पानी ग्रीष्म मौसम (जनवरी 1 से मई 31 तक) 1983 और 1984 में प्राप्त होगा।[3]

भारत-बांगलादेश संयुक्त नदी आयोग फरक्का बांध से ग्रीष्मकाल में वितरण पर 3 मार्च को हुयी आपसी बात-चीत में किसी भी सर्वमान्य समझौते पर पहुँचने में असफल रहा। दोनों पक्षों ने गंगा जल के सम्बन्ध में एक दूसरे के प्रस्तावों को अस्वीकार कर दिया। संयुक्त नदी आयोग की 26 वीं बैठक की समाप्ति पर भारत के सिंचाई मंत्री राम निवास मिर्धा, भारतीय दल का नेतृत्व कर रहे थे। उन्होने ढाका में एक प्रेस सम्मेलन में कहा कि आयोगदोनों प्रस्तावों के गहराई से

---

1-एशियन रिकार्डर वाल्यू 25 1979 अप्रैल 23-29 रजिनं० डीसीपेज 14861
2-दि हिन्दू 19 अप्रैल 1979
3-ए हुक एट इन्डो बांगला टाइस बाई के०एस०आर० मैनन दि ट्रिब्यून आसाम 11 जनवरी 1985

परीक्षण के बाद संयुक्त नदी आयोग और विशेषज्ञों के स्तर पर किसी ठोस निर्णय पर नहीं पहुंच सका है ।[1] एक प्रश्न के उत्तर में श्री राम निवास मिर्धा ने संवाददाताओं से कहा कि भारत सरकार को बांगलादेश द्वारा प्रस्तुत नेपाल पर जल भण्डारण के लिए बांध निर्माण का प्रस्ताव स्वीकार नहीं है क्योंकि श्री मिर्धा ने कहा कि भारत का यह ठोस अनुभव है कि उसके द्वारा रखा गया नहर बनाने का प्रस्ताव इससे कहीं अधिक उपयोगी रहेगा ।[2]

सम्पर्क नहर

1984 के प्रारम्भ में बांगलादेश ने भारत से 1985 के समझौते के नवीनीकरण के लिए पहल की, लेकिन भारत फरक्का बांध में पानी की सम्भावित अपर्याप्तता के कारण भयभीत था अतः उसने ब्रह्मपुत्र और गंगा को जोड़ने वाली एक नहर के निर्माण के लिए बांगलादेश के सामने प्रस्ताव रखा जिससे पानी की पर्याप्तता सदैव बनी रहे । समस्या का स्थायी समाधान भी सम्भव हो सके । किन्तु बांगलादेश ने उपर्युक्त प्रस्ताव को अमान्य कर दिया । बांगलादेश में ब्रह्मपुत्र पर एक बांध बनाये जाने की सम्भावना का पता लगाने के सम्बन्ध में एक प्रस्ताव रखा जिसमें 10 अरब रुपये व्यय होने का आकलन लगाया गया । यह कनाडा के सहयोग से बनाने का प्रस्ताव रखा गया । इससे गंगा में पानी डालकर दोनों देशों के सूखे के समय पानी की आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं ।[3]

भारत ने बांगलादेश के इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया क्योंकि उसका यह प्रस्ताव अव्यावहारिक एवं अदूरदर्शितापूर्ण था । यद्यपि भारत का दृष्टिकोण फरक्का जल वितरण पर बांगलादेश के प्रति हमेशा व्यापक एवं सद्भावनापूर्ण रहा है । वैसे भी भारत को अपने पड़ोसियों में यह विश्वास उत्पन्न करना चाहिये कि भारत उनको किसी भी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचा सकता है । वस्तुतः इसका मतलब यह नहीं है कि वह अपने राष्ट्रीय हितों को खोकर परोपकार करें ।[4]

---

1- एशियन रिकार्डर, मई 13-19, 1984 वाल्यूम xxx नं0 20 पेज 17741
2- ए हुक एट इन्डो बांगलादेश टाइज बाइ के0एम0आर0 मेनन ट्रिब्यून आसाम, 11, जनवरी, 1985.
3- इंडियन एक्सप्रेस 11-10-77
4- नवभारत टाइम्स, 29 मार्च, 1989.

बंगलादेश के विदेशमंत्री अनुतूल इस्लाम महमूद ने[1] नयी दिल्ली की यात्रा के समय कहा कि भारत बांगलादेश के बीच जो विवाद है उनका निकट भविष्य में आपसी बात-चीत के द्वारा समाधान सम्भव है, उन्होने आगे कहा कि बांगलादेश ने भारत को दोनों देशों के बीच नदियों के बारे में प्रस्ताव भेजे हैं । आशा है कि गंगा जल वितरण का भी स्थायी हल ढूंढा जा सकता है किन्तु अभी तक दोनों देशों ने इस विवाद को हल करने के अनेको प्रयास तो किये गये हैं किन्तु स्थायी हल सम्भव नहीं हो सका है। क्योंकि बांगलादेश के भारत विरोधी संगठनों एवं पाकिस्तान में प्रशिक्षित नौकरशाही तथाअन्य अवसरवादी तत्वों ने इस समस्या के स्थायी समाधान के लिए समय-समय पर बड़ी-बडी अड़चने पैदा की हैं।[1]

एक सम्बाददाता सम्मेलन में बांगलादेश के विदेशमंत्री मि0 महमूद ने कहा 1982 में दोनों पक्षों द्वारा दस्तखत किये समझौते के आशय पत्र के आधार पर दोनों के बीच स्थायी रूप से जल बंटवारे पर हमने प्रस्ताव दिया है- उन्होने बताया कि भारत इस मामले की जाँच रहा है[2] । आशा है कि दोनों देशों के राजनायक इस दीर्घकालीन समस्या का समाधानअपने-अपने देशों के राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए सम्भावना पूर्ण वातावरण में खोजने में सफल रहेंगे। फरक्का जल विवाद का स्थायी समाधान दोनों देशों के आपसी सम्बन्धों को एक नयी दिशा प्रदान करेगा।

---

1- हिन्दुस्तान टाइम्स 7 नवम्बर 1985
2- नव भारत टाइम्स नयी दिल्ली 27 मार्च 1989

## न्यूमूर द्वीप-विवाद

यह एक छोटा न्यूमूर द्वीप भारत और बांगलादेश के बीच कुछ समय से बहुत बड़े कलह का कारण बन गया है।[1] इस नये द्वीप पर भारत और बांगलादेश अपना-अपना स्वामित्व प्रस्तुत कर रहे हैं। यह हरभंगा नदी के मुहारे पर स्थित है। भारत वर्ष इसे न्यूमूर आइजलैण्ड कहता है। तो बांगलादेश इसे दक्षिण तालपट्टी द्वीप कहता है तथा भारत के पश्चिम बंगाल राज्य ने इसका नामकरण पुरबशाद्वीप के रूप में किया है।

इस छोटे से न्यूमूर द्वीप का आंकलन करने से ज्ञात हुआ कि इसका क्षेत्र 1.5 वर्ग किलोमीटर है। यह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। यह लगभग 5.6 किलोमीटर भारतीय समुद्र तट के समीप है और लगभग 7 कि0मी0 बांगलादेश की सीमा से दूर है। कुछ प्रतिवेदनों के आधार पर यह विश्वास किया गया है कि सर्वप्रथम अमेरिकन अर्थ रिसोर्सिस टेकनोलोजी सेटेलाइट (इ0आर0टी0एस0) ने इस पर दृष्टिपात किया। इ0आर0टी0एस0 ने इस खोज की सूचना हैदराबाद स्थित इंडियन रिमोट सेन्सिंग एजेन्सी को दी जिसने भारत सरकार को इस मानवविहीन भूमि की स्थिति से अवगत कराया।[2] इसका सृजन गंगा-ब्रह्मपुत्र नदी की मिट्टी से बंगाल की खाड़ी में हुआ।[3]

वास्तविक यथार्थता तो यह है कि इसके क्षेत्रफल और आकृति को देखकर यहाँ पर मानवजाति के बसने की सम्भावनायें नहीं हैं, लेकिन फिर भी यह दोनों पड़ोसी देशों के बीच तनाव और विवाद का एक मुख्य मुद्दा बना हुआ है। भारत ने इस द्वीप पर 1971 से ही अपना दावा प्रस्तुत करते हुए इसके सम्बन्ध में न्यायसंगत तर्कों को प्रस्तुत किया है।

सर्वप्रथम इस द्वीप का सर्वे भारतीय नौ सेना के द्वारा 1974 में किया गया था और अन्तर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार अपने चिन्हों के रूप में खम्बे भी बना

---

1- ए टीनी आइसलैन्ड आफबिग डिसकार्ड, बाई एस0सी0गैंगल- अमृत बाजार पत्रिका 8 जनवरी 1982

2- वही

3- सुमित मित्रा, न्यू मून आइसलैन्ड- टैरीटोरियल-जून 1-15-1981 पेज080-83
टग आफ वार इंडिया टुडे.

3. बांगलादेश द्वारा विवादास्पद न्यूमूर द्वीप (दक्षिण तालपट्टी) का मानचित्र

दिये थे। भारत ने इस नये द्वीप के सम्बन्ध में जानकारी और इस पर अपने वैधानिक अधिकार से 1974 की सीमा-निर्धारण वार्तालाप के समय ढाका को अवगत करा दिया था। इस सम्बन्ध में ब्रिटिश और अमरीका नौसेना द्वारा एक जानकारी दी गयी थी।[1] जो क्षेत्रीय सीमा निर्धारण भूगोल के विषय में व्यापक, सारगर्भित और विश्वसनीय मानी जाती है।

इस सम्बन्ध में न तो ढाका ने और न ही ब्रिटिश अमेरिकन नौ सेना ने उस समय भारत द्वारा न्यूमूर द्वीप नाम दिये जाने पर किसी भी प्रकार की आपत्ति की। वास्तव में, 1975 और 1978 में (जिया शासन काल के अन्तर्गत) सीमा निर्धारण के सम्बन्ध में जब बात-चीत की गयी तब भी भारतीय स्वामित्व को लेकर इस पर किसी भी प्रकार की आपत्ति नहीं उठायी गयी। फिर भी जब भारत द्वारा इस द्वीप पर अपनी प्रभुसत्ता का दावा प्रस्तुत किया गया और रक्षा दल वहाँ राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए भेजा गया। उस समय कलकत्ता के समाचार पत्र-पत्रिकाओं द्वारा व्यापक रूप से इस घटना का प्रचार और प्रकाशन किया गया। ध्वजारोहण का उत्सव धूम-धाम से मनाया गया। तभी पश्चिम बंगाल की सरकार ने इस द्वीप का नाम पुरबसा रखा।[2]

जब यह सूचनायें ढाका पहुँची तब बांगलादेश सरकार ने इस पर अपनी तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त की और ऊँचे स्वर से भारत सरकार की इस कार्यवाही की भर्त्सना की। जैसा कि ढाका ने 1974-75 तक इस द्वीप के सम्बन्ध में कभी कोई आपत्ति नही की और यहाँ तक कि 1978 के प्रारम्भ तक भारत का अधिकार सुरक्षित था। लेकिन कुछ समय बाद ढाका ने भारत सरकार को कुछ नक्से न्यूमोर पर अपने दावे के सम्बन्ध में प्रस्तुत किये। इसके कुछ समय बाद भारत के प्रधानमंत्री मोरार जी देसाई ने अप्रैल 1979 में ढाका की राजकीय यात्रा की। ढाका के अधिकारियों ने यह मामला मोरार जी देसाई के सामने रखा और ढाका सरकार की ओर से इस द्वीप के सम्बन्ध में पहली बार पहल की गयी। श्री मोरार जी

---

1- अमृत बाजार पत्रिका, जनवरी 8, 1982

2- वही।

देसाई इस द्वीप पर स्वामित्व सुनिश्चित करने के उद्देश्य से बांगलादेश सरकार द्वारा प्रस्तुत संयुक्त जाँच दल के प्रस्ताव से सहमत हो गये।[1] क्योंकि श्री देसाई अपने पड़ोसी देशों के साथ मधुर सम्बन्ध बनाये रखने के लिए पहले से ही प्रवृत्त थे। किन्तु उनका यह कार्य उनके सहायकों और अधिकारियों की सलाह के विरूद्ध था। किन्तु जुलाई में जब देसाई की सरकार गिर गयी और उनके उत्तराधिकारी श्री चौधरी चरण सिंह ने श्री देसाई से असहमति व्यक्त करते हुए संयुक्त जाँच दल के प्रस्ताव को ठुकरा दिया।[2]

जनवरी 1980 में श्रीमती इन्दिरा गांधी जब पुन: सत्ता में आ गयी तब भी उन्होने श्री चरण सिंह के निर्णय पर ही अपनी सहमति स्थित रखीं और संयुक्त सर्वेक्षण दल के प्रस्ताव को असंगत और अनावश्यक बताया। इस सम्बन्ध में ऐसा प्रतीत होता है कि बांगलादेश के अधिकारियों ने न्यूमोर द्वीप पर अपना दावा अल्पसत्ता के आधार पर किया है, क्योंकि बांगलादेश ने 1979 में अपना दावा उस समय पेश किया जब बांगलादेश सरकार ने इसको "पुरशा" कहकर नामकरण कर दिया।

बांगलादेश ने सोचा कि यहाँ पर "न्यूमोर और पुरवसा" दो द्वीप है और न्यूमोर को अपना बतलाकर इसे दक्षिण तालपत्ती के नाम से दावा पेश कर दिया।[3] बांगलादेश की इस न्यूमूर द्वीप के प्रति अज्ञानता यह प्रदर्शित करती है कि उस पर उसका दावा थोथे तथ्यों पर आधारित है।[4] न्यूमूर द्वीप पर बात-चीत उस समय हुयी जब विदेशमंत्री पी०वी० नरसिम्हाराव 1980 के अगस्त महीने के दूसरे सप्ताह में ढाका की यात्रा पर गये। उस समय दोनो पक्ष इस विवाद के शान्तिपूर्ण समाधान के लिए अतिरिक्त सूचनाओं के आदान-प्रदान पर राजी हो गये।[5]

किन्तु बांगलादेश ने स्पष्ट रूप से 20 दिसम्बर 1980 को इस नये द्वीप पर भारत के दावे को सीमा नदी हरभंगा के मुहार पर होने से स्पष्ट इंकार कर

---

1-हिन्दुस्तान टाइम्स 7-11-85
2-अमृत बाजार पत्रिका- 8 जनवरी 1982- ए तीनी आइसलैन्ड आफ बिग डिसकार्ड बाई एस०सी० गंगाल।
3-इण्डिया बैक ग्राउन्ड, वाल्यूम नं019(280)अगस्त 10, 1981 पेज 2759
4-वही
5-दि ट्रिब्यून- अगस्त 19, 1980

दिया, जबकि दोनों देशों के बीच यह मामला तय होने की स्थिति में था।[1]

न्यूमूर द्वीप के मामले को ढाका द्वारा विवादास्पद स्थिति में पहुँचा दिया गया। जब बांगलादेश ने भारत के साथ एक संयुक्त निरीक्षण दल का प्रस्ताव रखा जिससे पुरबसा के बंगाल की खाड़ी से नये निकले द्वीप के सम्बन्ध में तथ्यों के आधार पर अधिकार सुनिश्चित किया जा सके। बांगलादेश का संयुक्त पर्यवेक्षण प्रस्ताव इस विवादास्पद द्वीप पर अपना आधिपत्य जताने के इरादे से था, लेकिन यह भारत द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया। भारत सरकार के विदेशमंत्री ने 15 जुलाई 1980 को राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में बताया कि यह द्वीप भारतीय जल क्षेत्र में स्थित है और सभी उपलब्ध तथ्य भारत के अधिकार क्षेत्र में होना सिद्ध करते हैं। इसलिए भारत संयुक्त सर्वेक्षण दल को गठित करना न्यायसंगत नहीं समझता है।[2] 25 जुलाई 1980 को बांगलादेश के विदेशमंत्री समसुलहक ने भारत की इस घोषणा पर बड़ा आश्चर्य व्यक्त किया और उन्होने संसद में कहा कि उच्च स्तर पर जो निर्णय लिया गया था उसका सम्मान होना चाहिए।[3]

सर्वेक्षण का कार्य आई0एम0एस0 सन्धेय को सौंपा गया जिसने दो वर्ग मील द्वीप की स्थित और उसकी रचना के सम्बन्ध में काफी तथ्य एकत्रित किये।[4] लेकिन बांगलादेश ने सर्वेक्षण का परिणाम स्वीकार नहीं किया और उसको मानने से इंकार कर दिया। बांगलादेश के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने भारत पर अभियोग लगाते हुए कहा कि भारत ने सर्वेक्षण करवा कर दोनों देशों के बीच की आपसी समझदारी की हत्या कर दी।[5]

पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ज्योतिबसु ने विधानसभा में कहा कि बंगलादेश का इस द्वीप पर दावा कानूनी और भौगोलिक दृष्टि से किसी भी प्रकार नहीं है। यह द्वीप बंगाल की खाड़ी के सुन्दर वन में निकला है। उन्होने आगे कहा कि पश्चिम बंगाल के अधिकारियों ने वहाँ पर राष्ट्रीय ध्वज 31 मार्च को फहराया है।[6]

---

1- दि स्टेट्स मैन, दिसम्बर 21, 1980
2- दि टाइम्स आफ इण्डिया, जुलाई 16, 1980
3- बांगलादेश टाइम्स, जुलाई 26, 1980
4- वही, 24 मई, 1981
5- वही
6- हिन्दुस्तान टाइम्स, 6 सितम्बर 1980

राष्ट्रीय ध्वज फहराने के सम्बन्ध में अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए बांगलादेश के विदेशमंत्री समसुल हक ने संसद में कहा कि भारत ने अपना राष्ट्रीय ध्वज अवैधानिक रूप में फहराया है। अतः बांगलादेश को इस पर प्रतिक्रिया होना स्वाभाविक है।[1]

इस पर भारत के विदेशमंत्री श्री नरसिम्हा राव ने राज्यसभा में यह जानकारी देते हुए बताया कि बांगलादेश से कह दिया गया है कि यह द्वीप भारतीय जल सीमा के अन्तर्गत पड़ता है और इस वास्तविकता को उसे स्वीकार कर लेना चाहिए।[2]

लेकिन बांगलादेश सरकार ने तुरन्त ही भारत के इस दावे का खण्डन किया, लेकिन उसने कहा कि न्यूमूर द्वीप के इस मसले पर दोनों देशों के द्वारा मंत्रिस्तर की वार्ता द्वारा समस्या के समाधान पर पहुँचा जा सकता है और उसने आशा व्यक्त की कि समस्या का समाधान शान्तिपूर्ण ढंग से हो जाना चाहिए।[3]

लेकिन अपनी कथनी और करनी में अन्तर रखते हुए बांगलादेश संसद ने 28 मई को एक प्रस्ताव पारित करके न्यूमूर द्वीप पर भारतीय अधिकार की भर्त्सना की। संसद ने सर्वसम्मति से कहा कि भारत को अपनी सैनिक टुकड़ी और अन्य साधन सामग्री को दक्षिण ताल पट्टी से जिसे वह न्यूमूर कहता है, हटा लेना चाहिए। बांगलादेश के प्रधानमंत्री शाह अजीजुर रहमान ने संसद में कहा कि सरकार बांगलादेश की क्षेत्रीय एकता के लिए सदैव प्रयत्नशील रहेगी। बांगलादेश के विदेशमंत्री शमसुल हक ने 27 मई को कहा कि यदि भारत समझौते का सम्मान करने और अपनी सैनिक नावों, कर्मचारियों, निर्माण कार्य, सामान, झंडा आदि दक्षिण तालपट्टी से हटाने से मुकरता है तो बांगलादेश को समयानुसार उचित कार्यवाही हेतु उचित कदम उठाने होंगे।[4]

---

1-हिन्दुस्तान टाइम्स, 5 अप्रैल 1980
2- स्टेट्समैन, नयी दिल्ली, 21 दिसम्बर 1980
3-स्टेट्समैन, नयी दिल्ली 21 दिसम्बर, 1980
4-एशियन रिकार्डर जुलाई 2-8, 1981, रजि0नं0 डी (सी) 92 वाल्यूम 27न027
पेज 16100- कालम III

मुस्लिम लीग के अध्यक्ष खॉन अब्दुल सबर द्वारा रखे गये ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का जबाब देते हुए प्रो० हक ने भारतीय कार्यवाही को अनाधिकृत और अवैधानिक बताया। उन्होने भारतीय कार्यवाही को बांगलादेश की क्षेत्रीयता नष्ट करने वाली कार्यवाही बताया। सभी प्रमाणों के अनुसार यह द्वीप बांगलादेश का है।[1]

बांगलादेश-सरकार ने यह दावा किया है कि दक्षिण तालपट्टी द्वीप बांगलादेश का एक अविभाज्य अंग है। उनकी एक साप्ताहिक पत्रिका[2] प्रतिरोध में न्यूमूर द्वीप पर एक लेख एवं मानचित्र प्रकाशित किया गया जिसमें इस द्वीप को बांगलादेश का दक्षिण तालपट्टी के रूप में अविभाज्य अंग संदर्भित किया गया है। बांगलादेश का यह अनुभव है कि सभी विश्वसनीय सूत्रों के अनुसार दक्षिण तालपट्टी उसका अविभाज्य एवं अखण्ड भाग के रूप में है। बांगलादेश सरकार ने सामुद्रिक क्षेत्र को अपने स्मृतपत्र के साथ प्रदर्शित करके 17 अप्रैल 1980 को भारत सरकार के सामने पेश कर दिया। बांगलादेश अधिकारियों द्वारा यह दर्शाया गया है कि वर्तमान जल प्रवाह और उसका निर्माण सीमा नयी हरभंगा के सहारे पर तथा बांगलादेश की रायमंगनदी द्वारा निर्मित स्थित को स्पष्ट रूप से दर्शाती है। यह देखा जा सकता है कि हरभंगा नदी की मुख्य प्रवाह धारा डेल्टा को थोड़ा सा स्पर्श करती हुयी दक्षिण तालपट्टी को अपने बायें ओर छोड़ती हुयी सीधी आगे को बंगाल की खाड़ी में प्रवेश कर जाती है। इस प्रकार हरबंगा नदी दक्षिण तालपट्टी के पश्चिम की ओर बहती है। इस प्रकार बांगलादेश सरकार यह सिद्ध करना चाहती है कि यह द्वीप उसके सार्वभौमिक अधिकार क्षेत्र में है और वह इस द्वीप पर भारत के दावे को पूर्णतः अस्वीकार्य करता है।

भारत न्यूमूर द्वीप पर अपने आधिपत्य के सम्बन्ध में बड़े ही स्पष्ट एवं पुष्ट तर्क प्रस्तुत करता है। उसका कहना है कि संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्रिटिश सरकार ने जिनका भौगोलिक सर्वेक्षण, व्यापक एवं विश्वसनीय है, उन्होने भारतीय

1 वही
1-साउथ टालपैटी आइसलैन्ड " एन इन्टेग्रल पार्ट आफ बांगलादेश -दि प्रतिरोध इशू 22, अगस्त 15, 1981 पेज 6-7
3- अमृत बाजार पत्रिका जनवरी 8, 1982

दावे का समर्थन किया है। उस समय बांगलादेश ने कोई आपत्ति नही उठायी है।[1] भारत द्वारा किये गये सर्वेक्षण के आधार पर बांगलादेश के न्यूमूर पर दावे को न्यायसंगत आधार पर ठुकराया गया है, क्योंकि न्यूमूर द्वीप की स्थिति से सम्बन्धित तथ्य उपग्रहों से लिये गये हैं उसमें न्यूमूर द्वीप भारत के समुद्रतट की दूरी 5.2 कि०मी० है, जबकि बांगलादेश के समुद्रतट की दूरी 7,5 कि०मी० है।[2]

किन्तु 1942 यू०के० के मानचित्र में यह द्वीप स्पष्ट रूप से भारत का हिस्सा दिखाया गया है। पटना विश्वविद्यालय के एक अध्यापक मण्डल ने अपने शोध के आधार पर यह विश्वास व्यक्त किया कि न्यूमूर द्वीप ऐतिहासिक दृष्टि से भारत का एक अभिन्न अंग रहा है। बी०एन० कालेज के एक भूगोल प्रवक्ता ने यह स्पष्ट किया है कि 1942 के एडमाईरैलिटी चार्ट और मानचित्र नं० 859 में यह स्पष्ट रूप से दिखाया गया है कि द्वीप पश्चिम बंगाल का अभिन्नअंग है। 1928 की संशोधित और निष्पक्ष एटलस में भी यह दिखाया गया है कि द्वीप भारत का ही है।

भारत सीमा सुरक्षा बल के महानिरीक्षक एम०सी० पाल ने इसका निरीक्षण करने के बाद यह स्पष्ट किया कि यह द्वीप स्पष्टतः भारत की सीमा क्षेत्र में है, वह अन्य द्वीपों से पहले वहाँ पर स्थित है। यह कोई नया द्वीप नहीं है। सर्वेक्षण करने से यह देखने में आया है कि पुराने मानचित्र में इस नाम का द्वीप पाया जाता है।[3]

इस प्रकार भारत द्वारा इस द्वीप पर अपना दावा प्रस्तुत करने के संदर्भ में उसके पास ठोस आधार हैं। भारत द्वारा अपना दावा इस पर 4 वर्ष तक अपनी प्रभुसत्ता का दावा करने पर बांगलादेश ने किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नही उठायी।

---

1-अमृत बाजार पत्रिका जनवरी 8, 1982
2-स्टेट्समैन, नयी दिल्ली, 24 मई 1981
3-अमृत बाजार पत्रिका 23 मई, 1981

द हिन्दू समाचार पत्र लिखता है कि भारत ने इस द्वीप पर अपना दावा प्रस्तुत किया। वह वास्तव में सामुद्रिक सीमा निर्धारण के सर्वमान्य सिद्धान्त के आधार पर ही किया गया था, यदि मध्य रेखा रेड क्लिक लाइन से खींची जाती है (जहाँ उस क्षेत्र में भारत बांगलादेश सीमा है) न्यूमूर इसके दक्षिण में पड़ता है। इस तरह यह भारतीय द्वीप हो जाता है। यह खेद की बात है कि बांगलादेश की तोपधारी सैनिक नावों ने भारतीय जल सीमा का अतिक्रमण करके भारतीय सरकारी कर्मचारियों और निहत्थे सर्वेक्षण कर रहे जहाज को धमकी भरी चुनौती दे डाली। भारत सरकार ने बांगलादेश की तोपों से सुसज्जित नावों द्वारा न्यूमूर द्वीप को घेरने और भारतीय सीमा का उल्लंघन करने के सम्बन्ध में अपनी घोर आपत्ति व्यक्त की।[1]

संयुक्त राज्य अमेरिका की नौ सेना ने एक चार्ट में द्वीप को भारतीय जल क्षेत्र में दर्शाया है, फिर भी आज बांगलादेश उस पर अपना निरर्थक दावा पेश कर रहा है।[2] इस वास्तविकता के बावजूद कि न्यूमूरद्वीप भारतीय सीमा क्षेत्र में है, लेकिन बांगलादेश इस मसले को अपनी आन्तरिक राजनीतिक परिस्थितियों से जोड़ रहा है। बहुत से भारतीय राजनैतिक पर्यवेक्षकों के विचार से न्यूमूर द्वीप में तोपधारी नावों को भेजने का यह बांगलादेश का अभियान भारत विरोधी राजनीतिक दलों का एक सुनियोजित षडयंत्र था।[3]

द ट्रिब्यून अपने सम्पादकीय में लिखता है कि यह बांगलादेश द्वारा भारत के विरुद्ध अपना रोष व्यक्त करने का प्रत्यक्ष प्रयास था जिससे शेख की पुत्री की लोकप्रियता को लोगों के मस्तिष्क में कम से कम की जा सके। यह भारत के विरुद्ध बांगलादेश की जनभावनाओं को उभाइने का एक सुविधाजनक अस्त्र था, और इस प्रकार के हथकन्डे बांगलादेश सरकार प्रायः प्रयोग किया करती थी, यद्यपि इससे भारत की आन्तरिक समस्यायों का समाधान नहीं हो सका।[4]

---

1- दि हिन्दू (मद्रास) मई 20, 1981
2- दि हिन्दुस्तान टाइम्स मई 30, 1981
3- इण्डियन बैक ग्राउन्डर, वाल्यूम नं0 19, (280) अगस्त 10, 1981 पेज 276।
4- दि ट्रिब्यून, मई 19, 1981

28 मई, 1981 को बांगलादेश संसद ने एक सरकारी प्रस्ताव के द्वारा भारत से इस द्वीप पर अपना अधिकार त्यागने के लिए कहा, लेकिन भारत के विदेश मंत्रालय ने अपने पूर्ववर्ती दावे को पुनः दुहराते हुए यह वक्तव्य जारी किया कि इस द्वीप पर भारत का स्थायी रूप से अधिकार रहा है।[1] बांगलादेश की इस दुराग्रहपूर्ण घटना से दोनों देशों के बीच सम्बन्ध अति तनावपूर्ण हो गये किन्तु जब बांगलादेश के विदेशमंत्री प्रोफेसर हक ने सितम्बर 1981 में दिल्ली की राजकीय यात्रा की उस समय न्यूमूर द्वीप विवाद को समाप्त करने के उद्देश्य से दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के बीच वार्तालाप हुआ किन्तु इस मामले को तैय करने में वार्ता असफल रही। लेकिन सचिव स्तर की वार्ता में दोनों देश न्यूमूर द्वीप विवाद पर उपलब्ध तथ्यों का परीक्षण करने पर सहमत हो गये।[2]

श्री श्यामली घोष का मत है कि भारत और बांगलादेश सम्बन्धों में न्यूमूरद्वीप विवाद एक पेचीदा मामला बना हुआ है और इसका मूल कारण बांगलादेश शासकों द्वारा पाकिस्तानी सत्ताधारियों का अनुशरण करके भारत विरोधी उन्माद पूर्ण वातावरण बनाकर आन्तरिक असन्तोष दबाये रखना है। 1981 में जब राष्ट्रपति जनरल जियाउर रहमान ने स्वयं स्वीकार किया कि हम एक ज्वालामुखी पर बैठे हुए हैं जिसका कभी भी विस्फोट हो सकता है। इसीलिए बांगलादेश सरकार ने बढ़ा-चढ़ा कर यह भारत पर उसके क्षेत्र का अवैधानिक ढंग से अपहरण करने का अभियोग लगाने का विज्ञापन किया। यह सब उस समय किया गया जब भारतीय सामुद्रिक जहाज न्यूमोर का सर्वेक्षण कर रहा था इसने अपनी तोप सज्जित नावें भेज दी। भारतीय जल जहाज की सुरक्षा के लिए तुरन्त युद्धपोत भेजना पड़ा। यह बांगलादेश के निन्दनीय कार्य देश की आन्तरिक राजनीत को भ्रमित करने के लिए किये जा रहे हैं।[3]

अपनी आन्तरिक राजनीति के परिप्रेक्ष्य में बांगलादेश ने समस्याओं के द्विपक्षीय वार्ता के द्वारा समाधान का रास्ता छोड़कर हठवादी रुख अपनाने का प्रयास किया है जिससे भारत सरकार को बदनाम करने का रास्ता सुगम हो जाय।

---

1- स्टेट्स मैन मई 30, 1981

2- इण्डियन एन्ड फारेन रिवीयू वाल्यूम XVIII नं0 24 अक्टूबर 1-14, 1981 पेज 4

3- हिन्दुस्तान टाइम्स 7 नवम्बर 1985

न्यूमूर द्वीप के सम्बन्ध में भी बांगलादेश ने वार्ता के पूर्व एक शर्त यह रखी कि भारत सरकार को पहले अपने जहाजों को वहाँ से हटा लेने चाहिए तभी वार्ता सम्भव हो सकती है। भारत ने इस मांग को दृढ़तापूर्वक ठुकरा दिया। इसके बाद ही भारत के विदेश विभाग के प्रवक्ता ने बांगलादेश के विदेशमंत्री मि० शमसुल हक से इस आरोप का भी खण्डन किया कि भारत की न्यूमूर द्वीप पर उपस्थिति उसकी अनाधिकार चेष्टा है। भारत ने अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए बता दिया कि वह बांगलादेश के साथ विवादास्पद मामलों पर आपसी बातचीत के लिए सदैव तैयार है, लेकिन वह न्यूमूर द्वीप पर अपनी वर्तमान स्थिति को कदापि त्यागने को तैयार नहीं है।[1]

किसी भी प्रकार की वार्ता प्रारम्भ होने के पूर्व अब भारत को अपनी नीति इस सम्बन्ध में स्पष्ट कर देना चाहिए कि धैर्यता और सहनशीलता की कुछ सीमायें होती है। किसी भी अच्छे पड़ोसी की पहल यह होनी चाहिए कि दोनों पक्षों को एक दूसरे के अधिकारों और कर्तव्यों के आधार पर परस्पर लाभ प्राप्त होना चाहिए।[2]

इस न्यूमूर द्वीप पर तो भारत अपना दावा प्रस्तुत करने के लिए अर्ह है। और इसीलिए सभी प्रकार से भारत को इस क्षेत्र पर अपनी स्थिति का ध्यान रखते हुए, उसे अपने वैधानिक अधिकारों को छोड़ना नही चाहिए। भावी समय में यह भारत के लिए आर्थिक एवं सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकता है। इस मामले के सम्बन्ध में एक दूसरा पहलू यह भी है कि भारत को प्रत्यक्षतः इतना कठोर रूख नही अपनाना चाहिए, जैसा कि श्रीमती गांधी ने बांगलादेश सरकार के संयुक्त सर्वेक्षण के प्रस्ताव को ठुकरा दिया।[3]

यदि भारत का पक्ष न्यायसंगत है, जैसा कि प्रत्यक्षतः प्रतीत होता है। संयुक्त जाँच दल की माँग को स्वीकार कर लेने से उसका पक्ष और भी अधिक मजबूत होगा। यह भारत को केवल नैतिक विजय नहीं रहेगी, वरन राजनीतिक

---

1- दि हिन्दू -मद्रास- नो वोकेशन आफ न्यूमूर लैन्ड - जी०आर०के० रेड्डी 26 जुलाई 1981

2- वही

3- अमृत बाजार पत्रिका 8-1-1982

-

और कूटनीतिक दृष्टि से यह विवेकपूर्ण चरित्र का एक उत्कृष्ट उदाहरण भी होगा। बांगलादेश भारत के इस कड़े रूख से रोष में आकर इस मामले को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाकर कलह उत्पन्न कर सकता है। इस प्रकार विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय मंचों जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ, अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय, राष्ट्र मण्डल, गुटनिरपेक्ष समिति तथा इस्लामिक सम्मेलन में इस मामले को ले जा सकता है और बांगलादेश के लिए प्रत्यक्षतः एवं गोपनीय ढंग से अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक शक्तियों का सहयोग प्राप्त करना कठिन नहीं होगा।

भारत को बड़े राष्ट्रों के लिए अपने छोटे पड़ोसी देशों के साथ सद्व्यवहार का एक उदाहरण रखना चाहिए। भारत ने दक्षिण एशिया की राजनीति में द्विपक्षवाद को सदैव प्रोत्साहन दिया है। शिमला समझौता श्रीमती गांधी के मस्तिष्क का एक शिशु था, जो द्विपक्षवाद की दिशा में एक विवेकशीलता का ज्वलन्त उदाहरण है। अतः न्यूमूर द्वीप के मामले के सम्बन्ध में भी सभी सम्भव उपायों के द्वारा न्यायसंगत द्विपक्षीय वार्ता के माध्यम से दोनों पक्षों के सन्तुष्ट होने का सद्व्यवहारपूर्ण प्रयास होना चाहिए।[1]

---

1- अमृत बाजार पत्रिका, जनवरी 8, 1982

## सीमा- विवाद

भारत और बांगलादेश के बीच भू-राजनीतिक विवाद है। जब से दोनों देशों के बीच सम्बन्ध तनावपूर्ण हुए, तभी से सीमाओं के सम्बन्ध में नये-नये सन्देहों और भ्रमों के कारण अनेकों प्रकार के विवाद उठ खड़े हुए। वास्तविकता यह भी है कि ब्रिटिश शासन द्वारा भारत और बांगलादेश के बीच विवादास्पद सीमांकन दोनों देशों के बीच विवादों की मुख्य जड़ बना हुआ है। इन विवादास्पद क्षेत्रों पर दोनों देशों द्वारा अपना-अपना दावा पेश किया जाता है।

पाकिस्तान विभाजन के बाद यह विवाद भारत और पाकिस्तान के बीच था और जब 1971 में बांगलादेश बन गया तब यह भारत और बांगलादेश के बीच का विवाद बन गया। आज भी सीमा विवाद का मसला दोनों देशों के लिए महत्वपूर्ण बना हुआ है। दोनो देशों की सरकारों ने इसके समाधान के लिए भरसक प्रयत्न भी किये हैं।

## सीमा- समझौता

बांगलादेश के प्रधानमंत्री शेख मुजीबुर रहमान 12 मई 1974 को राजकीय यात्रा पर नयी दिल्ली पहुँचे। सौहार्दपूर्ण वातावरण में श्रीमती गांधी और बंगबंधु के बीच द्विपक्षीय समस्यायों पर बातचीत हुयी।[1] 14 मई को भारत और बांगलादेश दोनों देश पूरी समझदारी के साथ अवशेष सीमा निर्धारण के सिद्धान्त को स्वीकार करने में सफल रहे। यह सीमांकन समझौता भारत सरकार के विदेशमंत्री सरदार स्वर्ण सिंह तथा बांगलादेश के मि0 कमाल हुसैन के बीच हुआ।[2] सीमा समझौता करके दोनों देशों के नेताओं ने एक बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की।

---

1- एशियन रिकार्डर (जून 4-10) 1974 पेज 12038 कालम 1

2- टाइम्स आफ इण्डिया 15 मई, 1974

## भारत- बांगलादेश सीमा समझौता[1]

दोनों देशों के बीच समझौते का संक्षिप्त रूप इस प्रकार है। भारत और बांगलादेश दोनों देशों के बीच मैत्रीपूर्ण सम्बन्धों को स्वीकार करते हुए कुछ निर्धारित मुद्दों के आधार पर स्थल सीमा निर्धारण के लिए सहमत हो गये।

अनुच्छेद-1- भारत और बांगलादेश के बीच स्थल सीमा निर्धारण का कार्य निम्नवत रूप से सम्पादित होगा।

मिजोरम-बांगलादेश परिक्षेत्र- सीमा निर्धारण विभाजन के पूर्व के अन्तिम प्रकाशन एवं तथ्यों के आधार पर सम्पन्न होगा।

त्रिपुरा-सिलहट सेक्टर- सीमा निर्धारण का कार्य जो अभी भी प्रगति पर है, यथा सम्भव शीघ्र पूरा होना चाहिए।

भागलपुर रेलवे लाइन- रेलवे लाइन से 75 फीट की दूरी पर सीमा समानान्तर रूप से पूर्व की ओर निर्धारित होनी चाहिए।

शिवपुर- गौरंगला सेक्टर- इस क्षेत्र में सीमा का निर्धारण 1951-52 से प्रारम्भ हुयी प्रक्रिया के अन्तर्गत 1915-18 के जनपदीय मानचित्र के आधार पर होना चाहिए।

मुहरी नदी क्षेत्र - इस क्षेत्र में सीमा का निर्धारण मुहरी नदी के बीच सीमा-निर्धारण धारा के आधार पर रहेगा। दोनों सरकारें अपनी-अपनी ओर जल बांधों का निर्माण करेंगी जिससे नदी की सीमा वर्तमान समय के आधारपर रह सकें।

त्रिपुरा-नोआखाली- कोमिला के अविशेष क्षेत्र- इस क्षेत्र की सीमा निर्धारण का कार्य चकला-रोशनाबाद रियासत के 1892-1994 के नक्से के आधार पर और शेष जो भाग चकला-रोशनाबाद नक्से में अंकित नहीं है। उसका 1915-18 के जिला सेटिलमेन्ट नक्से के आधार पर होना चाहिए।

फैनी रिवट- सीमा नदी की बीच धारा के आधार पर जो सीमा निर्धारण के समय है निश्चित रहेगी।

---

1- एशियन रिकार्डर (जून 4-10) 1974 पेज 12038 कालम।

बीन-बाजार करीमगंज सेक्टर- अभी तक उमापति गांव के पश्चिम में जहाँ पर सीमा निर्धारण नहीं हुआ है। सीमा-निर्धारण की सहमति के आधार पर होगा। उमापति गाँव भारत को छोड़ दिया गया।
हकर खाल- इसकी सीमा का निर्धारण नेहरू-नून समझौता 1958 के आधार पर होना चाहिए। सीमा एक सुनिश्चित सीमा रहेगी।
बेकारी खाल- बेकारी खाल में सीमा का निर्धारण आपसी सहमति और सीमा सिद्धान्तों के आधार पर होनी चाहिए।[1]
बेरूबारी यूनियन- सीमा निर्धारण शर्तों के आधार पर बेरूबारी भारत के साथ रहेगा। भारत-बांगलादेश के लिए तीन बीघा जमीन के लगभग 85 मीटर पर 178 मीटर लम्बा गलियारा एक स्थायी पट्टे के रूप में देगा जिससे दहग्राम बांगलादेश के पनबाड़ी मौजे से जुड़ जायेगा।[2]

पहाड़ी क्षेत्र में दोनों देशों के बीच सीमा निर्धारण रैडक्लिफ एवार्ड और उनके द्वारा नक्से पर जो रेखांकन किया गया है उसके अनुसार होगा। जहाँ पर सीमा निर्धारण हो चुका है, लेकिन सीमा सम्बन्धी मानचित्र तैयार नहीं थे। मई 75 के अन्त तक तैयार हो जायेंगे और पूर्व सक्षम अधिकारियों द्वारा 1975 के अन्त तक उन पर हस्ताक्षर भी हो जायेंगे। सीमा-निर्धारण समझौते के आधार पर क्षेत्रों का आपसी आदान-प्रदान सीमा मानचित्रों पर हस्ताक्षर होने के 6 महीने के अन्दर हो जायेंगे। जिन लोगों का स्थानान्तरण होगा वे वहाँ के नागरिकों के समान अधिकारों के साथ रहेंगें।[3]

दोनों देशों की सरकारें इस बात पर सहमति हुयी कि इस समझौते के क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार का समाधान आपसी बातचीत के द्वारा होगा।[4]

एक तीन सूत्री समझौता-सामुद्रिक सीमा निर्धारण के सिद्धान्त के आधार पर भारत और बांगलादेश के बीच ढाका में दोनों देशों की सचिव स्तर की वार्ता

---

1- टाइम्स आफ इण्डिया 20 मई, 1974
2-वही
3-वही
4-वही

से 1975 में सम्पन्न हुआ।[1] ये तीन सूत्र इस प्रकार थे-

1- दोनों देशों के बीच सीमा निर्धारण परस्पर आपसी समझौते के आधार पर होना चाहिए।

2- सीमा निर्धारण इस प्रकार होना चाहिए, जो दोनों देशों को मान्य हो।

3- सीमा निर्धारण की रेखा इस प्रकार तैय को जाय जो दोनों देशों के हितों को सुरक्षित रख सके।

भारतीय उच्चायुक्त के एक प्रवक्ता ने कहा कि दोनों देशों के बीच सामुद्रिक सीमा निर्धारण के लिए नयी दिल्ली में पुंन: विचार विमर्श होगा। भारत और बांगलादेश के बीच बंगाल की खाड़ी में सामुद्रिक सीमा के निर्धारण के लिए नये सिरे से प्रयास किया गया, जिससे आपस के मतभेदों को दूरकिया जा सके, क्योंकि दोनों देशों के सम्बन्धों को सुधारने के लिए यह एक विशेष महत्व का प्रकरण बन गया है, क्योंकि इस क्षेत्र में समुद्र तट पर तेल की सम्भावनायें बढ़ गयी हैं।

भारत और बांगलादेश के बीच स्थलीय सीमा निर्धारण के सम्बन्ध में समय-समय पर वार्ता चलती रही। दोनों पक्ष अपनी पूरी समझदारी के साथ सीमा निर्धारण के सिद्धान्त के आधार पर सहमत हो गये। भारत के विदेशमंत्री सरदार स्वर्ण सिंह और बांगलादेश के विदेशमंत्री कमाल हुसैन के बीच 4 घंटे की वार्ता के बाद पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा की कुछ अनिर्धारित सीमा पर समझौता किया गया।[2]

पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा क्षेत्र की 320 कि0मी0 लम्बी सीमा कलकत्ता में होने वाले 6 दिन के भारत-बांगलादेश सीमा निर्धारण सम्मेलन के बाद सुनिश्चित की गयी। दोनों देशों के प्रतिनिधि मण्डलों द्वारा लगभग 60 नक्सों पर हस्ताक्षर किये गये। सीमा का निर्धारण अलग-अलग क्षेत्रों में इस प्रकार था। त्रिपुरा-बांगलादेश 171 कि0मी0 राजशाही -मुर्शिदाबाद 129 कि0मी0 और 24 परगना-खुलना-जैसोर 19 कि0मी0 लम्बी सीमाओं का निर्धारण किया गया।[3]

---

1- एशियन रिकार्डर, 1975 (मार्च 26-अप्रैल 1) कालम 1-11 पेज 12499

2- टाइम्स आफ इण्डिया- नयी दिल्ली -15 मई 1974

3- अमृत बाजार पत्रिका (कलकत्ता) -19 सितम्बर 1976

भारत-बाँगलादेश सीमा विवाद के सम्बन्ध में सम्मेलन हुआ और मैत्रीपूर्ण वार्ता के परिणाम स्वरूप यह संतोष व्यक्त किया गया कि आपस की भ्रान्तियाँ और संदेह साफ हो गये हैं और पुन: आपसी सहयोग और विश्वास पैदा हुआ है।[1]

बाँगलादेश टाइम्स डेली

समाचार पत्र लिखता है कि अब भारत और बाँगलादेश सभी आशाभरी दिशा की ओर आपसी हितों के आधार पर अपने सीमा विवादों को सुलझाने के लिए प्रस्थान करेंगे।[2] भारत सरकार के गृहमंत्री जैलसिंह ने लोकसभा में कहा कि भारत सीमा सम्बन्धी विवादों के मैत्रीपूर्ण समाधान के लिए सदैव प्रयत्नशील रहेगा।[3]

सीमा सुरक्षाबल के महानिदेशक श्री अश्वनी कुमार ने ढाका से लौटने के बाद बताया 3000 मील की सीमा निर्धारण पहले हो चुका है और शेष 1000 मील की सीमा का निर्धारण निकट भविष्य में हो जायेगा।[4] भारत और बाँगलादेश ने आगामी दो वर्षों में शेष सीमा के निर्धारण का कार्य पूरा करने का निर्णय किया है। दोनों देशों के अधिकारियों के प्रतिनिधि मण्डलों ने 1973 के समझौते का कार्यान्वयन करने के लिए आपसी विचार-विमर्श के लिए एक बैठक बुलायी जिसमें अधिकारी स्तर की वार्ता 16 अक्टूबर 1980 को समाप्त हो गयी। एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि इन बैठकों में सीमा निर्धारण के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में भ्रान्तियाँ और मनमुटाव दूर हो गया है।[4]

प्रतिनिधि मण्डल इस बात पर भी सहमत हो गये कि तीव्रगति से सीमा निर्धारण का कार्य पूरा किया जायेगा और जब तक यह पूरा नहीं होता है तब तक यथास्थिति रखनी होगी।[5]

सीमाओं से लगी हुई नदियों से सम्बन्धित विवादों पर भी विचार-विमर्श किया गया। दोनों देशों के नेता इस बात पर सहमत हुए कि संयुक्त नदी

1- हिन्दुस्तान टाइम्स(नयी दिल्ली) दिसम्बर 5-1975
2- बाँगलादेश टाइम्स(ढाका) मई 8, 1977
3- पैट्रिआट-नयी दिल्ली, जनवरी 31, 1980
4- वहीं, 29 जनवरी, 1978
5- हिन्दुस्तान टाइम्स, नयी दिल्ली-अक्टूबर 18, 1980

आयोग इन समस्याओं के सन्तोषजनक समाधान के लिए तत्कालिक उपाय खोजेगा। दोनों देशों ने यह भी निश्चय किया कि टीस्टा नदी के जल वितरण के सम्बन्ध में संयुक्त नदी आयोग एक समझौता के अन्तर्गत कार्य करेगा।[1]

बांगलादेश के साथ सीमा दुर्घटना

भारत-बांगलादेश सीमा विवाद के संदर्भ को लेकर कभी-कभी तनावपूर्ण वातावरण में गम्भीर दुर्घटनाएं भी घटित हो गयी है। जैसे कि जब भारतीय सीमा सुरक्षा बल का एक दल अपने महानिदेशक के साथ मेघालय सीमा पर निरीक्षण कर रहा था, उस समय भारतीय अर्द्ध सैनिक बल पर अकारण ही गोलियों की बौछार की गयी जिसमें श्री अश्वनी कुमार अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मेघालय सीमा क्षेत्र में बांगलादेश की ओर से की गयी गोली बारी की जाँच कर रहे थे। भारत सरकार ने एक समाचार विज्ञप्ति में बताया कि अश्वनी कुमार और उनके दल के लोगों पर उस समय गोलियाँ चलायी गयी जब कि वे लोग अपनी सीमा क्षेत्र में थे। इस पर बंगला देश के उच्चायुक्त के यहाँ गहरी प्रतिक्रिया व्यक्त की गयी और भारत सरकार की ओर से प्रतिरोध भी दर्ज कराया गया। भारत सरकार ने आग्रह किया कि इस घटना की तत्काल जाँच की जाय और अपराधी लोगों को पकड़ कर दंडित किया जाय।[2]

बांगलादेश सरकार से यह निवेदन किया गया कि इस प्रकार के उपाय किये जांय, जिससे भविष्य में इस प्रकार की दुर्घटना न हो सके क्योंकि सीमा पर तभी शान्ति कायम रह सकती है और दोनों देशों के बीच मैत्री और सदभावना रह सकेगी।[3]

भारत सरकार ने 20 अप्रैल को गैरो हिल्स क्षेत्र में दूसरी सीमा पर होने वाली घटना के सम्बन्ध में 21 अप्रैल को दूसरा विरोध पत्र दिया। भारत सरकार ने एक समाचार विज्ञप्ति में इतना ही कहा कि दोनों ओर से लोग इस घटना में हताहत हुए, लेकिन कोई विस्तृत जानकारी नहीं दी गयी।

---

1-एशियन रिकार्डर (मई 28, जून 3) 1979 पेज 14903 वाल्यूम 25 नं0 22
2- एशियन रिकार्डर (मई 20-26) 1976 पेज 13168 कालम 1
3- वही

भारत सरकार ने बांगलादेश से तत्काल और प्रभावी कदम उठाने के लिए कहा जिससे सीमा पार होने वाली इन अप्रिय घटनाओं को रोका जा सके और इस बात पर अफशोस जाहिर किया गया कि यह घटनाएं उस समय हो रही हैं, जबकि दोनों देशों के बीच कूटनीतिक विचारों का आदान-प्रदान सम्बन्धों को मजबूत बनाने के लिए किये जा रहे हैं।

समाचार विज्ञप्ति का मूलरूप इस प्रकार है-[1]

भारत सरकार ने बांगलादेश उच्चायुक्त को जो कड़ा विरोध पत्र 19, अप्रैल 1986 को भारत-बांगलादेश सीमा पर होने वाली घटना के सम्बन्ध में दिया था, आज पुनः भारत बांगलादेश सीमा पर 20 अप्रैल को 5-30 बजे होने वाली दूसरी घटना के सम्बन्ध में भी पुनः कड़ा आपत्ति पत्र दिया गया। 20 अप्रैल 76 को जब एक भारतीय सीमा सुरक्षा बल निरीक्षण दल गौराहिल्स जिलों के पास (मेघालय) भारतीयसीमा के अन्दर अपनी दैनिक ड्यूटी पर थे। अकस्मात भारी गोलाबारी बांगलादेश सीमा की ओर से होने लगी। पहले तो भारतीय सीमा सुरक्षा बल ने इस अनावश्यक विवाद को टालने का प्रयास किया, लेकिन जब गोलाबारी प्रारम्भ रही तब उन्होंने विवश होकर आत्मरक्षा के लिए गोली चलाने पर बाध्य होना पड़ा। दोनों ओर से की गयी जबाबी गोलाबारी से दोनों पक्षों के लोग हताहत हुए। भारत सरकार ने बांगलादेश सरकार से तत्काल प्रभावी उपाय करने का आग्रह किया जिससे अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर इन हिंसक घटनाओं को रोका जा सके और इस क्षेत्र में अशान्ति के स्थान पर शान्ति स्थापित हो सके। भारत सरकार ने इस घटना पर अफशोस जाहिर किया कि यह घटनाएं उस समय हो रही है जबकि दोनों देशों के बीच विभिन्न मामलों को सुलझाने के लिए दोनों देशों के बीच अच्छे सम्बन्धों में प्रगति करने के लिए आपसी विचार-विमर्श चल रहा है।[2]

सामुद्रिक सीमा निर्धारण के सम्बन्ध में भारत और बांगलादेश के बीच दो दिन की विस्तृत वार्ता आपसी सद्भावना के साथ समाप्त हुयी। दोनों पक्ष

---

1-एशियन रिकार्डर (मई 20-26) 1976 पेज 13168 कालम 1

2-वही।

इस राजनीतिक, कानूनी एवं तकनीकी झंझटों में फंसी हुयी छोटी सी गुत्थी को उत्सुकता के साथ सुलझाने के लिए सहमत हो गये।[1]

बांगलादेश के विदेशमंत्री श्री कमाल हुसैन ने ढाका पहुँचने के पूर्व दोपहर बाद कहा कि दोनों देशों के बीच हुयी लम्बी बार्ता के दौरान दोनों पक्षों ने सीमा निर्धारण की समस्या के शान्तिपूर्ण एवं स्थायी ढंग से निपटाने में विश्वास व्यक्त किया है। यद्यपि पुनः वार्ता की तिथि सुनिश्चित नहीं हुई है, लेकिन भारत के विदेश मंत्री वाई०बी० चव्हान और कमाल हुसैन ने यह कहा कि वे लोग शीघ्र ही इस पेचीदी समस्या के समाधान के लिए निकट भविष्य में मिलेंगें और जिससे सारगर्भित परिणाम सामने आने की सम्भावना है। दोनों देशों ने परस्पर सहयोग से समुद्रतट से खनिज संसाधनों के शोषण के लिए सामूहिक प्रयास करने के लिए भी सहमति व्यक्त की है।[2]

दोनों देशों के प्रतिनिधियों ने वार्तालाप के अन्त में एक संयुक्त बयान जारी करते हुए कहा कि बात-चीत मधुरता एवं एक अच्छे पड़ोसी देशों की तरह सदभावना पूर्ण रही। बात-चीत में पूर्ण गोपनियता रखी गयी। दोनों देशों के राजनायकों के दलों ने केवल इतना कहा कि बात-चीत एक दूसरे के विचारों को समझने के दृष्टिकोण से लाभप्रद रही और भावी विचार-विमर्श के लिए वातावरण तैयार हो चुका है।[3]

भारतीय प्रतिनिधि मण्डल का नेतृत्व भारत के विदेश सचिव श्री जे०एस० मेहता और बांगलादेश के अतिरिक्त सचिव मि० मोहम्मद सिद्दीकी रहमान, बंदरगाह, जहाजरानी एवं आन्तरिक जल यातायात के प्रभारी कर रहे थे।[4]

अधिकारियों के स्तर की बात-चीत को मंत्रीस्तर की वार्ता तक धीरे-धीरे पहुँचा दिया गया। छः दौर की बात-चीत हुयी, लेकिन सामुद्रिक सीमा के निर्धारण की समस्या का समाधान नहीं हो सका। भारत और बांगलादेश के बीच विवादास्पद सामुद्रिक तट क्षेत्र 2000 से 25000 वर्गमील के लगभग है। यह गंगा के

---

1-मारिटिन बाउंड्री इन्डो-बांगला टाल्कस रीच फूटफुल स्टेज-फ्राम जी०के० रेड्डी दि हिन्दू- 25-3-78
3-वही
3-एशियन रिकार्डर अप्रैल 16-22-1978 रजि०नं० 92 वाल्यूम 24 नं० 16-14368
4-दि हिन्दू-मद्रास- 25-3-78

मुहारे पर भारत बांगलादेश समुद्रतट है। बांगलादेश ने सात विदेशी कम्पनियों को समुद्रतट पर तेल का अन्वेषण करने के लिए स्वीकृति दे दी है और एक लम्बी टेढ़ी रेखा खींच दी है। भारत ने इस पर आपत्ति की और एक समानान्तर रेखा के लिए सुझाव दिया जिसमें बांगलादेश को उसके हिस्से से अधिक क्षेत्र प्राप्त होता है।

हुसैन द्वारा धन्यवाद-

दिल्ली हवाई अड्डे पर सम्वाददाताओं से बात चीत करते हुए कमाल हुसैन ने प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी को दोनों देशों के बीच हुयी वार्ता की प्रगति के सम्बन्ध में जानकारी देने हेतु समय के प्रति आभार व्यक्त किया। जब किसी प्रेस रिपोर्टर ने मि० हुसैन से पूछा कि क्या बात-चीत किसी स्तर पर गतिरोध के कारण समाप्त हो गयी है। कमाल हुसैन ने उत्तर देते हुए कहा कि हमारी वार्ता हमेशा ही सद्भावनापूर्ण रही है।[1]

भारत और बांगलादेश के बीच सामुद्रिक सीमा का निर्धारण कोई दुःसाध्य कार्य नही रहा है। दोनों देशों के विशेषज्ञों के द्वारा उपलब्ध तथ्यों के आधार पर सर्वेक्षण जारी है औरसमय-समय पर विचारों का आदान प्रदान भी चल रहा है।[2]

भारत और बांगलादेश सीमा-विवाद सहित सभी समस्याओं का हल द्विपक्षीय बात-चीत के माध्यम से हल करने के लिए सहमत है। 29 सितम्बर 1988 को जनरल इरशाद की भारत यात्रा के समय भारत के प्रधानमंत्री राजीवगांधी से लम्बी बात-चीत हुयी। ढाका रवाना होने से पूर्व जनरल इरशाद ने कहा कि हम कई समस्याओं का संतोषजनक हल ढूंढ सकें है। हमने सहयोग करने का निर्णय लिया है और दोनों देशों को इससे लाभ होगा।

---

1- दि हिन्दू मद्रास- 25-3-78
2- पैट्रियाट- 18 जुलाई 1986
3- नव भारत टाइम्स, 1 अक्टूबर 1988

## अन्य विवाद और उनके समाधान के प्रयास

### तीन-बीघा विवाद

यद्यपि स्थल सीमा समझौता विगत 16 मई, 1974 को भारत और बांगलादेश के शीर्षस्थ नेताओं के बीच सम्पन्न हो चुका था, किन्तु उसका कार्यान्वियन सम्भव नहीं हो सका था। इस सम्बन्ध में दोनों देशों के राजनयकों के बीच कई बार बैठकें भी सम्पन्न हुयी, और यह आशा व्यक्त की गयी थी, कि इस समझौते का शीघ्रता से कार्यान्वियन किया जायेगा, लेकिन फिर भी इन वार्ताओं का परिणाम अधूरा रहा। 1979 मे जब भारत के प्रधानमंत्री श्री मोरार जी देसाई बांगलादेश की राजकीय यात्रा पर गये, उस समय बांगलादेश के राष्ट्रपति जियाउर रहमान से अनेकों द्विपक्षीय मामलों पर वार्ता हुयी। दोनों नेताओं द्वारा एक संयुक्त विज्ञप्ति जारी की गयी, जिसमें कहा गया कि दोनों नेताओं ने 1974 के सीमा समझौते के लागू होने के सम्बन्ध में जो कठिनाइयाँ आ गयी हैं उनके सम्बन्ध में विचार-विमर्श हुआ है और जितनी शीघ्रता से सम्भव होगा इन कठिनाइयों को दूर करने का प्रयास किया जायेगा।[1]

विदेशमंत्री श्री पी०वी० नरसिम्हाराव ने 16 से 18 अगस्त 1980 में बांगलादेश की यात्रा की। अन्त में एक संयुक्त वक्तव्य जारी करके दोनों पक्षों से 1974 के सीमा समझौते को सम्पन्न करने के सम्बन्ध में सहमति व्यक्त की गयी और इसके साथ ही सीमा समझौते के कार्यान्वियन के सम्बन्ध में विस्तृत चर्चा के लिए एक बैठक भी होगी।

दोनों देशों के विदेश मंत्रियों की इस विवाद पर चर्चा होने के लिए एक अन्य बैठक सम्पन्न की गयी। यह बैठक भारत के विदेशमंत्री पी०वी० नरसिम्हाराव और बांगलादेश के विदेशमंत्री प्रोफेसर समसुल हक के बीच 1981 में नई दिल्ली में

---

1- दि टाइम्स आफ इण्डिया, 19 अप्रैल 1979

मानचित्र संख्या - 4. भारत द्वारा बांगलादेश को स्थायी पट्टे पर तीन बीघा गलियारे का नक्शा

सम्पन्न हुयी।[1] दोनों पक्षों ने शीघ्रता से भारत-बांगलादेश सचिव स्तर की वार्ता के कार्यान्वयन के लिए सहमति व्यक्त की। दोनों पक्षों ने अपनी सम्माननीय सरकारों की ओर से सर्वेक्षण अधिकारियों की ओर से तीन बीघा क्षेत्र जो पट्टा होना है। चित्रित नक्शों की स्थिति स्वीकार करने में पूरी सहमति व्यक्त की। इस पर भी सहमत हो गये कि विदेश सचिवों के स्तर की वार्ता अक्टूबर 1981 में सम्पन्न होगी। जिसमें सीमा निर्धारण के सम्बन्ध में उत्पन्न सभी विवादों को सुलझाने का प्रयास होगा। इसी बैठक में तीन-बीघा गलियारे के स्थायी पट्टेके सम्बन्ध में शर्तों और स्थितियों को अन्तिम रूप दिया जायेगा। पट्टे की विचाराधीन शर्तों और दशाओं को अन्तिम रूप देते समय यह आश्वासन भी होगा कि पूर्व की तरह इस क्षेत्र में सभी सुविधायें उपलब्ध रहेंगी।

इसी मामले पर श्री नरसिम्हाराव की 22-23 मई 1982 को बांगलादेश की यात्रा के समय विचार-विमर्श हुआ। लेकिन कोई निर्णय नहीं हो सका। केवल यही तय किया गया कि तीन बीघा के पट्टे के सम्बन्ध में शीघ्र उसकी शर्तों को अन्तिम रूप दे देना चाहिए।

समाधान
------

तीन बीघा के समझौते पर हस्ताक्षर उस समय हुए जब 6-7 अक्टूबर 1982 को बांगलादेश के राष्ट्रपति ले० जनरल इरशाद ने भारत की यात्रा की। एक समझौता जो तीन बीघा गलियारे के स्थायी पट्टे के लिए हुआ जिससे यह ग्राम अंगरपोता इनक्लेब्ज कूच बिहार को बांगलादेश से जोड़ता है। यह स्थल सीमा समझौता 1974 के अनुच्छेद 1, पैरा 14 का अनुशरण करते हुए 7 अक्टूबर 1982 को सम्पन्न हुआ।

दोनों सरकारों ने इस पट्टे की शर्तों को उस क्षेत्र के एक बार सत्यापन के साथ, उस भूमि को शीघ्र से शीघ्र चिन्हित करने पर सहमति व्यक्त की।

---

1- टाइम्स आफ इण्डिया, 8 सितम्बर 1981

सबसे महत्त्वपूर्ण निर्णय तो यह रहा कि समझौता तत्काल प्रभाव से लागू माना जायेगा। भारत द्वारा इसका अनुमोदन करने के पूर्व ही सभी शर्तों को मान्यता दे दी गयी।

भारत में समस्या

यद्यपि भारत ने बांगलादेश के साथ 1974 और 1982 सीमा सम्बन्धी समझौते कर लिये। लेकिन भारतीय जनता को इससे कष्ट हुआ। इनके प्रतिरोध में कलकत्ता उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर दी गयी। इस याचिका के द्वारा समझौते की वैधानिकता को चुनौती दी गयी।

इस लिखित याचिका में कहा गया-

तीन बीघा यह भारतीय क्षेत्र में सीमावर्ती क्षेत्र है। इसकी अपनी एक महत्त्वपूर्ण स्थिति है। यही क्षेत्र भारतीय दक्षिण पूर्व क्षेत्र और दक्षिण पश्चिम क्षेत्र के कूच बिहार जिले को जोड़ने वाला एक मात्र सम्पर्क सूत्र के रूप में है। इसलिए यह आवश्यक है कि सम्पर्क क्षेत्र के रूप में तीन बीघा का यह निर्विहन रहना चाहिए। फिर यह तीन-बीघा की स्थिति सामरिक और भूराजनीतिक दृष्टि से भी महत्त्वपूर्ण है। यह उपर्युक्त क्षेत्र दहग्राम और अंगरपोता के बीच में स्थित है। अतः भारत में बांगलादेश को तीन बीघा का 1974 और 1982 के समझौतों के द्वारा बांगलादेश को एक स्थायी गलियार दे दिया है।

भारत सरकार को संविधान में संशोधन किये बिना भारत के किसी भू-भाग को किसी अन्य देश को सौंपने का अधिकार नहीं है और यह तीन बीघा पर बांगलादेश के लिए स्थायी पट्टा इस भूमि का समर्पण करने के समान ही है।

किन्तु पहली सितम्बर, 1983 को कलकत्ता उच्च न्यायालय ने अपना निर्णय देते हुए कहा कि 1974 और 1982 के समझौतों के कार्यान्वयन के लिए तथा तीन बीघा के पट्टे के सम्बन्ध में संविधान संशोधन की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि इससे भारत की सम्प्रभुता पर किसी प्रकार की चोट नहीं पहुँचती है।

इस समझौतों के बावजूद भारत की तीन बीघा पर प्रभुसत्ता एवं उसका स्वामित्व बना रहेगा।[1]

एक सम्बाददाता सम्मेलन में बांगलादेश के विदेशमंत्री अनसुल इस्लाम महमूद ने एक जबाब के उत्तर में कहा कि भारत और बांगलादेश में तीन बीघा को लेकर कोई मूलभूत असहमति नहीं है, लेकिन भारत के एक न्यायालय में चल रहे मुकदमें की वजह से मामला लम्बित है।[2]

मुहारी नदी भूमि विवाद

1977 के भारत और बांगलादेश के बीच सीमा विवाद पुनः उस समय खड़े हुए, जब भारतीय कृषक सीमा सुरक्षा बल के संरक्षण में लगभग 50 एकड़ मुहारी नदी की नयी मिट्टी पड़ी जमीन की फसल काट रहे थे। यह बैलोनिया क्षेत्र में पड़ता है। यह पूर्वी बांगलादेश और उत्तर पूर्व भारतीय त्रिपुरा राज्य की सीमा में है। विवाद ने उस समय उग्र रूप धारण कर लिया जब 4 नवम्बर 1979 को बांगलादेश राईफिल्स और भारतीय पुलिस बल के बीच दोनों तरफ से गोलियाँ चलाई गयीं।[3]

यद्यपि सीमा सुरक्षा बल और बांगलादेश राईफिल्स के उच्चाधिकारियों की नवम्बर 1979 की एक बैठक में यह तय हो गया था कि इस भूमि पर भारतीय कृषकों का अधिकार होगा[4] लेकिन इस पर भी बांगलादेश के पुलिस बल द्वारा गोलियां चलायी गयी जबकि भारतीय कृषकों का यह स्पष्ट दावा था कि उस भूमि पर उनका अधिकार होना चाहिए। इसी प्रकार बांगलादेश के कृषक अपना दावा पेश करने लगे थे।[5]

---

1- सुगन्धा राय बनाम यनियन आफ इण्डिया एन्ड अदर्स, टगेदर वीथ नीरमल सेन गुप्ता एन्ड एनदर बनाम यूनियन आफ इण्डिया, सुब्रता चैटर्जी बनाम यूनियन आँफ इण्डिया एन्ड अदर्स

2- नव भारत टाइम्स- नयी दिल्ली-27 मार्च 1989

3- दि ट्रिब्यन, नवम्बर 6, 1979-हस्टैग होसियन "बांगलादेश-इण्डिया रिलेशन इशू एन्ड प्राबुलमस -एसियन सर्वे वाल्यूम 21 नं0 11 नवम्बर 1981 पेज 1124

4- टाइम्स आफ इण्डिया 2 नवम्बर 1979

5- वही-इस्लाक हुसैन नं0 79 पेज 1124

8 नवम्बर तक गोलियों का आदान प्रदान होता रहा। बांगलादेश पुलिस बल द्वारा तीन चक्रों में गोलियाँ चलाई गयी, जबकि भारतीय पुलिसबल द्वारा एक चक्र गोलियां चलायी गयीं।[1] इसी घटना के सन्दर्भ में बांगलादेश राइफिल्स और सीमा सुरक्षा बल के अधिकारियों में 11 नवम्बर 1979 को केमिला में बात-चीत हुयी, लेकिन इसका कोई ठोस परिणाम नहीं निकला। वार्ता बंगलादेश अधिकारियों के कड़े रूख के कारण असफल रही क्योंकि वे भारतीय क्षेत्र पर अपने दावे को प्रस्तुत कर रहे थे, लेकिन दूसरी ओर बांगलादेश सरकार ने वार्ता की विफलता के लिए भारतीय अधिकारियों के असंगत एवं कड़े रूख के लिए दोषी ठहराया।[2]

दूसरे चक्र की बात-चीत 19 नवम्बर 1979 में मंत्रीस्तर पर ढाका में कछार भूमि की फसल पर उत्पन्न विवाद को हल करने के लिए सम्पन्न हुयी। दोनों देशों के बीच आपसी समझदारी की बात-चीत हुयी जिससे सीमा पर होने वाली घटनाओं को रोका जा सके।[3]

मुहारी कछार भूमि वार्ता 12 दिसम्बर 1979 को बांगलादेश के पाँच सदस्यीय प्रतिनिधि मण्डल और भारतीय अधिकारियों के बीच हुयी। दोनों देशों ने त्रिपुरा सीमा पर गोली बारी से उत्पन्न तनावपूर्ण स्थिति को समाप्त करने का प्रयास किया।[4] किन्तु बिना किसी नतीजे के वार्ता समाप्त हो गयी क्योंकि मुहारी कछार भूमि मानवरहित भूमि घोषित होनी चाहिए। अपनी मांग के साथ उन्होने इस बात पर भी दबाव दिया कि भारतीय सीमा की ओर ही बांगलादेश राइफिल्स और सीमा सुरक्षा बल द्वारा संयुक्त रूप से निरीक्षण का कार्य होना चाहिए। बांगलादेश की ओर नहीं।[5] बांगलादेश की इस मांग से स्पष्ट हो गया कि वे लोग अपनी मांग पर स्पष्ट नहीं है।

---

1- दि ट्रिब्यन- 10 नवम्बर 1979
2- दि स्टेट्समैन नवम्बर 13, 1979
3- वही-20 नवम्बर 1979
4- दि ट्रिब्यन- 14 दिसम्बर 1979
5- वही, 17 दिसम्बर 1979

अप्रैल के महीने में दोनों देशों के बीच सीमा पर गोली पुन: चलने से तनाव बढ़ गया । तनाव 60.8 एकड़ विवादास्पद मुहारी छारलैंन्ड जमीन पर ही था । यह उत्तेजना उस समय भड़क उठी जब भारतीय सीमा की ओर मुहारी नदी पर बाँध बनने का काम शुरू हो गया । सीमा सुरक्षा बल के अधिकारियों के अनुसार कृषकों पर तेजधारदार हथियारों से उन पर आक्रमण कर दिया और तत्काल ही बांगलादेश राइफल्स ने गोली चलानी प्रारम्भ कर दी । दोनों सैन्य बलों के बीच रात्रि तक गोली चलती रही ।[1]

एक सप्ताह से अधिक तनाव रहा । दोनों देशों के सुरक्षा बलों के बीच कर्मचारियों के बीच कई बैठके हुयी । अन्त में दोनों सुरक्षा बलों के जवान अपनी-अपनी सुरक्षा स्थिति पर पहुंच गये ।[2]

**बांगलादेश के सीमा सुरक्षा बलों द्वारा भारतीय कृषकों पर पुन: गोलीबारी :**

बांगलादेश राइफल्स के सिपाहियों ने त्रिपुरा में पुन: बोलोनिया के कहार क्षेत्र में भारतीय कृषकों पर गोलिया चलाई । यह उनका दूसरा अभियान था । लगभग 15 बांगलादेश के नागरिक भारतीय क्षेत्र में घुस आये और भारतीय कृषकों की फसल काटने का प्रयास किया । जब भारतीय सीमा सुरक्षा बलों के जवानों ने चेतावनी दी तब वे सभी नागरिक अपने देश की सीमा की ओर भाग खड़े हुये । बांगलादेश इस मुहारी क्षेत्र की छार भूमि पर समझौता भारत के पक्ष में उस समय हो गया था जब शेख मुजीब बांगलादेश के राष्ट्रपति थे ।[3]

बांगलादेश सरकार ने सीमा सुरक्षा बल पर यह आरोप लगाया कि उसने बांगलादेश के 18 नागरिकों को गुरूवार को गोलियों से उड़ा दिया । भारत सरकार ने बांगलादेश के इस आरोप को मनगढ़न्त एवं झूठा करार कर दिया ।[4]

---

1- इंडियन एक्सप्रेस, 14 अप्रैल, 1986
2- द ट्रिब्यन, 28 अप्रैल, 1986
3- टाइम्स आफ इंडिया, (दिल्ली), 6 नवम्बर, 1980
4- हिन्दुस्तान टाइम्स, 27 सितम्बर, 1981.

## टीस्टा, गुमटी , खावाई और अन्य सीमा नदियों से सम्बन्धित विवाद

भारत और बांगलादेश के बीच केवल गंगा-जल वितरण का ही मामला नही है, वरन, टीस्टा, गोमटी, खोवाई एवं अन्य सीमावर्ती नदियों के विषय में भी बात-चीत चल रही है। भारत-बाँगलादेश के बीच जून 1972 में संयुक्त नदी आयोग दोनों देशों से बहने वाली नदियों के व्यापक सर्वेक्षण के लिए गठित किया गया था, जिससे दोनों देशों से सम्बन्धित, प्रमुख नदियों के प्रयोग के लिए बाढ़ के नियंत्रण, सिंचाई परियोजनाएं बनायी जा सकें। उत्तर और पूर्व की नदियों पर जल भण्डारण के लिए बांध की सम्भावनाओं का पता लगाया जा सके, शीत काल के लिए इस क्षेत्र में विद्युत की आपूर्ति का प्रबन्ध हो सके।[1]

### टीस्टा नदी

टीस्टा नदी जल विभाजन के सम्बन्ध में बात-चीत गंगा जल वितरण की तरह 1950 से चल रही है और अब भी निर्णय के लिए है। टीस्टा नदी हिमालय से निकलती है। यह सिक्किम और उत्तरी असम से बांगलादेश में गिरती है। इस प्रकार भारत और बांगलादेश से टीस्टा नदी सम्बन्धित है। बांगलादेश में कुछ दूरी तक बहने के बाद यह ब्रह्मपुत्र नदी से मिल जाती है। इस प्रकार नदी टीस्टा बांगलादेश के उत्तरी हिस्से का पोषण करती है। जल नदी आयोग की 22वीं बैठक में टीस्टा समस्या पर बात-चीत काफी लम्बी समय तक हुयी लेकिन दोनों देश एक सहमति पर नहीं पहुँच सके। ले0 जनरल एच0एम0 इरशाद ने 6, 7 अक्टूबर 1982 को भारत की राजकीय यात्रा की। प्रधानमंत्री श्रीमती गाँधी और राष्ट्रपति इरशाद ने संयुक्त नदी आयोग की 22वीं बैठक की उपलब्धि पर सन्तोष व्यक्त किया। इस सम्बन्ध में यह निश्चित किया गया[2] कि 36 प्रतिशत टीस्टा का जल बांगलादेश प्रयोग करेगा 39 प्रतिशत भारत जबकि 25 प्रतिशत शेष जल अविभाजित

---

1-एनुअल रिपोर्ट- सर्वे 1973-74 इन्डो बांगलादेश-ज्वाइंट रीवर कमीशन।

2-ज्वाइंट प्रेस रिलीज इश्यूड एट दि इन्ड आफ ट्वेन्टी फीफ्थ मीटिंग आफ इन्डो बांगलादेश ज्वाइंट रीवर्स कमीशन आन ढाका जुलाई 20, 1983

रहेगा। इस जल का अस्थायी वितरण और शेष अविभाजित जल के विषय में एक वैज्ञानिक अध्ययन के बाद इसे पूरा किया जायेगा। यह तदर्थ जल वितरण की व्यवस्था 1985 के अन्त तक रहेगी।

पाँचवीं सचिव स्तर की बैठक[1] ढांका में 12 मार्च 1985 को दोनों देशों के बीच हुयी जिसमें जल के वितरण के सम्बन्ध में अभिलेख पत्रों को अन्तिम रूप दे दिया गया और टीस्टा के जल वितरण के वैज्ञानिक अध्ययन को भी अन्तिम रूप दे दिया गया।

खावाई नदी

नदी खावाई भारत (त्रिपुरा) और बांगलादेश के बीच कुछ लम्बाई के लिए सीमा बनाती है। खोवाई त्रिपुरा का एक महत्वपूर्ण कस्बा है। यह नदी दोनों तटों पर काफी कटाव कर रही है। इस क्षेत्र में इस कटाव को रोकने के लिए उचित कदम उठाने की आवश्यकता है। संयुक्त नदी आयोग ने 1972 के वर्ष में ही इस कटाव को रोकने के लिए उचित उपायों को खोजने के लिए एक अध्ययन दल कठित किया और जो इस क्षेत्र की समस्या का दीर्घकालीन समाधान करने के लिए अध्ययनरत था। 1973 में आयोग ने स्वयं त्रिपुरा का दौरा किया। इस सर्वेक्षण के बाद जनवरी 1974 में दोनों देशों के अभियन्ताओं की बैठक अगरतला में एक योजना को कार्यरूप देने के लिए हुयी।

खावाई नदी समस्या के समाधान के लिए अनेकों बार बात-चीत हुयी, लेकिन कोई भी समाधान नही निकल सका।

गुमटी, मुहरी और अन्य सीमावर्ती नदियाँ

यह भारत और बांगलादेश दोनों के हित में है कि परस्पर सहयोग और समझदारी के वातावरण में विवादास्पद समस्याओं का समाधान कर लेना चाहिए। मुहरी नदी त्रिपुरा और बांगलादेश के बीच सीमा बनाती है। यह नदी बारम्बार

---

1-इन्डो-बांगलादेश रिपोर्ट आन टीस्टा वाटर फाइनलाइस्ड- दि नार्दन इण्डिया पत्रिका मार्च 14, 1985 पेज 7

अपने जल प्रवाह को बदल रही है। बाढ़ को रोकने के लिए भारत की ओर टीले बनाये गये हैं। बांगलादेश के अधिकारियों ने इसका प्रतिरोध किया है। उन अधिकारियों का कहना है कि इन रूकावटों से बांगलादेश की ओर नदी तट पर कटाव करती है।

भारत-बांगलादेश सीमा पर कटीले तारों की बाढ़ लगाने के सम्बन्ध में विवाद

भारत सरकार ने बांगलादेश की सीमा पार करके आने वाले अप्रवासियों, (घुसपैठियों) सीमा पर होने वाले विभिन्न अपराधों जैसे नशीले पदार्थों, दवाओ, कपड़ो, विभिन्न प्रकार के सामानों की तस्करी, स्त्रियों के देह विक्रय जैसे अपराधों को रोकने के लिए कटीले तारों की बाढ़ लगाने का निर्णय लिया। जिससे देश में आन्तरिक एवं बाह्य रूप से शान्ति-व्यवस्था रह सके।

बांगलादेश की सीमा से लगने वाले भारतीय राज्यों में पिछले कई वर्षों से भारी मात्रा में शरणार्थियों के प्रवेश कर जाने से पिछले कुछ ही वर्षों में सीमावर्ती जिलों में जनसंख्या में 100 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुयी है। हालांकि बांगलादेश के 1971 में अस्तित्व में आने के बाद से शरणार्थियों के प्रवेश के सम्बन्ध में बांगलादेश के शासकों का ध्यान कई बार खींचा गया, लेकिन वास्तविकता यही है कि उनका प्रवेश लगातार जारी है। स्वयं असम आन्दोलन की जिस विराट समस्या से भारत को आज भी जूझना पड़ रहा है उसकी पैदाइस इन्ही विदेशी आगन्तुकों के कारण से हुयी है। त्रिपुरा में भी यही स्थिति है।

इस समस्या के समाधान के लिए भारत-बांगलादेश सीमा पर तिहरे कटीले तारों की बाड़ लगाने का प्रस्ताव रखा गया। इस 32000 किलोमीटर की बाडबंदी के लिए केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग को नाके बंदी को पूरा करने में लगभग 5 साल का समय और इस पर 500,000 टन लोहे के तारों की जरूरत का अनुमान लगाया गया। कुल लागत 550 करोड़ रूपये बताये गये।[1]

---

1-दिनमान पत्रिका 13-19 जुलाई, 1984

भारत- बांगलादेश सीमा पर प्रस्तावित
तारों की बाड़ का नमूना
पुलिस निरीक्षण
चौकी
सीमा निरीक्षण सड़क
30 फीट चौड़ा क्षेत्र
15 मी. ऊँची सघन कटीले
तारों की बाड़
भारत- बांगलादेश सीमा

मानचित्र संख्या 5.

किन्तु जब भी भारत के विदेशमंत्री मि0 नरसिम्हाराव ने बांगलादेश की यात्रा के समय ढाका में जब इस बाड़े बंदी की बात की थी उस समय न तो जनरल इरशाद ने और न ही वहाँ के पत्रकारों ने इस सम्बन्ध में कोई प्रतिक्रिया की थी। जनरल इरशाद ने ढाका में स्पष्ट कर दिया था कि शरणार्थियों के प्रतिरोध के लिए भारत को अपनी सरहद के भीतर जमीन पर बाड लगाने की पूरी स्वतन्त्रता है। यह गंगा के पानी की तरह कोई दो तरफा मालवा नहीं है। लेकिन, अचानक 1983 के मध्य में जनरल इरशाद ने घोषणा कर दी कि भारत-बाँगलादेश को एक बाड़े के भीतर बन्द करने की कोशिश कर रहा है और किसी भी कीमत पर ऐसा नहीं होने दिया जायेगा।[1]

दूसरी तरफ भारत के विदेश मंत्री मि0 राव ने संसद में दो टूक लहजे में विरोधी समस्या को बताया कि सरहद की बाडे बंदी हमारे देश का अन्दरूनी मामला है। हम इस मामले पर बांगलादेश से कोई सलाह मशाविरा करके इसे द्विपक्षीय मामला नहीं बनाना चाहते।[2]

बांगलादेश के विदेशमंत्री के सलाहकार श्री हुमायूँ रसीद ने भारत के सीमा पर तारों के प्रस्ताव की आलोचना करते हुए कहा कि यदि भारत ने हमारे स्वाधीनता आन्दोलन में सहयोग किया है, लेकिन यह संघर्ष तो इतिहास की एक माँग और वास्तविकता थी। मेरी समझ में यह ठीक प्रकार से नहीं आ रहा है कि सीमा पर कटीले तारों की क्या आवश्यकता है।[3]

लेकिन अब बाँगलादेश सरकार ने वास्तविकता को स्वीकार करते हुए अन्तर्राष्ट्रीय नियमों के अन्तर्गत तारों की बाढ़ का कार्य करने की इच्छा व्यक्त की है लेकिन उसकी मंशा है कि यह तारों की बाढ़ भारत को अपनी भूमि पर लगानी चाहिए। यह भारत-बाँगलादेश सीमा से दूर होनी चाहिए।[4]

---

1-दिनमान पत्रिका 13-19 जुलाई 1984
2-वही
3-वही
4-हिन्दुस्तान टाइम्स, 20 अगस्त 1983

जबकि अखिल असम छात्रसंघ के आन्दोलन के समझौते के समय केन्द्र एवं राज्य सरकार ने बांगलादेश से लगी सीमा पर शरणार्थियों के निरन्तर आगमन के लिए तारों की बाड़ लगाने का आश्वासन दिया था। किन्तु वह कार्य अभी तक पूरा नहीं हो सका है। असम के मुख्यमंत्री प्रफुल्लमहंत ने भारत सरकार पर आरोप लगाया है कि असम-बांगलादेश सीमा पर तारों की बाड लगाने के लिए वह उदासीन है। उन्होने आगे कहा कि मुझे खेद है कि असम समझौते की रफतार बहुत धीमी है, किन्तु तारों की बाड़ लगाने के कार्य में सबसे बड़ी बाधा है[1]। बांगलादेश सरकार की हठवादिता जबकि भारत सरकार अपनी सीमा के अन्दर ही यह बाड़बंदी का कार्यक्रम बनाये हुए है।

किन्तु अब दोनों देशों के नेताओं ने सीमा सम्बन्धी समस्याओं के समाधान के लिए नये सिरे से प्रयास करने आरम्भ कर दिये हैं जिससे दोनों देशों के बीच सामान्य सम्बन्ध स्थापित हो सके। इसी सम्बन्ध में भारत-बांगलादेश सीमा समन्वय समिति का 5 दिन का सम्मेलन गुवाहाटी में शुरू हुआ इसमें सीमा सुरक्षा बल के और बांगलादेश रायफल के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं।

सम्मेलन में कांटेदार तार लगाने, खम्भे लगाने और असम, मेघालय, त्रिपुरा तथा मिजोरम क्षेत्र में सीमावर्ती अपराधों को रोकने सम्बन्धी अनेक मुददों पर विचार-विमर्श किया जायेगा। बांगलादेश राइफल के शिष्ट मण्डल सीमा सुरक्षा बल के शिष्ट मण्डल का नेतृत्व त्रिपुरा क्षेत्र के महानिदेशक मि0 नेमरामसिंह कर रहे हैं।[2]

---

1- नव भारत टाइम्स-नयी दिल्ली 8 फरवरी 1989
2- दैनिक कर्मयोग प्रकाश- उरई-23 अगस्त 1989

# पंचम परिच्छेद

## भारतीय उपमहाद्वीप में अन्तर्राष्ट्रीय राजनैतिक समीक

## भारतीय उपमहाद्वीप में अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक समीकरण

### 1- विश्व की महाशक्तियाँ अमरीका-रूस की राजनीतिक महत्वाकांक्षाएँ

अमरीका

इतिहास अधिक समय तक शासकों के बन्धन में रहना स्वीकार नहीं करता है यही कारण है कि शासकों की योजनाओं के विरूद्ध भी राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में नये-नये राजनीतिक समीकरण बनते और बिगड़ते रहते हैं। अंग्रेजों ने भारत उपमहाद्वीप पर लगभग एक शताब्दी से अधिक समय तक फूट डालो शासन करों की नीति को अपना कर भविष्य में भी अपना वर्चस्व बनाये रखने की योजना बनायी होगी और इसी आधार पर 1947 में भारी कटुता और दुश्मनी के साथ भारत का विभाजन हुआ। अंग्रेजों की आन्तरिक सहानुभूति पाकिस्तान के साथ थी, जिससे इस महाद्वीप में भारत के खिलाफ एक शक्ति सन्तुलन बना रहे। किन्तु द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व राजनीति का घटना चक्र बड़ी तेजी से विपरीत दिशा की ओर घूमने लगा। अतीत की महाशक्तियों में विश्व के विभिन्न देशों पर भिन्न-भिन्न प्रकार से अपना -अपना प्रभाव विस्तार करने की प्रतिस्पर्धा आरम्भ हो गयी। समय की कुछ गति बीतने के पश्चात साम्यवादी चीन भी सोवियत संघ जैसे अपने मित्र का साथ छोड़कर एक नयी आणविक शक्ति बनकर महाशक्तियों की प्रतिस्पर्धा में एक और प्रतियोगी बन गया।

अमरीका एवं रूस जैसी महाशक्तियों की महत्वाकांक्षाओं के केन्द्रबिन्दु मुख्य रूप से एशिया के वही विकासशील देश रहे हैं, जिनको अभी हाल में ही उपनिवेशवाद से मुक्ति मिली थी और इस शक्ति शून्यता का लाभ उठाकर इन महाशक्तियों में एक नये साम्राज्यवाद के रूप में अपना-अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए होड़ लग गयी। फिर भारत उपमहाद्वीप तो पूर्व मध्यकाल से विदेशी शक्तियों के आकर्षण का केन्द्र रहा है और उप निवेषवाद से मुक्ति मिलने पर भी

वह विदेशी महाशक्तियों की महत्वाकांक्षाओं और उनके हस्तक्षेप से मुक्ति पाने में सफल नहीं हो सका है ।

भारतीय उपमहाद्वीप में जहां तक संयुक्त राज्य अमरीका की महत्वाकांक्षाओं और नीतियों का सवाल है, वे बहुत कुछ पश्चिमी देशों की सामरिक आवश्यकताओं और ब्रिटिश शासकों के अनुभव और सलाह पर आधारित रही है, क्योंकि द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद अमरीका उन सबका नेता बन गया था । भारत के स्वतन्त्र होने के पश्चात प्रारम्भ से ही अमरीका ने बड़ी सावधानी से अंग्रेजों की उच्चोकोटि की बौद्धिक क्षमता को स्वीकार करते हुये भारतीय उपमहाद्वीप में उसकी ही नीतियों पर चलने का फैसला ले लिया था ।

जे०ए० नायक का मत हैं कि अमरीका तो सम्पूर्ण एशिया में एक नये साम्राज्यवादी नीति का अनुसरण कर रहा है और उसने हमेशा इस क्षेत्र में शक्ति शून्यता को भरने का प्रयास किया है । वह भारत उपमहाद्वीप देशों में अपने व्यापक आर्थिक संसाधनों का उपयोग करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करने का सदैव से प्रयत्नशील रहा है ।[1]

लेकिन भारत ने अमरीका की इन नीतियों का प्राय: विरोध किया है, जिससे भारत-अमरीका सम्बन्ध कभी भी मधुर नहीं बन सके हैं । जबकि पाकिस्तान द्वारा पश्चिमी देशों की सैनिक गुटबन्दियों में प्रवेश करने और संयुक्त राज्य अमरीका के सैनिक प्रावधानों को स्वीकार करने से अमरीका ने पाकिस्तान का समर्थन करने का निश्चय कर लिया । अमरीका द्वारा पाकिस्तान को दी जाने वाली सैनिक सहायता के संदर्भ में भारत ने हमेशा ही कड़ा विरोध प्रकट किया कि पाकिस्तान इन अस्त्रों का प्रयोग चीन अथवा सोवियत संघ के विरुद्ध प्रयोग न करके वह केवल भारत के विरोध में ही दगेगा, किन्तु भारत के इन तर्कों

---

1- जे०ए०नायक, इंडिया, रशिया, चाइना एण्ड बंगलादेश, एस०चन्द एण्ड कम्पनी एण्ड प्राइवेट लि०, न्यू देलही 1972- पेज 106.

में अमरीकी नीति में कभी भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ, क्योंकि भारतीय उपमहाद्वीप में अमरीका अपनी अभिरूचियों एवं सामरिक महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति हेतु पाकिस्तान को सशक्त बनाने के लिये बाध्य हो गया । वह पाकिस्तान से अपने सम्बन्धों में कमी करने के लिये कभी तैयार नहीं हुआ । पाकिस्तान से उसकी मित्रता मुख्य दो उद्देश्य पूरे करती हैं ।[1]

पहला, अमरीका के लिये पाकिस्तान दक्षिण एशिया में एक उपयोगी और मजबूत पैरदान के रूप में मिल गया क्योंकि इससे वह अपनी सैनिक गुटबन्दी की सामरिक प्रक्रिया के ताने-बाने को मुख्यरूप से मध्यपूर्व और उससे दक्षिण पूर्व एशिया तक बढ़ा सकता है इससे चीन और रूस के उपर हवाई हमले के लिए उसे यहां पर हवाई पट्टी के रूप में इसका प्रयोग करके वह अपनी सामरिक अभिलाषाओं की पूर्ति कर सकता है ।

दूसरा, स्वाधीनता के बाद भारत द्वारा पश्चिमी देशों की सैनिक गुट बन्दियों का सदस्य न बनने और उसके अड़ियलपन के विरूद्ध एक लाभप्रद सन्तुलन बनाया रखा जा सके । भारत की स्वाधीनता और विभाजन के कई वर्षों बाद तक अमरीकी प्रशासन का एक ठोस अनुभव था कि अंग्रेजों को भारत पाक उपमहाद्वीप के बारे में श्रेष्ठ कूटनीतिक अनुभव प्राप्त हैं, इसलिये उन्होने अंग्रेजों की सलाह और नीतियों पर चलने का निर्णय लिया । ब्रिटिश और अमरीका की सरकारें इस उपमहाद्वीप में शतरंज की ऐसी कूटनीतिक चालें चलती रही जिससे भारत मात खाता रहे और पाकिस्तान का एक उपयोगी सन्तुलन के रूप में उसके विरूद्ध उपयोग किया जा सके ।[2] अमरीका की यही नीति दोनों देशों के बीच तनाव का कारण बन गयी ।

---

1- दत्ता, बी०पी० इंडिया"स फारेन पालिसी पेज 76-77

2- इबिड

अमरीकी कूटनीति को उस समय भारी ठेस पहुंची जब भारत ने अगस्त 1971 में सोवियत संघ के साथ मित्रता, शान्ति और परस्पर सहयोग के लिये एक 20 वर्षीय सन्धि पर हस्ताक्षर करके भारतीय उपमहाद्वीप के राजनीतिक समीकरण को स्पष्ट रूप से बदल दिया तथा भारत सोवियत संघ के सक्रिय सहयोग से दक्षिण ऐशिया में बंगलादेश का एक सार्वभौमिक राष्ट्र के रूप में अभ्युदय हो गया । अमरीका प्रशासन के लिये दक्षिण ऐशिया के भारत उपमहाद्वीप में उसकी सबसे बड़ी कूटनीतिक पराजय थी । अतः उसने एशिया में अपने प्रभाव को बनाये रखने के उद्देश्य से पाकिस्तान को और अधिक सशक्त बनाने का निर्णय लिया, क्योंकि अमरीका के राजनीतिक प्रेक्षकों को यह विश्वास हो गया कि सोवियत संघ भारत की स्वीकृति से भारत में सैनिक और नाविक सामरिक आधार बना चुका है ।[1]

अमरीका, 1971 के भारत-पाक युद्ध के बाद भारत की बढ़ती हुयी राजनीतिक हैसियत से सशंकित हो गया क्योंकि वह यह अनुभव करने लगा कि अब दक्षिण एशिया में सोवियत संघ का प्रभाव क्षेत्र बढ़ेगा । अतः राष्ट्रपति निक्सन ने कांग्रेस के राजकीय वार्षिक दिवस सन्देश में 3 मई को यह संकेत दिया कि अमरीका भारत से यह आशा करता है " कि वह दक्षिण एशिया के छोटे-छोटे देशों के साथ इस क्षेत्र में शान्ति बनाये रखने के लिये संयम का प्रयोग करेगा" यू0एस0राष्ट्रपति ने कहा कि "अमरीका भारत को एक प्रमुख शक्ति के रूप में मानता है- उन्होने आगे कहा, " हम भारत को उसके नये स्वरूप और जिम्मेदारियों के तहत बराबरी के साथ व्यवहार करने को तैयार है, किन्तु भारत

---

1- शर्मा, श्री राम, बंगलादेश क्रिसिस एण्ड इंडियन फारेन पालिसी (यंग एशिया, पब्लि0 नयू दिल्ली) पेज

सहित सभी महाशक्तियों को प्रतिबद्धता एवं संयम के साथ अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह करने की आवश्यकता है । वाशिंगटन यह भी चाहता है कि भारत को अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में अपनी प्रतिबन्धता का निर्वाह करना चाहिये । अमरीका के राष्ट्रपति निक्सन ने कहा, " हमारी यह स्वाभाविक रूचि है कि भारत को प्रमुख देशों के साथ इस प्रकार की अपवर्ती सन्धियों में नहीं फंसना चाहिये जो हमारे और हमारे उन मित्र देशों के विरूद्ध हो जिनसे हमारे मूल्यवान एवं घनिष्ठ सम्बन्ध है उन्होने आगे कहा कि दक्षिण एशिया और इस क्षेत्र के बाहर के देशों के साथ सम्बन्ध इस उपमहाद्वीप में शक्ति और स्वाधीनता को स्थिर करने के उद्देश्य से होना चाहिये । अमरीका के राष्ट्रपति ने चेतावनी दी कि यदि कोई बाहरी ताकत इस क्षेत्र में केवल अपना एक मात्र प्रभुत्व स्थापित करना चाहती है, तो इसका प्रतिरोध किया जायेगा ।"[1]

किन्तु अमरीका द्वारा भारतीय उपमहाद्वीप में प्रयोग की जा रही नीतियों का भारत सरकार ने खुलकर विरोध किया क्योंकि उसकी कूटनीतिक महत्त्वाकांक्षाओं के कारण इस क्षेत्र में सैनिक संसाधनों में वृद्धि करने से प्रतिस्पर्धा खड़ी हो गयी । प्रधानमन्त्री श्रीमती गांधी ने राज्यसभामेंअमरीका द्वारा भारतीय उपमहाद्वीप में प्रयोग की जा रही नीतियों पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुये कहा कि, " उसके कार्य पुराने घावों को पुन: खोलना है और वह भारत और पाकिस्तान के बीच सम्बन्धों को सामान्य बनाने और घावों को भरने में रूकावटे पैदा कर रहा है" उन्होने आगे कहा कि यह तर्क तो पूर्णत: कूटनीतिक छद्म से भरा है अमरीका द्वारा पाकिस्तान को हथियारों की आपूर्ति इसलिये आवश्यक है क्योंकि भारत अपनी सुरक्षा सम्बन्धी उद्योगों में आत्म निर्भर होकर विकास कर रहा है ।[2]

---

1- दत्ता, वी०पी० इंडिया"स फारेन पालिसी, पेज 89

2- हिन्दुस्तान टाइम्स, 27 फरवरी, 1975.

वाई0 बी0 चह्वाण ने राज्यसभा में अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुये कहा कि," यदि अमरीका विश्वशान्ति चाहता है तो उसके लिये यह रास्ता नहीं है यह तो वह स्वयं धोखा दे रहा है अथवा वह हमको धोखा दे रहा है उसका यह निर्णय निश्चित ही दुर्बुद्धि का द्योतक है ।"[1]

अमरीकी प्रशासन के सामने भारत उपमहाद्वीप में साम्यवादी रूस और चीन राजनीतिक एवं सामरिक अभिलाषाओं के कारण हमेशा से ही एक बहुत बड़ी चुनौती रहा है क्योंकि पाकिस्तान और भारत की सीमाऐं मिली हुयी हैं, काश्मीर का विवाद इन दोनों देशों के बीच आज की एक जीवित समस्या के रूप में बना हुआ है, वहीं पर साम्यवादी चीन और भारत की विवादास्पद सीमाऐं लगी हुयी है । तथा इसी प्रकार साम्यवादी रूस औरचीन में भी सीमा विवाद कभी-कभी पराकाष्ठा पर पहुंचे हैं । अत: भू-राजनीतिक परिस्थितियों ने इन सभी देशों को एक दूसरे की सामरिक महत्वाकांक्षाओं और सुरक्षात्मक परिस्थितियों पर दृष्टिपात रखने के लिये विवश कर दिया है । फिर संयुक्त राज्य अमरीका साम्यवादी रूस और चीन को इस क्षेत्र में खुली छूट कैसे दे सकता है । इसलिये अमरीका के सामरिक विशेषज्ञों की दृष्टि में इस्लामाबाद शासनतन्त्र पश्चिमी देशों के राजनीतिक सम्बन्धों की श्रृंखला में एक प्राणभूत कड़ी बन गया है । जो ग्रीस से लेकर दक्षिण पूर्व एशिया तक सोवियत यूनियत तथा चीन की घेराबन्दी में सहायक सिद्ध हो सकता है, तभी तो अमरीका की सरकार ने पाकिस्तान की अत्यधिक आधुनिक हथियारों की आपूर्ति का संकल्प लिया है । जिससे पाकिस्तान चीनी अथवा रूसी सहायता के आश्रित न हो सकें ।[2]

---

1:- टाइम्स आफ इंडिया मार्च, 1975

2:- सेठी, जे0डी0 - यू0एस0ए0 आर्म्ड पाकिस्तानटू फाइट इंडिया- मदरलैंड 18 दिस01971

यद्यपि अमरीकी प्रशासन इस्लामाबाद की कभी-कभी अमरीकी नीतियों के विरूद्ध कूटनीतिक चालों को भांप भी लेता है उदाहरण के लिये अमरीकी प्रशासन यह अच्छी तरह समय गया हैं कि पाकिस्तान अमरीका को धोखा देकर आणविक शक्ति बनने में लगा है, किन्तु फिर भी वह अन्तर्राष्ट्रीय जगह में पाकिस्तान की खुलकर आलोचना नहीं कर सकता है । क्योंकि उसे भय है कि कहीं वह चीन के हाथों में न पहुंच जाये ।[1]

यही कारण था कि राष्ट्रपति निक्सन बंगलादेश स्वाधीनता संग्राम के समय तथा बाद में भी पाकिस्तान को निरन्तर सहायता देने के पक्ष में थे, क्योंकि वह यह नहीं भूले थे कि 1960 में पाकिस्तान ने पेशावर हवाई अड्डे से यू 2 की उड़ानों की आज्ञा देकर सोवियत संघ की गुप्तचरी करने की छूट दे दी थी । उधर दूसरी ओर भारत और साम्यवादी रूस के बीच बढ़ते सम्बन्धों ने श्री निक्सन के स्वभाव में भारत के प्रति बैर-भाव उत्पन्न कर दिया था, इससे यह भी अनुभव होता है कि श्री निक्सन प्रशासन बंगलादेश संकट को वियतनाम युद्ध की तरह परिवर्तित करना चाहता था[2] जिससे भारत इस दल-दल में फंसकर नष्टप्राय हो जाय निक्सन बंगलादेश संकट के समय अपने दोहरे उद्देश्यों की पूर्ति करना चाहता था-- पहला: चीन उसका मित्र बना रहे, दूसरा, इस्लामाबाद के मस्तिष्क पर अमरीका का प्रभाव छाया रहे ।

परन्तु कुछ राजनीतिक प्रेक्षकों का अनुभव हैं कि बंगलादेश स्वतन्त्रता संग्राम की सफलता और भारत विजय के चार परिणामों में से किसी को भी वाशिंगटन के नीति निर्माताओं ने पसंद नहीं किया था । ये परिणाम थे, पहला, बंगलादेश नाम के नये देशका जन्म §2§ भारत का क्षेत्रीय शक्ति के रूप में उदय §3§ दक्षिण एशिया में रूस के प्रभाव में वृद्धि §4§ सम्बद्ध देशों की जनता की कष्ट - फिर भी अमरीका दुखी नहीं था यद्यपि याहया युद्ध हार गये थे,

---

1. टोड , , यू0एस0 एण्ड पाकिस्तान इन न्यूयार्क टाइम्स, 18 जुलाई, 1971

2. मदरलैण्ड , 24 अगस्त, 1971

लेकिन इस उपमहाद्वीप में निक्सन एवं उसके पूर्व अधिकारियों ने कपटपूर्व शक्ति-सन्तुलन का जो खेल दक्षिण ऐशिया में खेला था, उसमें वे हार अनुभव नहीं कर रहे थे ।[1] भारत की विजय और पाकिस्तान की पराजय ने वाशिंगटन-इस्लामाबाद और पीकिंग के बीच और भी अधिक घनिष्ठता के लिये आधार बना दिया था ।

अमरीका बहुत बड़े पैमाने पर पाकिस्तान का सैन्यीकरण करने में तेजी से लगा हुआ हैं इससे भारत उपमहाद्वीप की सुरक्षा के लिये गम्भीर खतरा पैदा हो गया है । एच0आर0 गुप्ता का मत है [2] कि अमरीका पाकिस्तान के माध्यम से अनेकों उद्देश्यों को पूरा करना चाहता है, पहला, वह पाकिस्तान में सैन्य साधनों का आधार स्थापित करना चाहता है, जिनके माध्यम से वह रूस, चीन, भारत, अफगानिस्तान और नेपाल की सुरक्षा गतिविधियों के सम्बन्ध में जासूसी करके सूचनायें प्राप्त कर सके, दूसरा, भारत को अपने आकार की विशालता, प्राकृतिक संसाधनों और जनसंख्या के द्वारा एक बड़ी शक्ति होने से रोका जा सके। तीसरा अमरीका, पाकिस्तान की सामरिक महत्वपूर्ण स्थिति का रूस अथवा चीन के साथ कभी भी युद्ध जैसी स्थिति होने पर उसका पूरा शोषण करना चाहता है, जिससे युद्ध अथवा अन्य किसी भी प्रकार की घटना के समय उसका पूरा-पूरा लाभ उठाया जा सके, जिससे एशिया में बढ़ते हुये साम्यवाद के कदमों को रोका जा सके ।[3]

---

1- अमृत बाजार पत्रिका 30 दिसम्बर, 1971.

2- गुप्ता, एच0आर0. द कच अफेयर्स, (दिल्ली, 1969) पेज 26
वेन विलकाक्स. अमेरिकन पालिसी टुवर्डस साउथ एशिया, एशियन अफेयर्स, वाल. 4 पार्ट 2, जन0, 1973 पेज, 129

3- रफीउशन कुरेशी, द रिलेशन आफ पाकिस्तान (लन्दन) 1968 पेज, 104

किन्तु पाकिस्तान के प्रति प्रयोग की जा रही अमरीकी कूटनीतिक चालों की पाकिस्तान के विरोधी नेताओं ने कटु आलोचना की है, शेख अजीजुर रहमान विरोधी दल के उपनेता ने कहा कि, " अमरीका, यदि पाकिस्तान को सैनिक सहायता कम कर देता है तो, उसके लिये यह वरदान सिद्ध होगा । क्योंकि पाकिस्तान अमरीका की एक उपमहाद्वीपीय सामरिक नीति का एक भाग है जिसके द्वारा नये उपनिवेशवाद की स्थापना की ओर बढ़ रहा है" ।[1]

अफगानिस्तान में रूसी सेनाओं की उपस्थिति के बाद से अमरीका प्रशासन पाकिस्तान को अधिक से अधिक सैन्य सामिग्री देने के लिये चिन्तित रहा है । हवाइट हाउस के कुछ अधिकारियों का यह विश्वास रहा है कि पाकिस्तान की भूमि का उपयोग अफगान विद्रोहियों की सहायता के लिये किया जायेगा ।[2] इस संदर्भ में हवाइट हाउस अफगान मुजाहितों की सहायता करने में पाकिस्तान का भरपूर उपयोग किया है ।

भारतीय उपमहाद्वीप में पाकिस्तान का सैन्यीकरण करना अमरीकी विदेश नीति का सबसे बड़ा सामरिक उद्देश्य रहा है । यद्यपि रीगन प्रशासन को अपने देश के आन्तरिक विरोध का सामना करना पड़ा, क्योंकि जब अमरीकी जनता को पाकिस्तान द्वारा आणविक आयुधों के निर्माण की जानकारी प्राप्त हो गयी, तो वहाँ पर पाकिस्तान की आर्थिक सहायता बंद करने की आवाजें भी उठने लगी, लेकिन अफगानिस्तान में रूसी फौजों की उपस्थिति का सहारा लेकर हवाईट हाउस बच निकला । लेकिन अफगानिस्तान में सोवियत सेनाओं की वापसी के बाद भी अमरीकी सैनिक सहायता में कोई कटौती नहीं की गयी । अमरीकी रक्षा मन्त्री

---

1 - द डान, 14 अप्रैल, 1967

2 - इंडियन एक्सप्रेस (एड) रीगन गेम्स, 24 मार्च, 1981

मि0 फ्रैंक कार्लूची ने[1] अपने देश के पुराने कूटनीतिक तर्कों को ताक पर रख कर स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि अफगानिस्तान से सोवियत सेना की वापसी के बाद भी निकट भविष्य में पाकिस्तान को अमरीकी सैन्य सहायता में कटौती नहीं की जायेगी। पाकिस्तान और अमरीका के सुरक्षा सम्बन्ध बहुत घनिष्ठ और दीर्घ कालिक है। क्षेत्रीय सुरक्षा की दृष्टि से भी सम्बन्ध महत्वपूर्ण है। अब तक अमरीकी नेता अफगानिस्तान में सोवियत उपस्थिति का होना खड़ा करके ही व्यापक सैनिक सहायता का औचित्य सिद्ध करते रहे हैं। अमरीका पाकिस्तान के माध्यम से ही अफगानिस्तान में सोवियत सैनिक हस्तक्षेप का सामना कर सका है और उसने साम्यवादी शक्तियों से लड़ने के लिये अफगान विद्रोहियों की सहायता भी की है। उसके ये उद्देश्य राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के एक प्रतिवेदन में प्रस्तुत किये गये हैं।[2]

लेकिन राजेन्द्र माथुर स्पष्ट लिखते हैं[3] कि यदि अमेरिका पाकिस्तान को कोई मदद नहीं देता तो अफगानिस्तान आज बड़े आराम से सोवियत रूस का एक गणतन्त्र बन जाता या उसकी हालत पूर्वी योरूप के देशों की तरह हो जाती, जो तीस लाख शरणार्थी सरहद पार करके चले आये हैं। उन्हें पूंछने वाला कोई नहीं होता। मुजाहिदों की लड़ाई तब चल ही नहीं सकती थी। अफगानिस्तान विरूद्ध में रूस कांटों के बीच जी रहा है।

लेकिन अमरीका ने बंगलादेश और भारत के क्षेत्रीय सम्बन्धों को कभी पसंद नहीं किया है, क्योंकि वह यह मानकर चलता है, कि भारत की गहरी

---

1:- नवभारत टाइम्स, 8 अप्रैल, 1988.

2:- इंडियन एक्सप्रेस 31 जनवरी, 1987

3:- नवभारत टाइम्स, नई दिल्ली
21 दिसम्बर, 1987.

दिलचस्पी बंगलादेश पर चंगुल कसने में है । वह इस भ्रम का शिकार है कि भारत-बंगलादेश को अपना एक उपनिवेश बनाना चाहता है । अमरीका को यह भी डर है कि भारत एक बहुत बड़ी शक्ति के रूप में उभर रहा है और वह भी बड़ी शक्ति के रूप में व्यवहार कर अपने प्रभाव का साम्राज्य स्थापित करना चाहेगा । अमरीका के सारे दांव-पेंच उसी प्रभाव को सीमित करने के लिये हैं।[1] लेकिन यह दांव-पेंच लगातार बेकार हो रहे हैं, क्योंकि भारत को अपने किसी भी छोटे पड़ोसी देश पर एक उपनिवेश के रूप में प्रभाव जमाने की हवस नहीं है ।

अमरीका न केवल भारत-पाकिस्तान और भारत-बंगलादेश के बीच तनाव चाहता है, बल्कि वह चीन और भारत के बीच भी तनाव की स्थिति बरकरार रखना चाहता है ।[2]

---

1 - दिनमान , 9 जनवरी,72, पेज,18

2 - वही,

सोवियत संघ

भारत उपमहाद्वीप में ब्रिटिश साम्राज्यवाद एवं उपनिवेशवाद की अन्त्येष्टि होने के पश्चात भी पश्चिम की महाशक्तियां अपना वर्चस्व बनाये रखने के लिये लालायित रहीं । इसके साथ ही वे साम्यवाद के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिये भी कृत संकल्प थी । किन्तु भारतीय उपमहाद्वीप में शक्ति शून्यता की स्थिति का लाभ उठाकर साम्यवादी रूस इन तथाकथित साम्राज्यवाद एवं उपनिवेशवाद को पोषण करने वाली अमरीका और इंगलैण्ड जैसी शक्तियों के बढ़ते प्रभाव को बर्दास्त करने के लिये कदापि तैयार नहीं था । जैसा की राजनीतिक प्रेक्षकों का मत हैं कि भारत उपमहाद्वीप का साम्प्रदायिकता के नाम पर विभाजन और पाकिस्तान जैसे धर्मान्ध राष्ट्र का निर्माण इन साम्राज्यवादी शक्तियों की साजिश का एक प्रत्यक्ष नमूना था । जिससे पाकिस्तान को अपनी महत्वाकांक्षाओं का आधार बिन्दु बनाकर दक्षिण एशिया, पश्चिम एशिया एवं दक्षिण पूर्व एशिया में अपनी राजनीतिक आकांक्षाओं की पूर्ति की जा सके ।

मास्को, अमरीका की इन राजनीतिक अभिलाषाओं से अपरिचित नहीं था । यद्यपि साम्यवादी नेता पाकिस्तान के निर्माण के समय से ही जैसा कि इसके निर्माण का आधार ही धार्मिक उन्माद था, क्रेमलिन ने उसके इस आधार को कभी उचित नहीं ठहराया । ख्रुश्चेव ने जब 1955 में भारत की यात्रा की थी उसी समय कहा था कि " मुझे पूरा भरोसा है कि जब पाकिस्तानी नेताओं के संवेग जो आज उद्वेलित हैं, शान्त हो जायेगें, तब वही लोग इस अप्राकृतिक कार्य पर पश्चाताप करेंगें । किन्तु भारत उपमहाद्वीप में अपना प्रभाव क्षेत्र व्यापक बनाने के उद्देश्य से इस सैद्धान्तिक विरोधाभास के बावजूद स्टालिन और ख्रुश्चेव दोनों ही साम्यवादी नेताओं ने पाकिस्तान के प्रति सकारात्मक सोवियत नीति का परिचय दिया ।

अमरीका से अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर सैद्धान्तिक मतभेदों के साथ-साथ जब पीकिंग उसको संशोधनवादी एवं विस्तारवादी कहने लगा तब तो सोवियत रूस ने

भारत उपमहाद्वीप में अमरीका और चीन के प्रभाव को प्रतिबन्धित करने के लिये विशेष रूचि लेने का निर्णय लिया । 1962 के भारत चीन युद्ध के परिणामों को देखकर कोशीजन ने यह समझ लिया था कि इस क्षेत्र में चीन की चुनौती को अकेला भारत नहीं झेल सकता है । अतः उसने भारत उपमहाद्वीप में सोवियत संघ की नीतियों को बृहत रूप देने का निर्णय लिया । तभी से भारत उपमहाद्वीप में सोवियत कूटनीति का मुख्य लक्ष्य केवल साम्यवादी चीन के बढ़ते प्रभाव को ही रोकना नहीं रहा है, अपितु संयुक्त राज्य अमरीका के बढ़ते कदमों को भी प्रतिबन्धित करना है ।[1]

सोवियत संघ की नीति अपने सामरिक हितों पर निर्भर थी । चीन से उसके सैद्धान्तिक मतभेद निरन्तर बढ़ रहे थे, जिससे सीमा विवाद जैसी समस्यायें उग्र रूप धारण कर रहीं थी । अतः वह अपने पड़ोसी देशों के साथ मैत्री सम्बन्ध बनाने के लिये प्रयत्नशील हो गया । उसके चिन्ह उसी समय से दिखायी देने लगे थे, जब खुश्चेव ने भारत का काश्मीर के मामले पर " संयुक्त राष्ट्र संघ में खुलकर साथ दिया था और " उसने पाकिस्तान को भी यह स्पष्ट दर्शा दिया था कि वह इसलिये ऐसा कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान सोवियत संघ के विरूद्ध सैन्य संगठनों में प्रवेश कर गया है ।

एस0 एस0 बिन्द्रा का मत है[2] कि मई 1964 में जवाहर लाल नेहरू की मृत्यु के बाद भारत उपमहाद्वीप की स्थिति कुछ बदल गयी । पाकिस्तान यह अनुभव करने लगा कि काश्मीर समस्या का समाधान शान्तिपूर्व उपायों के द्वारा नहीं हो सकता है और जब लाल बहादुर शास्त्री भारत के प्रधानमंत्री बनें फिर यू0एस0एस0आर0 के परिदृश्य में भी परिवर्तन आने लगे । सोवियत संघ चीन से बढ़ते मतभेदों के कारण, वह पाकिस्तान से अपने सम्बन्ध बढ़ाने के लिये उत्सुक होने लगा । मास्को, पीकिंग-इस्लामाबाद धुरी के कारण काफी चिन्तित था

---

1 - द टाइम्स आफ इंडिया, 14,जुलाई,1966.

2 - बिन्द्रा,एस. एस. डिटर्मिनेशन आफ पाकिस्तान"स फारेन पालिसी, दीप एण्ड दीप पब्लिकेशन ( न्यू दिल्ली) पेज, 263

और किसी भी तरह पाकिस्तान को चीन से दूर रखना चाहता था । वह पाकिस्तान और अमरीका के मतभेदों का बड़ी सतर्कता से लाभ उठाना चाहता था । यद्यपि उसके अनुकूल पर्यावरण बन भी रहा था ।

मि० देवेन्द्र कौशिक लिखते हैं, कि दोनों देशों के बीच परस्पर विचारों का आदान-प्रदान और दोनों देशों के नेताओं के बीच अनेकों प्रकार से मेल-मिलाप ने 1964-65 की अवधि में अनेकों भ्रान्तियों को दूर कर दिया और आयूब खाँ की 1965 में होने वाली यात्रा के लिये मार्ग प्रशस्त कर दिया । यह 18 वर्षों की अवधि में रूस और पाकिस्तान के शीर्षस्थ नेताओं के व्यक्तिगत सम्बन्धों के लिये पहला मौका था ।[1]

पाकिस्तान की विदेश नीति में हो रहे बदलाव का सोवियत संघ पूरा-पूरा लाभ लेना चाहता था । सोवियत यूनियन यह नहीं चाहता था कि संयुक्त राज्य अमरीका द्वारा उकसाये जा रहे पाकिस्तानी विरोध का लाभ चीन को मिल जाय । सोवियत संघ अपने इस उद्देश्य की पूर्ति पाकिस्तान के प्रति अपनी उदारवादी नीति का प्रयोग करके अथवा भारत-पाक मामलों में तटस्थता का रूप प्रदर्शित करके ही कर सकता था । इसके साथ ही वह आर्थिक सहायता की मात्रा बढ़ाकर भी अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर सका ।[2] 1965 में होने वाले भारत-पाक युद्ध के समय अमरीका और ब्रिटेन की ही नहीं अपितु रूस की भी भूमिका बड़ी ही अनोखी थी । सोवियत यूनियन ने दोनों देशों से समस्या के शान्ति पूर्ण समाधान की अपील की थी ।[2] वास्तव में पाकिस्तान द्वारा भारत पर आक्रमण

---

1 - कौशिक देवेन्द्र "सोवियत रिलेशन विथ इंडिया एण्ड पाकिस्तान (न्यू दिल्ली) 1974 पेज, 83

2 - अयूब, मोहम्मद, पाकिस्तान-सोवियत पालिसी 1950-68. ऐ बैलेन्सशीट इन एम०एस०राजन (एड) स्टडीज इन पालिटिक्स, दिल्ली 1971) पेज 235

3 - करेन्ट डाइजेस्ट आफ द सोवियत प्रेस वाल. 27, नं० 34, 15 सित० 1965, पेज 15-16.

करने के बावजूद रूस का तटस्थता का भाव दिखाना उसके लिये हरी झंडी थी ।

जब लाल बहादुर शास्त्री रूस की यात्रा पर गये तो वहाँ पर यह स्पष्ट हो गया कि भारत उपमहाद्वीप के प्रति रूस का स्वभाव बदल रहा है । 19 मई, 1965 को भारत रूस संयुक्त विज्ञप्ति में काश्मीर और कच्छ क्षेत्र का जिक्र नहीं किया गया, क्योंकि मास्को यह स्पष्ट करना चाहता था कि वह भारत और उसके पड़ोसियों के बीच की समस्याओं में उलझना नहीं चाहता है, वह भी प्रभाव छोड़ना चाहता था कि रूस की दृष्टि में भारत और पाकिस्तान दोनों मित्र है ।[1]

सोवियत संघ ने भारत-पाक युद्ध का लाभ इसी नीति के अन्तर्गत लिया । इसने पाकिस्तान के साथ रूस के मैत्री सम्बन्धों के प्रदर्शन का पूरा मौका दे दिया और रूस के साम्यवादी नेताओं को भारतीय उपमहाद्वीप में एक बड़ी शक्ति के रूप में सक्रिय भूमिका निभाने का अवसर मिल गया । रूस की एशिया में ही नहीं वरन् विश्व राजनीति में भी उसकी प्रतिष्ठा को बढ़ावा मिला और पाकिस्तान यह समझ गया कि रूस इस क्षेत्र में शान्ति कायम रखने का इच्छुक है ।[2]

इसप्रकार संयुक्त राज्य अमरीका-रूस दोनों ही महाशक्तियां पीकिंग इस्लामाबाद के बढ़ते रिश्तों से चिन्तित थे । इसीलिये 60 के दशक में दोनों महाशक्तियों की विदेश नीति के इस उपमहाद्वीप के सम्बन्ध में एक ही प्रकार के उद्देश्य थे कि पाकिस्तान को चीन से कैसे दूर रखा जाय । पाकिस्तान की विदेश नीति निर्माताओं ने स्थिति का पूरा-पूरा शोषण किया और अधिक से अधिक विश्व की तीनों महाशक्तियों अमरीका, रूस और चीन से सैनिक और आर्थिक सहायता प्राप्त की । अमरीका की गतिविधियों का भी सोवियत यूनियन ने पूरा लाभ उठाया । वह पाकिस्तान को कुछ इस प्रकार की सहायता पहुँचाने की फिराक

---

1— द एकोनामिस्ट, वाल042 × वी0 22-28 मई, 1965 पेज 897

2— बुधराज वी0एस0, सोवियत यूनियन एण्ड द हिन्दुस्तान सब कान्टिनेन्ट (बम्बई, 1971), पेज 17.

में था कि जिससे इसकी छवि इस्लामाबाद की दृष्टि में सुधर जाय । इसीलिये कोशीजन ने पाकिस्तान की अप्रैल, 1968 में यात्रा की, यह किसी रूसी नेता की पहली यात्रा थी, अतः दोनों देशों के बीच सम्बन्धों में वृद्धि होना स्वाभाविक था ।[1]

आर्थिक और तकनीकी मदद के अलावा सोवियत यूनियन ने पाकिस्तान को हथियारों की आपूर्ति करने की भी इच्छा व्यक्त थी । सर्वोच्च सेनानायक जनरल याहया खाँ के नेतृत्व में एक सैनिक अधिकारियों का दल 28 जून से 7 जुलाई 1968 तक की शासकीय यात्रा पर मास्को पहुंचा । जबकि रूस दो कारणों से पाकिस्तान को सैनिक सामग्री देने से हिचकिचा रहा था, पहला, पाकिस्तान पश्चिमी देशों के साथ सैनिक संगठनों का एक सदस्य था जिसका उद्देश्य सोवियत यूनियन के प्रभाव को रोकना था । दूसरा भारत से रूस के मैत्री सम्बन्ध थे, किन्तु सोवियत रूस ने उपरोक्त सभी कारणों को मद्दे नजर करते हुये, पाकिस्तान को शस्त्रास्त्रों की पूर्ति करने का निर्णय लिया । रूस के सामने अन्य कोई उद्देश्य नहीं था, केवल एक ही कि सोवियत नेतृत्व किसी भी कीमत पर पीकिंग-इस्लामाबाद धुरी को नष्ट करना चाहता था ।[2]

इस समाचार की भारतीय जनमानस पर बड़ी जबर्दस्त प्रतिक्रिया हुयी । भारतीय जनमत रूस जैसे मित्र देश द्वारा किये जा रहे इस प्रकार के क्रिया कलापों से उत्तेजित हो उठा क्योंकि उसका तर्क बड़ा ही उचित था कि इन हथियारों का प्रयोग पाकिस्तान अपने शत्रुदेश भारत के लिये ही करेगा, जबकि पाकिस्तान प्रत्यक्षतः पाश्चात्य सैन्य संगठन का एक सदस्य देश है, जो सोवियत संघ के घोर

---

1-- बिन्द्रा एस0एस0 डिर्टमिनेशन आफ पाकिस्तान फारेन पालिसी, दीप एण्ड दीप पब्लिकेशन, न्यू दिल्ली पेज 269

2-- वही,

विरोध में है । स्वतन्त्र पार्टी के नेता मि0 पीलू मोदी ने लोकसभा में एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव रखते हुये कहा था।[1] " भारत की विदेश नीति रूस को सान्त्वना देने और तुष्टीकरण की नीति है"।

जनसंघ नेता श्री अटल बिहारी बाजपेयी ने[2] इसे "मास्को का खुला विश्वासघाती कार्य बताया" यद्यपि उन्होने स्वीकार किया कि भारत न तो चीन के साथ और न ही अमरीका के साथ जा सकता है क्योंकि यह दोनों ही देश पाकिस्तान की सहायता के लिये वचनबद्ध है । उन्होने कहा कि भारत को अपने स्वतन्त्र अस्तित्व की रक्षा के लिये आणविक आयुधों को बना लेना चाहिये ।

सोवियत संघ का यह अश्वासन कि पाकिस्तान को हथियारों की आपूर्ति का मामला भारत-रूस मैत्री सम्बन्धों के बीच कोई कठिनाई पैदा नहीं करेगा, यह किसी को भी सन्तुष्ट नहीं कर सका ।[3]

सोवियत संघ ने कभी-कभी इस उपमहाद्वीप के देशों को साथ-साथ लाने का भी प्रयास किया है । वस्तुत: मास्को ने इस क्षेत्र में आपसी आर्थिक सहयोग के लिये एक बहुत ही उपयोगी प्रस्ताव रखा था । मि0 कोशीजन ने मई, 1969 ई0 में रावलपिंडी की एक राजकीय यात्रा के समय भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और इस क्षेत्र के अन्य देशों के बीच आर्थिक सहयोग के लिये विचारार्थ एक प्रस्ताव रखा, जिससे इन देशों के बीच आर्थिक एवं रचनात्मक सहयोग विकसित हो सके । उन्होने यह भी वचन दिया कि मास्को इस प्रक्रिया के सहयोग के लिये पूरा सहयोग देगा । यदि तीनों देश भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान रूस के विश्वसनीय मित्र हो जाते हैं, तो यह उसकी महान कूटनीतिक उपलब्धि होती और सोवियत

---

1 - हिन्दुस्तान टाइम्स 23 जुलाई, 1968

2 - एशियन रिकार्डर 12-18 अगस्त पेज 8467, 1968

3 - हिन्दुस्तान टाइम्स 14 एण्ड 16 जुलाई, 1968

संघ का प्रभाव इस क्षेत्र में व्यापक रूप से बढ़ जाता ।[1] उस समय कुछ ऐसे भी संकेत प्राप्त हुये थे कि कोशीजन पाकिस्तान और भारत की यात्रायें करेगें जिससे दोनों देशों के बीच एक बार पुन: तनावपूर्ण वातावरण में कमी करके सामान्य सम्बन्ध बनाने का प्रयास किया जाय ।[2] लेकिन यह यात्रा सम्भव नहीं हो सकी, क्योंकि पाकिस्तान, किशिंजर की गुप्त पीकिंग यात्रा के लिये कूटनीतिक भूमिका निभा रहा था -- राजनीतिक प्रेक्षकों का अनुमान है कि इस महाद्वीप में बंगलादेश संकट के समय इतनी विस्फोटक स्थिति नहीं हो सकती थी, यदि निक्सन ने इस समय किशिंजर की पीकिंग यात्रा की योजना न बनायी होती और इसके साथ ही यदि उसने पूर्व पाकिस्तान में कत्लेआम होने के बावजूद पाकिस्तान को आर्थिक एवं सैनिक सहायता उपलब्ध न कराई होती ।[3]

बंगलादेश के संकट के समय किशिंजर ने वाशिंगटन स्थिति भारतीय राजदूत को यह चेतावनी दी थी कि भारत और पाकिस्तान के युद्ध के समय चीन निश्चित ही पाकिस्तान का साथ देगा और अमरीका इसमें किसी भी प्रकार से बीच में नहीं आयेगा । इन परिस्थितियों में भारत ने मास्को की ओर मुड़ना अपने राष्ट्रीय हित में समझ लिया ।[4]

अमरीका-पाकिस्तान और चीन का एक मंच पर खड़ा हो जाने से अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में एक नये समीकरण का जन्म हो गया, जिसने सोवियत रूस को चौंका दिया, जिसका प्रत्यक्ष परिणाम ग्रोमिको की नई दिल्ली यात्रा के समय भारत-रूस शान्ति सुरक्षा और मैत्री की 20 वर्षीय सन्धि के रूप में विश्व जनमत के सामने आ गया और जिसने भारतीय उपमहाद्वीप का राजनीतिक वातावरण ही बदल दिया ।

---

1-- पी०टी०आई० फ्राम मास्को, ट्रिब्यून (अम्बाला) जून 1969

2-- द फाइनेन्शियल टाइम्स (लंदन) कोटेड इन हिन्दू 30 अप्रैल, 1971

3-- टाइम्स आफ इंडिया, 9 अगस्त, 1971

4-- गार्जियन ( लंदन ) 14 अगस्त, 1971 बाइ इन्दर मल्होत्रा ।

मास्को के शीर्षस्थ नेताओं को अन्ततोगत्वा यह अनुभव हो ही गया था कि जब भी कोई संघर्ष की स्थिति आयेगी, यह पाकिस्तान चीनी खेमें में जाकर खड़ा होजायेगा । रूस के साथ नहीं रूकेगा और उसका यह अनुमान बंगलादेश संकट के पूर्व में एवं बाद में सही सिद्ध हो गया बंगलादेश युद्ध के सम्बन्ध में मि0 भुट्टो ने कहा था कि यह भारत की विजय नहीं थी अपितु भारत की ओर से सोवियत संघ की विजय थी ।

कुछ आलोचकों का कथन है युद्ध के परिणाम स्वरूप भारत ने अपनी स्वाधीनता का समर्पण रूस के समक्ष कर दिया है और भविष्य में रूस ही समस्त भारतीय उपमहाद्वीप में राजनीतिक गतिविधियों को दिशा निर्देश देगा । लेकिन एक अमेरिकन समीक्षक हेनरी, एस0 हेवर्ड दिसम्बर, 1971 के बाद में सोवियत-भारत सम्बन्धों पर अपनी सारगर्भित टिप्पड़ी लिखता है, कि यह एक भ्रान्ति है कि रूस को भारत पर अपना दबदबा कायम करने में कामयाबी हासिल हो गयी है । एक निष्पक्ष निर्णय तो यही हो सकता है कि भारत इस युद्ध के बाद अपने बल-बूते पर विश्व की एक महाशक्ति के रूप में सामने आया है ।[1] इस सम्पूर्ण संकट के समय भारत मुख्य रूप से अपने राष्ट्रीय हितों से प्रेरित रहा है उसने किसी भी विदेशी शक्ति की कठपुतली बन कर कार्य नहीं किया है ।[2] जब भारत ने यह युद्ध लड़ा तो ऐसा लग रहा था कि वह अपने राष्ट्रीय स्वाभिमान, अपने इतिहास, एक अर्थ में जैसे वह एक महान राष्ट्र के भाग्य के निर्धारण के लिये लड़ रहा हो किसी विदेशी शक्ति के आदेश पर नहीं, चाहे वह मित्र हो अथवा आलोचक । समीक्षक प्रेक्षकों का मत है कि भारत ने अमरीका द्वारा भौंहें चढ़ाने अथवा चेतावनी से भयभीत होकर उसने अपने हाथ को अमरीका के हाथों में कभी नहीं पकड़ा है और न ही वह सोवियत संघ के इशारे पर कठपुतलियों की तरह नाचा है ।[3]

---

1- क्रिश्चियन साइंस मानीटर ,22 दिसम्बर, 1971 बाइ हेयरी एस0 हेवर्ड ।

2- वही,

3- वही,

बंगलादेश संकट में सोवियत संघ द्वारा भागीदार बनने का मुख्य कारण इसका पूरा लाभ उठाकर चीन को किसी भी तरह नीचा दिखाना था । वह चीन को यह भी अनुभव करना चाहता था कि भविष्य में वह अपने मुअक्किल की मदद करने योग्य न रहे, उस समय जब मास्को-भारत का सहयोग कर रहा हो । इसलिये भविष्य में एशिया के छोटे-छोटे देश पीकिंग द्वारा सुरक्षा की गारन्टी देने पर भी उसका विश्वास नहीं करेगें । पीकिंग अपने सैद्धान्तिक मोर्चे पर भी पराजित हो गया क्योंकि उसने एक लोकप्रिय शासन की मांग करने वालों का समर्थन न करके सैन्य शासक को मदद देना स्वीकार किया था ।[1] रूस, चीन को उसके साथ किये गये विश्वासघात का मजा चिखाना चाहता था तथा वाशिंगटन के साथ मित्रता का भी ।[2]

## भारतीय उपमहाद्वीप में बदलते हुये नये राजनीतिक समीकरण :--

ऐसा कहा जाता है कि कूटनीति की दुनिया में स्थायी शत्रु अथवा मित्र नहीं होते हैं और न ही कोई देश अपने किसी भी मित्र देश पर अधिक समय तक पूर्णत: निर्भर रहकर अन्तर्राष्ट्रीय जगत में सम्मानजनक स्थान प्राप्त नहीं कर सकता है ।

राजेन्द्र माथुर का बड़ा ही स्पष्ट कथन[3] है कि जब रूस और अमरीका के अमरीका और चीन के तथाचीन और रूस के रिश्ते सुधर रहे हैं, तब फिर भारत और चीन के रिश्ते क्यों नहीं सुधर सकते हैं ।

---

1 - डी0 वोलस्की एण्ड ए0 वीस्टर वार आन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट न्यू टाइम्स, नं॰ 50 दिस0 1971 पेज नं8

2 - प्रावदा, 28 दिसम्बर, 1971 रिप्रोड्यूस इन हिन्दुस्तान टाइम्स 3 दिसम्बर, 1971

3-- द इम्पार्टेन्स आफ राजीव"स विजिट आफ चाइना, बाइ राजेन्द्र माथुर, इन नवभारत टाइम्स 19 दिस01988.

विश्व राजनीति के बदलते हुये परिवेश में भारत और चीन के नेता भी कई वर्षों तक दोनों देशों के बीच सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध बनाने के लिये उत्सुक प्रतीत हो रहे हैं । इसी संदर्भ में दोनों देशों के शीर्षस्थ राजनायकों के बीच आठ दौरों की वार्ता हो चुकी है । यद्यपि सीमा विवाद के सम्बन्ध मे कोई ठोस हल नहीं निकला है किन्तु दोनों देशों के बीच मैत्रीपूर्ण सम्बन्धों के लिये एक अच्छा वातावरण जरूर बना है । प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी की दिसम्बर,88 चीन यात्रा में भारत उपमहाद्वीप में राजनीतिक वातावरण को बदला है । प्रधानमंत्री राजीवगांधी की चीन यात्रा को भारत-चीन सीमा विवाद को हल करने तथा एशिया के इन दो बड़े देशों के बीच सभी क्षेत्रों में सम्बन्ध सामान्य बनाने की दिशा में एक ठोस और व्यावहारिक कदम के रूप में देखा जाना चाहिये ।[1]

जब प्रधानमन्त्री 19 दिसम्बर प्रातः आठ बजे पेइचिंग पहुंचे तब उन्हें 19 तोपों की सलामी दी गयी । पिछले 34 वर्षों के दौरान किसी भारतीय प्रधान मन्त्री की यह पहली चीन यात्रा है । 1954 में स्वर्गीय नेहरू चीन गये थे । इस अवसर पर दक्षेस देशों की राजदूत हवाई अड्डे पर उपस्थित थे । जिनमें पाकिस्तान, बंगलादेश, भूटान, श्रीलंका, नेपाल और मालद्वीप के राजदूत थे । चीन के प्रधान मंत्री श्री फंग ने इसी समय कहा " भारत और चीन न सिर्फ निकट पड़ोसी है बल्कि विश्व के सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश हैं । हम आशा करते हैं कि श्री गांधी की यात्रा से हमारे सम्बन्ध और प्रगाढ़ होगें । हम सदैव ही कहते रहे हैं कि आपसी सूझ-बूझ और आपसी लेन-देन से सीमा विवाद का एक युक्ति संगत हल खोजा जा सकता है ।[2]

---

1 :- हिन्दुस्तान, 24 दिसम्बर, 1988

2 :- नवभारत टाइम्स,
21, दिसम्बर, 1988.

प्रधानमन्त्री राजीव गांधी की पांच दिन की राजकीय यात्रा के बाद संयुक्त विज्ञप्ति में कहा गया कि दोनों पक्ष आपसी सम्बन्धों में सुधार के लिये ठोस कदम उठाये जाने पर सहमत हो गये हैं । सीमा मसले को हल के लिये एक संयुक्त कार्यकारी दल गठित किये जाने, आर्थिक सम्बन्धों, व्यापार तथा विज्ञान व प्रौद्योगिकी पर संयुक्त दलों का गठन भी इस दिशा में उठाये गये कदम है ।[1]

वास्तव में राजीव गांधी की चीन यात्रा भारत-चीन सम्बन्धों में नया मोड़ है । और नई शुरूआत भी । श्री राजीव गांधी का कथन है कि मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि है चीनी नेताओं से व्यक्तिगत सम्बन्ध स्थापित कर पाना है । कहने और सुनने में तो भारत और चीन के सम्बन्ध सीधे है और किन्ही अन्य बाहरी तत्वों से स्वतन्त्र है किन्तु यह घोषणा आंशिक रूप से ही सत्य है, लेकिन एशिया में निःसन्देह सोवियत संघ चीन-भारत पाकिस्तान अमरीका की एक गुम्फित राजनीति है ।[2]

परन्तु आज जब रूस ग्लासनोस्त के दिग्वजयी रथ पर सवार होकर नई समदर्शिता के जुनून पर है । सोवियत संघ के राष्ट्रपति गोर्बाचौफ ने किसी समय की भारत और रूस की राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में नम्बर एक का शत्रु मानने वाले चीन की राजकीय यात्रा करके उसके साथ मधुर सम्बन्ध बनाने का संकल्प लिया है तब तो निश्चित ही पीकिंग-मास्को-नई दिल्ली एक मंच पर आकर भारतीय उपमहाद्वीप में शान्ति सुरक्षा और विकास की नयी सम्भावनाओं को सुलभ बनासं सकते हैं ।

---

1-- हिन्दुस्तान - दिल्ली एण्ड पटना , 24 दिसम्बर, 1988.

2-- नव भारत टाइम्स, नई दिल्ली, 24 दिसम्बर, 1988.

## पंचम परिच्छेद

### (2) भारतीय उपमहाद्वीप में पाकिस्तान की कूटनीति

मि० एस०एस० बिन्द्रा का स्पष्ट मत है कि जिस दिन से पाकिस्तान का एक सार्वभौमिक सत्ता सम्पन्न राष्ट्र के रूप में विश्व मानचित्र पर उद्भव हुआ, पाकिस्तान की विदेश नीति का मुख्य लक्ष्य भारत के सम्भावित आक्रमण के विरुद्ध पेशबन्दी करके अपनी सुरक्षा के लिये रक्षा कवच की तलाश करना रहा है । पाकिस्तान सरकार और उसके राजनायकों का यह अनुभव रहा है, कि भारतीयों ने कभी भी पाकिस्तान के निर्माण को पसंद नहीं किया है और उनकी दृष्टि में भारतीय विदेश नीति का लक्ष्य पाकिस्तान को बर्बाद करके उसको निर्बल बनाना रहा है । इन्ही पूर्वाग्रहों से ग्रस्त होकर पाकिस्तान ने विश्व में भारत की छवि धूमिल करने के लिये किसी भी तरह के कूटनीतिक प्रयासों को छोड़ा नहीं है । इसमें भारत के सभी पड़ौसी देशों को यह कहकर भयभीत किया है कि भारत बड़ी तेजी के साथ सैन्यीकरण के रास्ते पर अग्रसर है और वह कभी भी उनके लिये संकट पैदा कर सकता है । मुस्लिम राष्ट्रों में भारत के प्रति नफरत पैदा करने के उद्देश्य से आयूब खां ने भारत पर आरोप लगाया कि भारत मुस्लिम राष्ट्रों के संगठनों को अपनी सीमाओं के नजदीक अथवा दूर कभी भी बर्दास्त नहीं कर सकता है । इसी प्रकार अमेरिका की सहानुभूति अर्जित करने के उद्देश्य से उसे भी यह सुझाया कि भारत, सोवियत संघ और साम्यवादी चीन यह कभी नहीं चाहता हैं कि वह एक सामुद्रिक शक्ति बन सके, जिससे स्थायी रूप से उसके एशिया में पैर जम सके ।[2] फिर उसने

---

1- बिन्द्रा, एस०एस०, डिर्टमिनेशन आफ पाकिस्तान फारेन पालिसी दीप एण्ड दीप पब्लिकेशन ( न्यू दिल्ली ) पेज, 222.

2- मिश्रा गुलाब, प्रखर, रिलेशन्स फ्राम टास्क एण्ड एग्रीमेंन्ट टू द शिमला एग्रीमेंन्ट - आशीष पब्लिशिंग हाउस, 8/81 पंजाब बाग, न्यू दिल्ली, पेज- 22.

अमेरिका से भारत को मिलने वाली मदद के लिये उससे कड़ा विरोध व्यक्त किया । उसने अमरीका को धमकी भी दी कि यदि अमेरिका भारत को सैनिक मदद देना बंद नहीं करता है तो वह पश्चिमी सैनिक गुटबन्दियों से भी अपने को पृथक कर लेगा ।[1]

इसी प्रकार पाकिस्तान ने चीन को भी अपनी कूटनीतिक चालों में फँसाने के लिये कोई कसर नहीं रखी है, इसने साम्यवादी चीन से कहा कि भारत संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ अति घनिष्ठता से जुड़ा हुआ है । अत: वह चीन के लिये मित्रता के स्थान पर कभी भी संकट पैदा कर सकता है और यदि कभी भारत में साम्यवाद आता है तो वह बहुत कुछ साम्यवादी रूस की तरह होगा । भारत, पाकिस्तान के इन मंसूबों को अच्छी तरह समझ रहा था कि पाकिस्तान का सैनिक गुटबन्दियों में प्रवेश और 1962 से चीन से बढ़ती मित्रता का उसका उद्देश्य क्या है ।[2]

पाकिस्तान का हमेशा ही कूटनीतिक प्रयास यह रहा है कि भारत को विश्व की महाशक्तियों से दूर करके उसको मित्रहीन बना दिया जाय जिससे वह किसी भी प्रकार की सैनिक एवं आर्थिक सहायता प्राप्त न सके । और उसके द्वारा उत्पन्न संकट में फँसकर उपहास का पात्र बन जाय ।

पाकिस्तान के प्राय: सभी शासकों में अपनी असफलताओं पर पर्दा डालने एवं सैनिक शासन के औचित्य सिद्ध करने के लिये काश्मीर समस्या को एक अस्त्र के रूप में प्रयोग किया है । काश्मीर का एक ऐसा मामला है जिससे पाकिस्तान का सामान्य व्यक्ति भी भावनात्मक ढंग से जुड़ा हुआ है । 1947 से ही पाकिस्तान के राजनीतिज्ञों द्वारा अपनी स्थिति सुदृढ़ करने के उद्देश्य से वे इस मामले का पूरा लाभ उठाते हैं । प्राय: वे पाकिस्तान की जनता से आग्रह

---

1- स्टेटमेन्ट आफ मोहम्मद अली इन नेशनल असेम्बली इन पाकिस्तान डिबेट्स वाल02 22 नवम्बर, 1962 पेज 10.

2- मिश्रा गुलाब, इन्डो पाक रिलेशन्स फ्राम ताशकन्द एग्रीमेन्ट टू द शिमला एग्रीमेन्ट- अशीष पब्लिशिंग हाउस 8/81 पेज 22-23.

करते रहे हैं कि वे पाकिस्तान में काश्मीर को मिलाने के लिये कृतसंकल्प है ।[1]

अपने कूटनीतिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिये पाकिस्तान सरकार का 1954 में सैनिक समझौतों में प्रवेश करने का निर्णय बड़ा ही दुःसाहस था, क्योंकि इन्होने भारत-पाक सम्बन्धों को बुरी तरह तो प्रभावित कर ही दिया था, किन्तु इसके साथ ही पाकिस्तान भारतीय उपमहाद्वीप को शीतयुद्ध के अखाड़े में खींच ले गया । संयुक्त राज्य अमेरिका अब काश्मीर के मामले पर पाकिस्तान का साथ देने के लिये विवश था । किन्तु इसके फलस्वरूप सोवियत संघ भी भारत से सम्बन्ध बढ़ाने की लालसा में काश्मीर के मसले पर गम्भीरता पूर्वक विचार करने लगा । भारत-पाक के बीच जिन द्विपक्षीय मामलों का निपटारा होना था, पाकिस्तान उनमें अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करने के लिये उत्सुक होने लगा । इन घटनाओं का सबसे बुरा असर काश्मीर समस्या पर पड़ा जिसे उसने शीतयुद्ध का मसला बना दिया ।[2]

भारतीय राजनीतिज्ञों के विचार से पाकिस्तान ने 1956 से अमेरिका की अंधाधुंध सैनिक सहायता प्राप्त करके बहुत बड़ा " राजनीतिक पाप " किया है उसने भारत उपमहाद्वीप में शीतयुद्ध को लाकर खड़ा कर दिया है और साम्राज्य वाद के लिये पुनः दरवाजा खोलकर इस क्षेत्र की शान्ति को भंग किया है ।[3]

पाकिस्तान ने भारत को औद्योगिक एवं सैनिक क्षेत्र में पीछे ढकेलने के उद्देश्य से अमेरिका एवं अन्य पश्चिमी देशों से अधिकतम सहायता प्राप्त करने के लिये कूटनीतिक प्रयास जारी रखे । पाकिस्तान एशिया का एक मात्र ऐसा देश था जो सीटो और सेन्टो जैसे दोनों सैनिक संगठनों का सदस्य बन गया । यह अमेरिका के साथ लगभग 4 सुरक्षा सन्धियों से जुड़ गया था, किसी समय यह अमेरिका का सबसे जिगरी दोस्त समझा जाता था ।[4]

---

1- बिन्द्रा, एस0एस0 वहीं, पेज, 243
2- वहीं,
3- मिखाइल ब्रेकर "एलाइट" इमेज एण्ड फारेन पालिसी प्वाइंटससपैसिफिक अफेयर्स वाल0 11 नं0 1,2 स्पिनिंग एण्ड समर, 1967 पेज, 78.
4- खान, एम0ए0 फ्रेन्ड्स, नाट मास्टर्स (लंदन, 1967) पेज, 130

राष्ट्रपति अयूब खाँ अपनी आत्मकथा में इसके पीछे पाकिस्तान के कुछ उद्देश्यों का हवाला देते हैं, पहला, पाकिस्तान का प्रथम उद्देश्य अपनी आर्थिक क्षमता को मजबूत करने के लिये अमेरिकी सहायता की आवश्यकता थी और वह बड़े पैमाने पर सहयोग कर भी रहा था, उसके अहसान को चुकाना था । वह आगे कहते हैं कि इन सैनिक संगठनों की सदस्यता पाकर पाकिस्तान की स्थिति मजबूत होती थी, क्योंकि उनको अहसास हो रहा था कि पूर्वी पाकिस्तान के लिये सबसे बड़ा खतरा भारत से हैं , जो उसे चारों ओर से घेरे हुये है ।[1]

कुछ पाश्चात्य विद्वानों का भी पाकिस्तान द्वारा "सीटो" की सदस्यता लेने के सम्बन्ध में मत है कि वह अपने निकटतम शक्तिशाली शत्रु से पूर्वी पाकिस्तान में सुरक्षा चाहता था ।[2] राष्ट्रपति अयूब के इस कूटनीतिक अनुमान को भविष्य ने सत्य सिद्ध कर दिया कि पूर्वी पाकिस्तान को केवल भारत से खतरा है, क्योंकि यह भारत ही था जिसने बंगलादेश के निर्माण में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई और पाकिस्तान की विदेश नीति निर्माताओं के विचारों को सही सिद्ध कर दिया ।[3]

के0 पी0 करूणाकरन लिखते हैं कि पाकिस्तान दक्षिण एशियायी देश होने के साथ-साथ वह एक मध्यपूर्व का भी देश हैं उसका अपना एक विशिष्ट सामरिक महत्त्व हैं , जिसका लाभ लेते हुये उसने भारत से पूर्वी पाकिस्तान की सुरक्षा के लिये अमेरिका और पश्चिमी देशों से हाथ मिलाया था ।[4]

---

1- वही, पेज, 157

2- बर्ड वुड " पाकिस्तान इन ग्लोबल स्ट्रेटजी" पाकिस्तान होरिजन वाल0 7 नं0 2 जन 1955 पेज 350.

3- सैय्यद के0पी0 प्रीलिमिनरी एनालिसिस आफ पाकिस्तान फारेन पालिसी इन एस0पी0 वर्मा एण्ड के0पी0मिश्रा (एडि) फारेन पालिसी इन साउथ एशिया ( बोले 1969) पेज 73

4- करूनाकरन के0पी0 "इंडिया इन वर्ल्ड अफेयर्स फब 1950 एण्ड दिसम्बर 1953 (कलकत्ता, 1958) पेज, 150.

पाकिस्तान सरकार अपने निकटतम पड़ोसी देशों की सहानुभूति अर्जित करने में भारत से पीछे नहीं रही है, जैसे भारत, चीन को संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता दिलाने के लिये संघर्षरत रहा है और उसने चीन की साम्यवादी सरकार को सहायता देने में विलम्ब नहीं किया था, उसी प्रकार पाकिस्तान सरकार लोक गणतन्त्रीय चीन की सरकार को मान्यता देने के लिये बड़ी उतावली थी ।[1] और उसने चीन को इस आशा में मान्यता दे दी कि भविष्य में यदि वह कभी येन केन प्रकारेण काश्मीर पर अधिकार जमाने में सफल हो जाता है, तो साम्यवादी चीन उसका निकटतम पड़ोसी मित्र होगा ।[2] पाकिस्तान के इन संकेतों का चीन में स्वागत किया गया और उसने अपने सम्बन्ध पाकिस्तान से मजबूत बनाने के प्रयास आरम्भ कर दिये ।[3]

पाकिस्तान के राजनेता यह अनुभव कर रहे थे कि भारत-चीन की मित्रता अल्पकालीन रहेगी, क्योंकि दोनों देश एशियायी देशों के नेतृत्व के लिये प्रतियोगी है, अत: अपने जन्मजात शत्रु भारत को समय पाकर नीचा दिखाने के लिये चीन से मित्रता अधिक उपयोगी सिद्ध होगी । अक्टूबर, 1956 में एच0एस0 सुधारवादी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने, यद्यपि वे चीन समर्थक नहीं माने जाते थे, फिर भी उन्होने चीन की यात्रा यह दिखाने के लिये की कि पश्चिमी देशों के साथ सैनिक गुट बन्दियों में बंधे होने का मतलब यह नहीं है कि उसके साम्यवादी देशों से मैत्री सम्बन्ध प्रतिबन्धित है । 12 दिन की अपनी राजकीय यात्रा के

---

1- द डान(करांची) 5 जनवरी, 1950

2- जैन, एoपीo-काश्मीर व्हाट रियलिटी हैपेन्ड (बाम्बे) 1972. पेज-164

3- गोस्वामी, बीoएनo-पाकिस्तान एण्ड चाइना " ए स्टडीड आफ दियर रिलेशन्स, बाम्बे, 1971 पेज-9.

अन्तर्गत उन्होंने चीन की गृह एवं विदेशनीति की सराहना थी । वह चीन की विशेषरूप से प्रशंसा करने में नहीं चूके ।[1] चीनियों ने भी अनुभव किया कि चीन के लिये भारत की अपेक्षा पाकिस्तान अधिक उपयुक्त है, क्योंकि रूस से उसके मतभेद हैं ।

इस समय पाकिस्तान की कूटनीति का मुख्य उद्देश्य चीन से मित्रता का हाथ मिलाने के लिये परिस्थितियों की तलाश करना था और उसे यह मौका भारत-चीन युद्ध, 1962 के युद्ध होने के बाद प्राप्त हो गया । उस समय अमेरिका एवं अन्य पश्चिमी देशों ने चीन की भर्त्सना की थी । इस संकट के समय अमेरिका ने पाकिस्तान से विरक्त होकर भारत का सहयोग किया था । पाकिस्तान को क्षोभ इस बात का था कि अमरीका-भारत-चीन युद्ध में सीमा से अधिक प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहा है । किन्तु अमरीका को साम्यवाद के बढ़ते कदमों को रोकने के लिये भारत जैसे शक्तिशाली गुट निरपेक्ष देश की मित्रता एवं सहानुभूति का मौका मिल गया था ।[2]

पाकिस्तान सरकार ने 1962 के युद्ध के समय चीन का समर्थन किया था । पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने चीन का पक्ष लेते हुये कहा कि चीन सरकार तो अपनी सीमाओं की सुरक्षा चाहती है[3] प्रारम्भिक आक्रमण भारत के द्वारा ही किया गया था । इस घृणित कदम के उठाने पर ही चीनियों ने भारत को बुरी तरह पराजित कर दिया था ।[4]

---

1- द डान, 19 अक्टूबर, 1956

2- स्टाफ स्टडीजपाकिस्तान एण्ड सिनो- इन्डियन डिस्प्यूट ।। पाकिस्तान होरिजन भाग 15 नं0 1 फर्स्ट क्वार्टर, 1963 पेज, 65

3- द डान करांची, 20 नवम्बर, 1962

4- वही,

जेड0 ए0 भुट्टो ने भारत के प्रति अधिक से अधिक कठोर शब्दों का प्रयोग करने में कभी बख्शा ही नहीं है और जब भारत-चीन के सम्बन्ध बिगड़े हुये थे। इस समय तो वह भारत से एक हजार वर्ष तक लड़ने की चुनौती दे रहे थे उस समय उनका मुख्य ध्येय अपने मित्र को अधिकतम प्रसन्न करना था।[1]

1965 के भारत- पाक युद्ध की बाद 1966-70 की अवधि में पाकिस्तान की कूटनीति बहुत कुछ सफल कही जा सकती है वह अपनी भू-राजनीतिक एवं सामरिक महत्ता के कारण वह जहां अमरीका और चीन से अपने मधुर सम्बन्ध बनाने में सफल हो गया और उसी समय उसने अपने कूटनीति के माया जाल में सोवियत संघ को भी फंसाने का प्रयास किया। उसने रूस के सामने बड़े नाटकीय ढंग से अपनी लाचारी प्रदर्शित करते हुये यह सुझाया कि वह पश्चिमी सैनिक गुटबन्दियों में अपने बड़े पड़ोसी के भय के कारण अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के भय से जुड़ा हुआ है। सोवियत रूस को उसकी कूटनीतिक चालों में फंसने में देर नहीं लगी और उसकी भारतीय उपमहाद्वीप की राजनीति में रूचि बढ़ने लगे। सोवियत संघ ने भारत और पाकिस्तान दोनों से ही समान मित्रता की सम्भावनाओं को स्वीकार कर लिया। सोवियत संघ द्वारा पाकिस्तान को अस्त्रों की आपूर्ति के कारण भारत के लिये एक नयी उलझन पैदा हो गयी। पहले तो पाकिस्तान साम्यवाद विरोधी चेहरा लगाकर अमेरिका से भारी मात्रा में सहायता प्राप्त करता रहा और कुछ समय बाद भारत-चीन बिगड़े सम्बन्धों का लाभ उठाकर चीन के सामने भारत का हौवा खड़ा करके अपने सुरक्षा के नाम पर शस्त्रास्त्रों का जखीरा बढ़ाने में चीन को गुमराह करता रहा और पीकिंग से भरपूर सैन्य सामग्री लेता रहा और जब सोवियत संघ भी इसके कूटनीतिक हथकंडों का शिकार बन गया, तब उसने भारत के सामने एक विषम परिस्थिति पैदा कर दी। 25

---

1- बिन्द्रा एस0 एस0 वही पेज 260.

जुलाई को विदेशमंत्री स्वर्ण सिंह ने यह स्वीकार किया कि रूस पाकिस्तान से सम्बन्ध बढ़ाने का इच्छुक है ।[1]

भारत उपमहाद्वीप में पाकिस्तान की यह सबसे बड़ी कूटनीतिक सफलता थी, कि उसने किस तरह से भारत के विरूद्ध शक्ति सन्तुलन बनाये रखने के लिये उसके निकटतम विरोधी चीन से घनिष्ट सम्बन्ध तो बना ही लिये थे, इसके साथ ही चीन के निकटतम विरोधी रूस से भी मित्रता का हाथ मिला लिया । और बड़ी चतुरता और चालाकी के साथ भारत और सोवियत संघ जैसे मित्रों के बीच सम्बन्धों को बिगाड़ने के लिये दोनों के बीच पच्चड़ ठोंक दिया जिससे वह काश्मीर के मामले पर "वीटो" का प्रयोग न कर सके और भारत को शस्त्रों की आपूर्ति भी बंद कर दें । अप्रैल, 1968 में सोवियत नेता कोशीजन ने पाकिस्तान की यात्रा की, सोवियत रूस सैन्य सामग्री देने के लिये तैयार हो गया ।[2] रेडियो पाकिस्तान ने एलान किया कि हाल की कोशीजन यात्रा से दोनों देशों के बीच बहुत बड़ी समझदारी पैदा हुयी है ।[3] भारतीय राजनायिकों ने सोवियत संघ के इस व्यवहार पर तीव्र रोष व्यक्त किया । इस पर आयूब खां ने भारत पर आरोप लगाया कि वह अपनी ईर्ष्या एवं कुंठा के कारण पाकिस्तान को अकेला और निर्बल देखना चाहता है ।[4]

श्रीमती गांधी ने 15 अगस्त, 1968 को भारतीय उपमहाद्वीप में तनाव कम करने के उद्देश्य से पाकिस्तान के सामने अयुद्ध सन्धि" का प्रस्ताव रखा -

-------------

1- द टाइम्स आफ इंडिया न्यू दिल्ली, 26 जुलाई, 1966

2- हिन्दुस्तान टाइम्स 3 मई, 1968

3- वही, 30 मई, 1968

4- खान अयूब, 3 स्टेटमेंन्ट इन लंदन - इन डान करांची, 23 जुलाई, 1968.

द डान समाचार-पत्र ने इसे भारत का एक पाखण्ड[1] कह कर इसका उपहास किया । मो0 अयूब के शब्दों में दुनिया को यह एक धोखा था ।[2]

बंगलादेश संकट के समय पाकिस्तान की कूटनीति :

बंगलादेश संकट भारतीय उपमहाद्वीप के लिये एक चुनौती के रूप में था । पाकिस्तान की कूटनीति ने भारत को ऐसे दल-दल में फंसाने का प्रयास किया था कि मानो उसके राजनीतिक भविष्य पर एक प्रश्न चिन्ह ही लग गया हो । 12 अक्टूबर को याहया खां ने एक वक्तव्य में कहा कि वह भारत के साथ युद्ध नहीं मित्रता चाहते हैं ।[3] इसका एक ही मन्तव्य था कि वह भारत में बांगलादेश की 13 % आबादी शरणार्थी के रूप में भेजकर उसके लिये सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक संकट तो पैदा कर ही दिया है । अब वह विश्व जनमत के सामने शान्ति प्रिय होने का नाटक दिखा रहे थे ।

जब पाकिस्तान की सेनायें पूर्वी पाकिस्तान में बुरी तरह पराजय की ओर अग्रसर हो रही थी और पश्चिम में भी अपने मुँह की खा रही थी पाकिस्तान सरकार ने चीन और अमेरिका सरकार से युद्ध में सीधा हस्तक्षेप करने का प्रयत्न आरम्भ कर दिया ।[4] पहले तो उसने सीटोऔर सेंटों के प्राविधानों के अन्तर्गत सदस्य देशों को भारत के विरूद्ध भड़काने का प्रयास किया किन्तु जब वह उन देशों में उत्तेजना पैदा करने में सफल नहीं हुआ, तब पाकिस्तान ने दूसरा

---

1- द डान करांची, 19 अगस्त, 1968

2- ट्रिब्यून-2 सितम्बर, 1968

3- पाकिस्तान टाइम्स-12 अक्टूबर, 1971

4- द जैकसन, एच पाकिस्तान होप्स फार इन्टरवेन्शन बाइ मेजर पावर्स इन गार्जियन (लंदन) 13 दिसम्बर, 1971.

कूटनीतिक दांव लगाकर सब को भारत-पाक युद्ध में लपेटने की योजना बनायी जिससे अमेरिका अपने सबसे बड़े शत्रु के विरुद्ध और अतिनिकटतम पुराने मित्र पाकिस्तान के पक्ष में सीधा युद्ध क्षेत्र में कूद पड़े । इसने सोवियत संघ पर आरोप लगाया कि उसके सैनिक भारतीय सेना के साथ मिलकर उसके विरुद्ध संयुक्त अभियान चला रहे हैं । विशेष रूप से रूसी सैनिकों का सहयोग करांची बंदरगाह की नव सैनिक गतिविधियों में है । वास्तविकता यह थी कि रूस पर यह झूठा आरोप था । विश्व के राजनायकों को गुमराह करने के उद्देश्य से उसने अपने जासूसों के द्वारा एक झूठे आरोप का विज्ञापन करवाया कि 9 दिसम्बर को करांची बंदरगाह पर प्रक्षेपास्त्रों से जो हमला किया गया था वह भारतीय नौ सेना द्वारा नहीं था वरन रूसी पनडुब्बियों द्वारा किया गया था ।[1]

पाकिस्तान के सरकारी प्रवक्ता ने 9 दिसम्बर को यह आरोप लगाया कि भारतीय लड़ाकू विमानों एवं प्रक्षेपास्त्रों का प्रयोग सोवियत सैनिकों के द्वारा किया जा रहा है ।[2] मास्को के राजनीतिक पर्यवेक्षकों ने पाकिस्तान के इन आरोपों के निराधार एवं कोरा झूठ बताया इन्होंने पाकिस्तान सरकार पर आरोप लगायाकिइसका यह मिथ्या प्रचार व उसके बचकाने पन का द्योतक है । वह जानबूझ कर इस युद्ध में महाशक्तियों को घसीटना चाहता है[3] । पाकिस्तानी कूटनीतिज्ञ इस फिराक में थे कि भारत महाद्वीप विश्व की महाशक्तियों के मल्लयुद्ध का एक अखाड़ा बन जाय ।

## भारत में अस्थिरता पैदा करने की पाकिस्तान की कूटनीति

भारत कोपाकिस्तान, अपने कूटनीतिक दांव पेंचों के द्वारा केवल अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर ही मात देने के लिये आतुर नहीं रहा है, उसने भारत की आन्तरिक

---

1- द टाइम्स आफ इंडिया, 16 दिसम्बर, 1971

2- नेशनल हेरल्ड - 12 दिसम्बर, 1971

3- स्टेटसमैन - 12 दिसम्बर, 1971

परिस्थितियों का लाभ उठाकर उसकी एकता और अखण्डता के लिये भी समस्यायें खड़ी करने में प्रयासरत है । पाकिस्तान ने भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में चीन से सांठ-गांठ करके अस्थिरता फैलाने के लिये देशद्रोही तत्वों को प्रोत्साहन दे दिया है । भारत सरकार ने 4 अक्टूबर, 1968 को नागा और मिजो विद्रोहियों को हथियार, छापामार युद्ध का प्रशिक्षण और धन देने के सम्बन्ध में प्रमाणित दस्तावेजों की प्रतिलिपियां प्रस्तुत की है [1]। भारत के रक्षामंत्री श्री जगजीवन राम[2] ने 19, अगस्त, 1970 को लोकसभा में कहा कि पाकिस्तान और चीन नागालैण्ड और मिजोरम के राष्ट्रविद्रोहियों को छापामार युद्ध प्रणाली में प्रशिक्षित करके हथियार और गोलाबारूद सहित वापस भेज देते हैं ।

पाकिस्तान के शासकों ने भारत में साम्प्रदायिक तनाव पैदा करने के लिये तथा विश्व के अन्य मुस्लिम राष्ट्रों की दृष्टि में भारत की छवि धूमिल करने का भी निरन्तर प्रयास किया है । 5, जून, 1966 को पाकिस्तान के विदेशमन्त्री मि० भुट्टो ने भारतीय मुसलमानों को भड़काने के लिये उस पर अभियोग लगाया कि "हिन्दू संस्कृति" भारतीय मुसलमानों को भड़काने पर तुली हुयी है और साम्यवादी देशों को सन्तुष्ट करने के लिये कहा की साम्राज्यवादी शक्तियां भारत का पीठ पीछे सहयोग कर रही है " हम भारत के कपटी स्वभाव से सतर्क है वह सहयोग के नाम पर हमें भस्म करना चाहता है ।[3]

**पंजाब समस्या और जम्मू-काश्मीर की हिंसक घटनाओं में पाकिस्तान की कूटनीतिक साजिश**

8, अप्रैल, 1988 को गृहमन्त्री बूटा सिंह ने लोकसभा में पाकिस्तान पर एक गम्भीर आरोप लगाया कि पंजाब के उग्रवादियों से पाकिस्तान के रिश्तों की

---

1- हिन्दुस्तान टाइम्स 5, अक्टूबर, 1968

2- पैट्रियाट 20 अगस्त, 1970

3- एशियन रिकार्डर 9-15 जुलाई, 1966 पेज 7182.

बात नई नहीं है । भारत सरकार ने पाकिस्तान को उन प्रयासों की सूची दी है जिसके आधार पर नि:सन्देह सिद्ध हो जाता है कि पंजाब में कई वर्षों से चल रहे भयानक आतंकवाद के पीछे पाकिस्तान का हाथ है । खालिस्तान कमांडो फोर्स के मुखिया जनरल हरी सिंह ने पूछ-ताछ के दौरान रहस्योद्घाटन किया कि वासन सिंह और धन्ना सिंह ने दोनों प्रबन्धक कमेटी के सदस्य, उसे जो हथियार और बुलटप्रूफ, जाकेट दी है वे पाकिस्तान से आयी थी । उसने यह भी बताया कि भाई सुरजीत सिंह ने पंथक कमेटी को धमकी दी कि अगर उसने खालिस्तान की घोषणा नहीं की तो पाकिस्तान हथियारों की आपूर्ति बन्द कर देगा ।[1]

13 अप्रैल, 1988 को गिरफ्तार किये गये उग्रवादी बूटा सिंह ने[2] बताया कि उसके खेतों में पकड़ी गयी 16 मिसाइलें वह पाकिस्तान से लाया था उसने जसबीर सिंह के साथ मिलकर पाकिस्तान जाने और लाहौर के रानी मुहल्ले के 104 नम्बर बंगले से ए0 क 47 किस्म की राइफलों की एक पूरी खेप लाने की बात बताई ।

15 अप्रैल को श्री राजीव गांधी ने पाकिस्तान पर पंजाब के आतंकवादी संगठनों को हथियार देने का खुलकर आरोप लगाया उन्होने कहा कि अमरीका से जो हथियार अफगान मुजाहिदीनों को मिलते हैं, वे पाकिस्तान के माध्यम से पंजाब के आतंकवादियों को मिल जाते है । श्री गांधी ने आगे कहा कि भारत के पास प्रमाण है कि पाकिस्तान आतंकवादियों को प्रशिक्षण और शरण दे रहा है ।[3] पंजाब में अस्थिरता फैलाने के लिये वह चीन से भी सांठ गांठ किये हैं, क्योंकि भारत खुफिया विभाग को यह खबर मिली है कि चीन निर्मित हथियार अब भारत-नेपाल सीमा क्षेत्र से होकर पंजाब में आतंकवादियों के पास पहुंच रहे

---

1- नवभारत टाइम्स, 20 मई, 1988.

2- वही,

3- इंडियन एक्सप्रेस, 15 अप्रैल, 1988.

हैं ।[1] भारत सरकार के गृह राज्य मन्त्री पी0 चिदम्बरम्[2] ने राज्यसभा में बताया कि पाकिस्तान के हस्तक्षेप के कारण पंजाब की स्थिति बिगड़ी है ।

शेखर गुप्ता ने विश्वास के साथ लिखा है कि पंजाब में पाकिस्तान का अभियान इंटरसर्विसेज इंटेलिजेंस द्वारा चलाया जा रहा है, इसको मार्गदर्शन देने वाले हमीद गुल को सबसे शक्तिशाली मेजर जनरल माना जाता है ।[3]

भवानीसेन गुप्त ने लिखा है[4] कि गृह मन्त्रालय के पास पाकिस्तान के उग्रवादियों के लिये प्रशिक्षण शिविरों और उग्रवादियों की सहायता के बारे में वीडियो टेप है । गृह सचिवों की कुछ समय पूर्व हुयी बैठक में पाकिस्तानी अधिकारियों को वह टेप दिखाई भी गई थी । गृहमन्त्री बूटा सिंह ने लोकसभा में बताया था कि पाकिस्तानी अधिकारी इस वीडियो फिल्म को झुठला नहीं पाये थे पर इस्लामाबाद के प्रवक्ता कुछ और ही कहते हैं । गृहमन्त्री को चाहिये कि वे इस वीडियो फिल्म का प्रदर्शन दिल्ली में रह रहे अन्तर्राष्ट्रीय पत्रकारों के बीच करें ।

सूर्यकान्त बाली[5] का स्पष्ट कथन है कि पाकिस्तान किस हद तक पंजाब को संकटग्रस्त बनाने के संकल्प को मूर्तिरूप दे रहा है । इसके लिये दो

---

1- नवभारत टाइम्स 20 सितम्बर, 1988

2- वही, 28 अक्टूबर, 1988

3- इंडिया टूडे, 31 जनवरी, 1989 पेज, 78

4- नंवभारत टाइम्स 23 अप्रैल, 1988

5- वही, 22 मई, 1988.

सूचनायें काफी है । एक कि सिख उग्रवादियों को प्रशिक्षण देने के लिये पाकिस्तान ने अपने यहां तैंतीस शिविर बना रखे हैं, जो प्रशिक्षण की जरूरत और तात्कालिता के हिसाब से भारत पाक सीमा से दो से लेकर दो सौमील की दूरी पर है । निकटतम केन्द्र सीमा से दो मील दूर अल्लाबाद में सापद इकबाल नामक स्थान पर है जबकि सबसे अधिक दो सौ मील दूर स्थापित केन्द्र बलूचिस्तान की एक छावनी में है । पर ज्यादातर लगभग 21 प्रशिक्षण शिविर भारत-पाक सीमा से पचास मील के भीतर है । ये शिविर उत्तर में स्वात से लेकर दक्षिण में करांची तक फैले है । दूसरी बात हथियारों के सम्बन्ध में है । पिछले साल जनवरी से इस वर्ष यानी 1988 के मार्च महीने में मध्य तक भारतीय सुरक्षा बलों ने पंजाब के उग्रवादियों से कहां एक ओर चौहत्तर हजार दो सौ सोलह कारतूस एक हजार तिहत्तर पिस्तौलें तीन सौ तीस गनें और तीन सौ इक्यावन रिवाल्वर बरामद हुये हैं, वहां छियासठ बम, दो सौ ग्यारह ए0के0 47 एसॉल्ट राइफलें, तीस राकेट और आठ राकेट लान्चर मिले हैं । दूसरी राइफलों, स्टेनगनों और मशीन गनों की संख्या इनसे अलग है । उसे देखते हुये यह अनुमान लगाया जा सकता है कि उग्रवादियों को दी जाने वाली पाकिस्तानी शस्त्र सहायता कितनी भारी मात्रा में है ।[1]

प्राय: पड़ोसी देश एक दूसरे की भीतरी गड़बड़ियों के राजनीतिक परिणामोंका अध्ययन करने के लिये लालायित रहते हैं पर पाकिस्तान की रूचि इतने तक सीमित नहीं है । वह भारत के अलगाववाद को भड़का रहा है, उसे प्रशिक्षण दे रहा है और उसे सज्जित कर रहा है । अर्थात् हम एक ऐसी लड़ाई में फंसे है जिसमें हम तो रण भूमि में है पर शत्रु महल में बैठा है । हम उग्रवादियों के-पीछे-पीछे, भाग रहे हैं वह उग्रवादियों को हमारे पीछे लगा देता है । हम

---

1- नव भारत टाइम्स 20 दि0, 1988

एक जगह पानी डालकर आग बुझाते हैं, वह दूसरी जगह विस्फोट कर देता है। पाकिस्तान बिना युद्ध के ही हमें पीट रहा है। उग्रवाद के खिलाफ सतत् लड़ाई में हमें उलझाकर पाकिस्तान बिना लड़े ही हमें पराजित कर देना चाहता है।[1]

जम्मू और काश्मीर भी इस समय सबसे अधिक चिन्ता का कारण बन गया है। पिछले 9 महीनों में काश्मीर की घाटी की आग जम्मू तक पहुँच चुकी है। भारत का स्वर्ग हिंसा, आगजनी, लूटपाट और हत्याओं का नर्क बन रहा है। केन्द्र सरकार के पास इस बात के प्रमाण हैं कि इस दौरान एक सौ से अधिक बार पाकिस्तान की ओर से घुसपैठिये आये है। पाकिस्तान अधिकृत काश्मीर में डेढ़ दर्जन प्रशिक्षण शिविरों की सरकार को पक्की जानकारी है। सीमा पर पकड़े गये घुसपैठियों से पूंछताछ में उन ठिकानों का ब्यौरा मिला है। उन प्रशिक्षण शिविरों में जमाएते इस्लामी और स्टूडेन्ट्स लीग के कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने के अलावा भारत विरोधी गतिविधियां चलाई जाती है। इन केन्द्रों पर जम्मू और काश्मीर में दंगा कराने, विस्फोट, जासूसी और अन्य तरीके से अशान्ति पैदा करने की याजनायें बनाई जाती है। ये सब शिविर जम्मू और काश्मीर में पाकिस्तान समर्थक ताकतों को बढ़ाने के अड्डे बन गये हैं। इसका चिंताजनक पहलू यह भी है कि पंजाब से जुड़ी पाकिस्तान सीमा पर चौकसी बढ़ जाने से इन शिविरों का आतंकवादी भी प्रयोग करते हैं।[2]

एटमबम और पाकिस्तान की कूटनीति --

पाकिस्तान गत कई वर्षों से अणुबम बनाने के लिये प्रयत्नशील है। जेड0 ए0 भुट्टो ने कहा था, " हमें मालूम है कि ईसाई, यहूदी, और हिन्दू कौमों ने बम की महारत हासिल कर ली है,। कम्यूनिस्टों के पास भी बम है, तो सिर्फ

---

1- इंडिया एण्ड पाकिस्तान-बोथ हैव एटम बम, के0सुब्रहमण्यम, 12 जून, 1988 इन नवभारत टाइम्स.

2- वही, 23 अक्टूबर, 1988.

इस्लामी बिरादरी ही इससे "वंचित क्यों रहें । डा० कादिर खाँ इस्लामी बम के जनक हैं । एक भारतीय पत्रकार कुलदीप नैयर को दिये गये सनसनी खेज साक्षात्कार में जिसने दुनियाभर में तहलका मचा दिया । डा० खाँ ने[1] मंजूर किया है कि वाकई पाकिस्तान के पास एटम बम है । लेकिन व्यापक संदर्भों में यह भी पाकिस्तान की भारत के लिये एक धमकी भरी कूटनीति तथा मुस्लिम राष्ट्रों के नेतृत्व के लिये एक चाल थी ।

कुलदीप नैयर का कथन है[2] कि उन्होंने जताने की कोशिश की कि पाक ने बम बना लिया है, खाँ को हिदायत थी कि वे संकेत भर दें ताकि हम भयभीत हो जाय ।

सेनगुप्त एवं के० सुब्रहमण्यम एक महत्वपूर्ण बात पर सहमत हैं कि " यदि भारत के पास बम न हो, तो हम एटमी हथियारों से लैस पाकिस्तान को बर्दास्त नहीं कर सकते हैं । सुब्रहमण्यम कहते है " एटमी हथियारों के मामलें में हमें पाकिस्तान को देखकर ही निर्णय लेना पड़ेगा पाकिस्तान के पास बम है और हमारे पास न हों तब वह हमें अपनी मंशा के मुताबिक चलाने के लिये मजबूत कर सकता है ।[3]

पाकिस्तान एटम बम बनाने की महारथ हासिल कर चुका है । के० सुब्रहमण्यम का मत है[4] कि चीन से पाकिस्तान को बम निर्माण में बरसों से मदद मिल रही है और बरसों से अमरीका की खुफिया एजेंन्सिया इसकी पुष्टि कर रही

---

1- इंडिया टुडे, 31 मार्च, 1987 पेज, 14

2- वही , पेज 16

3- वही, पेज, 22

4- इंडिया एण्ड पाकिस्तान - बोथ हैव एटम बम. के० सुब्रहमण्यम, 12 जून 1988 इन नवभारत टाइम्स .

इस्लामी बिरादरी ही इससे "वंचित क्यों रहें । डा० कादिर खाँ इस्लामी बम के जनक हैं । एक भारतीय पत्रकार कुलदीप नैयर को दिये गये सनसनी खेज साक्षात्कार में जिसने दुनियाभर में तहलका मचा दिया । डा० खाँ ने[1] मंजूर किया है कि वाकई पाकिस्तान के पास एटम बम है । लेकिन व्यापक संदर्भों में यह भी पाकिस्तान की भारत के लिये एक धमकी भरी कूटनीति तथा मुस्लिम राष्ट्रों के नेतृत्व के लिये एक चाल थी ।

कुलदीप नैयर का कथन है[2] कि उन्होंने जताने की कोशिश की कि पाक ने बम बना लिया है, खाँ को हिदायत थी कि वे संकेत भर दें ताकि हम भयभीत हो जाय ।

सेनगुप्त एवं के० सुब्रहमण्यम एक महत्वपूर्ण बात पर सहमत है कि " यदि भारत के पास बम न हो, तो हम एटमी हथियारों से लैस पाकिस्तान को बर्दास्त नहीं कर सकते हैं । सुब्रहमण्यम कहते है " एटमी हथियारों के मामलें में हमें पाकिस्तान को देखकर ही निर्णय लेना पड़ेगा पाकिस्तान के पास बम है और हमारे पास न हों तब वह हमें अपनी मंशा के मुताबिक चलाने के लिये मजबूत कर सकता है ।[3]

पाकिस्तान एटम बम बनाने की महारथ हासिल कर चुका है । के० सुब्रहमण्यम का मत है[4] कि चीन से पाकिस्तान को बम निर्माण में बरसों से मदद मिल रही है और बरसों से अमरीका की खुफिया एजेंन्सिया इसकी पुष्टि कर रही

---

1- इंडिया टुडे, 31 मार्च, 1987 पेज, 14

2- वही , पेज 16

3- वही, पेज, 22

4- इंडिया एण्ड पाकिस्तान - बोथ हैव एटम बम. के० सुब्रहमण्यम, 12 जून 1988 इन नवभारत टाइम्स .

है। अब जो स्थिति बनी है वह अभूतपूर्व है । भारत-पाकिस्तान के बीच जो परमाणु संशय की कूटनीति चल रही है उसे कम लोग ही समझते है । दोनों ही देश अपनी एटम क्षमता का सार्वजनिक एलान नहीं करना चाहते हैं ।

पाकिस्तान अपने एटमिक कार्यक्रम के बारे में अपने को शान्तिप्रिय प्रदर्शित करने के लिये अमेरिका एवं अन्य पश्चिमी देशों को गुमराह भी करना चाहता है । अपने पूर्व के शासकों की तरह श्रीमती बेनजीर भुट्टो ने अमेरिका की संसद को संबोधित करते हुये यह प्रस्ताव रखा कि पाकिस्तान-भारत के साथ " परमाणु परीक्षण प्रतिबन्ध समझौता करने का इच्छुक है । लेकिन भारत ने आणविक मसले पर क्षेत्रीय दृष्टिकोण को एकदम अस्वीकार कर दिया है । उसका कहना है कि विश्व पैमाने पर ही कोई परमाणु निषेध सन्धि हो सकती है । श्रीमती बेनजीर भुट्टों ने दोहराया की नीतिगत तौर पर पाकिस्तान परमाणु अप्रसार के प्रति कटिबद्ध है ।[1]

पाकिस्तान राष्ट्र संघ में भी दक्षिण एशिया को परमाणु रहित क्षेत्र घोषित करने की माँग उठाता रहा है । वह कभी नहीं कहता कि चीन परमाणु बम न बनाये । मौजूदा हालत में भारत-पाकिस्तान की इस तरह की पुरानी चालों में नहीं फंस सकता है । कभी भी उसका मित्र उसकी झोली में बम डाल सकता है । जब तक उसकी नियत सन्देह के दायरे से बाहर नहीं आती तब तक भारत उसके बयानों या प्रस्तावों पर विश्वास नहीं कर सकता ।[2]

वास्तव में, जियाउल हक ने अपनी कूटनीतिक दूरदर्शिता के सहारे पाकिस्तान को विश्व राजनीति में जिस प्रतिष्ठा और सम्मान का हकदार बना दिया था, ये काम विश्व के हर राजनेता के बस का नहीं है - जिया

---

1- इन्डिया टूडे 13 जून 1989

2- वही 14 जुलाई, 1987.

तीसरी दुनिया के ऐसे बिरले नेता थे, जो विदेश नीति के सहारे टिके थे, उन्होंने अमेरिका से अपनी शर्तों पर काम लिया और भारत को छकाया । कूटनीति में 40 वर्षों से उपलब्धियों का दिखावा भारत ने अधिक किया लेकिन जिया इस उपमहाद्वीप में सबसे सफल कूटनीतिक राजनेता बनने जा रहे थे । 1979 में विदेशमन्त्री की हैसियत से पाकिस्तान की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाने वाले तथा जिया के जनाजे में गये भारतीय प्रतिनिधि मण्डल के सदस्य अटल बिहारी बाजपेयी कहते हैं[1] " वह असली गुरू था, उसने अमेरिका को नचाया, रूस को छकाया और हमें सताया "

जिया-उल-हक की वायुयान दुर्घटना में आकस्मिक मृत्यु के बाद पाकिस्तान में बेनजीर भुट्टो के नेतृत्व में लोकतन्त्रीय सरकार का गठन हुआ । सत्ता सम्भालने के बाद उनके द्वारा दिये गये राजनीतिक वक्तव्यों से राजनैतिक प्रेक्षकों ने ऐसा अनुमान लगाया था कि शायद पाकिस्तान की वैदेशिक नीति को भी लोकतन्त्रीय जामा पहना कर विश्वशान्ति सुरक्षा और सहअस्तित्व के आधार पर अपने पड़ोसी देशों के साथ भी मैत्रीय सम्बन्धों को नया आयाम दिया जायेगा । प्रधानमन्त्री बेनजीर भुट्टो ने भारत के साथ भी पाकिस्तान के बिगड़े सम्बन्धों को सुधारने की बार-बार घोषणा की । भारत ने भी पाकिस्तान में बदली हुयी राज्य व्यवस्था के अवसर का लाभ उठाने का प्रयास किया और पाकिस्तान से एक अच्छे पड़ोसी की तरह सम्बन्धों को विकसित करने के लिये बड़ी गर्म जोशी के साथ पहल आरम्भ कर दी ।

किन्तु कुछ ही समय बाद बेनजीर भुट्टो की सरकार की कूटनीति का पर्दाफाश हो गया कि आज भी पाकिस्तान जिया उल हक की तरह केवल विश्व जनमत को गुमराह करने के लिये भारत के साथ अपने मैत्रीय प्रयासों को दर्शाना चाहता है । किन्तु वर्षों से चली आ रही पाकिस्तानी जनता की भारत विरोधी

---

1- इंडिया टूडे, 15 सितम्बर, 1988.

मानसिकता को ठुकराय कर बेनजीर सरकार भारत के साथ वास्तविक रूप में मैत्री और सदभावनापूर्ण सम्बन्ध बनाने के लिये उत्सुक नहीं है । इसलिये बेनजीर सरकार की भारत उपमहाद्वीप के प्रति प्रदर्शित की जा रही मैत्रीय सम्बन्धों की कूटनीति उस समय बेनकाब हो गयी जब पाकिस्तान सरकार के प्रतिनिधि ने संयुक्त राष्ट्रसंघ में काश्मीर का मामला उठाया और एक अन्तर्राष्ट्रीय मंच पर यह मसला उठाना शिमला समझौते की भावना के अनुरूप कैसे हो सकता है । इसी प्रकार पाकिस्तान ने अभी हाल में भारत में हुये साम्प्रदायिक दंगों के बारे में न केवल भारतीय मुसलमानों के बारे में चिन्ता व्यक्त की बल्कि सीनेट में भारत विरोधी प्रस्ताव भी पारित किया, जिसे हर दृष्टि से भारत के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप ही माना जायेगा जबकि भारत पाकिस्तान में रहने वाले हिन्दुओं के बारे में अपने देश में हिन्दुओं को प्रसन्न करने के लिये इस प्रकार के घिनौने हथकन्डे प्रयोग कभी नहीं करता है ।

इसी प्रकार सियाचीन के मसले पर पाकिस्तान के रक्षामंत्री गुलाम सरबर चीना एक ओर तो भारत सरकार के साथ समस्या के समाधान की बात करते हैं तो दूसरी ओर सियाचीन में न केवल कयामत तक डटे रहने की बात करते हैं, बल्कि वह धमकी देते हैं कि पाकिस्तान की सेना भारत को सियाचीन के दक्षिण में खदेड़ देगी ।[1]

भारत के भी राजनायकों को अब भली भाँति समझ लेना चाहिये कि पाकिस्तान भी वर्तमान बेनजीर सरकार पूर्व सैनिक शासकों के पद चिन्हों पर

---

1- दैनिक जागरण, कानपुर 8 अक्टूबर, 1989.

चलकर ही अपना राजनैतिक "भविष्य" सुरक्षितसमझ रही है। क्योंकि भारत विरोधी नीतियों के आधार पर ही पाकिस्तान की सरकार अपने देश की जनता और अमरीका तथा चीन जैसी शक्तियों को प्रसन्न रख कर उनका विश्वास अर्जित कर सकती है । अतः भारत उपमहाद्वीप में पाकिस्तान कूटनीति के किसी भी प्रकार के बदलाव के आभास को स्वीकार करना भारतीय विदेश नीति की अदूरदर्शिता ही रहेगी, किन्तु इसका तात्पर्य यह नहीं है के पाकिस्तान में भारत को अपने अच्छे सम्बन्धों को विकसित करने के प्रयत्न समाप्त कर देनी चाहिये, भारत की विदेशनीति का मुख्य लक्ष्य सभी पड़ोसियों के प्रति मधुर मैत्रीय सम्बन्ध बनायेरखना है और इसके लिये राजीव सरकार भी अपनी वचनबद्धता को कई बार दोहरा चुकी है ।

## पंचम परिच्छेद

## वाशिंगटन-इस्लामाबाद-पीकिंग-धुरी

### वाशिंगटन-इस्लामाबाद-पीकिंग धुरी के लिये उत्तरदायी परिस्थितियाँ

वाशिंगटन-इस्लामाबाद धुरी का आधार -- पाकिस्तान, अमरीका और चीन के बीच जो विश्वास और मैत्री सम्बन्धों का वातावरण बना उसके पीछे इन तीनों राष्ट्रों के अपने अपने भू राजनीतिक एवं सामरिक स्वार्थ निहित रहे हैं। राष्ट्रपति आयूब खाँ ने अपनी आत्मकथा में पाकिस्तान द्वारा पश्चिमी देशों के खेमें में सम्मिलत होने के पीछे कुछ कारण उजागर किये थे पहला अमेरिका जो पश्चिमी देशों का नेता है, अपने मित्र देश ब्रिटेन के अनुभवों और मार्गदर्शन के आधार पर पाकिस्तान की सैनिक एवं अर्थिक क्षमताओं में वृद्धि करने में पहले से ही प्रयास कर रहा था। दूसरा, पाकिस्तान, काश्मीर समस्या एवं अन्य विवादों के सम्बन्ध में भारत सरकार एवं जनता की इच्छाओं से परिचित हो चुका था कि भारत की बहुसंख्यक हिन्दू जनता पाकिस्तान निर्माण के लिये आज भी पाश्चाताप कर रही है और वह आज भी दोनों देशों का एकीकरण चाहती है " यह प्रमुख कारण था जिसने भारत के आक्रमण का भय पाकिस्तान की जनता के मन में बुरी तरह बैठा दिया और इसके साथ ही उसे यह भी शंका पैदा हो गयी कि यदि रूसी साम्यवाद का प्रभाव बढ़ता है तो जबरन पाकिस्तान को भारत के साथ मिलाने का खतरा पैदा हो जायेगा।[1]

तृतीय, पाकिस्तान की आर्थिक हालत बहुत खराब हो रही थी और इसे सुदृढ़ बनाने के लिये विदेशी सहयोग की आवश्यकता थी। अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों के साथ सदभावना पूर्ण मैत्री सम्बन्ध बनाये बिना अपने जीर्ण शीर्ण मूलभूत आर्थिक ढांचे में परिवर्तन करना उसके लिये सम्भव नहीं था।[2]

---

1- चौधरी मोहम्मद अहसन "पाकिस्तान एण्ड यनाइटेड स्टेट्स-पाकिस्तान हरिजन वाल 9 नं0 4 दिसम्बर, 1956 पेज 200.

2- खान, एम0ए0 फ्रेन्डस नो मास्टर"स ‡लन्दन" 1967 पेज 118.

पाकिस्तान, अमेरिका से व्यापार और औद्योगिक क्षेत्रों में सहायता पाने के लिये सद्भावना प्रदर्शित करने लगा[1] 1950 और 1953 के बीच में पाकिस्तान की हालत बड़ी खराब थी । पाकिस्तान की आन्तरिक निर्बलता ने उसे अमरीका को मित्र बनाने के लिये प्रेरित किया ।

अमेरिकी प्रशासन दक्षिण एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया एवं मध्यपूर्व एशिया में अपने राजनीतिक प्रभाव को बनाये रखने के लिये पाकिस्तान के भू-राजनीतिक महत्व से भलीभाँति परिचित था । अमेरिका, पाकिस्तान में अपने वर्चस्व को जीवित रखकर साम्यवाद के बढ़ते प्रभाव को रोक सकता था । यद्यपि अमेरिका, भारत की विशाल जनसंख्या, भूभाग, प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुरता से अनभिज्ञ नहीं था, उसने भारत की स्वाधीनता के प्रारम्भिक वर्षों में साम्यवादी खेमें में जाने से रोकने का प्रयास भी किया इसी प्रत्याशा में अमेरिका ने 1962 के भारत-चीन सीमा युद्ध में भारत की दिल खोलकर मदद की थी, किन्तु कुछ समय बाद जब भारत-रूस मैत्री सम्बन्ध विकसित होने लगे तब तो उसने पाकिस्तान परअपनी पकड़ और मजबूत कर दी । भारत-पाकिस्तान के बीच बहुत कुछ सम्बन्ध अमेरिका द्वारा पाकिस्तान को सैनिक सहायता देने से बिगड़े है । अमरीका और पाकिस्तान के राष्ट्रीय हितों ने एक दूसरे को अति निकट लाकर खड़ा कर दिया ।

पाकिस्तान ने सितम्बर, 1954 में दक्षिण पूर्व एशियायी सन्धि संगठन (सीटो) और बाद में जुलाई, 1955 में सेंटो की सदस्यता ग्रहण कर ली और 5 मार्च, 1959 में पाकिस्तान-अमरीकी सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर हुये । भारत ने अमरीका-पाक समझौते को एक बहुत बड़ी चुनौती के रूप में समझा । इन समझौतों के कारण पाकिस्तान, अमेरिका से अपनी संख्या और क्षेत्रफल के हिसाब से अन्य किसी भी देश की तुलना में सर्वाधिक सैनिक एवं आर्थिक सहायता प्राप्त करने लगा ।[1]

---

1- हैरिसन सीलिंग एस " ट्रबल्ड इंडिया " एण्ड हर नेबर्स- फारेन अफेयर्स न्यू यार्क, एन0वाइ 1964-65 वाल0 9 पेज, 322.

रिचर्ड वी0 वीक्स ने लिखा है, " दुनिया में ऐसे बहुत थोड़े देश है, जो अमेरिकन मित्रता का लाभ इतनी भारी मात्रा में आर्थिक और सैनिक सहायता प्राप्त करने में सफल हुये हों ।[1]

पाक-चीन धुरी का आधार -

किन्तु 1955 के पूर्व पाकिस्तान और चीन के बीच अमरीका जैसी घनिष्ठता एवं विश्वास नहीं था क्योंकि चीन में साम्यवादी क्रान्ति की सफलता के कारण अमरीका और पाकिस्तान पूरी तरह सावधान थे। इस समय पाकिस्तान अपने प्रारम्भिक पश्चिमी देशों की मित्रता की कीमत पर चीन से मित्रता करने के लिये अधिक उत्सुक नहीं रहा परन्तु पिछली बार 1955 के बान्डुग सम्मेलन में चीन के प्रधानमंत्री श्री चाउ एन लाई और पाकिस्तान के प्रधानमन्त्री श्री मोहम्मद अली बोगरा के बीच आपसी समझदारी के लिये बातचीत हुयी। यह बोगरा की व्यक्तिगत भेंट थी जिसमेंयह निश्चय किया गया कि पाकिस्तान से नये सिरे से सम्बन्ध स्थापित किया जाय। श्री बोगरा " बाँडुंग" सम्मेलन में चीन के प्रधानमन्त्री से हुयी बात चीत से पश्चिमी देशों के साथ सैनिक गुटबन्दियों के कारण उत्पन्न हुयी गलत फमियों को दूर करने में सफल हो गये।[2]

चीन के प्रधानमन्त्री ने उसी समय आश्वासन दिया कि चीन पाकिस्तान के साथ अच्छे सम्बन्धों का इच्छुक है। इस स्थिति में पाकिस्तान के लिये चीन के प्रति सद्भावना के संकेत न दिखाकर उसका तिरस्कार करना मूर्खतापूर्ण रहता। एशिया में चीन को एक प्रमुख शक्ति के रूप में मान्यता प्राप्त हो चुकी

---

1- वहीं, मिश्रा गुलाब, "प्रखर" इन्डो-पाकिस्तान रिलेशन्स फ्राम ताशकन्द एग्रीमेन्ट टू द शिमला एग्रीमेन्ट एशीज पब्लिशिंग हाउस, 8118, पंजाब बाग, नई दिल्ली.

2- गोस्वामी, बी0एन0 पाकिस्तान एण्ड चाइना " ए स्टडी आफ दियर रिलेशन्स (बाम्बे) 1971, पेज, 41.

थी । जैसे कि पाकिस्तान एक एशियायी देश होने के नाते उसके प्रालब्ध की श्रृंखलायें हमेशा के लिये एशिया से जुड़ी हुयी है । अत: एशिया की एकता के लिये पाकिस्तान को चीन के साथ सम्बन्ध बनाये रखना महत्वपूर्ण है ।[1]

श्री चाउ-एन-लाई ने "बाडुंग" की राजनीतिक समिति को सम्बोधित करते हुये कहा, कि " यद्यपि पाकिस्तान सैनिक संधियों में बंधा हुआ है, लेकिन पाकिस्तान चीन का विरोधी नहीं है । पाकिस्तान को यह भय नहीं है कि चीन उसके ऊपर आक्रमण कर देगा । यही वजह है कि दोनों देशों में आपसी समझदारी बढ़ी है । उन्होने कहा, कि हम दोनों देशों के बीच की गलत-फहमियोंको दूर करने के लिये दिये गये स्पष्टीकरण के आभारी है । इससे हम लोगों के बीच आपसी समझदारी एवं समरसता बढ़ी है, जिससे समग्र रूप में शान्ति और सहयोग बढ़ेगा ।[2]

"बॉडुंग " सम्मेलन में चीन-पाक धुरी की नींव का पत्थर रख दिया गया था । प्रारम्भिक काल में दोनों देशों के सम्बन्ध धीरे-धीरे मजबूत होते गये । लेकिन जैसे ही मैक-मोहन रेखा को लेकर भारत-चीन मतभेद बढ़ते गये, चीन-पाकिस्तान के बीच मित्रता बढ़ती गयी । अब तक चीन को एशिया की एक बड़ी शक्ति के रूप में मान्यता प्राप्त हो चुकी थी ।[3]

वास्तव में, यह बॉडुंग सम्मेलन था जिससे चीन-भारत के बीच राजनीतिक प्रतिस्पर्धा एफ्रो एशियायी देशों के नेतृत्व के लिये आरम्भ हो गयी ।[4]

---

1- भुट्टो, जेड०ए०- द माइथ आफ इन्डिपेन्डेन्स (लंदन) 1969 पेज 137.

2- जार्ज, एम०सी० टिमन कालिन, "द एशियन-अफ्रीकन कांफ्रेंस बॉडिंग (इथिका 1965 पीपी 57-58.

3- बिन्द्रा-एस, एस, इंडिया एण्ड हर नेबर्स, ए स्टडी आफ पालिटिकल, इकोनामिक एण्ड कल्चरल रिलेशन्स एण्ड इन्टरएक्शनस(न्यू दिल्ली) 1984 पीपी 98-104.

4- बिन्द्रा-एस.एस." फाउन्डेशन्स आफ सिनो-पाक एक्सिस," कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी रिसर्च जरनल वाल. 8(1974) पेज. 179.

जब अक्तूबर, 1956 में पाकिस्तान के प्रधानमन्त्री श्री एच0 एस0 सोहारवर्दी ने चीन की यात्रा की। उन्होंने अपनी यात्रा के समय चीन की घरेलू एवं वैदेशिक नीतियों की भूरि-भूरि प्रशंसा की। वह चीन की परियोजनाओं की प्रशंसा करने में भी नहीं चूके।[1]

चीनियोंने भारत की अपेक्षा पाकिस्तान को अधिक उपयोगी माना क्योंकि भारत के जहाँ रूस से मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध थे, वहीं पाकिस्तान का उससे विरोध था। यही वजह थी एक अमरीका समर्थक पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री को चीन में इतना अधिक सम्मान दिया गया, क्योंकि चीन पहले से ही पाकिस्तान का प्रयोग अमरीका के साथ सम्बन्ध बढ़ाने के लिये एक मध्यस्थ के रूप में करना चाहता था। यह सम्भावनायें उस समय सफल हो गयी जब 16 वर्ष बाद अमरीका के राष्ट्रपति ने पाकिस्तान की मध्यस्थता के कारण ही चीन की यात्रा सफलतापूर्वक थी। एक ईमानदार दलाल की तरह पाकिस्तान ने अपने कर्तव्यों का निर्वाह करके दोनों देशों के लिये अपने महत्त्व को सिद्ध कर दिया। पाकिस्तान से अपने सम्बन्ध और अधिक प्रगाढ़ बनाने के उद्देश्य से चीन के प्रधानमन्त्री श्री चाऊ एन लाई ने दिसम्बर, 1956 में पाकिस्तान की यात्रा की। पाकिस्तान की सरकार और वहाँ की जनता यह आशा करती थी कि चीन काश्मीर के मामले में उसका खुला समर्थन देने की घोषणा कर देगा।[2]

<u>चीन-पाक सीमा समझौता :</u>

पाकिस्तान सरकार ने भारत-चीन युद्ध के समय, चीन का खुला समर्थन किया राष्ट्रपति अयूब ने भारत पर आरोप लगाया कि वह चीन से बात-चीत के द्वारा चीन से अपनी सीमाओं की समस्याओं का समाधान नहीं कर रहा

---

1- पाकिस्तान टाइम्स, 1 नवम्बर, 1956

2- बिन्द्रा- एस.एस. डिटर्मिनेशन आफ पाकिस्तान"स फारेन पालिसी, पेज 254. खान, एम0ए0, " द पाकिस्तान-अमेरिकन-एलाइन्स फारेन अफेयर्स वाल0 xxxx11 नं0 2, जनवरी, 1964 पेज 203.

है । उन्होंने भारत पर आक्रमणकारी होने का स्पष्ट आरोप लगाया ।

चीनी नेता युद्ध के समय पाक सरकार द्वारा निभाई गई भूमिका से काफी प्रसन्न थे । परिस्थितियों ने चीन-पाक धुरी को मजबूत करने को विवश कर दिया चीन और सोवियत संघ के बीच मतभेद बढ़ रहे थे, भारत और चीन में भी कटुता बढ़ चुकी थी अतः चीन और सोवियत संघ में पाकिस्तान को अपनी-अपनी ओर आकर्षित करने की भी प्रतिस्पर्धा बढ़ रही थी । सोवियत संघ भी पाकिस्तान के प्रति अपनी नीति पर पुर्नविचार कर रहा था क्योंकि वह पाक-चीन की बढ़ती हुयी मित्रता से खुश नहीं था ।[1]

2 मार्च, 1963 को पाकिस्तान और चीन ने अपनी सामान्य सीमा के निर्धारण के सम्बन्ध में एक समझौता किया । भारत ने इस समझौते की आलोचना की । सामान्यतः यह अनुमान लगाया गया कि इस समझौते से पाकिस्तान ने काश्मीर समस्या को और अधिक उलझा दिया है ।[2] समझौता चीन-पाक मैत्री के लिये एक वरदान सिद्ध हो गया । 1963 के अन्त तक भारत-चीन और पाकिस्तान का एक सामान्य शत्रु हो गया ।[3]

अपने सम्बन्धों को और अधिक मजबूत बनाने के उद्देश्य से फरवरी, 1964 में श्री चाउ-एन-लाई ने पाकिस्तान की पुनः यात्रा की । संयुक्त विज्ञप्ति में यात्रा का सारांश देते हुये कहा, " काश्मीर विवादका का हल वहाँ की जनता की इच्छाओं के अनुरूप होना चाहिये जैसा कि भारत और पाकिस्तान ने उसे आश्वासन दिया है ।[4]

---

1- बाजपेयी, पी०एन० "काश्मीर इन कूसिएबिल (न्यू दिल्ली) 1967 पेज 133.

2- कैनबरा टाइम्स 6 मार्च, 1963 ग्लोबा एण्ड मेल 6 मार्च, 1963

3- सैयद अनवर. द पार्टी आफ सिनो-पाक एग्रीमेन्ट आरबिस वाल० 2 नं०3 1967 पेज 799.

4- एशियन रिकार्डर भाग 10 नं० 2 19-25 मार्च, 1964 पेज 5728.

बिन्द्रा का मत है कि चीन-पाक धुरी का निर्माण केवल भारत को बदनाम करने के उद्देश्य से हुआ था और वह भारत की कीमत पर क्षेत्रीय लाभ प्राप्त कराना चाहते थे । लेकिन वे सम्पूर्ण विश्व को मूर्ख नहीं बना सकते थे क्योंकि एक अनभिज्ञ व्यक्ति भी यह समझ सकता है कि चीन का दीर्घगामी उद्देश्य चीनी साम्यवादी विचारधारा को पाकिस्तान के माध्यम से संरक्षण प्रदान करना चाहता था, जिसे पाकिस्तान बुरी तरह अस्वीकृत कर चुका था ।[1]

1965 के भारत-पाक युद्ध के समय चीन ने खुलकर पाकिस्तान का पक्ष लिया जैसा कि पाकिस्तान ने 1962 में भारत-चीन युद्ध के समय लिया था । चीन सरकार ने काश्मीर के लिये आत्म निर्णय के अधिकार का समर्थन किया और उसने सोवियत रूस की पाकिस्तान के प्रति कपटपूर्ण व्यवहार की निन्दा की । उसने आरोप लगाया कि उन्होने पाकिस्तान की भूमि हड़पने के लिये भारत को उकसाया है ।[2]

चीन के समर्थन ने उसे पाकिस्तान की जनता के अति निकट लाकर खड़ा कर दिया, उन्होने चीन को एक अवसरवादी मित्र न मानकर एक सच्चे मित्र के रूप में स्वीकार कर लिया और इस प्रत्याशा में कि भविष्य के किसी भी संकट के समय वह पुन: सहयोगी बनेगा । पाकिस्तान की जनता ने पाक-चीन मैत्री को अपना अनुमोदन देदिया । एक कविता पाकिस्तान आकाशवाणी से कही गयी थी ।

---

1- बिन्द्रा एस0एस0 "डिर्टमिनेशन आफ पाकिस्तान फारेन पालिसी पेज 262.

2- ए0, सैय्यद अनवर , चाइना एण्ड द इन्डो पाकिस्तान वार, 1965 ओरबिस भाग 9 नं0 3, 1966 पेज 860.

मित्रता की पुकार पर तुमने खूब निभाया
चीन-इन्डोनेशिया तुम अमर रहो ।[1]

भारत-पाक युद्ध के बाद चीन-पाक सम्बन्ध अपने शिखर पर पहुँच चुके थे । पाकिस्तान की जनता प्रसन्न थी ।

इस समय तक अमेरिका समझ चुका था कि पाकिस्तान को चीनी शिविर में जाने से रोकना कठिन कार्य है । अत: अमरीका,पाकिस्तान की सैनिक आवश्यकताओं और सैन्य पुर्ननिर्माण की अभिलाषा में पूरी तरह सतर्क था ।

अमेरिका-चीन सम्बन्धों का विकास -

चीन-अमेरिका के सम्बन्धों में वृद्धि की प्रक्रिया वास्तविक रूप में 1969 में आरम्भ हुयीऔर जिसने 1971 में एक महत्वपूर्ण मोड़ ले लिया ।[2] अमेरिका औरचीन को नजदीक लाने में कई तथ्य उत्प्रेरक रहे हैं । इसमें मुख्य रूप से सोवियत संघ और चीन के बीच अमेर और असुरी नदियों के बीच सैनिक संघर्ष और चीन सीकिंयांग और सोवियत कजाकिस्तान पर मार्च और अगस्त में संघर्ष छिड़ गया । सोवियत संघ के सितम्बर, 1969 में चीन को और अधिक विध्वसंक साधनों का प्रयोग करने की धमकी के विरूद्ध चीन को यह आभास होने लगा कि सोवियत संघ का सम्भावित आक्रमण हो सकता है ।[3]

---

1- बिन्द्रा, एस०एस० "डिर्टमिनेशन आफ पाकिस्तान"स फारेन पालिसी पेज, 166.

2- ए. डोक बारनेक " द चेंजिंग पैटर्न आफ यू०एस० -चाइना रिलेशनन्स करेंट डेवलपमेंन्ट यू०एस०आइ०एस०, न्यू दिल्ली, पेज ।

3- केसिंग्स कान्टेम्पोरेरी आर्कीव्स, 1969 पेज 23641.

इसके साथ ही चीन को अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में अकेला होने का भय सताने लगा क्योंकि लियोनिद ब्रेझनेव उसकी घेराबन्दी करने का प्रयास कर रहे थे । उन्होंने 1969 में एक एशिया सुरक्षा योजना को भी प्रकाशित किया था ।[1] चीन इस समय अमेरिका से सम्बन्ध बनाने के लिये बड़ा उतावला था ।

दूसरी ओर अमरीका भी रूस और चीन के मतभेदों का लाभ उठाकर अपनी स्थिति सुदृढ़ करना चाहता था । वह यह अनुभव कर रहा था कि इस समय विश्व स्तर की राजनीति में उसका प्रमुख प्रतिद्वन्द्वी सोवियत संघ है, चीन नहीं । अमरीकी प्रशासन ने यह अनुभव किया कि जब एशिया की महाशक्तियों के शक्ति सन्तुलन में परिवर्तन आ रहा है, तब तो अमरीका- चीन की मित्रता से एशिया में अमरीका की स्थिति मजबूत होगी -- अमरीका का यही लालच उसे चीन के समीप खींच लाया । इसमें एक तथ्य यह भी जोड़ा जा सकता हैं कि अमरीका, चीन से मिलकर पाकिस्तान की स्थिति भारत के विरूद्ध और भी सुदृढ़ करना चाहता था । पाकिस्तान केवल अमरीका का मित्र नहीं था, बल्कि वह चीन का भी जिगरी दोस्त बन चुका था और वह भी अमरीका-चीन की मित्रता भारत के खिलाफ बढ़ाने का इच्छुक था ।[2]

रिचर्ड निक्सन ने ही राष्ट्रपति का पद ग्रहण करने पर अमेरिका के चीन के साथ सम्बन्ध बनाने की प्रक्रिया आरम्भ कर दी थी । 1970 में कांग्रेस को विदेश नीति पर दिये जाने वाले प्रथम सन्देश में राष्ट्रपति निक्सन ने खुलकर कहा था कि अमेरिका के चीन के साथ सम्बन्ध सामान्य एवं सकारात्मक है और इससे अब चीन का एकाकीपन समाप्त हो गया है । 15 जुलाई, 1971 को एक साथ

---

1- प्रावदा, 6 जून 1969

2- द टाइम्स आफ इंडिया, न्यू दिल्ली,
21, जुलाई, 1978.

वाशिंगटन और चीन में मई 1972 में राष्ट्रपति निक्सन की चीन के शीर्षस्थ नेताओं से पीकिंग में मिलने की घोषणा की, जिससे दोनों देशों के बीच विचारों का आदान-प्रदान हो सके। डोक बरनेट लिखते है[1] कि 1971 का वर्ष अमेरिका चीन सम्बन्धों के परिवर्तन के लिये अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में एक प्रमुख घटना के रूप में याद किया जायेगा।'

एक समय वह था, जब 1965 के युद्ध के समय जब चीन, पाकिस्तान का पक्ष लेकर भारत के विरूद्ध युद्ध में हस्तक्षेप करने के लिये विचार कर रहा था, तब अमेरिका ने कूटनीतिक माध्यमों से यह सूचना पहंचायी थी कि यदि भारत पर चीन पुनः आक्रमण करता है, तोअमेरिका उसकी सुरक्षा के लिये अवश्य आयेगा।[2] लेकिन आज यह बात अतीत की हो चुकी थी, किन्तु आज बदली हुयी अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियों में जुलाई 1971 में श्री हेनरी किसिंजर की पीकिंग यात्रा के बाद वही अमरीकी प्रशासन नई दिल्ली को यह संकेत देने लगा कि यदि भारत-पाक युद्ध में चीन पाकिस्तान का पक्ष लेकर आता है उस स्थिति में भारत को अमरीकी मदद की कोई आशा नहीं करनी चाहिये।[3]

पीकिंग-वाशिंगटन धुरी : विश्व राजनीति की दो विरोधी महाशक्तियां

अमरीका और साम्यवादी चीन अब विश्व समस्याओं के प्रति एक समान स्वर में बोलने के लिये प्रयासरत होने लगे। चीन, अमरीका द्वारा ईरान को की जा रही शस्त्रों की आपूर्ति का समर्थक बन गया जिससे ईरान-इस्लामाबाद तेहरान-वाशिंगटन धुरी का प्रादुर्भाव हुआ। चीन ने अमरीका हिन्दमहासागर क्षेत्र की

---

1- ए, डोक बरनेट " द चेंजिंग पैटर्न आफ यू0एस0- चाइनारिलेशन्स करेन्ट डेवलपमेन्टस यू0एस0एस0आर {न्यू दिल्ली} एडि, पेज 1-7.

2- न्यूयार्क टाइम्स, 15 सित01965

3- द गार्जियन, मैनचेस्टर 28 जुलाई, 1971, द टाइम्स आफ इंडिया 28 जुलाई, आलसो.

नीति का अनुसरण किया और उसने अंगोला में अमरीका के कदमों समर्थन किया और अफ्रीका तथा खाड़ी क्षेत्रों में भी उसकी नीतियों का समर्थन करने लगा । चीन के उप-प्रधानमन्त्री तेंग-सिया-पिंग[1] ने कहा कि चीन के अमरीका के साथ सम्बन्ध केवल कूटनीतिक नहीं है बल्कि मास्को के विरूद्ध अमेरिका - चीन एक गुट है" उन्होने यह भी विश्वास दिलाया कि अमरीका-चीन सन्धि विश्व शान्ति और सुरक्षा पैदा करेगी ।

बांगलादेश-संकट-वाशिंगटन-इस्लामाबाद- पीकिंग धुरी

पाकिस्तान ने चीन और अमरीका के बिगड़े सम्बन्धों को सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया और जिसके परिणाम स्वरूप भारत के विरोध में वाशिंगटन-पीकिंग-इस्लामाबाद धुरी के रूप में एक नये राजनीतिक गठबन्धन की रचना हुयी ।[2] भारतीय उपमहाद्वीप के बदले हुये नये राजनीतिक वातावरण में अमेरिका और चीन ने बांगलादेश संकट के समय भारत के प्रति समान दृष्टिकोण रखा यद्यपि विश्व के अन्य मामलों में भले ही मतभेद रहे हों । पूर्वी पाकिस्तान की जनता द्वारा चलाये जा रहे आन्दोलन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में तथा भारत के प्रति प्रत्यक्ष रूप से दोनों मिलकर पाकिस्तान के शुभ चिंतक के रूप में एक ही तरह का खेल, खेल रहे थे । जब अक्टूबर, 1971 में हेनरी केसिंजर ने पीकिंग में चीनी नेताओं से भेंट की उसी समय भारत सरकार ने यह अनुमान लगा लिया था कि अमेरिका और चीन बांगलादेश के प्रति एक समान नीति का प्रतिपादन करेगें ।

भारत का अनुभव उस समय सही साबित हो गया जब भारत-पाक युद्ध के समय अमेरिका और चीन ने भारत को गम्भीर परिणामों की धमकियां दी । अमरीका ने आणविक आयुधों से सुसज्जित सातवां जहाजी बेड़ा बांगलादेश के

---

1- इन्टरनेशनल हेरल्ड. ट्रिब्यून(पेरिस) 5 दिसम्बर, 1978.

2- परांजपे, श्रीकान्त, इंडिया एण्ड साउथ एशिया सिन्स, 1971 रेडियन्ट पब्लिशर्स, पेज 21.

चटगाँव की ओर भेजकर भारत को भयभीत करने के लिये प्रदर्शन किया, लेकिन भारत-सोवियत सन्धि ने अमेरिका और चीन जैसी दोनों महाशक्तियों के मन्सूबों पर पानी फेर दिया । जब अमेरिका-चीन और पाकिस्तान के नये रिश्तों का युग शुरू हुआ, तभी इन नये राजनीतिक समीकरणों की प्रतिक्रिया स्वरूप भारत-रूस एक दूसरे के अधिक विश्वास पात्र बन गये । बाँगलादेश संकट से भारत-अमरीका सम्बन्धों में अधिकतम कटुता पैदा हो गयी । यह वह समय था जब अमरीका एशिया में नया राजनीतिक सन्तुलन बनाने में तत्पर था । इस कूटनीतिक प्रक्रिया में चीन उसके लिये नया सामरिक केन्द्र था ।

अमेरिका का पुराना शक्ति सन्तुलन ताइवान, दक्षिण कोरिया, दक्षिण वियतनाम और थाइलैन्ड के साथ ढह रहा था । एशिया के एक बहुत बड़े भूभाग का उससे विश्वास उठ रहा था । बड़ी आशा के साथ उसने अमरीका-पाक-चीन के साथ एक नये शक्ति सन्तुलन का निर्माण किया, जो एशिया के लिये अधिक स्वीकार्य रहेगा और ऐसा विश्वास किया गया इससे एशिया के इस विशाल क्षेत्र में अमेरिका-चीन का संयुक्त वर्चस्व बना रहेगा ।

पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान के स्वाधीनता आन्दोलन को पाकिस्तान का आन्तरिक मामला कहकर अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय को गुमराह करने का निरन्तर प्रयत्न कर रहा था, जिसका उसके मित्र अमरीका और चीन ने पाकिस्तान का आँख मूंद कर समर्थन किया, जबकि भारत इसे मानव अधिकारों का मामला कहकर विश्व जनमत का ध्यान आकर्षित कर रहा था ।

अमेरिका के राष्ट्रपति निक्सन ने श्रीमती गांधी को एक पत्र युद्ध के समय भेजा था कि वह भारत-पाक युद्ध में अपने सैनिक समझौते के अन्तर्गत पाकिस्तान का सहयोग करेगा । श्रीमती गांधी ने दिल्ली की एक सभा में किसी देश का नाम लिये बगैर कहा था कि कुछ देशों से भारत को धमकियां मिल रही हैं और उन्ही देशों से जो पाकिस्तान से सैनिक समझौतों से बंधे हैं ।[1]

---

1- इंडियन एक्सप्रेस, 7 जनवरी, 1972.

कूटनीतिक पर्यवेक्षकों का मत है कि यदि युद्ध 5 या 6 दिन और चलता तो अमरीका स्वतः प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से भारत-पाक युद्ध में कूद पड़ता है।[1] क्योंकि अमरीका और चीन भारत-सोवियत मैत्री सन्धि के कारण सामूहिक मोर्चाबन्दी बना चुके थे।

12 दिसम्बर को राष्ट्रपति निक्सन ने भारत से तत्काल युद्ध बन्द करने के लिये कहा और उसने सुरक्षा परिषद से आग्रह किया कि एक असाधारण अधिवेशन बुलाकर इस समस्या पर विचार किया जाय।[2]

चीन ने भी पाकिस्तान को यह आश्वासन दिया था कि यदि भारतीय विस्तारवादी पाकिस्तान के विरूद्ध आक्रमण करने का साहस करते हैं तो निश्चित ही चीन की सरकार और जनता हमेशा की तरह पाकिस्तान सरकार और जनता की स्वाधीनता एवं सार्वभौमिकता की सुरक्षा की रक्षा के लिये कृत संकल्प है।[3] तभी तो चीन ने भारत, चीन सीमा पर पूर्वी क्षेत्र में लगभग सेना की 10 डिवीजनें तुरन्त ही तैनात कर दी।[4] पाकिस्तान-चीन और अमरीका-पाकिस्तान के पुराने सम्बन्ध और अब नये अमरीका चीन-पाकिस्तान सम्बन्ध भारत की घेराबन्दी करके उसके लिये एक गम्भीर चुनौती के रूप में थे किन्तु यह सही है कि बंगलादेश संकट ने वाशिंगटन-इस्लामाबाद-पीकिंग को भारत-रूस मैत्री सन्धि की प्रतिक्रिया स्वरूप एक धुरी राष्ट्रों के रूप में एक साथ खड़ा होने का अवसर प्रदान किया। किन्तु यह भाग्य की विडम्बना ही कही जा सकती है कि यह वाशिंगटन-इस्लामाबाद-पीकिंग धुरी बांगलादेश के जन्म को रोककर पाकिस्तान की सार्वभौमिक एकता को अक्षुण्ण बनाये रखने में बुरी तरह असफल रही। इसे हम धुरी राष्ट्रों की कूटनीतिक अदूरदर्शिता ही कहेगें, कि यदि अमरीका और

---

1- इंडियन एक्सप्रेस 7, जनवरी, 1972.

2- हिन्दुस्तान टाइम्स, 13 दिसम्बर, 1971

3- इन्टरनेशनल हेरल्ड ट्रिब्यून, 12 अप्रैल, 1971

4- इंडियन एक्सप्रेस, 13 अप्रैल, 1971

चीन ने लोकतान्त्रिक मूल्यों के आधार पर पश्चिमी पाकिस्तान के सैनिक शासकों की पूर्वी पाकिस्तान की लोकतान्त्रिक प्रक्रिया के आधार पर निर्वाचित सरकार को सत्ता सौंपने के लिये राजी कर लिया होता, तो सम्भव था कि पाकिस्तान विभाजित न होता ।

बंगलादेश के एक नये राष्ट्र के रूप में उद्भव से जहाँ अमेरिका-चीन जैसी महाशक्तियों को विश्व राजनीति में भारी पराजय का मुँह देखना पड़ा वहीं दूसरी ओर भारत और रूस को अपनी कूटनीतिक क्षमता को सफलतापूर्वक प्रदर्शित करने का अवसर प्राप्त हो गया ।

यद्यपि बंगलादेश के जन्म को रोकने में धुरी राष्ट्र असहाय हो गये किन्तु अमेरिका और चीन जैसी महाशक्तियों ने पाकिस्तान के सैन्यीकरण की प्रक्रिया को भारी मात्रा में सैन्य सामग्री देकर इसे और भी तेज कर दिया । रीगन प्रशासन ने पाकिस्तान को एक खरब डालर के अत्याधुनिक हथियार देने का फैसला लिया था । इस नये सौदे के तहत पाकिस्तान को 60 एम 198 एम० एम० तोपें के अलावा बड़ी संख्या में 105 एम०एम० और 203 एम०एम० तोपों तथा अत्याधुनिक राडार दिये जायेंगे । रीगन प्रशासन ने पाकिस्तान की 4 करोड़ 40 लाख डालर की लागत के 60 एम०, 196 तोपें बेचे जाने के निर्णय की सूचना अमरीका कांग्रेस को दे दी । अमरीका ने पाकिस्तान को अत्याधुनिक अवाक्स देने का भी फैसला किया है । " टाइम्स पत्रिका " के अनुसार पाकिस्तान, भारत से ज्यादा सैन्य क्षमता अर्जित करना चाहता है ।[1]

अमेरिका के रक्षा मन्त्री श्री फ्रेंक कार्लूची ने अपने देश के पुराने कूटनीतिक तर्कों को ताक पर रखकर स्पष्ट शब्दों में कह दिया है कि अफगानिस्तान

---

1- दैनिक जागरण, कानपुर । जून, 87

2- नवभारत टाइम्स, 8 अप्रैल, 1988.

से सोवियत सेना की वापसी के बाद भी निकट भविष्य में पाकिस्तान को अमरीकी सैन्य सहायता में कोई कटौती नहीं की जायेगी । भारतीय नेताओं से बात-चीत के समय मि0 कार्लूची ने स्पष्ट रूप से कहा, कि अफगान समस्या अमरीकी सैनिक सहायता का एक बड़ा कारण थी, लेकिन एकमात्र नहीं । पाकिस्तान और अमरीका के सुरक्षा प्रबन्ध बहुत घनिष्ठ और दीर्घकालिक हैं । क्षेत्रीय सुरक्षा की दृष्टि से भी सम्बन्ध महत्त्वपूर्ण है । अमेरिका ने वर्ष 1990 के लिये भारत को 11.4 करोड़ डालर (करीब 159.6 करोड़ रू0) की वित्तीय सहायता दी है, जबकि पाकिस्तान को 62.1 करोड़ डालर (869.4 करोड़ रू0) की सहायता मिली है । इससे अमरीका की पाकिस्तान समर्थक नीति स्पष्ट होती है । बांगलादेश को भी भारत से अधिक अमरीकी मदद मिली है उसे 13.4 करोड़ डालर मिले हैं ।[1]

वाशिंगटन टाइम्स[2] ने जानकारी दी है कि बुश प्रशासन ने कांग्रेस को जानकारी दी है कि वह पाकिस्तान की सेना के अग्रिम मोर्चे में काम आने वाले टैंक अत्याधुनिक युद्धक विमान और विमानभेदी तोपें देना चाहता है किन्तु पाकिस्तान ने यह सैनिक एवं आर्थिक सहायता केवल अमरीका से ही प्राप्त नहीं की है । पाकिस्तान के कूटनीतिज्ञ अमरीका और चीन दोनों से ही अपने सम्बन्धों के आधार पर सैनिक सहायता प्राप्त करने में सिद्ध हस्त रहे हैं । क्योंकि जनरल जिया ने वाशिंगटन पोस्ट में एक महत्त्वपूर्ण बात कही कि अमरीका की तरह चीन भी मुजाहिदीनों का मददगार रहा है । जनरल जिया ने कहा कि अमरीकी मदद उतनी ही महत्त्वपूर्ण है जितनी कि चीनी मदद[3] अमरीका की तरह चीन भी पाक को पूरी तरह से सैनिक मदद दे रहा है । इस प्रकार वाशिंगटन

---

नवभारत टाइम्स, 8 अप्रैल, 1988.
1- ,, 12, जनवरी, 1989
2- वही, 4 फरवरी, 1989.
3- वही, 30, जनवरी, 1988.

पेइचिंग-इस्लामाबाद धुरी भारत के विरुद्ध विगत दो दशाब्दियों से पूरी तरह सक्रिय है।

पाकिस्तान में प्रधानमन्त्री पद ग्रहण करने के बाद श्रीमती बेनजीर भुट्टो ने मक्का की धार्मिक यात्रा की थी, किन्तु उन्होंने पाकिस्तान के कूटनीतिक मक्का चीन की भी यात्रा को भी उतना ही आवश्यक समझा। पिछले दो, तीन दशकों में पाकिस्तान का हर हुक्मरां पद ग्रहण करने के बाद प्राय: चीन का आशीर्वाद ग्रहण करने के लिये पेइचिंग गया है। बेनजीर भुट्टो ने भी चीन को अपनी पहली राजकीय यात्रा का केन्द्र चुनकर पुरानी परम्परा का निर्वाह किया है। वैसे श्री राजीव गांधी की चीन यात्रा के बाद यह पाकिस्तान की कूटनीतिक आवश्यकता भी बन गया था। विगत में पेइचिंग - इस्लामाबाद धुरी नई दिल्ली के विरुद्ध काम करती रही है। राजीवगांधी की इस्लामाबाद-पेइचिंग यात्राओं केबाद सारे पूराग्रह और सन्देह समाप्त नहीं हुये है, लेकिन धुरी हतप्रभ और दुविधा में अवश्य है।[1]

चीन, पाकिस्तान को मिग 21 श्रेणी के विमानों की पहली किस्त देगा। पाकिस्तान को चीन से 200 विमान मिलेंगें।[2] पाकिस्तान ने अब अपना परमाणु बम बना लिया है और सम्भवत: चीन में इसका परीक्षण किया जायेगा। यह बम पाकिस्तान के अमरीकी एफ-16 विमानों में ले जाया जा सकता है। पाकिस्तान की आणविक आयुधों की सफलता बहुत कुछ चीन पर निर्भर करती है, यद्यपि चीन लगातार इसका खंडन कर रहा है, लेकिन परमाणु कार्यक्रम में उसकी मदद लगातार जारी है।[3] चीन के वैज्ञानिक हाल ही में कहूटा गये थे। जहां पाक का परमाणु

---

नव भारत टाइम्स

1- 14 फरवरी, 1983,

2- वही, 30 मार्च, 1988.

3- वही, 4 मई, 1989.

अड्डा है और इसके प्रमुख डा० कादिर खाँ नवम्बर में चीन की यात्रा पर गये थे । अमरीकी खुफिया सूत्रों के अनुसार चीन अपने लोपनोर परमाणु स्थल में पाकिस्तान परीक्षण का इंतजाम कर रहा है ।[1]

श्री मधुसूदन आनन्द[2] के विचार से अमरीका के नये राष्ट्रपति जार्जबुश ने चीन की 40 घंटे की यात्रा की, जो राजकीय नहीं थी, लेकिन पेइचिंग में उनके 40 घंटे एक बड़े लक्ष्य को समर्पित थे । अब अमेरिका यह नहीं चाहता था कि सोवियत संघ और चीन में इतना मेल मिलाप बढ़े कि दुनिया की दो सबसे बड़ी कम्यूनिस्ट ताकतें उसके विरोध में खड़ी दिखाई दें । अमरीका यह समझ चुका है कि अब वह सोवियत संघ के विरूद्ध चीनी कार्ड नहीं खेल सकता है । जार्ज बुश चीनी नेताओं को यह विश्वास दिलाने और पाने गये थे कि रूस-अमरीकी संवाद और रूस-चीन संवाद के बावजूद चीन-अमरीकी मैत्री की धुरी बरकरार रहेगी ।

वाशिंगटन-इस्लामाबाद-पीकिंग-धुरी- और बदलते राजनीतिक समीकरण

अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में प्राय: राजनीतिक समीकरण बनते और बिगड़ते रहते हैं इसी संदर्भ में आज वाशिंगटन-इस्लामाबाद-पीकिंग धुरी की चूलें हिलती नजर आ रही है । इसके लिये गत कई वर्षों से कूटनीतिक प्रयास जारी है । मार्च, 1982 में ब्रेझनेव ने [3] ताशकन्द में एक ऐतिहासिक भाषण में कहा कि सोवियत संघ एक चीन का समर्थन करता है, जबकि अमरीका दो चीन (ताईवान और चीन) का समर्थन करता है । इसके बाद रूस और चीन के बीच वार्ताओं का दौर शुरू हुआ । 1983 के आते-आते रूस-चीन रिश्तें फिर पटरी पर आ गये । गोर्बाचौफ ने तो सत्ता में आने के बाद अपने पहले ही

---

1- नवभारत टाइम्स ,4 मई,89.

2- नवभारत टाइम्स, 5 मार्च,1989

3- वही, द विजिट आफ चाइना बाइ जार्ज बुश एण्ड सम गेस्ट्स 5, मार्च,1989. बाइ मधुसूदन आनन्द.

भाषण में कह दिया था कि वे चीन के साथ सम्बन्ध सुधारना और अतीत को भुला देना चाहेंगे । रिश्ते सुधरे भी है । दिसम्ब ,1988 में मास्को में रूस-चीन के विदेशमंत्रियों की 25 वर्ष बाद बैठक हुयी । मई में सोवियत-चीन शिखर हो रहा है । श्री गोर्बाचोव ने चीन से सामान्य सम्बन्धों की पुर्नस्थापना के लिये पीकिंग की यात्रा की । वार्ता सौहार्दपूर्ण रही । पेइचिंग में अभी हाल में लोकतान्त्रिक शासन की स्थापना के लिये हो रही हिंसक घटनाओं पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुये सोवियत संघ ने कहा कि चीन में हो रही घटनायें उसका आन्तरिक मामला है । सोवियत महा संसद में इस आशय का एक बयान पारित किया गया । इसमें कहा गया कि बाहरी दबाव से चीन में स्थित बिगड़ेगी । जबकि अमरीकी राष्ट्रपति जार्ज बुश ने एक प्रेस सम्मेलन में चीन पर सैन्य प्रतिबन्ध लगाने की घोषणा की थी ।[1] अमरीकी राष्ट्रपति जार्ज बुश ने चीन सरकार द्वारा पेइचिंग में लोकतन्त्र समर्थक प्रदर्शनकारियों के विरूद्ध बल प्रयोग की भर्त्सना की है और सैनिक साज समान की बिक्री और व्यावसायिक निर्यात पर स्थगित करने का आदेश दे दिया । इस प्रकार अमेरिका-चीन सम्बन्ध तनाव पूर्ण स्थिति में पहुँच चुके हैं ।

भारत के लिये चीन से पुनः सम्बन्ध सुधारने के लिये आवश्यकता अनुभव की जा रही है । दिसम्बर, 1988 को प्रधानमन्त्री श्री राजीव गाँधी की पेइचिंग यात्रा भारत-चीन सम्बन्धों में एक नई शुरूआत है ।[2] भारत के विदेश मन्त्री श्री पी० वी० नरसिम्हाराव ने कहा, इससे बदलते माहौल में भारत की तरह चीन भी आपसी सम्बन्ध सुधारने का इच्छुक है । चीन के उप प्रधानमन्त्री वो श्येच्येन का कहना है कि चीनी विदेश नीति का मुख्य लक्ष्य भारत से मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध बनाये रखना है ।[3]

---

1- नव भारत टाइम्स, 8 जून, 1989.

2- हिन्दुस्तान 23 दिसम्बर, 1988.

3- नवभारत टाइम्स, 29 अप्रैल, 1988.

332

संक्षेप में यही कहा जा सकता है कि बदलती हुयी राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक परिस्थितियों के परिवेश में भारतीय उपमहाद्वीप के राजनीतिक वातावरण में मास्को-पेइचिंग और नई दिल्ली-पेइचिंग के बीच सम्बन्धों के सुधार की प्रक्रिया ने वाशिंगटन-इस्लामाबाद-पीकिंग धुरी की चूलें हिला दीं और नई दिल्ली-पेईचिंग-मास्को धुरी की नींव डाल दी है, किन्तु आज इसकी सफलता भविष्य के गर्भ में ही है ।

## पंचम परिच्छेद

### भारत-सोवियत के मैत्रीपूर्ण सम्बन्धों का विकास

हर देश की परराष्ट्र नीति मूलतः अपने राष्ट्रीय हितों से संचालित होती है और जब इन हितों का विश्व शान्ति और पड़ोसी देशों के साथ सौहार्द स्थापना में कोई सीधा टकराव न हो रहा हो, तो कोई भी देश अपनी विदेश नीति को श्रेष्ठ मानवीय आदर्शों से प्रेरित कहकर शेखी मारने से क्यों चूकेगा । भारत और रूस के बीच आज जो मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध विद्यमान है, वह केवल कोरे आदर्शों और सिद्धान्तों के आधार पर नहीं है वरन् दोनों देशों के घनिष्ठ एवं विकसित मैत्रीपूर्ण सम्बन्धों के पीछे अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक परिस्थितियां एवं विवशतायें स्पष्ट रूप से सक्रिय रही है ।

सूर्यकान्त बाली[1] का मत है कि सत्य तो यह है कि भारत के प्रति रूस के दृष्टिकोण में बदलाव 1950 की कोरिया की लड़ाई के बाद ही आना आरम्भ हुआ, जब उत्तरी कोरिया को हमलावर कहकर भी भारत ने सच्चे शान्ति प्रयास किये और रूस को प्रभावित किया । जब अमेरिका ने पश्चिमी योरोप को आर्थिक दृष्टि से सुदृढ़ और अमेरिका आश्रित बनाकर रूसी विस्तारवादी योजना को रोकने के लिये अवरोधक उत्पन्न कर दिये, तब तो साम्यवादी खेमे से बाहर ईमानदार और विश्वसनीय दोस्तों की खोज में रूसी राजनयिक जुट गये । उसे ऐसे मित्रों की आवश्यकता थी जो विश्व राजनीति में उसके साथ खड़े हो सके और उसकी भूमिका अधिक विश्वसनीय बना सके ।

फिर जब उत्तर अटलांटिक सन्धि, बगदाद सन्धि और दक्षिणपूर्व एशिया की सैनिक सन्धियों ने अमरीकी सैनिक दबाव को ठीक रूस के दरवाजे पर लाकर खड़ा कर दिया तो सोवियत नेताओं को भारत का भू-राजनीतिक महत्व नजर आया । उन्हें अब साम्यवादी भारत की कम और ऐसे भारत की ज्यादा जरूरत थी, जो अमरीकी गुट से बाहर रहने की नीति पर चलकर अपनी रूसी राजनयिक

---

1- नवभारत टाइम्स-इन्डो-रसिया फ्रेन्डशिप वान्ट्स एन्यू ग्राउन्ड
न्यू दिल्ली, 28 नवम्बर, 1988.

महत्वाकांक्षाओं के अनुरूप भूमिका का निर्वाह कर सकें ।

अतः भारत को अमेरिकी सैनिक गुट से ही नहीं बल्कि उसके प्रभाव क्षेत्र से भी बाहर बनाये रखने की रूसी विवशता ने भारत रूस, मैत्री को जन्म दिया । वास्तव में दोस्ती की शुरूआत भारत द्वारा पड़ोस में खड़ी महाशक्ति के साथ अच्छे सम्बन्धों की गर्ज से उतनी नहीं थी जितनी रूस के इस राष्ट्रीय हित से थी कि भारत जैसा बड़ा देश अमरीका के हत्थे न चढ़ जाये जैसा कि उसका पड़ोसी प्रतिद्वन्दी पाकिस्तान चढ़ गया था ।[1]

दोस्ती का अगला तकाजा चीन के तेवरों की वजह से बना । 1949 में गणराज्य बनते ही चीन ने स्पष्ट कर दिया था कि वह पूर्वी योरोप नहीं है । जिसे रूसी सौर मंडल का एक टिमटिमाता तारा मान लिया जाय । माओं ने खुश्चौफ के तत्कालीन "ग्लासनोस्त" के संशोधनवादी और पूँजीवाद की पूर्वपीठिका तक कह डाला । अल्बानिया को उसने अपना कट्टर समर्थक और रूस के खिलाफ उपयोग किये जाने वाला भोंपू बना दिया । इतना ही नहीं चीन रूस से अपना कथित इलाका वापस मांगने लगा और दोनों देशों के बीच सीमा विवाद को लेकर तीखी झड़पे भी हुयी । अपने कामरेड भाई के साथ संघर्ष किये बिना उसे पाठ पढ़ाने के लिये रूस को चीन का दुश्मन भारत सबसे अच्छा दोस्त नजर आया ।

रूस को भारत की तीसरी जरूरत तब पड़ी जब वह अपने पूर्वी योरपीय साम्यवादी देशों की गर्दन दबाने के बावजूद दुनिया के सामने अपना चेहरा मानवीय और सभ्य बनाये रखना चाहता था । 1953 में बर्लिन में विद्रोह हुआ । तीन साल बाद हंगरी में जनप्रिय क्रान्ति हुयी, जिसे रूस ने दबा दिया । दुबचेक के लोकप्रिय नेतृत्व में चेकोस्लावाकिया ने रूसी लौहमुष्टि से खिसकना चाहा तो 1968 आते-आते रूसी सेना ने वह भी आवाज बन्द कर दी । भारत की पहली परीक्षा हंगरी को लेकर हुयी । जब रूस हंगरी को दबोच रहा था, तो भारत की प्रारम्भिक प्रतिक्रिया चुप रहने की थी । संयुक्त राष्ट्र संघ में भी रूस के विरूद्ध प्रस्ताव का भी उसने समर्थन नहीं किया था । चेकोस्लावाकिया और

---

1- नवभारत टाइम्स, 20 नवम्बर, 1988.

पोलैंड के मसले पर भी भारत तटस्थ बना रहा और तटस्थता की आड़ में रूस के साथ दोस्ती निभाता रहा। रूस भी यही चाहता था। गुट निरपेक्ष होने के बावजूद रूसी पिछलग्गू होने की बदनामी भारत को सदैव मिली है।[1]

लेकिन ऐसा नहीं है, कि भारत-रूस मैत्री कूटनीतिक खेल एक पक्षीय ही रहा हो। रूस की तरह भारत को भी कूटनीतिक एवं सामरिक मोर्चाबन्दी के लिये रूसी मित्रता की आवश्यकता थी। भारत को रूस की जरूरत तीन मोर्चों पर पड़ी और तीनों में ही उसने हमारा साथ दिया। पाकिस्तान, चीन और हिन्दमहासागर ये तीन मसलें हैं, जिनसे भारत पिछले तीन दशकों से जूझ रहा है। काश्मीर के मामले पर सुरक्षा परिषद में पश्चिमी देशों द्वारा रखे गये भारत विरोधी प्रस्ताव को रूस अपने "वीटो" का प्रयोग करके निरस्त करता रहा है। 1955 से ही काश्मीर समस्या के संदर्भ में सोवियत संघ का समर्थन असंदिग्ध रूप से प्राप्त हुआ है। सोवियत संघ संयुक्त राष्ट्र संघ में और उसके बाहर काश्मीर को भारत का अविभाज्य अंग मानता रहा है, रूस ने भारत को सुरक्षात्मक कवच देने के लिये 11 सितम्बर, 1964 को सुरक्षा हथियारों की आपूर्ति का एक समझौता भी किया।[2]

दूसरा चीन का मामला है, चीन लगभग तीन दशाब्दियों से एशिया के नेतृत्व के लिये बेचैन है, वह भारत के प्रभाव क्षेत्र को भी सीमित करने में लगा रहा। अतः भारत-चीन सीमा संघर्ष के समय से ही भारतीय उपमहाद्वीप में चीनी हस्तक्षेप का भय व्याप्त रहा है। इस परिस्थिति ने भारत को रूस की शुभकामनायें प्राप्त करने के लिये हमेशा प्रेरित किया।

तीसरा, हिन्दमहासागर महाशक्तियों की सैनिक गतिविधियों की प्रतिस्पर्धा का अड्डा बन रहा है, जिससे भारतीय उपमहाद्वीप के लिए एक नयी

---

1- नवभारत टाइम्स, 20 नवम्बर, 1986

2- एशियन रिकार्डर 21-27 अक्टूबर, 1964, पेज, 6099.

सुरक्षा चुनौती उपस्थित हो गयी है । हिन्दमहासागर को शान्तिक्षेत्र बनाने के भारतीय प्रस्ताव का रूस ने हमेशा समर्थन किया है । रूस भी अमरीका को वहां उपस्थित रहने का एकाधिकार नहीं देना चाहता है, इसलिये भारतीय प्रस्ताव का समर्थन करना उसके राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति का एक ढंग है । भारत इसे रूसी दोस्ती का उदाहरण मानता है । बांगलादेश, श्रीलंका और मालद्वीप की घटनाओं के बाद हिन्द महासागर अब अकेले अमरीका के सुरक्षा चक्र में बंदी नहीं रह गया है।[1] अपनी समुद्री सीमाओं में भारत यहां की महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर है । सोवियत संघ उसकी इस प्रक्रिया में सबसे बड़ा सहयोगी है ।

भारत-सोवियत संघ के सम्बन्धों को नयी दिशा प्रदान करके उनको बहुमुखी बनाने में निक्ता ख्रुश्चेव की मुख्य भूमिका रही है । सोवियत संघ ने भारत के लिये विशिष्ट क्षेत्रों जैसे राजनीति, आर्थिक और सामरिक मामलों में राष्ट्रोपयोगी सहयोग देना प्रारम्भ कर दिया, जिसके लिये भारत भी इच्छुक था । काश्मीर के मामले में उसका राजनीतिक समर्थक था, भारत की आर्थिक संरचना के लिये भारी उद्योगों को लगाने में और सामरिक क्षेत्र में भारत को उपयोगी सुरक्षा शस्त्रास्त्रों की आपूर्ति करके व्यापक सहयोग किया । जब कभी भी किसी भी तरह की समस्यायें पैदा हुयीं रूसी नेतृत्व ने भारत को सहयोग देने में अपनी नीतियों में परिवर्तन नहीं किया । सोवियत संघ ने भारत के साथ घनिष्ट मैत्रीपूर्ण सम्बन्धों को सदैव स्थायी बनाये रखा ।

5 फरवरी, 1959 को सोवियत संघ के साम्यवादी दल के प्रथम सचिव ने 21 वीं कांग्रेस के अवसर पर बड़े विश्वास के साथ यह घोषणा की थी कि भारत और सोवियत संघ मैत्री, शान्ति और सह अस्तित्व के सिद्धान्त के आधार पर

---

1- नवभारत टाइम्स, न्यू दिल्ली
28 नवम्बर, 1988.

विश्वशान्ति और सुरक्षा के लिये जो संयुक्त प्रयास कर रहे हैं, उससे साम्राज्यवादियों के षडयन्त्रकारी कुत्सित प्रयासों को नष्ट कर दिया जायेगा ।[1] 20 जून, 1960 को राष्ट्रपति डा० राजेन्द्रप्रसाद सोवियत संघ की सद्भावना यात्रा पर मास्को पहुंचे । सोवियत संघ की प्रेजेडियम के अध्यक्ष एल० आई० ब्रेझनेव ने भारतीय राष्ट्रीध्यक्ष का स्वागत किया और उन्होने विश्वास व्यक्त किया कि इन दोनों देशों के बीच मित्रता सदैव की तरह विकसित होती रहेगी । डा० राजेन्द्र प्रसाद[2] ने अपने स्वागत समारोह में आयोजित प्रीतभोज के समय कहा, कि सोवियत संघ और भारत इन दोनों महान देशों ने दिखा दिया है कि यद्यपि उनकी परम्परायें, आस्थायें और दर्शन भिन्न-भिन्न हैं लेकिन फिर भी उनकी मित्रता हिमालय की तरह अटल है और भविष्य में भी रहेगी । केवल शान्तिपूर्ण नीति के लिये ही नहीं बल्कि फलप्रद सह-अस्तित्व के लिये भी ।

भारत ने जब 18 दिसम्बर, 1961 को पुर्तगाली उपनिवेशवादियों से गोवा को मुक्त कराया । अमरीका ने संयुक्त राष्ट्रसंघ की सुरक्षा परिषद में एक प्रस्ताव के द्वारा भारत को आक्रमणकारी करार देते हुये, गोवा से भारतीय फौजों की वापसी की मांग की । दूसरी ओर सोवियत प्रतिनिधि मण्डल ने गोवा की जनता और भारत सरकार द्वारा उपनिवेशवाद से मुक्त संघर्ष को खुला समर्थन दिया ।[3]

4 जनवरी, 1966 को सोवियत संघ शीर्षस्थ नेताओं के कूटनीतिक प्रयासों से प्रधानमन्त्री लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के राष्ट्रपति आयूब खाँ के बीच ताशकन्द में ऐतिहासिक बैठक हुयी । 10 जनवरी को भारत और पाकिस्तान

---

1- इंडिया एण्ड सोवियत यूनियन - ए क्रामोलोजी आफ पालिटिकल एण्ड डिप्लोमैटिक को-आपरेशन- कम्पाइल्ड बाइ ए. राय. फारवर्ड प्रसाद बाइ डा० देवी चट्टोपाध्याय, पेज, 13.

2- वही, पेज, 15

3- वहीं, पेज, 16.

के बीच ऐतिहासिक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर हुये । 11 जनवरी, को भारत गणतन्त्र के प्रधानमन्त्री श्री शास्त्री की आकस्मिक मृत्यु पर सुप्रीम सोवियत की प्रेजीडियम और मंत्रिपरिषद ने गहरा दुःख प्रकट किया ।

14, अप्रैल, 1967 को सोवियत संघ में भारत के राजदूत श्री केवल सिंह ने भारत-सोवियत मैत्री को मधुर सम्बन्धों का एक अनोखा उदाहरण बताया था । उन्होंने श्रीमती गांधी के शब्दों को उद्धृत करते हुये कहा, कि भारत का विश्वास है कि सोवियत संघ उसका सच्चा मित्र है ।[1]

22 सितम्बर, 1970 को भारत गणतन्त्र के राष्ट्रपति श्री वी0वी0 गिरि[2] मास्को पहुँचे उन्होंने 24 सितम्बर की एक प्रीतिभोज समारोह में कहा, कि मेरा विश्वास है कि भारत-रूस एक साथ मिलकर विश्व व्यवस्था में एक महान भूमिका का निर्वाह करेगें जिससे गरीबी और असमानता नष्ट होकर सौजन्यता और आपसी सम्मान और सहयोग बढ़ेगा । 30 मार्च, 1971 को साम्यवादी दल की 24वीं कांग्रेस के अवसर पर लियोनिद ब्रेजनेव ने कहा था कि सोवियत संघ और भारत के मैत्री सम्बन्ध व्यापक रूप से विकसित हुये हैं । शान्ति प्रेमी और आत्मनिर्भरता की नीति ने उसे रूस के साथ अन्तर्राष्ट्रीय जगत में सहयोगी बनाया है ।

## बंगलादेश संकट के समय भारत-सोवियत सम्बन्धों का विकास -

बंगलादेश संकट के समय भारत-सोवियत सम्बन्ध चर्मोत्कर्ष पर पहुँच चुके थे । इस अवधि में दोनों देशों के सम्बन्धों में गुणात्मक परिवर्तन हुआ । सोवियत संघ ने भारत के विरूद्ध वाशिंगटन-इस्लामाबाद-पीकिंग धुरी के बढ़ रहे दबाव और सौदेबाजी की सम्भावनाओं को मद्देनजर रखते हुये उसने भारत की पूरी तरह से

---

1- वहीं, पेज 38

2- वही, पेज 67

सहायता करने का मन बना लिया था । मास्को भारत की ओर उसी तरह से झुका हुआ था, जैसे कि अमरीका पाकिस्तान की पूरी तरह से तरफदारी कर रहा था । इस समय मास्को भारत की मित्रता के लिये कृत संकल्प था । बंगलादेश में उत्पन्न संकट को सोवियत रूस ने बड़ी गम्भीरता से लिया था । 3 अप्रैल, 1971 को सोवियत राष्ट्रपति श्री पोदगोर्नी ने श्री याहया खाँ को पूर्वी पाकिस्तान की समस्या का कोई सर्वमान्य राजनीतिक हल निकालने के लिये एक पत्र लिखा था " ऐसी सूचनायें मिली है कि ढाका में बातचीत का माध्यम समाप्त हो गया है । सैनिक प्रशासन सैनिक शक्ति के बल पर पूर्वी पाकिस्तान की जनता को कुचल रहा है । इस मामले को सोवियत संघ बड़ी गम्भीरता से ले रहा है । हमारी मंशा है कि पाकिस्तान में जो अभी हाल में जटिल समस्यायें पैदा हो गयी है । उनका तत्काल राजनीतिक समाधान होना चाहिये । किसी शक्ति प्रयोग के माध्यम से नहीं । दमनकारी उपाय निःसन्देह पूर्वी बंगाल में और अधिक खून खराबा पैदा करेगें और इससे " पूर्व पाकिस्तान की जनता की अपूरणीय क्षति होगी " ।[1]

पूर्वी पाकिस्तान की स्थिति भारत के लिये अशुभ लक्षण दर्शा रही थी । जैसे ही युद्ध के बादल घने होते जा रहे थे । सोवियत संघ का समर्थन भारत के लिये अपरिहार्य हो रहा था । भारत, अमरीका और चीन के संयुक्त दबाव के कारण रूस की ओर निहार रहा था । इस भयावह परिस्थिति ने भारत-रूस मैत्री को और अधिक व्यापक एवं सुदृढ़ बनाने का मार्ग प्रशस्त कर दिया था । भारत के विदेश मंत्री सरदार स्वर्ण सिंह जून, 1971 को शीर्षस्थ नेताओं से शिखर वार्ता के लिये मास्को पहुंचे । दोनों देशों के नेताओं द्वारा जारी की गयी संयुक्त विज्ञप्ति में कहा गया कि वर्तमान स्थिति की गम्भीरता के सम्बन्ध में दोनों देश सम्पर्क बनाये रखेगें । अगस्त के महीने में सोवियत विदेश मन्त्री

---

1- कैसिंग्स कान्टेम्परोरी, आर्किव्स 15-22 मई, 1971 पेज 24600.

ए0 ग्रोमिको ने नई दिल्ली की यात्रा की । प्रधानमन्त्री श्रीमती गाँधी ने मि0 ग्रोमिको के स्वागत में भोज दिया । भारतीय विदेशमन्त्री मि0 ग्रोमिको के साथ शान्ति, मैत्री और सहयोग की पहली बार इस प्रकार की सन्धि पर हस्ताक्षर किये ।[1]

भारत सोवियत सन्धि के प्रावधानों में दोनों शक्तियों ने यह संकल्प दोहराया कि यदि दोनों देशों में से किसी भी देश पर आक्रमण हो रहा है तो दोनों देश आपसी विचार विमर्श से उसका प्रतिरोध करेंगें । भारत-सोवियत सन्धि का भारतीय जनमानस के द्वारा व्यापक रूप से स्वागत किया गया । कांग्रेस के पुराने दिग्गज नेता श्री के0 कामराज ने कहा था, " ये सन्धि दोनों देशों के बीच केवल मैत्री सम्बन्धों को मजबूत नहीं करेगी बल्कि सम्पूर्ण एशिया एवं विश्व में शान्ति वृद्धि में सहयोग करेगी ।"[2]

श्री जे0पी0[3] ने इस सन्धि को " दक्षिण एशिया " में शान्ति के लिये " गारन्टी बताया" । श्रीमती गाँधी ने [4] लोगो को यह विश्वास दिलाया कि भारत-सोवियत संघ संधि दो सरकारों के बीच किसी विशेष परिस्थिति के लिए प्रबन्ध नहीं है, बल्कि दो महान मित्र देशों को साथ-साथ चलने का स्थायी प्रयास है । श्रीमती गांधी ने कहा कि 1971 के वर्ष को भारतीय इतिहास में एक महत्त्व पूर्ण घटना के रूप में याद किया जायेगा । उन्होने सोवियत-भारत मैत्री के गुणात्मक स्वरूप पर प्रकाश डालते हुये कहा " हम विश्व के अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों के मंच पर उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद और शोषण के विरूद्ध संघर्ष कर रहे हैं । हम विभिन्न सामाजिक पद्धतियों शान्तिपूर्व- सह अस्तित्त्व और सहयोग के लिये साथ-साथ

---

1- फारटेक्स्टआफ द ट्रीटी "फारेन अफेयर्स रिकार्ड, अगस्त, 1977 पेज 161 । (सी) परिशिष्ट

2- पैट्रियाट, 10 अगस्त, 1971

3- वहीं,

4- द इयर्स आफ इन्डेवयोर, सेलेक्टेड स्पीचेस आफ इन्दिरा गाँधी अगस्त, 1969- अगस्त 1972. पी पी 772-73

खड़े हैं । सोवियत-संघ हमारे भारी उद्योगों के विकास के लिये कच्चा माल एवं तकनीकी दे रहा है और वह भारत की बनी वस्तुओं का अधिक से अधिक आयात भी कर रहा है ।"[1]

बांगलादेश संकट के समय सोवियत संघ का सहयोग भारत की प्रतिष्ठा और अस्तित्व की रक्षा के परिप्रेक्ष्य में अद्वितीय रहा । यद्यपि भारत केवल पाकिस्तान का सामना करने में पूर्ण समर्थ था, किन्तु पाकिस्तान, भारत को मात देने के लिये और चीन के साथ नये समीकरण बनाने में संलग्न था । किन्तु श्रीमती गांधीका उस समय कूटनीतिक चाल सफल हो गयी जब उन्होनेअमेरिकाऔर चीन द्वारा हस्तक्षेप करने के पूर्व ही बंगलादेश को मान्यता देकर, युद्ध जीत लिया और बंगलादेश स्वतन्त्र हो गया । इसके लिये तो श्रेय भारत की सुव्यवस्थित उत्साही एवं बहादुर सेनाओं तथा सोवियत संघ की वचनबद्धता के निर्वाह को ही दिया जा सकता है ।

इस प्रकार बांगलादेश संकट के समय सोवियत संघ और भारत में अति समीपता बढ़ गयी । किन्तु इसका मतलब यह कभी नहीं हो सकता है और न ही हुआ है कि भारत, सोवियत रूस के हाथों का एक ऐसा औजार बन गया है कि वह जब और जैसे चाहे उसका उपयोग करे । दोनों देशों के पूरक स्वार्थ ही एक दूसरे को विश्व की अन्य महाशक्तियों की अपेक्षा अधिक नजदीक ले आयेगें । मास्को, अमेरिका और चीनकीहर प्रकार की धमकी से भारत की संयुक्त राष्ट्र संघ एवं उसके बाहर उसकी रक्षा करने के लिये उद्यत रहा है । 26,जनवरी,1972 को राष्ट्रपति श्री वी0वी0 गिरि ने [2] "ताश" के एक साक्षात्कार में कहा कि सोवियत संघ और भारत की मित्रता समय की कसौटी पर खरी उतरी है, 10 अप्रैल को भारत में सोवियत

---

1- वही, पेज 725.

2- ए0 राय : कम्पाइल्ड बाइ फारवर्ड बाइ डा0 चट्टोपाध्याय देवी प्रसाद इंडिया एण्ड सोवियत यूनियन, ए क्रोनोलोजी आफ पालिटिकल एण्ड डिप्लोमेटिक कोआपरेशन, फर्म क एल एम प्राइवेट लिमिटेड, कलकत्ता 1982 पेज, 81.

राजदूत श्री एन0एम0 पैगेव ने कहा[1], कि सोवियत - भारत सम्बन्धों का अतीत दैदीप्यमान रहा है और भविष्य और भी अधिक ज्वाज्वल्यमान रहेगा ।

आर्थिक सम्बन्धों का विकास -

26, नवम्बर, 1973 को सोवियत साम्यवादी दल के प्रमुख ब्रेजनेव 5 दिन की भारत की राजकीय यात्रा पर पधारे । यह यात्रा भारत सोवियत सम्बन्धों को और भी अधिक मजबूत करने में एक कड़ी के रूप में थी । दूसरा, बांगलादेश संकट के बाद भारत रूस आर्थिक सम्बन्धों में भी एक नये युग में प्रवेश किया क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था को भारी दबावों और अभावों का सामना करना पड़ रहा था । मास्को 2 मिलियनटनखाद्यान्न भारत को भेजने के लिये राजी हो गया । जिससे भारत की खाद्यान्न समस्या का निराकरण हो सके । भारत और सोवियत संघ के नेताओं ने एक संयुक्त विज्ञप्ति जारी करके दोनों देशों के व्यापक हितों को लाभ पहुँचाने के लिये आपसी सहयोग और विश्वास व्यक्त किया । दोनों देशों के चोटी के नेताओं ने विश्व की इस सबसे अधिक जनसंख्या वाले एशियायी क्षेत्र में शान्ति और स्थिरता पैदा करने के सामान्य प्रयासों के लिये सहयोग की अभिव्यक्ति की ।[2]

श्री ब्रेझनेव, सोवियत सहयोग से भारत में विद्यमान वर्तमान परियोजनाओं की और अधिक विकसित करने के लिये और नयी औद्योगिक एवं कृषि परियोजनाओं की स्थापित करने पर सहमत हो गये । आयरन और इस्पात उत्पादन क्षमता 7 और 10 मिलियन टन भिलाई और बोकारों में क्रमशः वृद्धि की जायेगी । सोवियत सहयोग से मथुरा में तेल शोधक कारखाने का वचन दिया गया इससे 6 मिलियन टन तेल का वार्षिक उत्पादन किया जायेगा । कलकत्ता में भूमिगत रेलवे लाइन परियोजना

---

1- वही, पेज 82

2- फारेन अफेयर्स रिकार्ड, नवम्बर, 1973

को पूरा करने में भी सोवियत सहयोग पर सहमति हो गयी । एक भारत सोवियत आयोग आर्थिक, वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग के लिये बनाया गया, जिससे योजनाओं के क्षेत्र में आपसी सहयोग उपलब्ध हो सके ।[1]

भारत और सोवियत संघ के बीच उद्योगों के विभिन्न क्षेत्रों जैसे स्टील, कोयला, भारी मशीनरी, विद्युत उपकरण एवं तेल अन्वेषण आदि के लिये सहयोग बढ़ता रहा । फिर भी मास्को 1976-80 व्यापार योजना के अन्तर्गत उपभोक्ता वस्तुओं के रूप में अदायगी के लिये सहमत हो गया । 1973 में भारत -सोवियत संघ के बीच व्यापार का लेन-देन 430 करोड़ तक था । 1974 में एक नये समझौते के अन्तर्गत यह 750 करोड़ तक पहुंचाने के लिये विचार किया गया और 1975 तक 750 करोड़ । 1976-80 के लिये अति महत्वपूर्ण एक पांच वर्षीय समझौता 15 अप्रैल, 1976 को सम्पन्न हुआ । दोनों देशों के बीच व्यापारिक प्रगति के सम्बन्ध में इंदिरा-ब्रेझनेव विज्ञप्ति जारी की गयी जिसमें 1976-80 के बीच 43,460 मिलियन लेन-देन की बात स्वीकार की गयी ।[2]

भारत-सोवियत सम्बन्धों के महत्व पर जोर देते हुये श्री ब्रेझनेव ने कहा[3] " हम इस महान देश की मित्रता के महत्व से विशेष आकर्षित है " उन्होने आगे कहा , कि भारत गणतन्त्र के साथ राजनीतिक एवं आर्थिक सम्बन्धों में घनिष्ठता बनाये रखना ही सोवियत विदेश नीति का स्थायी उद्देश्य रहा है । सोवियत जनता एकमत से भारत की शान्तिप्रिय विदेशनीति और उसकी प्रगतिशील साहसिक प्रयत्नों की जो वह अपनी कठिन सामाजिक एवं आर्थिक कठिनाइयों को सरल

-----------------

1- फारेन,अफेयर्स रिकार्ड, नवम्बर, 1973

2- फारेन अफेयर्स रिकार्ड अप्रैल, 1976 पेज 221-23

3- स्पीच मेड आन 24 फरवरी, 1976 25 सीपीएसयू कांग्रेस डाकूमेन्टस एण्ड रिसोल्यूशन, न्यू दिल्ली, एलाइड पब्लिशर्स, 1976 पेज 12-13.

बनाने के लिये कर रहा है, उसकी प्रशंसक है । हमें आशा है कि भारत इन प्रयत्नों से निश्चित ही पूरी सफलता प्राप्त कर लेगा ।

श्रीमती गांधी ने 8 से 13 जून, 1976 को मास्को की राजकीय यात्रा के समापन पर कहा, भारत-सोवियत मैत्री संकट की घड़ी में खरी उतरी है । भारतीय जनता सोवियत संघ द्वारा उसे जो कठिन समय में सहयोग दिया गया है, उसके मूल्य को आज भी स्वीकार करते हैं । संयुक्त विज्ञप्ति में कहा गया कि दोनों देशों के बीच विश्वास, मित्रता और आपसी समस्यायें का भरपूर वातावरण बना हुआ है । सोवियत नेताओं ने कहा कि भारत ने जिस नीति को अपनाया है, उससे वह अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा से अलंकृत हुआ है ।[1]

यह द्रुतगामी व्यापारिक सम्बन्धों में वृद्धि दोनों देशों में राजनीतिक मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध और आपसी समझदारी के कारण हुयी है । गत दशाब्दी में इस वार्षिक वृद्धि की दर 15-16 प्रतिशत रही, जो सोवियत संघ के विदेश व्यापार की वार्षिक वृद्धि से 11 % और भारत की विदेश व्यापार ( 13.14 % ) से कहीं अधिक थी । इतने व्यापक रूप से भारत से व्यापार करने वाला पहला विकासशील देश है ।[2]

1987 के व्यापार समझौते के अन्तर्गत, 3800 करोड़ रू० का व्यापारिक लेन-देन सुनिश्चित किया गया ( भारतीय आयात 1850 करोड़ रू० और निर्यात 1950 करोड़ ) जो 1986 के आंकड़ों से 5.5 % अधिक था । 1986 में व्यापार का लेन-देन 3600 करोड़ रूपया का था ( 21 करोड़ रू० का भारतीय निर्यात और 1500 करोड़ रू० का भारतीय आयात ) । 1992 तक दोनों देशों के बीच दोगुना

---

1- एशियन रिकार्डर 1-7 जुलाई पीपी. 13233-35.

2- द टाइम्स आफ इंडिया, न्यू दिल्ली यू०एस०एस०आर० इण्डिया इन्टरनेशनल ट्रेड फेयर, 1987, 18 नवम्बर, 1987.

व्यापार बढ़ाने का एक ऐतिहासिक तथ्य है ।[1] यह आर्थिक, वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग बढ़ायेगा । 1988 में दोनों देश आपस में 50 अरब रू० का आयात-निर्यात करेंगें ।[2]

भारत के लिये सुरक्षा सामग्री हेतु सोवियत सहयोग :

अमेरिका और चीन द्वारा पाकिस्तान को भारी मात्रा में आधुनिक अस्त्रों की आपूर्ति करने से भारतीय उपमहाद्वीप में सैन्यीकरण की प्रक्रिया तीव्र हो गयी है । अमरीकी प्रशासन अपने प्रशासनिक नियमों का भी उल्लंघन होने पर भी पाकिस्तान को अफगान विद्रोहियों के नाम पर निरंतर भारी मात्रा में शस्त्रों की आपूर्ति कर रहा है । सोवियत रूस इन दोनों महाशक्तियों की महत्वाकांक्षाओं की उपेक्षा करके भारतीय उपमहाद्वीप में अपने राजनीतिक भविष्य को दाँव पर लगा कर जोखिम नहीं उठा सकता है । अतः उसने भी भारत की हर सम्भव सैनिक सहायता देने का वचन दिया है । एक सोवियत प्रवक्ता ने कहा कि हम भारत को उसकी आवश्यकतानुसार सभी हथियारों को उपलब्ध कराने के लिये वचनबद्ध है । सोवियत रूस ने आशा व्यक्त की है कि वह भारत को विभिन्न प्रकार के हथियारों के उत्पादन के लिये आधुनिकतम तकनीकी उपलब्ध करायेगा । इस सम्बन्ध में एक उच्चस्तरीय सुरक्षा प्रतिनिधि मंडल भारतीय रक्षामन्त्री श्री के०सी० पन्त के नेतृत्व में मास्को पहुंचा जहां पर सोवियत नेताओं से उच्चस्तरीय विचार-विमर्श हुआ ।[3]

भारतीय नौ सेना को आधुनिक रूप देने के उद्देश्य से सोवियत संघ ने भारतीय नौ सेना को एक परमाणु पनडुब्बी सौंप दी है । भारतीय प्रवक्ता ने यह

---

1- द टाइम्स आफ इंडिया, न्यू दिल्ली, यू०एस०एस०आर० एण्ड इंडिया इन्टरनेशनल ट्रेड फेयर, 1987, 18 नवम्बर, 1987.

2- नवभारत टाइम्स, न्यू दिल्ली 27 नवम्बर, 1988

3- द टाइम्स आफ इंडिया (नई दिल्ली)

12 फरवरी, 1988.

जानकारी दी कि सोवियत संघ के सुदूर पूर्वी बन्दरगाह ब्लाडीवोस्टक पर भारतीय नौ सेना ने यह परमाणु पनडुब्बी प्राप्त की । पनडुब्बी भारतीय वायु सेनाको पट्टे पर दी है । सोवियत संघ ने कहा है कि भारत को परमाणु शक्ति चालित पनडुब्बी "चक्र" देने से परमाणु परिसीमन संधि का उल्लंघन नहीं है । "चक्र" परमाणु हथियारों से लैस नहीं है वरन परमाणु चालित है ।[2] वाशिंगटन स्थित रक्षा और विदेशी मामलों के दैनिक का कहना है कि यह पहला मौका है जबकि सोवियत संघ परमाणु शक्ति चालित अपना कोई उपकरण किसी दूसरे देश को बेचने पर राजी हुआ है । इस पनडुब्बी के मिल जाने से भारत तीसरी दुनिया में इस तरह की क्षमता वाला पहला देश बन गया है ।[3]

रक्षा विमानन के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिये भारत-सोवियत संघ ने एक करार पर हस्ताक्षर किये । सोवियत-संघ के सहयोग से मिग 29 लड़ाकू विमान के भारत में अंतरिम निर्माण की व्यवस्था होगी । मिग 29 की दो स्क्वाड्रन भारतीय वायु सेना में हाल में शामिल किये गये । सोवियत संघ के अलावा भारत ही एक ऐसा एकमात्र देश है जिसे सभी प्रकार के मिग विमान उपलब्ध है ।[4]

भारत - सोवियत रक्षा सहयोग निरन्तर बढ़ रहा है । सोवियत संघ ने भारत को एक खरब डालर मूल्य के हथियार उपलब्ध कराये । रक्षा विशेषज्ञों के अनुसार भारतीय नौ सेना में शीघ्र ही तीन और क्लोग्लास पनडुब्बियां शामिल होंगी । वायुसेना के लिये एक चालक एवं दो इंजनवाला मैक 3 की गति से चलने वाला हवाई जहाज बहुत छोटे मोड़ ले सकता है और दृष्टव्य क्षेत्र से भी परे अति आधुनिक "रडार" प्रणाली के कारण दुश्मन के हवाई जहाजों को गिरा सकता है । ऐसे 160 वायुयान 1990 तक भारतीय वायुसेना में प्रवेश पा जायेंगे ।[5]

---

1- द नवभारत टाइम्स, न्यू दिल्ली, 7 जनवरी, 1988.

2- वही, 21 फरवरी, 1988

3- वहीं, 23 जुलाई, 1987

4- वहीं, 3 फरवरी, 1988

5- इन्डो-सोवियत आर्म्स ट्रेड एण्ड । बी इन इंडियन एक्सप्रेस, मई, 2, 1988.

सोवियत किसिन क्लास निर्देशित विध्वंसक, इल्यूजन 76 ट्यूपोलेव 142 भारतीय सेना में सम्मिलित हुये।रूस से प्राप्त टी 72 एआई टैंक "अजय" नाम से भारतीय सेना में शामिल किये गये । यह 4 टन का मध्यम श्रेणी का युद्ध टैंक स्वचालित, लक्ष्यभेदी है । रात्रि दृष्टि क्षमता वाले यन्त्र 800 हार्स पावर के इंजन और 125 एम0एम0 तोपों से युक्त है ।[1]

1980 से 86 तक भारतीय सेना ने सोवियत टी 55 तथा टी 72 टैंक बी0एम0पी0 सैनिक वाहन, 5 ए एम० 6, एस. ए. एम. 7, एसएम 8 तथा एसएम 9 मिसाइलें सिक्का तथा एटी 3 एटी जी एन लिये जा चुके हैं । भारतीय वायु सेना ने मिग 25 आर, मिग 23 बीएन , मिग 23 , मिग 27 तथा मिग 29 वायुयान एमआइएल 24 , एमआइ एल 26 तथा एम आइ एल 17 हेलीकाप्टर्स 9 एल 75 एम डी, ए एन 32, ए आइ 20, डी0एम0 परिवाहक प्राप्त किये[2] । आज भी सोवियत संघ अमरीका तथाचीन जैसी महाशक्तियों की मद्देनजर रखते हुये भारत को सुरक्षा कवच प्रदान करने में व्यग्र है ।

भारत-सोवियत महोत्सव

भारत उपमहाद्वीप में स्थित राजनैतिक पर्यावरण के परिप्रेक्ष्य में भारत रूस सम्बन्धों में निरन्तर वृद्धि हुयी है, लेकिन राजनायकों का मत है कि आर्थिक, राजनैतिक एवं तकनीकी सम्बन्धों को तब तक स्थायी नहीं बनाया जा सकता है जब तक कि दोनों देशों की जनता के सांस्कृतिक जीवन के हस्तक्षेप में भावनात्मक एकता स्थापित नहीं हो जाती । इसीलिये दोनों देशों के सम्बन्धों की विकास शील प्रक्रिया में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन विधिवत् किया जा रहा है ।

जुलाई,1987 में मास्को क्रेमलिन के कैथेड्रिल स्कैवेयर पर श्री मिखाइल गोर्बाचौफ और श्री राजीव गाँधी ने साल भर चलने वाले अभूतपूर्व सोवियत-भारत

---

1- इण्डियन एक्सप्रेस, 2 मई,1988.

2- वही,

उत्सव का शुभारम्भ किया । उसी दिन शाम को सोवियत संघ का सबसे बड़ा लुजिनकी खेलकूद काम्पलेक्स हजारों मास्को वासियों से ठसा ठस भरा था । मास्को में शुरू होकर यह उत्सव सोवियत संघ के 12 नगरों में मनाया गया ।[1]

भारत में नवम्बर, 1987 में जब सोवियत उत्सव आरम्भ हुआ, उस समय सोवियत संघ में भारत उत्सव के चार महीने बीत चुके थे । इस वर्ष दिल्ली हवाई अड्डे से 6000 सोवियत कलाकारों युवा प्रतिनिधि मण्डल के 500 सदस्यों तथा 200 खिलाड़ियों का स्वागत किया । सोवियत तथा भारतीय नेताओं ने बार-बार इस पर बल दिया है कि इन उत्सवों ने दिल्ली घोषणा के विचारों को क्रियान्वित किया है । सोवियत संघ के भारतीय राजदूत श्री टी0एन0 कौल की राय में उत्सवों नें भारत के बारे में सोवियत धारण को बदल दिया है कि वह दूरस्थ एवं रहस्यवादी देश नहीं बल्कि एक गत्यात्मक देश है और इसी तरह सोवियत संघ भारतीयों के लिये मित्रवत स्नेहोष्ण तथा मानवीय देश है । यह बड़ी भारी उपलब्धि है, जो सोवियत भारतीय मित्रता को और अधिक मजबूत बनायेगी ।[2]

श्री प्रयाग शुक्ल ने[3] सोवियत संघ में सांस्कृतिक "भारत" शीर्षक लेख में अपने विचार व्यक्त करते हुये लिखा है कि इस उत्सव से सामाजिक एवं व्यक्तिगत स्तर पर सोवियत संघ और भारत के लोगों में सामन्जस्य स्थापित हुआ है । भारत मेले में वहां भारत के प्रति एक नई दिलचस्पी पैदा की है ।

21 नवम्बर, 1987 की भव्य उद्घाटन समारोह के साथ भारत में सोवियत महोत्सव जवाहर लाल नेहरू स्टेडियम, (नई दिल्ली) रंगारंग संयोजन के साथ

---

1- नवभारत टाइम्स, न्यू दिल्ली सोवियत-भारत फेस्टिवल 19 नवम्बर, 1988.

2- वही,

3- वही, 2 अगस्त, 1987 - कल्चरल इंडिया इन सोवियत यूनियन बाइ शुक्ला प्रयाग.

आरम्भ हुआ । सायं 6 बजे सोवियत संघ के प्रधानमन्त्री एन0आई0 रिजखोय और भारत के प्रधानमन्त्री अन्य विशिष्ट लोगों के साथ स्टेडियम में पहुंचे । दोनों प्रधानमंत्रियों ने अपने संक्षिप्त भाषणों में भारत-सोवियत मैत्री की अविरल धारा और उत्कृष्ट सांस्कृतिक परम्पराओं का उल्लेख किया ।

श्री गांधी[1] ने कहा कि आज इस विशाल मैदान में " हम इतिहास के संगम में सद्भावना और दोस्ती का फूल समर्पित कर रहे हैं ।"

वास्तविकता यह है, कि बीसवीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में भारत-रूस सम्बन्धों का जितनी अधिक विश्वसनीयता, मैत्री एवं सद्भावना से विकास हुआ है । सम्भवतः विश्व राजनीति में अन्य किन्हीं देशों के बीच इतनी अधिक द्रुत गतिः से राष्ट्रीयएवं अन्तर्राष्ट्रीय जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में इतने अधिक व्यापक रूप से आपसी सम्बन्धों का विकास नहीं हुआ है ।

इसीलिये भारत यात्रा के समय सोवियत राष्ट्रपति श्री मिखाइल गोर्बाचोफ ने कहा कि भारत और रूस की मैत्री दृढ़ नींव पर आधारित है और क्षणिक तथा तात्कालिक बातों का उस पर कोई असर नहीं पड़ता कुछ लोगों का यह कहना गलत एवं भ्रामक है कि सोवियत संघ प्राथमिकताऐं बदल रहा है तथा भारत के प्रति उसके उत्साह या सम्बन्धों में कोई कमी हुयी है । भारत और रूस के सम्बन्ध सुविकसित समान उद्देश्योंऔर सिद्धान्तों पर आधारित है । हमारे दोनों ही देश अन्तर्राष्ट्रीय विकास और मानव जाति के कल्याण की हिमायत करते हैं । अधिकांशतः विश्व समस्याओं के प्रति हमारे दृष्टिकोण समान है । भारत और रूस के बीच व्यापार , विज्ञान, तकनीक तथा आर्थिक क्षेत्र में सहयोग विस्तार हम दोनों देशों और उसके निवासियों के हित साधन की दृष्टि से कर रहे हैं । हमारे सम्बन्ध शान्ति, मैत्री, और सहयोग सन्धि तथा दिल्ली घोषणा के अलावा दोनों

---

नवभारत टाइम्स
1- , 23 नवम्बर, 1987

देशों के लोगों में परम्परागत मैत्री भावना पर आधारित है ।[1]

भारत को विश्वास है कि सोवियत संघ से प्रगाढ़ हो चुके सम्बन्ध और राजीव गांधी और गोर्बाचोफ के निजी सम्बन्ध दोनों पक्षों के बीच विश्वास और आदर की भावना बनाये रखने का मजबूत आधार प्रदान करते रहेंगे ।[2]

---

नवभारत टाइम्स

1- , 20 नवम्बर, 1988.

2- इंडिया टुडे, 15, दिसम्बर, 1988 पेज, 22.

पंचम परिच्छेद - भारत-बांगलादेश सम्बन्धों पर प्रभाव

विश्व की महाशक्तियों की राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं और आपसी प्रतिस्पर्धा के कारण भारतीय उपमहाद्वीप के पड़ोसी देशों में सौहार्दपूर्ण सम्बन्धों को स्थायित्व प्राप्त नहीं हो सका है । यद्यपि भारत ने गुट निरपेक्ष आन्दोलन का संस्थापक एवं गणमान्य नेता होने के कारण अपने छोटे पड़ोसी देशों को शान्ति पूर्ण, सह अस्तित्व एवं आपसी सद्भावना के साथ रहने का हमेशा विश्वास दिलाया है, किन्तु विदेशी शक्तियां अपने प्रभाव क्षेत्र में वृद्धि करने की अतृप्त अभिलाषा से प्रेरित होकर, इन छोटे-छोटे देशों में भारत के प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप के भय एवं शंका पैदा करने में अपने कूटनीतिक हथकंडे खेलने में संलग्न है ।

वस्तुस्थिति तो यह रही है, किमहाशक्तियों के अतिरिक्त भारत का निकटतम पड़ोसी देश पाकिस्तान स्वयं इन महाशक्तियों को भारतीय उपमहाद्वीप की राजनीति में सक्रिय रखने के लिये अपने कूटनीतिक प्रयास करता रहा है । यहां का शासक वर्ग भारत विरोधी भावनायें उभाड़कर जनता की सहानुभूति अर्जित करता रहा, दूसरा , इन महाशक्तियों से सैनिक एवं आर्थिक सहायता प्राप्त करके वह भारत का प्रबल सैनिक प्रतिद्वन्दी बनना चाहता है । कुछ हद तक उसको इन प्रयासों में सफलता भी मिली है । पाकिस्तान, अमरीका और चीन को एक मंच पर लाकर वाशिंगटन-इस्लामाबाद ; पेइचिंग धुरी बनाने में भी सफल रहा । ये धुरी देश भारत और सोवियत संघ के लिये क्षेत्रीय राजनीति में अवरोध पैदा करने के लिये सक्रिय हो गये ।

पाकिस्तान ,अमरीका और चीन को भारत से उत्पन्न खतरों से समय-समय पर अवगत करता, यद्यपि वह इन निराधार शंकाओं से इन बाहय शक्तियों को गुमराह कर रहाथा, किन्तु बांगलादेश के संकट ने उसे भारत के प्रति उठाई जा रही आशंकाओं की सत्यता के सम्बन्ध में मानों प्रमाण-पत्र दे दिया हो । एक स्वतन्त्र राष्ट्र के रूप में बांगलादेश के अभ्युदय ने भारतीय उपमहाद्वीप की राजनीति को एकनया मोड़ दे दिया । इस एतिहासिक घटना से जहां अमरीका-पाकिस्तान

और चीन एक साथ खड़े हो गये तब इन्ही परिस्थितियों की प्रतिक्रिया स्वरूप भारत और रूस में आपसी सहयोग और भी अधिक बढ़ने लगा । जिससे भारत उपमहाद्वीप का राजनीतिक वातावरण बदल गया ।

भारत ने पूर्वी पाकिस्तान की जनता के स्वाधीनता आन्दोलन में जो सहयोग किया उसके परिणाम स्वरूप भारत-बंगलादेश सम्बन्धों में प्रगाढ़ता का होना स्वाभाविक था । किन्तु अमरीका-पाकिस्तान-पेइचिंग धुरी राष्ट्र यह कैसे स्वीकार कर सकते थे कि बंगलादेश पर भारत का कहीं इतना अधिक प्रभाव न हो जाय कि वह उसकी स्थायी मित्रता केजाल में फंस कर उसका एक पालतू मित्र बनकर न रह जाय । ये तीनों देश भारत-रूस के बढ़ रहे सम्बन्धों से सशंकित तो थे ही, किन्तु अब वह बंगलादेश को इस गुट में मिलाकर नई दिल्ली-ढाका-मास्को धुरी को जन्म देकर अपनी महत्त्वाकांक्षाओं को चुनौती देने के लिये अवसर नहीं देना चाहते थे । यह सही है कि 1971 का वर्ष अमरीका, चीन और पाकिस्तान के लिये एक त्रासदी के रूप में रहा और उन्हें भारतीय उपमहाद्वीपी के राजनीतिक घटनाक्रम के संदर्भ में पूरी तरह निराशा, अपमान और कुंठा का शिकार होना पड़ा । और इसके विपरीत भारत को विश्व राजनीति में 1962 के चीन द्वारा पराजित होने के अपमान से मुक्ति मिलने के साथ-साथ विश्व समुदाय में उसके यश और प्रतिष्ठा की वृद्धि हुयी । किन्तु इसके साथ-साथ उसे सबसे बड़ा कूटनीतिक लाभ यह मिला कि उसके एक पड़ोसी शत्रु देश का विभाजन हो गया जिससे वह राजनीतिक एवं सामरिक एवं आर्थिक दृष्टि से शक्तिहीन हो गया । भारत को यह हमेशा शंका रहती थी कि भविष्य में पाकिस्तान, भारत के और बड़े एवं शक्तिशाली पड़ोसी के विरोध का लाभ उठाकर पश्चिम एवं पूर्व दोनों मोर्चे से आक्रमण न कर दें । इससे भारत को तो राहत मिल गयी, लेकिन भारत विरोधी शक्तियों को कूटनीतिक शिकस्त मिली ।

बंगलादेश को सहयोग देने में श्रीमती गांधी की सरकार ने विश्व जनमत की सहानुभूति अर्जित करने के लिये मानवीय आधार पर सहयोग देने का भले ही प्रचार किया हो, किन्तु राजनीतिक प्रेक्षक यह कहने में कभी नहीं चूकेंगे कि उसके सहयोग और सहानुभूति के पीछे एक छिपी हुयी बहुत बड़ी कूटनीतिक अभिलाषा

पूरी हुयी । शेखमुजीब के नेतृत्व में बांगलादेश को लोकतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद में आस्था रखने वाली लोकतान्त्रिक सरकार भी प्राप्त हो गयी । शेख मुजीब राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत बांगलादेश के आपसी सहयोग को ठोस एवं व्यापक आधार प्रदान करने के लिये सतत प्रयत्नशील रहे । तभी तो बांगलादेश के विदेशमंत्री ने अब्दुलसमद ने भारत की अपनी पहली राजकीय यात्रा के समय भारत-बांगलादेश सम्बन्धों पर अपने विचार व्यक्त करते हुये कहा[1] " कि मेरा विश्वास है कि भारत और बांगलादेश की जनता मित्रता और सहयोग के एक नये युग में प्रवेश कर रही है, जिसकी धर्म निरपेक्षता, लोकतन्त्र और समाजवाद के सामान्य आदर्शों में अपूर्व निष्ठा है । उन्होने आगे कहा भारत की जनता श्रीमती गांधी के नेतृत्व में और बांगलादेश की जनता मित्रता के स्थायी बन्धन को स्वीकार कर चुकी है ।

किन्तु भारत-बांगलादेश मित्रता के बन्धन बांगलादेश की आन्तरिक समस्याओं और बाहय शक्तियों के कूटनीतिक षड्यन्त्रों के कारण शीघ्र ही ढीले पड़ने लगे और भारत विरोधी गतिविधियां तेज हो गयी ।

वास्तव में, ऐसा अनुभव में आने लगा था कि अब भारतीय उपमहाद्वीप में चीन और अमरीका आपस में सहयोगी बनकर पाकिस्तान की उस पराजय का बदला लेने के लिये सक्रिय है, जिसके कारण इन महाशक्तियों को विश्व जनमत के सामने अपमान के कड़ुये घूंट पीने के लिये विवश होना पड़ा था । सच तो यह है कि ये शक्तियों भारत में स्थायी शान्ति के लिये इतनी प्रयत्नशील नहीं रही जितनी अधिक वे अपनी कूटनीतिक पराजय का बदला लेने के लिये भारतीय उपमहाद्वीप में राजनैतिक अस्थिरता पैदा करने में सक्रिय रहीं ।

श्री एस० आर० शर्मा का स्पष्ट मत है कि चीन , भारत,- सोवियत रूस की बढ़ती हुयी मित्रता से क्षुब्ध था । वह किसी भी कीमत पर भारत-सोवियत

---

1- मदर लैन्ड, 6, जनवरी, 1972.

प्रभाव में वृद्धि बर्दाश्त करने को तैयार नहीं था । अतः उसने भारत के अरूणाचल प्रदेश तथा मेघालय में तथा बांगलादेश के संवेदनशील क्षेत्रों में राष्ट्रविरोधी गति विधियों को समर्थन देना प्रारम्भ कर दिया । बंगलादेश के उत्तरीभाग, और सम्भवतः चटगांव के पहाड़ी जिलों में यह राष्ट्रविरोधी गतिविधियां तेज कर दी । अमरीका कीजासूसी एजेन्सियां भारत और बांगलादेश के सम्बन्धों को बिगाड़ने में सक्रिय हो गयी । अमरीका और चीन के संयुक्त प्रयासों से नक्सलवादी भारत और बांगलादेश में सक्रिय हो गये, जिससे दोनों देशों की सरकारों के लिये समस्यायें पैदा हो गयी ।[1] इन गतिविधियों के पीछे साजिश यही थी कि भारत और बांगलादेश दोनों पड़ोसी देश एक दूसरे को लांछित करके देश में अस्थिरता फैलाने का दोषारोपण आपस में करने लगे और आपसी समझदारी को ताक पर रखकर अपने सम्बन्ध बिगाड़ लें ।

टी0 जे0एस0 जार्ज[2] के विचारों से यह बात और भी पुष्ट होती है कि भारत की युद्ध में जीत के बावजूद चीन यह चाहता था कि भारत-बांगलादेश के सम्बन्ध अधिक समय तक सौहार्दपूर्ण न रह सकें । उसके विचार से दोनों देशों के बीच मधुरता के यह क्षण अल्पकालीन रहेगें । मि0 जार्ज के विचार से पीचिंग अब इस प्रत्याशा में अपने राजनीतिक प्रयास करने लगा कि दोनों देशों के बीच मन मुटाव शीघ्र पैदा किया जाय, क्योंकि बांगलादेश में कुछ ऐसी परिस्थितियां मौजूद है । जैसे बांगलादेश, भारत से यह आशा करेगा कि पाकिस्तानी सैनिक शासन के दमन चक्र से बांगलादेश में जो बर्बादी हुयी है उसके घावों को भारत की सहायता

---

1- शर्मा, एस0आर0 बांगलादेश क्रिसिस एण्ड इंडियन फारेन पालिसी - इन्डो-पाक वार आन बांगलादेश, पेज 170.

2- हिन्दुस्तान टाइम्स, 29 दिसम्बर, 1971 फ्राम टी0एस0एस0जार्ज इन हांगकांग, पीकिंग बिलीवस बंगलादेश विल नाव डेवलप फ्रिक्शन विद इंडिया ।

से भरने की आशा है और भारत बांगलादेश की इन आशाओं को पूरा करने में सक्षम नहीं हो सकेगा । इससे दोनों देशों के बीच जो मधुरतम सम्बन्धों का युग शुरू हुआ है, वह यथा शीघ्र समाप्त होगा । दूसरा पीकिंग की सबसे बड़ी आशा बांगलादेश में मि० मसानी के बामपंथी गुट से थी जो चीन का समर्थक और भारत का विरोधी था । यह चीन के इशारे पर मुजीब सरकार का जबरदस्त विरोध करने में लग गया । इस तरह की अवधारणायें चीनी नेतृत्व के मन में थी । जिनका उसने उपयोग भी किया ।[1] चीनी नेतृत्व अवसर पाकर भारत और बांगलादेश के बीच कलह पैदा करने के लिये किसी भी तरह की बदमाशी करने में चूकने वाला नहीं था । वह भारत को हर प्रकार से नीचा दिखाने के लिये योजनायें बनाने में लिप्त हो गया । वह भारत सरकार के लिये समस्यायें पैदा करने के उद्देश्य से मिजो विद्रोहियों एवं अन्य उपद्रवी तत्वों को सहयोग देने लगा ।

अन्त में चीन के समर्थन से बांगलादेश में माओवाद आन्दोलन तेज हो गया, क्योंकि आर्थिक अभावों से स्थिति विषम हो रही थी । अतः शेख के शासन को हटाने के लिये गृह युद्ध जैसी परिस्थितियां पैदा हो गयी ।[2] राजनीतिक प्रेक्षक यह भली भाँति समझ चुके थे कि शेख मुजीब के शासन के पतन होने पर भारत-बांगला देश मैत्री सम्बन्धों के इस युग का भी पराभव हो जायेगा । इन भारत विरोधी बाहय शक्तियों का अनुमान था ।

बांगलादेश की आन्तरिक स्थिति बिगड़ जाने पर इतिहास स्वयं अपनी पुनरावृत्ति करेगा और भारत पुनः हस्तक्षेप करेगा, यदि वह ऐसा नहीं करता है तब भारत के पश्चिम बंगाल प्रांत पर यही आतंकवादी गतिविधियों को सक्रिय कर दिया जायेगा । और यदि बंगलादेश का नेतृत्व अतिवादियों के हाथों में आ

---

1- हिन्दुस्तान टाइम्स, 29 दिसम्बर, 1971

2- द टाइम्स आफ इंडिया, 30 दिसम्बर, 1971 पीकिंग... विल ट्राइ इन सोर्ईट पीपुल वार " द सब कान्टीनेन्ट पार्टीकुलरली इन द यैग नेशन ".

गया जैसा कि भारत को भी यह शंका हो रही थी तब तो फिर बांगलादेश चीन का एक खुशामदी अनुचर बन जायेगा । तब भारत का वह सबसे दुर्दान्त शत्रु बन जायेगा । यह पश्चिम बंगाल के लिये भी एक सिर दर्द बनेगा । भारतीय उपमहाद्वीप में संकट पैदा करने के लिये दो महाशक्तियाँ बांगलादेश को मिलाकर वृहत्तर बांगलादेश भारत के पूर्वोत्तर राज्यों सहित बनाने की साजिश का सुझाव बांगलादेश में प्रसारित किया गया ।

शेखमुजीब, साम्यवादी रूस और भारत के समर्थक थे, जिसे अमरीका, चीन और पाकिस्तान ने कभी पसंद नहीं किया । चीन समर्थक आतंकवादी बामपंथी गुट भारत-बांगलादेश सम्बन्धों में कड़वाहट पैदा करने के लिये पहले से ही सक्रिय थे । वे मुजीब सरकार की किसी भी स्तर पर असफलता के लिये भारत को बदनाम करने के लिये उसका नाम घसीट लेते थे किन्तु भारत ने बांगलादेश के आन्तरिक मामलों से अपने पृथक रहने का निर्णय ले लिया था । अमरीका ने भी बांगलादेश और पाकिस्तान को पुरानी शत्रुता भुलाकर एक दूसरे के नजदीक आने के लिये हर सम्भव प्रयास आरम्भ कर दिया ।

शेख मुजीब की हत्या और सत्ता परिवर्तन के घटनाक्रम के समय अमरीका, चीन और पाकिस्तान एक गम्भीर मुद्रा का प्रदर्शन करते रहें । बांगलादेश में मुजीब सरकार का तख्ता पलटने के क्षण में चीन सरकार ने नई सरकार से कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापित कर लिये और जैसे ही 3 नवम्बर के सैनिक विद्रोह के बाद मेजर जनरल जिया सत्तासीन हुये, उसने तत्काल घोषणा कर दी, कि चीन, बांगलादेश से मित्रता बढ़ाने का इच्छुक है [1] इस प्रकार चीन, बांगलादेश के सम्बन्ध में अमरीका और पाकिस्तान से मिला रहा । इनमें से किसी भी देश ने बांगलादेश में बिगड़

---

1.- स्टेट्समैन , 3, दिसम्बर, 1975

रही कानून व्यवस्था की स्थिति पर किसी भी प्रकार से चिन्ता व्यक्त नहीं की । इस समय बांगिलादेश में भारी अस्थिरता के साथ भारत विरोधी अभियान जारी था और ये देश इस स्थिति का लाभ उठाने में व्यस्त थे, क्योंकि भारत-बांगिलादेश सम्बन्धों में तनाव पैदा करने की साजिश सफल हो रही थी ।

बांगिलादेश में जो कुछ भी हुआ उससे वाशिंगटन-इस्लामाबाद और पेइचिंग भले ही खुश हुये हों, लेकिन भारत इस क्षेत्र का सबसे अधिक प्रभावित होने वाला देश था । मुजीब की हत्या का सबसे बड़ा कारण उनका भारत समर्थक होना था । जिन्होने मुजीब शासन की समाप्ति की उनमें से अधिकतर भारत विरोधी प्रचार में महारथ हासिल कर चुके थे । भारत के उच्चायुक्त पर हमले से ही यह सिद्ध हो चुका था कि बांगिलादेश में कितने बड़े पैमाने पर भारत विरोधी प्रचार सफल हो रहा है । 26, नवम्बर, 1975 को भारत के उच्चायुक्त श्री समर सेन पर कातिलाना हमला इसका सबसे बड़ा सबूत है ।

नई दिल्ली ने ढाका को भारतीय राजनायक के सम्बन्ध में शत्रुतापूर्ण कार्य से तत्काल अवगत कराते हुये भारत विरोधी गतिविधियों पर चिन्ता व्यक्त की थी ।[1] मुख्य रूप से भारत-बांगिलादेश की राजनैतिक अस्थिरता से इसलिये चिन्तित था, क्योंकि कुछ विदेशी शक्तियां स्थिति का राजनीतिक लाभ उठाने में सक्रिय थी । भारत इस स्थिति का इन विदेशी शक्तियों द्वारा शोषण करके अपने दूरगामी हितों पर चोट सहन करने को तैयार नहीं था ।[2] अब तक भारत को यह अनुभव हो चुका था कि ये विदेशी ताकतें भारत विरोधी भावनाओं को हवा देने के लिये षडयन्त्र रच रही है, जिससे भारत के अति निकटतम पड़ोसी देश की जनता में स्थायी रूप से नफरत की भावनायें पैदा करके इस क्षेत्र में भारत के हितों को स्थायी

---

1- इंडियन एक्सप्रेस 28 नवम्बर, 1975

2- द हिन्दू मद्रास, 9 दिसम्बर, 1975.

रूप से क्षतिग्रस्त कर दिया जाय । इससे दोनों देशों के बीच खतरनाक स्थिति पैदा हो सकती है ।[1]

भारत को यह अहसास नहीं था कि उसके बांगलादेश के साथ सम्बन्धों में इतनी जल्दी खटास पैदा हो जायेगी, क्योंकि 1971 में भारतीय जनता द्वारा किये गये बलिदानों की स्मृतियां अभी ताजी थी । भारत-बांगलादेश के बीच फरक्का जलविवाद, सीमा विवाद, नवमीर द्वीप विवाद, शरणार्थी समस्या, सीमा पर समस्यायें एवं अन्य अनेकों समस्यायें विवादास्पद रूप ले चुकी थी । इनको द्विपक्षीय वार्ताओं द्वारा समाधान करने के स्थान पर सत्तासीन सैनिक शासक विदेशी शक्तियों की खुश करने के उद्देश्य से अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर इनका प्रचार करने में अपने हित साधनों की पूर्ति समझने लगे और इसका दुष्परिणाम यह हुआ कि दोनों देशों के बीच सम्बन्ध इतने तनावपूर्ण हो गये कि फरक्का-जल-विवाद को अन्तर्राष्ट्रीय मंच पर ले जाने का निर्णय ले लिया । कई बार सीमा पर बांगलादेश के सीमा सुरक्षा बलों द्वारा भारतीय अधिकारियों एवं सीमा सुरक्षा बलों तथा सीमा पर रहने वाली जनता पर गोलियां चलाई गई ।

इन परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में भारत के विदेश मन्त्री श्री चह्वाण ने[2] यह स्पष्ट कर दिया था कि अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में " एक बार मित्र बनने का अर्थ यह कभी नहीं होता कि उसकी मित्रता हमेशा स्थायी रहेगी । उन्होने ढाका यात्रा के समय कहा कि दोनों पक्षों को मित्रता बनाये रखने के लिये आवश्यक है कि उन्हें मध्यम मार्ग का अनुसरण करना चाहिये, उन्हें बैठकर आपसी समस्याओं का खुलकर विचार विमर्श करना चाहिये ।

---

1- स्टेट्स मैन, 10, दिसम्बर, 1975.

2- दास, गुप्ता सुख रंजन मिड नाइट मास्कैर इन ढाका पेज, 45.

श्री सुखरंजनदास गुप्ता लिखते हैं कि मुजीब की हत्या के बाद बांगलादेश की आन्तरिक राजनीति का सबसे दुखद पहलू यह रहा कि सभी राजनीतिक संगठन विदेशी शक्तियों की अभिलाषाओं को पूरा करने में सक्रिय हो गये। विदेशी शक्तियों में मुख्य रूप से पाकिस्तान, चीन और अमरीका भारत- बांगलादेश में आपसी तनाव पैदा करके कुछ राजनीतिक लाभ प्राप्त करने के लिये उत्सुक थे। बांगलादेश के राजनीतिक जीवन में जैसे-जैसे संकट गहराता जा रहा था उनकी इच्छायें और अधिक सक्रिय हो रही थी। जैसे ही मुजीब के बाद जिया सत्ता में आये अमरीका ने उनकी सरकार को तुरन्त मान्यता दे दी। राष्ट्रपति फोर्ड ने जिया को हर स्तर पर सहयोग देने का वचन दिया। चीन, अमरीका से इस बात पर सहमत हो गया कि जिया शासन अच्छा है। यह तो नहीं कहा जा सकता है कि जिया को सत्ता में लाने के लिये इन देशों का कहां तक हाथ रहा है। लेकिन इस बात में सन्देह नहीं रहा कि मि0 जिया-उर-रहमान देश के अन्दर एवं बाहर हर तरह का सहयोग लेने को तत्पर रहे। इन देशों को बांगला देश के नेतृत्व से केवल एक ही स्वार्थ था कि वे किसी भी तरह भारतीय एवं रूस समर्थक शक्तियों को सत्ता से बाहर रखना चाहते थे। परिणामत: इन विदेशी शक्तियों ने बांगलादेश की साम्प्रदायिक ताकतों का खूब समर्थन किया।[1]

जनरल इरशाद के शासन काल में अभी हाल के वर्षों में भारत-बांगलादेश सम्बन्ध तेजी से बिगड़े हैं। बांगलादेश के नेताओं ने चटगांव पहाड़ी क्षेत्र में हिंसक घटनाओं के लिये भारत पर खुलकर दोषारोपण किया है। यद्यपि भारत इन आतंकवादी गतिविधियों में भारत का हाथ होने से साफ इंकार करता रहा। किन्तु बांगलादेश के दैनिक समाचार-पत्रों में शासक वर्ग की सह मिलने से भारत विरोधी अभियान उच्च शिखर पर पहुंच गया। भारत विरोधी भावनायें इतनी तीव्र हो गयी कि बांगलादेश के सभी समाचार पत्रों में पाकिस्तान के अखबारों से इस प्रकार के घृणित समाचार प्रकाशित किये गये कि भारत-बांगलादेश पर आक्रमण की योजना बना रहा है, जबकि भारत के उच्चायुक्त को इस निन्दनीय झूठे दुष्प्रचार

---

1 - दास गुप्ता, सुख रंजन मिड नाइट मास्कर इन ढाका [illegible], पेज 82-93

के लिये बांगलादेश की जनता को आश्वस्त करने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा ।[1]

कुछ विरोधी दलों के सांसदों ने भारत से कूटनीतिक सम्बन्ध समाप्त करने की मांग उठाते हुये भारत के उच्चायुक्त को निष्कासित करने की मांग की । सरकार और विरोध पक्ष ने एक साथ भारत विरोधी आवाज उठाते हुये कहा कि यह बांगलादेश-श्रीलंका नहीं हो सकता है ।[2]

जनरल इरशाद ने इस्लाम को राजधर्म घोषित करके एक तो भारत विरोधी भावनायें प्रदर्शित करके पाकिस्तान जैसे इस्लाम धर्मावलम्बी भारत विरोधी देशों को खुश करने की एक तुरूप चाल चली दूसरी ओर बहुसंख्यक मुस्लिम जनता की सहानुभूति अर्जित करने का भी एक उद्यम किया । मुजीब शासन की धर्म निरपेक्षता को अल्पकाल में ही दफना दिया गया । भारतीय जनता पार्टी के सांसद अश्विनी कुमार और जगदीश प्रसाद माथुर ने श्री राजीव गांधी से मांग की है कि वे बांगलादेश के राष्ट्रपति जनरल इरशाद से बातचीत में हिन्दुओं पर हो रहे अत्याचार को रोकने के लिये आश्वासनलेना भाजपा नेताओं का कहना है कि जनरल इरशाद ने धर्म निरपेक्षता का मुखौटा उतार फेंका है ।[3]

भारतीय उपमहाद्वीप में बाह्य शक्तियों की राजनैतिक महत्वाकांक्षाओं के कारण भारत-बांगलादेश कई प्रकार से प्रभावित हुये है । भारत द्वारा बांगलादेश के आर्थिक पुर्ननिर्माण के लिये भरपूर सहायता देने पर भी वह बंगाली जनता की सहानुभूति अर्जित करके अपने प्रारम्भिक मैत्रीपूर्ण सम्बन्धों को स्थायी बनाने में असफल रहा है । बांगलादेश के सैनिक शासक पाकिस्तान की कूटनीतिक चालों के

---

1 - द कम्पटीशन मास्टर - जुलाई पेज, 87

2 - वही,

3 - नवभारत टाइम्स, न्यू दिल्ली, 1 अक्टूबर, 1988.

के अनुशरण का अभ्यास करके अपनी असफलताओं को छिपाने के लिये राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में भारत की छवि- धूमिल करने में व्यस्त है । भारत ने जब अपने निकटतम विरोधी देश चीन के साथ सामान्य सम्बन्ध बनाने की प्रक्रिया आरम्भ कर दी है और दोनों देशों के राजनयिक सीमा विवाद जैसी समस्याओं को बात-चीत के माध्यम से सुलझाने के लिये गम्भीरता पूर्वक प्रयत्नशील है, तब तो निकटभविष्य में भारत-बांगलादेश सम्बन्धों में कृत्रिम अवरोधों को सरलतापूर्वक दूर किया जा सकेगा ।

तिब्बत में चीन के हितों के प्रति जो संवेदना भारत ने दर्शाई है, उसका इतना तो प्रतिफल होना ही चाहिये कि हिमालय के दक्षिण में वाजिब हितों के प्रति चीन संवेदन शील हो । यदि ऐसा हुआ तो पड़ोसी देशों के साथ भारत के सम्बन्ध सहज होने लगेंगें ।[1] जैसा कि चीन के जल संसाधन मंत्री यांग चेन हुआई ने यदि सचमुच बांगलादेश को यह सलाह दी है कि वह गंगा और ब्रहमपुत्र के बारे में लचीला रूख अपनाते हुये भारत के साथ एक दीर्घकालीन समझौता कर लें, तो मानना होगा कि श्री राजीव गांधी की चीन यात्रा का लाभांश प्राप्त हुआ है । जनरल इरशाद पानी के सवाल को नेपाल, भूटान, चीन और भारत का पंचायती प्रश्न बनाना चाहते हैं अर्थात् सारे पड़ोसी भारत को घेर कर उस पर दबाव डाले, यह उनकी रणनीति है । किन्तु जब भारत-चीन सम्बन्धों की प्रक्रिया सामान्यीकरण की ओर अग्रसर है, तब तो भारत विरोधी तुरूप के रूप में चीन किसी को उपलब्ध नहीं है, यह संकेत भी भारत के प्रति चीन की नवोदित मैत्री का पर्याप्त प्रमाण होगा ।[1] और तभी भारत-बांगलादेश सम्बन्ध इन महाशक्तियों के झमेले से बाहर निकलकर एक अच्छे पड़ोसी के रूप में सौहार्दपूर्ण हो सकेगें ।

---

1 - नव भारत टाइम्स, 28 दिसम्बर, 1988.

2 - वही.

# षष्ठम परिच्छेद

## भारत में बांगलादेश के कारण उत्पन्न समस्यायें

षष्ठम परिच्छेद

## भारत में बंगलादेश के कारण उत्पन्न समस्यायें

### भारत में बंगलादेशी घुसपैठियों की समस्या

बांगलादेश में लोकतान्त्रिक शक्तियों की विजय और पश्चिमी पाकिस्तान के अधिनायकवाद की पराजय के बाद भारत के ही नहीं वरन् विश्व के राजनायकों ने यह आशा व्यक्त की थी कि भारत को बांगलादेश के रूप में एक नया पड़ोसी मित्र मिल जाने के कारण भारत उपमहाद्वीप की समस्यायों का सरलतापूर्वक समाधान हो सकेगा और शान्ति सहयोग एवं सुरक्षा के नये वातावरण में दोनों देशों के बीच विश्वास तथा मैत्रीपूर्ण मधुर सम्बन्धों का सृजन होगा। किन्तु यह भारत उपमहाद्वीप के लिये भाग्य की विडम्बना ही कही जा सकती है कि बांगला देश के बनने के बाद भारत में बांगलादेश से आने वाले घुसपैठियों की समस्या ने पूर्वोत्तर के असम, पश्चिमी बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा आदि सीमा वर्ती राज्यों के लिये सामाजिक एवं राजनैतिक संकट पैदा कर दिया है।

इसके अतिरिक्त असम समस्या, सीमा समस्याओं सहित अन्य अनेकों समस्याओं ने दोनों देशों की जनता के बीच अविश्वास एवं उलझने पैदा कर दी है। इन समस्याओं के समाधान के लिये दोनों देशों के राजनायकों के द्वारा किये गये निरन्तर प्रयासों के बावजूद अभी तक इनका स्थायी समाधान सम्भव नहीं हो सका है। किन्तु बांगलादेश के कारण भारत में उत्पन्न समस्याओं में बांगलादेश से व्यापक पैमाने पर भारत में आने वाले घुसपैठियों की समस्या सबसे अधिक जटिल एवं चिन्ताजनक है।

### बंगलादेश वासियों द्वारा भारत में घुसपैठ करने के कारण --

गरीबी और बेरोजगारी - बंगलादेशवासियों द्वारा भारत में घुसपैठ करके यहां पर स्थायी रूप से रहने के प्रयासों का सबसे बड़ा कारण बंगलादेश में बढ़ती गरीबी

और भ्रष्टाचार है । हरिशंकर व्यास ने लिखा हैं कि भ्रष्टाचार और गरीबी के कारण बंगलादेश की तस्वीर भयावह है । आबादी 2.6 प्रतिशत सालाना की दर से बढ़ रही है, तो विकास दर 4 % यानी 1.4 %, का विकास गरीबी तो घटने के बजाय बढ़ रही है । बांगलादेश उन गिने चुने देशों में हैं, जहां पर मृत्यु दर कम होने के बजाय बढ़ी है ।[1]

इस प्रकार गरीबी, बेरोजगारी एवं भुखमरी के शिकार ये बंगलादेशवासी भारत के सीमावर्ती राज्यों में जीविकोपार्जन की लालसा में घुसपैठ करके स्थायी रूप से भारत में रहने के लिये लालायित रहते हैं ।

<u>बांगलादेश में राजनैतिक अस्थिरता</u> -- जब कभी भी बांगलादेश में राजनैतिक अस्थिरता पैदा होती है, तो वहां से लोग भागकर भारत में शरण लेते हैं, क्योंकि भारत तो उनका पुराना घर है । 1947 में भारत, पाक, विभाजन के समय ऐसा हुआ । 1970-71 में बांगलादेश स्वाधीनता संग्राम के दौरान लाखों, करोड़ों लोगों ने भारत के सीमावर्ती राज्यों में शिविर लगाये, अगस्त, 1975 में जब शेखमुजीब की हत्या हुयी तब भी बड़ी संख्या में बांगिलादेशवासी भागकर भारत आये थे । इसी प्रकार राष्ट्रपति जियाउर रहमान की चटगांव, में हत्या के बाद कारवां वहां की दुर्गम पहाड़ियों को लांघकर काफी बड़ी संख्या में लोगों ने भारत में प्रवेश किया था और तो और बिहार के पूर्णिया नगर तक में बंगला देशवासियों के पहुंचने के समाचार थे ।[2]

---

1- जनसत्ता, 28 नवम्बर, 1986, बाइ हरीशंकर व्यास

2- दिनमान पत्रिका 26, जुलाई । अगस्त, 81 पेज 26-27

अतः राजनैतिक एवं सामाजिक अस्थिरता के कारण हिन्दू-बौद्ध यहाँ तक की मुसलमान भी भारी संख्या में भारत में प्रवेश कर जाते हैं ।

सीमा पार करने में सुगमता -- भारत बंगलादेश की सीमा ब्रहमपुत्र नदी है, जो दोनों भागों में बहती है, एक ओर बांगलादेश है तो दूसरी ओर असम और मेघालय । बंगलादेश में ब्रहमपुत्र को पद्मानदी कहा जाता है । इस नदी के किनारे छोटे-छोटे गांव है जो उपजाउ और आबादी वाले हैं । मानसून के दिनों में यह सारा इलाका जलमग्न हो जाता है । तब यह पता नहीं चलता कि भारत और बांगलादेश सीमा रेखा कहां है और बांगलादेश के नागरिक सरलता पूर्वक भारत में प्रवेश कर जाते हैं ।[1]

बांगलादेशवासी हर रोज घुसपैठ के नये निहोर तरीके खोज निकालते हैं । पश्चिम बंगाल की लगभग ।। सौ कि0मी0 लम्बी सीमा बांगलादेश से लगती है । विभाजन रेखा के रूप में नागर नदी सरीखी कुछेक छोटी-बड़ी नदिया और मील के पत्थर ही है । बिहार से सटे बंगाल के इलाके हैं तब बंगलादेश की सीमा रेखा बिहारों में घुसपैठियों से सबसे अधिक प्रभावित जिला है पूर्णिया । पूर्णिया जिले का किशनगंज अनुमंडल एक ऐसा क्षेत्र है जहां से बंगलादेश तथा नेपाल की सीमा बहुत नजदीक है, किशनगंज तथा बंगलादेश की दूरी 20 कि0मी0 से ज्यादा नहीं है, इसी प्रकार कटिहार जिले के सुधानी, बेतला, बारसोई, आजमनगर तथा साहेबगंज जिले के राजमहल और पाकुड़ आदि क्षेत्र बंगलादेश की सीमा के नजदीक है यह नजदीकी ही घुसपैठियों को प्रवेश पाने के लिये अनुकूल है । ज्यादातर घुसपैठ रात के अंधेरे में होती है -- भारत के पश्चिम बंगाल राज्य के साथ बंगलादेश की ।349 मील लम्बी सीमा है, त्रिपुरा 550 मील और असम से 265 मील होने के कारण घुसपैठिये भारत में आसानी से प्रवेश कर जाते हैं, इसीलिये ये लोग असम, पश्चिमी बंगाल और त्रिपुरा में आसानी से खप जाते हैं, जबकि मेघालय और मिजोरम में

---

1- दिनमान, 26, जुलाई, -1 अगस्त, 1981.
पेज-26-27

इनका खपना मुश्किल है । असमियों में उनका भाषा और शक्ल का मेल है ।[1]

लम्बी भारत-बंगलादेश की सीमाओं पर सुगमता के कारण उनके अवैधानिक प्रवेश की प्रक्रिया और भी सरल हो गयी है । इतनी लम्बी सीमा पर विशेषकर गोलापारी जिले के कुछ भागों से ब्रहमपुत्र नदी के दक्षिण तट से, त्रिपुरा तथा पश्चिम बंगाल के दीनाजपुर जिले के कुछ भागों से सीमा पार करने की पूरी सुगमता है । बड़ी सी विचित्र स्थिति है । कुछ भारतीय घर बंगलादेश की ओर है और कुछ बंगलादेशियों के घर भारत में स्थित है ।[2]

वीरेन्द्र गोहिल ने भारत-बांगलादेश सीमा की एक जीवन्त यात्रा का विवरण प्रस्तुत करते हुये बताया है कि जब हम बाग डोगरा से बांगलादेश की उस सीमा पर पहुंचे जहां रास्ते, खेत , कुंआ, मकान सब कुछआधे- आधे बंटे हुये हैं । हम सीमा के उस स्थान पर खड़े थे, जहां पर हमारा एक पैर भारत में और दूसरा बंगलादेश में था । यहां पर कुछ मकान ऐसे बंटे है कि रसोई बंगलादेश में है और सोने का कमरा भारत में है । इन्हें दोनों देशों में जाने की इजाजत है । हम लोग उन बच्चों को खेलते हुये देख रहे थे, जो कभी भारत में खेल रहे थे, तो कभी बांगला देश में ।[3]

तब फिर इन परिस्थितियों में बंगलादेशवासियों द्वारा सीमा प्रवेश करना अति सहज कार्य है । इसीलिये आठ लाख की आबादी वाले पूर्णिया जिले का किशनगंज अनुमंडल इस संदर्भ में वोट्स आफ दी नेक कहा जाता रहा है । किशनगंज के करीब देवीगंज, धरमपुर, इस्लामपुर तथा पांजीपाडा आदि के बाजारों

---

1- दिनमान, 1-6, अगस्त, 86 पेज, 16.

2- गुप्ता, शेखर, " इन्डो बांगलादेश, द अनवान्टेड इमिग्रिन्ट्स "इंडिया टूडे 15 जून, 1984 पेज 133-39.

3- दिनमान पत्रिका, 13-19 अक्टूबर, 85 पेज 39-40.

में बंगलादेशी मुसलमान बेरोक-टोक आते जाते हैं । बिहार-बंगलादेश के सीमा वर्ती गांवों में बस रहे मुसलमान ग्रामीणों की बंगलादेश के गांवों में रिश्तेदारियां हैं और इसी बहाने लोग आते जाते रहते हैं ।[1]

नागर नदी के उस पार इधर के किसानों की जमीन है और इस पार उधर के किसानों की जमीन है । कृषकों को खेती बाड़ी के काम के लिये कोई रोक नहीं सकता है और कानून भी ऐसा नहीं है और पहरों पर तैनात जवानों की टुकड़ी के इधर-उधर जाने पर ये ग्रामीण बोरिया बिस्तर लेकर आसानी से सीमा पार कर जाते हैं ।[2]

सीमा सुरक्षा बलों की किंकर्तव्य विमूढ़ता :--

शेखर गुप्त का आरोप हैं कि बंगलादेश के सैकड़ों नागरिक झूठे यात्रा प्रपत्रों के साथ अथवा बिना प्रपत्रों के ही दलालों के माध्यम से अपना रास्ता साफ करते हुये भारत में आ जाते हैं । केन्द्रीय खुफिया दल द्वारा 23,जनवरी, 1985 में जब सीमा सुरक्षा बल और सीमा शुल्क कर्मचारियों की कार्यपद्धति की देखभाल के लिये निरीक्षण चौकियों का गुप्त दौरा किया, तो उनको देखकर यह आश्चर्य हुआ कि यह अधिकारी किस प्रकार से इन अप्रवासियों के भारत में प्रवेश के लिये नियमों और कानूनों की हत्त्याकर रहे हैं और ये लोग बांगलादेशवासियों को झूठे प्रमाणपत्रों के साथ अथवा बिना किसी प्रपत्र के ही भारत में घुसने दे रहे हैं । इस गुप्तचर दल द्वारा यह आकस्मिक निरीक्षण उन स्थानों का किया गया था जहां से बंगलादेश के नागरिक प्राय: घुस आते हैं । यह तो स्पष्ट ही है कि भारतीय पुलिस और सीमा सुरक्षा शुल्क अधिकारी तथा बंगलादेश के अधिकारी अनदेखी करते रहते हैं । बंगलादेशवासी बिना किसी वैध प्रपत्रों के बड़े साहस के

---

1- दिनमान, 1-6 अगस्त, 86 पेज 16.

2- वही

साथ भारतीय कर्मचारियों को रिश्वत देकर सीमा पार करके चले आते हैं । बंगलादेशी घुसपैठियों के लिये यही वे अनुकूल परिस्थितियाँ है , जो भारत में एक बार घुसने का अवसर पाकर, जो स्थायी रूप से यहां रहने के इच्छुक है ।[1]

भारत के सीमावर्ती राज्यों में घुसपैठियों के बड़े पैमाने पर प्रवेश कर जाने से अनेकों समस्यायें और भारत एवं राज्य सरकारों द्वारा चिन्ता व्यक्त

भारत सीमा सुरक्षा बल के वरिष्ठ अधिकारी मि0 दास ने एक साक्षात्कार में बताया कि हजारों की संख्या में अवैध अप्रवासियों के आ जाने से असम, मेघालय, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल में काफी समस्यायें उठ खड़ी हुयी है । उन्होने कहा कि 14, अप्रैल से सीमा सुरक्षा बल 4100 बंगलादेशी घुसपैठियों को भारत में प्रवेश करने से रोक चुका है ।[2]

बांगलादेश की स्वाधीनता के बाद अप्रवासियों द्वारा सीमा लांघकर आने का कार्य इतना तेज हुआ है कि 7 लाख असम में और 4 लाख मेघालय में आकर रहने लगे हैं ।[3] जिससे इन प्रदेशों अनेकों कठिन परिस्थितियां पैदा हो गयी है । लगभग 8828 बंगलादेशी नागरिकों को मेघालय में दिसम्बर, 1971 से जनवरी के अन्त तक खोजा गया हैं । इनमें 7358 तो सीधे भारत में घुसकर आये और 1349 अवैधानिक ढंग से सीमा पार करते पकड़े गये और जेल में रखकर उनका मुकदमा चलाये गये हैं ।[4]

---

1- गुप्ता, शेखर इन्डो बंगलादेश- द अनवान्टेड इमाइग्रेन्ट्स इंडिया टुडे जून 15, 1984, पेज 130-139.

2- टाइम्स आफ इंडिया दिल्ली 10 मई, 1976

3- द हिन्दू (मद्रास) 19 मार्च, 1978

4- हिन्दुस्तान टाइम्स 26 अप्रैल, 1980.

पश्चिम बंगाल सरकार से यह जानकारी प्राप्त हुयी कि 1922 से 1980 तक पश्चिम बंगाल में पासपोर्ट एवं वीसा लेकर 12 मिलियन बंगलादेशी भारत आये थे। उनमें 2,00,000 पुन: बंगलादेश वापस नहीं गये।[1]

खुफिया सूत्रों के अनुसार 1971 से 1981 तक प्रतिवर्ष लगभग 40,000 से 50,000 तक बंगलादेशी नागरिक भारत में प्रवेश करते रहे हैं। किन्तु बंगलादेश सरकार ने इससे इन्कार किया है। 1974 में 2 लाख 10 हजार के लगभग सम्भावित अपराधियों को सीमा पार करते हुये रोका गया है। यहाँ पर ऐसे लोगों की भी संख्या है जो वैध प्रपत्रों के साथ भारत में आये, लेकिन फिर वापस नहीं गये इनकी संख्या लगभग 10,000 प्रतिवर्ष है।[2] यह भी सम्भावना व्यक्त की गयी है कि 6,000 बंगलादेश नागरिकों के परिवार भारत में घुस आये और किशनगंज सम्भाग में फैल गये।[3] विश्वसनीय खुफिया सूत्रों के अनुसार 12,5000 बांगलादेश से आने वाले घुसपैठियों का पता लगाया गया और सीमा सुरक्षा बल ने उन्हें बांगलादेश वापस भेज दिया।[4]

किन्तु भारत सरकार एवं राज्य सरकारों ने बंगलादेश से आने वाले अप्रवासियों के सम्बन्ध में समय-समय पर चिन्ता व्यक्त करते हुये बंगलादेश सरकार से इस समस्या के स्थायी समाधान का आग्रह किया। मि० मोरार जी देसाई ने इस सम्बन्ध में भारत सरकार की चिन्ता व्यक्त करते हुये स्पष्ट शब्दों में कहा था कि भारत में अप्रवासियों का प्रवेश एक पक्षीय मामला है क्योंकि भारत से बंगलादेश अथवा अन्य किसी भी देश में जाने का कोई भी सबूत नहीं है, तब तो यह विचारणीय प्रश्न है कि इस पर कुछ न कुछ विचार होना चाहिये।[5]

---

1- स्टेट्समैन, दिल्ली, 23 मार्च, 1981

2- द हिन्दू (मद्रास) 3 मई, 1981

3- द टाइम्स आफ इंडिया, दिल्ली अक्तूबर, 1983

4- हिन्दुस्तान टाइम्स, 22 मई, 1982

5- टाइम्स आफ इंडिया, दिल्ली, 18 अप्रैल, 1979.

जब बंगलादेश के राष्ट्रपति जियाउर रहमान 21 जनवरी, 1980 को दो दिन की राजकीय यात्रा पर नई दिल्ली आये तो श्रीमती इन्दिरागांधी ने बंगलादेश से भारत में आने वाले घुसपैठियों की समस्या के विषय में मि० जियाउर रहमान को अवगत कराया था और श्रीमती गांधी ने यह स्पष्ट कर दिया था कि बंगलादेश से आने वाले अप्रवासियों के कारण असम में गम्भीर समस्या पैदा हो गयी है ।[1]

भारत के प्रधानमन्त्री राजीव गांधी एवं विदेशमन्त्री पी०वी० नरसिम्हाराव ने भी बंगलादेश सरकार से भारत में आने वाले अप्रवासियों की वापसी के लिये आग्रह किया है । इस समय त्रिपुरा में इस समय हजारों की संख्या में अप्रवासी डेरा डाले हुये हैं ।

बांगलादेश का घुसपैठियों की समस्या के सम्बन्ध में नकारात्मक रूख :

किन्तु बंगलादेश सरकार ने बड़ी दृढ़ता के साथ भारत के किसी भी राज्य में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और पश्चिम बंगाल में शरणार्थियों के अवैध प्रवेश के आरोप को गलत बताते हुये कहा कि यह सरासर गलत है कि बंगलादेश के नागरिक भारतीय सीमाओं को पार करके वहां जा बसते हैं ।[2]

बंगलादेश सरकार ने मेघालय के मुख्यमन्त्री एच० लिंग दोह के इस आरोप का खंडन किया है कि बंगलादेश के नागरिक मेघालय तथा सीमावर्ती अन्य राज्यों में बस गये हैं । बंगलादेश के गृह विभाग के एक सरकारी प्रवक्ता ने कहा कि बंगलादेश से भारतीय राज्यों में अप्रवासियों का आगमन न तो अतीत में हुआ और न वर्तमान में हैं ।[3]

---

1- इंडियन एक्सप्रेस दिल्ली 22 जनवरी, 1980

2- इंडियन एक्सप्रेस, दिल्ली 21 मई, 1980

3- हिन्दुस्तान टाइम्स, 9 अगस्त, 1980.

यहाँ तक कि सैनिक प्रशासक जनरल इरशाद ने कहा कि भारत के ये आरोप बिल्कुल निराधार है कि बंगलादेश से घुसपैठिये सीमापार करके भारत के अवैधानिक ढंग से प्रवेश कर जाते हैं उन्होने कहा कि यह विचारणीय विषय है कि बंगलादेश के लोग भारत में क्यों जायेंगें, जबकि भारत की अपेक्षा हमारे यहाँ जीवन स्तर की शर्तें अच्छी हैं ।[1]

<u>समस्या के समाधान के प्रयास</u> -- घुसपैठियों के प्रवेश की समस्या के सम्बन्ध में भारत सरकार समय-समय पर बांगलादेश के शीर्षस्थ नेताओं को अवगत कराती रही है और इसके साथ तो अधिकारिक स्तर पर भी प्रयास किये गये । बंगलादेश से आने वाले घुसपैठियों को रोकने के सम्बन्ध में उपायों को खोजने के लिये भारतीय प्रतिनिधि मंडल ने बंगलादेश के अधिकारियों से वार्ता का आयोजन किया गया । भारतीय दल का नेतृत्व, सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक के0 मूर्ति कर रहे थे, इनके साथ पश्चिम बंगाल के आ0जी0 एम0 सी0 पाल और भारत सरकार के संयुक्त गृह सचिव भि0 नटराजन भी थे । बंगलादेश प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व बंगलादेश राइफल्स के डी0जी0 मेजर जनरल अतीउर रहमान कर रहे थे । भारतीय प्रतिनिधि मंडल की ओर से पश्चिम बंगाल तथा अन्य भारतीय सीमा के राज्यों में घुसपैठियों की समस्या पर व्यापक रूप से प्रकाश डाला गया । भारतीय अधिकारियों ने कहा कि परिस्थिति ने गम्भीरता का रूप धारण कर लिया है, जिससे भारत में सीमावर्ती राज्यों के सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक जीवन को बुरी तरह प्रभावित किया है । उन्होने कहा कि कोई भी व्यक्ति सीमा पर जाकर भारत में घुसपैठियों के प्रयास को प्रत्यक्ष देख सकता है ।[2]

भारतीय प्रतिनिधिमण्डल ने बंगलादेश अधिकारियों के सामने यह प्रस्ताव रखा कि उनकी सरकार को घुसपैठियों की समस्या को स्वीकार करके उसके रोकने के प्रयास करने चाहिये ।[3]

---

1- हिन्दुस्तान टाइम्स-9 अगस्त, 1980

2- द स्टेट्समैन दिल्ली- 23 फरवरी, 1982

3- वही

भारतीय प्रतिनिधि मण्डल का यह विचार था कि बांगलादेश अपने राजनैतिक एवं आर्थिक कारणों से घुसपैठ की इस समस्या को स्वयं जानबूझकर स्वीकार नहीं कर रहा है । असम में भारी संख्या में घुसपैठियों के प्रवेश कर जाने से वहां पर भारी जन आन्दोलन आरम्भ हो गया जिससे असम-बांगलादेश सीमा पर चौकसी बढ़ा दी गयी है । मि0 गोग्ई ने कहा कि घुसपैठियों के द्वारा सीमा पर की जाने वाली तस्करी और जानवरों की चोरी बहुत कुछ बंद हो गयी है, उन्होने कहा कि बहुत से घुसपैठियों का पता लगाया गया है और उनको 1980 में 2156 और 1981 में 1165 आये तथा 1980 में 2041 तथा 1981 में 1056 वापस कर दिये गये ।[24 अ] भारत सरकार ने घुसपैठियों को रोकने के लिये बांगलादेश की 4,000 किलोमीटर लम्बी सीमा पर तारों की बाड़ लगाने का कार्य प्रारम्भ किया तो लगभग एक हजार बांगलादेशवासियों ने कंक्रीट के खम्भे गिराने का कार्य प्रारम्भ कर दिया । चार दिनों बाद सीमा सुरक्षा बल के जवानों और बांगलादेश राइफल्स के जवानों के बीच गोलियां चली । असम के धुबरी जिले में कंक्रीट के खम्बे गाड़ने लगे भारतीय कामगारों पर बांगलादेश राइफल्स के सिपाहियों ने गोलिया दागी, जिसके जबाब में सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने भी गोलिया चलाई । इसमें बंगलादेश का एक सैनिक (कुछ सूत्रों के अनुसार चार) मार गया । बंगलादेश बनने के बाद भारतीय जवानों के हाथ मरने वाला यह पहला बंगलादेशी सैनिक था । यद्यपि भारत सरकार ने इस घटना के एक सप्ताह पहले ही बंगलादेश सरकार से अनुरोध किया था कि सीमा पर तनाव कम करने के लिये भारत-बंगलादेश सीमा पर सैनिक जमाव कम कर दिया जाय, लेकिन 22,23 अप्रैल को बंगलादेश राइफल्स के कमांडर ने कहा कि उनको " ऊपर से निर्देश है कि हर हालत में तारों की बाड़ का काम रोका जाय ।"

---

24(अ) द स्टेट्समैन, 23, फरवरी, 1982.

24(ब) दिनमान पत्रिका 13-19 जुलाई, 84 पेज 33-34.

मानचित्र संख्या 6. प्रस्तावित निर्माणाधीन तारों की बाड़ के लिये असुरक्षित सीमा क्षेत्र

30 अप्रैल को जनरल इरशाद ने ढाका में गरजते हुये कहा " हम किसी भी कीमत पर भारत-बंगलादेश सीमा पर बाड़ नहीं लगाने देंगे हमारा सिर केवल अल्लाह के सामने झुक सकता है और किसी के सामने नहीं ।[1]

इस प्रकार बांगलादेश सरकार की उदासीनता एवं हठवादी रवैये के कारण अभी तक इस समस्या के समाधान के लिये किये गये प्रयासों के अच्छे परिणाम नहीं निकल सके हैं । जिससे भारत के सीमावर्ती राज्य आज भी घुसपैठियों के कारण पीड़ित है ।

घुसपैठियो के कारण भारतीय नागरिक जीवन पर दुष्प्रभाव --

भारत में घुसपैठियो के निरन्तर आगमन से भारतीय नागरिको को अनेको दुष्परिणामों को भोगना पड़ रहा है । यदि इस समस्या का गम्भीरता पूर्वक विश्लेषण किया जाय तो वास्तव में यह एक जातीय आक्रमण की तरह है । क्योंकि आज भी अप्रवासियों का अवैधानिक ढंग से आगमन जारी है और इनका भारत के विभिन्न भागों में इनको स्थायी रूप से बस जाने के अनेकों उदाहरण हैं । उदाहरण के लिये सीमापुर सहायक दिल्ली कालोनी में हजारों बंगलादेशी रह रहे हैं ।

पहले तो यह अप्रवासी झोपड़ी बनाकर रहते हैं । भारत में जहां पर उनको अनेको कष्ट झेलने पड़ते हैं । इसी के संदर्भ में दिल्ली के एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि हमारे आंगन में एक छोटा सा बांगलादेश है । पुरनिया बंगलादेश की सीमा पर स्थित है । बिहार सरकार ने यह स्वीकार किया है कि 8,000 घुसपैठिये यहां पर रह रहे हैं और अब यह भय पैदा हो गया है कि कहीं यहां पर भी असम की तरह तनाव पैदा न हो जाय ।

---

1- दिनमान, 13-19,जुलाई,1984, पेज 33-34

डा० आशीष बोस , दिल्ली विश्वविद्यालय के आर्थिक विकास संस्थान के प्रोफेसर और जो ख्याति प्राप्त व्यक्ति है , वे भी इस बात पर जोर देकर कहते हैं कि भारत में बड़े पैमाने पर शरणार्थियों का प्रवेश हुआ है । वह कहते हैं कि " जातीय विश्लेषण के आंकड़े इस बात के निश्चित प्रमाण है कि ये मनुष्य जाति के लोग बड़े-बड़े कष्टों को सहकर पानी की तरह चले आते हैं और वह अप्रवासी स्थायी प्रवासी बन जाते हैं और इससे उस क्षेत्र की जनता बहुसंख्यक से अल्पसंख्यक बन जाने के भावी दुष्परिणामों के भय से कांपने लगती है । जैसा कि सीमा से लगे जिलों में मतदाताओं की संख्या {1982-84} में अस्वाभाविक सबसे बढ़ी है बांगलादेश से लगेसीमावर्ती जिलों में { 1971=81} की दशाब्दी में { भारी वृद्धि आयी है । उदाहरण के लिये 34 % नोडिया में, 24 % परगना में , 26 % पश्चिम दीनाजपुर में , 29 % जलपाईगुड़ी में, 26 % दार्जिलिंग में , 28 % और मुर्शिदाबाद में 25 % की वृद्धि हुयी है ।

इससे भारत के सीमावर्ती राज्यों की सरकारों एवं जनता-गहरा रोष व्यक्त किया है, क्योंकि घुसपैठियों की बढ़ती जनसंख्या से इस क्षेत्र की जनता के सामाजिक एवं राजनैतिक जीवन के लिये एक चुनौती उत्पन्न हो गयी है । पूर्णिया जिले का हर गांव इससे बं तबाह है । खासकर किशनगंज अनुमंडल के ठाकुरगंज, बहादुरगंज, दिघलबेंक, टेडागाद, कोयाधापन प्रखंडों, अररिया अनुमंडल के कई गांवों में भाटिया { बांगलादेशी } मुसलमानों की बाढ़ सी आ गयी है । इनमें आक्रमण से कई गांवों के हिन्दू गांव छोड़कर भाग रहे हैं । ठाकुरगंज प्रखंड के मालूगच्छ गांवों के ग्रामीण घुसपैठियों के आतंक से गांव छोड़कर भाग रहे हैं उनका कहना था कि भाटिया लोग ग्रामीणों की सम्पत्ति धड़ल्ले से लूट रहे हैं । मगर पुलिस खामोश है ।[1]

---

1- दिनमान पत्रिका 10-16 अगस्त 86 पेज 15.

इधर कटिहार जिले में भी भाटिया मुसलमानों का अच्छा खासा अतिक्रमण हुआ है । भाजपा के भूतपूर्व विधायक जगबंधु अधिकारी कहते हैं कि मनहारी के विधायक भाटिया मुसलमानों के सरगना है और उनके संरक्षण में इन इलाकों की आबादी भाटिया मुसलमानों से भर रही है । एक सर्वेक्षण के मुताबिक कटिहार प्रखंड में 10, हजार, कोढा प्रखंड में 20 हजार बरसोई में 30 हजार, आजमनगर में 20 हजार, परानपुर में 15 हजार, मनिहार में 15 हजार अहमदाबाद में 20 हजार और 15 हजार बरारी में घुसपेठिये बस चुके हैं । भाटिया मुसलमान स्थानीय पंचायतों के सरपंचों की मदद से नागरिकता भी पा लेते हैं । सिर्फ इतना ही नहीं भाटिया ( जिसे सरकार पिछड़ी जाति घोषित कर चुकी है ) होने का लाभ उठाकर हरिजनों के नाम पर दी जाने वाली सरकारी जमीनों की बंदोबस्ती में अपने नाम करवा लेते हैं । किशनगंज अनुमंडल के धिगलबैंक थाना क्षेत्र के लक्ष्मीपुर तथा ठाकुरगंज प्रखंड के आजमनगर खाखडी आदि गांवों में भाटियों ने हेरा फेरी से 30 एकड़ से भी ज्यादा जमीन अपने नाम करवा ली है किशनगंज के युवा अनुमंडल अधिकारी, आदित्य स्वरूप ने भी इस तथ्य को स्वीकार किया है ।[1]

किशनगंज के ठाकुरगंज और पोठिया प्रखण्डों के तो भाटियों का साम्राज्य स्थापित होता जा रहा है । नागरिकता हासिल करने के अलावा ये लोग अब सरपंच और मुखिया तक होने लगे हैं । किसी भी बाहरी आदमी का इन गांवों में अकेले जाना खतरे से खाली नहीं है । पूर्णिया जिला घुसपेठियों से इतना भर गया है कि दूसरी जातियां अल्पसंख्यक हो गयी है ।[2]

---

1- दिनमान पत्रिका - 10-16 अगस्त 86 पेज 15

2- वही, पेज 16-17

समय-समय पर इन बंगलादेशियों को घुसपैठियों और अंततः उनके भारत में बस जाने के कारण ही असम समस्या पैदा हुयी है । जिसके दुष्परिणामस्वरूप कई वर्षों तक असम राज्य भारत की सार्वभौमिक सत्ता के लिये चुनौती बना रहा और वहां की जनता घुसपैठियों बढ़ती जनसंख्या से भयातुर होकर अस्तित्व की रक्षा के लिये संघर्ष करती रही ।

पुनन भट्टाचार्य का मत है इस समस्या के निदान हेतु दोनों देशों के बीच अधिकारी स्तर पर बात-चीत हुयी है, लेकिन इसका कोई अच्छा परिणाम नहीं निकला है । बंगलादेश सरकार पूरे मसले को कतई गम्भीरता से नहीं ले रही है ।[1] मि० इरशाद ने भी एक बार कहा था कि भारत के ये आरोप बिल्कुल निराधार है कि बंगलादेश की घुसपैठिये सीमा पार करके भारत में अवैधानिक ढंग से प्रवेश कर जाते हैं । उन्होने कहा कि " यह विचारणीय विषय है कि बंगलादेश के लोग भारत में क्यों जायेगें जबकि भारत से हमारे यहां जीवन स्तर की अच्छी शर्ते हैं । फिर भी घुसपैठियों के आने का क्रम जारी है ।

अभी हाल में 9 सितम्बर, 1989 में दक्षिण त्रिपुरा में सिर्पनगर के पास भारतीय सीमा में घुसने की कोशिशकरते समय बंगलादेश का एक घुसपैठी सीमा सुरक्षा बल द्वारा मारा गया । बांगलादेश के घुसपैठियों ने सीमा सुरक्षा बल के गश्ती दल पर एक धारदार हथियार से हमला किया । जबाबी कार्यवाही में एक घुसपैठी मारा गया और 15 घुसपैठी भाग निकले ।[2] भारत-पाक सीमा के निकट धरिन्दा क्षेत्र में कल रात रूरन बाबा चौक के निकट दस पाकिस्तानी घुसपैठिये पकड़े गये । सीमा सुरक्षा बल के प्रवक्ता ने कहा कि इन सभी का बंगला देशी होने का अनुमान है ।[3]

---

1- चौथी दुनिया , 19-25 अप्रैल, 1987

2- दैनिक जागरण, कानपुर 10 सितम्बर, 1989

3- नवभारत टाइम्स 14 सितम्बर, 1989.

अतः अब बांगलादेश सरकार को स्थिति की गम्भीरता और घुसपैठियो के भारत में निरन्तर प्रवेश करने से उत्पन्न समस्याओं के समाधान के लिये बड़ी ही तत्परता से गम्भीरतापूर्वक विचार करना चाहिये । यदि बांगलादेश सरकार इस समस्या के प्रति अधिक समय तक उदासीन रहती है, तो निश्चित ही भारत बांगलादेश के द्विपक्षीय सम्बन्धों पर भी दुष्प्रभाव पड़ सकता है क्योंकि बंगलादेश से अभी हाल के वर्षों में भारी संख्या में आये चकमा शरणार्थियों ने त्रिपुरा सरकार को गहरे आर्थिक एवं राजनैतिक संकट में डाल दिया । भारत सरकार बांगलादेश सरकार को इस समस्या के दुष्परिणामों से भी परिचित करा चुकी है । किन्तु बंगलादेश सरकार तो अपनी इस समस्या से अपनी आन्तरिक समस्याओं पर विजय प्राप्त करने में व्यस्त है ।

## असम समस्या

हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान की राजनीतिक स्थिति ने उस समय भयानक रूप धारण कर लिया । जब पश्चिमी पाकिस्तान की सेना ने पूर्वी पाकिस्तान की जनता पर अनेकों जुल्म ढाकर आतंक का राज्य कायम कर दिया । बलात्कार और सामूहिक हत्याओं से भयभीत होकर हिन्दुओं और मुसलमानों की भीड़ भारत के पड़ोसी राज्यों असम, पश्चिमी बंगाल, मेघालय और त्रिपुरा में शरण लेने के लिये विवश हो गयी ।

ऐसा अनुमान है कि लगभग 130 लाख शरणार्थियों ने केवल असम और मेघालय में शरण ली । बांगलादेश बनने के बाद शेखमुजीब और भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरागांधी इस बात पर राजी हो गये कि 31 मार्च, 1971 के बाद जो भी बंगलादेशी नागरिक भारत के राज्यों में प्रवेश कर गये हैं । उनको बांगला देश वापस ले लेगा । लेकिन व्यावहारिक रूप में ये शरणार्थी बांगलादेश वापस न जाकर असम राज्य में स्थायी रूप से रहने लगे । हजारों लोग नदियों के किनारे के कछार और नदियों द्वारा एकत्रित मिट्टी के टापुओं पर स्थायी रूप से रहने लगे । ये बांगलादेशी अधिकांशतः गोलपारा, कछार और नौगांव जिलों में प्रत्यक्षतः देखे जा सकते हैं । कुछ अप्रवासी सरकारी नौकरियों में प्रवेश भी पा चुके हैं । एक बहुत बड़ी संख्या में ये लोग विद्यालयों में अध्यापक हैं ।[1]

लेकिन असम के राजनीतिक घटनाक्रम ने उस समय नया मोड़ लेना प्रारम्भ कर दिया जब स्थानीय राजनीतिज्ञों ने बांगलादेश के अप्रवासियों का नाम मतदाता सूचियों में देखकर आपत्ति उठाई । मतदाता सूचियों में बांगलादेश के शरणार्थियों का नाम बहुत बड़ी संख्या में आ गया ।

---

1- संजय, आसाम ए क्रिसिस आफ आइडेन्टी - स्टोरी आफ द मूवमेन्ट इन वर्ड्स एण्ड पिक्चर्स - पृ. सं. 14

और इसके साथ ही जनसंख्या में भारी वृद्धि हुयी जिसके प्रत्यक्ष प्रमाण हैं । 1961 की जनगणना के अनुसार असम की जनसंख्या अधिकारिक सूत्रों के अनुसार 11 मिलियन के लगभग थी । 1971 की जनगणना के अनुसार असम की जनसंख्या 15 मिलियन हो गयी । राष्ट्रीय जनसंख्या वृद्धि का प्रतिशत 24.6% रहा जबकि असम की जनसंख्या 35 % की दर से यका-यक बढ़ गयी । कुछ समय बाद ही यह जनसंख्या 18 मिलियन के लगभग हो गयी ।[1]

इस संदर्भ में मतदाता सूचियों पर भी दृष्टिपात करना आवश्यक है । 1971 की मतदाता सूचियों में मतदाताओं की संख्या 6.29 मिलियन थी । मार्च 1972 में होने वाले संसदीय निर्वाचन में यह संख्या 7.72 मिलियन पहुंच गयी । और नवम्बर में जब मतदाता सूचियों का पुनर्संशोधन हुआ यह संख्या 7.97 मिलियन तक पहुंच गयी । इस प्रकार आठ महीनों में 10 % से अधिक मतदाताओं की वृद्धि हो गयी । जब 1980 के आम निर्वाचन के लिये मतदाता सूचियां प्रकाशित हुयीं उस समय मतदाताओं की संख्या यकायक बढ़कर 8.53 मिलियन हो गयी । इन मतदाताओं की संख्या में इतनी भारी वृद्धि बांगलादेश के अप्रवासियों के आ जाने से ही हुयी ।[2]

अप्रवासियों की इस समस्या से मौलिक रूप से असम की अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है । बेरोजगारी की समस्या में वृद्धि हुयी है । इससे कुछ लोग तो भूमिहीन हो गए हैं । इसलिए अब शक्ति से अप्रवासियों के इस प्रवाह को रोकना आवश्यक हो गया है । यह आशा की जाती है कि असम और बांगलादेश के नेता राजनीतिक दूरदर्शिता के साथ इस अनवरत रूप से आने वाले अप्रवासियों को रोकने के लिये कोई नीति निर्धारित करेंगे ।[3]

---

1- संजय , असम ए क्राइसिस आफ आइडेन्टीटी - स्टोरी आफ मूवमेंट इन वार्ड्स एंड पिक्चर्स पृ. सं. 15

2- वही

3- रिलेशंस बिटविन असम एंड बांगलादेश बाई चाणक्य-असम ट्रिब्यून 27 दिस. 1974

अस्तित्व रक्षा के लिए संघर्ष -
====================

असम की जनता ने अपने सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक भविष्य को संकट में देखकर एक राज्यव्यापी आन्दोलन प्रारम्भ कर दिया । आन्दोलन का समर्थन असम की जनता ने व्यापक रूप से किया । इस आन्दोलन के परिणामस्वरूप राजनीतिक एवं साम्प्रदायिक तनाव विदेशियों के विरूद्ध भड़क उठा है । बांगलादेश से असम में आये इन अप्रवासियों में मुख्य रूप से श्रमिक थे और ये श्रमिक जीविकोपार्जन की तलाश में भारत में आकर बस गए । वास्तविकता यह है कि ये सभी बंगाली भाषाभाषी हैं । आन्दोलनकारियों की यह पुष्ट धारणा है कि कुछ ही वर्षों में इन बांगलादेशी विदेशियों को राज्य से बाहर कर दिया जाय और नहीं तो फिर उनकी संस्कृति की पहचान ही नष्ट होजाएगी ।[1]

आन्दोलनकारियों द्वारा उत्पन्न स्थिति की भयंकरता को स्वीकार करते हुए श्रीमती गांधी ने उस समय कहा था कि राज्य के राजनीतिक एवं आर्थिक जीवन में स्थिरता लाने के लिए असम समस्या का संतोषजनक समाधान तत्काल होना चाहिये । असम में विदेशियों की समस्या वास्तविक है।

बांगलादेश द्वारा वास्तविकता स्वीकार करने से इंकार-
---

बांगलादेश के सैनिक प्रशासक ले0 जनरल ने तो साफ तौर पर इस अवैध नागरिकों के असम अथवा भारत के किसी भी राज्य में प्रवेश करने के सम्बंध में साफ इंकार कर दिया है ।

---

1- एशियन रिकार्डर मेई-[20-26] 1980 पेज.. 15469

द हिन्दू-समाचार पत्र असम समस्या पर एक विशेष रिपोर्ट में लिखता है कि असम के लोगों द्वारा चलाये गये आन्दोलन से यह यथार्थ रूप से समझ लेना चाहिये कि असमी लोगों की मुख्य माँग अपनी मान-मर्यादा और संस्कृति की सुरक्षा के लिये विदेशियों को असम राज्य से बाहर निकालने की है । असमी जनता ने बांगलादेशी नागरिकों द्वारा अवैध रूप से भारत में घुसपैठ करने की समस्या को गम्भीरता से लिया है । ले0 जनरल इरशाद के अनुसार बांगलादेश सरकार को अधिकारिक तौर पर अभी तक असम समस्या के बारे में सूचित नहीं किया गया है । यद्यपि असम में बांगलादेश से अवैधानिक ढंग से अनियंत्रित रूप से आने वाले अप्रवासियों के कारण विगत पांच वर्षों से भारी समस्या उठ खड़ी हुयी है, यह केवलअसम में ही नहीं वरन पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र की समस्या बन गयी है । अभी हाल में पश्चिम बंगाल की सरकार भी इस प्रकार के अवैध घुसपैठियों के बारे में शिकायत कर रही है ।[1]

इस सम्बंध में बांगलादेश सरकार का तर्क है कि 25 मार्च 1971 के पूर्व इस सम्बंध में जो कुछ भी हुआ, उससे उसका कोई सम्बंध नहीं है और 25 मार्च 1971 के बाद पाकिस्तानी सेना के जुल्मों के कारण बांगलादेश के जो नागरिक भारत में प्रवेश कर गये थे उनको वापस लेने के लिये निःसन्देह तैयार है और वे सभी अपने अपने घरों को कभी भी वापस आ सकते हैं और जब से बांगलादेश अस्तित्व में आया है किसी भी प्रकार का अप्रवासियों का प्रवेश भारत में नहीं हुआ है ।

बांगलादेश इस सम्बंध में कुछ तर्क प्रस्तुत करता है कि पश्चिमी देशों में मुसलमानों के लिये धनोपार्जन के लिये नये अवसरों को उपलब्ध कराने के लिये खुला रास्ता है । वे फिर असम जैसे उबड़-खाबड़ जंगली क्षेत्र के लिये लालायित क्यों होंगे । बांगलादेश के श्रमजीवी ग्रीस, यूगोस्लाविया, टर्की और अन्य मुस्लिम देशों में भी पहुंच सकते हैं, तब फिर हमारे नागरिकों का असम में जाने का सवाल ही नहीं उठता है । लेकिन फिर भी असम आन्दोलन चलाने वाले केवल आन्दोलनकारी छात्र संगठन जैसे- आल इंडिया स्टूडेन्ट्स यूनियन जो असम में आने वाले अप्रवासियों के सम्बंध में खलबली मचाये हुये हैं ।[2]

---

1- असम प्राब्लम - स्पेशल रिपोर्ट - द हिन्दू, 28 अगस्त 1984

2- वही

किन्तु भारत सरकार अपने विश्वसनीय सूत्रों के द्वारा यह अनुभव कर चुकी है असम राज्य में बांगलादेश के अवैध अप्रवासियों का आगमन हुआ है और अब भी जारी है। सरकार ने अभी हाल में संसद में अवैद्य अप्रवासी विधेयक 1983 पारित कर दिया है औरविधेयक को भारत के राष्ट्रपति ने 24 दिसम्बर को स्वीकृति भी दे दी है। इस विधेयक की प्रस्तावना में कहा गया है कि जैसा कि विदेशियों की एक बहुत बड़ी संख्या पूर्वी और पूर्वोत्तर सीमायें पार करके भारत में 25 मार्च, 1971 और उसके बाद परिस्थितियों का लाभ उठाकर प्रवेश कर गयी है। और उनके पास वैधानिक तौर परकिसी भी प्रकार से कानूनी अधिकार-पत्र नहीं है और अवैधानिक ढंग से भारत में रह रहे हैं।[1]

अतएव इन विदेशियों की इस संख्या के कारण और वे जिस गुप्त तरीके से भारतीय नागरिक होने और उनकी तरह अधिकार प्राप्त करने में प्रयासरत है, भारतीय नागरिकों की सुरक्षा के लिये यह आवश्यक हो गया है कि आसाम में इन विदेशी नागरिकों की खोज करने के लिये इस प्रकार के प्रावधानों की व्यवस्था की जाय और इसी प्रकार भारत के किसी भी भाग में पाये जाने वाले विद्रेशियों की भी खोज की जाय, जो अवैध रूप से इस देश में रह रहे हैं।[2]

किन्तु असम में इन अप्रवासियों की आंकड़ों के द्वारा जो संख्या खोजकर उनको वापस भेजने के सम्बन्ध में दी गयी है वह वास्तविक एवं विश्वसनीय है।

असम सरकार ने दावा किया है कि 1971 और 1983 के बीच 1,12,728 अवैधानिक अप्रवासी बंगलादेश को पी० आई० पी० स्कीम के अन्तर्गत वापस भेज दिये गये हैं। असम आन्दोलनकारी नेताओं ने यह दावा किया कि ये सभी सही आंकड़े हैं। खोजकर पता लगाये गये शरणार्थियों को सीमा सुरक्षा बलों के

---

1- द हिन्दू, मद्रास, 28 अगस्त, 1984.

2- वही,

सीमा पर स्थित शिविरों पर भेज दिया गया है । सीमा सुरक्षा बल के कर्मचारी बांगलादेश राइफल्स के कर्मचारियों को सौंप देते हैं ।

असम आन्दोलनकारियों द्वारा असम से वापस भेजे गये विदेशी लोगों की संख्या इस प्रकार है ।[1]

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1971 | 500 | 1972 | 51,500 | 1973 | 3060 |
| 1974 | 9,641 | 1975 | 18064 | 1976 | 5171 |
| 1977 | 5074 | 1978 | 80 21 | 1979 | 5,415 |
| 1980 | 2041 | 1981 | 1056 | 1982 | 1,529 |

असम के आन्दोलनकारी नेताओं का संघर्ष विदेशी अप्रवासियों के विरूद्व तो इसलिये और भी चरम सीमा पर है क्योंकि विदेशी बहुसंख्यक जनता के कारण उनका अस्तित्व ही खतरे में पड़ गया है और इस परिप्रेक्ष्य में लोग केन्द्र सरकार की अस्पष्ट नीतियों के कारण दोषारोपण कर रहे हैं ।

मुख्य चुनाव आयुक्त शकधर द्वारा वास्तविकता की जानकारी --

भारतीय संविधान में निर्वाचन आयोग की स्थिति एक स्वायत्तशासी संस्था के रूप में है । उस समय भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त एस०एल० शकधर थे । अक्टूबर, 1978 में मुख्य चुनाव आयुक्त ने विभिन्न प्रदेशों के मुख्य चुनाव अधिकारियों के सम्मेलन को बुलाया । उन्होने विदेशियों के मतदाता सूचियों में नाम होने के कारण उत्पन्न कलहपूर्ण स्थिति पर विचार किया । उनके वक्तव्य के कुछ अंश इस प्रकार है ।

" मुझे पूर्वोत्तर राज्यों " की चौंकाने वाली विशेष परिस्थितियों की जानकारी देना आवश्यक है । उस क्षेत्र की मतदाता सूचियों में भारी संख्या में विदेशी

---

1- द हिन्दू, मद्रास, 28 अगस्त, 1984.

नागरिकों के नामों के सम्मिलित हो जाने की जानकारी प्राप्त हुयी है । विशेषकर असम के मामले में जनसंख्या वृद्धि 1961 की जनगणना से 34.98 प्रतिशत दोनों जनगणनाओं के बीच हुयी है । जनसंख्या वृद्धि की यदि यही गति रही तो 1961 की जनगणना से 1981 तक 100 % तक हो जायेगी दूसरे शब्दों में यदि विदेशी नागरिकों की गणना की जाय तो इसी से जनसंख्या का सन्तुलन बिगड़ रहा है ।

श्री शकधर ने कहा कि असम समस्या के संदर्भ में राजनीतिक दलों को सबसे बड़ी आपत्ति उन विदेशी मतदाताओं के कारण है जिनके नाम मतदाता सूचियों में अंकित हो चुके हैं वास्तव में वे भारतीय नागरिक भी नहीं है । बिना किसी सम्पत्ति और आधार के स्वदेशी नागरिकों की तरह लाभ उठा रहे हैं । यह राजकीय कार्यों के लिये गम्भीर स्थिति है ।"

तत्कालीन विदेशमन्त्री श्री अटल बिहारी बाजपेयी ने 27 नवम्बर, 1978 को एक प्रश्न के उत्तर में यह जानकारी दी कि चुनाव आयोग ने समय-समय पर जानकारी दी है कि उत्तरपूर्वी क्षेत्रीय राज्यों की मतदाता सूचियों में बहुत बड़े पैमाने पर विदेशी नागरिकों के नाम सम्मिलित है ।

मंगलदायी निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूचियों से बांगलादेशी अप्रवासियों का भंडाफोड़

1979 में जनता पार्टी के एक सांसद हीरा लाल पटवारी की मृत्यु हो गयी । वह असम के मंगलदायी निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे थे । चुनाव आयोग ने तत्काल मतदाता सूचियों का पुर्ननिरीक्षण करके पुनः निर्वाचन के आदेश दिये । अप्रैल, 1979 में मंगलदायी निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूचियों के निर्वाचन का कार्य प्रारम्भ हो गया ।

निर्वाचन अधिकारियों के पास विदेशी घुसपैठियों द्वारा मतदाता सूचियों में फर्जी तरीके से अपने नाम अंकित कराने के सम्बन्ध में धीरे-धीरे

शिकायतें दर्ज कराने का सिलसिला आरम्भ हो गया । असम राज्य के नागरिकों ने अवैधानिक ढंग से विदेशियों के निर्वाचन सूचियों में नामांकित होने पर जोरदार आपत्ति उठानी प्रारम्भ कर दी । थोड़े ही समय में लगभग 70,000 शिकायतें विदेशियों के विरूद्ध दर्ज हो गयी ।

चुनाव आयोग ने आपत्तियों की गहरी छान-बीन के बाद 45,000 आपत्तिजनक मामलों को सही पाया । इसका मतलब हुआ कि 64.28 % आपत्तियां सही थी जब एक निर्वाचन क्षेत्र में यह हाल था तो 13 अन्य निर्वाचन क्षेत्रों में क्या स्थिति होगी । जिम्मेदार असम राज्य के राजनेता इस भयावह स्थिति को देखकर उद्वेलित होने लगे और सबसे पहले इस स्थिति में नेतृत्व संचालन का कार्य आल असम स्टूडेन्टस यूनियन (एएएसयू) ने किया और जातिवादी दल, पूर्वान्चल लोक परिषद जैसे अन्य क्षेत्रीय दलों ने भी इनका अनुसरण करके सहयोग करना प्रारम्भ कर दिया, यहाँ तक असम साहित्य सभा जैसे साहित्य संगठन भी इस आन्दोलन के सहयोगी हो गये ।

'आसू' नेता प्राय: नौजवान थे । उनकी आयु सीमा 20-24 वर्ष के बीच में थी । उनमें सबसे प्रमुख अध्यक्ष प्रफुल्ल महंत, महासचिव विधु फूकन और भारत नोरोह थे ।

" आसू" ( एएएस यू) और अ अ स प ( एस्जीएसपी) की मुख्य माँग एन0 आर0 सी0 1951 के आधार पर विदेशियों का नाम मतदाता सूचियों से पृथक कर दिया जाय । उन्होने प्रत्येक मतदाता के लिये पहिचान पत्र देने की माँग रखी । इन आन्दोलन कारियों ने घोषणा की कि मतदाता सूचियों में संशोधन के बिना कोई भी चुनाव असम में नहीं होगा ।

6 नवम्बर, 1979 को "आसु" द्वारा छात्रों की एक विशाल रैली का गौहाटी में आयोजन किया गया । इसकी विशाल सभा गौहाटी उच्च-न्यायालय के मैदान में की गयी । स्वाधीनता आन्दोलन के ढंग पर ही सत्याग्रह और गिरफ्तारियां दी गयी । हजारों लोगों ने प्रतिदिन सत्याग्रह करते हुये

गिरफ्तारियाँ दी । असम की जेलों में आन्दोलनकारियों को रखने के लिये पर्याप्त जगह नहीं थी ।[1]

"आसु" और अ.ज.स.प. में सरकार पर दबाव डालने के लिये सैकड़ों जवानों ने निर्वाचन कार्यालयों को घेर लिया । कर्मचारियोंको कार्यालयों में जाने से रोक दिया और सम्पूर्ण प्रशासन को पंगु बना दिया । बहुत से गिरफ्तार करलिये गये । लेकिन केन्द्र एवं राज्य सरकारों की ओर से विदेशियों को निकालने के सम्बन्ध में कोई प्रतिक्रिया नहीं हुयी ।

यद्यपि असमी अधिकारी एवं कर्मचारी आन्दोलन के उद्देश्यों से भली भांति परिचित थे । उनमें से एक अधिकारी ने कहा, कि" भारत की स्वाधीनता आन्दोलन में 1942 का भारत छोड़ो आन्दोलन भी असम जनता में इतनी बड़ी जागृति नहीं कर सका था जितनी कि इस आन्दोलन से हुयी हैं । लोगों का अनुभव है कि यह हमारा अंतिम संघर्ष है, यदि हम विजयी होते हैं , तभी हम असमियों के रूप में रह सकेगें ।

मतदाता सूचियों में नामांकित विदेशियों की वैधानिकता के विरूद्ध पुन: 32,000 शिकायतें एवं आपत्तियां दर्ज कराई गयी, लेकिन किसी भी एक आपत्ति के सम्बन्ध में भी चुनाव आयोग की हठवादिता के कारण कार्यवाही नहीं की गयी । समस्या अपने उग्र रूप को धारण करती जा रही थी । केवल गौहाटी सम्भाग में 30,000 शिकायतें थीं, जिम्मेदार अधिकारियों ने रहस्योद्घाटन किया कि अभी बांगलादेश के नागरिकों को जो सीमा पार करके असम में प्रवेश कर गये हैं त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल की मार्क्सवादी सरकारों ने नागरिकता प्रमाण पत्र जारी किये हैं ।[2]

---

1- असम- ए क्राइसिस आफ आइडेन्टिटी- संजेय - स्टोरी आफ द मूवमेंन्ट इन वर्ल्डस एण्ड पिक्चर्स पेज 24

2- वही पेज 25

"आशु" और गणसंग्राम परिषद ने इस आन्दोलन को नया रूप प्रदान करने के लिये सभी राजनीतिक दलों को निर्वाचनों का बहिष्कारकरने के लिये आहवान किया था और निर्वाचनों में प्रत्याशियों को तब तक खड़ा न कियाजाय, जब तक मतदाता सूचियों का पुर्नसंशोधन न हो जाय । हजारों आन्दोलनकारियों ने कर्फ्यू के आदेशों को तोड़कर सर्किट हाउस में जहां कांग्रेस के नेता ठहरे थे उनका घेराव कर लिया । चारों तरफ से इमारत को घेर लिया मि0 देवकान्त बरूआ अपना नामांकन दर्ज नहीं कर सके ।

तेल की निकासी पर रोक — आन्दोलनकारियों ने मध्यपूर्व के शेखों कीतरह तेल की निकासी पर प्रतिबन्ध लगाकर एक शक्तिशाली अस्त्र के रूप में प्रयोग करने का संकल्प किया । 27 दिसम्बर, 1979 को आन्दोलनकारियों ने अपना दूकानों और तेलशोधक कारखानों के दरवाजों पर घेरा डालकर नाके बन्दी कर दी ।

नीरजा चौधरी - " हिम्मत " समाचारपत्र में बड़ी स्पष्टता से इस दृश्य का वर्णन करती है — " यह अर्द्ध रात्रि का समय था बरौनी गौहाटी में " आयल इंडिया की स्थिति बड़ी नाजुक थी, 1500 से अधिक स्त्री औरपुरूषों ने घिराव करके कूड आयल को बोगांव और बरौनी शोध कारखानों में जाने से रोकने के लिये घिराव कर लिया । 27 दिसम्बर, 1979 को नरेनी पाइप लाइन से भारत के किसी भी भाग को एक बूंद तेल नहीं गया । पेट्रोलियम मंत्री वीरेन्द्र पाटिल ने बताया कि 3 करोड़ रूपया की प्रतिवर्ष राष्ट्रीय क्षति हो रही है । इसके उत्तर में आशु नेता ने कहा कि इसके बिना बम्बई और दिल्ली के लोग असम की समस्या की गहराई को समझ नहीं सकते हैं ।

18 जनवरी, 1980 को हजारों शान्तिपूर्ण प्रदर्शनकारियों ने नगरों और शहरों के तेल भण्डारों का घिराव कर लिया । यकायक ही सी0 आर0 पी0 के जवानों ने भीड़ पर गोलियां चलाई । पुलिस के नौ जवानों ने उन पर नाना प्रकार के अत्याचार किये ।

आन्दोलनकारियों की प्रमुख मांगें निम्नलिखित थी[1]

(1) सभी विदेशियों की खोज करके उन्हें हमारे देश के बाहर कर दिया जाय ।

(2) असम में होने वाले किसी भी चुनाव के पूर्व सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रों से मतदातासूचियों से नाम पृथक कर दिया जाय ।

(3) पड़ोसी देशों से लगी भारत की सीमाओं पर प्रभावी ढंग से चौकसी होनी चाहिये जिससे घुसपैठिये प्रवेश न कर सकें ।

(4) भारतीय मतदाता जो असम में रहते हैं उनको छाया चित्र लगे हुये परिचय पत्र मिलना चाहिये ।

(5) पूर्वोत्तर क्षेत्र के नागरिकों को संवैधानिक सुरक्षा प्राप्त होनी चाहिये, जिसमें आगामी 15-20 वर्षों के लिये इस क्षेत्र में से स्वदेशी होने के लिये संवैधानिक प्रावधानों के अन्तर्गत सुरक्षा प्रदान हो सके ।

(6) असम सरकार को पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा के जिला अधिकारियों द्वारा दिये गये नागरिकता के प्रमाण-पत्रों को निरस्त करने का अधिकार प्राप्त होना चाहिये ।

(7) नागरिकता का प्रमाणपत्र देने का अधिकार राज्य सरकारों से छीनकर संघीय सरकार को प्राप्त होना चाहिये, जिससे असम से निकाले गये विदेशी नागरिक पुनः अन्य सरकारों से प्रमाण-पत्र पाकर वापस न आ सके ।

आन्दोलनकारियों ने कहा, कि श्रीमती गांधी स्वयं आकर स्थिति का अवलोकन कर सकती है हम लोग समस्या का शीघ्रता से न्यायोचित समाधान चाहते हैं । जिससे लोगों की व्यर्थ में ही जाने न जायें और उनके खून को व्यर्थ ही न बहाया जाय ।

---

1- असम - ए क्रिसिस आफ आइडेन्टिफाइ, सांजेय-स्टोरी आफ द मूवमेंट इन वर्ल्डस एण्ड पिक्चर्स पेज-34.

## असम समस्या के समाधान के प्रयास

असम आन्दोलन की गम्भीरता को स्वीकार करते हुये भारत सरकार ने इसके समाधान के लिये अनेकों प्रयास किये। असम आन्दोलन के छात्र नेताओं एवं सरकार के बीच समय-समय पर वार्तायें होती रही। छात्र नेताओं और श्रीमती गांधी के बीच होने वाली वार्ता का सन्तोषजनक परिणाम नहीं निकला अतः उन्होने इस समस्या की वार्ता के लिये गृहमंत्री श्री जैल सिंह को अधिकृत कर दिया। गृहमंत्री आन्दोलनकारियों की इस बात से सहमत नहीं हुये कि विदेशियों को वापस उनके देश भेजने की समय 1951 का वर्ष माना जाय। सरकार का प्रस्ताव था कि 25 मार्च, 1971 का समय विदेशियों को बाहर f निकालने का माना जाय। आन्दोलन अपने उग्र रूप को धारण करता रहा और लोग अपने घर, बच्चों, भोजन और काम छोड़कर गलियों में निकल पड़े। सभी कार्यालयों और बैंको का घिराव 20 जुलाई तक जारी रहा। अधिकारियों की अनेकों धमकियों के बावजूद कार्यालयों में कर्मचारियों ने कार्य बंद रखा।

परिस्थिति की गम्भीरता को देखते हुये भारत सरकार और आन्दोलनकारियों के बीच वार्ताओं के दौर चलते रहे। भारत सरकार के सामने भी यह समस्या था कि यदि विदेशियों को असम राज्य से बाहर करने के सम्बन्ध में वर्ष 1951 को निर्धारित वर्ष के रूप में मान भी ले तो उन नागरिकों को कहां धकेल दियाजाय क्योंकि ढाका दूतावास के माध्यम से यह ज्ञात हुआ है कि बांगलादेश सरकार असम एवं अन्य पूर्वोत्तर राज्यों के विदेशियों को वापस लेने को बिल्कुल तैयार नहीं है। उनका तर्क है कि वह उन सभी नागरिकों को वापस लेने को तैयार है जो 23 मार्च के बाद सीमा पार करेके असम राज्य में बस गये थे। क्योंकि तभी से बांगलादेश अस्तित्व में आया है। इसका तर्क है कि इससें पूर्व वह उन नागरिकों को कैसे स्वीकार कर सकता है, क्योंकि वह दूसरे देश के नागरिक थे। असम में विदेशी नागरिकों की संख्या के बारे में निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है। ऐसा अनुमान है कि यह संख्या 50,000 और

50 लाख के बीच हो सकती है ।[1]

असम आन्दोलन के नेताओं और सरकारी प्रतिनिधियों के बीच एक समझौता संयुक्त बैठक में हुआ है कि बांगलादेश सीमा पर भविष्य में असम में होने वाली घुसपैंठ से सुरक्षा की जायेगी ।[2]

सरकार ने आश्वासन दिया कि विदेशों से आने वाले नागरिकों की खोजबीन के लिये एक निरीक्षण तन्त्र स्थापित किया जायेगा । गांवों में घुसपैठियों को पहिचानने और उनको रोकने की प्रक्रिया में गांवों के लोगों की समितियां गठित करके उनका सहयोग लिया जायेगा । असम – बांगलादेश सीमा पुर पुलिस दल अधिक सक्रिय एवं शक्ति सम्पन्न बनाये जायेगा । हितेश्वर सैक्या जब असम के मुख्यमंत्री बने तो असम आन्दोलनकारियों को सन्तुष्ट करने के लिये ही उन्हें करना पड़ा था कि वे असम में बांगलादेश से आने वाले शरणार्थियों को रोकने के लिये 3200 किलोमीटर की भारत बांगलादेश सीमा पर ईटों की दीवार उठा देगें । किन्तु बाद में दीवार पर अनुमानित खर्च इतना अधिक पाया गया कि उसकी जगह तिहरी कंटीली बाड़े बंदी का विकल्प ज्यादा उपयुक्त समझा गया ।

लेकिन 1983 के मध्य से जनरल इरशाद ने यह घोषणा कर दी कि भारत बांगलादेश को एक बाड़े के भीतर बंद करने की कोशिश कर रहा है और किसी भी कीमत पर ऐसा नहीं होने दिया जायेगा ।

इस प्रकार असम समस्या के परिप्रेक्ष्य में भारत-बांगलादेश के बीच तारों की बाड़ को लेकर एक नया विवाद पैदा हो गया है ।

'आसू' और 'गणसंग्राम परिषद' के नेताओं ने सरकार पर चौदहवें' दौर की वार्ता में यह आरोप दोहराया कि सरकार के ढीलेपन के कारण वार्ताओं के दौरान ही लाखों बांगलादेशी असम में दाखिल हो गये हैं और लाखों की तादाद

---

1- इंडियन एक्सप्रेस, 2 अगस्त, 1980

2- स्टेट्समैन दिल्ली 21 फरवरी 1982

में अब भी घुस रहे हैं । छात्र नेताओं ने अपनी मांग को पुन: दोहराया कि 1965 और 1971 के बीच आये घुसपैठियों को मताधिकार से वंचित किया जाय और 1981 के बाद आये घुसपैठियों को असम से निकाला जाय ।[1] 12 अगस्त, 1985 को राजीव गांधीन ने एक आम सभा को सम्बोधित करते हुये कहा कि " हम जल्दी ही असम की जनता को एक तोहफा भेंट करने जा रहे हैं उनका इशारा असम आन्दोलनकारियों के साथ होने वाले सम्भावित समझौते के प्रति था, प्रधानमन्त्री ने इस समझौते के बारे में सबसे महत्त्वपूर्ण बात कही कि इस समझौते में कोई हारेगा जीतेगा नहीं ।

6 साल की जद्दो जहद के बाद अंतत: असम समस्या के समाधान के लिये आन्दोलनकारियों और केन्द्र सरकार के बीच समझौता हो गया । स्वाधीनता की 38वीं वर्षगांठ पर लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को सम्बोधित करते हुये प्रधानमन्त्री श्री राजीव गांधी ने यह घोषणा की कि समझौते केअनुसार विदेशियों की पहिचान के लिये । जनवरी, 1966 की तिथि निर्धारित की गयी है । निर्धारित तिथि को आये विदेशियों की 7 से 10 वर्ष तक मताधिकार प्राप्त नहीं होगा । 1983 के चुनाव के बाद मुख्यमन्त्री बने हितेश्वर सीकिया अपने पद से इस्तीफा दे रहे हैं, किन्तु नवम्बर तक विधान सभा के नये चुनाव होने तक वह कार्यकारी मुख्यमन्त्री बने रहेगें ।

किन्तु सन्तोष तिवारी ने लिखा है कि असम समझौते के अधूरे वायदों से महंत सरकार का यह आरोप है कि केन्द्र सरकार ने विदेशियों की पहिचान और उनको असम सें बेदखल करने में जानबूझकर देरी की जा रही है, दूसरे उसने भारत-बांगलादेश सीमा पर बाड़ लगाने का सड़क बनाने और रोकथाम के दूसरे कार्यों से भी कोई दिलचस्पी नहीं ली है । ऐसा न होने पर तकरीबन 5 लाख

---

1- स्टेट्समैन , 21, फरवरी, 1985

बंगलादेशी असम में प्रतिदिन आते हैं तीसरा असम आन्दोलन में हिस्सा होने वाले केन्द्रीय कर्मचारियों को अभी तक बहाल नहीं किया गया है ।[1]

असम सरकार का कहना है कि विदेशियों की पहिचान में तेजी लाने के लिये मौजूदा गैर कानूनी प्रणाली कानून ( न्यायाधिकरण द्वारा निश्चित ) 1983 में जरूरी संशोधन करके प्रक्रिया सरल बनायी जाय ।[2]

मुख्यमन्त्री प्रफुल्लकुमार महंत और गृहमंत्री भृगु कुमार फूकन ने असम समझौते के अमल पर केन्द्र सरकार की आलोचना की है । वे मानते हैं कि समझौता लागू नहीं हुआ है । इसका कारण है केन्द्र सरकार की ढिलाई । समझौते की पाँचवी धारा की हर पहलू पर सहमति हुयी थी । पहिचान की आधार तारीख । जनवरी, 1966 तय की गयी थी उसके बाद आये विदेशी नागरिकों की तीन श्रेणियां बनाकर तीनों के बारे में फैसला हुआ था । आसू ने 14 अगस्त को समझौते की साल गिरह पर प्रधानमन्त्री और केन्द्रीय गृहमंत्री को दिल्ली आकर उन बातों की याद दिलाई जिन्हें लागू किया जाना है उन्होंने समझौते की धारा छः के तहत असमियां संस्कृति और समाज की रक्षा के लिये संवैधानिक सुरक्षा का प्रस्ताव भी केन्द्र सरकार के पास भेजा ।[3]

असम के मुख्य मंत्री प्रफुल्ल कुमार महंत ने एक साक्षात्कार में बताया कि अक्टूबर, 1988 तक 6730 विदेशी नागरिकों की पहिचान की जा चुकी है । तीन हजार से अधिक व्यक्तियों के नाम मतदातासूचियों से निकालने की सिफारिश की गयी है । 1985 में 7 हजार नये विदेशी नागरिकों को वापस भेजा गया है ।

उन्होंने कहा कि अखिल असम छात्र संघ और राज्य सरकार ने अवैध प्रवासी ( पंचात के जरिये पहिचान ) कानून, 1983 में संशोधन के जो सुझाव दिये

---

1- दिनमान, 14-20 दिसम्बर, 1986 पेज 32.

2- वही,

3- वही, 18-24 जनवरी, 1987

थे उन्हें केन्द्र सरकार ने पूरी तरह नहीं माना है । कानून मे मामूली संशोधन हुआ है । असम को संवैधानिक सुरक्षा दिये जाने का प्रस्ताव विचाराधीन है । असम समझौते की निम्नलिखित बातों पर केन्द्र की उदासीनता से कोई वार्ता नहीं हुयी है ।

मुख्यमन्त्री महंत ने बताया कि दक्षिण में धुबरी जिले का बराइदारी इलाका बांगलादेश के कब्जे में है । केन्द्र को इसकी जानकारी देकर अनुरोध किया गया है कि बांगलादेश से इस बारे में बातचीत होनी चाहिये ।[1]

अखिल असम छात्रसंघ ने असम समझौते को लागू करने के लिये त्रिपक्षीय वार्ता की अपनी मांग को आज फिर दोहराया जिसके लिये गृहमंत्री बूटा सिंह ने पहले जुलाई में वायदा किया था ।

छात्रसंघ के अध्यक्ष मि० अतुल बोरा और महासचिव समुजति कुमार भट्टाचार्य ने कहा कि प्रस्तावित वार्ता की शर्त पूरी नहीं हुयी है और समझौते पर अमल न होने के लिये केन्द्र और राज्य सरकार एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं । दोनों नेता छात्रसंघ की कार्यकारिणी के सदस्यों के साथ प्रधानमन्त्री राजीव गांधी , गृहमन्त्री बूटा सिंह और चुनाव आयुक्त आर० वी० एस० पेरिशास्त्री से मिलने गये और उन्हें राज्य की ताजा स्थिति से अवगत कराने नई दिल्ली पहुंचे । छात्र संघ ने कहा कि वह असम को फिर से जलने नहीं देगा । इसलिये असम समझौता को लागू होने में टाल मटोल नहीं होनी चाहिये ।[2]

इस प्रकार हम देखते हैं कि बांगलादेश के निर्माण के समय और उसके बाद से आने वाले बांगलादेशी शरणार्थियों एवं घुसपैठियों के कारण भारत के इस पूर्वोत्तर राज्य असम कीजनता ने अपने राजनैतिक भविष्य की सुरक्षा और जातीय संकट से उत्पन्न संकट सेरक्षा के लिये एक संगठित एवं उग्रतम आन्दोलन चलाया । जो स्वतन्त्र भारत का सबसे व्यापक एवं भयावह था और उस आन्दोलन की ज्वालामुखी का लावा आज भी असम की भूमि पर बह रहा है, जिसका अभी तक स्थायी समाधान नहीं हो सका है ।

---

1- नव भारत टाइम्स, 9 जनवरी, 1989

2- वही, 4 सितम्बर, 1989

## सीमा पर समस्यायें

### भारत-बांगिलादेश सीमा पर तस्करी की समस्यायें -

भारत-बांगिलादेश सीमाओं पर आर्थिक अपराधियों द्वारा तस्करी का अवैध धन्धा दोनों देशों के लिये समस्या बन गया है । यद्यपि यह तस्करी का धंधा दशाब्दियों से (1947) से ही एक परम्परागत व्यवसाय के रूप में चल रहा है । 1971 में जब मुक्ति वाहिनी पाकिस्तानी सेना के खिलाफ लड़ रही थी उधर दोनों ओर से व्यापक स्तर पर उपभोक्ता वस्तुओं की तस्करी होरही थी । इस प्रकार बांगिलादेश के निर्माण के समय से ही इन अपराधिक धंधों में दिनोंदिन बढ़ोत्तरी होती गयी । बांगिलादेश में नये सम्पन्न वर्ग ने इस अवैध धंधे को और भी अधिक बढ़ावा दिया किन्तु बांगिलादेश भारत पर यह आरोप लगाने का प्रयास करता रहा है कि इससे भारत को ही लाभ हुआ है । लेकिन वह यह भूल जाता है कि यह लाभांश प्राप्त करने के इस अपराधी उद्यम में एकतरफा खेल नहीं हो सकता है । अब भी समय है जबकि दोनों सरकारों को असामाजिक तत्वों पर नियंत्रण करके दैनिक उपभोक्ता वस्तुओं की तस्करी को रोकने के लिये सामूहिक प्रयास करना चाहिये ।[1]

### सोना, दवायें एवं अन्य उपभोक्ता वस्तुओं की तस्करी -

त्रिपुरा राज्य में तस्करी का काम एक खुले व्यापार के रूप में हो रहा है । अनधिकारिक सूत्रों से पता चला है कि प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से आबादी का एक बहुत बड़ा भाग इस कार्य में लिप्त है ।

त्रिपुरा राज्य के तीन ओर से बांगिलादेश है और 839 किमी0लम्बी सीमायें हैं । स्थानीय व्यापार बृहद् रूप में तस्करी के माध्यम से ही सम्पन्न होता है, जिसे सीमा व्यापार कहा जाता है । दोनों देशों की सरकार बार-बार घोषणायें कर रही हैं कि सीमा पर होने वाली तस्करी को रोकने के लिये बड़े पैमाने पर प्रयास किये जा रहे हैं किन्तु तस्करी का यह कार्य आज भी जीवित है ।

सोने का व्यापार सोने के तस्करों की मुट्ठी में है जो स्वाधीनता के समय से ही कर रहे हैं । सोने के बिस्कुट जिनका वजन लगभग 10 ग्राम होता है

1- हिन्दुस्तान टाइम्स, 7 नवम्बर 1985

पश्चिमी एशियाई देशों से बांगलादेश होकर त्रिपुरा लाया जाता है। 1986-87 में सीमा शुल्क अधिकारियों ने सोने के बिस्कुटों की तस्करी करने वाले केवल 10 मामलों को ही पकड़ा ।[1] यह बात सही है कि कस्टम शाखा का यहाँ स्टाफ कम है और घने जंगलों और यातायात साधनों की कमी के कारण अपने कर्तव्यों का सही ढंग से निर्वाह नहीं कर पाते हैं । 40 और 50 की संख्या में प्रमुख तस्करों के नेता है, जिनके नामों की जानकारी सीमा शुल्क के अधिकारियों को भी है, स्वतंत्रतापूर्वक अपने इन अपराधिक धंधों को चला रहे हैं ।

सीमा शुल्क के अधिकारियों ने 1986 में 1 करोड़ मूल्य की वस्तुयें पकड़ी हैं लेकिन अधिकारिक सूत्रों के अनुसार यह सम्पूर्ण तस्करी के मूल्य का ठीक 2 या 3 प्रतिशत ही है । बांगलादेश के अधिकारियों ने भी तस्करी का सामान खरीदना प्रारम्भ कर दिया है । त्रिपुरा सरकार का भारत सरकार पर आरोप है कि वह तस्करी को रोकने के लिये पर्याप्त कर्मचारी और साधनों को उपलब्ध नहीं कराती है । पर्याप्त निरीक्षण चौकियाँ, संचार साधनों तथा सड़कों की भी सुविधा मिलनी चाहिये ।

भारतीय अधिकारियों को दवाओं की तस्करी की बहुत बड़ी चिन्ता है । इस समय दवाओं की तस्करी बांगलादेश में व्यापक रूप से हो रही है । सीमा पार से इन दवाइयों की मांग बहुत अधिक होने से दवाइयां निर्मित करने वाली कम्पनियों ने फेन्सीडल और डेक्सोरेंज दवाओं के प्रतिनिधियों को भी वापस बुला लिया है । इस तरह दवाओं का अवैध धन्धे के रूप में सीमा पर व्यापार खुलकर हो रहा है ।[2]

---

1- स्मगलिंग फ्लूरिशिंग इन त्रिपुरा, बाई अनिल भट्टाचार्यजी । दि टाइम्स आफ इंडिया - न्यूज सर्विस 21 अगस्त 1987

2- वही

भारतीय अधिकारियों की दूसरी चिन्ता का विषय भारत में बड़े पैमाने पर मलाई रहित दूध तथा दुग्ध पावडर जिसकी निर्धारित अवधि निकल चुकी है और जो मानव स्वास्थ्य के लिये अति हानिकारक है, सीमा पर इसकी भी खुलकर तस्करी हो रही है । अभी कस्टम अधिकारियों द्वारा कुछ मिल्क पाउडर पकड़ा गया जिसमें रेडियो एक्टिविटी होने की सम्भावना व्यक्त की गयी है और इसे भाभा एटामिक रिसर्च केन्द्र को भेजा गया है, जिससे प्रयोगशाला में उसका परीक्षण हो सके ।[1]

नशीले पदार्थों की तस्करी

भारत-बांगलादेश सीमा पर नशीले पदार्थों की अवैध ढंग से तस्करी का धंधा भी चरम सीमा पर है। दोनों देशों के अधिकारियों के लिये यह चिन्ता का विषय है कि इन नशीले पदार्थों की तस्करी का धंधा कैसे रोका जाय । सीमा के अधिकारियों ने बताया कि बांगलादेश से सीमा पार करके नशीले पदार्थों-जैसे हीरोइन, हशीश, गांजा आदि की तस्करी होती है । दोनों देशों के अधिकारियों के बीच इस समस्या से निपटने के लिये बातचीत हुयी है । एक भारतीय उच्चायोग के प्रवक्ता ने बताया कि दोनों पक्ष इन नशीली वस्तुओं के व्यवसाय के विरूद्ध और अधिक निगरानी करने पर सहमत हो गये हैं । उन्होंने कहा कि दोनों देश सीमा पर होने वाले अपराधों , नशीली वस्तुओं की तस्करी आदि पर परस्पर सूचनाओं के आदान-प्रदान पर सहमत हो गये हैं ।[2]

नशीले पदार्थों की तस्करी का यह धंधा भारत-बांगलादेश तक ही सीमित नहीं है वरन् यह विश्वव्यापी स्तर पर भी हो रहा है ।

---

1- स्मगलिंग फ्लूरिसिंग इन त्रिपुरा, बाई अनिल भट्टाचार्यजी, दि टाइम्स आफ इंडिया - न्यूज सर्विस 21 अगस्त 1987

2- इन्डियन एक्सप्रेस - 6 अप्रैल 1988

भारत-बांगलादेश सीमा पर नारी देह व्यवसाय की समस्या -

ढाका सरकार बांगलादेश से भारत में औरतों के घिनौने व्यावसायिक धंधे से बहुत व्यग्र है ।[1] इस सम्बंध में संसद में एक विधेयक प्रस्तुत किया जायेगा जिससे सीमा पर होने वाले इन अपराधों के विरूद्ध कठोर कदम उठाये जा सकें । कलकत्ता स्थित बांगलादेश के उच्चायुक्त को इस बारे में निर्देश दिये गये हैं कि वह इन अपराधों के सम्बंध में सम्भावित सूचनायें एकत्रित करके ढाका भेजें ।

बांगलादेश सरकार इन औरतों के व्यापार के बारे में विचार कर रही है कि समाज के प्रभावशाली लोग जैसे कि राजनेता, पुलिस अधिकारी, कर्मचारी और इस कार्य में संलग्न दलालों से कैसे निपटा जाय । ये सभी बांगलादेश राइफल्स से भी सम्बंध रखते हैं ।

यद्यपि बांगलादेश से भारत एवं अन्य पश्चिमी एशियाई देशों के लिये लड़कियों का व्यवसाय कोई नयी बात नहीं है । भारतीय समाचार पत्र इंडियन एक्सप्रेस ने प्रबीन खातून का मामला प्रकाशित करके सबको स्तब्ध कर दिया । ढाका सरकार ने कलकत्ता उच्च आयोग के अधिकारियों से सम्पर्क करके इसका पता लगाने के लिये कहा । डिप्टी हाई कमिश्नर कलकत्ता के एक अधिवक्ता से मिले । जो इस प्रकार की अभागी लड़कियों के मामलों को जनता के सामने प्रकाश में लाते हैं । अधिवक्ता महोदय नारी निर्यात प्रतिरोध मंच से सम्बंधित थे । यह एक साहसी एवं लोक कल्याणकारी मंच नारी उत्पीड़न के विरूद्ध संगठित किया गया है ।[2]

अधिवक्ता महोदय ने कहा कि बांगलादेश के ढाका, जैसोर, नोआ-खाली और खुलना जिलों से लड़कियां तय होकर आती है और वे उत्तरी कलकत्ता के सोनागच्ची जो मनोरंजन का सबसे बड़ा क्षेत्र है लोगों के कुकृत्यों का शिकार हो जाती है । इस समय लगभग 150 बंगलादेशी लड़कियां पश्चिमी बंगाल की विभिन्न जेलों में हैं और 41 कलकत्ता की प्रेसीडेंसी जेल में हैं ।[3]

---

1- ढाका वरीड एबाउट ट्रैफिकिंग आन वूमैन, बाई आशिम मुखोपाध्याय एक्सप्रेस सर्विस - 25 अप्रैल 1988

2- वही

3- वही

अधिवक्ता महोदय के अनुसार बांगलादेश के ढाका शहर से लेकर अन्य शहरों के राजनीतिज्ञों से लेकर पुलिस अधिकारी तक इस कार्य में जुड़े हुये हैं । बांगलादेश राइफल्स के लोग 200 रू0 से लेकर 500 रू0 तक प्रति नारी निर्यात के हिसाब से लेते हैं जबकि भारतीय सीमा सुरक्षा बल के लोग 100 रू0 से लेकर 200 रू0 तक हिस्सा लेते हैं ।[1]

बहुत से मौकों पर तो सीमा रक्षकों द्वारा उन नारियों से शारीरिक सम्बंध स्थापित करने के लिये बाध्य किया जाता है । यदि कोई इस प्रकार के कुकृत्यों से हिचकिचाती है अथवा प्रतिरोध करती है तो फिर उसको और भी अधिक उत्पीड़ित किया जाता है ।[2]

सोना गच्ची पहुंचने पर यह नारी देह व्यवसायी 2000 से 3500 रू0 प्रति लड़की का मूल्य प्राप्त करने में सफल हो जाते हैं और यदि बम्बई ले जाने में सफल हो गये तो यह कीमत 5000 से 7500 रू0 तक हो जाती है । हावड़ा स्टेशन पर 18 अप्रैल को एक मामला लड़कियों की तस्करी का उस समय प्रकाश में आया जब मुर्शिदाबाद जिले का जियाउद्दीन नामक व्यक्ति तीन 16 वर्षीय लड़ंकियों को कश्मीर ले जाते समय पकड़ लिया गया क्योंकि उनमें से एक लड़की रोने लगी । तभी उसको पकड़कर पुलिस को सौंप दिया गया । दूसरे दिन यह मामला राज्य विधानसभा में उठा और लोगों ने इसे मानवता पर कलंक बता कर लज्जास्पद कहा तथा सरकार से आग्रह किया कि नारी तस्करी व्यापार बंद होना चाहिये ।[3]

---

1- इंडियन एक्सप्रेस - 25 अप्रैल 1988

2- वही

3- वही

बांगलादेश की औरतों की तस्करी बम्बई एवं विश्व के अन्य देशों में

बहुत सी बंगलादेशी स्त्रियों को अवैधानिक रूप से भारत में प्रवेश कराकर तस्करीकरके बम्बई वेश्यालयों में भेज दी जाती है । बंगाली डेली समाचार इत्तफाक ने यह रहस्योद्घाटन किया कि असहाय स्त्रियां यह धन्धा करने वाले अपराधी दलों द्वारा फुसलाकर धन की लालसा में लाई जाती है और कभी-कभी उनको पकड़ भी लिया जाता है और जेलों में बंद भी हो जाती हैं और जब जेलों से धोखा देकर छुड़ा लिया जाता है तब वे तस्करी के धन्धे में चली जाती हैं । इन संगठित गिरोहों के द्वारा औरतों की तस्करी का धन्धा भारत से होकर पाकिस्तान एवं पश्चिम एशिया के देशों को होता है । मानव अधिकार संगठन के आंकड़ों के अनुसार लगभग 10,000 बांगलादेश की औरतें विश्व के विभिन्न देशों में हैं । बांगलादेश सरकार ने इस नारी व्यापार धन्धे के पूरे मामले के अध्ययन के लिये एक उच्च स्तरीय जांच आयोग बैठाया है । इस अपराधी धन्धे को रोकने के लिये सरकार ने कड़े कदम उठाने की घोषणा की है ।[1]

बांगलादेश और भारत की सरकारें सामूहिक रूप से इस नारी देह व्यवसाय को इस माहद्वीप में रोकने के लिये सहमत हो गयी हैं । दोनों देशों के सीमा सुरक्षा बलों के अधिकारियों की राजशाही में बैठक हुयी । बांगलादेश राइफल्स के जवानों ने लगभग 300 लोगों को जिनमें अधिकांशतः औरतें थीं गिरफ्तार कर लिया जो राजशाही और जैसोर जिलों की उत्तर पश्चिम सीमा से भारत में प्रवेश कर रही थीं । पकड़ी गयी औरतों ने स्वीकार किया कि उनको पाकिस्तान और पश्चिम एशिया के देशों में अच्छा काम देने का आश्वासन दिया गया है । बांगलादेश सरकार ने सीमा सुरक्षा बलों और खुफिया पुलिस को और अधिक चौकसी के निर्देश दिये हैं ।[2]

---

1- इन्डियन एक्सप्रेस, नई दिल्ली , वेडनेसडे, अप्रैल 6, 1988

2- वही

सीमा पर आतंकवादी गतिविधियों की समस्या -

भारत-बांगलादेश सीमा पर अब भी चौंकाने वाली आपराधिक घटनायें होती रहती है । जंगली सम्पदा की चोरी, भारतीय और बांगलादेश सीमा, भारतीय ग्रामीणों और बांगलादेश के अपराधी दलों के सुरक्षा दलों के बीच झगड़े होते रहते हैं । शस्त्रधारी अपराधी प्रायः सीमा पार करके त्रिपुरा के पश्चिमी जिलों के गांवों पर रात्रि में धावा बोल देते हैं, वहां पर अपराधिक गतिविधियां इतनी बढ़ गयी हैं कि सीमा पर स्थित भारतीय गांव बांगलादेश के अपराधों के भय के कारण उजड़ रहे हैं क्योंकि उनको भय है कि वे कभी भी मारे जा सकते हैं । अभी हाल में त्रिपुरा और बांगलादेश की सीमा पर स्थिति अधिक तनावपूर्ण हो गयी थी । बांगलादेश अधिकारियों द्वारा त्रिपुरा के बैलोनिया सम्भाग के दक्षिण में सीमा के सामने सामरिक दृष्टि से अतिमहत्वपूर्ण स्थानों पर जबरन पुस्तबन्दी करवायी जा रही है, जिसके कारण तनाव और भी बढ़ गया है । बांगलादेश राइफल्स के जवान उत्तेजनात्मक ढंग से भारतीय श्रमिकों द्वारा किये जा रहे सुरक्षा उपायों को सीमा के बैलोनियों की ओर काम बंद करने को बाध्य करते हैं । बांगलादेश राइफल्स ने बैलोनिया नगर पर गोलियां चलाईं और उनकी यह कार्यवाही नवम्बर 1982 में 5 दिन तक चलती रही । यह भी आश्चर्य की बात है कि भारत की ओर से किसी भी प्रकार का उत्तेजनात्मक व्यवहार नहीं किया गया ।[1]

बांगलादेश राईफिल्स की इन उत्तेजनात्मक कार्यों के परिणामस्वरूप बैलोनिया नगर के निकट अमजद नगर पर भारतीय सुरक्षा कार्यों को बंद कर देना पड़ा ।[2]

सीमा पर चोरों के गिरोह -

बांगलादेश से शस्त्रधारी गिरोह गांवों से नियमित रूप से जानवरों

---

1- बंगलादेश ब्रिबिंग देयर वे इन द स्टेट्समैन, फ्राइडे, जनवरी 25, 1985 पेज 1-3

2- वही

की चोरी करके ले जाते हैं ।[1] ये बदमाशों के गिरोह गांवों में घुस आते हैं और गायें, बैल, भैंसे आदि जानवर जबरन लेजाकर सीमा पार करके चले जाते हैं और इन जानवरों का मांस अरब बाजारों में बेचने के लिये भेज दिया दिया जाता है । इन गिरोहों की आतंकवादी गतिविधियों के कारण सीमा पर स्थित गांवों में भय व्याप्त रहता है ।

समस्याओं के निदान के प्रयास -

भारत-बांगिलादेश सीमा पर विद्यमान समस्याओं के समाधान के लिये दोनों देशों के शीर्षस्थ नेताओं और उच्चाधिकारियों के बीच प्रारम्भ में ही विचार विमर्श चल रहा है । दोनों देशों के अधिकारियों के बीच वार्ता सीमा पर तस्करी आदि समस्याओं को समाप्त करने की उचित कार्यवाही हेतु विचार विमर्श बहुत ही सद्भावनापूर्ण वातावरण में हुआ ।[2] सीमा सुरक्षा बल के अधिकारियों के बीच बोंगांव के निकट सीमा पार से तस्करी को कैसे रोका जासकता है इस सम्बंध में आपसी बातचीत हुयी ।[3]

भारत-बांगिलादेश की उत्तर पूर्व की सीमाओं पर होने वाले तस्करी एवं जानवरों को चुराने आदि के अपराधों को रोकने के लिये उचित कदम उठाने पर दो दिन तक बातचीत की गयी । बांगिलादेश के प्रतिनिधि मण्डल का नेतृत्व श्री मतीउर्रहमान उपमहानिदेशक, श्री वी० सी० शर्मा उत्तर पूर्व सीमा सुरक्षा बल कर रहे थे । वार्ता मित्रता एवं सद्भावनापूर्ण स्थिति में हुयी । इसी समय त्रिपुरा में चटगांव क्षेत्र के विद्रोहियों की घुसपैठ के सम्बंध में भी चर्चा हुयी ।[4]

---

1- दि टाइम्स आफ इंडिया- न्यू डेलही, न्यूज सर्विस 21 अगस्त 1987

2- बांगिलादेश आब्जरवर- ढाका 24 अप्रैल 1975

3- टाइम्स आफ इंडिया 28 नवम्बर 1975

4-टाइम्स आफ इंडिया- दिल्ली, 2 सितम्बर 1982

## अन्य समस्यायें और उनके समाधान के प्रयास

### टी0एन0वी0 (त्रिपुरा नेशनल वोलेन्टियर्स) -उग्रवादियों की समस्या

भारत संघ के त्रिपुरा राज्य में भी आतंकवादी गतिविधियाँ के कारण कानून और व्यवस्था की स्थिति अत्यन्त खराब हो गयी है ।

त्रिपुरा के तत्कालीन मुख्यमंत्री नृपेन चक्रवर्ती ने स्पष्ट रूप से बांगलादेश सरकार पर आरोप लगाया है कि टी0एन0वी0 छापामार विद्रोहियों को बांगलादेश से प्रशिक्षण एवं अस्त्र-शस्त्र प्राप्त होते हैं । गृहमंत्री भारत सरकार पी0 सी0 सेठी ने यह रहस्योद्घाटन किया कि उत्तरपूर्वी राज्यों के आतंकवादियों से कुछ हथियार पकड़े गये हैं जिनमें बांगलादेश के बने होने के चिन्ह अंकित हैं ।[1]

### त्रिपुरा का आरोप एक झूठ-

बांगलादेश सरकार ने त्रिपुरा और मिजोरम के उग्रपंथियों के संगठनों को किसी भी प्रकार की सहायता देने के आरोप का खंडन किया है ।[2]

एम0एस0प्रभाकर ने ढाका यात्रा पर अपने विशेष प्रतिवेदन[3] में बताया कि मेरे ढाका प्रवास के समय भारतीय समाचार पत्रों में यह सूचनायें मिलीं कि त्रिपुरा के मुख्यमंत्री नृपेन चक्रवर्ती ने टी0एन0वी0 पर बोले गए यकायक धावे के समय प्राप्त दस्तावेजों के आधार पर एक सनसनीखेज आरोप लगाया है कि ले0 जनरल इरशाद व्यक्तिगत रूप से टी0एन0वी0 के नेता मि0 विजय हेरंगखल से मिले हैं । यह खबर ले0 जनरल इरशाद के अनुसार एक सफेद झूठ थी ।[4] जनरल इरशाद ने कहा कि बांगलादेश की भूमि पर एम0एन0 एफ0 अथवा टी0एन0वी0 के आतंकवादी नहीं हैं । उन्होंने आगे कहा कि ये न तो मियाली अथवा सिंगलम के जंगलों में हो सकते हैं और न ही लूमा बाजार या न्यूलंकर में है । नृपेन चक्रवर्ती मेरी मि0 विजय हरंखल से भेंट के समाचार का प्रचार करके अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ाना चाहते हैं ।

---

1- इंडियन एक्सप्रेस -दिल्ली 23 दिसम्बर 1983
2- फियर्स आफ "बिग ब्रदर्स" एण्ड एनरामस गुड विल-स्पेशल रिपोर्ट बाइ एम0एस0 प्रभाकरन इन हिन्दू मद्रास 28 अगस्त ,1984
3- वही
4- वही

बांगलादेश की आक्रान्त पहाड़ी जातियों को भारत द्वारा शस्त्रपूर्ति एवं प्रशिक्षण देने का आरोप -

जिस तरह भारत सरकार बांगलादेश पर मिजो एवं टी0एन0वी0 छापामारों को प्रशिक्षित करने एवं उनको शस्त्रों की आपूर्ति का आरोप लगाती है उसी प्रकार बांगलादेश सरकार भी भारत पर विभिन्न पहाड़ी आतंकवादी जनजातियों को प्रशिक्षण देने, शस्त्रों की आपूर्ति एवं उनको छापामार युद्धों के लिये उकसाने का आरोप लगा रही है । बांगलादेश के राष्ट्रपति जनरल इरशाद ने स्पष्ट रूप से यह आरोप लगाया कि भारत चटगांव पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाली आक्रान्त जातियों को शस्त्रास्त्रों से प्रशिक्षित करके बांगलादेश में आतंकवादी गतिविधियों को तेज करने कोभेजता है । यद्यपि नई दिल्ली ने ढाका के इस आरोप का खंडन किया कि भारत चटगांव की चकमा, लर्मा, मुर्मी विद्रोही जातियों को अस्त्र शस्त्रों की मदद करता है और जिससे वे पहाड़ी क्षेत्र में स्वतंत्र क्षेत्र की मांग करते हैं ।[1]

इंडियन एक्सप्रेस समाचार पत्र अपने सम्पादकीय में बांगलादेश सीमा शीर्षक[2] में लिखता है कि बांगलादेश के राष्ट्रपति एच0 एम0 इरशाद द्वारा भारत पर लगाये गये इस आरोप को ढाका के अधिकारियों द्वारा पहले भी कई बार सुना गया है कि शांतिवाहिनी के उग्रपंथियों को शस्त्रास्त्रों की आपूर्ति करता है । नई दिल्लीने इसका हर मौके पर खंडन किया है । लेकिन बांगलादेश को शांति वाहिनी को दी जाने वाली किसी भी प्रकार की भारतीय सहायता को त्रिपुरा के टी0एन0वी0 आतंकवादियों को बांगलादेश द्वारा दी जा रही सहायता के परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिये ।

दोनों देशों के नेताओं को परम्परागत रूप से एक दूसरे पर अभियोग लगाने के व्यवसाय को बंद करके एक दूसरे की सीमा पर होने वाली आतंकवादी गतिविधियों पर नियंत्रण रखने का प्रयास करना चाहिये । दुर्भाग्य वश इस दिशा में आपसी समझदारी के साथ बहुत कम ही प्रयास किया गया है ।

---

1-इंडियन एक्सप्रेस, 6 अप्रैल 1988
2-इंडियन एक्सप्रेस, मई7, 1988 "बांगलादेश बार्डर"

## चकमा समस्या

बांगलादेश के चटगांव पहाड़ी क्षेत्र से एक बहुत बड़ी संख्या में बौद्ध धर्मावलम्बी चकमा जाति के लोगों का भारत संघ के त्रिपुरा राज्य में प्रवेश कर जाने से भारत बांगलादेश सम्बन्धों में तनाव पैदा करने वाली एक नयी समस्या खड़ी हो गयी है ।[1]

रमेश मेनन ने लिखा है कि इस बार चकमा जाति के लोग अपने ही देश बांगलादेश की सेना के उत्पीड़न के शिकार होकर हर रोज चकमाओं के परिवार के परिवार घर-गृहस्थी के थोड़े बहुत सामान की छोटी-मोटी गठरी सिर पर लादे, नंगे पांव, बांगलादेश की सीमा पार करके घने जंगलों से होते हुये त्रिपुरा राज्य में घुस आते हैं । पलायन का यह सिलसिला जारी है । त्रिपुरा सरकार विवश होकर इनके लिये आवास, भोजन और चिकित्सा की व्यवस्था कर रही है । आने वाला हर परिवार वहां के आतंक का जो दास्तान कहता है, उससे लगता है कि वहां पर एक और नरसंहार चल रहा है । एक पूरी जाति को समाप्त करने का षडयन्त्र किया जा रहा है ।[2] इनकी जमीने छीनकर मैदानी इलाकों के मुसलमानों को दी जा रही है । इनकी फसलें, मकान जलाये जा रहे हैं । बच्चे बूढ़े पुरूष नरसंहार और महिलायें बलात्कार का शिकार बनी है । इन पर जबर दस्ती इस्लाम थोपने की कोशिश की गयी है । इनका अस्तित्व और पहिचान दोनों खतरे में हैं ।[3]

बांगलादेश के चटगांव पहाड़ी क्षेत्र के इन चकमा आदिवासियों की आबादी छः लाख के आस-पास है । 5,600 वर्गमील के अन्तर्गत आने वाले मार्या, त्रिपुरी, मुरूंग, खियांग, खूमी, चाक तक फैले चकमा स्वभाव से बड़े शान्त तथा सरल स्वभाव के हैं । चकमाओं के अधिकांश घर उँची-उँची पहाड़ियों और गहरी घाटियों से

---

1- सरल पात्र "भारत"-बांगलादेश सम्बन्धों में एक "नया तनाव" इन पेट्रियोग --11 जून, 1986

2- इंडिया टूडे - 15 मार्च, 1987 पृष्ठ 48

3- नवभारत टाइम्स - 10 अक्टूबर, 87

घिरे चटगांव के बीच बहने वाली सबसे बड़ी नदी कर्णफूल के किनारे स्थित है । झूम खेती करने वाले चकमा शरणार्थियों की आर्थि स्थिति सामान्य थी । किन्तु बांगलादेश सरकार ने अनुपजाऊ क्षेत्रों से मुसलमानों को चटगांव पहाड़ी क्षेत्र में बसेन को उकसाया ताकि इस क्षेत्र की जमीन का पूरा लाभ चकमाओं को न मिल सके । भारी संख्यामें मुसलमान आकर चटगांव पहाड़ी क्षेत्र में बस गये ।

शशिधर खां ने लिखा है कि इन मुस्लिम घुसपैठियों ने पहले तो इन चकमा आदिवासियों को अपने विश्वास में लिया और फिर जिन्होने शरण दी इन्ही को भारत में शरणार्थी की जिन्दगी जीने के लिये मजबूर कर दिया । मुस्लिम घुसपैठियों द्वारा चकमाओं को अपनी जमीन से बेदखल किया गया, उनके बच्चों को स्कूल कालेज जाना छुड़वा दिया । बेटियों और बहिनों की सारे आम इज्जत लूटी गयी । मौत का भय दिखा कर हजारों आदि वासियों को मुसलमान बनाया गया ।[1]

बांगलादेश सरकार और सेना के अत्याचारों से क्षुब्ध आदिवासियों ने अब सशस्त्र संघर्ष की राह पकड़ ली है । वे आत्म निर्णय का अधिकार चाहते है । सेना ने इस पहाड़ी अंचल में इन्हें उजाड़ कर जिस तरह मुसलमानों को बसाने का षडयन्त्र रचा है । वे अब अस्तित्व का संकट अनुभव कर रहे हैं । उत्तरपूर्वी क्षेत्र के जुम्मा आदिवासियों ने प्रधानमंत्री राजीवगांधी से अपील की है कि बांगलादेश में जातीय समस्या के स्थायी समाधान के लिये भारत के प्रभाव का उपयोग करें । चकमाओं ने अपने अस्तित्व का संघर्ष जारी रखने के लिये शांतिवाहिनी और जन समिति का गठन किया । अब वे "एमनेस्टी इंटरनेशनल " जैसे विश्वसंगठनों के दरवाजे खटाखटा रहे हैं । वे चकमा आदिवासियों के मानवाधिकारों के हनन के प्रति विश्व जनमत जागृत करना चाहते हैं ।

भारत के त्रिपुरा राज्य में चकमा शरणार्थी अब तक बहुत बड़ी संख्या में प्रवेश कर चुके हैं । इनका आगमन जून 1981 में आरम्भ हुआ था किन्तु भारत सरकार के वरिष्ठ अधिकारी श्री भट्टाचार्य के अनुसार अगस्त, 87 तक त्रिपुरा के

---

1- दैनिक जागरण कानपुर 8 जून 1987

शिखरों में 47,000 चकमा शरणार्थी रह रहे हैं ।[1] नवीनीतम सूचनाओं के अनुसार इनकी संख्या 70,000 तक पहुच रही है ।

यद्यपि भारतीय सीमा सुरक्षा बल ने बांगला देश से आने वाले इन चकमा आदिवासियों को रोकने का पूराप्रयास किया किन्तु निकटतम प्रदेश घने जंगलों और अंधेरे का लाभ उठाकर प्रवेश पाने में सफल हो जाते हैं ।

त्रिपुरा सरकार की मुसीबत : त्रिपुरा सरकार के मुख्य मन्त्री नृपेन चक्रवर्ती जो त्रिपुरा में चकमा आदिवासियों के सैलाब को रोकने के लिये केन्द्र सरकार को आगाह करते आये हैं । शरणार्थियों की हर रोज हो रही वृद्धि से त्रिपुरा सरकार के लिये कई तरह की नई मुश्किलें पैदा हो गयी है । साधनों की कमी के बावजूद पिछले नौ महीनों में चकमा शरणार्थियों पर सरकार करोड़ों रूपये खर्च कर चुकी है । पर समस्या केवल धन की नहीं है । मुख्य चिन्ता तो इस बात को लेकर है कि सैकड़ों की तादाद में चकमा लोग शरणार्थी शिविरों से निकलकर गांवों में चले गये है और स्थायी रूप से वही बस जाना चाहते हैं, खुफिया सूत्रों को संदेह है कि त्रिपुरा नेशनल वालिंटियर्स के उग्रवादी बांगलादेशी शरणार्थियों के वेश में बंगलादेश से भारत में घुस सकते हैं ।[2]

श्री चक्रवर्ती का आग्रह था कि भारत को चकमा आदिवासियों की समस्या के राजनैतिक हल के लिये बांगलादेश सरकार से गम्भीरतापूर्वक बातचीत करनी चाहिये, जिससे 70,000 चकमा अपने घरों को लौट सकें ।[3]

चकमा शरणार्थियों द्वारा वापस जाने से इंकार --

लगभग 70,000 चकमा शरणार्थियों ने चटगांव पहाड़ी क्षेत्र में लौटने से इंकार कर दिया है । जब तक कि बांगलादेश एक त्रिपक्षीय समझौते के लिये तैयार

---

1- दटाइम्स आफ इंडिया 11 अगस्त, 1987

2- इंडिया टुडे 15 मार्च, 87 पृष्ठ 50

3- नवभारत टाइम्स 28 जुलाई, 87

नहीं हो जाता है । उनकी मांग है कि समझौता भारत, बांगलादेश और बौद्ध चकमाओं के बीच होना चाहिये । भारत से उनके प्रतिनिधियों के साथ एक अध्ययन दल चटगांव पहाड़ी क्षेत्र में स्थिति का अध्ययन करने के लिये जाना चाहिये ।

किन्तु चटगांव पहाड़ी क्षेत्र के जिलाधिकारी ने एक अपील में कहा है कि शरणार्थियों को अपने घरों को वापस आ जाना चाहिये और उनकी सुरक्षा का भी आश्वासन जिलाधिकारी ने शरणार्थियों को उनकी भूमि एवं अन्य सम्पत्ति भी वापस करने का विश्वास दिलाया । लेकिन शरणार्थियों ने जिलाधिकारी की मौखिक अपील और आश्वासन को ठुकरा दिया है और उन्होंने त्रिपक्षीय लिखित समझौते की मांग को दोहराया ।[1]

बांगलादेश सरकार का भारत पर आरोप -

बांगलादेश सरकार ने भारत पर यह खुला आरोप लगाया है कि चकमा शरणार्थी बांगलादेश आने के इच्छुक हैं लेकिन भारतीय अधिकारी जानबूझकर उनकी वापसी पर व्यवधान उत्पन्न कर रहे हैं । इसके साथ ही चकमा नौजवानों को सीमा सुरक्षा बल के अधिकारी सैनिक प्रशिक्षण दे रहे हैं ।[2]

किन्तु सीमा सुरक्षा बल के अधिकारियों ने बांगलादेश सरकार के इन आरोपों का खंडन करते हुये कहा कि ये आरोप पूर्णतः विद्वेषपूर्ण एवं आधारहीन हैं । भारतीय उच्चायोग के प्रवक्ता ने कहा कि चकमा शरणार्थियों के कारण त्रिपुरा राज्य पर बहुत बड़ाप्रशासनिक एवं आर्थिक बोझ पड़ रहा है, तो फिर भारत व्यर्थ में ही क्यों इन शरणार्थियों की वापसी पर व्यवधान पैदा करेगा । सरकारी प्रवक्ता ने आगे कहा कि मानवीय आधार पर भारत सरकार यह नहीं चाहती कि जबरन इनको वापसभेजा जाय । एक तीन सदस्यीय अन्तर्राष्ट्रीय एमनेस्टी दल ने जिसका नेतृत्व मि0 आयन मार्टिन कर रहे थे । इस दल ने चकमा शरणार्थियों के दुखों की जानकारी के लिये मौके पर जाकर वास्तविक स्थिति का जायजा लिया । एमनेस्टी इण्टरनेशनल ने अपनी रिपोर्ट में स्वीकार किया है कि बांगलादेश में इन पहाड़ी जातियों के मानवीय अधिकारों का हनन हुआ है ।[3]

---

1- दि टाइम्स आफ इंडिया- सित. 2, 1987

2- वही, 11 अगस्त 1987

3-दि टाइम्स आफ इंडिया, नई दिल्ली 2 फरवरी 1987

भारत - बांगलादेश सरकारों द्वारा समस्या के समाधान के प्रयास

भारत और बांगलादेश की सरकारों द्वारा चकमा शरणार्थियों की समस्याओं के समाधान के लिये प्रयास किये जा रहे हैं । बांगलादेश सरकार ने त्रिपुरा के शिविरों में रह रहे चटगांव पहाड़ी क्षेत्र के शरणार्थियों को स्वदेश वापस आने के लिये चकमा जाति के नेताओं का एक प्रतिनिधि मण्डल भेजने का प्रस्ताव रखा है । उसी समय बांगलादेश के उच्चायोग को भी निर्देश दिया गया है कि वे शरणार्थियों के शिविरों में जाकर शरणार्थियों के वापस आने के सम्बंध में जानकारी प्राप्त करें । पहाड़ी क्षेत्र के नेता इस बात पर सहमत हो गये हैंकि उनको स्वदेश लौटने पर पहाड़ी क्षेत्र में उनकी सुरक्षा और आर्थिक प्रगति के लिये अनुकूल परिस्थितियां उत्पन्न की जांय ।

लेकिन शरणार्थियों की संख्या के बारे में दोनों देशों के आंकड़ों में काफी अन्तर है । बांगलादेश के आंकड़ों के अनुसार इन शरणार्थियों की संख्या 30,000 है जबकि त्रिपुरा सरकार के अनुसार इन शरणार्थियों की अब संख्या 70,000 के लगभग है । किन्तु बांगलादेश के विदेश सचिव नजरूल इस्लाम ने कहा है कि हम इन अपने नागरिकों को वापस लेने को तैयार हैं ।[1]

नरसिम्हाराव की ढाका यात्रा

प्रधानमंत्री राजीव गांधी के विशेष दूत के रूप में मि० पी०वी० नरसिम्हा राव ढाका पहुंचे । वहां पर उन्होंने ले० जनरल इरशाद से चकमा शरणार्थियों के वापस जाने के सम्बंध में कुछ निश्चित परिस्थितियों के विषय में बातचीत की है । मि० नरसिम्हाराव और जनरल इरशाद ने इस समस्या की गम्भीरता को स्वीकार करते हुये यह आश्वासन दिया है कि ढाका सरकार इस समस्या के समाधान के लिये शीघ्र प्रयास करेगी ।[2]

---

1- इन्डियन एक्सप्रेस - 14 अप्रैल 1988

2- दि टाइम्स आफ इंडिया - 25 अगस्त 87

किन्तु इन सब प्रयासों के बावजूद भी चकमा शरणार्थियों के स्वदेश जाने की योजना अभी कार्यरूप में परिवर्तित नहीं हो सकी है और इसके विपरीत त्रिपुरा राज्य में इनके आने का सिलसिला जारी है । बांगलादेश सरकार को इस समस्या की गम्भीरता को स्वीकार करते हुये चकमा जाति के लोगों को स्वदेश वापस जाने के लिये अनुकूल परिस्थितियां पैदा करने का यथाशीघ्र प्रयास करना चाहिये जिससे चकमा जाति के लोगों में अपनी जान-माल की सुरक्षा, आर्थिक प्रगति एवं सांस्कृतिक अस्तित्व की रक्षा के लिये विश्वास पैदा हो सके । जैसा कि अभी हाल में कलकत्ता की एक गोष्ठी में चकमा नेता उपेन्द्र चकमा ने कहा है कि वे तब तक वापस नहीं जायेंगे जब तक उन्हें मूलभूत अधिकारों की सुरक्षा का आश्वासन नहीं मिल जाता ।[1] चकमा समस्या इस समय भारत-बांगलादेश सम्बंधों में तनाव पैदा करने वाला नया प्रकरण बन गया है । अत: दोनों देशों के लिये इस समस्या के तत्काल समाधान के लिये सकारात्मक एवं सद्भावनापूर्ण प्रयासों की यथाशीघ्र आवश्यकता है ।

---

1- अमृत बाजार पत्रिका- कलकत्ता, 16 सितम्बर 1989

# सप्तम परिच्छेद

## भारत-बांगलादेश विवादों से परे अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग

## विश्व शान्ति एवं सुरक्षा में विश्वास

भारत का अतीत बड़ा ही समृद्धिशाली एवं गौरवपूर्ण रहा है । जब वह अपने आध्यात्मिक ज्ञान और भौतिक विज्ञान की पराकाष्ठा पर था, तब तो वह एक शक्ति सम्पन्न राष्ट्र के रूप में अपनी सीमाओं का विस्तार करके एक वृहत्तर भारत का निर्माण कर सकता था, हाँ यह अवश्य है कि उसने दक्षिण एशिया एवं मध्यपूर्व एशिया के देशों में अपनी आध्यात्मिक शक्ति के माध्यम से शान्ति सह अस्तित्व एवं बन्धुत्व का सन्देश देकर सांस्कृतिक सम्बन्धों को चरमोत्कर्ष पर पहुंचा दिया था, किन्तु भारत ने एक हिंसक आक्रान्ता के रूप में अपने छोटे-छोटे पड़ोसी देशों अथवा विश्व के किसी भी देश पर अपना वर्चस्व स्थापित करने का कभी भी प्रयास नहीं किया क्योंकि प्राचीन काल से लेकर आज तक उसकी सांस्कृतिक विरासत का मूलमंत्र विश्वशान्ति सह-अस्तित्व और आपसी सद्भाव रहा है ।

मध्यकाल से लेकर बीसवीं शताब्दी के 15 अगस्त, 1947 तक भारत पर विदेशियों का शासन रहा है । लेकिन विदेशनीति के मूलभूत तत्वों का निर्धारण स्वतन्त्रता आन्दोलन के समय से ही होने लगा था । 1930 में कांग्रेस ने विदेश नीति का एक पृथक विभाग ही बना लिया था, जिसके संचालक जवाहर लाल नेहरू थे । कांग्रेस ने अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं पर अपनी प्रतिक्रियायें व्यक्त करना प्रारम्भ कर दिया । 1931 में जब जापान ने चीन पर आक्रमण किया तो उसने जापान की निन्दा की । 1930 से ही युद्ध विरोधी प्रस्ताव पारित किये जाने लगे थे । 1935 में कांग्रेस ने फासीवाद एवं नाजीवाद के प्रति विरोध प्रकट किया । 1935 में इटली द्वारा अबीसीनिया पर आक्रमण के विरोध में कांग्रेस के 1936 के लखनऊ अधिवेशन में एक प्रस्ताव पारित करके अबीसीनिया के प्रति सहानुभूति प्रकट की गयी जब हिटलर ने 1938 में चेकोस्लावाकिया पर आक्रमण किया तो कांग्रेस ने आक्रमण की निन्दा करते हुये म्यूनिख समझौते की आलोचना की ।

इसलिय पामर और और परकिन्स लिखते हैं कि 1947 ई० के बहुत पहले से ही भारतीय राष्ट्रीय स्वाधीनता आन्दोलन के प्रवक्ता विदेशनीति के मामलों में सक्रिय सहयोग लेने लगे थे। भारत लीग आफ नेशन्स का एक सदस्य था और इस समय के विख्यात भारतीयों ने बहुत से अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों और राष्ट्र मण्डल के सम्मेलनों में भाग लिया था। भारतीय विदेश नीति को शाश्वता प्रदान करने में प्रमुख कारक जवाहर लाल नेहरू थे। विश्व के किसी भी राजनेता की अपेक्षा एक दीर्घकाल तक वह भारतीय विदेश नीति के प्रमुख प्रवक्ता रहे।[1]

वास्तविकता यही है, कि श्री जवाहर लाल नेहरू भारतीय विदेश नीति के मुख्य शिल्पकार थे। 2 सितम्बर, 1946 को उन्होंने अपने एक भाषण में कहा था, "हम संसार के अन्य राष्ट्रों से निकट एवं प्रत्यक्ष सम्बन्ध स्थापित करने तथा अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग एवं शान्ति कायम करने के लिये बड़े उत्सुक से हैं। यथासम्भव हम शक्ति पर आधारित एक दूसरे के विरोध में खड़ी की गई गुटबन्दी की राजनीति से अपने आपको अलग रखना चाहते हैं क्योंकि गुटबन्दी की इसी राजनीति ने मानव को युद्ध की विभीषका में धकेला है और भविष्य में इससे भी भयंकर दुष्परिणाम निकल सकते हैं। हमारा यह विश्वास है कि शान्ति और स्वतन्त्रता अविभाज्य है तथा संसार के किसी एक कोने को स्वतन्त्रता के अधिकार से वंचित करने के अभिप्राय अन्य जगह स्वतन्त्रता को खतरा पहुंचा है, जिसका परिणाम होगा युद्ध और संघर्ष को बढ़ावा देना। हमारी विशेष दिलचस्पी उपनिवेशवाद एवं परतन्त्र राष्ट्रों तथा वहां की जनता को स्वतन्त्रता प्राप्त कराने में है। हम हर कौम के लोगों के विकास के लिये समान अवसर के सिद्धान्त का सैद्धान्तिक और व्यावहारिक तौर पर समर्थन करते हैं।" हम नाजियों की रंगभेद नीति से कतई असहमत है, चाहे वह कहीं भी किसी भी रूप में विद्यमान हो....... हम न तो किसी अन्य राष्ट्र या जमीन पर हावी होना चाहते हैं और न ही हम दूसरे लोगों की तुलना में अपने लिये किसी विशेष स्थान अथवा

---

1- पामर एण्ड परकिन्स- इन्टरनेशनल रिलेशन्स साइन्टिफिक बुक एजेन्सी, 22, राजा उडमट स्ट्रीट कलकत्ता। पेज 762.

सुविधा की मांग करते हैं । किन्तु निश्चय ही हम हमारे राष्ट्र के लोगों के लिये चाहे वे कहीं भी रहते हो सम्मानजनक और समानता के व्यवहार की अपेक्षा करते हैं । हम उनके साथ किसी भी प्रकार के असम्मानपूर्ण और असमानता के व्यवहार को पसन्द नहीं करेंगें ।[1]

जवाहर लाल नेहरू ने कहा " विश्व, राष्ट्रों की आपसी प्रतिस्पर्धा, घृणा और आन्तरिक संघर्षों में फँसा हुआ है, लेकिन फिर भी उसे परस्पर सहयोग और राष्ट्रों के विश्व समुदाय बनने की दशा में अनिवार्य रूप से अग्रसर होना है । अतीत के आपसी संघर्षों के बावजूद हमें आशा है कि स्वतन्त्र भारत इंग्लैण्ड और स्वतन्त्र भारत के लोगों के साथ मैत्री और सहयोगपूर्ण सम्बन्ध रखेगा " ।[2]

नेहरू ने जोरदार शब्दों में घोषणा की कि, " हम प्रत्येक देश के साथ मित्रता चाहते हैं जिससे हमारी मित्रता का क्षेत्र बढ़कर व्यापक बन सके और विश्व के राष्ट्रों में आपसी सहयोग और शान्ति में वृद्धि हो सके वह कैसी मित्रता होगी जो आमने-सामने की शत्रुता को समाप्त कर सके । हमें सभी का मित्र होना चाहिये, और सभी के लिये मैत्री का हाथ फैलाना चाहिये, इसी उद्देश्य से सोवियत यूनियन जैसी बड़े देश के नजदीक आना विशेषरूप से महत्त्वपूर्ण है, इसका अभिप्राय यह नहीं है कि हम किसी भी अन्य देश से दूर हट रहे हैं । यह न आज की स्थिति है और न भविष्य में ही रहेगी । हम हमेशा ही विश्व के देशों के बीच सहयोग बढ़ाना चाहते हैं और विश्व शान्ति को और भी अधिक मजबूत करना चाहते हैं । विश्व शान्ति को बनाये रखना ही भारत की विदेश नीति का मुख्य उद्देश्य है । इसी नीति को सुरक्षित रखने के लिये हमने गुट-निरपेक्षता के रास्ते को चुना है । इसका मतलब यह नहीं है कि हम किसी बुराई के प्रति भी तटस्थ रहेगें । जो समस्यायें हमारे सामने आयेगी उनके लिये सकारात्मक एवं गत्यात्मक

---

1- जवाहर लाल नेहरू स्पीकिंग

2- चन्द्रन, प्रकाश एण्ड प्रेम अरोरा, " इन्टरनेशनल रिलेशन्स बुक हीव रोड, नरयना, न्यू दिल्ली, पेज 600.

प्रयास किया जायेगा । हमारा विश्वास है कि प्रत्येक देश को केवल स्वतन्त्र रहने का अधिकार ही नहीं होना चाहिये वरन् उन्हें अपने जीवन पथ एवं उसकी नीति निर्धारित करने का भी अधिकार होना चाहिये । इसीलिये हमारा विश्वास है कि किसी भी देश को अन्य देशों के प्रति आक्रामक और उनके आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिये, उनके बीच सहनशीलता और शान्तिपूर्व सह अस्तित्व की भावना में वृद्धि होनी चाहिये "।[1]

नेहरु के व्याख्यान भारतीय विदेशनीति के मूलभूत सिद्धान्त के निर्धारण में विशिष्ट स्थान रखते हैं । अतीत एवं वर्तमान में अभी तक उनकी सार्थकता पर किसी भी प्रकार से सन्देह करने का साहस नहीं किया जा सका है । आशा है कि भविष्य में भी बदले हुये अन्तर्राष्ट्रीय परिवेश में भी श्री नेहरू की विदेश नीति के औचित्य को स्वीकार करना पड़ेगा ।

प्रकाशचन्द्र और प्रेम अरोड़ा का मत है [2] कि भारतीय विदेश नीति के सम्बन्ध में यह ध्यान रखने की बात है कि वह स्थिर एवं गतिहीन नहीं है । यह संकट के समय, देश की आन्तरिक आवश्यकताओं और अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति की बदलती हुयी परिस्थितियों के अनुरूप परिवर्तित होने के लिये भी सामर्थ्यशील है ।

सत्यता तो इस बात में है कि किसी भी देश की विदेश नीति हो, या गृह नीति लक्ष्य हीन नहीं होती । भारतीय विदेश नीति के भी अपने लक्ष्य रहे है । श्री नेहरू ने इस सम्बन्ध में संसद में एक बहस का उत्तर देते हुये कहा था, "हमारे अनेक मित्र है तथा हम उनके साथ सहयोग करते हैं । किन्तु हम अपने या अपने देश के निर्णय को किसी देश के या देशों के गुट के सामने समर्पित करने हेतु तैयार नहीं ।

---

1- जवाहर लाल नेहरू स्पीकिंग

2- चन्द्रन प्रकाश एण्डप्रेम अरोड़ा, "इन्टरनेशनल रिलेशन्स बुक हीव रोड, नरयना, न्यू दिल्ली पेज 600

भारत के साथ सहयोग तथा मित्रता का आधार समानता, स्वतन्त्रता और अहस्तक्षेप की नीति हो सकती है और कुछ नहीं ।"[1]

पामर एवं परकिन्स ने भी भारत की विदेश नीति के मुख्य लक्ष्य इस प्रकार बताये हैं ।[2]

1- जातीय भेदभाव और साम्राज्यवाद का प्रबल विरोध

2- साम्यवाद अथवा शक्ति राजनीति की अपेक्षा राष्ट्रों के आधारभूत आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक विकास पर बल ।

3- स्वतन्त्रता अथवा असंग्लनता की नीति पर बल संयुक्त राष्ट्र संघ तथा अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग के प्रयास में विश्वास ।

4- शीतयुद्ध एवं क्षेत्रीय सुरक्षा संगठनों से बचना

5- अन्तर्राष्ट्रीय तनावों को कम करने वाले और शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व को बढ़ाने वाले प्रयत्नों में आस्था

इस प्रकार सार तत्व रूप में भारत की विदेश नीति ने जिन लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहा वे तीन थे ।

1- विश्व शान्ति और सुरक्षा की स्थापना ।

2- सभी राष्ट्रों के साथ सहयोग

3- विश्व एकता

भारत की विदेश नीति के इन सिद्धान्तों का उल्लेख हमारे संविधान की धारा 51 में स्पष्टतः इस प्रकार किया गया है ।[3]

---

1- पार्लियामेन्ट्री डिबेट ( 6, दिसम्बर, 1950) वाल0 7, 1950 आन्सर बाइ नेहरू ।

2- पामर एण्ड परकिन्स- इन्टरनेशनल रिलेशन्स- सेंगी बुक एजेन्सी, 22 राजा उडमार्ट स्ट्रीट, कलकत्ता 1- पेज-762

3- इंडियन कांस्टीट्यूशन आर्टिकल, 51.

1- अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा के लिये हर सम्भव प्रयत्न करना ।

2- अन्तर्राष्ट्रीय विवादों की मध्यस्थता द्वारा निपटाये जाने की नीति को हर प्रकार से शान्तिपूर्ण ढंग से निपटाने का प्रयत्न करना ।

3- सभी राज्यों और राष्ट्रों में परस्पर सम्मानपूर्ण सम्बन्ध बनाये रखना

4- विभिन्न राष्ट्रों के पारस्परिक सम्बन्धों में सन्धियों के पालन तथा अन्तर्राष्ट्रीय कानूनों के प्रति आस्था बनाये रखना ।

" हम शान्ति की इच्छा रखते हैं " नेहरू का यह कथन उनकी मात्र आदर्श सदिच्छा नहीं है । यह भारतीय जनता की सर्वोपरि इच्छा है, यह भारतीय संस्कृति की आत्मा का उपदेश है, जो भारत राष्ट्र के जीवन का लक्ष्य बन गया है ।

भारतीय जनता के राष्ट्रीय जीवन की विश्वशान्ति की अभिलाषा एक शाश्वत आवश्यकता भी है । क्योंकि आज भारत ही नहीं वरन् एशिया के अधिकांश विकासशील देश भुखमरी, गरीबी, अशिक्षा और रोगों से पीड़ित है । जैसा कि पामर और परकिन्स लिखते हैं " एशिया की जनता अपने अस्तित्व की रक्षा के लिये संघर्षरत है " आज विश्व एशिया के देशों की तेजी से बढ़ती हुयी जनसंख्या वर्तमान समय में विश्व की मानव जाति के सामने सबसे बड़ी चुनौती है ।[1]

अतः भारत और उसका निकटतम पड़ोसी मित्र बंगलादेश भी उपरोक्त सभी समस्याओं का शिकार है । इसलिये बांगलादेश ने भी भारत की तरह अपनी आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक समस्याओं के समाधान के लिये संयुक्त राष्ट्र संघ, विश्व शान्ति सुरक्षा में अपने स्वाधीनता आन्दोलन के समय अटूट विश्वास व्यक्त किया था ।

---

1- पामर एण्ड परकिन्स, " द शिफ्टिंग सीन इन एशिया - इन्टरनेशनल रिलेशन्स, पेज 475.

बांगलादेश स्वाधीनता आन्दोलन के नायक श्री शेखमुजीबुर रहमान ने अवामी लीग के घोषणापत्र में अपनी विदेश नीति के मौलिक सिद्धान्तों का जिक्र करते हुये ही स्पष्ट शब्दों में कहा था कि हमारी विदेश नीति राष्ट्रीय स्वतन्त्रता एवं प्रभुसत्ता को सुरक्षा एवं अक्षुण्णता के स्थायी सिद्धान्तों पर आधारित रहेगी । यह केवल हमारी सीमाओं की सुरक्षा कायम रखने में ही सफल नहीं रहेगी वरन् यह बाहय शक्तियों द्वारा आन्तरिक हस्तक्षेप को रोकने में भी सक्षम होगी ।

हमारी विदेश नीति का मुख्य ध्येय- विश्व के सभी देशों के प्रति मित्रता रखना है, किसी भी देश से ईर्ष्या - विद्रोह का भाव नहीं रखेंगें । हम अपने पड़ोसी देशों सहित सभी देशों के साथ शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व की भावना के साथ रहना चाहेगें । हम विश्व के सभी देशों के साथ शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व की भावना के साथ रहना चाहेगें । विश्व के सभी देशों को सुरक्षा का न्याय और परस्पर सम्मान के सिद्धान्त के आधार पर व्यवहार करेगें । स्थायी रूप से इन्ही सिद्धान्तों का अनुसरण करके हम विश्व की राजनीतिक प्रतिस्पर्धा की राजनीति से विलग रहेगें, जिससे कारण आज विश्व राजनीति महाशक्तियों के भीषण उत्पाद में फँसी हुयी है ।[1]

शान्तिपर्णू सह अस्तित्व में आशा रखने के कारण हम आपसी विवादों को शान्तिपूर्ण ढंग से निपटाने का प्रयास करेगें । हमारा यह विश्वास है कि सीटों ( ) और सैटो ( ) और अन्य सैनिक संगठनों की सदस्यता से अपने को दूर बनाये रखना हमारे राष्ट्रीय हित में होगा ।[2]

विश्व शान्ति और सुरक्षा की प्राप्त करने के उद्देश्य से हम संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्यों एवं सिद्धान्तों में विश्वास रखते हैं । इसीलिये हम संयुक्त

---

1- बंगलादेश डाकुमेन्टर , मिनिस्ट्री आफ इक्स्टर्नल अफेयर्स, न्यू दिल्ली पेज 80-81

2- वही.

राष्ट्र संघ के सभी क्रिया कलापों में का समर्थन करेंगे । इसके साथ ही हमारा देश आर्थिक विकास और मानव कल्याण के लिये अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग और शान्ति में वृद्धि करने के उद्देश्य से हमारा देश अन्य अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों को भी सहयोग देगा । हम साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद एवं अन्य किसी भी प्रकार के शोषण से पीड़ित जनता के संघर्ष में सदैव सहयोग देते रहेंगे ।[1]

26 मार्च, को बांगलादेश की स्वाधीनता की वर्षगांठ पर मि० मुजीब ने कहा कि छोटे राष्ट्रों को स्वयं आत्म निर्भर होना ही उनकी समस्याओं का समाधान है, उन्होने धनी देशों द्वारा विश्व में अस्त्र-शस्त्रों की प्रतिद्वन्दिता पैदा करने की आलोचना की इसी प्रतिस्पर्धा के बाद विश्व शान्ति खतरे में पड़ गयी है । राष्ट्रों में सुरक्षा सम्बन्धी उपायों पर खर्च होने वाली धनराशि जन कल्याणकारी कार्यों पर खर्च होनी चाहिये ।

बांगलादेश की जब से एक स्वतन्त्र राष्ट्र के रूप में उत्पत्ति हुयी है । बांगलादेश ने सभी देशों के साथ मित्रता की नीति का अनुसरण किया है, उसने ईर्ष्या और विद्वेष का व्यवहार किसी भी राष्ट्र से नहीं किया है, उसने विश्व संगठन एवं उसके उद्देश्यों के प्रति अपनी वचनबद्धता प्रकट की है । एक प्रकार से उसने भक्ति भावना प्रदर्शित की है । इसके पीछे उसका सबसे बड़ा उद्देश्य अपनी गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी, और अशिक्षा जैसी समस्याओं से छुटकारा पाने के लिये सहयोग प्राप्त करना है । यह सत्य है कि यह समस्यायें किसी भी देश की आन्तरिक एवं बाहय राजनीति पर दूरगामी प्रभाव डालती है । किसी भी देश के विकास के लिये कुछ पूर्व शर्तों का होना आवश्यक है । बांगलादेश के विदेशमन्त्री जस्टिस अबू शयद चौधरी देश की आन्तरिक एवं बाहय संसाधनों के सही ढंग से सदुपयोग के लिये विश्व शान्ति को पहली शर्त मानते हैं, उनका विश्वास है कि

---

1- इन मेनिफेस्टो आफ अवामी लीग, मई 26 अप्रैल । - 1975- वाल020 । नं0 2

तभी देश की निर्धन जनता के जीवन स्तर को ऊँचा करने उसे जीने लायक परिस्थितियाँ उपलब्ध करायी जा सकती हैं । बांगलादेश जैसे देशों के लिये विकसित और अर्द्धविकसित देशों द्वारा बहुत बड़ी मात्रा में पूंजी और तकनीकी हस्तानान्तरण की आवश्यकता है । ये तभी सम्भव है जब विश्व शान्ति और सार्वभौमिक मानवीय अधिकारों की व्यवस्था को स्वीकार कर लेगा । इसके लिये बांगलादेश कोअपनी स्वाधीनता के मधुर फल खाने तथा गरीबी और अज्ञानता की चुनौती से निपटने के लिये " शान्ति का पर्यावरण" चाहिये जिसके लिये संयुक्त राष्ट्र संघ की एक सतर्क सन्तरी के रूप में खड़ा है ।[1]

भारत और बांगलादेश के राष्ट्र प्रमुखों ने भी समय-समय पर संयुक्त रूप से विश्व शान्ति एवं सुरक्षा की नीतियों में विश्वास व्यक्त किया है । जैसा कि भारत और बांगलादेश के प्रधानमंत्रियों ने ढाका में 19 मार्च, 1972 की मित्रता, सहयोग और शान्ति के सन्धि पर हस्ताक्षर करते समय एक संयुक्त विज्ञाप्ति में घोषणा की कि शान्ति और सुरक्षा में वृद्धि तथा अन्तर्राष्ट्रीय तनाव को कम करने के लिये दोनों देशों सतत् प्रयत्नशील रहेगें ।

दोनों देशों के नेताओं ने स्वीकार किया वर्तमान समय में अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं को आपसी सहयोग के माध्यम से सुलझाया जा सकता है, किन्तु संघर्ष और युद्ध के द्वारा नहीं ।[2]

इसी प्रकार बांगला देश के राष्ट्रपति श्री जियाउर रहमान एवं भारत के प्रधान मन्त्री मोरार जी देसाई ने भी एक संयुक्त विज्ञप्ति में यह घोषणा की थी कि भारत और बांगलादेश की मैत्री क्षेत्रीय शान्ति में वृद्धि के साथ-साथ विश्व शान्ति एवं सुरक्षा के उपायों में भी सहयोगी रहेगी ।[3]

---

1- बंगलादेश आब्सर्वर- ढाका फार पीस एण्ड प्रोग्रेस, 5 अक्टूबर, 1975

2- गुप्ता, सुखराजन दास, मिगनाइट मासकरे इन ढाका अपेन्डिक्स, 4, पेज 128

3- वही, अपेन्डिक्स पेज 131

भारत और बांगलादेश के नेताओं ने विश्व के विभिन्न संगठनों के मंचों से एक स्वर में विश्व शान्ति, और सुरक्षा की वृद्धि के लिये सतत प्रयासों में पूर्ण आस्था व्यक्त की है । भारत और बांगलादेश के शीर्षस्थ नेताओं ने संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा, सुरक्षा परिषद, गुट निरपेक्ष आन्दोलन, दक्षेस आदि के मंचों से विश्व शान्ति और-सुरक्षा में अपनी अटूट आस्था व्यक्त करने के साथ-साथ विश्व के अन्य राष्ट्रों का भी आहवान किया है ।

भारत के प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी ने कहा है कि दिल्ली घोषणा-पत्र सिर्फ भारत एवं सोवियत संघ के नागरिकों को ही नहीं बल्कि उन अरबों लोगों को भरपूर जिन्दगी जीने की इच्छा को अभिव्यक्त करता है, जिन्हें इस बात का अहसास है कि विश्व शान्ति की स्थापना और युद्ध की स्थितियों को समाप्त करना वक्त की जरूरत है ।[1]

---

1- नवभारत टाइम्स, न्यू दिल्ली
30 नवम्बर, 1987.

भारत-बांगलादेश-संयुक्त-राष्ट्रसंघ में

संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत की पूर्ण आस्था और उसका सहयोग

द्वितीय विश्व युद्ध की विनाश लीला के बाद विश्व के दूरदर्शी राजनायिकों नें भावी मानव जाति को शान्ति, सुरक्षा और विकास के लिये संरक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से 24 अक्टूबर, 1945 में सुयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की । यद्यपि उस समय भारत ब्रिटेन का एक उपनिवेश था और उसका स्वाधीनता आन्दोलन अपने चरमोत्कर्ष पर था, किन्तु 26, जून, 1945 से ही भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा-पत्र में दृढ़ता के साथ अपनी आस्था प्रकट की थी ।

वस्तुतः संयुक्त राष्ट्रसंघ का घोषणा पत्र आज भी मानवता के लिये लंगर बना हुआ है[1] और जो विनाशकारी युद्धों से भय और शंका रहित विश्व के लिये संघर्षरत है । संयुक्त राष्ट्र संघ मे विश्व के अनेकों राष्ट्रों द्वारा औपनिवेशिक दासता से मुक्ति पाने के लिये किये गये राष्ट्रीय आन्दोलन में सहयोग किया, जिससे अनेकों सार्वभौमिक सत्ता सम्पन्न राष्ट्रों का उदभव हुआ, और विश्व का यह महान लोकतान्त्रिक देश भारत मानव मूल्यों की स्थापना के सहयोगियों की अग्रिम पंक्ति में बना रहा । आज संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य राष्ट्रों की संख्या 159 हो गयी है ।

संयुक्त राष्ट्र संघ मानव जाति का केवल राजनीतिक क्षेत्र में ही सहयोगी नहीं रहा है, वह तो अब विश्व के आर्थिक कल्याण और सार्वभौमिक विकास के लिये भी प्रयत्नशील है । भारत जो हमेशा से संयुक्त राष्ट्रसंघ के द्वारा राजनीतिक क्षेत्रों में उठाये गये कदमों की अगुआई करता रहा है और आज वह उसकी आर्थिक

---

1- पार्टनरशिप फार पीस एण्ड डेवलपमेन्ट-- द ट्रिब्यून, 24 अक्टूबर, 1975

एवं अन्य लोक कल्याणकारी योजनाओं को सफल बनाने में सहयोगी बना हुआ है ।[1] संयुक्त राष्ट्र में भारत की अभिरूचि के कारण ही उसके प्रारम्भिक दिनों में ही श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित को संयुक्त राष्ट्र संघ की साधारण सभा का अध्यक्ष बनने का सौभाग्य एवं सम्मान प्राप्त हो सका था ।

एक स्वतन्त्र राष्ट्र के रूप में भारतीय विदेशनीति के उद्देश्य हमारे देश के नेताओं ने संयुक्त राष्ट्र संघ के सिद्धान्तों एवं उद्देश्यों में विश्वास प्रकट करते हुये निर्धारित किये हैं । वस्तुत: संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में जिन आदर्शों को रखा गया है, उन्हीं के आधार पर भारतीय विदेश नीति के उद्देश्यों को निर्धारित किया गया है तथा उससे प्रेरणा भी ली गयी है-- विश्व शान्ति, स्वतन्त्रता और दबे तथा शोषित लोगों के मानव अधिकारों में वृद्धि करके भारत को अपना आर्थिक विकास करने के साथ साथ स्वाधीन राष्ट्रों का सहयोग करना है ।[2]

संयुक्त राष्ट्र संघ के कांगो और कोरिया में किये गये शान्ति प्रयासों में आर्थिक, असमानताओं की चुनौतियों, बढ़ती हुयी जनसंख्या और प्राकृतिक प्रकोपों के समय भारत ने सदैव जनधन से सहयोग किया है । संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव डा० कुर्ट वाल्डीम ने विश्व के विशिष्ट 42 सदस्यों का एक संगठन बनाया, जिसमें भारत का प्रतिनिधित्व था । इस दल का कार्य अर्थ व्यवस्था के प्रश्न पर व्यापक रूप से अध्ययन करना था । इस दल ने संयुक्त राष्ट्र संघ के केन्द्रीय ढांचे में महत्वपूर्ण सुधारों के लिये संस्तुतियां प्रेषित की, जिससे आर्थिक क्षेत्र में भी संयुक्त राष्ट्र संघ अपना महत्वपूर्ण सहयोग दे सके ।[3]

---

1- वही

2- द नान एलाइन एण्ड यूनाइटेड नेशन्स- एडिटेड बाइ एम०एस०राजन वर्सेस मानी सी एस आर मरटी साउथ ऐशियन पब्लिशर्स न्यू दिल्ली, द यूनाइटेड नेशन्स इन इंडिया"क फारेन पालिसी स्ट्रेटजी के पी सक्सेना-" पेजन 188

3- द ट्रिब्यून, 24 अक्टूबर, 1975.

फिर आज जब विश्व के करोड़ों लोगों को राजनीतिक स्वतन्त्रता प्राप्त हो गयी है, लेकिन अब संयुक्त राष्ट्रसंघ को उनको आर्थिक एवं सामाजिक स्वाधीनता के लिये प्रयास करना है । भारत उसके इस विश्व कल्याणकारी कार्यक्रम में आज सक्रिय भूमिका निभा रहा है ।[1]

भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा-पत्र के सिद्धान्तों के प्रति अपनी परम्परागत वचनबद्धता का निर्वाह करते हुये बांगलादेश की उत्पीड़ित जनता के लोकतान्त्रिक अधिकारों की रक्षा के लिये भरपूर सहयोग दिया था । जब बांगला देश का एक स्वतन्त्र राष्ट्र के रूप में प्रादुर्भाव हो गया, तो भारत ने बांगलादेश को संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता के लिये भी उसी प्रकार सहयोग किया जैसी कि उससे अपेक्षा थी ।

**बांगलादेश द्वारा संयुक्तराष्ट्र संघ की सदस्यता की अपील और उसमें पूर्ण निष्ठा की अभिव्यक्ति**

बांगलादेश ने अपने स्वाधीनता आन्दोलन के समय ही यू०एन०ओ० की सदस्यता की अपील करते हुये उसमें पूर्ण निष्ठा व्यक्त की थी।

बंगलादेश के प्रधानमंत्री ताजुद्दीन अहमद ने कहा कि बांगलादेश और जिसे भारत सरकार तथा भूटान द्वारा मान्यता दे दी गयी है, संयुक्त राष्ट्र संघ में एक सदस्य देश के रूप में स्थान प्राप्त करने के लिये प्रयास करेगा, जिससे वह उपमहाद्वीप के लिये होने वाले शान्ति प्रयासों में भागीदार बन सके ।[2]

बांगलादेश के नेताओं ने विश्व जनमत को यह विश्वास दिलाया कि यद्यपि अभी बांगलादेश संयुक्त राष्ट्रसंघ का वैधानिक सदस्य नहीं है, लेकिन उसने संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर एवं उसके सिद्धान्तों एवं परम्पराओं में पूर्ण आस्था व्यक्त करना है ।[3]

---

1- वही

2- नेशनल हेरल्ड दिल्ली-13 दिस० 1971

3- द टाइम्स आफ इंडिया, 14 दिसम्बर, 1971

विदेश मन्त्री डा० कमाल हुसैन ने समग्र रूप से मानव अधिकारों की घोषणा और उसके सम्मान में अपनी दृढ़ आस्था व्यक्त करते हुये, प्रगतिवादी शक्तियों के कार्यों में अपना सहयोग और समर्थन व्यक्त किया। उन्होने कहा कि विश्व के किसी भी क्षेत्र में जहां पर इन अधिकारों की रक्षा के लिये प्रयास होगें। बांगलादेश वहां पर उनका समर्थन करेगा।

बांगलादेश संयुक्त राष्ट्र संघ में अब अपना उचित स्थान चाहता है, वह अनेकों पर संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर एवंउसके उद्देश्यों में अपना विश्वास व्यक्त कर चुका है, इसके साथ ही विश्व शान्ति के लिये यू०एन० ओ० द्वारा द्वारा किये जा रहे प्रयासों में अपना पूरा सहयोग एवं विश्वास व्यक्त किया है। एक सरकारी प्रवक्ता ने कहा कि हजारो निरूपाय बांगलादेशी, पाकिस्तान में रह रहे हैं उनकी सुरक्षा संयुक्त राष्ट्र के द्वारा सम्भव है, जिससे वे अपने-अपने घरों को वापस लौट सके।[1]

बांगलादेश के प्रधानमन्त्री ताजुद्दीन अहमद ने संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता ग्रहण करने के लिये विश्व के सभी राष्ट्रों को पत्र लिखे क्योंकि, बांगलादेश विश्व स्वास्थ्य संगठन का सदस्य बन गया है, जिससे संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता की प्रक्रिया में आ गया है।[2]

**बांगलादेश की सदस्यता के लिये भारत द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ में खुली पहल :--**

विश्व के विभिन्न प्रभुता सम्पन्न राष्ट्रों द्वारा बांगलादेश को मान्यता देने के पश्चात भी उसे संयुक्त राष्ट्रसंघ की स्थापना के लिये काफी समय तक प्रतीक्षा करनी पड़ी। पाकिस्तान अब भी इस विश्व संगठन के तत्वावधान में अपने चीन

---

1- द टाइम्स आफ इंडिया 20 दिसम्बर, 1971

2- पेट्रियाट 22 मई, 1972

जैसे मित्रों को सहयोग लेकर बांगलादेश के वैधानिक अधिकारों को कुचलने का निरन्तर प्रयास करता रहा है किन्तु दूसरी ओर भारत ने अपने अन्तर्राष्ट्रीय जगत् के सहयोगी मित्र देशों के सहयोग को प्राप्त करके बांगलादेश की सदस्यता के लिये खुलकर पहल की ।

भारत और अन्य तीन देशों ने बांगलादेश को संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बनाने के लिये सुरक्षा परिषद के सामने विचार हेतु एकप्रस्ताव रखा। तीन अन्य सदस्य देश थे, सोवियत यूनियन, योगोस्लाविया एवं यूनाइटेड किंगडम । पाकिस्तान की सहायता कर चीन ने भी एक प्रस्ताव सदस्यता के मामले को टालने के लिये सुरक्षा परिषद की कार्यवाही को प्रतिपादित करने के उद्देश्य से रखा, बांगला देश को सदस्यता उस समय तक नहीं मिलनी चाहिये, जब तक बांगलादेश से सेनाओं की वापसी न हो जाय तथा युद्धबन्दियों को मुक्ति न मिल जाय ।[1]

चीन द्वारा वीटो का प्रयोग -- बांगलादेश को संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता से वंचित रखने के उद्देश्य से चीन ने विशेषाधिकार का प्रयोग किया । राष्ट्रपति भुट्टो ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुये कहा कि " चीन द्वारा बांगलादेश के प्रवेश पर सुरक्षा परिषद में जो वीटो का प्रयोग किया गया है, उसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। पहले जो सम्भावना की गयी थी, वह एक वास्तविकता के रूप में आ गया है ।[2]

लेकिन बांगलादेश के पक्ष में बहुमत से प्रभावित होकर सुरक्षा परिषद के सदस्यों पर काफी गहरा प्रभाव पड़ा । यह सम्भव नहीं था कि चीन पुनः अपने वीटो का प्रयोग कर देगा । पीकिंग-इस्लामाबाद धुरी बांगलादेश और भारत के लिये कठिनाइयां पैदा करना चाहती थी ।[3]

---

1- मदरलैंड, 24 अगस्त, 1973

2- बंगलादेश एण्ड यू0एन0ओ0, आसाम ट्रिब्यून 20 नवम्बर, 72

3- वही

भारत के स्थायी प्रतिनिधि श्री समर सेन ने सुरक्षा परिषद की बैठक में बांगलादेश की सदस्यता के लिये उसके वैधानिक अधिकार का मामला उठाया ।[1]

भारत के विदेशमंत्री श्री स्वर्ण सिंह[2] ने भी संयुक्त राष्ट्रसंघ की साधारण सभामेंबंगलादेश के लिये विश्व संगठन की सदस्यता का मामला उठाया । उन्होने कहा 7.5 करोड़ आबादी वाले उस देश को सदस्यता से वंचित करना न्याय संगत नहीं है, जिसे इस विश्व संगठन के 100 से अधिक देश मान्यता दे चुके हैं । संयुक्त राष्ट्रसंघ का एक बहुत बड़ा बहुमत बांगलादेश की सदस्यता के समर्थन में हैं । केवल एक देश के विशेषाधिकार का प्रयोग इतना अधिक प्रभावी रहा कि इसने बहुमत को भी ठुकरा दिया है । विडम्बना तो इस बात की है, कि वही देश संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता से 22 वर्षों तक वंचित रहा था और भारत भी उसकी सदस्यता के लिये समर्थन दे रहा था । चीन द्वारा वीटो ( ) का प्रयोग करना किसी बड़ी सिद्धान्तहीनता का परिचायक है, क्योंकि इससे इसके निजी स्वार्थों की भी पूर्ति नहीं होती है । वह तो केवल अवसरवादी तत्वों से प्रभावित हो रहा है । जैसे कि भारत के प्रति बैरभाव दिखाकर पाकिस्तान को प्रभावित करना चाहता है ।[3]

चीन ने जान बूझकर भारत द्वारा बंगलादेश को किये गये समर्थन के प्रति उत्तर में पीकिंग-इस्लामाबाद मित्रता को प्रदर्शित करना चाहता था । पीकिंग इस्लामाबाद गंठजोड़ का केवल एक अर्थ है, बांगलादेश को यू० एन० ओ० में तभी प्रवेश मिल पायेगा, जबकि पाकिस्तान उसे मान्यता दे दें ।[4]

---

1- पैट्रियाट 24 जून 1973

2- मदरलैंड 4-10-73

3- वही,

4- वही.

भारत और सोवियत संघ की संयुक्त घोषणा पर भारतीय प्रधानमन्त्री श्रीमती इन्दिरागांधी और सोवियत कम्यूनिस्ट पार्टी के प्रमुख लियोनिद ब्रेझनेव ने संयुक्त राष्ट्रसंघ में बंगलादेश की सदस्यता के लिये हस्ताक्षर किये ।[1] अब अधिक समय तक अन्तर्राष्ट्रीय संगठन की सदस्यता से बंचित रखने का कोई वैधानिक कारण नहीं है । संयुक्त राष्ट्रसंघ को भी उत्साहपूर्वक सम्मान सहित सदस्यता दे देनी चाहिये । संयुक्त घोषणा में कहा गया है कि " क्या किसी एक देश का विशेषाधिकार ही उसे सदस्यता से बंचित कर सकता है । जबकि बहुमत उसके पक्ष में हैं । इस प्रकार भारत और उसके मित्रराष्ट्र सोवियत संघ ने संयुक्त रूप से बांगलादेश के लिये संयुक्त राष्ट्रसंघ की सदस्यता के लिये बड़ी दृढ़ता के साथ समर्थन किया ।

भारत और उसके सहयोगी मित्र राष्ट्रों के सहयोग से बांगलादेश की सदस्यता के पक्ष में विश्व जनमत भी न्यायोचित अधिकारों के पक्ष में होने लगा । विश्व शान्ति परिषद ने बांगलादेश के लिये संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रवेश की तत्काल मांग की है, जिससे उपमहाद्वीप में शान्ति के लिये सामान्य स्थिति बन सके । इसी प्रकार का प्रस्ताव भारत की प्रधानमन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी और बांगलादेश के प्रधानमन्त्री बंग-बंधु की समिति मीटिंग के बाद एक संयुक्त घोषणा में हुयी ।[2]

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने आज 10 जून को सर्वसम्मति से साधारण सभा में बांगलादेश को विश्व संगठन का एक सदस्य बनने के लिये प्रस्ताप पास किया । भारत, भूटान और अल्जीरिया ने सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव का खुशी के साथ स्वागत किया । इस समय भारत के कार्यवाहक प्रतिनिधि मि० एन० पी० जैन थे ।[3]

---

1- बंगलादेश आब्जर्वस 3-12-73

2- बंगलादेश आब्जर्वस 6 जून, 1974

3- बंगलादेश आब्जर्वस 11 जून- ढाका 1974.

संयुक्त राष्ट्रसंघ की सभा का अधिवेशन आज प्रारम्भ हुआ । बंगलादेश इस विश्व संगठन का 136वाँ[1] देश होगा ।

बांगलादेश के विदेशमंत्री मि० कमाल हुसैन ने कहा, कि बांगलादेश संयुक्त राष्ट्रसंघ द्वारा किये जा रहे प्रयासों में " अपना पूरा सहयोग देने का वचन देता है [2]।

संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत और बांगलादेश में सहयोग

सुरक्षा परिषद की सदस्यता के लिये भारत का सहयोग -- कलकत्ता 16 अप्रैल, भारत सरकार के विदेशमंत्री श्री अटल बिहारी बाजपेयी ने ढाका में भारत-बांगलादेश समितिवार्ता के समय घोषणा की कि भारत सुरक्षा परिषद में बांगलादेश को एक प्रत्याशी के रूप में सीट दिलाने के लिये भरसक प्रयत्न करेगा ।[3] निर्वाचन के समय भारत ने अपने वचनों का पालन किया । उसने इस निर्वाचन में बांगलादेश का खुलकर साथ दिया । बांगलादेश संयुक्त राष्ट्रसंघ में सुरक्षा परिषद की सदस्यता के लिये 2 वर्षों के लिये अस्थायी रूप से निर्वाचित हो गया है । एशियायी देशों के संगठन के प्रतिनिधि के रूप में भारत के स्थान पर उसका चयन हुआ है । उसकी यह अवधि एक जून से प्रारम्भ होगी ।[4]

बांगलादेश का एफ० ए० ओ० में प्रवेश -- बांगलादेश को 13, नवम्बर, 1973 को संयुक्त राष्ट्रसंघ के साथ एवं कृषिसंगठन में प्रवेश मिल गया । यद्यपि पाकिस्तान ने इस मुद्दे पर आपत्ति उठाई थी। पाकिस्तान की इस आपत्ति उठाने के समर्थन

---

1- वही, 17 सितम्बर, 1974

2- वही, 19 सितम्बर, 1974

3- स्टेट्स मैन, 17 अप्रैल, 1979

4- एशियन रिकार्डर, दिसम्बर 10-16-1978-वाल025 नं0 50 पेज 14639

में चीन और लीबिया के प्रतिनिधि मण्डल थे । जबकि भारत और चेकोस्लोवाकिया के बांगलादेश की खाद्य एवं कृषि संगठन में सार्वभौमिक सदस्यता के लिये खुलकर पैरवी की ।[1]

बांगलादेश के प्रधानमंत्री मि० शेखमुजीबुर रहमान 12 मई को नई दिल्ली की राजकीय यात्रा पर पहुंचे । दोनों देशों के प्रधान मंत्रियों ने अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति पर विचार-विमर्श के बाद कहा कि संयुक्त राष्ट्र संघ की साधारण सभा के विशेष अधिवेशन में विकासशील देशों को सहायता के लिये तत्काल एवं दीर्घकालीन सहायता इन देशों के लिये काफी लाभकारी रहेगी । दोनों देशों के नेताओं ने आशा व्यक्त की कि इन योजनाओं को शीघ्र ही क्रियान्वित किया जायेगा ।[2]

संयुक्त राष्ट्र संघ की दो परियोजनाओं के द्वारा भारत और बांगलादेश को लाभ प्राप्त होगा । सामुद्रिक क्षेत्र में मछली विकास परियोजनाओं में संयुक्त राष्ट्रसंघ सहयोग करेगा । भारतीय मछली सर्वेक्षण और विकास कार्यक्रम संयुक्त राष्ट्रसंघ के खाद्य एवं कृषि संगठनों द्वारा संचालित होगें ।

संयुक्त राष्ट्र संघ की विकास योजना का मुख्य उद्देश्य है कि 1,000 मिलियन मानव जो हिन्द महासागर के परिक्षेत्र में आने वाले देशों में रहता है । ये सभी प्रोटीन की कमी के शिकार है मछली उत्पादन में वृद्धि करके इनके सन्तुलित आहार की भिन्नता एवं कमी को पूरा किया जा सकता है ।[3]

बांगलादेश के स्थायी प्रतिनिधि मि० एस० के० करीमनेसंयुक्त राष्ट्र संघ में होने वाली एशियन ग्रुप की बैठक का सभापतित्व किया ।[4]

बांगलादेश ने 23 अक्टूबर को दक्षिण अफ्रीका को संयुक्त राष्ट्रसंघ की सदस्यता से निष्कासित करने के लिये आवाज उठाई । मि० एस० के० करीम

---

1- एशियन रिकार्डर, जनवरी, 1-7, 1974

2- एशियन रिकार्डर जून 4-10-1974 पेज 120-137 काल0 2

3- पेट्रियाट न्यू दिल्ली-फरवरी, 1973

4- बांगलादेश आबसर्वज 15, अक्टूबर, 1974

बंगलादेश के स्थायी प्रतिनिधि हैं । अपनी सरकार के विचारों से अवगत कराते हुये कहा कि दक्षिण अफ्रीका की रंगभेद नीति को अपनाने वाली सरकार को इस विश्व संगठन का सदस्य रहने का कोई अधिकार नहीं हैं । वह इस महीने होने वाले एशियन ग्रुप के सभापति की हैसियत से बोल रहे थे ।[1]

बांगलादेश अन्तर्राष्ट्रीय हाइड्रोलोजिकल कार्यक्रम का अभी हाल में सदस्य निर्वाचित हुआ है । भारत और बांगलादेश ने मतदान में एक दूसरे का सहयोग किया । 94 सदस्यों ने वैधानिक रूप से मतदान में भाग लिया । बांगलादेश को 80 मत प्राप्त हुये । इजिप्ट को 91, स्वीडन को 84, यूगोस्लाविया को 82, यू0एस0एस0आर0 को 77, चीन को 74, भारत को 72 , पाकिस्तान को 71, यू0एस0ए0 को 71 मत प्राप्त हुये ।[2]

बांगलादेश 18 सितम्बर को संयुक्त राष्ट्रसंघ की साधारण सभा का उपाध्यक्ष चुना गया है । [3] बांगलादेश के प्रतिनिधि ने संयुक्त राष्ट्र संघ की साधारण सभा में जातिवाद, रंगभेद और उपनिवेशवाद की नीतियों का तीव्र विरोध किया ।[4] इसी प्रकार भारत भी संयुक्त राष्ट्र संघ के मंच से वह अन्तर्राष्ट्रीय जगत में आज भी व्याप्त इन बुराइयों को दूर करने के लिये प्रारम्भ से ही प्रयत्न शील रहा है, तथा वह समय-समय पर जातिवाद, रंगभेद और उपनिवेशवाद का कटु आलोचक भी रहा है । उदाहरण के लिये अभी हाल के दिनों में दक्षिण अफ्रीका सरकार द्वारा प्रयोग की जा रही जातिभेदी रंगभेदी नीति की संयुक्त राष्ट्रसंघ में कठोर शब्दों में निन्दा की है । और उसने औद्योगिक रूप से विकसित देशों द्वारा सैन्य सामग्री एवं आर्थिक सहयोग देने पर भी प्रतिबन्ध लगाये जाने की मांग की ।[5]

---

1- बंगलादेश आब्सर्वर, 24 अक्टूबर, 1974.
2- वही, 22 नवम्बर, 1974
3- टाइम्स आफ इंडिया- 19 सितम्बर, 1975
4- बंगलादेश आब्जर्वर- 18 , अक्टूबर, 1975
5- वही , 24 अक्टूबर, 1974.

भारत के प्रधानमन्त्री श्री राजीवगांधी ने संयुक्त राष्ट्र संघ की 40वीं वर्षगांठ पर विश्व की बढ़ती हुयी जनसंख्या को नियंत्रित एवं स्थिर करने के लिये संयुक्त राष्ट्रसंघ में अपना वक्तव्य जारी किया ।

लगभग 50 देशों के राष्ट्र प्रमुखों में जो विश्व की आधे से अधिक जनसंख्या का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, इनमें चाइना, भारत , बांगलादेश, नेपाल, जापान इजिप्ट, श्रीलंका, केनिया, नाईजीरिया औरजिम्बाबवे आदि देशों ने वक्तव्य पर हस्ताक्षर किये । इन सभी देशों के प्रमुखों ने स्वीकार किया कि जनसंख्या वृद्धि मानव विकास में सबसे बड़ी बाधा है ।[1]

भारत अपने पड़ोसियों की शक्ति सम्पन्न एवं आत्म निर्भर चाहता-- भारत के विदेशमन्त्री श्री पी0वी0 नरसिम्हाराव ने संयुक्त राष्ट्र संघ की साधारण सभा के सार्वजनिक चर्चा में भाग लेते हुये कहा कि भारत अपने पड़ोसियों की खुशहाल एवं आत्मनिर्भर चाहता है, क्योंकि यह स्वयं भारत के राष्ट्रीय हित में है, उन्होंने कहा कि उस क्षेत्र के सभी राष्ट्रों को समान आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, अतः इन सभी को अपने आर्थिक विकास में अपनी शक्ति प्रयोग करना चाहिये । श्री राव ने कहा कि बांगलादेश के राष्ट्रपति जियाउर रहमान के द्वारा क्षेत्रीय सहयोग के लिये उठाये जा रहे रचनात्मक कदम बड़े ही विचारणीय एवं प्रशंसकीय है, उन्होंने इस दिशा में बांगलादेश सरकार द्वारा किये जा रहे प्रयत्नों की प्रशंसा की ।[2]

भारत और हिन्द महासागर से लगे हुये राज्यों और पश्चिमी देशों के बीच संयुक्त राष्ट्रसंघ की साधारण सभा द्वारा हिन्द महासागर को शान्ति क्षेत्र घोषित करने के प्रस्ताव को क्रियान्वित करने के लिये भारत-बांगलादेश का सहयोग

---

1- स्टेट्समैन, दिल्ली 22 अक्टूबर, 1985

2- पेट्रियाट 29-9-81

महत्वपूर्ण रहा है ।[1]

संक्षेप में भारत और बांगलादेश ने संयुक्त राष्ट्रसंघ के चार्टर के प्रति अपनी पूर्ण आस्था और विश्वास के साथ अपने-अपने दायित्वों का निर्वाह करते हुये विश्वशान्ति और सुरक्षा के प्रति अपनी वचन बद्धता को पूरा कर रहा है । इस विश्व संगठन के विभिन्न मंचों पर दोनों देशोंने परस्पर सहयोग का अनूठा उदाहरण प्रस्तुत किया है ।

भारत और बांगलादेश ने संयुक्त राष्ट्र संघ के मंच पर विश्व की वर्तमान समस्याओं जातिभेद, रंगभेद, उपनिवेशवाद, विश्व में बढ़ रही आर्थिक विषमता, निःशस्त्रीकरण, हिन्दमहासागर को शान्तिक्षेत्र घोषित करने के साथ-साथ दक्षिण अफ्रीका, लैटिन अमरीकन देशों एवं एशियायी देशों की समस्याओं के समाधान के लिये समान दृष्टिकोण प्रस्तुत करके आपसी सहयोग का परिचय दिया है ।

---

1- इंडियन एक्सप्रेस 14, अप्रैल, 1988.

## भारत-बांगलादेश: गुट निरपेक्ष आन्दोलन में

### भारत गुट निरपेक्ष आन्दोलन का जनक

गुट निरपेक्ष आन्दोलन आज विश्व राजनीति में प्रभावोत्पादक विचार धारा का प्रतिनिधित्व करता है ।[1] जहाँ तक भारत का सम्बन्ध है, इसने स्वाधीनता प्राप्ति के समय से ही सोच-विचार के गुट निरपेक्षता की नीति को स्वीकार किया था । इस विचारधारा का जन्म भारत के स्वाधीनता आन्दोलन की पृष्ठभूमि से हुआ है । गांधी जी के राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में अहिंसा का प्रमुख स्थान था । पं० नेहरू ने अहिंसा की इसी विचारधारा को विश्व की महाशक्तियों की सैनिक प्रतिस्पर्धा से अलग रहकर शान्तिपूर्ण सह अस्तित्व की नीति के माध्यम से अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में इसे व्यापक स्वरूप प्रदान किया । जिस प्रकार अहिंसा, साहस और दृढ़ विश्वास के आधार पर शान्तिपूर्ण ढंग से स्वाधीनता प्राप्त करने का सबसे अधिक शान्तिपूर्ण रास्ता था । ठीक उसी तरह गुट निरपेक्ष आन्दोलन अन्तर्राष्ट्रीय जगत में नये स्वाधीन राष्ट्रों की आजादी और उनकी प्रगति को अक्षुण्ण बनाये रखने के लिये एक दृढ़ आधार बना हुआ है ।[1]

भारत के प्रधानमन्त्री जवाहर लाल नेहरू, मिश्र के राष्ट्रपति नासिर और योगोस्लाविया के मार्शल टीटो इस आन्दोलन के जन्मदाता थे, जिन्होने गुट निरपेक्ष आन्दोलन को जन्म देकर इसे विश्व राजनीति में एक तीसरी अवधारण के रूप में शक्ति प्रदान की । पं० जवाहर लाल नेहरू भारत की गुट निरपेक्ष नीति के शिल्पकार थे । उन्होने अपने जीवन के सायंकाल में कहा था, कि " सबसे महत्वपूर्ण मामला हमारे सामने राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में सामाजिक न्याय, आर्थिक समानता और सहयोग प्राप्त करना है । जैसा कि पं० जवाहर लाल नेहरू गुट निरपेक्ष आन्दोलन के एक संस्थापक सदस्य के रूप में थे । इसीलिये उन्होने विश्व के सभी संघर्षरत एवं नये स्वतन्त्र राष्ट्रों को इसमें सम्मिलित होने के लिये आमंत्रित किया । मुख्य रूप से इस आन्दोलन का उद्देश्य विश्व

---

1- खान, रशीदुद्दीन, पर्सपेक्टिव्स आन नान एलाइन ,एडिटेड बाइ कलमकर प्रकाशन(प्रा0) लिमिटेड, न्यू दिल्ली, पेज-19

2- वही पेज 64-65

की महाशक्तियों के शीतयुद्ध से दूर रहकर अन्तर्राष्ट्रीय तनाव शैथिल्य को उत्पन्न करके नये स्वाधीन एशियन, अफ्रीकन और लैटिन अमेरिकन देशों के स्वतन्त्र अस्तित्व को जीवनशक्ति प्रदान करना था ।

बांगलादेश की गुट निरपेक्षता में आस्था -- बंगलादेश ने अपने स्वाधीनता आन्दोलन के समय ही गुट निरपेक्षता नीति को अपनी विदेश नीति का मुख्य आधार घोषित किया था । जैसा कि शेख मुजीब ने[1] अपनी आवामी लीग पार्टी के घोषणा-पत्र को प्रकाशित करते समय कहा था, " अपनी महान जनता के आदर्शों और अपने राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा के लिये हमने स्वतन्त्र एवं गुट निरपेक्ष नीति का अनुसरण किया है । हमारा विश्वास है कि यदि हम विश्व की सैनिक गुट बन्दियों जैसे सीटो, सेन्टो में एक सदस्य के रूप में भाग लेते रहते हैं तो यह हमारे राष्ट्रीय हितों के विरूद्ध रहेगा, अतः हम विश्व की सैनिक गुटबन्दियों सेअपने को पृथक रखने का निर्णय लेते हैं । विदेश नीति के महत्त्वपूर्ण बिन्दुओं पर प्रकाश डालते हुये शेख मुजीबुर रहमान ने कहा कि यह मेरा विश्वास है कि शक्ति संघर्ष से दूर रहना ही हमारे हित में है । हम पाकिस्तान की तरह विदेशनीति को न अपनाकर सभी प्रकार की सैनिक गुट बन्दियों से तत्काल अपने को पृथक कर लेंगें और भविष्य में भी इस प्रकार के सैनिक समझौतों में नहीं फंसेगें ।

गुट निरपेक्ष आन्दोलन के सम्मेलन भारत और बांगलादेश का सहयोग

शिखर सम्मेलन गुट निरपेक्ष राष्ट्रों का सबसे बड़ा अधिवेशन है । यह सम्मेलन प्रति तीन वर्ष बाद होता है, जिसमें गुटनिरपेक्ष आन्दोलन के सदस्य देशों के मुखिया या शासनाध्यक्ष भाग लेते हैं । शिखर सम्मेलन में प्रायः चार प्रकार के सदस्य भाग लेते हैं -- पूर्ण सदस्य, पर्यवेक्षक राज्य सदस्य, पर्यवेक्षक

---

1- बांगलादेश डाकूमेन्ट पेज 81 अवामी लीग मेनफेस्टो ।

गैर राज्य सदस्य और अतिथि । शिखर सम्मेलन में निर्णय सर्वसम्मति से होते हैं ।

गुट निरपेक्ष आन्दोलन का पहला शिखर सम्मेलन 1961 में बेलग्रेड में 1 से 6 सितम्बर तक हुआ । दूसरा शिखर सम्मेलन काहिरा में 5 अक्टूबर से 11 अक्टूबर तक 1964 में आयोजित किया गया । गुट निरपेक्ष देशों का तीसरा शिखर सम्मेलन अफ्रीकी देश जम्बिया की राजधानी लुसाका में सितम्बर 1970 में हुआ । इस सम्मेलन में 65 राज्यों ने भाग लिया जिसमें 53 पूर्व सदस्य तथा 12 प्रेक्षक देश थे ।

भारत ने गुट निरपेक्ष आन्दोलन के उपरोक्त सभी शिखर सम्मेलनों में भाग लेकर गुट निरपेक्ष आन्दोलन के मंच से विश्व की प्रमुख समस्याओं के समाधान के लिये महत्त्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया ।

चौथा शिखर सम्मेलन : अल्जीयर्स ( 1973 )

गुट निरपेक्ष देशों का चौथा शिखर सम्मेलन अल्जीरिया की राजधानी अल्जीयर्स में 9-10 सितम्बर, 1973 में हुआ । इस सम्मेलन में 75 देशों के पूर्व सदस्य और 9 देशों ने पर्यवेक्षक के रूप में भाग लिया था । इस शिखर सम्मेलन में भारत के साथ उसके निकटतम पड़ोसी राष्ट्र बांगलादेश ने भी एक नये सदस्य राष्ट्र के रूप में भाग लिया । भारत का प्रतिनिधित्व प्रधानमन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने किया और बांगलादेश का प्रतिनिधित्व शेख मुजीबुर रहमान कर रहे थे । दोनों देशों के नेताओं ने सम्मेलन में महाशक्तियों के मध्य तनाव शैथिल्य का स्वागत किया । साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद और जातीय विद्वेष के उन्मूलन पर जोर दिया । यह भी निश्चय किया गया कि निर्गुट देशों के मध्य आर्थिक, व्यापारिक और तकनीकी सहयोग होना चाहिये ।

अल्जीयर्स शिखर सम्मेलन मे भारत और बांगलादेश ने गुटनिरपेक्ष आन्दोलन के आदर्शों शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व और दूसरे देशों के आन्तरिक मामलों में अ-

हस्तक्षेप के आदर्शों में पूर्ण आस्था व्यक्त की । दोनों देश के नेताओं ने कहा कि हमारा अनुभव है कि इनके अभाव में विश्व शान्ति मृग मरीचिका के समान रहेगी । गुट निरपेक्ष आन्दोलन के इतिहास में यह दस्तावेज देहली घोषणा-पत्र के नाम से जाना जायेगा । यह भारतीय प्रतिनिधि मण्डल के नेता मोहम्मद यूनिस के द्वारा रखा गया था ।[1]

पाँचवा शिखर सम्मेलन- कोलम्बो

16 से 20 अगस्त, 1976 तक कोलम्बो में गुट निरपेक्ष देशों का पाँचवाँ शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया । इस सम्मेलन के 86 देशों ने पूर्ण सदस्य के रूप में, 13 पर्यवेक्षक गैर राज्य 7 देशों के अतिथि सदस्य के रूप में भाग लिया । भारत और बांगलादेश के राष्ट्र प्रमुखों ने भी इस सम्मेलन में सराहनीय योगदान दिया । भारत और बांगलादेश ने कोलम्बो सम्मेलन की राजनीतिक घोषणा को स्वीकार कर लिया है :--

(I) समता के आधार पर नयी राजनीतिक व्यवस्था बनायी जाय और प्रभाव क्षेत्र जैसे सिद्धान्तों को शान्ति विरोधी बनाया जाय ।

(II) सम्मेलन में पश्चिमी एशिया, साइप्रस, फिलीस्तीनी समस्या एवं मुक्ति आन्दोलनों को समर्थन देना स्वीकार कर लिया गया ।

(III) दक्षिण एशिया में शान्ति बनाये रखने के लिये हिन्द महासागर से विदेशी सैनिक अड्डों को हटा लिया जाय ।

भारत के तत्कालीन विदेश मन्त्री श्री अटल बिहारी बाजपेयी ने 7 अप्रैल, 1977को नई दिल्ली में आयोजित गुट निरपेक्ष समन्वय ब्यूरो के विदेश मंत्रियों के सम्मेलन में कहा कि तीन दशक और पांच शिखर सम्मेलनों के बाद गुट निरपेक्षता

---

1- बांगलादेश आब्जर्वर ढाका-11 जुलाई, 1976.

412

का बीज आज एक सुनिश्चित आन्दोलन के रूप में पल्लवित होकर विशाल वट वृक्ष का रूप धारण कर चुका है । जिसे अधिकारिक देशों ने मिलजुल कर सींचा है और स्वतन्त्र होकर उसके उद्देश्यों और लक्ष्यों को स्वीकारकिया है ।

श्री बाजपेयी ने कहा कि "गुट निरपेक्ष देशों का यह कर्तव्य है कि मित्रता और समानता की भावना के साथ समान विचारधारा वाले राष्ट्रों में सहयोग हो । गुटनिरपेक्ष देशों का परिवार बढ़ा है । गुटनिरपेक्षता को आज जिन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, उनके बारे में यह कहा जा सकता है कि उसे एक तरह से अपनी सफलता का दण्ड भोगना पड़ रहा है ।[1]

बांगलादेश के विदेशमन्त्री प्रो0 समसुल हक ने नई दिल्ली में गुट निरपेक्षता आन्दोलन की समन्वय समितिमेंकहा कि [2] विकास शील देशों की इस बहुत बड़ी जन शक्ति का प्रयोग उत्पादन कार्यों में होना चाहिये । उन्होने कहा कि गुट निरपेक्ष देशों के लिये उपभोक्ता वस्तुओं का एक आरक्षित भंडार रखना चाहिये । जिसमें संकट के समय उसका उपयोग हो सके । उन्होने गुट निरपेक्ष देशों के बीच तकनीकी हस्तानान्तरण का भी प्रस्ताव रखा । प्रोफेसर शमसुलहक ने अन्तर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने में गुट निरपेक्ष देशों के बीच आपसी सहयोग बढ़ाने की सम्भावना के सम्बन्ध में भी प्रस्ताव रखा ।

मेजर जनरल जियाउर रहमान मुख्य सेनापति एवं उपप्रमुख सैनिक प्रशासन ने गुट निरपेक्ष आन्दोलन के सिद्धान्तों में गहरी आस्था व्यक्त की है और उन्होने यह भी कहा कि बांगलादेश सभी देशों के साथ समानता के आधार पर मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध बनाये रखने का इच्छुक है । उन्होने कहा कि बांगलादेश अपनी पूर्ण आस्था और निष्ठा के साथ गुट निरपेक्ष आन्दोलन को मजबूत बनाने के लिये प्रयासरत रहेगा ।[3]

----- ------

1- बाजपेयी, अटल बिहारी, भारत की विदेश नीति

2- बंगलादेश आब्जर्वर ढाका 14 अप्रैल, 1977

3- वही 10-3-79

भारत के विदेशमंत्री मि० अटल बिहारी बाजपेयी और बांगलादेश के विदेशमंत्री मि० शमसुल हक के बीच 90 मिनट की लम्बी वार्ता हुयी । दोनों देशों के नेताओं के बीच गुट निरपेक्ष आन्दोलन के सम्बन्ध में काफी एकरूपता थी । दोनों देशों के विदेशमंत्रियों ने आशा व्यक्त की कि विरोधात्मक बातें इस आन्दोलन की एकता को चोट नहीं पहुंचायेंगी विशेषकर कोलम्बो और हवाना के शिखर सम्मेलनों में जो आपसी विवाद उत्पन्न हो गये थे । प्रधानमंत्री मोरार जी देसाई ने कहा, " हम लोगों ने गुट निरपेक्षता के विचारों को स्वीकार किया है । इसी मैत्री भावना और सम्भावना से प्रेरित होकर हम सभी देशों के साथ मैत्री सम्बन्ध रखेंगें ।[1]

छठा शिखर सम्मेलन: हवाना (1979)

छठा शिखर सम्मेलन हवाना क्यूबा में 3 सितम्बर, 1979 को क्यूबा के राष्ट्रपति डा० फिदेल कास्त्रों के साम्राज्यवाद, नव उपनिवेशवाद के विरोध के साथ आरम्भ हुआ । लगभग 85 देशों ने इस सम्मेलन में राष्ट्राध्यक्षों अथवा विदेश मंत्रियों के माध्यम से भाग लिया । हवाना सम्मेलन के घोषणा-पत्र में कहा गया जिसे भारत और बांगलादेश ने सहर्ष अपनी सहमति व्यक्त की --

(1) गुट निरपेक्षता का साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद, नवउपनिवेशवाद, रंगभेद वाद, विदेशी प्रभुत्व एवं चौधराहट से स्वाभाविक सम्बन्ध है ।

(2) गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों से अपनी स्वतन्त्र विदेश नीति एवं एकता के लिये एक जुट रहने के लिये कहा गया ।

(3) सभी गुट निरपेक्ष राष्ट्रों से अपील की गयी कि वे दक्षिण अफ्रीका के अश्वेत छापामार युद्ध का समर्थन करें ।

---

1- द हिन्दू, 18-4-79

§4§ तेल निर्यातक देशों से कहा गया कि वे दक्षिण अफ्रीका को तेल की सप्लाई कतई न करे ।

§5§ मिश्र और इजराइल के बीच कैम्प डेविड समझौते की निन्दा की गयी ।

गुट निरपेक्ष आन्दोलन के छठवें शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व भारत के विदेशमन्त्री श्री श्याम नन्दन मिश्र ने किया था । यह पहला अवसर था जबकि भारत की प्रधानमन्त्री की अनुपस्थित के कारण सम्मेलन में उसका स्थान रिक्त था ।

श्री मिश्र ने कहा[1] कि जो सिद्धान्त और उद्देश्य बेलग्रेड कैरो, लुसाका एल्जियर्स और कोलम्बो शिखर सम्मेलनों में घोषित किये गये है वे हवाना शिखर सम्मेलन में भी हमारे लिये प्रकाश स्तम्भ के समान होगें । किन्तु एशिया और अफ्रीका में कुछ समस्यायें आज भी बनी हुयी है । माननीय अध्यक्ष यह बड़े अफसोस की बात है कि संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 1971 में हिन्द महासागर को शान्तिक्षेत्र घोषित करने पर भी आज भी विश्व की महाशक्तियों की सैन्य सामग्री का भन्डार मौजूद है । माननीय अध्यक्ष गुटनिरपेक्षता को सत्य से सम्बद्ध होना चाहिये जैसा कि हमारा राष्ट्रीय नारा है "सत्यमेव जयते " ।[2]

हवाना शिखर सम्मेलन में बांगलादेश का प्रतिनिधित्व राष्ट्रपति एच०ई० जियाउर रहमान ने किया था । मि० जियाउर रहमान ने कहा, "बांगलादेश को शिखर सम्मेलन का उपाध्यक्ष चुनकर हमारे सहयोगी राष्ट्रों ने हमारे देश का बड़ा सम्मान किया है ।[3] हम इस मैत्री भाव का बड़ा सम्मान करते हैं । जिया

---

1- सिक्स्थ कान्फ्रेंस पेज, 282

2- वही, पेज, 105

3- वही, पेज, 107

उर रहमान ने कहा, " गुट निरपेक्षता की नीति हमारी विदेश नीति में मेहराब के पत्थर के रूप में है । हम इस सम्मेलन को और भी अधिक मजबूत देखना चाहते हैं । हमारा विश्वास है कि यह सम्भव है जबकि हम गुट निरपेक्षता के मौलिक सिद्धान्तों को दृढ़तापूर्वक स्वीकार कर लेंगे । हमें विश्वास है कि गुट निरपेक्ष देश दूसरे गुट निरपेक्ष देश के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा ।[1]

राष्ट्रपति जियाउर रहमान ने कहा कि दक्षिण अफ्रीका में उपनिवेशवाद और जातिवाद मानवता पर कलंक है । इस क्षेत्र में शान्ति और सुरक्षा के लिये गम्भीर खतरा पैदा हो गया है । हम जिम्बाबवे, नामीबिया के लोगों के वैधानिक अधिकारों को समर्थन देने को सहमत हैं ।[2] बंगलादेश हिन्दमहासागर को शान्ति क्षेत्र बनाने के पक्ष में हैं । अन्त में उन्होने कहा कि गुट निरपेक्षता के मौलिक सिद्धान्तों में दृढ़ विश्वास है और हमारा गुट निरपेक्ष आन्दोलन में दृढ़ निश्चय कार्य रूप में भी परिणित रहेगा ।

सातवां शिखर सम्मेलन : नई दिल्ली ( मार्च, 1983 )

गुट निरपेक्ष देशों का सातवां शिखर सम्मेलन 1982 में बगदाद में होना था, किन्तु ईरान-इराक युद्ध के कारण इराक ने इस सम्मेलन को आयोजित करने में अपनी असमर्थता प्रकट की थी, लेकिन ईरान और इराक दोनों देशों ने सम्मेलन को नई दिल्ली में आयोजित करने के लिये आम सहमति दे दी । इसी आधार पर यह 7-12 मार्च, 1983 में आयाजित किया गया । गुट निरपेक्ष आन्दोलन के और भी अनेक देशों में नई दिल्ली में सम्मेलन के आयोजन पर गहरी प्रसन्नता व्यक्त की यह सब भारत की गुट निरपेक्षता में अटूट आस्था और उसकी महत्त्वपूर्ण सेवाओं के कारण ही वातावरण बना हुआ था ।

---

सिक्सथ कान्फ्रेंस

1- वही, पेज 107

2- वही पेज, 108

उपनिवेशवाद का युग समाप्त हो गया किन्तु उसका राजनीतिक एवं आर्थिक दबावों के रूप में नये रूप और तरीके बदल गये है, आणविक आयुधों के भंडार ने अब पहले से कहीं अधिक विश्वशान्ति और सुरक्षा के लिये खतरा पैदा कर लिया है ।

सम्मेलन के 101 सदस्यों में से 93 देशों ने इसमें हिस्सा लिया । इस अवसर पर 68 राष्ट्र ाध्यक्ष या राजा, 26 प्रधानमन्त्री तथा उपराष्ट्रपति या विदेशमन्त्री उपस्थित थे । सम्मेलन के निवर्तमान अध्यक्ष क्यूबा के राष्ट्रपति फिदेल कास्त्रो ने अगले तीन वर्षों के लिये सम्मेलन का अध्यक्षा श्रीमती गांधी को सौंपा । नटवर सिंह को सातवें गुट निरपेक्ष सम्मेलन का महासचिव चुना गया । वैसे यह सम्मेलन पांच दिन चलना था पर ईराक और ईरान युद्ध के कारण इसे एक दिन तक चलना पड़ा ।

श्रीमती गांधी ने अपने उदघाटन भाषण में कहा कि " वह नयी अन्तर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की संस्थापना के लिये गुट निरपेक्षता की नीति के प्रति समर्पित है। किन्तु उन्होने कहा, " विकास, स्वतन्त्रता, निःशस्त्रीकरण और शान्ति एक दूसरे से घनिष्ठता के साथ जुड़े हुये हैं । काला नाग अपना फन फैलायें हुये हैं । मानव जाति भयातुर है, वह आशा के विरूद्ध आशान्वित है कि वह नहीं डसेगा । इस धरती ने मौत के लिये इतने बड़े खतरे का सामना कभी नहीं किया है । श्रीमती गांधी ने कहा कि सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण नये नये क्षेत्रों को खोजकर सैनिक गुटबन्दियों एवं अड्डे बनाये जा रहे हैं । तब तो हमारी जिम्मेदारियां शान्ति पूर्ण सुरक्षा के उपायों को खोजने के लिये बढ़ गयी है ।[2]

---

1- स्टेटमेंन्ट आफ फारेन पालिसी जनवरी अप्रैल, 1983 एक्सटर्नल पब्लिकेशन डिवीजन, मिनिस्ट्री आफ इक्सटर्नल अफेयर्स, न्यू दिल्ली पेज -29-30.

2- वही ।

उन्होने कहा कि सह अस्तित्व के कारण ही किसी का अस्तित्व अक्षुण्ण रह सकता है । उन्होने एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमरीका में विदेशी हस्तक्षेप की कड़ी निन्दा की ।

श्रीमती गांधी ने आन्दोलन के सदस्यों से अपील की कि " अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था को लोकतन्त्रीय स्वरूप प्रदान करने के उद्देश्य से ऐसे कदम उठाये जायें जिससे नयी अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था का प्रादुर्भाव हो सके । वित्तीय और आर्थिक विकास के लिये एक अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन बुलाया जाय, जिससे अभावग्रस्त एवं संकटग्रस्त क्षेत्रों में भोजन, ऊर्जा और विकास के अवसर खोजे जा सके ।

सामूहिक आत्म निर्भरत के लिये हमारी पुन: वचनबद्धता होनी चाहिये[1] श्रीमती गांधी के सुझाव पर एक अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय अथवा आर्थिक विकास के संदर्भ में एक अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन के आयोजन करने का निश्चय किया गया । जिससे विकासशील देशों के बीच क्षेत्रीय और अन्य क्षेत्रीय सहयोग सामूहिक आत्म निर्भरता के उद्देश्य से स्पष्ट किया जा सके ।[2]

गोविन्द नारायण श्रीवास्तव का मत हैं कि सातवें गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन का अध्यक्ष और इस आन्दोलन का पुराना नेता होने के कारण भारत के सम्मान और उसकी प्रतिष्ठा में काफी वृद्धि हुयी है । किन्तु इसके साथ ही उसके द्वारा गुट निरपेक्ष आन्दोलन के मंच से विश्व में तनाव शैथिल्य के लिये किये महत्वपूर्ण प्रयासों, उपनिवेशवाद जातिवाद के विरूद्ध संघर्ष छेड़ने की नीतियों के कारण तथा भारत द्वारा सामाजिक आर्थिक, तकनीकी विकास से उसने विश्व में औद्योगिक विकास में स्थान बना लिया है । इन्ही सब प्रयासों से उसने विश्व में मान, प्रतिष्ठा प्राप्त की है ।[3]

---

1- वही, पेज 33-36

2- सेवन्थ कान्फ्रेंस आफ हेड्स आफ स्टेट्स आर गर्वन्मेन्ट आफ नान एलाइन कन्ट्रीस फाइनल डाकूमेन्ट, न्यू दिल्ली, मार्च, 1983, हेरिटेज डाइजेस्ट, इन्स्टीयूट फार डिफेन्स स्टूडीज एण्ड एनालिसेस , न्यू दिल्ली मई, 83 पेज 269-98.

3- श्रीवास्तव, गोविन्द नारायण इंडिया- नान-एलाइनमेंट एण्ड वर्ल्ड पीस नई दिल्ली पृष्ठ 60

भारत ने इस आन्दोलन में नायक की भूमिका अदा की है । पं0 जवाहर लाल नेहरू से लेकर उनके सभी उत्तराधिकारियों ने गुट निरपेक्ष आन्दोलन में अपनी गहरी आस्था रखी है । श्रीमती गांधी ने बांगलादेश के राष्ट्रपति इरशाद से कहा था, कि हम लोग मानव जाति के लिये शान्ति बनाये रखने के निमित्त है, उन्होंने कहा कि गुट निरपेक्ष आन्दोलन ने पूर्व और पश्चिम के तनाव शैथिल्य को कम किया है, अब उत्तर और पश्चिम के तनाव को भी कम करने का प्रयास करना चाहिये ।[1]

सातवीं गुट निरपेक्ष समिति ने ईरान और इराक से 30 महीने पुराने युद्ध को तत्काल बन्द करने के लिये अपील की और आन्दोलन की एकता बनाये रखने का भी आग्रह किया गया ।[2] महाशक्तियों से विश्व शान्ति के खतरों से विश्व को बचाने की अपील की । गुट निरपेक्ष आन्दोलन के 101 सदस्य राष्ट्रों ने महा शक्तियों से कहा कि वे आपसी अविश्वास को त्याग कर निःशस्त्रीकरण के उपायों पर आपसी बात-चीत के द्वारा किसी सर्वमान्य समझौते पर पहुंचने का प्रयास करें ।[3]

## गुट निरपेक्ष आन्दोलन का आठवां शिखर सम्मेलन

भारत और बांगलादेश ने हरारे गुट निरपेक्ष आन्दोलन में भाग लेकर पुनः एक बार विश्व की सैनिक गुटबन्दियों से दूर रहकर विश्व के गुटनिरपेक्ष आन्दोलन में अपनी आस्था व्यक्त की । भारत और बांगलादेश के शासन प्रमुखों ने अपने-अपने देशों की प्रतिनिधि मंडलों सहित सक्रिय भाग लिया । त्रिलोक दीप ने लिखा है कि एक हफ्ते की सौहाद के बाद हरारे में निर्गुटों का सम्मेलन 6 सितम्बर को

---

1- स्टेट्समैन, दिल्ली, 7 अक्टूबर, 1982
2- हिन्दुस्तान टाइम्स, 13 मार्च, 1983
3- स्टेट्समैन दिल्ली, मार्च, 13, 1983.

को समाप्त हो गया । प्रधानमन्त्री राजीव गांधी ने अपने अध्यक्ष पद का दायित्व जिम्बाबवे के पूर्व अध्यापक और स्वाधीनता सेनानी और प्रधानमन्त्री राबर्ट मुगावे को सौंप दिया है । पूर्व अध्यक्ष के नाते राजीव गांधी ने संतोष व्यक्त किया कि तीन साल तक गुट निरपेक्ष आन्दोलन ने शांति, निशस्त्रीकरण और विकास के क्षेत्र में खासा योगदान दिया है, उन्होने दावा किया कि तीन साल की अवधि में भारत ने नस्लवाद के शिकार लोगों के हक में आवाज बुलन्द की नामीबिया की आजादी का मसला कई मंचों पर उठाया, फिलीस्तीन के सवाल को पश्चिमी एशिया का अहम मसला बताते हुये इसके हल करने की बात कही । गुट निरपेक्ष देशों की आजादी और सार्वभौमिकता में बाहरी दखलंदाजी की कोशिशों का विरोध किया ।

बांगलादेश के प्रतिनिधियों ने भी भारत का सहयोगी बनकर सभी देशों के साथ साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद नस्ल जातिवाद, यहूदीवाद सभी तरह का अस्त्रीकरण, विदेशी कब्जे का फैलाव प्रभुत्व और चौंधराहट और फैसला लिया गया कि 101 देशों वाला यह गुट निरपेक्ष आन्दोलन दक्षिण अफ्रीका में मुक्ति आन्दोलन की सभी तरह से मदद करेगा ।

अफ्रीका कोष इसी दशा में एक कदम है । भारत सचमुच हरारे में शुद्ध निर्गुटतावादी रहा । हर मुददे पर उसकी राय व्यवहारिकता पर रही । यह भी कह सकते हैं कि राजीव गांधी ने राष्ट्र हितों को भी ध्यान में रखा । विवादास्पद, मुददों पर चुप्पी और मध्यमार्ग राजीवगांधी के प्रतिवेदन की एक खूबी थी । इन सबके बावजूद हरारे गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन में पूर्व की भांति भारत की भूमिका महत्वपूर्ण रही ।[1]

---

1- जनसत्ता, 5 सितम्बर, 1986- बाइ हरी शंकर व्यास

## गुट-निरपेक्ष आन्दोलन का नौवां बेलग्राद शिखर सम्मेलन

गुट-निरपेक्ष आन्दोलन का नौवां शिखर सम्मेलन 4 सितम्बर, 89 दिन सोमवार से बेलग्राद (योगोस्लाविया) में आरम्भ हुआ। शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिये भारत की ओर से प्रधानमंत्री राजीव गांधी सहित भारतीय प्रतिनिधि मण्डल में विदेशमन्त्री पी0वी0 नरसिंह राव, विदेश राज्य मन्त्री नटवर सिंह, भारत के संयुक्त राष्ट्रसंघ में स्थायी प्रतिनिधि सी0 आर0गरेवाल विदेश मंत्रालय में सचिव मंचकुंद दुबे अफ्रीका कोष में प्रधानमन्त्री के विशेष प्रतिनिधि नटराजन कृष्णनन जी पार्थसारथी और भारत के युगोस्लाविया स्थित राजदूत मि0 झा शामिल थे।

बेलग्राद पहुँचने पर मि0 राजीव गांधी ने कहा कि " गुट निरपेक्ष देश विश्व की मूल सोच बदलने का प्रयास करते हैं। हम महसूस करते हैं कि युद्ध कोई समाधान नहीं है।"[1]

गुट निरपेक्ष देशों के विदेश मंत्रियों ने आज नौवें सम्मेलन के घोषणापत्र के प्रारूप को अंतिम रूप दे दिया। निर्गुट विदेश मंत्रियों में घोषणा-पत्र को लेकर गम्भीर मतभेद रहा था। कुछ अफ्रीकी, लैटिन अमरीकी और कुछ एशियायी देशों ने मसविदे के प्रारूप पर तीखा प्रहार किया था किन्तु दूसरी ओर भारत, अल्जीरिया इंडोनेशिया, अर्जेन्टीना, बांगलादेश, श्रीलंका, जेनेवा वेनेजुएला, लीबिया आदि अनेक देशों ने मोटे तौर पर मसौदे का समर्थन किया। घोषणा-पत्र के प्रारूप के विवाद में भारत और बांगलादेश एक दूसरे के सहयोगी थे।[2]

---

1- नवभारत टाइम्स 5 सितम्बर, 1989

2- वही, 4 सितम्बर, 1989

घोषणा के संशोधित प्रारूप में कहा गया है कि उपनिवेशवाद की पूर्ण रूप से समाप्ति और आर्थिक जागरूकता अभी भी गुटनिरपेक्ष आन्दोलन का प्रमुख काम है । रंगभेद व नक्सलवाद के बारे में भी इन्हें मानवता के विरूद्ध मानकर इनकी निन्दा की गयी है । प्रारूप में हथियारों की दौड़, आर्थिक असमानता , गरीबी, कर्ज का दबाव, नशीली दवाइयां और आतंकवाद जैसी समस्याओं से निपटने के लिये संगठित कार्यवाही करने पर बल दिया गया ।[1]

भारत और बंगलादेश के प्रतिनिधियों ने घोषणा-पत्र के प्रारूप को स्वीकार करते हुये गुट निरपेक्ष आन्दोलन के मूलभूत सिद्वान्तो में अपनी निष्ठा व्यक्त की ।

अफ्रीका कोष -- दक्षिण अफ्रीका के आर्थिक दबावों का मुकाबला करने के लिये अफ्रीका कोष की स्थापना में भारत ने जो भूमिका निभाई है, वह नवें गुटनिरपेक्ष आन्दोलन में सराहना का विषय बनी । उदघाटन शामकी पूर्व रात्रि की हुयी बैठक में अनेक अफ्रीकी तथा अन्य नेताओं ने इसके लिये राजीवगांधी की मुक्त कंठ से प्रशंसा की । अफ्रीकी मोर्चे पर भारत की यह महत्त्वपूर्ण सफलता है । कोष की स्थापना राजीव गांधी की पहल पर 1986 में हरारे में हुये आठवें शिखर सम्मेलन में हुयी थी । इस कोष को अब तक नकद सामान, तकनीकी सहायता आदि मिलाकर 4760 लाख डालर की मदद मिल चुकी है ।[2]

योगदान करने वाले देशों में बांगलादेश और अफगानिस्तान जैसे गरीब देश भी है । राजीवगांधी कोष के अध्यक्ष है । राजीवगांधी ने कहा कि जब से अफ्रीकी कोष का गठन हुआ है दक्षिण अफ्रीका ने अनेकों परिवर्तन हो रहे हैं ।[3]

---

1- नवभारत टाइम्स, 5 सितम्बर, 1989

2- वही, 6 सितम्बर, 1989

3- वही

पृथ्वी संरक्षण कोष -- बेलग्राद शिखर सम्मेलन में राजीव गांधी ने पृथ्वी संरक्षण कोष का प्रस्ताव रखकर नौवें शिखर सम्मेलन में भाग ले रहे विश्व के शीर्षस्थ नेताओं को चौंका दिया । यह सुविचारित प्रस्ताव उन्होने सम्मेलन के दूसरे दिन बोलते हुये अपने 52 मिनट के भाषण के अंतिम चरण में रखा । भाषण के तुरन्त बाद एक दर्जन से अधिक राष्ट्राध्यक्षों ने व राजनायकों ने उन्हें गर्मजोशी से हार्दिक बधाई दी ।[1]

मि0 राजीव गांधी ने कहा कि इस पृथ्वी को बचाने की चिन्ता मूलतः पश्चिमी दुनिया की है । संकट औघोगीकरण की बेतहाशा दौड़ के कारण हुआ है । गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन में इसे पूरे विश्वास से उठाकर उन्होने एक साथ दो उददेश्य पूरे किये । एक तो इसे गुटनिरपेक्ष देशों की इस विशाल जमात की चिन्ता का विषय बनाया दूसरे आन्दोलन की पश्चिम से दूरी कम की ।

राजीवगांधी ने [2] पर्यावरण के संकट को बड़े व्यापक आधार पर सम्मेलन में उठाया है । इसका वार्षिक कोष भी बनाने की बात कही । उन्होने कहा कि हर देश अपनी आय का हजारवां भाग दें । इनका पृथ्वी और इसकी रचनाओं को बचाने के लिये यह संदेश था । दबदबा, विदेशी हस्तक्षेप , सैनिक हस्तक्षेप हथियारों का दबाव, आर्थिक दबाव, टेक्नालाजी का दबाव, व्यापारिक रोक आदि के संदर्भ में हर तरह के वर्चस्ववादी रवैये से मुक्त दुनिया का नक्शा प्रस्तुत किया ।

राजीव गांधी ने इस बात पर चिंता व्यक्त की कि आज जबकि विश्व धीरे-धीरे शीत युद्ध की ध्रुवीय राजनीति से पीछे रह रहा है "आर्थिक ध्रुव पैदा

---

1-- नवभारत टाइम्स 7 सितम्बर,89

2- वही.

हो रहे है । इन्होने गुट निरपेक्ष देशों से अपील की इन गुटों और समूहों को व्यापार युद्ध और विवाद के नये ध्रुव नहीं बनने देना चाहिये ।[1]

प्रधानमन्त्री श्री राजीव गांधी ने बेलग्रेड शिखर सम्मेलन के समय बंगला देश के राष्ट्रपति जनरल इरशाद के द्वारा दिये गये सद्भावना भोज में शामिल हुये और दोनों नेताओं ने राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं पर आपसी विचारों का आदान-प्रदान किया ।

इस प्रकार भारत और बंगलादेश ने गुटनिरपेक्ष आन्दोलन में अपने घरेलू विवादों से उपर उठकर उसके आधारभूत सिद्धान्तों, कार्यक्रमों और उद्देश्यों में अपनी आस्था का निर्वाह किया है, दोनों देशों ने एक स्वर से जातिवाद, रंगभेद उपनिवेशवाद, निःशस्त्रीकरण आदि के सम्बन्ध में समान दृष्टिकोण की अभिव्यक्ति की है । साथ ही बांगलादेश ने अपने पड़ोसी मित्र भारत का अनुसरण करते हुये विश्व की महाशक्तियों द्वारा अपने प्रभाव क्षेत्रों में वृद्धि क अनेक उद्देश्य सेबनायी गयी सैनिक गुटबन्दियों से अपने को बचाये रखा है । उसने भारत के समान दृष्टि कोण की तरह नामीबिया, जाम्बवे, ईरान-ईराक युद्ध, कम्पूचिया समस्या, निकारागुआ समस्या, अफगान समस्या के प्रति अपनी सहमति व्यक्ति की है । वह भारत के साथ हिन्द महासागर को शान्ति क्षेत्र घोषित करने के सम्बन्ध में भी गुट निरपेक्ष आन्दोलन के मंच से हमेशा उंचे स्वर में बोलता रहा है । आशा है कि भविष्य में भी दोनों देश इसी प्रकार का सहयोग प्रदर्शित करते रहेगें ।

---

1- नवभारत टाइम्स, 7, सितम्बर, 1989.

## दक्षिण एशियायी क्षेत्रीय सहयोग संगठन

भूगोलवेत्ता दक्षिण एशिया में उन देशों को मानते है, जो हिमालय और हिन्दूकुश पहाड़ियों के दक्षिण में पड़ते हैं तथा हिन्द महासागर से तीन ओर से घिरे हुये है । इस क्षेत्र के अन्तर्गत भारत, पाकिस्तान, बांगलादेश, श्रीलंका, नेपाल भूटान और मालद्वीप आते हैं ।

यद्यपि ये देश एक दूसरे से जलवायु, जातिः धर्म, इतिहास और सामाजिक परम्पराओं के आधार पर पृथक प्रतीत होते हैं, किन्तु एक क्षेत्र में स्थित होने के साथ-साथ इनमें अनेकों सामान्य लक्षण भी है ।

सांस्कृतिक विरासत की अक्षयधाराओं ने यहां के जनमानस को एक दूसरे से इतना आकर्षणशील बना रखा है और संसाधनों के प्राकृतिक वरदान ने सभी को इस कदर अन्योन्याश्रित कर रखा है कि वे आपस में अनन्तकाल की दुश्मनी पाल ही नहीं रख सकते हैं । विवशतायें उन्हें एक दूसरे के प्रति संवेदनशील बनाये रखती है ।[1]

दक्षिण एशियायी क्षेत्रीय सहयोग परिषद का गठन इस बात का ज्वलन्त प्रमाण है कि दक्षिण एशिया के ये देश अब अधिक समय तक एक दूसरे से अलग-थलग रहकर वे अपनी आर्थिक, सामाजिक सांस्कृतिक एवं वैज्ञानिक प्रगति नहीं कर सकते हैं । तभी तो दक्षेस के गठन पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुये चीन के प्रधानमंत्री झाओ जियांग ने ढाका समिति के संदर्भ में भेजे गये एक सन्देश में कहा था, " दक्षिण एशिया में यह एक असाधारण घटना के रूप में हैं ।[2]

सार्क" बांगलादेश की देन : दक्षेस के गठन में प्रारम्भिक प्रयास बांगलादेश के राष्ट्रपति जियाउर रहमान का रहा है । उन्होंने 1977-80 के बीच में अनेकों पड़ोसी देशों की सद्भावना यात्रायें की और एक समिति का प्रस्ताव रखा जिससे दक्षिण एशिया के देशों में क्षेत्रीय सहयोग की सम्भावनाओं का पता लगाया जा सके । यह राष्ट्रपति जियाउर रहमान द्वारा दक्षिण एशिया के देशों में सहयोग बढ़ाने की दिशा में उठाया

---

1- नवभारत टाइम्स, न्यू दिल्ली, 3 जनवरी, 1989 बाइ बाली सूर्यकान्त ।

2- हिन्दुस्तान टाइम्स, 7 दिसम्बर, 1985.

# दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन

मानचित्र संख्या 7.

गया सबसे महत्वपूर्ण कदम था ।[1] यद्यपि नेपाल, भूटान ने प्रस्ताव का स्वागत किया, किन्तु भारत पाकिस्तान और श्रीलंका वर्तमान घटनाक्रम में इसकी सफलता के विषय में संदिग्ध थे । इसके कुछ समय पश्चात बांगलादेश के विदेश मंत्रालय ने इस विषय पर गम्भीरता से विचार किया और दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग के सम्बन्ध में एक मूल प्रस्ताव तैयार किया । इसे बांगलादेश कार्यकारी प्रस्ताव का नाम दिया गया । जियाउर रहमान के एक विशेषदूत ने दक्षिण एशिया की छः राजधानियों (नई दिल्ली, इस्लामाबाद, काठमांडू, थिम्पू, कोलम्बो और माले) की यात्रायें की । इन देशों के उच्चस्तरीय राजनायकों को अपने राष्ट्रपति के पत्र के साथ-साथ कार्यकारी प्रस्ताव की एक-एक प्रतिलिपि भी भेंट की ।

बांगलादेश कार्यकारी प्रस्ताव के द्वारा ।। प्रमुख क्षेत्रों में दक्षिण एशिया के देशों के बीच सहयोग की रूपरेखा प्रस्तुत की गयी ।[2]

1- संचार साधनों के क्षेत्र में
2- अंतरिक्ष यान
3- यातायात
4- जलयान
5- पर्यटन
6- कृषि शोध
7- दैवीय आपत्तियों के समय संयुक्त प्रयास
8- व्यावसायिक प्रोन्नति
9- वैज्ञानिक एवं तकनीकी सहयोग
10- शैक्षिक क्षेत्र
11- सांस्कृतिक क्षेत्र में

## विदेश मंत्रियों का नई दिल्ली सम्मेलन

अप्रैल, 1981 से जुलाई, 1983 के बीच विदेश सचिवों के स्तर की पांच बैठकें क्रमशः कोलम्बो, काठमांडू, इस्लामाबाद, ढाका, और नई दिल्ली में

---

1- चन्द्र, प्रकाश एण्ड अरोड़ा प्रेम, इन्टरनेशनल रिलेशन्स बुक हिव, रिंग रोड, नरयना, न्यू दिल्ली पेज 51।

2- मिश्रा, प्रमोद कुमार ढाका समिति एण्ड सार्क -- पब्लिकेशन स्पान्सर्ड बाइ नेता जी इन्स्टीयूट फार एशियन स्टडीज, । वूड बर्न पार्क, कलकत्ता पेज- 9

सम्पन्न हुयी। दक्षिण एशिया के देशों के विदेशमंत्रियों की पहली बैठक नई दिल्ली में (1-2) अगस्त 1983 में सम्पन्न हुयी। सम्मेलन के उद्घाटन भाषण में श्रीमती इंदिरा गाँधी ने बताया कि सामान्य एतिहासिक परम्परायें, भौगोलिक स्थिति और एक समान जलवायु और आर्थिक परिस्थितियों के कारण दक्षिण एशिया के देश एक दूसरे से जुड़े हुये हैं।[1] इसके अतिरिक्त दक्षिण एशिया के देश समान रूप से गरीबी, और आर्थिक पिछड़ेपन की चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। इन सब सामान्य तथ्यों के बावजूद उनके अपने-अपने अलग अलग व्यक्तित्व और राजनीतिक पद्धतियाँ हैं। भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती गाँधी ने स्पष्ट रूप से कहा कि दक्षिण एशियायी क्षेत्रीय सहयोग का मतलब, अन्य किसी के विरूद्ध नही है।[2]

श्रीमती गाँधी ने कहा, कि "हमारे आर्थिक विकास के क्षेत्र में अभी बहुत बड़ी गुंजाइस है, इसके लिये हम सबको अपने-अपने अनुभवों को योजनाओं और सूचनाओं के द्वारा आपस में आदान-प्रदान करके हम इस क्षेत्र के आर्थिक पिछड़ेपन को दूर कर सकते हैं। उन्होने कहा, कि इस क्षेत्र की व्यक्ति-व्यक्ति का सम्बन्ध होना ही सबका ध्येय होना चाहिये।"

सार्क दस्तावेज में आठ प्रमुख उद्देश्यों का वर्णन किया गया है सार्क दक्षिण एशिया के जनकल्याण के लिये कार्य करेगा और लोगों के जीवन स्तर को ऊँचा उठाने का भी प्रयास करेगा, क्योंकि सामाजिक, आर्थिक क्षेत्र में मनुष्य की पूर्ण क्षमताओं का विकास होना चाहिये।

मालद्वीप में सातो दक्षिण एशियायी देशों के विदेशमंत्रियों का दूसरा सम्मेलन 10, 11, जुलाई, 1984 को मालद्वीप की राजधानी माले में हुआ। मालद्वीप के राष्ट्रपति यू0एम0अब्दुल गयूम ने अपने उद्घाटन भाषण में कहा, "दक्षिण एशियायी क्षेत्र का समाज

---

1- टाइम्स आफ इंडिया 2 अगस्त, 1983

2- साउथ एशियन रीजनल कोआपरेशन मीटींग आफ फारेन मिनिस्टरस, न्यूदिल्ली सार्क, फाइनल डाकूमेन्टस पेज 7-8

विविधताओं से भरा है, लेकिन उनकी आशायें एवं आकांक्षायें भिन्न नहीं है " माले सम्मेलन में अपने संयुक्त वक्तव्य में विदेश सचिवों की स्थायी समिति द्वारा नई दिल्ली में विदेश मंत्रियों की बैठक में एकीकृत कार्यक्रमों के समन्वित रूप से क्रियान्वयन की भूरि-भूरि प्रशंसा की । इसमें टेकनिकल समिति की भी प्रशंसा की ।[1]

विदेश मंत्रियों की दक्षिण एशिया की राजधानियों के शहरों को संचार साधनों एवं यातायात साधनों से तत्काल जोड़ने की आवश्यकता अनुभव की ।

भूटान सम्मेलन --

13 मई, 1985 को भूटान नरेश ने अपने उदघाटन भाषण में कहा कि, "दक्षिण एशिया के देशों को अपने पुराने पूर्वाग्रहों से हटकर इस क्षेत्र की जनता के वैयक्तिक एवं सामूहिक विकास के लिये साहस और विकास के साथ आगे बढ़ना चाहिये ।[2]

थिम्पू सम्मेलन के अन्त में विदेश मन्त्रियों ने ढाका समिति के चार्टर का प्रारूप तैयार किया और इस नये संगठन का दक्षिण एशियायी क्षेत्रीय सहयोग संगठन का नाम दिया गया ।

ढाका बैठक -- ढाका की 7-8 दिसम्बर, 1985 को सम्पन्न होने वाली ऐतिहासिक बैठक के पूर्व दक्षिण एशियायी क्षेत्र के विदेश सचिवों और विदेशमंत्री स्तर की प्रारम्भिक बैठके हुयी जब 3 दिसम्बर को विदेश सचिव अनौपचारिक रूप से मिले, तब उन्होने निश्चय किया कि शासन प्रमुखों से "सार्क" के लिये एक स्थायी सचिवालय के सम्बन्ध में विचार होना चाहिये पाकिस्तान, बांगलादेश और नेपाल ने इसकी

---

1- फारेन मिनिस्ट्री आफ गर्वन्मेंन्ट आफ मालद्वीप- सार्क मीटिंग आफ फारेन मिनिस्टर्स (मालद्वीप, 10-11 जुलाई, 1985 पेज 7-8)।

2- हिन्दुस्तान टाइम्स, न्यू दिल्ली, 14 मई, 1985.

विविधताओं से भरा है, लेकिन उनकी आशायें एवं आकांक्षायें भिन्न नहीं है " माले सम्मेलन में अपने संयुक्त वक्तव्य में विदेश सचिवों की स्थायी समिति द्वारा नई दिल्ली में विदेश मंत्रियों की बैठक में एकीकृत कार्यक्रमों के समन्वित रूप से क्रियान्वयन की भूरि-भूरि प्रशंसा की । इसमें टेक्निकल समिति की भी प्रशंसा की ।[1]

विदेश मंत्रियों की दक्षिण एशिया की राजधानियों के शहरों को संचार साधनों एवं यातायात साधनों से तत्काल जोड़ने की आवश्यकता अनुभव की ।

भूटान सम्मेलन --

13 मई, 1985 को भूटान नरेश ने अपने उदघाटन भाषण में कहा कि, "दक्षिण एशिया के देशों को अपने पुराने पूर्वाग्रहों से हटकर इस क्षेत्र की जनता के वैयक्तिक एवं सामूहिक विकास के लिये साहस और विकास के साथ आगे बढ़ना चाहिये ।[2]

थिम्पू सम्मेलन के अन्त में विदेश मन्त्रियों ने ढाका समिति के चार्टर का प्रारूप तैयार किया और इस नये संगठन का दक्षिण एशियायी क्षेत्रीय सहयोग संगठन का नाम दिया गया ।

ढाका बैठक -- ढाका की 7-8 दिसम्बर, 1985 को सम्पन्न होने वाली ऐतिहासिक बैठक के पूर्व दक्षिण एशियायी क्षेत्र के विदेश सचिवों और विदेशमंत्री स्तर की प्रारम्भिक बैठके हुयी जब 3 दिसम्बर को विदेश सचिव अनौपचारिक रूप से मिले, तब उन्होने निश्चय किया कि शासन प्रमुखों से "सार्क" के लिये एक स्थायी सचिवालय के सम्बन्ध में विचार होना चाहिये पाकिस्तान, बांगलादेश और नेपाल ने इसकी

---

1- फारेन मिनिस्ट्री आफ गर्वन्मेंन्ट आफ मालद्वीप- सार्क मीटिंग आफ फारेन मिनिस्टर्स (मालद्वीप, 10-11 जुलाई, 1985 पेज 7-8)।

2- हिन्दुस्तान टाइम्स, न्यू दिल्ली, 14 मई, 1985.

सक्रियता से पहल की, श्रीलंका ने इसका विरोध किया, जबकि नई दिल्ली ने सार्क की बढ़ती हुयी गतिविधियों के लिये एक छोटे से सचिवालय के लिये सुझाव दिया ।[1]

भारत ने " सार्क " देशों के कार्यक्षेत्र के विस्तार के लिये ऊर्जा और पर्यटन के सम्बन्ध में व्यापक योजना का प्रस्ताव रखा ।[2] ये प्रस्ताव भारत के विदेश सचिव रोमेश भण्डारीने "सार्क" की विदेश सचिवों की स्थायी समिति के 7 विदेश सचिवों के सामने आपस में विचार-विमर्श के लिए बैठक मे रखा । श्री भण्डारी ने सार्क देशों के लिये अंतरिक्ष यान केन्द्र खोलने की आवश्यकता पर बल दिया जिससे मानसून का पूर्वानुमान लगाया जा सके । यह विश्व अन्तरिक्ष केन्द्र की सहायता से स्थापित किया जाय । श्री भण्डारी ने कहा कि भारत "सार्क" के सभी देशों के बीच अति शीघ्र ही दूरभाष सम्पर्क स्थापित करने का प्रयास चाहता है ।

बांगलादेश ने इसी समय संयुक्त राष्ट्र संघ को एक संदेश भेजकर कहा कि "सार्क" दक्षिण एशिया के देशों के अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों के लिये एक एतिहासिक उपलब्धि है । सार्क की स्थायी समिति ने 4 दिसम्बर को घोषणा-पत्र तैयार किया जिसे दक्षिण एशिया के सातों देशों के नेताओं ने 2 दिन के सम्मेलन में स्वीकार कर लिया । घोषणा-पत्र विदेश सचिवों द्वारा सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया था ।[3] सम्माननीय सदस्य देशों द्वारा अनेकों संशोधन प्रस्तुत किये जाने के बावजूद घोषणापत्र के सम्बन्ध में एक व्यापक सहमति रही ।

विदेश सचिवों की बैठक के बाद सम्मेलन के मुख्य प्रवक्ता राजूदूत अब्दुल अहसान ने कहा कि यहां पर किसी भी अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक मामले पर चर्चा नहीं हुयी है । इनके विचार से " हमें किसी भी राजनीतिक विवाद और द्विपक्षीय

---

1- हिन्दुस्तान टाइम्स, 4 दिसम्बर, 1985

2- एकोनामिक टाइम्स, न्यू दिल्ली, 5 दिसम्बर, 1985

3- इंडियन एक्सप्रेस, न्यू दिल्ली, 5 दिसम्बर, 1985

मामले पर चर्चा नहीं करना चाहिये ।[1]

भारत के विदेश मंत्री श्री भगत ने कहा कि "सार्क" इस क्षेत्र में शान्ति, समरसता और सहयोग में वृद्धि कर सकेगा, जिसे अतीत के अविश्वास, संघर्ष और विपदाओं का शिकार होना पड़ा" विदेशमंत्रियों की बैठक और सार्क समिति में भाग लेने के लिये ढाका पहुंचने पर उन्होने बी०एस०एस० न्यूज एजेन्सी से कहा कि "सार्क" भावना इस क्षेत्र के सभी देशों में सहयोग की भावना बढ़ाने में सफल होगी ।[2]

विदेश मंत्रियों के 5 दिसम्बर के सम्मेलन में विशेषज्ञों की दो समितियों के लिये संस्तुतियां की गयी--(1) अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद और (2) इस क्षेत्र में नशीली पदार्थों की तस्करी को रोकने के सम्बन्ध में - इस क्षेत्र के देशों मेंआपसी सहयोग के परिस्थितियां उपलब्ध करनी चाहिये । इन दोनों मामलों को बांगलादेश के विदेश मंत्री द्वारा उठाया गया था और सार्क देशों में उनके सुझावकपाकिस्तान के विदेश मंत्री द्वारा समर्थन किया गया ।[3] सार्क के एक सरकारी प्रवक्ता ने कहा कि विशेषज्ञों की समिति अपने सुझावों को विदेश सचिवों की स्थायी समिति को सौंप देगी, जिससे विदेशमंत्रियों द्वारा अन्तिम रूप से विचार हो सके । मीटिंग का सभा पतित्व बांगलादेश के विदेश मंत्री हुमांयूं रशीद चौधरी द्वारा किया गया था ।

भारत के विदेशमंत्री श्री बी० आर० भगत ने बैठक में कहा कि विश्व की तनावपूर्ण राजनीतिक स्थिति और विश्व में व्याप्त आर्थिक संकट के समय दक्षिण एशियायी देशों के बीच सहयोग , राष्ट्रीय हितों की पूर्ति हेतु और सामूहिक आत्म निर्भरता के लिये आवश्यक हो गया है ।[4] भारतीय विदेशमंत्री ने कहा कि हमें इस क्षेत्र के देशों की समस्याओं के प्रति जागरूक रहना चाहिये, हमें अपने देशों के बीच सहयोग और आपसी समायोजन रखना चाहिये " अब समय आ गया है कि "सार्क" का सचिवालय भी होना चाहिये ।

---

1- इंडियन एक्सप्रेस(न्यू दिल्ली) 5 दिसम्बर, 1985
2- टाइम्स आफ इंडिया, 5 दिसम्बर, 1985
3- स्टेट्समैन(दिल्ली) 6 दिसम्बर, 1985
4- स्टेट्समैन न्यू दिल्ली, 6 दिसम्बर, 1985

05

बांगलादेश के विदेशमंत्री ने यद्यपि भारत के सुझाव से सहमति व्यक्त की किन्तु उन्होने कहा कि, "सार्क" के स्थायी सचिवालय के मामलों की जांच करने के लिये एक कार्यकारी दल का गठन करना चाहिये । हुमायूं चौधरी ने बैठक में कहा कि अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद एक ऐसी समस्या है, जिसके दुष्प्रभावों से कोई भी देश सुरक्षित नहीं है । इस सम्बन्ध में सभी देशों के बीच आपसी विचार-विमर्श होना चाहिये ।[1] जो इस वर्तमान चुनौती का सामना करने के लिये काफी लाभप्रद रहेगा । उन्होने बैठक में विकासशील देशों के बीच नशीले पदार्थों की तस्करी के धन्धे को रोकने के उपायोंपर विचार करने की भी अपील की । बैठक में मौसम विभाग केन्द्र की स्थापना के सम्बन्ध में भारत और बांगलादेश के बीच कुछ विवाद भी हुआ ।

दक्षिण एशियायी देशों के राष्ट्राध्यक्ष और ढाका समिति --

जब दक्षिण एशियायी देशों नेपाल और भूटान के नरेश, पाकिस्तान, श्रीलंका और मालद्वीप के तीन राष्ट्रपति और भारत के प्रधानमंत्री समिति में भाग लेने ढाका पहुंचे, उस समय ढाका शहर इस प्रकार सजा हुआ था, जैसे आज कोई त्यौहार मनाया जा रहा है । पूरा ढाका हवाई अड्डा समिति के बैनरों और सार्क के नारों जैसे "सार्क" शान्ति और समृद्धि के लिये" ये सभी झंडे और बैनर उस रास्तों में शोभा बढ़ा रहे थे जहां से इन विशिष्ट पुरूषों को गुजरना था और जहां पर उनके रूकने की व्यवस्था थी ।[2] भारत के प्रधानमन्त्री श्री राजीव गांधी का बड़ी गर्मजोशी से 6 दिसम्बर, 1985 को स्वागत किया गया ।

बांगलादेश की राजधानी ढाका में दो दिन की समिति बैठक के पहले दिन अधिवेशन के उदघाटन समारोह के लिये संसद भवन में एकत्रित हुये उन्होने निश्चय किया कि राष्ट्राध्यक्ष अथवा सरकार के प्रमुख प्रतिवर्ष इस क्षेत्र के देशों की बैठक किया करेंगे

---

1- ढाका समिति एण्ड सार्क, मिश्रा, प्रमोद कुमार

2- हिन्दुस्तान टाइम्स, 7 दिसम्बर, 1985.

इस संदर्भ में " सार्क चार्टर " में संशोधन भी किया गया जिसमें दो वर्ष में एक बार समिति की बैठक होनी थी । नवम्बर, 1986 में नई दिल्ली में बैठक करने का निश्चय किया गया ।[1] चार्टर में यह भी संशोधन किया गया कि विदेशमंत्रियों की बैठक जब आवश्यक समझी जायेगी तब होगी ।

ढाका समिति और "सार्क" की विधिवत घोषणा --

ढाका समिति की अध्यक्षता के लिये बांगलादेश के राष्ट्रपति जनरल एच0एम0 इरशाद चुने गये । उन्होने समिति में आये हुये लोगों का स्वागत किया मि0 इरशाद ने कहा कि सार्क नयी आशाओं और अभिलाषाओं के सृजन के लिये नये-नये वायदे लेकर आया है, लेकिन यह संकुचित राष्ट्रीयता से दूर है । इन सात दक्षिण एशियायी देशों के बीच विगत पांच वर्षों में जो आपसी सहयोग विकसित हुआ है । यह इस क्षेत्र की वास्तविकताओं, विवशताओं और इसकी बुद्धि प्रखरता के अनुरूप है ।[2]

प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने अपने भाषण में कहा कि हमें " अपने द्विपक्षीय विवादों को खड़ा करके सार्क की भावना को ठेस नहीं पहुंचानी चाहिये । उन्होने कहा कि हमें अपने हाल के अनुभवों के आधार पर हमें यह आशा करनी चाहिये कि क्षेत्रीय सहयोग हमारे द्विपक्षीय सम्बन्धों को और अधिक मजबूत करेगा ।[3] श्री गांधी ने आगे कहा कि दक्षिण एशिया की जनता अभी भी गरीबी, अशिक्षा , बेरोजगारी एवं बीमारी जैसी समस्याओं की शिकार है । श्री राजीव ने कहा कि दक्षिण एशिया के देशों के विचारों, दर्शन और जीवन पद्धति में एक रूपता है ।

श्रीलंका के राष्ट्रपति जयवर्धने ने कहा कि भारत सबसे बड़ा देश होने के नाते उसकी जिम्मेदारियां भी सबसे अधिक है और वह शब्दों और कार्यों के द्वारा हम सबको विश्वास दिला सकता है ।[4]

---

1- इंडियन एक्सप्रेस-न्यू दिल्ली 8 दिसम्बर, 1985
2- ढाका समिति ए ड सार्क, मिश्रा प्रमोद कुमार, पब्लिकेशन स्पान्सर्ड बाइ नेताजी इन्स्टीयूट फार एशियन स्टडीज पेज 25
3- स्टेट्समैन, न्यू दिल्ली, 8 दिसम्बर, 1985
4- हिन्दुस्तान टाइम्स, 8 दिसम्बर, 1985

ले० जनरल इरशाद ने सार्क समिति में भाग लेने वाले राष्ट्राध्यक्षों से अपील की कि उन्होने अपने सामान्य शत्रु, गरीबी आर्थिक विपन्नता से संघर्ष करने के लिये तैयार रहना चाहिये ।[1] मि० इरशाद ने कहा कि निर्धनता जैसे शत्रु से लड़ने के लिये हममें सामान्य राजनीतिक इच्छा शक्ति भी होनी चाहिये । दक्षिण एशियायी क्षेत्रीय सहयोग परिषद की विधिवत घोषणा 8 दिसम्बर, 1985 को ऐतिहासिक ढाका समिति के समापन समारोह के बाद की गयी । सम्मेलन में ढाका घोषणा-पत्र को स्वीकार करते हुयेअपनी-अपनी आस्था व्यक्त की ।

दोपहर बाद विधिपूर्वक "सार्क" सम्मेलन बांगलादेश की जातीय संसद में सम्पन्न हो गया । दक्षिण एशिया के सातों देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने अथवा सरकार प्रमुखों ने घोषणा की सात प्रतियों और सार्क चार्टरपर हस्ताक्षर करके उसके गठन की स्वीकृति दे दी ।[2] श्री राजीवगांधी ने बैठक में जोर देकर कहा, " इस संगठन की सफलता के लिये लोगों का सहयोग होना आवश्यक है । उन्होने यह भी संकेत दिया कि संगठन में समान आवाज होनी चाहिये । ये चार्टर"सार्क" देशों में शान्ति और समृद्धि को बढ़ायेगा ।[3]

ले० जनरल इरशाद ने कहा कि, " बांगलादेश की जनता क्षेत्रीय सहयोग एवं समझदारी से लाभान्वित होगी ।[4]

संयुक्त राष्ट्रसंघ के महासचिव ने एक शुभकामना सन्देश में जनरल इरशाद के नाम भेजते हुये कहा था कि, "हमें आशा है कि इस नये दक्षिण एशियायी क्षेत्रीय सहयोग संगठन से विश्वशान्ति में सहयोग मिलेगा ।

---

1- टाइम्स आफ इंडिया, 8 दिसम्बर, 1985

2- रिपोर्टस बाई सुधीर डे इन स्टेट्समैन, न्यू दिल्ली टू ढाका, 1985

3- ढाका समिति एण्ड सार्क, मिश्रा प्रमोद कुमार , पब्लिकेशन स्पान्सर्ड बाइ नेता जी इन्स्टीयूट फार एशियन स्टडीज, वूड पार्क, कलकत्ता पेज 29

4- वही

बांगलादेश के राष्ट्रपति जनरल इरशाद ने ढाका सम्मेलन में सार्क देशों के नेताओं द्वारा आपस अलग-अलग एक दूसरे से व्यक्तिगत रूप से भेंट और उनकी मित्रता द्विपक्षीय वार्तालाप के माध्यम से आपसी समस्याओं के समाधान में लाभप्रद रहेगी ।[1]

प्रमोद कुमार जी मिश्र का विचार है कि ढाका सम्मेलन में भारत का सहयोग विशेषरूप से भारत के युवा प्रधानमन्त्री का बड़ा ही संघरणशील एवं रचनात्मक रहा है । जैसा कि सार्क विश्व की 20 % मानव जाति का प्रतिनिधित्व करता है, किन्तु यह आर्थिक विपन्नता का क्षेत्र है परिस्थितियों के मुताबिक इसमें कोई सन्देह नहीं कि राजीव गांधी इसे जन आन्दोलन का रूप देने के इच्छुक है । श्री राजीव गांधी ने छोटे राष्ट्रों का भय दूर करने के लिये कई बार कहा कि भारत सार्वभौमिक समानता के आधार पर सभी देशों के साथ सम्बन्धों का पक्षधर है ।[2]

दक्षिण एशियायी क्षेत्रीय सहयोग संगठन का दूसरा बंगलौर शिखर सम्मेलन --

जी० रंगनाथन में लिखा है[3] कि दक्षिण के महानगर के 450 वर्ष पुराने इतिहास में नवम्बर के मध्य में एक स्वर्णिम पृष्ठ जुड़ गया । जब वहां सम्मेलन के लिये आये "सार्क" ( दक्षिण एशियायी क्षेत्रीय सहयोग संगठन ) के नेताओं का स्वागत होगा । इस बगीचे वाली नगरी में सार्क के विदेश मंत्रियों का सम्मेलन 14 नवम्बर को शुरू होगा । इस अवसर के लिये नगर को दुलहन की तरह सजाया गया है । " सार्क" देशों के राज्य प्रमुखों और प्रधानमंत्रियों के इस सम्मेलन का उद्घाटन 16 नवम्बर को होगा ।

---

1- ढाका समिति एण्ड सार्क, मिश्रा प्रमोद कुमार, पब्लिकेशन स्पान्सर्ड बाइ नेता जी इन्स्टीयूट फार ऐशियन स्टडीज, वूड पार्क, कलकत्ता, पेज, 29.

2- वही

3- धर्मयुग पत्रिका, 9, नवम्बर, 1986 पेज 22
बाइ जी॰ रंगनाथन

बंगलौर शिखर सम्मेलन "दक्षेस" को एक स्थायी संगठन का रूप दे दिया गया। सम्मेलन के घोषणापत्र में काठमाण्डू में स्थायी कार्यालय खोलने का अहम फैसला किया गया। भारत, पाकिस्तान, भूटान और बांगलादेश एक ही भूखण्ड के हिस्से है पानी और ऊर्जा की साझी सम्पत्ति के उचित प्रयोग की समस्या पर सार्क काफी कुछ सहायक सिद्ध हो सकता है। अगले वर्ष के लिये भारत इसका अध्यक्ष चुना गया है। राजीव गांधी ने कहा[1] कि "सार्क" ढाका से बंगलूर तक इच्छा से कर्म की ओर बढ़ रहा है। अगला कदम इसे सरकारी दफ्तरों और नौकरशाही की गलियों से बाहर ले जाना है ताकि अधिक से अधिक लोग इस सहयोग में शामिल हो सके। इसलिये जरूरी है कि एक कारगर सम्पर्क और संवाद बनाया जाय रेडियो टेलीविजन माध्यमों का इस्तेमाल करने की एक योजना बनायी जायेगी। इस सम्बन्ध में एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया है, कोशिश की जा रही है कि ऐसे कार्यक्रम बनाये जाय जो सभी देशों की जनता को एक दूसरे के नजदीक ला सके। भारत ने आश्वासन दिया कि विशेषज्ञों की राय से एक कार्यक्रम तैयार किया जायेगा। इसी दौरान दस्तावेजों का एक केन्द्र और जानकारी बैंक स्थापित करने की योजना पर काम हो रहा है। इस केन्द्र से सभी राष्ट्र और उनसे सम्बन्धित अधिकारी सही और पूरी वैज्ञानिक जानकारी प्राप्त कर सकेगें जिसका इस्तेमाल आपसी सहयोग और विकास कार्यों में किया जायेगा। शिखर सम्मेलन में औरतों और बच्चों के विकास के लिये नये कार्यक्रम बनाने की भी योजना बनाई गयी है।

भारतीय उपमहाद्वीप नशीली वस्तुओं की तस्करी और व्यापार का केन्द्र बन गया है। इन वस्तुओं की रोकथाम के लिये एक उपसमिति बनायी गयी है। जिसके अध्यक्ष पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जुनेजो हैं। इस सिलसिले में सभी देशों के बीच नशीली वस्तुओं की तस्करी और बिक्री रोकने की सफल समर नीति बनाने का आश्वासन दिया गया है।[2]

---

1- दिनमान पत्रिका 23-29 नवम्बर, 1986 पेज 24-25

2- वही

राजीव गांधी ने दक्षेस को द्विपक्षीय विवादों के बोझ से मुक्त रखने का आहवान किया था उन्होंने कहा था कि "दक्षेस" एक गैर राजनैतिक मंच है ।

"दक्षेस" के सचिवालय के पहले महासचिव बंगलादेश के विदेशमंत्री अब्दुल अहसान होगें और चार अन्य निदेशक भारत, पाक ,श्रीलंका और नेपाल से लिये गये हैं । सचिवालय का खर्च सदस्य देशों की आर्थिक क्षमताओं के अनुरूप होगा ।[1]

राजीव गांधी का मानना है कि द्विपक्षीय समस्याओं के रहते "सार्क" का जहाज रफ्तार नहीं पकड़ सकता है । निर्विवाद है कि दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय सहयोग बढ़ाने की राजीव गांधी की कोशिश शुरू से है । किन्तु "सार्क " राजनैतिक समझदारी के बिना फल-फूल नहीं सकता है, यह बेंगलूर बैठक में भी साबित हुआ है ।[2]

**विदेश सचिवों की स्थायी समिति की बैठक-भारत द्वारा विदेशी सहायता का विरोध**

भारत ने दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन के क्रिया कलापों के लिये बाहरी सहायता लेने के प्रस्ताव और बाहर के संगठनों तथा देशों से सम्पर्क स्थापित करने का विरोध किया । भारत के विदेश सचिव के0पी0एस0 मेनन ने विदेश सचिवों की स्थायी समिति की बैठक में सामूहिक आत्मनिर्भरता के महत्व पर बल दिया । श्री मेनन का यह कथन इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि दक्षेस के अन्य सभी देश ऐशियायी विकास बैंक की तरह दक्षेस की अलग से पूंजी निवेश संस्था खोलने के बांगलादेश के प्रस्ताव पर राजी हो गये हैं , ताकि दक्षेस के कार्यक्रम के लिये बाहर से वित्तीय सहायता प्राप्त की जा सके । प्रस्तावित संस्था दक्षेस की शेयर पूंजी से खड़ी की जायेगी । श्री मेनन ने दक्षेस के 1988-89 के लिये भारत की ओर से 1.75 करोड़ रूपये दिये जाने की घोषणा की, जो इस वर्ष के अंशदान से 25 % अधिक है ।[3]

---

1- दिनमान 30 नवम्बर, 6 दिसम्बर--86 पेज 8

2- जनसत्ता 20 नवम्बर, 1986, हरिशंकर व्यास सात बहिनों का घोंसला

3- नवभारत टाइम्स, 1 नवम्बर, 1987.

दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन का तीसरा शिखर सम्मेलन

नेपाल (काठमांडू) "दक्षेस" देशों का प्रसारण के क्षेत्र में परस्पर सहयोग— " सार्क " का तीसरा शिखर सम्मेलन काठमांडू में आरम्भ होने से पूर्व "दक्षेस " के सदस्य देशों ने आगामी नवम्बर में अपने यहां टेलीविजन और रेडियो पर नियमित रूप से मास में दो बार समान कार्यक्रम प्रसारित करने का निश्चय किया है । इस बारे में निर्णय दक्षेस आडियो विजुअल आदान-प्रदान समिति की दो दिवसीय नई दिल्ली में होने वाली बैठक में किया गया । भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय के संयुक्त सचिव आर0सी0 सिन्हा ने संवाददाताओं को जानकारी देते हुये कहा कि समिति ने सदस्य देशों द्वारा प्रत्येक महीने की पहली तारीख को टेलीविजन कार्यक्रम और 15 तारीख को रेडियो कार्यक्रम प्रसारित करने का फैसला कियागया है । श्री सिन्हा ने बताया कि समिति के निर्णय के अनुसार पहला कार्यक्रम 2 नवम्बर को छः देशों द्वारा अपने टेलीविजन पर दिखाया जायेगा । उस दिन बांगलादेश द्वारा रूना लैला के गीतों पर तैयार कार्यक्रम "उपहार " प्रसारित किया जायेगा । 2 नवम्बर को ही काठमांडू में दक्षेस का तीसरा शिखर सम्मेलन शुरू होगा । टेलीविजन पर दिखाये जाने वाले जिन कार्यक्रमों का चयन किया गया है, वे हैं-- बांगलादेश का उपहार, भारत का वन्यजीवन । रेडियो से प्रसारित किये जाने वाले कार्यक्रम है, बांगलादेश का वहां के संगीत के बारेमें भारत का राजस्थान के लोकसंगीत के बारे में ।[1]

श्री सिन्हा ने बताया कि टेलीविजन कार्यक्रम बांगलादेश द्वारा शाम 7-30 बजे, भारत द्वारा रात 9.50 बजे प्रसारित किये जायेगें । रेडियो द्वारा प्रसारित किये जाने वाले कार्यक्रम बांगलादेश शाम 5-45 बजे, भारत द्वारा 9,30 बजे प्रसारित होगें । श्री सिन्हा के अनुसार इन कार्यक्रमों का उद्देश्य दक्षेस देशों की सांस्कृतिक विरासत को उजागर करना और एक जैसी समस्याओं का सामना करने के लिये किये जा रहे प्रयासों की जानकारी देना है ।[2]

1- नवभारत टाइम्स, 25 सितम्बर, 1987

2- वही

यद्यपि बांगलादेश ने एक बहुक्षेत्रीय-निवेश संस्थान के गठन का प्रस्ताव पेश किया था । श्री नटवर सिंह ने आज अपने भाषण में सहयोग के सभी मामलों पर भारत सरकार की नीति स्पष्ट की और कहा कि हमें बाहरी मदद की चर्चा करने के बजाय व्यापार, उद्योग, मुद्रा और वित्त के क्षेत्र में सहयोग साधन के लिये कदम उठाने चाहिये, किन्तु पाकिस्तान इन क्षेत्रों में सहयोग के लिये सहमत नहीं है । श्री नटवर सिंह ने कहा कि इन क्षेत्रों में सहयोग के बिना क्षेत्रीय सहयोग की प्रक्रिया को गति नहीं दी जा सकती है ।

दक्षेस के तीसरे शिखर सम्मेलन के अवसर पर एक क्षेत्रीय खाद्य सुरक्षा भंडार की स्थापना पर सहमति हुयी । श्री नटवर सिंह ने इसका स्वागत किया और कहा कि हमारे देशों की आर्थिक सुरक्षा के लिये यह आवश्यक है । आतंकवाद पर समझौते के बारे में उन्होंने कहा कि हम जल्दी अपने विचारों के बारे में फैसला करेंगें । बांगलादेश में कृषि सूचना केन्द्र और भारत में मौसम अनुसंधान केन्द्र की शीघ्र ही स्थापना की जा सकेगी । नटवर सिंह ने विकसित देशों के संरक्षणवाद और विदेशी मदद की कमी तथा हमारे देश में माल की कीमत में गिरावट पर चिन्ता प्रकट की और कहा कि विश्व की वर्तमान स्थिति में क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ाना अनिवार्य हो गया है ।[1]

बांगलादेश के विदेश मंत्री श्री हुमायूँ रशीद चौधरी ने अपने भाषण में सुझाव दिया कि प्राकृतिक आपदा में सहयोग के लिये हमें कोई स्थायी व्यवस्था करनी चाहिये । बाढ़ से उनके देश को हर वर्ष भारी नुकसान होता है । बाढ़ और सूखा हमारे क्षेत्र की बड़ी समस्या है । यह चुनौती, जिसे मिलकर हम हल कर सकते हैं ।

भारत की ओर से विदेश राज्य मंत्री नटवर सिंह ने दक्षेस विदेश मंत्रियों की अध्यक्षता नेपाल के विदेश मंत्री श्री शैलेन्द्र कुमार उपाध्याय को सौंप दी, पाकिस्तान के विदेश राज्य मंत्री ने विदेश मंत्रियों की बैठक में दूसरी शिखर बैठक में

---

1- द नवभारत टाइम्स, 2, नवम्बर, 1987

के बाद दक्षेस के नेतृत्व के लिये भारत की सराहना की ।

बांगलादेश के विदेश मंत्री हुमायूँ रशीद चौधरी ने "सार्क" सचिवालय की पूर्ण स्वतन्त्रता से कार्य करने की वकालत की और उन्होने सुझाव दिया कि महासचिव से पूछा जाय कि विश्व के विभिन्न क्षेत्रीय संगठनों एवं संयुक्त राष्ट्रसंघ के अभिकरणों के बीच मधुर फलदायक सम्बन्ध कैसे स्थापित हो सकेगें ।[1]

शीर्षस्थ नेताओं द्वारा दीर्घकालीन सहयोग के नये कार्यक्रमों पर आम सहमति --

सभी देशों के शिखर के नेताओं में दक्षिण एशियायी सहयोग कार्यक्रम को दीर्घकालीन रूप देने तथा उसके लिये नयी योजना तैयार करने पर सहमति हो गयी है । बैठक में सभी देशों के नेताओं ने दक्षेस केकार्यक्रमों को बल और गति देने पर जोर दिया और कहा कि इनका विस्तार होना चाहिये । दक्षेस कार्यक्रमों के लिये धन की व्यवस्था के लिये एक बहुउददेश्यीय निवेश नीति बनाने पर भी विचार किया गया है । इस पर ढाका में विशेषज्ञ विचार कर अपनी रिपोर्ट देंगें ।

हिमालय क्षेत्र की नदियों की जलसम्पदा के उपभोग, आतंकवाद की समस्या हल करने के लिये प्रस्तावित क्षेत्रीय कानून के प्रारूप, आर्थिक सहयोग बढ़ाने की दीर्घ कालीन योजना तथा दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संगठन के साथ दक्षेस के सम्बन्धों आदि विषयों पर नेताओं ने विस्तार से चर्चा की ।[2] शिखर सम्मेलन में बाढ़, सूखा जैसी प्राकृतिक आपदाओं की रोकथाम और वनसंरक्षण तथा पर्यावरण की रक्षा के उपायों और कार्यक्रमों पर विचार करने के लिये एक आयोग के गठन का फैसला किया । इसके लिये दक्षेस केमहासचिव के लिये जरूरी जिम्मेदारी सौंपी गयी ।

शिखर सम्मेलन भारत के प्रधानमन्त्री राजीव गांधी की अध्यक्षता में शुरू हुआ था । श्री गांधी ने बेंगलूर शिखर से अब तक की प्रगति का विवरण पेश किया, जिसे हर्षध्वनि के साथ मंजूर कर लिया गया । श्री गांधी ने कहा कि हमारी अर्थव्यवस्थाओं का विकास अब साफ हो गया है । क्षेत्रीय सहयोग के जरिये बढ़ सकता है । दक्षिण

---

1- द टाइम्स आफ इंडिया, न्यूदिल्ली, 2 नवम्बर, 1987

2- नवभारत टाइम्स, न्यू दिल्ली, 5 नवम्बर, 1987

एशिया सहयोग अब हमारे सामूहिक चेतना में समाविष्ट होता जा रहा है । उन्होंने सुझाव दिया कि व्यापार , उद्योग, मुद्रा और वित्त के क्षेत्र में भी सहयोग पर हमें विचार करना चाहिये, कृषि, परिवहन, शिक्षा, तथा संचार आदि अनेक ऐसे क्षेत्र हैं, जिनमें हमारी समस्यायें समान हैं । अब हम दक्षिण एशियायी फेस्टिवल पर भी विचार कर सकते हैं ।[1]

श्री राजीव गांधी ने कहा भारत क्षेत्रीय सहयोग के इस महाप्रयास को विवादों का नहीं, बल्कि सहयोग का आधार और नई दिशा के रूप में स्वीकार करता है । एक उपयोगी शुरूआत हुयी है और अब उसे व्यापक बनाना है । नेपाल नरेश ने कहा कि राजीवगांधी के नेतृत्व में हम काफी आगे बढ़े हैं ।[2]

आतंकवाद रोकने के लिये दक्षेस देशों में समझौता --

दक्षिण एशिया के सातो राज्यों ने 4 नवम्बर को क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी समझौते पर हस्ताक्षर कर दिये । प्रधानमन्त्री राजीव गांधी ने इसे अन्य क्षेत्रों के लिये एक अनुकरणीय उदाहरण बताया ।[3] अन्यसं सभी देशों के नेताओं ने उसे एक एतिहासिक कदम बताया और इस काम में पूरी तरह सहयोग देने के लिये राजनीतिक संकल्प की पुष्टि की गई । समझौते पर विदेशमंत्रियों ने नेताओं की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए ।

समझौते में आतंकवादी गतिविधियों से सम्बद्ध छः अपराध गिनाये गये हैंऔर कहा गया है कि इन्हें राजनीतिक अपराध या राजनैतिक उद्देश्य से प्रेरित होकर किया गया अपराध नहीं माना जायेगा । इन अपराधों में {अ} विमानों और गैर कानूनी अपराध सम्बन्धी 16 दिसम्बर, 1970 के हेग समझौते के अन्तर्गत आने वाला अपराध {ब} 23 दिसम्बर, 1971 के नागरिक उड्डयन सुरक्षा सम्बन्धी मोन्ट्रियल समझौते के अन्तर्गत आने वाला अपराध {स} राजनायिकों तथा अन्य लोगों

---

1- नवभारत 4 नवम्बर, 1987

2- वही

3- टाइम्स आफ इंडिया, न्यू दिल्ली, 6 नवम्बर, 1987

की सुरक्षा से सम्बन्धित 14, दिसम्बर, 1973 के न्यूयार्क समझौते के अन्तर्गत आने वाले अपराध शामिल है ।[1]

समझौते में कहा गया है कि सदस्य राष्ट्र अन्य हिंसा से सम्बन्धित अन्य अपराधों को भी जो राजनीतिक नहीं शामिल कर सकते हैं । इसके अलावा विदेश मंत्रियोंनेदक्षिण एशिया के देशों के संकट काल के लिये 2,00,000 टन खाद्यान्न भण्डारण कायम रखने के लिये भी एक समझौते पर हस्ताक्षर किये ।[2] शिखर के स्वीकृत एक प्रेस रिलीज में कहा गयाकि दोनों समझौतों से दक्षिण-एशिया में आतंकवाद और भूख का निवारण किया जायेगा ।

दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन [सार्क] का तीसरा शिखर सम्मेलन नेपाल की राजधानी काठमाण्डू में चार नवम्बर को समाप्त हो गया । इसका पहला सम्मेलन ढाका में दूसरा बंगलौर[भारत] में हुआ था । "सार्क" अपना शिखर सम्मेलन हर वर्ष करता है जबकि राष्ट्रमंडल दो वर्षों में एक बार और गुट निरपेक्ष आन्दोलन तीन साल बाद ।[3]

दक्षेस का इस्लामाबाद चतुर्थ शिखर सम्मेलन

चौथा दक्षेस शिखर सम्मेलन 29 दिसम्बर, 1988 से सदस्य देशों के इस आहवान के साथ शुरू हुआ कि सदस्य देशों के बीच व्यापार और आर्थिक सहयोग बढ़ाया जाय । प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने इस बात पर खेद व्यक्त किया कि क्षेत्रीय सहयोग की दिशा में हमने एक भी कदम ऐसा नहीं उठाया जिससे विकास के उन क्षेत्रों पर असर पड़े जिनसे हमारे देशों की जनता प्रभावित होती है । प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी ने दक्षिण एशियायी सहयोग को यहां के करोड़ों निवासियों की आशाओं के अनुरूप जीता जागता स्वरूप देने के लिये एक तीन सूत्री कार्यक्रम का सुझाव रखा ।[4]

---

1- नवभारत टाइम्स, न्यू दिल्ली 6 नवम्बर, 1987
2- द टाइम्स आफ इंडिया, न्यू दिल्ली, 6 नवम्बर, 1987
3- वही,
4- नवभारत टाइम्स, 31 दिसम्बर, 1988

"दक्षेस" के सात नेताओं ने इस्लामाबाद घोषणा-पत्र पर मंजूरी दे दी दक्षेस नेताओं ने सभी देशों के विदेशमंत्रियों द्वारा तैयार इस्लामाबाद घोषणापत्र पर विस्तार से करीब साढ़े छः घन्टे विचारविमर्श किया और आवश्यक संशोधन किये ।

"दक्षेस" शिखर सम्मेलन में राजीव गांधी ने सही कहा है कि शक और अंदेशो की दीवारे जितनी तेजी से और जगह टूट रही है, उतनी तेजी से वे हिमालय के दक्षिण में नहीं टूट पा रही है और सहयोग के जाल में जिस तेजी से दुनिया के अन्य देश क्षेत्रीय संगठन गुथते और बंधते जा रहे हैं, उतनी तेजी से दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन नहीं गुंथ पा रहा है और यह हालत तब है जब मालद्वीप की चुनी हुयी सरकार की रक्षा भारतीय सेना की सहायता से हुयी और श्री लंका को दो टुकड़ों में बँट जाने से भारतीय शान्ति सेना ही रोके हुये हैं । यदि शक और अंदेशों की दीवारें टूट सके, तो दुनिया की 1/5 आबादी वाला यह एक अरब लोगों का उपमहाद्वीप सचमुच पृथ्वी की एक महत्वपूर्ण आवाज बन सकता है ।[1]

श्री गांधी ने सुझाया कि खेल और संस्कृति के मामले में जनाधारित आदान-प्रदान बढ़ाया जाय । संगीत, नाटक, नृत्य, सिनेमा, रेडियो, दूरदर्शन के क्षेत्र में जितना सहयोग दक्षिण एशिया में हो सकता है । उसका दशमांश भी नहीं हो पा रहा है, क्योंकि वहां भी कई अंदेशे हैं जैसे कहीं रवीन्द्र संगीत, बांगलादेश के इस्लाम को प्रदूषित तो नहीं कर देगा ।[2]

प्रमोद कुमार मिश्र के विचार से सार्क के सम्बन्ध में कोई भी निष्पक्ष एवं दूरदर्शी पर्यवेक्षक दक्षिण एशिया की वर्तमान स्थिति से आंखे बन्द करके नहीं रह सकता है इस क्षेत्र पर अब भी काली घटायें छायी हुयी हैं । सम्भवतः वे इस नवजात सुकोमल अंकुर सार्क संगठन को बर्बाद कर सकती है । वास्तविकता यह है कि कुछ

---

1- नवभारत टाइम्स, 1 जनवरी, 1989

2- वही।

पश्चिमी शक्तियाँ नये साम्राज्यवाद के उपक्रम के अन्तर्गत इस क्षेत्र में भी प्रयासरत है जैसा कि वे दक्षिण एशिया में सक्रिय है । अफगान समस्या का यदि सही ढंग से समाधान नहीं होता है, तो यह समझना चाहिये कि शीतयुद्ध दक्षिण एशिया का दरवाजा खटखटा रहा है, इसलिये सार्क के सभी सात देशों की अन्तर्राष्ट्रीय एवं सामूहिक आत्मनिर्भरता की प्राप्त करने के उद्देश्य के संकट से सावधान कर बाह्य साम्राज्यवादी शक्तियों की धूर्ततापूर्ण चालों के मुहरें न बनने के लिये सदैव सावधान रहना चाहिये ।[1]

अब यह तो भविष्य ही निश्चित करेगा कि बांगलादेश के स्वर्गीय राष्ट्रपति श्री जियाउर रहमान का यह मानसपुत्र -"सार्क" अपने जन्मदाता के इरादों को कहां तक पूरा करने में सफल रहता है ।

---

1- ढाका समिति एण्ड सार्क- मिश्रा प्रमोद कुमार, स्पान्सर्ड बाइ , नेताजी इन्स्टीयूट फार एशियन स्टडीज, वूडपार्क, कलकत्ता, पेज, 49.

## भारत और बांगलादेश – विश्व समस्यायें

द्वितीय विश्वयुद्ध की विनाश लीला के बाद एक नये प्रकार के साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद और शीतयुद्ध का जन्म हुआ जिसने विश्व के राष्ट्रों में विनाशकारी आणविक आयुधों के निर्माण के लिये प्रतिस्पर्धा उत्पन्न कर दी, जिससे आज सम्पूर्ण विश्व एक ज्वालामुखी पर बैठा हुआ है । आज भी सम्पूर्ण विश्व एक ज्वालामुखी पर बैठा हुआ है । विश्व में आज भी ऐसी अनेकों समस्यायें हैं कि यदि संयम , विवेक और धैर्य से काम न लिया जाय तो तृतीय विश्व युद्ध का बिगुल कभी भी बज सकता हैं । किन्तु जहां तक इन समस्याओं के प्रति भारत और बांगलादेश के दृष्टिकोण का सवाल है । इन दोनों देशों ने विश्व की सैनिक गुट बन्दियों एवं शस्त्रास्त्रों की होड़ से दूर रहकर गुट-निरपेक्ष आन्दोलन में रहने का संकल्प लिया है ।

किन्तु भारत और बांगलादेश की गुट निरपेक्षता का तात्पर्य यह नहीं है, कि एक अन्धे की तरह उन्हें कुछ देखना नहीं है, एक बहरे की तरह उन्हें कुछ सुनना नहीं है और एक गूंगे की तरह न्याय और अन्याय के प्रति कुछ बोलना नहीं है । यह गुटनिरपेक्षता नकारात्मक तटस्थता, अप्रगतिशीलता, अथवा उपदेशात्मक नीति नहीं है । इसका अर्थ सकारात्मक है अर्थात जो सही है न्यायसंगत है, उसकी सहायता और समर्थन करना है और जो अनीतिपूर्ण एवं अन्याय संगत है उसकी आलोचना एवं निन्दा करना । अमरीकी सीनेट में बोलते हुये नेहरू ने स्पष्ट कहा था, " यदि स्वतन्त्रता का हनन होगा, न्याय की हत्या होगी यदि कहीं आक्रमण होगा तो वहां हम न तो आज तटस्थ रह सकते हैं और न भविष्य में तटस्थ रहेगें ।[1]

भारतीय राजनेताओं ने विश्व की समस्याओं के प्रति न्याय और निष्पक्षता की नीति का अनुसरण करते हुये अपने स्वतंन्त्र दृष्टिकोण को प्रस्तुत करने का प्रयास

---

1- कोटेड बाइ,फाडिया डा० बी०एल० इन्टरनेशनल पालिटिक्स इंडिया फारेन पालिसी. इन वर्ल्ड पालिटिक्स पेज 348.

किया है । इसी प्रकार बांगलादेश ने भी विश्व समस्याओं के प्रति न्यायसंगत दृष्टिकोण व्यक्त करने का प्रयास किया है ।

भारत और बांगलादेश ने विश्व की प्रमुख समस्याओं शस्त्रीकरण, जातिवाद, रंगभेद, नये साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद के साथ-साथ अफ्रीका, यूरोप, मध्यपूर्व अथवा पश्चिमएशिया, दक्षिणपूर्व एशिया, और दक्षिण एशियाकी समस्याओं के प्रति समय-समय पर यथासम्भव निष्पक्ष समान दृष्टिकोण प्रस्तुत करने का प्रयास किया है, जिससे गुटनिरपेक्ष आन्दोलन, दक्षिण एशियायी क्षेत्रीय सहयोग संगठन एवं विश्व शान्ति एवं सुरक्षा की उनके द्वारा अपनायी गयी नीतियों की सार्थकता सिद्ध हो सके ।

दक्षिण अफ्रीका की समस्यायें- भारत और बांगलादेश का दृष्टिकोण

रंगभेद-- संयुक्त राष्ट्र महासभा के न्यूयार्क में हुये 32वके अधिवेशन में 4 अक्टूबर, 1977 को भारत के तत्कालीन विदेशमंत्री श्री अटल बिहारी बाजपेयी[1] ने यह स्पष्ट रूप से कहा था कि, " हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या दक्षिण अफ्रीका में मानव अधिकारों और स्वतन्त्रता के लिये हो रहे महान संघर्ष की है । भारत ने सदैव ही राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में अनावश्यक रक्तपात और हिंसा का विरोध किया है ।

दक्षिण अफ्रीका की सरकार पर वहां की जनता के साथ रंगभेद की नीति के सम्बन्ध में कड़ा प्रहार करते हुये उन्होने कहा कि अफ्रीका में चुनौती स्पष्ट है । किसी भी देश की जनता को स्वतन्त्रता और सम्मान के साथ रहने का आदरणीय अधिकार है या रंगभेद में विश्वास रखने वाला अल्पमत किसी विशाल बहुमत पर हमेशा अन्याय और दमन करता रहे । निःसंदेह रंगभेद के सभी रूपों का जड़ से उन्मूलन होना चाहिये । रंगभेद निश्चित रूप से समाप्त होना चाहिये । इसका अस्तित्व मानवता पर कलंक और संयुक्त राष्ट्रसंघ पर एक गहरा आक्षेप है ।[2]

बांगलादेश के राष्ट्रपति मि० एच० ई० जियादर रहमान ने गुट निरपेक्ष आन्दोलन के हवाना सम्मेलन में बांगलादेश की विदेशनीति स्पष्ट करते हुये कहा था

---

1- बाजपेयी ए०बी०, इंडिया"स फारेन पालिसी, वर्ल्ड ए फैमिली पेज 17.

कि दक्षिण अफ्रीका में उपनिवेशवाद और जातिवाद अथवा रंगभेद मानवता के ऊपर एक कलंक है । इससे इस क्षेत्र की शान्ति और सुरक्षा के लिये गम्भीर खतरा विद्यमान है । हम निःसंदेह जिम्बाबवे, नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका के लोगों के स्वाधीनता और मानवीय गरिमा के लिये न्यायसंगत संघर्ष का पूर्ण समर्थन करते हैं । हमारा पूरा विश्वास है कि उनके प्रयत्न निश्चित रूप से सफल रहेगें ।[1]

जिम्बाबवे और नामीबिया की समस्याओं के प्रति भारत और बांगलादेश का समान दृष्टिकोण रहा है । दोनों देशों की सरकारों ने जातिवाद, उपनिवेशवाद एवं साम्राज्यवाद के विरूद्ध संघर्षरत किसी भी क्षेत्र की जनता को मैत्री सहयोग और शान्ति सन्धि के अन्तर्गत सहयोग करने का संकल्प लिया था । उसी परिप्रेक्ष्य में बांगलादेश के राष्ट्रपति के सलाहकार मि0 शमसुल हक ने कहा कि बांगलादेश विश्व के किसी भी देश में उत्पीड़ित लोगों द्वारा किये जा रहे स्वतन्त्रता के लिये संघर्ष में बांगलादेश का पूरी तरह सहयोग हैं ।

प्रोफेसर हक ने कहा कि सम्मेलन में जारी विज्ञप्ति में बांगलादेश ने दक्षिण अफ्रीका की जातिवादी सरकार के विरूद्ध संघर्ष कर रहे देशों के प्रति राष्ट्रवादी शक्तियों के संघर्ष को पूरा सहयोग देने का वचन दिया है । बांगलादेश ने जिम्बाबवे और नामीबिया में उपनिवेशवाद के विरूद्ध हो रहे संघर्ष को भी समर्थन देने का संकल्प लिया है ।[2]

अटल बिहारी बाजपेयी ने इन समस्याओं के प्रति भारत का दृष्टिकोण व्यक्त करते हुये कहा था कि भारत चाहता है कि जिम्बाबवे और नामीबिया की समस्याओं का शान्तिपूर्ण ढंग से अतिशीघ्र समाधान हो, किन्तु जब तक स्मिथ सरकार हटा नहीं दी जाती और जब तक लम्बे समय तक त्रस्त जनता को स्वाधीनता नहीं मिल जाती, हम यह कैसे आशा कर सकते हैं कि स्वतन्त्रता के सेनानी अपने हथियार रख देगें । भारत जिम्बाबवे में अपनी स्वतन्त्रता के लिये संघर्षरत देशभक्त शक्तियों के प्रति ठोस समर्थन की पुष्टि करता रहा है ।[3]

---

1- एड्रेसेस, सिक्सथ कांफ्रेंस आफ हेड्स आफ स्टेट्स आर गर्वनमेन्ट आफ नान एलाइन कन्ट्रीज हवाना, 3-9 सितम्बर, 1979, एडिटोरियल डी सियस सोशल्स, ला हबाना 1980 पेज 108

2- बंगलादेश आब्जर्वर ढाका 14 अप्रैल, 1977

3- बाजपेयी ए0बी0 इंडिया"स फारेन पालिसी-वर्ल्ड इज फेमिली, पेज 18

भारत दीर्घकाल से दक्षिण अफ्रीका के इस आन्दोलन का समर्थन कर रहा है । उसने कईमौकों पर इस दिशा में अपनी आवाज उठाई है । दो वर्ष पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी ने एक संदेश में कहा था कि नेल्सन मांडेला भारत की जनता और समूचे सभ्य विश्व के लिये मुक्त मानवीय चेतना का एक प्रतीक है ।[1]

दक्षिण अफ्रीका के विरूद्ध आर्थिक प्रतिबन्ध लगाने वाला भारत पहला देश है । 1974 में भारत ने डेविस कप टेनिस के फाइनल में दक्षिण अफ्रीका के साथ खेलने से इंकार कर दिया और सबका समर्थन प्राप्त किया ।

भारत के विदेश राज्य मंत्री श्री के0के0तिवारी ने संयुक्त राष्ट्रसंघ की साधारण सभा को सम्बोधित करते हुये दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ प्रतिबन्ध लगाने का फिर से आहवान करते हुये कहा कि यदि सत्ता का शान्ति पूर्ण हस्तानान्तरण अगर नहीं हुआ, तो दूसरा कोई भी विकल्प खून-खराबे का होगा । इस रंगभेदी सरकार के पीड़ितो की मदद के लिये गुट निरपेक्ष आन्दोलन में जिसमें भारत और बांगलादेश दोनों ही सक्रिय सदस्य है दो वर्ष पूर्व एक अफ्रीकी कोष का गठन किया है । इस कोष को 41 करोड़ 30 लाख डालर मिलने के वादे हो चुके हैं ।[2]

विश्व जनमत की अवहेलना कोई भी राष्ट्र अधिक समय तक नहीं कर सकता है । पिछले 74 वर्षों से दक्षिण अफ्रीका की गुलामी भुगत रहा नामीबिया एक अप्रैल, को आजाद हो रहा है[3] । संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 435 के तहत नामीबिया की स्वतन्त्रता दिये जाने की प्रक्रिया सुचारू रूप से प्रगति पर है । संयुक्त राष्ट्रसुरक्षा दल के सदस्य पहुँच चुके है और उन्होने निगरानी का काम शुरू कर दिया है इस दल में 20 देशों के 780 से अधिक सैनिक हैं । इनमें भारत के 21

---

1- नवभारत टाइम्स 18 जुलाई, 1988

2- नवभारत टाइम्स 1 सितम्बर, 1988

3- नवभारत टाइम्स 1 अप्रैल, 1989

सैनिक प्रेक्षक भी है अगले कुछ सप्ताहों के दौरान संयुक्त राष्ट्रशांति सेना के 4650 और जवान नामीबिया पहुच जायेंगे । नामीबिया में संयुक्त राष्ट्र शांति सेना की कमान एक भारतीय सैनिक अधिकारी जनरल प्रेमचन्द्र के हाथों में हैं । दोनों ही देशों ने अपनी वचनबद्धता का पूरा निर्वाह किया और अब ये देश वर्षों के शोषण से मुक्ति पानेमेंसफल हो रहे हैं ।

पश्चिम एशिया की समस्यायें - भारत और बांगलादेश

जबकि दक्षिण अफ्रीका में भारत और बांगलादेश उपनिवेशवाद और रंगभेद के घिनौने रूपों का विरोध कर रहा है वह पश्चिम एशिया की विस्फोटक स्थिति को सामान्य बनाने के लिये निरन्तर प्रयत्नशील है । भारत और बांगलादेश यह अनुभव करते हैं ईरान-ईराक युद्धों , अरब - इजराइल संघर्षों ने विश्व शान्ति के लिये गम्भीर चुनौती उत्पन्न कर दी है ।

श्री अटल बिहारी बाजपेयी ने संयुक्त राष्ट्र संघ में[1] फिलीस्तीनियों की समस्या के विषय में भारत के दृष्टिकोण को व्यक्त करते हुये कहा था कि इजराइल ने बलपूर्वक जिन क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया है उन्हें मान्यता नहीं दी जा सकती है । आक्रमण समाप्त होना ही चाहिये । यह भी आवश्यक है कि फिलीस्तीन के अरब लोगों को जिन्हें बलपूर्वक अपने घरों से उजाड़ दिया गया है, पुन: अपने देश में लौटने के अनपहरणीय अधिकार का उपयोग करने दियाजाय । इस क्षेत्र के सभी लोगों और राज्यों को अपने पड़ोसियों के साथ शांति और मेल-मिलाप से रहने का अधिकार है । इस भूखंड की समस्याओं के स्थायी समाधान के लिये यह आवश्यक शर्त है । इजराइल ने वेस्ट बैंक और गाजा में नयी बस्तियां बसाकर अधिकृत क्षेत्रों में जनसंख्या परिवर्तन करने का जो प्रयत्न किया है, संयुक्त राष्ट्र संघ को उसे पूरी तरह अस्वीकार एवं रदद कर देना चाहिये । यदि इन समस्याओं का समाधान नहीं होता तो इसके दुष्परिणाम इस क्षेत्र के बाहर भी फैल सकते हैं ।

---

22- बाजपेयी, ए0बी0 इंडिया"स फारेन पालिसी ए लेक्चरर आन 4 अक्टूबर 1977 इन यू0एन0ओ0 जनरल असेम्बली पेज 18.

बंगलादेश के राष्ट्रपति जियाउर रहमान ने पश्चिम एशिया की समस्या के विषय में कहा कि मध्यपूर्व में शक्ति केवल न्याय के द्वारा आ सकती है, युद्धों से नहीं जीती जा सकती है । उन्होंने कहा मध्यपूर्व में स्थायी शान्ति के लिये फिलीस्तीनियों के मौलिक अधिकारों की पुर्नस्थापना के अतिरिक्त अन्य कोई उपाय नहीं हो सकता है । सर्वप्रथम उन्हें अपनी मातृभूमि सौंप दी जाय, आत्म निर्णय, स्वतन्त्रता और राष्ट्रीय सार्वभौमिकता के अधिकार प्रदान किये जाय । पैलिस्टीन स्वाधीनता संगठन मांग कर रहा है । इजराइल को 1967 से पवित्र जेरूसलम शहर सहित सैन्य बल से विजित अवैधानिक ढंग से अधिकृत भूभाग को छोड़ देना चाहिये । हमारा विश्वास है कि तीन दशकों से चल रहे इस विवाद ने इस सम्पूर्ण क्षेत्र में तबाही मचा दी है और इन्हीं आधारों पर इस प्रचंण्ड समस्या का समाधान हो सकता है ।[1]

भारत और बांगलादेश ने इजराइल द्वारा लेबनान पर किये गये आक्रमण की भर्त्सना की । प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी और बांगलादेश के राष्ट्रपति जनरल इरशाद ने फिलीस्तीनियों की हत्याओं और उन पर किये जा रहे अत्याचारों को बन्द करने की अपील की तथा आशा की कि भविष्य में इस तरह के अमानवीय कृत्य नहीं दोहराये जायेंगे ।[1] जनरल इरशाद ने लेबनान की ताजी घटनाओं पर अपनी तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुये कहा कि यह संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र का खुल्लमखुल्ला उल्लंघन है । उन्होंने कहा मुझे पूरा विश्वास है कि भारत और बांगलादेश की जनता इस समय एक है । एक संयुक्त राष्ट्रसंघ के सदस्य राष्ट्र द्वारा खुला हुआ आक्रमण करके जुल्म ढाये जा रहे हैं । उन्होंने कहा कि इजराइल केवल संयुक्त राष्ट्रसंघ के चार्टर का ही उल्लंघन नहीं कर रहा है परन्तु यह तो उसका अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय के विरूद्ध ही आक्रमण माना जायेगा ।

अरब शान्ति योजना का स्वागत करते हुये ले० जनरल इरशाद ने कहा, " हमारे लोगों का विश्वास है कि जब तक पैलिस्टीनियन लोगों के अधिकारों

---

1- एड्रेसेस सिक्सथ कान्फ्रेंस आफ हेड्स आफ स्टेटस आर गर्वन्मेंट आफ नान एलाइन मूवमेंन्ट कन्ट्रीज हवाना 3-9 सितम्बर 1979 एडिटोरियल डी सीवियस सोशल्स लटारा 1980 पेज 107.

को स्वीकृति प्रदान नहीं की जाती है और उनकी भविष्य की सुरक्षा के लिये अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा गारन्टी नहीं दी जाती जब तक स्थायी शान्ति नहीं हो सकती है । उन्होने अरब शान्ति योजना को पूर्व सहमति देते हुये अभी हाल की राजा अब्दुल अजीज की अपील की पूरी सहमति प्रदान की । इस अपील में अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय से पेलिस्टीनियन और लेबनान के लोगों में पुर्नवास की व्यवस्था में सहयोग करने का आग्रह किया गया था । उन्होने कहा " हम लोग पैलिस्टाइन भाइयों को अपना पूरी तरह से सहयोग देने को तैयार रहेगें, जब तक उनका स्वतंत्र गृह स्थान प्राप्त नहीं हो जायेगा ।[1]

प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी ने फिलीस्तीनी मुक्ति संगठन के नेता श्री यासर अराफात को आश्वासन दिया है कि फिलीस्तीनी समस्या के हल के लिये भारत संगठन को पूरी मदद करेगा । राष्ट्रपति श्री वेंकटरमन ने फिलीस्तीन समस्या को हल करने के लिये संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वावधान में एक अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन में आयोजन पर भी बल दिया है, जिसमें फिलीस्तीनी मुक्तिसंगठन को भी शामिल किया जाना चाहिये । 9 मार्च,1989 को फिलीस्तीनी मुक्ति संगठन के नेता श्री यासर अराफात के सम्मान में आयोजित भोज में राष्ट्रपति ने फिलीस्तीनियों के स्वतंत्र राष्ट्र की घोषणा का स्वागत किया ।[1]

दक्षिण एशिया की समस्यायें और भारत और बांगलादेश की पहल --

अफगान समस्या -- वर्तमान समय में अफगान समस्या विश्व शान्ति और सुरक्षा के लिये सबसे बड़ी चुनौती के रूप में हैं । अफगानिस्तान की भू-राजनीतिक स्थिति ने भारत और बांगलादेश जैसे एशिया के विकासशील देशों के लिये एक गम्भीर चिन्ता पैदा कर दी है क्योंकि कई वर्षों से अफगानिस्तान विश्व की महाशक्तियों की कूटनीति

---

1- नवभारत टाइम्स, 11 मार्च, 1989

का अखाड़ा बनाहुआ है । इसलिये दोनों ही देश बड़ी सतर्कतासे अफगान समस्या के प्रति अपने कूटनीतिक प्रयासों को व्यक्त करते रहे ।

जब बांगलादेश के राष्ट्रपति जियाउर रहमान दो दिन की यात्रा पर दिल्ली पधारे, उन्होंने श्रीमती गांधी से भी बात-चीत की । दोनों नेताओं ने अफगानिस्तान ईरान् और भारतीय उपमहाद्वीप की ताजा स्थिति पर भी विचार विमर्श किया ।[1]

भारत के विदेश सचिव ऐरिक गोन सलवेद भारत की पहल पर ढाका की यात्रा पर गये । उन्होंने अफगान समस्या सहित अन्य क्षेत्रीय समस्याओं पर विचार-विमर्श किया ।[2]

अफगानिस्तान के सम्बन्ध में मि0 राव ने भारत की स्थिति स्पष्ट करते हुये कहा कि हमारा देश बिना किसी सन्देह के किसी भी देश में विदेशी सैनिकों की उपस्थिति के विरूद्ध है । उन्होंने कहा कि भारत की यह अहस्तक्षेप की नीति अफगानिस्तान सहित सभी देशों के लिये है, जहां पर विदेशी हस्तक्षेप चरम सीमा पर है ।[3]

बंगलादेश के विदेशमंत्री हुमायूँ रशीद चौधरी ने काठमांडू में दक्षेस के शिखर सम्मेलन के अवसर पर अपने भाषण में अफगानिस्तानासे विदेशी सैनिकों की वापसी की मांग की थी ।[4] भारत और बांगलादेश ने अफगान समस्या के सम्बन्ध में विदेशी हस्तक्षेप के सम्बन्ध में सदैव गहरी चिन्ता व्यक्त की है । अफगानिस्तान की सत्तरूढ़ पीपुल्स डेमोक्रेटिक पाटी की केन्द्रीय समिति के सचिव नजमुद्दीन कावयानी ने आल इंडियन सेंटर फार रीजनल अफेयर्स द्वारा आयोजित एक सभा में अफगान समस्या पर भारत सरकार की नीतियों की सराहना की ।[5]

---

1- इंडियन एक्सप्रेस दिल्ली 22 जनवरी, 1980

2- स्टेट्समैन दिल्ली, 19 फरवरी, 1980

3- वही

4- नवभारत टाइम्स 9 जनवरी, 1989

5- वही , 9 जनवरी, 1989

अफगान समस्या के सम्बन्ध में होने वाले जेनेवा समझौते भारत-बांगलादेश सहित विश्व के सभी शान्तिप्रिय देशों द्वारा स्वागत किया गया किन्तु अफगान समस्या के बारे में यह सत्य है कि भारत अन्तर्राष्ट्रीय मंचों से अफगानिस्तान में रूसी फौजों की उपस्थिति के बारे में उतनी जोरदारी से विरोध प्रकट नहीं कर सका है, जितना कि बांगलादेश ने किया है । एशिया को ही नहीं वरन् वर्तमान समय की विश्व की-इस विराट समस्या के बारे में बांगलादेश की नीति जितनी अधिक स्पष्ट एवं सुदृढ़ रही है भारत की नीति उतनी ही अधिक कमजोर और अस्पष्ट, क्योंकि कूटनीतिक विवशताओं से घिरा होने के कारण भारत अपने घनिष्ठ मित्र सोवियत संघ की नीतियों को चुनौती कैसे दे सकता था?।[1]

किन्तु भारत कह रहा है कि उसने अफगानिस्तान में रूस की मौजूदगी का कभी समर्थन नहीं किया है, विदेश राज्यमंत्री नटवर सिंह कहते हैं, " 1980 में तत्कालीन सोवियत विदेश मंत्री जब भारत आये थे, तो श्रीमती गांधी ने उन्हें साफ-साफ बता दिया था कि भारत इस कार्यवाही के खिलाफ है, हम दूसरे मौकों पर भी यह बात बता चुके है, पर अफगानिस्तान में सोवियत संघ की मौजूदगी पर भारत का विरोध चूंकि निजी स्तर की वार्ताओं में ही जताया गया था इसलिये अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर यह कोई साख कायम नहीं कर पाया है ।[2] अफगान के मसले पर भारत सरकार की पोशीदा कूटनीति की वजह से ही सोवियत संघ अमेरिका और काबुल की नजीबुल्ला सरकार उसकी भूमिका की तारीफ करती है ।[3]

## श्री लंका की जाती समस्या : भारत और बांगलादेश

श्री लंका की जातीय समस्या ने जब इतना विकराल रूप धारण कर लिया कि स्थिति वहां की सरकार के नियंत्रण के बाहर हो गयी । यह श्रीलंका के इतिहास

---

1- इंडिया टूडे 30 जून 1988. ए स्पेशल इन्टरव्यू बाइ सिंह रविन्दर पेज 68

2- इंडिया टूडे 31 मार्च, 1988, बाइ दिलीप बार्बी और इन्द्रजीत बधवार, पेज 57

3- वही

स्टाकहोम में 21 जनवरी, 1988 को शान्ति और निरस्त्रीकरण पर छह देशों के तीसरे शिखर सम्मेलन के खुले अधिवेशन को सम्बोधित करते हुये भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने अमेरिका और सोवियत संघ से कहा कि वे मध्यम दूरी के परमाणु हथियारों में कटौती करने सम्बन्धी समझौतें में समयबद्ध परमाणु निरस्त्रीकरण की प्रक्रिया को शामिल करें। राष्ट्रपति रीगन और श्री गोर्बाचौफ द्वारा हस्ताक्षरित संधि को सिर्फ एक छोटा सा कदम बताते हुये श्री गांधी ने दोनों महाशक्तियों से अनुरोध किया कि परमाणु निरस्त्रीकरण की प्रक्रिया में तीन अन्य परमाणु शक्तियों ब्रिटेन, फ्रांस और चीन को भी शामिल किया जाय। उन्होने कहा कि इस संधि में परमाणु हथियारों के एक बहुत ही कम हिस्से को शामिल किया गया है। अभी 97 प्रतिशत परमाणु हथियार इस सन्धि की परिधि से बाहर है।[1]

श्री गांधी ने कहा कि हम चाहते हैं कि अन्तर्राष्ट्रीय सुरक्षा का कारगर ढांचा ऐसा होना चाहिये, जिसमें विध्वंसकारी सिद्धान्तों के लिये कोई स्थान न हो। श्री गांधी ने कहा कि हालांकि विश्व की निकट भविष्य में परमाणु हथियारों से मुक्त कराए जाने के आसार नहीं दिखाई देते लेकिन हमें इस दिशा में अभी से विचार करना होगा, क्योंकि हम ऐसा विश्व देखना चाहेगें जिसमें परमाणु हथियार कतई न हो।[2]

बांगलादेश और भारत के विदेश मंत्रियों ने निकोसिया निर्गुट देशों के विदेशमंत्रियों के सम्मेलन में भाग लेते हुये सभी प्रकार के परमाणु हथियारों को खत्म करने के लिये समय बद्ध कार्यक्रम तैयार करने की आवश्यकता पर बल दिया। परमाणु निरस्त्रीकरण की प्रक्रिया में परमाणु शक्ति युक्त अन्य देशों को शामिल किये जाने का आहवान भी किया गया। विश्व के अन्य नेताओं ने परमाणु मुक्त तथा अहिंसक

---

1- नव भारत टाइम्स, 27, जनवरी, 1988.

2- वही.

शस्त्रीकरण की समस्या – भारत और बांगलादेश :-

विश्व में शस्त्रीकरण की प्रतिस्पर्धा ने ऐसे आणविक आयुधों के अम्बार को लगा दिया है कि ये विनाश का शस्त्र इस फलती-फूलती मानव सभ्यता को एक या दो बार नहीं अपितु सैकड़ों बार राख के ढेर में बदल सकते हैं । भारत बांगलादेश जैसे विश्वशान्ति और सह-अस्तित्व में आस्था रखने वाले देश निरस्त्रीकरण में निरन्तर अपनी आस्था व्यक्त करते चले आ रहे हैं । भारत सदा से ही आणविक अस्त्रों की प्राप्त करने और इन्हें विकसित करने का विरोधी रहा है । सच तो यह है कि भारत पहला देश था जिसने संयुक्त राष्ट्र में 20 वर्ष पहले समस्त आणविक अस्त्रों के परीक्षण पर रोक लगाने का मसला उठाया था । भारत न तो आणविक शस्त्र शक्ति है और न बनना चाहता है । प्रधानमन्त्री मोरार जी देसाई ने कहा कि यदि विश्व के अन्य सभी देश आणविक अस्त्र बनाने लगे तब भी भारत आणविक अस्त्रों को बनाने के लिये तैयार नहीं होगा । भारत ने अणु अस्त्रों के फैलाव को रोकने वाली संधि (एन0पी0टी0) पर हस्ताक्षर नहीं किये है, क्योंकि यह एक असमान और भेदमूलक संधि है ।[1] इसी तरह बांगलादेश ने निरस्त्रीकरण के सम्बन्ध में शस्त्रीकरण का हमेशा विरोध किया है । बांगलादेश के राष्ट्रपति जियाउर रहमान के गुट निरपेक्ष आन्दोलन के सम्मेलन में अपने देश की निरस्त्रीकरण नीति को स्पष्ट करते हुये कहा था, कि अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और व्यवस्था बनाये रखने के लिये निरस्त्रीकरण की दिशा में कदम बढ़ाने के अतिरिक्त अन्य कोई सामरिक नीति नहीं हो सकती है । उन्होने कहा कि यह हमारा दृढ़ विश्वास है कि समस्त आणविक अस्त्रों को समाप्त किये बिना स्थायी शान्ति नहीं हो सकती है । आणविक एवं अन्य विनाशकारी अस्त्रों की परिसीमन की दिशा में ऐसे प्रयास होने चाहिये जिससे जनमानस की बर्बादी से बचाने के लिये विश्वास भरे वातावरण का सृजन करके तनाव को कम किया जा सके ।[2]

---

1- ए स्पीच गिवेन बाइ फारेन मिनिस्टर मि0 ए0बी0बाजपेयी इन यू0एन0ओ0 जनरल असेम्बली आन 4 अक्टूबर, 1977-- इंडिया"स फारेन पालिसी बाइ ए0बी0 बाजपेयी ।

2- एड्रेस, सिक्सथ कांग्रेस आफ हेड्स आफ स्टेट्स आफ गर्वन्मेंट आफ नान एलाइन कंट्रीज हवाना 3-9 सितम्बर, 1979 एडिटोरियल डीसियस सोशल्स ला हवाना, 1980, पेज 108

विश्व की स्थापना के लिये भारत की कार्य योजना की सराहना की । प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने यह कार्य योजना निरस्त्रीकरण पर संयुक्त राष्ट्र के विशेष अधिवेशन में रखी थी ।[1]

बांगलादेश तत्कालीन विदेशमंत्री एवंन्यायाधीश मि0 अबू सैयीद चौधरी ने कहा कि बांगलादेश को शान्तिमय पर्यावरण की आवश्यकता है, बांगलादेश आणविक शक्ति का प्रयोग शांन्तिपूर्ण कार्यों जैसे औद्योगिक विकास के लिये होना चाहिये । बांगलादेश भी भारत की तरह संयुक्त राष्ट्र संघ के ढांचों के अन्तर्गत पूर्व नि:रस्त्रीकरण के पक्ष में है ।[2]

कम्पूचिया समस्या ﴾ कम्बोडिया ﴿
---------------------------

भारत और बांगलादेश ने कम्पूचिया समस्या के प्रति अपना समान दृष्टि कोण रखते हुये विदेशी हस्तक्षेप की सदैव भर्त्सना की है और समस्या के शान्तिपूर्ण समाधान के लिये दोनों देश मांग करते रहें । भारत के विदेश मंत्री मि0 पी0वी0 नरसिम्हाराव[3] ने संयुक्त राष्ट्र संघ में कम्पूचिया के मामले पर अपनी प्रतिक्रिया के व्यक्त करते हुये कहा कि दक्षिण-पूर्व एशिया की समस्याओं के शान्तिपूर्ण समाधान के लिये भारत ने सदैव रचनात्मक प्रयास किये हैं । उन्होने कहा कि कम्पूचिया की जनता को यह विश्वास दिलाना चाहिये कि उन पर पुन: भय और आतंक का राज्य नहीं थोपा जायेगा । उन्होने पोल पोट प्रतिनिधि मंडल की साधारण सभा में उपस्थिति पर आपत्ति की कि यह तो बड़ी विडम्बना की बात है कि जिसने इतने अत्याचार किये हो, वह आज यहां पर उपस्थित है । यह संयुक्त राष्ट्र संघ की भावनाओं के विरूद्ध है ।

---------------------------

1- नवभारत, 13 सितम्बर, 1988

2- बांगलादेश आब्जर्वर, ढाका, 5 अक्टूबर, 1975

3- इंडिया"स डिजायर्स स्ट्रांग सेल्फ रेलियन्ट नेबर्स, पैट्रियाट, 29-9-81

में उसकी एकता अखंडता एवं सार्वभौमिकत सत्ता के लिये सबसे बड़ी चुनौती थी । यह श्रीलंका के राष्ट्रपति जयवर्धने की कूटनतिक दूरदर्शिता ही थी जिन्होने अपने देश की एकता के लिये अपने निकटतम पड़ोसी देश से इस आन्तरिक मामले में सहयोग करने के लिये आमंत्रित किया । 29 जुलाई, 1987 को भारत तथा श्रीलंका ने एक बेमिसाल समझौते पर हस्ताक्षर किये ।[1] जिसका उद्देश्य इस देश में पिछले चार वर्षों से चल रहें जातीय संघर्ष को समाप्त कर शांति तथा राष्ट्रीय सहमति कायम करना और द्विपक्षीय सम्बन्धों में एक नया युग शुरू करना है ।

राजेन्द्र माथुर भारत-श्रीलंका समझौता बांगलादेश के बाद इस उपमहाद्वीप की सबसे बड़ी घटना बताते हैं, लेकिन कोलम्बो समझौते से भारत ने श्रीलंका को जोड़ा है । पाकिस्तान टूटा था, क्योंकि जुल्म और जर्बदस्ती के अलावा अपने देश को एक रखने का कोई तरीका पाकिस्तान की फौजी तानाशाही खोजना ही नहीं चाहती थी । श्रीलंका जुड़ा है, क्योंकि ( भारत की तरह ) एक लोकतन्त्र होने के नाते वह यह चाहता है कि जुल्म और जबर्दस्ती से कोई देश एक नहीं रह सकता है ।[2]

जहां तक श्री लंका की जातीय समस्या के समाधान में भारतीय उपस्थिति का प्रश्न है, इसको पाकिस्तान ने अवश्य भारत को साम्राज्यवादी, एवं विस्तार वादी की संज्ञा देकर उसको बदनाम करने का प्रयास किया है, किन्तु दक्षिण एशिया के भूटान, मालद्वीप, नेपाल और बांगलादेश के राष्ट्राध्यक्षों ने इसका स्वागत किया है ।

बांगलादेश के राष्ट्रपति मि0 इरशाद ने श्रीलंका की जातीय समस्या के समाधान के लिये भारत-श्रीलंका समझौते द्वारा किये जा रहे प्रयासों का समर्थन किया तथा आशा व्यक्त की कि श्री लंका की जातीय हिंसक घटनाओं की समाप्ति द्विपक्षीय बात-चीत के द्वारा हो जायेगी ।[3]

---

1- नवभारत टाइम्स, 31 जुलाई, 1987

2- वही, ए ग्रेट इन्सिडेन्ट आफ्टर बांगलादेश, बाइ राजेन्द्र माथुर

3- हिन्दुस्तान टाइम्स , 20 अगस्त, 1983

किन्तु कम्पूचिया से वियतनामी सेनाओं की वापसी पर आपत्ति है । वियतनाम ने घोषणा की है, भारत, कनाडा, पोलैण्ड आदि देशों के निरीक्षण में उसकी फौजों की वापसी होगी, लेकिन चीन चाहता है कि यह वापसी संयुक्त राष्ट्र संघ की छत्र-छाया में हो ।[1]

30 अप्रैल, 1989 का संविधान में संशोधन करके देश का नाम फिर से कम्बोडिया कर दिया गया है । कुछ दिनों पहले तक सिंहानूक इस बात पर जोर दे रहे थे कि कम्पूचिया से वियतनामी सेनाओं की वापसी संयुक्त राष्ट्र शान्ति रक्षक दल की मौजूदगी में होनी चाहिये । अब उन्होने यह मांग छोड़ दी है जिसका भारत ने स्वागत किया है ।[2]

भारत और बांगलादेश दोनों गुट निरपेक्ष राष्ट्र कम्पूचिया में शान्तिपूर्ण ढंग एक जनप्रिय सरकार के पक्ष में हैं तथा वह सरकार किसी विदेशी शक्ति के प्रभाव से मुक्त होनी चाहिये ।

विकासशील देशों के लिये आर्थिक विपन्नता की समस्या --

भारत-बांगलादेश सहित विश्व को बहुत बड़ी जनसंख्या आज भी गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा और नाना प्रकार के रोगों की शिकार है । आज मानवता पर इससे बड़ा अन्य कोई कलंक नहीं हो सकता है कि विश्व की दो तिहाई जनता आज की अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम नहीं है ।

श्री बाजपेयी ने " भारत की विदेश नीति " में लिखा है कि हम विकास मान देश इस बात की अवश्य मांग करते हैं कि अन्तर्राष्ट्र्य व्यापार और आर्थिक लेन-देन में न्याय और औचित्य हो । हम एक नई अन्तर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की

---

1- नवभारत टाइम्स 8, अप्रैल, 1989

2- वही, 4 मई, 1989

अपेक्षा करते हैं । जिसमें सदा से कमजोर और निर्धन राष्ट्रों को अपनी क्षमता का उचित पारिश्रमिक पाने का अवसर प्राप्त हो । यह ऐसी व्यवस्था होनी चाहिये जिसमें श्रम द्वारा उत्पादित माल और उसकी सेवाओं के प्रवेश पर कृत्रिम बन्धन न हो ।[1]

विकासशील देशों की वर्तमान दीन-हीनता की स्थिति पर भारत के विचारों का समर्थन करते हुये बांगलादेश के राष्ट्रपति जियाउर रहमान ने गुट निरपेक्ष आन्दोलन के सम्मेलन में स्पष्ट रूप से कहा था, कि विश्व की निर्धनता से छुटकारा पाने के लिये विकासशील देशों के सभी प्रकार के सहयोग की आवश्यकता है । मि० रहमान ने कहा कि विगत 25 वर्षों में विश्व के राजनीतिक क्षितिज पर नाटकीय परिवर्तन हुये हैं । उपनिवेशवाद का युग लगभग समाप्त होने को हैं । हम लोग राजनीतिक स्वतन्त्रता तो प्राप्त करने में सफल हो गये है, लेकिन जैसा कि हम लोगों का अनुमान था कि राजनीतिक स्वाधीनता के साथ ही हमारी आर्थिक प्रगति और समृद्धि भी प्राप्त होकर रहेगी किन्तु यह कल्पना हम सब की निराधार हो गयी । लेकिन आज विश्व की बहुत बड़ी आबादी की भुखमरी को दूर करने के लिये प्रयास करने होगें क्योंकि लाखों भूखे लोग अधिक समय तक इंतजार नहीं कर सकते हैं ।[2]

जियाउर रहमान ने आगे कहा कि एल्जियर्स समिति में विकासशील देशों ने नयी आर्थिक अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था के लिये विश्व स्तर पर बहुमुखी सम्मेलनों के माध्यम से जोरदार मांग उठाई थी ।

अन्तर्राष्ट्रीय मंचों संयुक्त राष्ट्र संघ, गुट निरपेक्ष आन्दोलन, राष्ट्रमंडल, और दक्षेस के सम्मेलनों में भारत और बांगलादेश संयुक्त रूप से विश्व में व्याप्त आर्थिक संकट की चुनौती का सामना करने तथा विश्व कल्याण के लिये विकासशील देशों से आर्थिक समानता और समृद्धि के लिये निरन्तर मांग की है । जिससे नयी

---

1- बाजपेयी, ए०बी०, भारत की विदेश नीति पेज 32-33.

2- एड्रेस सिक्सथ कान्फ्रेंस आफ हेड्स आफ स्टेटस आर गर्वन्मेन्ट्स आफ नान एलाइन कन्ट्रीज हवाना, 3-9 सितम्बर, 1979, एडिटोरियल डीसिय एन सियस, सोशल्स ला हवाना, 1980 पेज 109-110.

अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था के अन्तर्गत आर्थिक विपन्नता के कारण बिलखती हुयी आज की मानवता जाति सुख, शान्ति एवं अमन से जी सके ।

## हिन्द महासागर की सुरक्षा की समस्या --

### महाशक्तियों की प्रतिस्पर्धा --

विश्व राजनीति में हिन्दमहासागर का विशिष्ट महत्त्व है । भौगोलिक दृष्टि से हिन्दमहासागर 10,400 कि0मी0 लम्बे और 1,600 कि0मी0 चौड़े क्षेत्र में फैला हुआ है । इस विशाल जल क्षेत्र में सामरिक दृष्टि से अनेक महत्वपूर्ण द्वीप मेडागास्कर, मारीशस, अंडमान निकाबार, मालद्वीप आदि बसे हुये हैं । हिन्द महासागर का जल एशिया, अफ्रीका एवं आस्ट्रेलिया के तटों को छूता है भारत के समस्त जल मार्ग हिन्द महासागर में होकर गुजरते हैं । हिन्द महासागर ही भारत को दक्षिण पूर्वी एशिया , अफ्रीका और आस्ट्रेलिया से जोड़ता है ।

द्वितीय महायुद्ध की समाप्ति के बाद हिन्द महासागर तटवर्ती क्षेत्रों से ब्रिटेन का प्रभुत्व समाप्त होने लगा, किन्तु कुछ ही समय में हिन्द महासागर महाशक्तियों की प्रतिस्पर्धा के केन्द्र बन गया । हिन्द महासागर में शक्ति प्रदर्शन से इस क्षेत्र के सभी देशों के लिये एक गम्भीर खतरा पैदा हो गया है ।

संयुक्त राज्य अमरीका ने दियागो गार्शिया पर नौ-सैनिक जहाजों द्वारा हिन्दमहासागर में 18 बार घुसपैठ की । 1978 के बाद से अमरीका के पांच गश्ती जहाजों ने हिन्द महासागर में स्थायी रूप से चक्कर लगाना प्रारम्भ कर दिया है। 28 अप्रैल, 1980 को विमान वाहक जहाज कंस्टलेशन तथा 6 सहायक युद्धक जहाजों के हिन्द महासागर में पहुंच जाने से इस क्षेत्र में अमरीका के 34 नौ सैनिक जहाज हो गये हैं । हिन्द महासागर में गश्त करने के लिये 40-50 नौसैनिक जलपोतों का पांचवां बेड़ा , जो नाभिकीय अस्त्रों से सम्पन्न होगा, तैयार किया जा रहा है।

सूर्यकान्त बाली का मत है कि यदि भारत के विदेश राज्यमंत्री नटवर सिंह के बयान पर विश्वास किया जाय, तो हिन्द महासागर में वर्तमान समय में अमरीका के 71, रूस के 40, फ्रांस के 33 और ब्रिटेन के 18 पोत घूम रहे हैं । चीन भी

किसी न किसी रूप में वहाँ नजर रखता है । लेकिन हिन्द महासागर में अमरीकी दखलंदाजी का कोई जबाब नहीं । फ्रांस और ब्रिटेन के पोत अंततः उसी की सहायता करते हैं । मारीशस की डिएगो गार्सिया पाने की हर कोशिश अब तक असफल हुयी है । वहाँ अमरीका का नौसैनिक और हवाई अड्डा कायम है जिसकी सहायता से वह होरमुज की खाड़ी से लेकर मलक्का के जलडमरूमध्य तक अपनी दृष्टि बनाये रखता है ।[1]

हिन्द महासागर में अमरीका, सोवियत संघ और चीन की दिलचस्पी इस क्षेत्र में तनाव और स्पर्धा को बड़ी तीव्र गति से बढ़ा रही है । भारत हिन्द महासागर के लगभग बीच में है । इसको समुद्र को तीन ओर से घेर रखा है । राजनीतिक और सामरिक हितों का हिन्दमहासागर से प्राचीन काल से घनिष्ठ सम्बन्ध रहा है । पिछले दो तीन दशकों से भारत अपने तेल शोधक के अनेक कार्यक्रम भी समुद्री तटीय इलाकों में चला रहा है । इन सब कारणों से भारत नहीं चाहता कि हिन्दमहासागर कभी उसके लिये समस्या बने । इसलिये भारत ने उस विशाल जल प्रांगण को महाशक्तियों का टकराव केन्द्र बनना कभी पसन्द नहीं किया । पिछले करीब दो दशकों से भारत ने कभी अकेले और कभी बांगलादेश, श्री लंका के साथ मिलकर संयुक्त राष्ट्रसंघ एवं गुटनिरपेक्ष आन्दोलन में हिन्द महासागर को शान्ति क्षेत्र बनाये रखने की माँग की है । भारत और बांगलादेश ने हिन्दमहासागर को शांति क्षेत्र घोषित करने के लिये अन्तर्राष्ट्रीय मंचों से निरन्तर माँग की है । जब भारत के विदेशमंत्री सरदार स्वर्ण सिंह 13 फरवरी 1974 को ढाका की राजकीय यात्रा पर गये । उन्होने बांगलादेश के विदेशमंत्री डा० कमाल हुसैन से विश्व की समस्याओं पर द्विपक्षीय बात-चीत की । दोनों पक्षों ने सुयुक्त राष्ट्रसंघ की महासभा द्वारा हिन्दमहासागर को शान्ति क्षेत्र घोषित करने पर भी अमेरिका, और ब्रिटेन द्वारा निरन्तर नाविक सैनिक अड्डों के विस्तार पर गहरी चिन्ता व्यक्त की और कहा कि हिन्दमहासागर महाशक्तियों की प्रतिस्पर्धा से मुक्त हो

---

1- नवभारत टाइम्स, न्यू दिल्ली, 14, नवम्बर, 1988.

2- वही.

कर शान्त क्षेत्र घोषित होना चाहिये ।[1]

इसी आशय का विचार व्यक्त करते हुये भारत और बांगलादेश के प्रधानमंत्रियों ने डियागो गार्शिया द्वीप पर सैनिक नाविक शक्ति के निरन्तर विस्तार के सम्बन्ध में गहरी चिन्ता व्यक्त की है और महाशक्तियों की हिन्द महासागर में बढ़ रही सैनिक प्रतिस्पर्धा को अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा के विरूद्ध करार दियाँ तथा यह आशाव्यक्त भीं कि विश्व की महाशक्तियां संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा के चार्टर का सम्मान करते हुये हिन्द महासागर के तटीय राज्यों की इच्छाओं का भी सम्मान करेंगी ।[2]

भारत और बांगलादेश ने संयुक्त राष्ट्र संघ, गुट निरपेक्ष आन्दोलन एवं सार्क की बैठकों में एक स्वर से हिन्द महासागर को शान्ति क्षेत्र घोषित करने की जोरदार मांग की है । दक्षिण एशिया के इन देशों की मांग का प्रभाव भी हुआ है जैसा कि दिलीप मुखर्जी लिखते है[3] कि वाशिंगटन और मास्को, 1970 से जून 1987 के बीच चार दौर की बात कर चुके हैं । और तनाव शैथिल्य का एक नया युग शुरू हुआ है । भारत को भी इस सम्बन्ध में आशान्वित रहना चाहिये और इसके लिये सहयोग भी देना होगा ।

आधुनिक विश्व समस्याओं के प्रति भारत और बांगलादेश के दृष्टिकोण प्राय: समरूप रहे हैं, क्योंकि दक्षिण एशिया के ये दोनों ही विकासशील देश आन्तरिक एवं बाहय शान्ति और सुरक्षाके पक्षधर है । दोनों देशों को राष्ट्रीय हितों की मांग है, कि विश्व में तनाव शैथिल्य का वातावरण उत्पन्न हो, कोई भीं भी बाहय शक्ति किसी भी अन्यदेश की आन्तरिक व्यवस्थाओं में हस्तक्षेप करने का साहस न कर सके तभी जिससे स्वतन्त्र विदेश नीति का अविलम्बन करके विश्व शान्ति एवं सुरक्षा एवं आर्थिक विकास में सहयोगी बन सके ।

---

1- एशियन रिकार्डर, मार्च 12-18, 1974
2- वही, फरवरी, 26, मार्च4, 1981 वाल 27 नं09 पेज 15903 कालम ।
3- द टाइम्स आफ इंडिया, 2 फरवरी, 1988. न्यू दिल्ली- इंडियन ओसियन जोन नीड्स रिथिंकिंग, बाइ दिलीप मुकर्जी ।

# अष्टम परिच्छेद

## भारत और बांगलादेश के घनिष्ठ मैत्री सम्बन्धों के लिये स्थितियां

## दोनों देशों के लिये आन्तरिक एवं बाह्य-शान्ति एवं सुरक्षा की आवश्यकता

आज लगभग सम्पूर्ण एशिया अशान्ति, अराजकता और अव्यवस्था के भयानक रोग से पीड़ित लग रहा है । जबकि एशिया के प्राय: सभी देश विकासशील है । आज एशिया का कोई भी देश पाश्चात्य देशों की तुलना में कृषि उद्योग, शिक्षा और वैज्ञानिक क्षेत्रों में आत्मनिर्भर नहीं है और एशिया में दक्षिण एशियाई देश भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, बांगलादेश, भूटान, मालद्वीप और यदि कुछ भूगोलवेत्ताओं के कहने पर अफगानिस्तान को भी ले लें तब तो यह सभी देश घोर आन्तरिक कलह और अपनी-अपनी सीमाओं पर व्याप्त बाह्य असन्तोष के शिकार हैं । जैसे भारत की सार्वभौमिक सत्ता के लिये पंजाब समस्या ने एक चुनौती खड़ी कर दी है, कश्मीर की घाटी पुन:ज्वालामुखी की तरह धधकने लगी है । बाह्य सीमाओं पर भी पाकिस्तान और चीन की मिलीभगत कभी भी संकट पैदा कर सकती है क्योंकि इन देशों के सम्बन्धों का पुराना इतिहास अविश्वास और सन्देहों से भरा है । आज भले ही भारत-पाकिस्तान और भारत-चीन के बीच कूटनीतिक वार्तायें गतिशील दिखाई पड़ रहीं हों । इसी प्रकार श्रीलंका की जातीय समस्या आज सम्पूर्ण एशिया के लिये सिर-दर्द बन रही है । भारत ने दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा पड़ोसी देश होने के नाते श्रीलंका के आह्वान पर उसकी अखण्डता की रक्षा के लिये अपनी शांति सेना भेजी और बदली हुयी राजनैतिक परिस्थितियों में श्रीलंका के राष्ट्रपति ने भारत के लिये शान्ति सेना की वापसी को लेकर एक संकट पैदा कर दिया है। मालद्वीप में मि० गयूम का तो तख्तापलट ही दिया था यदि भारत की सेनाओं ने अपनी तत्परता का परिचय न दिया होता । पाकिस्तान भी अपनी आन्तरिक विघटनकारी शक्तियों से परेशान है । बलूचिस्तान एवं पख्तूनिस्तान की मांगो को लेकर प्राय: हिंसक घटनायें होती रहती है । भारत और बांगलादेश का निकटतम पड़ोसी देश नेपाल में भी आन्तरिक असन्तोष व्याप्त है । नेपाल में भी राजतंत्र के विरोध में लोकतंत्र की मांग उठती रहती है । भारत से भी उसके रिश्ते आजकल काफी बिगड़े चल रहे हैं । फिर अफगानिस्तान तो सम्पूर्ण एशिया की शान्ति एवं सुरक्षा के लिये एक चुनौती बन गया है । लगभग दस वर्ष से विश्व की महाशक्तियों का रणक्षेत्र बना हुआ है । भारत एवं उसके पड़ोसी देशों के लिये अफगान समस्या कभी भी संकट पैदा कर सकती है ।

फिर जहाँ तक बांगलादेश का सवाल है वहाँ पर भी भारत विभाजन के समय से ही कलह और प्रतिशोध का वातावरण बना हुआ है । प्राकृतिक विपदाओं और आन्तरिक असन्तोष ने उस देश की अर्थव्यवस्था को भी पंगु बना दिया है ।

1971 के स्वाधीनता आन्दोलन की सफलता से यह अनुभव होने लगा था कि बांगलादेश में लोकतान्त्रिक संस्थाओं के माध्यम से शान्ति एवं सुरक्षा का वातावरण बनेगा और देश का योजनाबद्ध विकास सम्भव हो सकेगा किन्तु शेख मुजीब की हत्या से राजनीतिक प्रेक्षकों की सभी आशाओं पर पानी फिर गया । उसके बाद से ही हिंसक खूनी घटनाओं में खाण्डेकर एवं जिया-उर-रहमानको भी अपनी जान से हाथ धोना पड़ा । आज जनरल इरशाद अनेकों दाँव-पेंच चलाने के बावजूद देश में शान्ति एवं व्यवस्था का वातावरण बनाये रखने में असफल हो चुके हैं ।

अतः भारत और बांगलादेश के लिये अपनी एकता अखण्डता एवं आर्थिक प्रगति के लिये आन्तरिक शान्ति एवं बाह्य सुरक्षा की एक मिली-जुली आवश्यकता है । यदि दोनों देश आपसी मैत्री भाव से अपनी अपनी आन्तरकि एवं बाह्य समस्याओं का समाधान करने में सफल रहते हैं तब तो यह बहुत बड़ी उपलब्धि होगी क्योंकि आज दोनों देशों के सामने बड़ी-बड़ी आन्तरिक एवं बाह्य समस्यायें मौजूद हैं । जैसे :-

भारतीय सुरक्षा के लिये आन्तरिक -बाह्य समस्यायें -

## पंजाब समस्या

पंजाब इस समय तलवार की धार पर खड़ा है । आज पंजाब में वही हालात हैं जो अफगानिस्तान में चार साल पहले थे । यह पूरी तरह अलगाववादी आन्दोलन बनता जा रहा है । कट्टर गुटों का यही मकसद दिखता है कि पंजाब को कम जोर करते जाओ और भारत-पाक लड़ाई के दौरान खालिस्तान बना दो । हथियारबंद उग्रवादियों की संख्या अब 2000 से 3000 के बीच आंकी जाती है, जो इस साल के अंत तक तीन गुनी हो सकती है । और उधर अफगानिस्तान में अमन-अमान की सम्भावनाओं से ए के-47 राइफलों का दाम 26,000 रूपये से गिरकर 16,000 रूपये पहुंच गया है । इसलिये सीमा के पार से पंजाब में इनकी तस्करी

---

बढ़ गयी है ।[1]

और अब सिर्फ दमदमी टकसाल, सिख छात्र फेडरेशन, खालिस्तान कमांडो फोर्स वगैरह ही पंजाब के उग्रवादी गुट नहीं है । खुफिया रिपोर्ट के अनुसार अब कई नये-नये गुट पैदा हो गये हैं । ये जगह-जगह पर हिंसक वारदातें कर रहे हैं । बेरोजगार बंदूकधारी युवक, जिनमें बहुतेरे किशोर हैं जो मनमर्जी से लूटते-खसोटते हैं । आपसी दुश्मनी के मामले निपटाने के लिये भाड़े पर हत्यायें करते हैं । फरवरी में अमृतसर के पास खलेरा खालड़ा गांव में सुजीत कौर के परिवार के 9 सदस्यों का सफाया 15 साल के लड़कों ने किया था ।[2]

रमिंदर सिंह[3] अपनी रिपोर्ट में लिखते हैं कि 1980 से 1986 तक पंजाब को छोड़कर आतंकवादियों ने पूरी दुनिया में 4,000 लोगों की हत्यायें की और पंजाब में राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद पिछले एक साल में तकरीबन 2000 बेगुनाह लोग आतंकवादियों की गोलियों का निशाना बने । इस साल की शुरुआत के साढ़े तीन महीने के दौरान करीब 750 लोगों को मौत के घाट उतार दिया । सरकारी दस्तावेजों के मुताबिक लगातार बढ़ते हुये इन हमलों में चीन की बनी ए.के.-47 राइफलों से आतंकवादियों ने एक पखवाड़े में 115 निर्दोषों की जानें लीं ।

विपुल मुद्गल कहते हैं कि परिवार के परिवार खत्म करने वाली सामूहिक हत्यायें होती रहीं । जिंदगी जैसे लाशों की गिनती का खेल बन गयी ।[4] जरनैल सिंह भिंडरावाले जो अब आतंकवाद के स्याह और खूनी इतिहास का अध्याय बन चुका है पर उसका अभी मौन अर्थियों, विलाप करती विधवाओं, अबोध, अनाथों और बसों

---

1- इंडिया टुडे, 30 अप्रैल 1988 पेज-40 बाई रामिन्दर सिंह

2- वही

3-वही, पेज 38

4- वही, बाई विपुल मुद्गल, 15 फरवरी 1988 पेज 18

की सीटों पर छिटके खून में देखा जा सकता है इनसे भारत की आत्मा सुन्न हो चली है । पांच साल पहले इस अनपढ़ देहाती प्रचारक ने घृणा का उपदेश शुरू किया था तब से आतंकवाद के बढ़ते साये एक अदृश्य सेना की तरह भारत की आत्मा को रौंदते आ रहे हैं । पंजाब और हरिणाण में लगातार दो दिन में 74 बस यात्रियों के कत्लें आम से लोगों की नजरें अब सिख आतंकवाद पर केन्द्रित हो गयी है । ये घटनायें भारतीय संदर्भ में बेहद खतरनाक है । लालडू और फतेहाबाद में हुये नरसंहार न सिर्फ इस बात की क्रूर मिशाल है कि आतंकवाद कहीं भी आसानी से जोरदार प्रहार कर सकते हैं बल्कि इससे प्रतिक्रिया का विनाशकारी ज्वालामुखी फट पड़ने की खौफनाक चेतावनी भी मिलती है ।[1]

इन आतंकवादी गिरोहों द्वारा की गयी हत्याओं का आलम यह है कि वही वारदातें इस प्रकार रही ।[2]

| तारीख | घटना | मृत्यु संख्या |
|---|---|---|
| 10 मई, 1985 | दिल्ली और उत्तर भारत के के कुछ हिस्सों में ट्रांजिस्टर बम फटे | 42 |
| 23 जून, 1985 | बम फटने से सम्राट कनिष्क विमान ध्वस्त होकर एटलांटिक सागर में समा गया | 329 |
| 25 जुलाई, 1985 | फरीद कोट जिले में मुक्तसर के पास आतंकवादियों ने बस यात्रियों की हत्या की | 15 |
| 30 नवम्बर, 1986 | होशियारपुर जिले में खुड्डागांव के पास आतंकवादियों ने फिर बस यात्रियो को भून डाला | 24 |

---

1- इंडिया टूडे, 31, जुलाई, 1987

2- वही,

| तारीख | घटना | मृत्यु संख्या |
|---|---|---|
| 13 जून, 1987 | दक्षिण दिल्ली के कुछ स्थानों पर आतंकवादियों ने फिर धुंआधार गोलिया चलाई | 14 |
| 6 जुलाई, 1987 | लाडलूगंज (जिला परिमाला) के पास आतंकवादियों ने बस यात्रियों को गोली मार दी | 38 |
| 7, जुलाई, 1987 | हरियाणा के हिसार जिले में फतेहाबाद के पास दो बसों पर आतंकवादियों की हत्या | 32 |
| मई, 87से अप्रैल, 89 | निर्दोष लोगों को उग्रवादियों ने मारा | 2751 |

सिद्धार्थशंकर रे ने जब से ( 11 मई, 1987 ) शासन संभाला है तब से साढ़े दस महीने ( 31 मार्च, 1988) में 1592 लोग मारे जा चुके हैं । [1] पंजाब में करीमपुर जिले के मोगा कस्बे में आतंकवादियों ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की एक शाखा पर अंधाधुंध गोलियाँ बरसायी और बम फेंकें । इस घटना में 29 व्यक्ति मारे गये तथा 22 अन्य घायल हुये । लगभग 36 घंटो में कुल मिलाकर 30 व्यक्ति आतंकवादी हिंसा के शिकार हुये । [2]

संक्षेप में यही कहा जा सकता है कि पंजाब समस्या एकदशाब्दी के बीत जाने पर भी भारत की सार्वभौमिक सत्ता के लिये आज सबसे बड़ी चुनौती है । 1947 के भारत विभाजन के बाद से भारत की राष्ट्रीय एकता एवं अखण्डता के लिये इतना बड़ा खतरा कभी नहीं आया है । पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री दरबारा सिंह कहते हैं " पाकिस्तान और दूसरी विदेशी शक्तियों के लिये पंजाब भारत परहमला करने का बेहतरीन रास्ता है " [3]

---

1- माया, 15 मई, 1988 दिल्ली ब्यूरो पेज 25

2- नव भारत टाइम्स 27 जून, 1989

3- इंडिया टुडे - 15 अप्रैल, 1988 बाइ शेखर गुप्ता एण्ड विपुल मुदगल इन अमृतसर

## काश्मीर ज्वालामुखी के मुहाने पर

कभी जिस काश्मीर को पृथ्वी पर साक्षात स्वर्ग कहा गया । आज वही भीषण नरक में बदलता जा रहा है, यहां बम के धमाके, गोलियों की सनसनाहट तथा पुलिस के बीच हिंसक घटनायें आम बात हो गयी है । पिछड़ पखवाड़े व्यापक पैमाने पर हुयी हिंसक घटनाओं को मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने भी " युद्ध जैसी स्थिति स्वीकार की है ।[1] इन्द्रजीत बधवार एवं जफर मेराज[2] लिखते हैं कि पहली बार उग्रवादियों ने पुलिस के साथ भिड़ने के लिये स्वचालित हथियारों का इस्तेमाल किया केन्द्र और राज्य सरकारों का दावा है कि इन उग्रवादियों को पाकिस्तान में प्रशिक्षण मिला है । इन उग्रवादियों के हथियारों में अब देशी पेट्रोल बम और ईंट पत्थरों के बदले घातक शस्त्र शामिल हो गये हैं ।

उग्रवादी गतिविधियों में आई अचानक तेजी के कई कारण है । सरकार का कहना है कि पाकिस्तान इस्लामी जम्हूरी इत्तेहाद (इजइ) ने पाकिस्तान स्थिति कश्मीर लिबरेशन फ्रंट (के०एल० एफ०) के अध्यक्ष अमानुल्ला खाँ के साथ मिलकर उस देश की फील्ड इंटेलिजेंस यूनिट ( एफ० आई०यू०) और पाकिस्तानी कब्जेवाली काश्मीर की सरकार की मदद से काश्मीर युवकों को हथियार प्रशिक्षण देने का नया कार्यक्रम शुरू किया है ।

काश्मीर की स्थिति की तुलना कुछ साल पहले की पंजाब स्थिति से की जा सकती है,। हिंसा पर काबू पाने के लिये पुलिस कार्यवाही की जरूरत है, पर उससे भी ज्यादा जरूरत है ऐसे प्रशासकीय और राजनैतिक कदमों को जिनसे काश्मीरी जनता की आस्था इस व्यवस्था और भारत में बनें ।

अगस्त, 1953 के बाद से आज तक काश्मीर में अलगाववादी लहर इतने जोर पर कभी नहीं थी । बुजुर्ग कांग्रेसी नेता त्रिलोचनदत्त कहते हैं ," ऐसा लगता है

---

1- इंडिया टूडे 30 अप्रैल, 1989, बाइ इन्द्रजीत बधवार एण्ड जफर मेराज , पेज 28

कि जनमत संग्रह समर्थक आन्दोलन फिर से उभर आया है ।[1]

1987 तक न तो प्रशिक्षण शिविर थे और न बंदूकें, किन्तु आज की स्थिति को डी0आई0जी0 बटाली ने भी स्वीकार किया कि आज श्रीनगर, बडगाम, कुपवाड़ा बारामुला और अनन्तनाग के 500 से 1000 तक नौजवान वहाँ प्रशिक्षण पा चुके हैं, अक्टूबर इस वर्ष अप्रैल, के बीच 100 से अधिक नौजवान भारत लौटने के बाद स्व चालित हथियारों पिस्तौलों और चीनी बमों के साथ पकड़े गये हैं ।

इन्द्रजीत बधवार का मत है कि यह नजरिया कितना ही तर्कहीन क्यों न हो किन्तु काश्मीर के युवक इस विश्वास में डूबे हुये हैं कि उनके अधिकार पाकिस्तान जैसे मुस्लिम देश में ज्यादा सुरक्षित रहेगें, काश्मीरी युवकों ने पंजाब के उग्रवादियों के दांव पेंच अपनाने शुरू कर दिये हैं, लेकिन लगता है कि सरकार ने पंजाब से कोई राजनैतिक सबक नहीं सीखा है ।[2]

अतम राज्य में बोडो आन्दोलन कानून और व्यवस्था के लिये खुली चुनौती —

भारत संघ का असम राज्य विगत एक दशाब्दी में हिंसा, तोड़फोड़ और अराजकता का शिकार रहा है । कुछ समय तक असम गण संग्राम परिषद विदेशी अप्रवासियों को लेकर आन्दोलन चलाती रही और अब एकनया बोडो आन्दोलन हिंसक घटनाओं में संलग्न है । असम के सोनितपुर जिले के 26 गांवों के 5 हजार से भी अधिक ग्रामीणों ने अपने घर खाली कर दिये हैं । ऐसा न करने पर बोडो उग्रवादियों द्वारा जान से मारने की धमकी दी गयी । आदिवासी समुदाय के इन ग्रामीणों को 24 घंटों के अन्दर घर खाली करने की धमकी दी गयी थी अन्यथा उन्हें जान से मार दिया जायेगा ।[3]

---

1- इंडिया टूडे 31 मई, 1989 पेज 50

2- वही पेज 56

3- नवभारत टाइम्स, 30 जून, 1989

अखिल बोडो छात्र संघ ने (उपेन्द्र ब्रहम गुट) पृथक बोडो राज्य की माँग के समर्थन आन्दोलन चलाने का निश्चय किया है ।[1] बोडो आन्दोलन के हिंसक क्रिया कलापों से हजारों लोग बेघरबार हो गये है और सैकड़ो लोग अपनी जाने गंवा चुके हैं । इस प्रकार असम राज्य भी आज हिंसक घटनाओं का शिकार होने के कारण वहाँ पर भी जनजीवन अस्त-व्यस्त हैं ।

## त्रिपुरा में टी०एन०वी० छापामारों का कहर :

भारत संघ का त्रिपुरा राज्य बांगलादेश की सीमा से लगा हुआ है । त्रिपुरा राज्य में टी०एन०वी० छापामारों ने अपनी हिंसक गतिविधियों के कारण त्रिपुरा नागरिकों की जानमाल की सुरक्षा के लिये एक बहुत बड़ा खतरा उत्पन्न कर दिया है । जब सेना ने टी०एन०वी० छापामारों के खिलाफ व्यापक अभियान आरम्भ किया तब उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप इन विद्रोहियों ने तीन अलग-अलग घटनाओं में 31 गैर आदिवासियों को मार डाला । इस तरह दोदिनों में छापामारों ने 61 निर्दोष व्यक्तियों की हत्या कर दी ।[2] टी०एन०वी० छापामारों की गतिविधियों के सम्बन्ध में कुछ समय पूर्व त्रिपुरा सरकार ने यह सन्देह व्यक्त किया था कि इनको बांगलादेश सरकार से सैनिक सहायता प्राप्त होती है जिसके लिये इरशाद ने स्पष्ट रूप से खण्डन फिर दिया था ।

## भारत और बांगलादेश में साम्प्रदायिक सद्भाव की आवश्यकता --

पूर्व विदेशमन्त्री अटल बिहारी बाजपेयी[3] के विचार से " साम्प्रदायिकता स्वयं में एक अभिशाप है, किन्तु जब वह सत्ता की राजनीति के शस्त्र के रूप में प्रयुक्त कीजाती है तो वह या तो विघटन का कारण बनती है या फिर फासिस्ट राज्य को

1- वही, 27 जून, 1989
2- वही, 2 फरवरी, 1988
3- दिनमान, 31, मार्च, 1988 पेज 13.

जन्म देती है " श्री बाजपेयी ने स्पष्ट किया कि साम्प्रदायिकता का जहर आज हमारे राष्ट्रीय जीवन की जड़ों तक चला गया है । जिससे हमारी राष्ट्रीयएकता राष्ट्रीय अखंडता और राष्ट्रीय आजादी के लिये एक गम्भीर खतरा पैदा हो गया है सचपूछिये तो 1946-47 के रक्त रंजित दिनों के बाद हमारी राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिये इतना बड़ा खतरा कभी भी उपस्थित नहीं हुआ था ।

भारत उपमहाद्वीप में साम्प्रदायिकता के विषवृक्ष का बीजारोपण ब्रिटिश शासकों ने बड़ी चतुरता से किया था । जिसकी जहरीली छाया में देश का विभाजन हुआ । हमारी आजादी का जन्म साम्प्रदायिकता की गोद में हुआ । और तभी से राजनीति में ही नहीं सारे समाज में साम्प्रदायिकता की समस्या न सिर्फ बनी हुयी है बल्कि नये-नये रूप धारण करती हुयी बढ़ती चली जा रही है । 15 अगस्त, 1947 के बाद हिन्दू-मुसलमानों के बीच और अब हिन्दू और सिखों के बीच आपसी उकसावे के कारण हजारों लोग मारे जा चुके हैं और अरबों रूपये की राष्ट्रीय सम्पत्ति लुटी या बर्बाद हुयी ।

विष्णु खरे का मत है कि यदि आपसी नफरत ऐसी ही बनी रहने दी गयी तो न सिर्फ यह खून खराबा और लूट तथा आगजनी की हिंसक घटनायें बढ़ती जायेगी बल्कि एकदिन देश का एक या एक से अधिक विभाजन आवश्यम्भावी ही नहीं वांछनीय बन जायेगा । साम्प्रदायिकता तो एक कैंसर हैं जो देश के रक्त मज्जा तक कभी का बैठ चुका है ।

स्वतन्त्रता के बाद पिछले चालीस बरसों में देश में हुयी साम्प्रदायिक घटनाओं की कुल तादाद आज लगभग 5,000 ठहरती है, गृह मंत्रालय की साम्प्रदायिकता एकता प्रकोष्ठ की 1980-81 की रपट के अनुसार सन् 77 तक साम्प्रदायिक अहिंसा की जो घटनायें देश में हुयी, वे कुल हिंसात्मक वारदातों की 11.6 प्रतिशत थी 82 तक यह प्रतिशत बढ़कर 17.6 हो गया और सन् 82 के बाद तो उनमें 50 फीसदी की वृद्धि हुयी, 61 में साम्प्रदायिक तनाव की दृष्टि से देश के 61 जिले पुलिस

---

1- नवभारत टाइम्स, न्यू दिल्ली 7 सितम्बर, 1988.

द्वारा संवेदनशील माने गये थे, आज 87 में ऐसे जिलों की संख्या 98 हो गयी है ।[1]

<u>बाबरी मस्जिद एवं राम जन्म भूमि</u> -- भारत उपमहाद्वीप में रामजन्म भूमि एवं बाबरी मस्जिद विवाद ने साम्प्रदायिक सद्‌भाव को एक बार पुनः झकझोर दिया है । अयोध्या में राममंदिर के शिलान्यास कोलेकर भारत-बांगलादेश एवं पाकिस्तान में कई स्थानों पर खूनी हिंसक घटनायें भी हुयी हैं । अतः भारत उपमहाद्वीप में आपसी भाई चारे एवं सद्‌भाव को बनाये रखने के लिये इस समस्या के आपसी बात चीत के द्वारा शान्तिपूर्ण समाधान की आवश्यकता है ।

बांगलादेश, में भी जिया-उर-रहमान ने बांगलादेश संविधान से धर्म निरपेक्ष शब्द हटाकर उसके स्थान पर बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम ﴾ अर्थात् उदार और दयालु अल्लाह के नाम पर ﴿ रख दिया था ।[2] किन्तु जनरल इरशाद ने कुछ और आगे बढ़कर इस्लाम को राजधर्म घोषित कर दिया है । संसद में जब "राज धर्म विधेयक आया तो विपक्षी दलों ने वाक आउट किया । जैसे ही इस विधेयक को संसद द्वारा पारित होने की खबर फैली बंगलादेश की प्रमुख विपक्षीपार्टी अवामी लीग ने राजधानी ढाका की सड़कों पर जबर्दस्त प्रदर्शन किया । इसके अलावा कम्यूनिस्ट पार्टी आवामी पार्टी तथा पांच दलीय मोर्चे ने भी सड़कों पर निकलर इस विधेयक का विरोध किया ।

अब बांगलादेश के संविधान में यह पंक्ति जुड़ गई है कि बांगलादेश गणतंत्र का धर्म इस्लाम है ।[3] किन्तु बांगलादेश के हिन्दुओं बौद्धों और ईसाइयों ने संयुक्त रूप से एक रैली निकालकर इस्लाम को बांगलादेश का राष्ट्रीय मजहब बनाने

---

1- इंडिया टूडे 15 नवम्बर, 1987 पेज 62

2- नवभारत टाइम्स 27 अप्रैल, 1988

3- वही, 9 जून, 1988.

बनाने की निन्दा की । रैली का आयोजन तीनों समुदायों की संयुक्त परिषद ने किया । इसकी अध्यक्षता अवकाश प्राप्त मेजर जनरल चितरंजन दत्त ने की । ज्ञापन पेश करते समय न्यायमूर्ति देवेश चन्द्र भट्टाचार्य, भूतपूर्व सांसद सुधांशु शेखर हलधर और वकील सुधीर पाल भी मौजूद थे ।[1]

इस प्रकार भारत और बांगलादेश के लिये साम्प्रदायिक सद्भाव की आवश्यकता है, तभी राष्ट्रीय सुरक्षा को शक्ति प्राप्त हो सकती है ।

बांगलादेश का आन्तरिक कलह और राजसत्ता के लिये नयी चुनौतियां --

ए० प्रकाश[2] के अनुसार, " बांगलादेश में राजनैतिक संघर्ष की एक लम्बी परम्परा रही है । दीर्घकालीन राजनीतिक अस्थिरता के कारण वहां का प्रशासनिक ढांचा जर्जर हो चुका है । फलस्वरूप आर्थिक संकट के बादलभी छाये हुये हैं । वहां की जनता भी शांति एवं लोकतान्त्रिक स्थिरता के लालच में इन्ही नेताओं के निर्देशानुसार कथित लोकतान्त्रिक क्रान्ति में इनको सहयोग दे रही, लेकिन शायद उन्हें मालूम नहीं कि यह लड़ाई खत्म होने में कई दशक लगेगें ।

आजकल बांगलादेश की लड़ाई सड़कों पर आ गई है, बांगलादेश की स्थिति दिन पर दिन खराब होती जा रही है । नित नये हालात सामने आ रहे हैं ।

सैनिक शासन की समाप्ति, लोकतन्त्र की बहाली के लिये जनरल इरशाद से इस्तीफे की मांग :-

नवीन पंत लिखते हैं कि बांगलादेश की राजनीति तेजी से निर्णायक मोड़ ले रही है । पिछले दिनों सभी विपक्षी दलों ने मिलकर सैनिक शासन के स्थान पर लोकतन्त्रात्मक शासन की मांग की है, इसके लिये उन्होने जनरल इरशाद के इस्तीफे की मांग उठाई है ।

---

1- नवभारत, 24 मई, 1988
2- दैनिक जागरण, कानपुर बाइ ए प्रकाश

सभी विपक्षी दलों ने मिलकर 10 नवम्बर से राजधानी ढाका का घेराव करने का प्रयत्न किया। यद्यपि सरकारी दमन के कारण इसमें उन्हें पूरी सफलता नहीं मिली क्योंकि बांगलादेश की सरकार ने हजारों कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया था ।[1]

बांगलादेश नेशनल पार्टी की अध्यक्षा बेगम खालिदा जिया और अवामी लीग की अध्यक्षा तथा बंग बंधु शेख मुजीबुररहमान की पुत्री शेख हसीना वाजिद को उनके घरों में नजरबंद कर दिया गया । फिर विपक्ष की ये दो महिलायें ही एक मंच पर नहीं आई है, बल्कि विपक्षी दलोंने 21 विपक्षी पार्टियों को एक साथ लाने और उनकी समन्वय समिति-गठित करने में सफल हुये हैं । इन विपक्षी दलों का एक सूत्री कार्यक्रम जनरल इरशाद को गद्दी से हटाना और देश में स्वतन्त्र, निष्पक्ष चुनावों के आधार पर लोकतान्त्रिक सरकार की स्थापना करना है । विपक्षी दलों की समन्वय समिति ने पिछले वर्ष हुये चुनावों की निष्पक्षता पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है । उसका आरोप है कि गत चुनावों में बड़े पैमाने पर धांधली, हेरा फेरी और बेईमानी हुयी है । बढ़ती जनसंख्या, बेरोजगारी आवश्यक वस्तुओं की कमी बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार और आये दिन तूफानों के कारण जनता में भारी असंतोष है । बांगलादेश की जनता राजनैतिक रूप से अत्यन्त उग्र है । 1982 में जनरल इरशाद के सैनिक शासन की स्थापना के बाद पहली बार इतना बड़ा जन आक्रोश पैदा हुआ है । गरीबी, अभाव , बीमारी और प्राकृतिक कोष के कारण बांगलादेश पहले ही बारूद का ढेर बना हुआ है । एक मामूली चिनगारी देश में उथल-पुथल प्रकट कर सकती है ।[2]

बुद्धिजीवियों से लेकर खिलाड़ियों तक हजारों की तादाद में पेशेवर लोगों ने ढाका में एकत्रित होकर राष्ट्रपति इरशाद की बर्खास्तगी के लिये विपक्ष के

---

1- इन नव भारत टाइम्स, 21 नवम्बर, 1987. बाई नवीन पंत

2- वही

संकट टालने के बजाय बढ़ा है । तब से अब तक देश बन्द का सिलसिला जारी है । आन्दोलनकारी और सरकार आमने सामने हैं । सरकार की गोली के जबाब में बम फट रहे हैं । रेल, सड़क और जलमार्ग ठप्प है । जनरल इरशाद प्रतिपक्षी मुहिम के सामने अपने को अडिग दिखाने की कोशिश तो करते हैं, किन्तु बांगलादेश की स्थिति उनके काबू से बाहर होती जा रही है ।[1]

बुद्धिजीवियों से लेकर खिलाड़ियों तक हजारों की तादाद में पेशेवर लोगों ने ढाका में एकत्रित होकर राष्ट्रपति इरशाद की बर्खास्तगी के लिये विपक्ष के आन्दोलन का समर्थन किया ।[2]

जनरल इरशाद ने अपने सरकार पर लोकतन्त्र की मुहर लगाने के उद्देश्य से 3, मार्च को संसदीय चुनाव कराये । प्रतिपक्षी उम्मीदवारों के समर्थकों के बीच हुये संघर्षों में बंदूकों, चाकुओं और बमों का खुलकर प्रयोग किया गया तथा विभिन्न मतदान केन्द्रों पर मतदान पेटियां तथा मतपत्र छीन लिये गये । इस तरह संसदीय चुनावों तथा ढाका, चटगांव, राजशाही और खुलना के नगर निगम चुनावों में भारी व्यवधान पैदा किये गये । इस हिंसा में 150 लोग मारे गये और 8,000 से ऊपर लोग घायल हुये, जबकि विपक्ष इस संख्या को 500 और 1500 बता रहा है ।[3]

इस व्यापक हिंसा से देश में बढ़ रही हिंसा की प्रवृत्ति और जन आक्रोश की स्थिति की प्रामाणिकता उपस्थित है ।[4]

---

1- नवभारत, 25, नवम्बर, 1987.

2- हिन्दुस्तान 29 नवम्बर, 1987

3- वही, 6 मार्च, 1988

4- द टाइम्स आफ इंडिया, 1988, 13 फरवरी

बांगलादेश का अशान्त चटगांव पहाड़ी क्षेत्र

भारत संघ के राज्यों पंजाब और काश्मीर की तरह बांगलादेश का यह क्षेत्र काफ समय से हिंसक घटनाओं की चपेट में हैं । अभी तक बांगलादेश की कोई सरकार इस क्षेत्र के उग्रवादियों पर नियंत्रण करने में असफल रही है । बांगलादेश सरकार भारत पर यह आरोप भी लगा चुकी है कि शान्तिवाहिनी के विद्रोहियों को वह आर्थिक एवं सैनिक सहायता पहुंचा रही है । जबकि भारत सरकार ने अधिकारिक रूप से इस प्रकार के निराधार आरोपों का निरन्तर खण्डन किया है । कुछ समय पूर्व दक्षिण-पूर्व बांगलादेश में प्रतिबन्धित शान्तिवाहिनी के विद्रोहियों और सुरक्षा बलों के बीच हुये संघर्ष में कम से कम 10 व्यक्ति मारे गये । मरने वालों में सुरक्षा बल के चार जवान भी शामिल हैं ।[1]

बांगलादेश के राष्ट्रपति जनरल इरशाद ने चटगांव पहाड़ी क्षेत्रों की जो जनजातियां अशान्ति और हिंसात्मक वारदात के कारण देश छोड़ रही है उन्हें आगाह किया कि बांगलादेश उनको वापस लेने की कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा । यह बांगलादेश के लिये एक बहुत बड़ी समस्या है । क्योंकि इस क्षेत्र के हजारों लोग घर-बार छोड़कर भारत में शरणार्थियों के रूप में पड़े हैं।[2]

अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में पड़ोसी देशों की आन्तरिक एवं बाहय शान्ति एवं सुरक्षा की स्थिति एक दूसरे को प्रभावित किये बिना नहीं रह सकती है।

वर्तमान समय में भारत उपमहाद्वीप की सीमाओं से लगे देशों के बीच विवाद उत्पन्न हो चुके हैं, जो कभी भी भारत-बांगलादेश जैसे अतिनिकटतम पड़ोसी देशों के लिये सामूहिक संकट पैदा कर सकते हैं, जैसे कि जब 1971 में पूर्वी पाकिस्तान में राजनैतिक संकट पैदा हुआ तो उसका निकटतम पड़ोसी देश भारत अपने को किन्ही

---

1- हिन्दुस्तान, 29 नवम्बर, 1987

2- इंडियन एक्सप्रेस, 9 मई, 1988.

किन्ही भी परिस्थितियों में अलग नहीं रख सका । इसी प्रकार जब भी अन्य कोई संकट किसी एक देश पर आता है, तब दोनों ही देशों का उससे प्रभावित होना स्वाभाविक है ।

भारत-पाक के बीच सियाचीन विवाद

लगभग पांच साल से सियाचिन ग्लेशियर इसके दावेदारों भारत और पाकिस्तान के लिये ऐसा मुद्दा बना हुआ है जिसके नाम पर कभी भी तलवारें टकरा सकती है ।[1] जम्मू काश्मीर के कराकोरम क्षेत्र में स्थित यह इलाका भारत के लिये सामरिक दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण है । यह क्षेत्र वह केन्द्रबिन्दु हैं, जहां पर भारत के अलावा चीन, पाकिस्तान, और अफगानिस्तान की सीमाऐं मिलती है । सियाचीन समस्या को हल करने के लिये भारत और पाकिस्तान के रक्षा सचिवों के बीच दिल्ली और इस्लामाबाद में अब तक चार दौर की बात चीत हो चुकी है, परन्तु यह संकट हल नहीं हो पाया है । अगर सियाचीन का समाधान हो जाता है, तो भारत-पाक के बीच मौजूद दूसरी समस्याओं के हल के रास्ते में मील का पत्थर साबित हो सकता है ।[2]

भारत-श्रीलंका-- पी० जयराम का मत है कि दोनों देशों के बीच तनाव आज फिर उसी मुकाम पर पहुंच गया है, जहां ठीक दो साल पहले था, तब भारत ने अपने जबरन सैनिक विमान भेजकर श्रीलंकाई सेना से घिरे तमिलों को खाद्य सामग्री पहुंचाई थी । लेकिन आज श्री लंका अराजकता के कगार पर खड़ा है, भारत से नफरत करने वाले जनता विमुक्ति पेरमुना (जे वि पे) के आतंकवादी सड़कों पर हत्यायें कर रहे हैं । जंगलों में तमिल चीतों और भारतीय शान्ति सेना में भिड़न्त चलती रही है । भारत-श्रीलंका के बीच गम्भीर राजनायिक मतभेद है, राजनैतिक रूप से राष्ट्रपति प्रेमदास चारों ओर से घिर गये हैं । जिस तेजी से श्रीलंका एक

---

1- इंडिया टूडे 15 जुलाई, 1989 पेज 60

2- नवभारत टाइम्स, 16 जून, 1989

और संकट के दौर में फंसा है, उतनी ही तेजी से उसके समाधान के रास्ते भी बंद होते जा रहे है, इस दल-दल में भारत के भी फंसते जाने का अंदेशा है ।

श्री लंका के राष्ट्रपति रणसिंघे प्रेमदास ने भारत से 29 जुलाई तक शांति सेना के 45,000 जवानों की वापसी की मांग करते हुये कहा कि, " यदि भारत कहता है कि वह जुलाई के आखिर तक अपने सैनिकों को वापस नहीं बुला सकता तो मै उन्हें बैरकों में पड़े रहने का आदेश दे दूंगा ।[1] इसके प्रतिउत्तर में श्री राजीव गांधी ने एक पत्र में लिखा, कि यदि इस मामले में आप बातचीत के लिये राजी नहीं है तो अपनी जिम्मेदारियां और जबाब देहियों के अनुसार हमें शांति सेना की वापसी के कार्यक्रम के बारे में एकतरफ फैसला करना पड़ेगा ।"[2] इन परिस्थितियों में भारत - श्रीलंका के बीच कूटनीतिक तनाव भी अपनी चरम सीमा पर पहुंच गयी ।

<u>भारत-नेपाल सम्बन्ध मनमुटाव</u> -- 23,मार्च,1989 को दोनों देशों की आपसी व्यापार व अभिवहन संधि की तिथि समाप्त होने से । दोनों प्राचीन मित्रों के बीच गतिरोध पैदा हो गया है । आज दोनों पड़ोसी देश ऐसे पचड़े में फंस गये हैं जिसमें कोई भी विजयी होने वाला नहीं हैं। दोनों सरकारें अपनी-अपनी बात मनवाने पर तुली है और संघर्ष की स्थिति से दोनों देशों की जनता की पुरानी मित्रता पर खतरा मंडराने लगा है । बड़े पड़ोसी की हैसियत से हमेशा भारत को ही दोषी ठहराया जायेगा ।[3]

<u>भारत-चीन सीमा विवाद</u> -- भारत चीन सीमा विवाद आज भी अनिर्णित है । 1962 के सीमा-विवाद को लेकर ही चीन ने अपनी बढ़ती हुयी शक्ति का प्रदर्शन करते हुये भारत को भविष्य में कभी भी सिर न उठाने के लिये सबक सिखाया था । एक चौथाई से अधिक शताब्दी बीतने के बाद भी भारत-चीन सम्बन्ध आज हम

---

1- इंडिया टूडे, 15 जुलाई, 1989 पेज 30

2- इंडिया टूडे 31 जुलाई, 1989 पेज 24

3- वही, 30 अप्रैल, 1989

सामान्य भले ही कह लें, लेकिन मधुर नहीं कहे जा सकते हैं । भारत सरकार ने जब अरूणाचल प्रदेश को भारत संघ में एक राज्य का दर्जा दे दिया तो चीन ने घोर आपत्ति उठाई थी । भले ही आज कितने भी दौरों की वार्तायें भारत-चीन अधिकारियों के बीच सम्पन्न हो चुकी है लेकिन सीमा विवाद आज ज्यों का त्यों बना हुआ है ।

भारत-बांगलादेश की आन्तरिक एवं बाहय सुरक्षा एक दूसरे की पूरक :

यद्यपि भारत जनसंख्या एवं भूभाग की दृष्टि से एक विशाल देश है और दक्षिण एशिया की एक उभरती हुयी महाशक्ति होने के कारण विश्व की महाशक्तियां भी अब भारतीय उपमहाद्वीप की राजनीतिक गतिविधियों में अधिक रूचि ले रही है और उसकी क्षेत्रीय समस्याओं के प्रति उत्तरदायित्वों में भी वृद्धि हुयी है । अतः बांगलादेश की अपेक्षा भारत के लिये आन्तरिक एवं बाहय समस्याओं का अधिक होना स्वाभाविक है । जैसे आज भारत श्रीलंका भारत नेपाल, भारत-चीन, भारत पाकिस्तान के बीच कुछ मतभेद एवं समस्यायें है और जो भारत की सुरक्षा के लिये गम्भीर खतरा पैदा कर सकती है, किन्तु इसका मतलब यह कभी नहीं है कि यदि भारत का अपने किसी पड़ोसी देश से संघर्ष छिड़ जाता है और भारतीय उपमहाद्वीप बाहय शक्तियों के राजनैतिक हस्तक्षेप के कारण अफगानिस्तान या वियतनाम की तरह रणक्षेत्र बनता है, तो बांगलादेश कभी भी अपने को इसके विनाशकारी दुष्परिणामों से बचा नहीं सकता है, क्योंकि भारत और बांगलादेश की भू-सामरिक-आवश्यकतायें एक-दूसरे से घनिष्ठता से जुड़ी हुयी है, जिनकी उपेक्षा भारत और बांगलादेश में से कोई भी देश नहीं कर सकता है इसलिये भारत और बांगलादेश की आन्तरिक एवं बाहय सुरक्षा एक दूसरे की पूरक है । अतः दोनों देशों की राजनैतिक दूरदर्शिता इसी में हैं कि दोनों देश अपनी-अपनी आन्तरिक एवं बाहय शान्ति एवं सुरक्षा की स्थापना के लिये आपसी समझदारी एवं सामूहिक उत्तरदायित्व की भावना के आधार पर इन समस्याओं का मिल जुल कर समाधान करें, किन्तु यह कार्य तभी सम्भव हो सकता है, जबकि दोनों देश घनिष्ठ मैत्री सम्बन्धों का सृजन करें क्योंकि दोनों देशों की शान्ति, सुरक्षा से सम्बन्धित आन्तरिक एवं बाहय स्थितियां परस्पर मैत्री सम्बन्धों के लिये बाध्य कर रही है ।

बढ़ती जनसंख्या, निर्धनता एवं बेरोजगारी की समस्यायें

जिस प्रकार दक्षिण एशिया के देशों के सामने आन्तरिक एवं बाहय शान्ति एवं सुरक्षा की समस्या है, जिसके लिये दक्षिण एशिया के सभी देशों के सामूहिक प्रयत्नों की आवश्यकता है, उसी प्रकार दक्षिण एशिया के देश बढ़ती जनसंख्या, निर्धनता एवं बेरोजगारी की समस्याओं से जूझ रहे हैं । फिर इन सभी देशों में भारत और बांगलादेश इन समस्याओं से विशेष रूप से ग्रसित है ।

जनसंख्या -- आज यदि विश्व के देशों की सूची में जनसंख्या की दृष्टि से चीन का प्रथम स्थान है तो भारत दूसरे स्थान पर आता है । त्रिपुरा के मुख्यमन्त्री मि० सुखमय सेन गुप्ता[1] के अनुसार बढ़ती हुयी जनसंख्या वर्तमान समय की ही नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिये भी सबसे बड़ी समस्या है । हमारे राष्ट्रीय जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में काफी प्रगति हुयी है । आज हमारे देश में सामाजिक एवं आर्थिक पुर्नसंरचना इस बात की गवाही है कि देश ने कृषि, उद्योग और विज्ञान के क्षेत्रों में प्रगति की है, किन्तु बढ़ती हुयी जनसंख्या के कारण इस प्रगति का लाभ देश के निर्धन एवं कमजोर वर्ग के लोगों ने अति न्यूनतम रूप से मिल पाया है ।

देश की स्वतन्त्रता के बाद देश की आबादी 250 मिलियन्स बढ़ी है, जो सोवियत संघ की सम्पूर्ण जनसंख्या के बराबर है । भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार 13 मिलियन जनसंख्या प्रतिवर्ष बढ़ जाती है, जिनके लिये निम्नलिखित अन्य संसाधनों की आवश्यकता रहती है ।

जैसे[2]

| | |
|---|---|
| 1,26,500 | - विद्यालय प्रतिवर्ष खुलने चाहिये |
| 3,72,500 | - नये अध्यापक प्रतिवर्ष चाहिये |
| 1,87,44,000 | - मीटर कपड़े की प्रतिवर्ष आवश्यकता रहती है । |
| 24,00,000 | - लोगों को कार्य मिलने की आवश्यकता बढ़ जाती है । |

---

1- इंडिया"स पापुलेशन पोजीशन अलार्मिंग, बाइ सुखमयसेन गुप्ता, चीफ मिनिस्टर, त्रिपुरा, इन अमृत बाजार पत्रिका, 20 सितम्बर, 1976.

2- वही

उपरोक्त आंकड़े हमारे जैसे एक निर्धन एवं विकासशील देश के लिये चौंकाने वाले हैं, क्योंकि प्रतिवर्ष इन सभी आवश्यकताओं को पूरा करना असंभव है । गत 15-20 वर्षों पूर्व जनसंख्या वृद्धि की समस्या हमारे देश में केवल बुद्धि जीवियों के लिये एक चर्चा का विषय भरथी, किन्तु जनसंख्या की असाधारण वृद्धि के कारण हमारा देश एक सोचनीय स्थिति में पहुंच गया है । शायद भारत के इतिहास में अर्थव्यवस्था के लिये इस प्रकार की चुनौती कभी नहीं आयी और अब हमारे विकास की सम्भावनायें इस बढ़ती हुयी जनसंख्या से जुड़ गयी है।

हमारी जनसंख्या का एक बहुत बड़ा भाग गरीबी का जीवन व्यतीत कर रहा है । यह जनसंख्या अपनी मूलभूत आवश्यकताओं जैसे भोजन, कपड़ा और मकान की पूर्ति नहीं कर पा रही हैं, क्योंकि जनसंख्या वृद्धि ने हमारे विकास के प्रयासों को निरर्थक बना दिया है । हमारे देश के संविधान में जो लोगों की सामाजिक ,आर्थिक राजनैतिक एवं सांस्कृतिक जीवन के क्षेत्रों में जो समानता की बात कही गयी है फिलहाल भविष्य में उसकी प्राप्ति कठिन दिखाई पड़ रही है क्योंकि --

-- हमारे देश के पास 2.4 % ही विश्व की भूमि है, जबकि विश्व की जनसंख्या का 15 % भाग भारत में निवास करती है ।

-- विश्व का हर सातवां व्यक्ति भारतीय है ।हर सकेन्ड पर एक नवजात शिशु पैदा होता है ।

-- और प्रतिदिन 55,000 जिंदा रहते हैं ।

-- प्रतिवर्ष हमारे देश में 21 मिलियन बच्चे पैदा होते हैं, जिसमें 8 मिलियन मर जाते हैं, किन्तु फिर भी 13 मिलियन प्रतिवर्ष जनसंख्या की वृद्धि हो जाती है । यह आस्ट्रेलिया की पूरी जनसंख्या से भी अधिक है । इस प्रकार जनसंख्या वृद्धि दर हमारे देश में प्रतिवर्ष 2.5 % है ।[1]

---

1- अमृत बाजार पत्रिका, 20 दि॰ 1976

भारत में जनसंख्या वृद्धि गत दशाब्दियों में निम्न प्रकार से रही है ।

| जनगणना वर्ष | जनसंख्या मिलियन्स में |
|---|---|
| 1901 | 236.2 |
| 1921 | 251.3 |
| 1941 | 319.0 |
| 1961 | 439.2 |
| 1971 | 548.0 |
| 1981 | 563.0 |

भारत की जनसंख्या 1987 के अंत तक 80 करोड़ के लगभग हो गयी है प्रतिहजार जन्मदर व मृत्युदर क्रमशः 33 तथा 12 है, शिशु मृत्यु दर में गिरावट आ रही है, जीवन प्रत्याश पुरूषों तथा महिलाओं की बढ़कर 57 और 56 हो गयी है । स्पष्ट है कि देश की जनसंख्या वृद्धि बहुत तीव्र है । सरकार द्वारा परिवार नियोजन कार्यक्रम को प्राथमिकता देने के बावजूद जनसंख्या उत्तरोत्तर बढ़ रही है । सन् 1951 में जनसंख्या 35.60 करोड़ थी जो सन् 1991 तक 84 करोड़ होने का अनुमान है और 2001ई0में लगभग 100 करोड़ हो जाने की सम्भावना है । इसके साथ ही देश में बेरोजगारी व निरक्षर लोगों की संख्या 47.85 करोड़ हो जायेगी, जबकि सन् 1981 में यह 43.58 करोड़ थी सन् 2001 तक यह 50 करोड़ हो जाने की सम्भावना है ।

| सन् | साक्षर | निरक्षर | जनसंख्या |
|---|---|---|---|
| 1951 | 5.77 | 29.83 | 35.60 |
| 1961 | 10.72 | 33.78 | 44.50 |
| 1971 | 16.11 | 38.69 | 54.80 |
| 1981 | 24.72 | 43.58 | 68.30 |
| 1991 | 36.12 | 47.88 | 84.00 |
| 2001 | 50.00 | 50.00 | 100.00 |

---

1- नेशनल हेरल्ड 17-10-82

2- प्रतियोगिता दर्पण जनवरी, 89/60।

निर्धनता- जनसंख्या की भारी वृद्धि के कारण हमारे देश में गरीबी बढ़ी है । यहां पर प्रतिव्यक्ति आय 260 डालर है, जबकि पाकिस्तान में 390 डालर, इंडोनेशिया में 560 डालर, चीन 300 डालर नाइजीरिया 770 डालर तथा थाइलैंड 850 डालर है । विश्व अर्थव्यवस्था में हमारा स्थान लगातार नीचे की ओर अग्रसर है । विश्व बैंक के अध्ययन के अनुसार 1963-64 में हमारा स्थान सभी देशों में 85वां था जो 1980 में 125 देशों देशों की सूची में नीचे से 15वां हो गया । हमारे 40 % से अधिक लोग अपने जीवन निर्वाह के लिये न्यूनतम कैलोरी प्राप्त नहीं कर सकते हैं । बेरोजगारी बढ़ रही है । विश्व की निराश्रित जनता का बहुत बड़ा भाग हमारे देश में आवास विहीन है । जो सड़कों के किनारे और पुलों पर रहते हैं । अधभरे पेट सो जाते हैं ।

हमारे देश पर विदेशी ऋण भार लगातार बढ़ रहा है । 124 राष्ट्रों के सर्वेक्षण में भारत ऐसा चौथा राष्ट्र है, जिस पर सर्वाधिक विदेशी ऋण है । आज हम पर 2 खराब डालर से ज्यादा का कर्ज है ।

प्रो० राजकृष्ण ( भू०पू० सदस्य योजना आयोग ) ने कहा है कि " यह लज्जा की बात है कि हमारी 3.5 % विकास दर 90 अन्य देशों से कम है 2008 तक इस देश में करीबों की संख्या 40 करोड़ हो जायेगी और यह संख्या स्वाधीनता के समय की भारत की कुल जनसंख्या से भी अधिक है ।[1]

भारत आज दुनिया के सबसे गरीब 11 देशों में से एक है । इन गरीबी देशों में युगांडा, अपर वोल्टा, मालवी , जियारे, बर्मा, माली, नेपाल ,इथोपिया, बांगलादेश और चाड । विश्वबैंक की 126 देशों की सूची में भारत का स्थान 116वां है ।[2]

---

1- प्रतियोगिता दर्पण अप्रैल/1988/845

2- नवभारत टाइम्स जून, 1988

बेरोजगारी -- आज देश में युवावर्ग के असन्तोष का मूल कारण रोजगार प्राप्त करने की समस्या है । प्रतिवर्ष रोजगार कार्यालयों में दर्ज बेरोजगारों की संख्या बढ़ती जा रही है । 31 दिसम्बर,87 को देश के रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत लोगों की संख्या 30,247.7 हजार थी ।[1]

| राज्य | बेरोजगारों की संख्या | राज्य | बेरोजगारों की संख्या (हजारों में) |
|---|---|---|---|
| लक्षद्वीप | 7.2 | मणिपुर | 349.7 |
| अ०नि०द्वीप समूह | 16.0 | हिमांचल प्रदेश | 579.8 |
| मेघालय | 19.1 | हरियाणा | 619.0 |
| नागालैण्ड | 37.4 | पंजाब | 619.0 |
| मिजोरम | 78.2 | दिल्ली | 706.3 |
| गोवा | 91.6 | गुजरात | 781.8 |
| पांडिचेरी | 117.5 | उड़ीसा | 791.9 |
| त्रिपुरा | 127.4 | राजस्थान | 831.2 |
| काश्मीर | 137.2 | असम | 843.6 |
| चंडीगढ़ | 286.8 | कर्नाटक | 1012.6 |
| मध्य प्रदेश | 174.3 | तमिलनाड | 2486.2 |
| महाराष्ट्र | 2615.4 | बिहार | 2708.1 |
| आन्ध्र प्रदेश | 2722.0 | उत्तर प्रदेश | 2963.4 |
| केरल | 2990.1 | पश्चिम बंगाल | 4564.7 |

किन्तु शहरी क्षेत्र की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्र में बेरोजगारों की संख्या अधिक है । इस समस्या का समाधान ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामोद्योग को प्रोत्साहित करके किया ।

---

1- प्रतियोगिता दर्पण जनवरी,89/60।

किया जा सकता है । इस प्रकार आज भारत जनसंख्या, गरीबी और बेरोजगारी को बढ़ रही निरन्तर समस्याओं से ग्रसित है । ये समस्यायें हमार राष्ट्रीय जीवन के लिये एक चुनौती के रूप में है ।

जनसंख्या- जहाँ तक जनसंख्या का सवाल है आज भारत की तरह बांगलादेश की अर्थव्यवस्था के लिये भी एक चुनौती है, जिसका सामना इस निर्धन देश को करना पड़ रहा है, यद्यपि परिवार नियोजन कार्यक्रम पर बहुत बड़ी धनराशि खर्च भी की जा रही है । लेकिन अभी तक बहुत थोड़ी सफलता मिली है । बांगलादेश के अशिक्षित लोग अपने परिवार के भविष्य के लिये रोजी-रोटी चलाने के लिये अधिक बच्चों की अभिलाषा रखते है, जिससे श्रमजीवी बन कर अधिक से अधिक लोग घर में कमाने वाले हों ।[1]

वर्तमान समय में बांगलादेश में प्रतिहजार जन्मदर 46 है (जब कि भारत में 35 और संयुक्त राज्य अमेरिका में 14 है) बांगलादेश में जनसंख्या इतनी तेजी से बढ़ रही है कि जो बच्चा आज पैदा हुआ है और जब वह 21 वर्ष का होगा तब देश की जनसंख्या दो गुनी हो जायेगी । परिवार नियोजन सचिव मो० अब्दुल सत्तार ने कहा " यह देश की एक मौलिक समस्या है । और इसके निदान के लिये कृत संकल्प होना पड़ेगा आज भी 93 % दम्पत्ति आज भी इसे स्वीकार नहीं कर रहे हैं ।[2]

बांगलादेश सरकार जनसंख्या वृद्धि दर से चौकन्ना है क्योंकि सरकार ने बढ़ती हुयी जनसंख्या को देश की सबसे गम्भीर समस्या बताते हुये इस शताब्दी के अंत तक जन्मदर को शून्य तक पहुचाने की घोषणा की क्योंकि निष्पक्ष पर्यवेक्षकों का मत है कि बांगलादेश का भविष्य बड़ा ही निराशाजनक है क्योंकि इस देश की जनसंख्या बड़ी तीव्र गति से बढ़ रही है । इस छोटे से देश में जनसंख्या वृद्धि दर 3 % एक वर्ष में हैं । बांगलादेश में एक मिनट में 7 बच्चे पैदा होते हैं । और प्रति वर्ष कुल

---

1- सोशल ट्रांसफार्मेशन इन बंगलादेश रियलिटीज, कान्स्ट्रेन्टस विजन एण्ड स्ट्रेटी, साउथ एशियन फोरम, नं0 2 स्प्रिंग-1982 बाइ मि0अहमद , पेज 26

2- एशियन रिकार्डर, नवम्बर, 11-17, 1976 वाल022 नं046 पेज 13441 कालम ।

:-

मिलाकर 3.7 मिलियन । इसमें 1.3 मिलियन बच्चों की मौत हो जाती है, लेकिन फिर भी लगभग 2.4 मिलियन अतिरिक्त बच्चों की प्रतिवर्ष वर्तमान जनसंख्या में वृद्धि कर देते हैं । जनगणना का आंकलन का मत है कि 1961 की जनगणना के अनुसार 76 मिलियन जनसंख्या थी, लेकिन आगामी 25 वर्षों में 156 मिलियन होने की सम्भावना है ।[1]

बांगलादेश में जनसंख्या की वृद्धि 1961 और 1981 के बीच 71.36 % की हुयी § 1971 में जनगणना नहीं हो सकी थी § 1961 में 50,840,235 थी जबकि 1981 में 87,120,119 हो गयी आशा की जाती है कि इस शताब्दी के अन्त तक यह 150 मिलियन हो जायेगी ।[2]

निर्धनता:- खोलीक्यूजमा अहमद के शब्दों में अब बांगलादेश जनसंख्या के बढ़ते बोझ से त्रस्त है । लगभग 84 मिलियन आबादी 55 हजार वर्गमील भूमि पर निवास कर रही है । बांगलादेश में जनसंख्या वृद्धि की दर बहुत ऊंची है । यह 2.7 % प्रतिवर्ष है । लगभग 90 प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है और उसमें 80 प्रतिशत के लगभग खेती पर निर्भर है । 75 प्रतिशत आबादी निर्धनता का शिकार है । अमीर और गरीबों के बीच आय, जीविकोपार्जन के अवसरों की उपलब्धता और जीवन स्तर में भारी अन्तर है । बांगलादेश की बहुत बड़ी आबादी के लिये चिकित्सा एवं स्वास्थय सम्बन्धी सुविधाओं का बहुत बड़ा अभाव है । कृषि एवं औद्योगिक क्षेत्रों में उत्पादन बहुत कम है । भूमिपतियों द्वारा आज भी श्रम जीवियों का शोषण हो रहा है घरेलू ,प्राकृतिक सम्पदा का सही ढंग से उपयोग नहीं हो पा रहा है । लगभग 35 % कुटुम्ब ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन है और लगभग 53 प्रतिशत छोटे-छोटे किसान है जिनके पास लगभग 3 एकड़ जमीन है और लगभग कृषकों के पास 3.6 एकड़ तक भूमि है और शेष भी निर्धनता की श्रेणी में है ।

---

1- एशियन रिकार्डर जून 24-30, 1976 वाल0 22 नं0 26 पेज 13221.

2- द हिन्दू - 28 अगस्त, 1984

8 % बड़े काश्तकार 45 % शेष भूमि के स्वामी है ।

बेरोजगारी – जिस तरह भारत में निर्धनता बढ़ती हुयी जनसंख्या और बेरोजगारी की समस्यायें हैं ।उसी तरह बांगलादेश इन भयानक रोगों से पीड़ित है । बेरोजगारी की समस्या से एशिया के लगभग सभी देश हैरान है लेकिन उनमें भारत और बांगला देश का स्थान उनसे भी उपर है । बांगलादेश औद्योगिक क्षेत्र में भी पिछड़ा हुआ है जिससे वहाँ पर शहरी एवं ग्रामीण दोनों ही क्षेत्रों में लाखों की संख्या में बेरोजगार युवक प्रति वर्ष बढ़ जाते हैं बहुत से लोग तो रोजी-रोटी की तलाश में भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में प्रवेश कर जाते हैं, जिससे भारत के लिये अप्रवासियों की एक बहुत बड़ी समस्या आज भी बनी हुयी है । इसके अतिरिक्त बांगलादेशवासी अरब राज्यों में रोजगार की तलाश में प्रतिवर्ष पलायन कर रहे हैं ।

जिस तरह भारत और बांगलादेश की सार्वभौमिक सत्ता के लिये आन्तरिक एवं बाहय शान्ति और सुरक्षा की समस्याओं ने चुनौती उत्पन्न कर दी है उस तरह दोनों पड़ोसी देशों की आर्थिक व्यवस्था के लिये बढ़ती हुयी जनसंख्या, निर्धनता एवं बेरोजगारी की समस्याओं ने सामूहिक रूप से खतरा पैदा कर दिया है । अतः इन दोनोंनिर्धन विकासशील देशों के लिये एक ही विकल्प शेष रहता है कि, अपनी अपनी आन्तरिक एवं बाहय शक्ति सुरक्षा की समस्याओं का समाधान संघर्ष के द्वारा नहीं वरन् आपसी सहयोग के वातावरण में सौहार्दपूर्ण बातचीत के द्वारा करें तथा बढ़ती हुयी जनसंख्या, निर्धनता की समस्या के समाधान के लिये दोनों ही पड़ोसी आपसी मेल मिलाप के द्वारा इन तात्कालीन समस्याओं से निपटने के लिये योजना बद्व कार्यक्रम चलायें । दोनों देशों की परिस्थितियां लगभग मिलती जुलती है अतः दोनों देश के लिये इन राजनैतिक एवं आर्थिक समस्याओं पर विजय प्राप्त करने के लियेपरस्पर मित्रता की अपरिहार्यता को किसी भी स्तर पर अस्वीकार नहीं किया जा सकता है । दोनों देशों के बीच मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध इन समस्याओं के निराकरण का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं ।

## मैत्रीय सम्बंधों की सम्भावनायें

अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में मित्रता की सम्भावनाओं के दरवाजे कभी बंद नहीं होते हैं। विश्व की महाशक्तियों के आपसी सम्बंधों पर यदि हम दृष्टिपात करें तो कभी अमरीका और साम्यवादी चीन जाने माने शत्रु थे, किन्तु 70 के दशक के बाद विश्व राजनीति के बदलते समीकारणों ने इन दोनों देशों को मित्रता के एक मंच पर आने के लिये विवश कर दिया, इसी प्रकार गोर्वाचौफ ने पुराने मिथक तोड़े हैं और नये कीर्तिमान स्थापित किये हैं, उन्होंने अमरीका और यूरोप के साथ मित्रता का हाथ बढ़ाया तो विश्व राजनीति के राजनायक स्तब्ध रह गये। इसी प्रकार रूस और चीन के बीच तनाव संसार की प्रगतिगामी ताकतों के लिये ही नहीं समूचे विश्व परिवार के लिये आशंका और निराशा का विषय था।[1] किन्तु जब गोर्वाचौफ ने चीन की यात्रा के समय मित्रता की उन सम्भावनाओं को उजागर कर दिया जिनके लिये राजनीति प्रेक्षक भविष्यवाणी भी नहीं कर सकते थे, एक ही झटके में तीस साल पुराने तनाव, अविश्वास और उत्तेजना को नष्ट कर दिया। इसी प्रकार भारत और चीन के सम्बंध में भी सन् 62 से तनावपूर्ण होने के साथ-साथ शत्रुतापूर्ण रहे। किन्तु राजीव गांधी की पेइचिंग यात्रा से दोनों देशों के सम्बंधों में मित्रता, विश्वास और भाई-चारे का एक नया युग आरम्भ हुआ है। पाकिस्तान में लोकतान्त्रिक सरकार चुने जाने के बाद भारत-पाक सम्बंधों के सामान्यीकरण की दिशा में आशाकीकिरण देखी जा सकती है।

फिर जहां तक भारत बांगलादेश दो निकटतम पड़ोसी देशों की मित्रता की सम्भावनाओं का सवाल है इस सम्बंध में तो यह निर्विवाद रूप से कहा जा सकता है कि दोनों देशों के बीच जो भौगोलिक, राजनैतिक, सामरिक, सामाजिक आर्थिक एवं सांस्कृतिक सम्बंधों के प्राचीनकाल से चले आ रहे परम्परागत रिश्ते, वे आज भी दोनों देशों के राजनयकों और जनता के लिये आपसी मधुर सम्बंध बनाये रखने का आह्वान कर रहे हैं। फिर आज जब हम देख रहे हैं कि अमरीका और रूस, रूस और चीन, चीन और भारत पुराने पूर्वाग्रहों से मुक्त होकर बिगड़े हुए सम्बंधों को मित्रता का नया आयाम दे रहे हैं, तब फिर भारत और बांगलादेश जैसे दो सहोदर अपने छोटे-छोटे विवादों को आपसी समझदारी से निपटाकर

1-नवभारत टाइम्स, नई दिल्ली 21 मई 1989

घनिष्ट मित्रों के रूप में रहकर दक्षिण एशिया के राजनैतिक पर्यावरण में शान्ति और सुरक्षा की वृद्धि तो कर ही सकते हैं । किन्तु 1971 के स्वाधीनता आन्दोलन में भारत सरकार एवं जनता ने जिन उच्च आकांक्षाओं को लेकर सहयोग किया था वे मुजीब के शासनकाल में ही चकनाचूर होने लगीं थी, यद्यपि मुजीब ने भारत-बांगलादेश मैत्री सम्बंधों को दृढ़ता प्रदान करने के हर सम्भव प्रयास किया किन्तु फिर भी भसानी जैसे चीन समर्थक नेताओं ने जनता के बीच भारत विरोधी भावनाओं को भड़काने का कार्य आरम्भ कर दिया था । बांगलादेश की स्वाधीनता के बाद यह सोचना स्वाभाविक था कि बांगलादेश के लोग भारत के प्रति कृतज्ञ रहेंगे । किन्तु बांगलादेश में स्वशासन की स्थापना के बाद यह स्पष्ट हो गया कि कृतज्ञता का राजनीति में कोई स्थान नहीं होता है ।

भारत को ही दोनों देशों के बीच मधुर सम्बंध बनाये रखने के लिये प्रयत्न करने होंगे, क्योंकि पाकिस्तान की तरह बांगलादेश के शासकों ने आपनी घरेलू राजनीति में असफलताओं को छिपाने के लिये भारत पर दोषारोपण करनेका एक एक सरल रास्ता ढूंढ़ रखा है, लेकिन भारत बड़ी सावधानीपूर्वक इस देश के आन्तरिक संघर्षों एवं विवादों से दूर है । जैसा कि प्रायः नये राष्ट्रों में होता है, बांगलादेश में भी सत्ता हथियाने के लिये व्यक्तिगत संघर्ष चल रहे हैं । घरेलू राजनैतिक सौदेबाजी में हम लोग भारत का विरोध प्रत्यक्ष रूप से देख रहे हैं अमरीका, पाकिस्तान और चीन की कूटनीति भी यही रही है कि किसी भी तरह बांगलादेश से भारत का प्रभाव कम हो सके । बांगलादेश बनने के समय से ही पेइचिंग-इस्लामाबाद-धुरी नई दिल्ली के विरूद्ध काम करती रही है । राजीव गांधी की इस्लामाबाद और पेइचिंग यात्रा के बाद सभी पूर्वाग्रह और संदेह समाप्त नहीं हो सके हैं, लेकिन धुरी थोड़ा हतप्रभ और दुविधा में जरूर है ।1

---

1-पीकिंग-इस्लामाबाद धुरी-नवभारत टाइम्बर, 14 फरवरी 1989

किन्तु वास्तविकता तो यह है कि रेगन-गोर्वाचोव समझौते ने क्षेत्रीय तनावों को दूर करने का मार्ग प्रशस्त जरूर किया है । इस समझौते के बाद रूस-चीन संवाद के अवसर बने, तो भारत-चीन, भारत-पाक संवाद के अवसर भी बने ।[1] तब फिर भारत-बांगलादेश के बीच उत्पन्न थोड़े बहुत मनमुटाव को आपसी मेल मिलाप के द्वारा मिटाना कोई असम्भव काम नहीं है । क्योंकि जब विश्व की महाशक्तियों के बीच तनाव शैथिल्य के प्रयास सम्भव हैं तो निश्चित ही क्षेत्रीय स्तर पर भी पड़ोसी देशों के रिश्ते सुगमता से सुधर सकते हैं, क्योंकि प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष में विश्व की महाशक्तियों की आपसी प्रतिद्वंदिता ने अपने-अपने प्रभाव क्षेत्र को बढ़ाने के लिये प्राय: सभी विकासशील देशों को अपनी-अपनी कूटनीतिक चालों का मोहरा बनाया है ।"दक्षेस" दक्षिण एशिया के सभी देशों के बीच राजनैतिक सौहार्द्र और आर्थिक सहयोग बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है बशर्ते सभी देश महाशक्तियों की कूटनीतिक चालों से बचकर आपसी अविश्वास और सन्देहों को समाप्त कर दें । किन्तु दक्षेस शिखर सम्मेलन में राजीव गांधी ने सही कहा है कि शक और संदेहों की दीवारें जितनी तेजी से विश्व के अन्य क्षेत्रों में ढह रही हैं उतनी तेजी से दक्षिण एशिया के देशों में नहीं टूट पा रही हैं । भारत के आकार की विशालता, भारी-भरकम जनसंख्या और उसकी बढ़ती शक्ति से भारत के छोटे पड़ोसी देशों बांगिलादेश, नेपाल, भूटान और पाकिस्तान जैसे देशों में व्यक्तिगत अथवा सामूहिक रूप से अपने बड़े पड़ोसी के प्रति भय, शंका अथवा ईर्ष्या भले ही पैदा हो जाय, जिसे राजीव गांधी ने स्वीकाराभी हैकिन्तु उन्होंने अपनी ओर से वायदा किया है कि दूसरों की कीमत पर कोई गलत फायदा हिन्दुस्तान कभी नहीं उठाना चाहेगा ।[2]

---

1-पेइचिंग-इस्लामाबाद धुरी, नवभारत टाइम्स 14 फरवरी 1989

2- नवभारत टाइम्स, 1 जनवरी 1989

राजीव गांधी ने अपने एक वक्तव्य में कहा " कि भारत और पाकिस्तान के बीच, दक्षिण भारत और श्रीलंका के बीच, पश्चिम बंगाल और बांगलादेश के बीच परस्पर सम्पर्क की सम्भावनायें कितनी विराट है । जब हम लोग उनकी कल्पना करते हैं तब समझ में आता है कि राष्ट्रीय दीवारों ने इस भूखंड की सामाजिक, वैचारिक एवं सांस्कृतिक लहरों को किस तरह हदों में बांट रखा है जबकि इकतालिस वर्ष पहले ऐसा नहीं था" ।[1]

किन्तु सवाल यह उठता है कि यदि दोनों देशों में सन्देहों के इस कुहरे को दूर करने का प्रयास न किया गया और आपसी मनोमालिन्य दिन-प्रतिदिन बढ़ता गया तो निश्चित ही मित्रता की सम्भावनायें क्षीण होकर अविश्वास और कटुतापूर्ण वातावरण के लिये अनुकूल जलवायु मिल सकती है । उदाहरण के लिये, 1987 के वर्ष की तरह 1988 भी बांगलादेश के लिये बाढ़ का वर्ष रहा पर 1988 की बाढ़ जलमग्न क्षेत्र और तबाही की दृष्टि से दो हजार लोग जल समाधि में मारे गये । भारत सहित अनेक देशों ने वहां सहायता भेजी । भारत सबसे पहले पहुंच कर एक सच्चे निकटतम पड़ोसी धर्म को बखूबी निभाया । श्रीलंका के राष्ट्रपति जयवर्धने और राजीवगांधी खुद बांगलादेश जाकर सहानुभूति प्रकट करने गये थे[2] पर इस वर्ष बांगलादेश का रुख विचित्र था । उसने भारतीय सहायता को कोई खास स्वागत तो नहीं किया बल्कि ऐन उस मौके पर भारतीय हेलीकाप्टरों को वापिस भेज दिया जब उनकी बहुत जरूरत थी और वे उन जगहों पर सामग्री फेंक रहे थे जहां जाने में बांगलादेश सहित, वैमानिक घबरा रहे थे । बाढ़ उतरने के बाद बांगलादेश के राष्ट्रपति जनरल इरशाद ने एक नयी तरह की राजनीतिक चाल चली । बांगलादेश की बाढ़ का पूरा दोष मानो भारत का है इस तरह के परोक्ष संकेत फेंकते हुये उन्होंने इस समस्या के क्षेत्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय समाधान के लिये बात-चीत करनी आरम्भ कर दी ।

---

1- नवभारत टाइम्स, 1 जनवरी 1989

2- वही

अतः कहने का तात्पर्य यह है कि बांगलादेश के राष्ट्रपति का यह कदम निश्चित रूप से बचकानेपन की राजनीति का द्योतक रहा, जिससे किन्हीं भी दो पड़ोसी देशों के मैत्रीपूर्ण सम्बंधों को आघात पहुंच सकता है और यदि भारत और चीन तथा भारत और पाकिस्तान के बीच मैत्री सम्बंधों का नया युग शुरू न हुआ होता तो निश्चित रूप से पड़ोसी देश बांगलादेश की समस्या की अगुआई करने अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भारत की छवि बिगाड़ने का अवश्य प्रयास करते जिससे दोनों देशों के बीच सम्बंध और अधिक खराब होने की सम्भावनायें बढ़ जातीं । किन्तु जनरल इरशाद ने परिस्थिति की गम्भीरता को भांपकर नई दिल्ली आकर हेलीकाप्टरों की वापसी पर खेद प्रगट किया और राजीव गांधी से भविष्य में बाढ़ नियंत्रण के सामूहिक प्रयासों के लिये भी बातचीत की और दोनों देशों के बीच उत्पन्न होने वाली समस्याओं का समाधान द्विपक्षीय वार्ताओं के द्वारा सुलझाने में विश्वास प्रगट किया ।

राजेन्द्र सरीन का कहना है[1] कि दोनों देशों की वर्तमान नीतियों एवं क्रियाकलापों से अब ऐसा देखने में आ रहा है कि दोनों ही देश तनावपूर्ण वातावरण से मुक्त होकर सहयोगी बनकर रहने के इच्छुक लग रहे हैं क्योंकि बांगलादेश की स्थिरता और समृद्धि में ही भारत अपना हित मानता है और अब जनरल इरशाद की सरकार भी इस नतीजे पर पहुंच रही है कि भारत के प्रति विरोधी रूख अपनाकर बांगलादेश को किसी भी प्रकार का लाभ नहीं मिल सकता है । अब बांगलादेश का शासक वर्ग अपनी भू-राजनैतिक आवश्यकताओं के प्रति जागरूक है । बांगलादेश को यह भलीभांति बोध है कि भारत की उपेक्षा करके यदि वह अन्य किसी देश से कूटनीतिक सम्बंधों को स्थापित करने का प्रयास भी करता है तो उसकी आशायें बड़ी ही मर्यादित हैं क्योंकि कोई भी दानदाता देश सहायता का आधार राजनैतिक एवं सामरिक मानकर ही अपनी सहायता देता है ।

---

1- द ट्रिब्यून 20 सितम्बर 1982, बाई राजेन्द्र सरीन

किन्तु भारत इस क्षेत्र की एक स्वयं सिद्ध महाशक्ति के रूप में अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में आ चुका है, अतः भारत को इस क्षेत्र में अपनी भू राजनैतिक हितों के संरक्षण के लिये बांगलादेश से मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध बनाये रहना आवश्यक है । अतः वह बांगलादेश के साथ अपने मैत्रीपूर्ण सम्बन्धों की उपेक्षा कैसे कर सकता है ।[1]

अतः दोनों देशों के बीच घनिष्ठ मैत्री पूर्ण सम्बन्धों की सम्भावनायें निर्विघ्न और उत्साहवर्धक प्रतीत हो रही है ।

सुझाव :- पूर्व विदेश मंत्री अटल बिहारी बाजपेयी के शब्दों में[2] "विश्व में क्षेत्रीय महाशक्ति के रूप में भारत की प्रतिष्ठा बन रही है । पर अपने पड़ोसी देशों के साथ हमारे सम्बन्ध कुल मिलाकर संतोषजनक नहीं है । बेशक लोकतन्त्री पाकिस्तान के साथ सम्बन्धों में तनाव कम हुआ है, पर बांगलादेश, खासकर, नेपाल और अब श्रीलंका के साथ हमारे सम्बन्धों में दूरी और तनाव बढ़े हैं । इससमय पड़ोसी देशों के साथ हमारे सम्बन्धों की जो स्थिति है-- वे स्पष्ट बताते हैं कि कूटनीति के निर्धारण और कार्यान्वयन में हमसे भूलें हुयी हैं । इस कारण इस भूखण्ड में मैत्री का वातावरण बिगड़ा है और अनावश्यक तनाव पैदा हो गये हैं ।

श्री बाजपेयी का कहना है कि पड़ोसी देशों के साथ अमेरिका जैसी महाशक्ति को भी बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है । यह उस भूखण्ड के इतिहास से स्पष्ट है । हम पड़ोसी देशों के साथ सहयोगी बनकर काम करें । बड़े राष्ट्र के नाते उदारता का रूख अपनायें, लेकिन अपने हितों की बलि चढ़ाकर नहीं, दोष अकेला विदेश नीति का नहीं होता है । जिस तरह छोटे-छोटे देशों के साथ व्यवहार करते हैं, उसका भी बड़ा महत्त्व है । जनता सरकार के दिनों में पड़ोसी देश यही थे, लेकिन तब कोई टकराहट नहीं थी । उसका कारण यह था कि हम उनके साथ बराबरी का व्यवहार करते थे, शिष्टाचार का पालन करते थे ।

---

1- द ट्रिब्यून, 20 सितम्बर, 1982 , बाइ राजेन्द्र सरीन

2- भारत सरकार की कूटनीतिपूर्ण असफल, "पूर्व विदेशमंत्री अटल बिहारी बाजपेयी का मधुसूदन आनन्द से साक्षात्कार नवभारत टाइम्स, 13 जुलाई, 1989.

अपने हितों की रक्षा करते हुये उनके हितों के संवर्धन में सहायक होने की कोशिश करते थे। वास्तविकता तो यह है कि जनता सरकार के दिनों में पड़ोसी देशों के साथ हमारे सम्बन्धों में सुधार हुआ था। लेकिन ऐसा गतिरोध किसी भी देश के साथ नहीं था जैसा कि पिछले दो सालों में देखा जा रहा है।[1]

श्री बाजपेयी का यह कथन सत्य है कि भारत दक्षिण एशिया में एक बड़े भाई की स्थिति में हैं अतः उसे अपने पड़ोसी देशों के साथ समान एवं उदारतापूर्वक सहयोग और व्यवहार करना चाहिये, किन्तु जहां तक भारत-बांगलादेश के सम्बन्धों का प्रश्न है, भारत ने कभी-भी उसकी स्वाधीनता एवं सार्वभौमिक सत्ता का अतिक्रमण करने का प्रयास नहीं किया है। जैसा कि सूर्यकान्त बाली का मत है कि दक्षिण एशिया का स्वयंसिद्ध नेता होने के बावजूद भारत की इच्छा पाकिस्तान समेत किसी भी दक्षिण एशिया देश पर न तो धौंस जमाने की है और न इस कारण सम्बन्धों का जायका खराब करने की है।[2] अतः बांगलादेश जैसे पड़ोसी देशों का भी यह दायित्व हो जाता है कि ये भारत पर निरपराध होते हुये भी ऐसे निराधार आरोप-प्रत्यारोप न लगायें जिससे बांगलादेश की जनता और विश्व जनमत के बीच उसकी छवि बिगड़ जाय। जैसे बांगलादेश में आने वाली बाढ़ों के लिये अपने प्रशासनिक असफलता को उन्होने यह कहकर छिपाने का प्रयास किया कि यह भारत का षडयन्त्र है। भारत को बाढ़ों के लिये दोषी सिद्ध करने के लिये इरशाद इस सीमा तक पहुंच गये कि उन्होने राहत कार्य में लगे भारतीय हेलीकाप्टरों को वापस भेज दिया।[3]

---

1- नवभारत टाइम्स,

2- नवभारत टाइम्स 18 दिसम्बर, 1988 बाइ-सूर्यकान्त बाली

3- नवभारत टाइम्स, 2 अक्टूबर, 88

किन्तु इस प्रकार के कूटनीतिक प्रपंच कभी-कभी दो देशों के सम्बंधों के बीच गहरे मतभेद पैदा कर देते हैं । लेकिन नूरूल हुदा और पेरी काटली वाला [1] का स्पष्ट मत है कि बांगलादेश जैसे दलदली देश के लिये बाढ़ें तो हमेशा की चीज है । विशेषज्ञों के अनुसार बांगलादेश को भविष्य में बाढ़ों के प्रकोप से बचाने की किसी भी दूरगामी रणनीति की सफलता के लिये यह जरूरी है कि सरकार गैरसरकारी संगठनों तथा वन संरक्षण के लिये निचले स्तर पर कार्यरत संस्थाओं के द्वारा समन्वित प्रयत्न किये जांय । भारत, नेपाल और बांगलादेश को एक सर्वसम्मति नीति बनाकर पहले मौजूदा बनों का संरक्षण कर फिर पुनर्वनीकरण के कार्यक्रमों को हाथ में लिया जाय । भारत, नेपाल तथा बांगलादेश के बीच सहयोग और समन्वय नदियों के नियंत्रण के लिये तीनों देशों के बीच ऐसा संचार-संजाल होना चाहिये जिसमें बांगलादेश को यह पता चल सके कि प्रवाह के उपरी इलाकों में अन्य देश क्या कर रहे हैं तथा अपनी योजना उसी हिसाब से बनाये । चूंकि गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा मेघना नदियों का जल-ग्रहण क्षेत्र 15 लाख वर्ग किमी0 है जो कि बांगलादेश के कुल क्षेत्रफल के बराबर है । क्षेत्रीय सहयोग पहली प्राथमिकता है । बांगलादेश जैसे साधनहीन निर्धन देश को प्राकृतिक आपदाओं से बचाने के लिये सभी पड़ोसी देशों का उत्तरदायित्व है ।[2]

बांगलादेश की बाढ़ समस्या दोनों देशोंके बीच मनमुटाव का अब प्रमुख कारण बन रही है। अत: भारत-बांगलादेश को सामूहिक प्रयत्नों के द्वारा इस समस्या के समाधान का प्रयत्न करना चाहिये । जिससे मैत्री सम्बंधों के लिये बांगलादेश की जनता में नया विश्वास पैदा हो सके ।

भारत-बांगलादेश सम्बंधों में खटास पैदा करने वाला दूसरा कारण आज चकमा शरणार्थियों की समस्या है । बांगलादेश से आये 68,000 से भी ज्यादा चकमा शरणार्थी भारतीय शिविरों में शरण लेने को मजबूर हैं । त्रिपुरा राज्य के मुख्य सचिव मि0 आई0पी0 गुप्त ने इन खबरों पर चिंता व्यक्त की है कि कुछ शरणार्थी त्रिपुरा में जमीन-जायदाद भी खरीद रहे हैं, उन्होंने कहा कि ढाका सरकार को उन्हें शीघ्र वापस लेना चाहिये ।[3]

---

1- "बांगलादेश की बाढ़ों के लिये समाधान" नवभारत टाइम्स 2 अक्टूबर 88

2- वही, नवभारत टाइम्स, 23अक्टूबर 89

3- "चकमा शरणार्थियों के कारण त्रिपुरा राज्य में भारी संकट" नवभारत टाइम्स 11 जुलाई89

बांगलादेश का यह नैतिक कर्तव्य हो जाता है कि वह असम, मेघालय, पश्चिमी बंगाल और त्रिपुरा राज्यों से आने वाले अप्रवासियों को अन्तर्राष्ट्रीय नियमों के मुताबिक वापस ले ले जिससे दोनों देशों के बीच भावी तनाव पैदा न हो सके ।

भारत-बांगलादेश के बीच तनाव पैदा करने वालातीसरा कारण बांगलादेश में इस्लाम को राजधर्म घोषित करके अल्पसंख्यकों के मौलिक अधिकारों को हनन करना बन सकता है । बांगलादेश हिन्दू लीग ने सरकार से आग्रह किया है कि वह अल्पसंख्यकों और खासकर हिन्दुओं पर हो रहे अत्याचारों की रोकथाम के लिये तुरंत कदम उठाये । लीग के अनुसार ये अत्याचार एक संगठित गिरोह द्वारा किये जा रहे हैं । लीग ने प्रशासन की सांठ-गांठ से हो रही अत्याचार और उत्पीड़न की घटनाओं की भर्त्सना करते हुये सरकार को चेतावनी दी है कि यदि वह ऐसी घटनाओं को रोक नहीं पाती है तो इसके गम्भीर परिणाम होंगे । इस तरह की हरकतों का मकसद अल्पसंख्यकों को देश छोड़कर जाने को बाध्य करना है । लीग के अध्यक्ष सेवा निवृत मेजर अनुकूल चन्द्र देव ने यह जानकारी दी है । मेजर देव ने कहा कि हिन्दुओं की जमीन और सम्पत्ति पर कब्जा करने की मुहिम जारी है ।[1]

भारत-बांगलादेश की जनता के बीच मधुर और आत्मीय सम्बंधों को विकसित करने के लिये लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता के आदर्शों को स्वीकार करना दोनों देशों के लिये अपरिहार्य है क्योंकि लोकतंत्रीय व्यवस्था के अन्तर्गत सभी जातियों, धर्मों के लोगों को अपने व्यक्तित्व का विकास करने का अवसर प्राप्त हो जाता है, दूसरा, धर्मनिरपेक्षता सभी धर्मावलम्बियों के धार्मिक विश्वासों को फलने-फूलने का अवसर प्रदान करती है । भारत, पाकिस्तान और बांगलादेश

---

1- चकमा शरणार्थियों के कारण त्रिपुरा राज्य में भारी संकट"- नवभारत टाइम्स 4 मई 1989

की जनता के बीच यदि हमें भाई-चारे और मित्रता की सम्भावनाओं को साकार रूप देना है तो निश्चित रूप से संकीर्ण धर्मान्धता को त्याग सर्वधर्मसमभाव के उच्च आदर्शों को स्वीकार करना होगा ।

गंगा और टीस्टा नदियों का जल वितरण भारत-बांगलादेश के बीच तनाव पैदा करने वाली प्रमुख समस्या है । यद्यपि गंगाजल वितरण के सम्बंध में समझौते हो चुके हैं ।[1] दोनों देशों की सरकारों को उनका आदर करते हुये भविष्य में भी उनके शान्तिपूर्ण समस्या को सुलझाने के लिये प्रयासरत रहना चाहिये ।

भारत-बांगलादेश के बीच न्यूमूर द्वीप, तीन बीघा सीमा विवाद एवं सीमा पर तारों की बाड़ लगाने सम्बंधी विवाद चल रहे हैं । इसमें तीन बीघा विवाद लगभग सुलझ गया है । इसमें न्यूमूर द्वीप विवाद, सीमा पर तारों की बाड़ लगाने का विवाद एवं सीमा पर अनेकों प्रकार की तस्करी की समस्यायें दोनों देशों के बीच कभी भी विवाद का कारण बन सकती है । भारत-बांगलादेश सीमाओं पर अनेकों बार सैनिक झड़पें हो चुकी हैं । बांगलादेश वासियों द्वारा भारतीय किसानों की पकी फसलें काट लेने, जानवरों की चोरी करने एवं भारी मात्रा में तस्करी जैसे अपराधों के कारण कभी-कभी तनाव पैदा हो जाता है ।

अतः दोनों देशों के सीमा अधिकारियों को सीमा सम्बंधी इन छोटे-छोटे विवादों को बातचीत के द्वारा न्याय और निष्पक्षता से निपटा देना चाहिये । सीमा सम्बंधी विवादों को निपटाने एवं सीमा पर होने वाले अपराधों की रोकथाम के लिये योग्य, कार्यकुशल, ईमानदार एवं निष्पक्ष अधिकारियों के संयुक्त कार्यदल बनाने चाहिये तथा उनकी सेवाओं का मूल्यांकन करके विशेष प्रोन्नतियों एवं पुरस्कार का भी प्रावधान करना होगा और यदि भारत सीमा पर तारों की बाड़ लगाने की योजना करता है तो बांगलादेश सरकार को भारत सरकार के

---

1- दि ट्रिब्यून - 11 जनवरी 1985

निर्णय के विरुद्ध जनता में एक कृत्रिम तनाव उत्पन्न करने का प्रयास नहीं करना चाहिये ।[1]

भारत-बांगलादेश के आर्थिक सामाजिक एवं सांस्कृतिक सम्बंधों को विकसित करने के लिये यातायात एवं संचार साधनों में वृद्धि करना दोनों देशों के राष्ट्रीय हित में है ।[2] यातायात और संचार सुविधाओं के बढ़ जाने से एक तो दोनों देशों के पुराने रिश्ते पुनर्जीवित होंगे और इसके अलावा दोनों देशों की जनता में आपसी मेलमिलाप भी बढ़ेगा ।

दक्षेस के काठमाण्डू शिखर सम्मेलन के नेताओं ने महाशक्तियों पर सद्भाव शांति, स्थिरता, सम्पन्नता और आपसी सम्मान के वातावरण में बाधा डालने का आरोप लगाया है ।[3] दक्षिण एशिया के प्रायः सभी देश आर्थिक दृष्टि से निर्धन और औद्योगिक एवं वैज्ञानिक क्षेत्रों में भी पिछड़े हुये हैं, अतः भारत और बांगलादेश जैसे विकासशील देशों को महाशक्तियों एवं अन्य बाहरी देशों के कूटनीतिक मायाजाल से दूर रहकर गुटनिरपेक्ष एवं शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व की नीतियों का दृढ़ता से पालन करना चाहिये । क्योंकि स्वतंत्र विदेश नीति ही देश की सार्वभौमिक सत्ता को संरक्षण प्रदान कर सकती है ।

बांगलादेश को विश्व के अन्य देशों से सस्ती सहानुभूति एवं मैत्री प्राप्त करने का प्रयास नहीं करना चाहिये । जैसे, अमरीका को खुश करने के लिये रूस के राजनयकों को निष्कासित कर दिया ।[4]

---

1- इरशादस फोनी क्राइसिस - पैट्रियाट, 26 अप्रैल 1984

2-डेलही-ढाका न्यू बिगनिंग, बाई राजेन्द्र सरीन, ट्रिब्यून 20 सितम्बर 1982

3- नवभारत टाइम्स, 7 नवम्बर 1987

4- पैट्रियाट, 26 अप्रैल 1984

पाकिस्तान और अमरीका एवं चीन को प्रसन्न करने के लिये पाकिस्तान द्वारा प्रस्तुत अणु अप्रसार प्रस्ताव का समर्थन करने लगा । जबकि भारत सरकार ने स्पष्ट रूप से यह घोषणा की है कि भारत अणुशक्ति का प्रयोग विनाशकारी बमों के निर्माण में नहीं करेगा । इसके साथ ही भारत सरकार का यह स्पष्ट कहना है कि आणविक अस्त्रों के निर्माण के सम्बंध में प्रतिबंध का प्रयास अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर होना चाहिये तभी मानव जाति की शान्ति और सुरक्षा सम्भव है । इसी प्रकार उसने पाकिस्तान एवं अन्य मुस्लिम राष्ट्रों एवं अपने देश के कट्टर पंथियों को खुश करने के उद्देश्य से "इस्लाम" बांगलादेश का राजधर्म घोषित किया है । किन्तु वस्तुस्थिति यह है कि बांगलादेश पाकिस्तान की नीतियों का अनुसरण करके भारत के साथ तनाव बनाये रखना चाहता है जिससे वह अपने घरेलू विरोधियों को पराजित कर सके । लेकिन भारत को उसके इन मंसूबों से सतर्क रहना चाहिये । बांगलादेश के शासकों को भी अब अनुभव कर लेना चाहिये कि इन घिनौने राजनैतिक हथकंडों का प्रयोग उनके सुदूरगामी राष्ट्रीय हित में नहीं है ।[1]

कुछ वर्षों पूर्व बांगलादेश के मुख्य सैनिक प्रशासक मेजर जनरल जियाउर्रहमान ने भारत पर आरोप लगाया था कि अगरतला और मेघालय में बांगलादेश के आतंकवादियों को प्रशिक्षण देने के शिविर है । इसी तरह के आरोप जनरल इरशाद ने भी लगाये कि शांतिवाहिनी को भारत से मदद मिल रही है । उधर भारत का आरोप है कि त्रिपुरा के टी०एन०वी० छापामारों को बांगलादेश में प्रशिक्षण और सैन्य सामग्री मिल रही है । यद्यपि दोनों देशों की सरकारों ने इस प्रकार के आरोपों को निराधार बताया है फिर भी दोनों देशों की सरकारों द्वारा इस प्रकार के निराधार राजनैतिक वक्तव्यों को देना दोनों देशों के सम्बंधो के लिये घातक है । आन्तरिक असफलताओं को छिपाने के लिये दोनों ही देशों की सरकारों को इस प्रकार के राजनैतिक हथकन्डों का प्रयोग करना उचित नहीं है । जबकि भारत और बांगलादेश दोनों ही पड़ोसी देश मित्रता कायम रखने के लिये अपनी-अपनी वचनबद्धता को दोहराते हैं ।

---

1- पेट्रियाट, 26 अप्रैल 1984

भारत सरकार ने दक्षिण एशिया में हमेशा द्विपक्षीयवाद को उत्साहित करने का प्रयास किया है । पाकिस्तान के साथ शिमला समझौता श्रीमती गांधी का ही मानस-पुत्र था । अतः भारत-बांगलादेश को समय-समय पर उत्पन्न होने वाली समस्याओं को द्विपक्षीय वार्ताओं के माध्यम से ही सुलझाना चाहिये । हमें सदैव विवादों के शांतिपूर्ण समाधान के लिये पहल करनी चाहिये ।

मि0 ज्योति जफ का विश्वास है कि संघर्ष, समस्याओं के समाधान का उत्तर नहीं है । मेजों पर होने वाली आपसी विचार विमर्श ही तनावपूर्ण वातावरण को बदलकर क्षेत्रीय एवं विश्वव्यापी तनाव शैथिल्य में योगदान दे सकते हैं । राजनैतिक लिप्सायें जब पड़ोसियों के बीच असन्तोष उत्पन्न कर देती हैं तब उनको आपसी समझौतों और क्षेत्रीय सहयोग के द्वारा दूर करना चाहिये । वास्तविकता तो यह है कि भारतवासियों का मन भले ही बांगलादेश की जनता के जनकल्याण के लिये भरा हो, लेकिन भारत ने बांगलादेश का उपयोग, विज्ञान और शिक्षा तथा सांस्कृतिक जीवन के विविध क्षेत्रों में उतना सहयोग नहीं किया है जितनी की उससे अपेक्षा थी ।[1]

जैसा कि इन्द्रजीत ने कहा है कि भारत और बांगलादेश के भावी सम्बन्धों को मित्रता और सौहार्द का एक स्थायी आयाम देने के लिये आपसी मेल-मिलाप की आवश्यकता है और यह तब तक सम्भव नहीं है, जब तक कि हम अपने दम्भ और पूर्वाग्रहों को समाप्त करने में सफल नहीं हो जाते हैं । हमें आपसी भय, स्वार्थ और भ्रमों से मुक्त होकर एक दूसरे के दृष्टिकोण और मनः स्थिति को समझना होगा ।[2]

अतः भारत को निःस्वार्थ भाव से बांगलादेश जैसे अपने छोटे साधनहीन पड़ोसी देशों के मन से भय, शंका और सन्देहों को दूर करके परस्पर सम्मान, सहानुभूति, सहयोग, सहिष्णुता, शान्ति और सह-अस्तित्व के आधार पर स्थायी एवं व्यापक मैत्रीपूर्ण सम्बन्धों के संवर्धन के लिये सतत सचेष्ट रहना चाहिये ।

---

1- फार बेटरटाइस विथ बांगलादेश ज्योति जफा इन नागपुर टाइम्स, 11 मई, 81.

2- इन्द्रजीत, देहली ढाका और मित्रता-नागपुर टाइम्स, 10 अप्रैल, 1981.

# उपसंहार

## उपसंहार

भारत और बांगलादेश के बीच जो भौगोलिक समीपता, आर्थिक निर्भरता और सांस्कृतिक समरसता विद्यमान है, वैसी विश्व के अन्य पड़ोसी देशों में दुर्लभ है । अतः इनकी उपेक्षा करना दोनों देशों के राष्ट्रीय हितों के प्रतिकूल होगा । क्योंकि भारत और बांगलादेश का इतिहास एक है, सामाजिक आचार-विचार एक है । यहाँ तक कि दोनों देशों के नागरिकों की धमनियों में प्रवाहित होने वाला रक्त भी एक है । इस बात को बड़े खुले शब्दों में मो० करीम छागला ने उस समय कहा था, जब वे भारत सरकार में मन्त्री थे कि " जो मुसलमान यह मानते हैं कि उनके पूर्वज भारतीय नहीं थे, वे अपने आपको धोखा दे रहे हैं[1] ।

अतः भारत और बांगलादेश की यह साझी सांस्कृतिक विरासत दोनों देशों के बीच परस्पर विश्वास, सहयोग, सहानुभूति और सहिष्णुता के मानदण्डों के लिये प्रेरणादायक रही हैं । तभी तो जब पूर्वी पाकिस्तान की जनता ने अपने आर्थिक शोषण और राजनैतिक उत्पीड़न से मुक्ति पाने के लिये स्वाधीनता संग्राम का आह्वान किया और पश्चिमी पाकिस्तान के सैनिक अधिनायकों ने अपनी निरंकुश सैन्य शक्ति के द्वारा पूर्वी बंगाल की निर्दोष जनता का व्यापक नरसंहार करने का आदेश दे दिया, तब । करोड़, भूखे, नंगे, स्त्री-पुरूष, बाल-वृद्ध, अपनी क्षुधापूर्ति और जीवनरक्षा की लालसा में सरहद पार करके अपने पुराने घर भारतवर्ष में शरण पाने के लिये आतुर हो गये । उस विषम परिस्थिति में भारत सरकार एवं भारतीय जनता ने बड़े ही उत्साह और साहस के साथ इन विस्थापित बन्धुओं के लिये , आवास, भोजन, स्वास्थ्य और शिक्षा की व्यवस्था करके अपनी प्राचीन सांस्कृतिक परम्पराओं का निर्वाह किया ।

---

1- दैनिक जागरण कानपुर, 6 दिसम्बर, 1988. कोटेड बाइ नरेन्द्र मोहन .

प्रधानमन्त्री इन्दिरागांधी ने विश्व के विभिन्न राष्ट्रों से भारत उपमहाद्वीप के इस राजनैतिक संकट के समाधान की अपील की किन्तु लोकतान्त्रिक मान्यताओं और मानव अधिकारों की रक्षा का ढोंग करने वाली विश्व की महाशक्तियाँ पूर्वी पाकिस्तान की मानव विनाश लीला का क्रूरतापूर्ण दृश्य मौन बनकर देखती रही किन्तु सोवियत संघ ही एक ऐसा देश था, जिसने पाकिस्तान के सैनिक शासक याहया खाँ को पत्र लिखकर सैनिक दमन बंद करके समस्या के राजनैतिक समाधान की अपील की थी । बंगलादेश संकट के समय से ही भारत रूस मैत्री सम्बन्धों का एक नया युग शुरू हो गया और तभी से भारत भी निर्गुट आन्दोलन की गुफा से निकलकर विश्व राजनीति के माहिर खिलाड़ियों की श्रेणी में आ गया । किन्तु भारत ने नैतिक मूल्यों की स्थापना के लिये अपना भरपूर सहयोग दिया । उसी समय पाकिस्तान ने वास्तविक स्थिति से विश्व जनमत को गुमराह करने के लिये 3 दिसम्बर, 1971 को भारत पर जबरदस्त आक्रमण कर दिया, उसकी कूटनीतिक चाल यह थी कि भारतीय उपमहाद्वीप विश्व की महाशक्तियों का रणक्षेत्र बन जाय, जिससे पूर्वी बंगाल के स्वाधीनता संग्राम को कुचलने में वह सफल हो सके किन्तु राष्ट्रभक्तों का खून कभी व्यर्थ नहीं जाता है । भारतीय सेनाओं और पूर्वी बंगाल की मुक्ति वाहिनी ने कंधे से कंधा मिलाकर पाकिस्तान की विशाल सेना को आत्मसमर्पण के लिये विवश कर दिया । विश्व के इतिहास में स्वाधीनता प्रेमियों की यह एक गौरवशाली विजय तथा भारत बंगलादेश की साझी सांस्कृतिक एकता का प्रमाण-पत्र था, जो दोनों देशों की पीढ़ियों के लिये मील का पत्थर बनकर मार्गदर्शन करता रहेगा ।

16 दिसम्बर, 1971 को स्वाधीन सोनार बांगलादेश " का अभ्युदय 20वीं सदी की एक अद्‌भुद घटना है, जिसमें एशिया की भौगोलिक एवं राजनैतिक परिस्थितियां तो बदल ही गयी, बल्कि विश्व के राजनैतिक समीकरण भी बदल गये और भारत की पूर्वोत्तर सीमा पर एक मित्र राज्य के रूप में भारत-बांगलादेश

के बीच नये अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों का एक नया अध्याय आरम्भ हो गया । बांगलादेश में बंग बन्धु शेख मुजीबुररहमान के नेतृत्व में भारत विभाजन के बाद पहलीबार लोकतन्त्रीय सरकारका गठन हुआ। मुजीब सरकार के नेतृत्व में बांग्लादेश ने अपने वैदेशिक सम्बन्ध शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व, गुटनिरपेक्षता और निरस्त्रीकरण के उन सिद्धान्तों के आधार पर बनाने का फैसला किया है, जो भारतीय विदेश नीति के आधारभूत सिद्धान्त एवं आदर्श हैं। मुजीब युग में भारत और बांग्लादेश के बीच सम्बन्ध आपसी सहयोग और समझदारी की पराकाष्ठा पर थे। भारत ने बांग्लादेश की जर्जर अर्थव्यवस्था के पुनर्निमाण में यथाशक्ति सहयोग दिया। दोनों देशों के बीच भारत विभाजन के बाद नये आर्थिक सम्बन्धों के अन्तर्गत भारी मात्रा में वस्तुओं का आयात और निर्यात किया गया। सांस्कृतिक सम्बन्धों को भी नया आयाम दिया गया। भारत और बांग्लादेश के बीच सीमाविवाद पर क्या जल विवाद जैसी जटिल समस्याओं का द्विपक्षीय वार्ताओं के द्वारा सौहार्द्रपूर्ण वातावरण में समाधान खोजलिया गया। बांग्लादेश और भारत की निकटता का प्रमुख आधार दोनों देशों की दृष्टि और सिद्धान्तों में साम्यता थी। वस्तुतः दोनों देशों के बीच मैत्री सन्धि का आधार भी यही था।

मुजीब के समय भारत-बांग्लादेश मैत्रीपूर्ण सम्बन्धों का आधार बन्धुत्व भाव था, कृतज्ञता नहीं। शेख मुजीबुर रहमान भारत से स्थायी सम्बन्ध रखने और दोनों देशों की मित्रता के प्रबल पक्षधर थे, किन्तु उन्हीं के शासन काल में भारत विरोधी भावनायें भड़काने वाले तत्वों की संख्या भी बढ़ने लगी थी। मौलाना भसानी जैसे प्रभावशाली नेता हमेशा भारत के विरोध में आग उगलने से नहीं चूकते थे, किन्तु बांग्लादेश में बढ़ती हुयी आर्थिक तबाही एवं बिगड़ती हुयी कानून-व्यवस्था की परिस्थितियों का लाभ उठाते हुये विदेशी शक्तियों की साजिश से एक सैनिक विप्लव में शेख मुजीब और उनके परिवार जनों की हत्या कर दी गयी।

उसी समय से बांग्लादेश नरहत्या विप्लव और राजद्रोह की दृश्यभूमि में परिणित हो गया, शेख मुजीब और उनके परिवार जनों की हत्या के बाद से बांग्लादेश में घटनाक्रम इतनी तेजी से बदल गया है कि सबसे निकटतम पड़ोसी देश भारत का इन तमाम घटनाओं पर चिंतित होना स्वाभाविक है। ये घटनायें लोकतंत्र की व्यवस्था के प्रतिकूल है। इन घटनाओं से स्पष्ट है कि बांग्लादेश का सन्तुलन टूट चुका है और बांग्लादेश की राजनीति को एक बार पुन: गहरे राजनैतिक एवं सामाजिक संकट से गुजरना पड़ रहा है।[1]

बांग्लादेश की सीमाएं भारत से लगी है। यदि बांग्लादेश में आग धधकती है या कि बांग्लादेश की शान्ति एक लम्बे अर्से तक के लिए नष्ट हो जाती है तो इसका सबसे व्यापक प्रभाव भारत पर पड़ेगा। अन्तर्राष्ट्रीय विप्लव लीला का यह नियम है कि वह कभी एक देश तक सीमित नहीं रहती है। विप्लव लीला के सूत्रधार तमाम सम्बन्धित देशों में अशान्ति कायम करते हुये चलते है और यदि आग सीमा पर भड़क उठी तो यह बहुत बड़ी घटना होगी।

8 नवम्बर 1975 को संसदीय पार्टी की बैठक में श्रीमती गांधी ने कहा था "बांग्लादेश में जो भी घटनाएं घटेगी उनको केवल बांग्लादेश की आग को केवल स्थानीय ज्वाला कहकर नहीं टाला जा सकता है, कुछ बाहरी शक्तियाँ बांग्लादेश की जनता के साथ खिलवाड़ कर रही है, यद्यपि भारत, बांग्लादेश को मजबूत एवं आत्मनिर्भर देखना चाहता है क्योंकि भारत की यह मान्यता है कि पड़ोसी देशों की उन्नति में भारत की भी समृद्धि छिपी है,,केवल बांग्लादेश की ही नहीं, भारत सरकार तो पाकिस्तान की प्रगति की कामना एक से अधिक बार कर चुकी है, श्रीमती गांधी ने कहा था कि भारत कमजोर पाकिस्तान का नहीं बल्कि सबल पाकिस्तान का कायल है" श्रीमती गांधी के इस वक्तव्य से स्पष्ट है कि भारत अपनी पड़ोसियों की आन्तरिक समस्याओं में अनावश्यक हस्तक्षेप और विस्तारवादी नीतियों का पक्षधर कभी नहीं रहा।[2]

---

1- दिनमान पत्रिका, 16 नवम्बर, 75 पेज 20-21।

2- वही

यद्यपि राष्ट्रपति जियाउर रहमान के काल में भारत बंगलादेश के सम्बन्धों में मुजीब युग की मधुरता तो समाप्त हो ही गयी थी, अपितु बांगलादेश में भारत विरोधी तत्व विदेशी शक्तियों के कूटनीतिक मोहरे बनकर भारत सरकार एवं भारतीय जनता के प्रति अधिक से अधिक अविश्वास, आशंका एवं भय उत्पन्न करने में जुट गये, जिसके परिणामस्वरूप भारत-बांगलादेश के राजनैतिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक सम्बन्धों की प्रगति में एक ठहराव आ गया। किन्तु जब एक बार भारतीय राजनायक की हत्या का प्रयास किया, तब तो यह भारत-बांगलादेश सम्बन्धों के इतिहास का सबसे दुखद एवं नाजुक समय था। परन्तु भारत में जनता दल की सरकार ने पड़ोसी देशों के प्रति परस्पर विश्वास, सहयोग और सौहार्दपूर्ण सम्बन्धों की पुर्नस्थापना के लिये भारतीय विदेशनीति का मुख्य लक्ष्य बनाया। प्रधानमन्त्री श्री मोरार जी देसाई की ढाका यात्रा से दोनों देशों के बीच तनाव में कमी आयी। फरक्का जल विवाद के शान्ति पूर्ण समाधान के लिये एक समझौते पर हस्ताक्षर करके दोनों देशों ने आपसी मित्रता और सहयोग के महत्व को स्वीकार किया। श्रीमती इंदिरा गान्धी ने सत्ता में वापस आने के बाद भी बांगलादेश सरकार को सीमा विवाद, न्यूमोर द्वीप विवाद और बांगलादेश से आये हुये शरणार्थियों की समस्याओं के शान्तिपूर्ण समाधान के लिये भारत सरकार की प्रतिबद्धता का आश्वासन दिया।

किन्तु जिया उर रहमान ने पश्चिमी यूरोपीय देशों एवं अमरीका के साथ तो बेहतर सम्बन्ध स्थापित किये, लेकिन वह भारत के साथ तो इन सम्बन्धों की पुर्नस्थापना नहीं कर सके, जो शेख मुजीबुर रहमान के समय थे। चीन से जरूर उनकी ज्यादा करीबी थी। यद्यपि भारत ने बांगलादेश की सहायता में किसी भी प्रकार की कसर उठा नहीं रखी थी, किन्तु जिस प्रकार के सम्बन्धों की भारत को अपेक्षा था, उसकी पूर्ति कभी नहीं हो सकी।[1]

---

1- दिनमान पत्रिका, 7-13 81 पेज 34.

ऐसा लगता है कि विदेशी शक्तियाँ बांगलादेश को अपने कूटनीतिक मायाजाल में फंसाने के लिये काफी समय से आकुल है । बांगलादेश की आन्तरिक राजनीति में उन्होंने जिस तरह की अभिरूचि दिखायी है वह इस उपमहाद्वीप के अधिक अनुकूल नहीं है । बांगलादेश की वर्तमान राजनैतिक स्थिति को देखते हुये यह स्पष्ट है कि वहां पर अतिवादी शक्तियां आज भी सक्रिय है । ये वादी विश्व शक्तियाँ केवल फौज में ही नहीं है, फौज के बाहर भी है और विजय की वहीं शक्तियां जो बांगलादेश के निर्माण के समय भारत उपमहाद्वीप की कूटनीतिक रणभूमि में बुरी तरह पराजित हो चुकी थी । पुनः एक बार भारत की नयी छवि को धूमिल करने के लिये प्रयत्नशील है ।

इस वास्तविकता को स्वीकार करते हुये काठमांडू के दक्षेस शिखर सम्मेलन में सात दक्षिण एशियायी देशों के नेताओं ने महाशक्तियों पर सद्भाव, शांति स्थिरता, सम्पन्नता और आपसी सम्मान के वातावरण में बाधा डालने का आरोप लगाया था । तीसरे दक्षेस शिखर सम्मेलन के बाद यहां जारी घोषणा पत्र में कहा गया कि दक्षिण एशियायी क्षेत्र पर बाहरी राजनैतिक और आर्थिक दबावों का गहरा प्रभाव पड़ता है ।[1] इस प्रकार विश्व की बाह्य शक्तियां अपने कूटनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिये दोपड़ोसी देशों के आपसी सम्बन्धों को भी क्षतिग्रस्त करने में सतत् प्रयत्नशील रहती है ।

विश्व राजनीति में विकसित समीकरण आसानी से नहीं बदलते । यह सम्भव नहीं कि ढाका से पट जाय और इस्लामाबाद से ठनी रहे । तब तो पेइंचिंग-इस्लामाबाद और वाशिंगटन धुरी के लिये सभी पड़ोसियों को भारत के प्रति शंकालु बनाना आसान हो जाता है । इसलिये भारत को इस क्षेत्र में शान्ति सद्भाव विकसित करने के उद्देश्य से पाकिस्तान और चीन से भी अपने बिगड़े हुये रिश्तों को बनाने के कूटनीतिक प्रयास करना चाहिये ।

---

1- नवभारत टाइम्स, 6, नवम्बर, 1987.

किन्तु हम भारत और बांगलादेश के बीच स्थायी मैत्रीपूर्ण सम्बन्धों को विकसित करने में केवल विदेशी शक्तियों पर दोषारोपण थोपकर दोनों देशों के राजनेता और राजनायक अपनी कूटनीतिक असफलताओं के कलंक से बच नहीं सकते हैं, क्योंकि विदेशी शक्तियों को हस्तक्षेप करने का अवसर तभी मिलता है जब सरकारों की कूटनीतिक असफलता उनको अवसर देती है । पूर्व विदेशमंत्री अटल बिहारी बाजपेयी ने यह स्पष्ट शब्दों में कहा कि, " कूटनीति के निर्धारण और कार्यान्वियन में हम से भूलें हुयी हैं । इस कारण इस भूखण्ड में मैत्री का वातावरण बिगड़ा है और अनावश्यक तनाव पैदा हो गये हैं ।[1]

वास्तव में यही कारण है कि मुजीब शासन काल में जिस तीव्रगति से दोनों देशों के बीच आर्थिक, राजनैतिक एवं सांस्कृतिक सम्बन्धों का विकास हुआ वह जिया उर रहमान और ले0 जनरल इरशाद के काल में सम्भव नहीं हो सका । कुछ विवादास्पद मामलों का स्थायी हल खोजने में दोनों देशों की सरकारों के बीच कूटनीतिक प्रयास तो चलते रहे, किन्तु आज भी फरक्का जल विवाद, न्यूमूरद्वीप विवाद जैसे महत्वपूर्ण मुद्देअनिर्णित बने हुये हैं । इसी तरह बांगलादेश से आने वाले घुसपैठियों के कारण भारत के असम, त्रिपुरा, मेघालय और पश्चिम बंगाल में अनेकों समस्यायें खड़ी हो गयी हैं । भारत, बांगलादेश के बीच इस समय सबसे बड़ी समस्या चकमा आदिवासियों के भारी संख्या में प्रवेश कर जाने से उत्पन्न हो गयी है । ये शरणार्थी बांगलादेश के चटगांव पर्वतीय क्षेत्र से त्रिपुरा राज्य में आ रहे हैं । अब तक इनकी संख्या 70 हजार से ज्यादा हो गयी है ।[2] अभी कलकत्ता में सम्पन्न हुयी एक गोष्ठी में चकमा नेता उपेन्द्र चकमा ने बताया कि अपने आर्थिक , राजनैतिक और सांस्कृतिक शोषण के कारण बंगलादेश छोड़कर भारत के सीमावर्ती राज्यों में शरण लेने के लिये विवश होना पड़ा है और वे तब तक स्वदेश नहीं जायेंगे जब तक उन्हें मूलभूत अधिकारों की

---

1- नवभारत टाइम्स, 13 जुलाई, 1989

2- वही, 16 जून, 1989.

सुरक्षा की गारन्टी नहीं दी जाती ।[1]

जनरल इरशाद को इस गम्भीर एवं ज्वलन्त समस्या के समाधान के लिये भारत सरकार एवं चकमा नेताओं के साथ त्रिपक्षीय वार्ता के द्वारा समाधान का शीघ्र ही प्रयास करना चाहिये और भारत सरकार को भी इसके, समाधान के लिये किये जाने वाले प्रयासों में सहयोग करना चाहिये, क्योंकि आज यह भी सम्भावना लग रही है कि यदि इन चकमा शरणार्थियों को शीघ्र स्वदेश वापस जाने के लिये परिस्थितियाँ उपलब्ध न करायी गयी , तो दोनों देशों के सम्बन्धों में कभी भी तनाव पूर्ण स्थिति उत्पन्न हो सकती है ।

इसी प्रकार "भारत" बंगलादेश सीमा पर लगभग एक हजार आबाद गांव तस्करी के केन्द्र बने हुये हैं । बंगलादेश से भारतीय व्यापारी भारी मात्रा में कपड़ों की तस्करी से खरीदकर लम्बी कमाई कर रहे हैं । इसी प्रकार भारत से, ये तस्कर नमक, चीनी, मिट्टी का तेल और चावल बांगलादेश पहुंचाते हैं । वहां पर तस्करों का स्वर्ग बन गया है । दोनों देशों के सीमा अधिकारियों को सीमा पर होने वाले अपराधों की रोकथाम के लिये संयुक्त प्रयास करना चाहिये क्योंकि बढ़ती हुयी तस्करी की समस्या दोनों देशों के आर्थिक सम्बन्धों को क्षतिग्रस्त कर सकती है ।[1]

किन्तु जब भारत सरकार ने बांगलादेश से आये घुसपैठियों तथा सीमा पर होने वाले अपराधों की रोक थाम के लिये भारत बांगलादेश सीमा पर कटीले तारों की बाड़ लगाये जाने का प्रस्ताव किया तब जनरल इरशाद ने कहा कि बांगलादेश को एक चूहेदानी के अन्दर बंद करने की कोशिश की जा रही है, किन्तु किसी भी कीमत पर ऐसा नहीं होने दिया जायेगा फौजी शासक के तेवर में यह बदलाव अचानक कैसे आ गया । यह बांगलादेश की भीतरी परिस्थितियों, लोकतन्त्र शासन की मांग के लिये चलाये गये आन्दोलन के दबाव के कारण अपना तख्त-ए-ताउस खो देने के भय से घिरे हुये इरशाद की आवाज है । बांगलादेश के

---

1- दिनमान पत्रिका 26 जुलाई । अगस्त 81, पेज 28.

2- अमृत बाजार पत्रिका, 16 सितम्बर, 1989

15 लोकतान्त्रिक दलों द्वारा शेख मुजीब की पुत्री बेगम हसीना वाजिद और भूतपूर्व शासक जियाउर रहमान की विधवा बेगम खालिदा जिया के नेतृत्व में चल रहे आन्दोलन से घबराकर जनरल इरशाद जनता का ध्यान एक ऐसे अमूर्त खतरे की ओर मोड़ना चाहते है जिससे उनकी सत्ता को जीवन दान मिल जाय इरशाद ने स्वयं भारत के विरोध में उत्तेजनात्मक भाषण दिये । बांगलादेश के सरकारी गजटों और पत्र, पत्रिकाओं में भारत के जो नक्शे प्रकाशित हुये उनमें जम्मू काश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा दिखाया गया, सिक्किम को स्वतन्त्र राष्ट्र के रूप में दर्शाया गया[1] यह सब देश के अन्दर भारत विरोधी तत्वों एवं विश्व की कुछ बाहय शक्तियों को खुश करने के लिये किया गया । रूस के राज नायकों को निष्कासित करने के साथ ही जनरल इरशाद ने अपने अन्तर्राष्ट्रीय गँठजोड़ को भारत के सामने उजागर कर दिया था । जिस महाशक्ति को खुश करने के लिये मि० इरशाद यह भड़काने वाली कार्यवाही कर रहे हैं, उस महा शक्ति की लालसा है कि भारत की दक्षिण ऐशिया में उभरती हुयी शक्ति को निष्तेज करके भारत उपमहाद्वीप की राजनैतिक एकता को क्षीण कर दिया जाय, जिससे विदेशी शक्तियों के हस्तक्षेप का मार्ग प्रशस्त हो सके । जैसा कि आज हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में विदेशी महाशक्ति के हस्तक्षेप के कारण उसकी सार्वभौमिक सत्ता के लिये एक चुनौती खड़ी हो गयी है, क्योंकि आज वह अपनी गृह एवं विदेश नीति के निर्धारण में अमरीकी हितों की उपेक्षा करने की स्थिति में नहीं हैं ।

इसी प्रकार, जैसा कि भारत के पूर्व वायु सेना प्रमुख एयर मार्शल, ओ० पी० मेहरा ने इस बात पर जोर दिया है कि, " भारत को रूस पर इतना अधिक आश्रित नहीं होना चाहिये कि उसके अलगाव को हम सह ही नहीं सके ।

---

1- दिनमान, 13-19, जुलाई, 84 पेज 33-34

भारत को इस क्षेत्र में अपनी सामरिक और राजनैतिक जिम्मेदारी सोवियत संघ के बगैर भी समझनी होगी ।[1]

अतः भारत और बांगलादेश को अपनी सार्वभौमिक राजसत्ता की स्वतन्त्रता को अक्षुण्ण बनाये रखने के लिये स्वतन्त्र विदेश नीति का अनुसरण करना चाहिये । भारत और बांगलादेश की जनता के बीच आपसी सौहार्द एवं सहयोग बनाये रखने के लिये लोकतन्त्र एवं धर्मनिरपेक्षता दोनों देशों की राज्य व्यवस्था का मूल आधार होना चाहिये, क्योंकि इन "मूल्यवान आदर्शों के अभाव में भारतीय उपमहाद्वीप में राष्ट्रीय एकता अखण्डता के लिये साम्प्रदायिक सद्भाव तथा पड़ोसी देशों के साथ आत्मीय सम्बन्धों की पुर्नस्थापना सम्भव नहीं हैं ।

वास्तव में लोकतन्त्र और धर्मनिरपेक्षता एक दूसरे के पूरक है एक के अभाव में दूसरे की कल्पना करना निरर्थक है, किन्तु भारत और बांगलादेश के बीच सबसे बड़ी त्रासदी यही हुयी है कि बांगलादेश सरकार ने राज्य व्यवस्था के इन दोनों ही आदर्शों को ठुकरा कर संविधान के आठवें संशोधन के द्वारा इस्लाम को राजधर्म घोषित कर दिया है, ऐसा उन्होने इसलिये नहीं किया कि उन्हें अपने धर्म से बहुत प्यार है, बल्कि अपने निरंकुश शासन को और अधिक मजबूत बनाकर बांगला देश की राजनीति में अपना अस्तित्व आजीवन कायम रखने के लिये ही उन्होने यह कदम उठाया है । बांगलादेश को इस्लामी राज्य बनाकर जनरल इरशाद ने उसी नींव पर कुठाराघात किया है, जिसके बल पर 17 साल पहले बांगलादेश की स्थापना हुयी थी ।

यदि एतिहासिक पृष्ठभूमि में देखा जाय तो यह तथ्य स्पष्ट सामने आता है कि इस देश को एक सूत्र में बांधे रखने में इस्लाम नहीं बल्कि बांगला भाषा और संस्कृति ज्यादा सफल रही है ।

---

1- नव भारत टाइम्स 6 दिसम्बर, 88.

जनरल इरशाद द्वारा उठाये गये कदम से शेख मुजीब का दर्शन पूरी तरह चकना चूर हो गया है और बांगलादेश अब पाकिस्तान के सिद्धान्तों के नक्शेकदम पर चल पड़ा है । स्वाधीनता युद्ध में मारे गये लाखों शहीदों के साथ भी जबर्दस्त धोखा हुआ है, जिन्होंने एक धर्म निरपेक्ष एवं शान्तिप्रिय राज्य की खातिर प्राणों की आहुति दी और इससे भारत और बांगलादेश मैत्रीय सम्बन्धों की नींव के पत्थर भी हिल गये । रूद्र शुक्ला[1] का विचार सारगर्भित है कि जहां तक बांगलादेश के पड़ोसी देशों का सवाल है यहां का धार्मिक कट्टरवाद उनके लिये चिन्ता तो पैदा करेगा ही विशेषकर भारत के लिये जिसने भारत के इस भूभाग में 1971 के पूर्व की स्थिति को उलटने के लिये अपने देश की गरीब जनता के भाग्य को दांव पर लगाकर उस समय जोखिम मोल लिया था। इस बात का संकेत भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी दे चुके हैं । अब भारत दोनों ओर इस्लामी कट्टरवाद के बीच फंसा है, यह जरूरी नहीं कि इस्लामी बांगलादेश का मतलब बैरी बांगलादेश ही है, फिर भी भारत की सीमाओं के दोनों ओर अविश्वास और अनिश्चय का वातावरण पनप सकता है ।

इस परिस्थिति में भारत जैसे धर्म निरपेक्ष राष्ट्र की जनता के लिये विभिन्न सम्प्रदायों के बीच आपसी सद्भाव बनाये रखने की जिम्मेदारी और अधिक बढ़ गयी है, क्योंकि जैसा कि हरिशंकर व्यास का कहना है कि भारत की अपनी भू-राजनैतिक चिन्तायें हैं, अफगानिस्तान से सोवियत सेनाओं की वापसी के बाद जो परिदृश्य बनता है, वह कम खतरनाक नहीं है । यदि हिकमतदार या उन जैसे कठमुल्लाओं की सरकार बन जाय तो ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांगलादेश के इस्लामी राज्य की ऐसी समरूपता बनती है, जो भारत के लिये अंदरूनी और बाहरी दोनों तरह के खतरे पैदा कर सकती है । अतः यह कहना अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं है कि भारत का भविष्य अपने पड़ोसी देशों, पाकिस्तान

---

1- दिनमान-- 30 जून, 1988.

श्रीलंका, मालदीप, बर्मा, बांगलादेश, भूटान और नेपाल की राजनैतिक स्थिरता एवं आर्थिक समृद्धि से जुड़ा हुआ है, इसी तरह इन पड़ोसी देशों का राजनैतिक एवं आर्थिक भविष्य एक शक्तिशाली भारत से सम्बद्ध है । क्योंकि सम्पूर्ण दक्षिण एशिया भूगोल, इतिहास , संस्कृति एवं आर्थिक निर्भरता की दृष्टि से एक दूसरे से गुथा हुआ है । सभी देशों की आर्थिक, सामाजिक एवं सुरक्षा सम्बन्धी आवश्यकतायें एक दूसरे की पूरक है ।

आज हिन्द महासागर में विश्व की महाशक्तियों की बढ़ रही प्रतिस्पर्धा भारत-बांगलादेश सहित सम्पूर्ण दक्षिण एशिया की सुरक्षा के लिये गम्भीर खतरा पैदा हो गया है । नई दिल्ली में पश्चिमी जर्मनी के राजदूत रह चुके डा० गुंटर हेल[1] ने बान से प्रकाशित दैनिक द वेल्ट में कहा है कि उपमहाद्वीप और हिन्द महासागर में महाशक्तियों की प्रतिस्पर्धा से अन्तर्राष्ट्रीय परिदृश्य में नाटकीय बदलाव आ सकता है, किन्तु भारत ही एकमात्र देश है, जो हिन्द महासागर में महाशक्तियों के बीच प्रभुत्ववाद को समाप्त करने में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है । एक शक्तिशाली भारत, बांगलादेश, नेपाल अथवा अन्य पड़ोसी देशों के लिये भय और आशंका का कारण नहीं होना चाहिये, क्योंकि भारत को इस क्षेत्र में ( दक्षिण एशिया ) नेतृत्व सम्भालना होगा उसे अपनी सैनिक क्षमता इतनी बढ़ानी होगी कि वह पड़ोसी देशों की सुरक्षा और स्थायित्व प्रदान कर सके क्योंकि अब भारत में दक्षिण एशियायी देशों में राजनैतिक स्थिरता जनता के मानवीय अधिकारों की सुरक्षा तथा एकता, अखण्डता को चुनौती देने वाली समस्याओं के प्रति अपने दायित्वों का निर्वाह करना आरम्भ कर दिया है । भारत ने सर्वप्रथम विश्व का सबसे बड़ा लोकतान्त्रिक देश होने के नाते पूर्वी पाकिस्तान की जनता के मानव अधिकारों की सुरक्षा के लिये ऐतिहासिक भूमिका का निर्वाह किया था । इसी प्रकार जब जातीय समस्या से श्रीलंका की एकता और सार्वभौमिक सत्ता के लिये संकट पैदा हो गया तब भारत-श्रीलंका समझौते के अन्तर्गत भारत सरकार ने अपने

---

1- नवभारत टाइम्स, 28 जून, 1988.

एक पड़ोसी देश को गृहयुद्ध के कारण टूटने से बचाया । इस दायित्व के निर्वाह में भारत को आर्थिक एवं सैनिक क्षति के रूप में भारी कीमत चुकानी पड़ी । मालदीप में भी भारत ने अलगाववादियों की साजिश को विफल करने में अद्वितीय राजनैतिक एवं सैनिक क्षमता का परिचय दिया, किन्तु बांगलादेश और नेपाल ने इस पर अप्रत्यक्ष रूप से अपनी नाराजगी जताई थी और दबी जुबान से भारत पर पड़ोसी देशों की सम्प्रभुता से खिलवाड़ करने का आरोप लगाया था । किन्तु भारत ने अपने इन सभी उत्तरदायित्वों का निर्वाह अपने पड़ोसी देशों पर आतंक और प्रभाव जमाने के उद्देश्य से नहीं किया अपितु इन देशों की जनता अथवा सरकार के द्वारा सहायता के आह्वान पर उन नैतिक मूल्यों की रक्षा के लिये किया है जिनके लिये वह समर्पित रहा है । जैसा कि श्रीमती इन्दिरा गान्धी ने स्पष्ट कहा था कि भारत शान्ति, स्वतन्त्रता तथा लोकतन्त्र की रक्षा के लिये सभी देशों के साथ सहयोग करेगा"। इसलिये बांगलादेश, नेपाल अथवा अन्य किसी भी पड़ोसी देश को अपनी सम्प्रभुता हनन के बारे में आशंकित नहीं रहना चाहिए । बांगलादेश, श्रीलंका, और मालदीप से उसकी सेनाओं की वापसी उसकी नेकनियत का ज्वलन्त उदाहरण है । आज के युग में किसी भी देश की संम्प्रभुता को निगलना लगभग असम्भव है । इस यथार्थ बोध के साथ भारत का महाशक्ति होना दक्षिण एशिया के ही हित में है ।[1]

आखिरकार पाकिस्तान निर्माण के पूर्व भारत का अविभाज्य अंग और आज निकटतम पड़ोसी देश होने के नाते भारत और बांगलादेश के बीच कुछ विवादों और समस्याओं का होना स्वाभाविक है, यद्यपि दोनों देशों की सरकारों ने इन विवादों को शान्तिपूर्ण ढंग से द्विपक्षीय वार्ताओं के द्वारा सुलझाने के प्रयास किये हैं । किन्तु इन दोनों पड़ोसी देशों ने अपने आपसी घरेलू विवादों से उपर

---

1- नवभारत टाइम्स, [illegible], 21 सितम्बर, 1989.

उभयकर अन्तर्राष्ट्रीय राजनैतिक मंचों पर विश्व समस्याओं के प्रति प्राय: समान दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हुये विश्व शान्ति, सुरक्षा और आपसी सहयोग में विश्वास प्रकट किया है । संयुक्त राष्ट्र संघ के सिद्धान्तों के प्रति दोनों देश वचनबद्ध रहे हैं । विश्व की सैनिक गुटबन्दियों से दूर रहकर विश्व के बढ़ रहे तनाव को कम करने के लिये भारत की तरह बांगलादेश सरकार ने भी निर्गुट आन्दोलन में अपनी सच्ची आस्था व्यक्त करते हुये सराहनीय भूमिका का निर्वाह किया है । गुट निरपेक्ष आन्दोलन की सार्थकता स्वयं सिद्ध हो रही है । क्योंकि वर्षों से छाया हुआ शीतयुद्ध का कुहरा प्राय: नष्ट हो रहा है । क्योंकि आज अमरीका और रूस, रूस और चीन, चीन और अमरीका, भारत-चीन तथा भारत-पाकिस्तान के बीच दम्भ, अविश्वास और आशंकाओं की दीवाले आपसी संवादों के द्वारा ढह रहीं है और जिसके फलस्वरूप मानव जाति के लिये विश्व शान्ति सुरक्षा के लिये नयी-नयी आशाओं का सृजन हो रहा है । जिसमें भारत और बांगलादेश को अपने सम्बन्धों को और भी अधिक मजबूत करने के लिये अनुकूल परिस्थितियां उपलब्ध हो सकेगी ।

भारत और बांगलादेश ने विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय मंचों से साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद, रंगभेद, जातिभेद का दो सच्चे पड़ोसी देशों की तरह एक स्वर में विरोध किया है । हिन्द महासागर में महाशक्तियों की बढ़ रही सैनिक प्रतिस्पर्धा का भी दोनों देशों ने विरोध किया है । विश्व में बढ़ रहे परमाणु अस्त्रों की प्रतियोगिता दोनों देशों के लिये भारी चिन्ता का विषय है । क्योंकि भारत और बांगलादेश आज बढ़ती हुयी जनसंख्या, बेरोजगारी, अशिक्षा, बीमारी और भ्रष्टाचार जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं । भ्रष्टाचार और गरीबी के कारण बांगलादेश की तस्वीर भयावह है ।[1] दोनों ही देशों के लिये आन्तरिक बाहय

---

1- जनसत्ता, 28 नवम्बर, 1986.

शान्ति एवं सुरक्षा की आवश्यकता है । भारत के लिये आज पंजाब काश्मीर और असम राज्यों की समस्याओं ने उसकी एकता, अखंडता एवं सार्वभौमिक सत्ता के लिये एक बहुत बड़ी चुनौती पैदा कर दी है । इसी प्रकार चटगांव पहाड़ी क्षेत्र की समस्यायें और विरोधी दलों द्वारा चलाया जा रहा लोकतन्त्र बहाली आन्दोलन बांगलादेश की राजसत्ता के लिये सबसे गम्भीर चुनौती है । प्रतिवर्ष आने वाले तूफान और बाढ़ भी दोनों देशों के लिये तबाही का कारण बन जाती है ।

अत: इन राष्ट्रीय समस्याओं के समाधान के लिये दोनों देशों के बीच आपसी सहयोग का होना राष्ट्रीय हित में हैं, क्योंकि दोनों देशों की सुरक्षा आर्थिक प्रगति, प्राकृतिक विपदाओं तथा शिक्षा एवं स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याओं पर विजय पाना तभी सम्भव है जब कि दोनों देश राजनैतिक आर्थिक, एवं सांस्कृतिक सम्बन्धों को व्यापक बनाने के लिये एक नया आयाम देंगे ।

बहुत से विशेषज्ञों का विचार है कि भविष्य की बाढ़ से बांगलादेश को बचाने के लिये लम्बी अवधि की योजना बनाने का काम सर्वप्रथम इस उपमहाद्वीप में सामन्जस्यपूर्ण कोशिशों के द्वारा बचे हुये जंगलों की रक्षा तथा पुनर्वनवीनीकरण योजनाओं के कार्यान्वयन से होगा चूंकि गंगा, ब्रहमपुत्र और मेघना नदियों का जल क्षेत्र 1.5 मिलियन वर्ग कि0मी0 है जो बांगलादेश के क्षेत्रफल का दस गुना है । इन नदियों का जल प्लावन हमेशा ही बांगलादेश की जनता में तबाही मचाता रहेगा । अत: इस समस्या के स्थायी समाधान के लिये भारत - बांगलादेश के बीच वास्तविक सहयोग अवश्यम्भावी है ।[1]

समान समस्याओं के समाधान के लिये एक ही मंच से संयुक्त प्रयास किये जांय, यह विचार सबसे पहले 1981 में बंगलादेश के तत्कालीन राष्ट्रपति जियाउर रहमान के मस्तिष्क में कौंधा उन्ही के प्रस्ताव पर विदेश सचिवों और मन्त्रियों

---

1- पब्लिक, एशिया अगस्त 1989, पेज, 60.

की बैठके हुयी, जिनके परिणाम स्वरूप 1985 में ढाका में दक्षिण एशिया के इन सात देशों के राष्ट्र प्रमुखों या सरकार प्रमुखों की शिखरवार्ता हुयी और दक्षिण एशियायी क्षेत्रीय सहयोग संगठन की स्थापना की गयी ।[1] यह संगठन दक्षिण एशियायी देशों के उज्जवल भविष्य का द्योतक बन सकता है ।

हरिशंकर व्यास के शब्दों में दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग परिषद का गठन इस क्षेत्र के विकास के लिये एक ठोस कदम है । "सार्क" इस क्षेत्र में तनाव कम करने में सहयोगी बनेगा और इससे जुड़े देशों के बीच दोस्ती के एक नये युग का शुभारम्भ होगा । किन्तु सार्क का ध्रुव भारत है और हर मुद्दे, विवाद, मसले का केन्द्र भारत है । सात में से छः देशों की सीमा भारत से मिलती है । भारत निर्णायक है । शक, अविश्वास, झंझटों का दक्षिण एशिया में माहौल है । तो भारत उनके बीच में खड़ा है । किन्तु दक्षिण एशिया सहयोग परिषद का भविष्य उसी से तय होना है, परन्तु सीमा से अधिक द्विपक्षीय रिश्तों को दर किनार नहीं रखा जा सकता है ।[1]

इसीलिये राजीवगांधीन ने भले पड़ोसियों की भली कूटनीति अपनाकर विदेशनीति की कायाकल्प करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया । कूटनीतिक औपचारिकतायें एक तरफ रखकर यात्रायें की । दुःखदर्द में सहभागी बनने का पड़ोस धर्म निभाया । दक्षिण एशियायी क्षेत्रीय परिषद को खाद पानी देकर उसे शक्तिशाली बनाने का प्रयास किया । राजीव गांधी के व्यक्तित्व ने भी पड़ोसी देशों के नेताओं का विश्वास प्राप्त किया । हाँ यह सम्भव है कि तत्काल बांगलादेश हमारे साथ ताली बजाने को राजी न हो । लेकिन अगर हम निश्चय पर डटे रहे तो निश्चय ही देर सबेर ढाका, इस्लामाबाद, या

---

1- जनसत्ता, 20 नवम्बर, 1986.

कोलम्बो को निश्चय ही भारत के साथ मित्रता का हाथ बढ़ाना होगा ।

भारत की विदेश नीति की सफलता की कसौटी निर्गुट अधिवेशन नहीं हो सकता है और न ही महाशक्तियों से सम्बन्धों के आधार पर सफलता असफलता का मूल्यांकन किया जा सकता है । कसौटी है पड़ोसी देशों से उसके रिश्ते । निर्गुट बिरादरी में भारत भले ही प्रभावी बना रहे, किन्तु पड़ोसी देशों से शत्रुता रहे और क्षेत्र का सामरिक माहौल तनावपूर्ण है, तो इसे सफल विदेश नीति नहीं कह सकते हैं ।[1] यदि कोई देश अपने पड़ोसी देशों के साथ अच्छे मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध बनाने में असफल रहता है, तो विश्व राजनीति का वह सफल खिलाड़ी नहीं हो सकता है ।

अत: यदि भारत को एक महान एवं गौरवशाली राष्ट्र के रूप में विश्व राजनीति के मंच पर अपनी भूमिका का निर्वाह करना है, तो उसे बांगलादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल सहित सभी पड़ोसी देशों के साथ भाइ चारे के सम्बन्धों की पुर्नस्थापना के लिये प्रयास करना होगा । जैसा कि जवाहर लाल नेहरू[2] का कथन है कि विश्व के कुछ पश्चिमी देश भारत को क्षेत्रीय महाशक्ति के रूप में प्रस्तुत करके पड़ोसियों को आतंकित करने का षडयन्त्र रच रहे हैं । किन्तु भारत को अपनी कथनी और करनी के द्वारा बांगलादेश जैसे इन छोटे-छोटे राष्ट्रों में कभी भी भय और आशंका उत्पन्न होने का अवसर नहीं देना चाहिये । भारत को आज भी बांगलादेश की सम्पूर्ण जनता के लिये भारतीय जनता की तरह ही उसके सर्वाङ्गीण विकास के लिये योजनाबद्ध तरीके से सहयोग करना चाहिये । भारत को कभी भी एक बड़े भाई की हैसियत से बांगलादेश की

---

1- जनसत्ता, 20, नवम्बर, 1986.

2- वही, 10 अगस्त, 1989

सार्वभौमिक सत्ता को अपमानित करने का प्रयास नहीं करना चाहिये । हमें बांगलादेश सरकार की सहमति से ही उसे सहायता और सलाह उपलब्ध करानी चाहिये । आन्तरिक मामलों में अनाधिकृत चेष्टा बांगलादेश की संवेदनशील जनता के मन में शक और सन्देह पैदा कर सकती है ।

भारत और बांगलादेश के सम्बन्ध तो शाश्वत हैं, जैसा कि सूर्यकान्त बाली का मत है[1] कि भारत और बांगलादेश के सम्बन्ध प्रकृति प्रदत्त है क्योंकि सांस्कृतिक विरासत की अक्षयधारा ने यहां के जनमानस को इतना आकर्षणशील बना रखा है और संसाधनों के प्राकृतिक वरदान ने सभी को इस ढंग से अन्योन्याश्रित कर रखा है कि वे अनन्तकाल तक आपस की दुश्मनी पाल ही नहीं सकते हैं, लेकिन परिस्थितियां उन्हें एक दूसरे के प्रति संवेदनशील बनाये रखती हैं ।

अतः दोनों देशों के राजनायकों को भारत उपमहाद्वीप में स्थायी शांति सुरक्षा और समृद्धि के लिये भारत और बांगलादेश के सम्बन्धों को लोकतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता एवं विश्वबन्धुत्व के उन शाश्वत मूल्यों के आधार पर विकसित करना चाहिये, जो विश्व कल्याण में सहयोगी बन सके ।

---

1- नवभारत टाइम्स 3 जनवरी, 1989.

# परिशिष्ट

परिशिष्ट ‌‌(अ)

## भारत-बांगलादेश सन्धि

19, मार्च, 1972, भारत और बांगलादेश के प्रधानमन्त्रियों के बीच प्रातःकालीन बेला में मित्रता, सहयोग और शान्ति की महान सन्धि पर हस्ताक्षर हुए। प्रतीक्षा की गयी कि दोनों देश एक दूसरे की स्वतन्त्रता, सम्प्रभुता एवं राष्ट्रीय एकता को सम्मानपूर्वक अक्षुण्ण बनाये रखने हेतु कार्य करेगें। यह सन्धि 12 अनुच्छेदों में विभक्त, एक प्रस्तावना सहित भारत-सोवियत सन्धि के समान स्वरूप एवं विषय वस्तु सहित है। यह सन्धि 25 वर्षों तक मान्य रहेगी तथा आपसी समझौते से नवीनीकरण किया जा सकता है।

सन्धि दोनों देशों को किसी भी सैनिक गुट में प्रवेश से अलग करती है जो प्रत्यक्ष रूप से भारत अथवा बांगलादेश के विरोध में हो।

यह सन्धि दोनों देशों के मध्य विभिन्न सहयोगों पर आधारित हैं, जिसमें संस्कृति, शिक्षा, टेक्नोलाजी, आर्थिक और अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों का उल्लेख है।

सन्धि की प्रस्तावना में दोनों देशों के विचारों की पहचान, नीतियों और उद्देश्यों का उल्लेख है। सामान्य आदर्श जो कि सन्धि में वर्णित है वे हैं-- शान्ति, धर्म निरपेक्षता, प्रजातन्त्र, समाजवाद और राष्ट्रवाद।

दोनों देशों ने दृढ़तापूर्वक गुटनिरपेक्षता, शान्तिपूर्ण सह अस्तित्व दूसरे के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने और एक दूसरे की राष्ट्रीय एकता और सम्प्रभुता में अपना-अपना विश्वास दुहराया।

दोनों प्रधानमंत्रियों ने एक साधारण उत्सव में सन्धि पर हस्ताक्षर किए उस वक्त दोनों देशों के विदेश मन्त्री भी उपस्थित थे। सभी औपचारिकताओं को पूरा करने में लगभग 10 मिनट लगे।

सन्धि के मूल सूत्र निम्नलिखित है ।

अनुच्छेद 1--

सन्धिकर्ता पक्ष उन आदर्शों से प्रेरित हुए जिसके लिए दोनों देशों की जनता ने संघर्ष और बलिदान किया । घोषणा की गयी कि दोनों देशों के बीच शान्ति और मित्रता कायम रहेगी ।

अनुच्छेद 2--

सभी लोगों एवं राष्ट्रों की समानता के सिद्धान्त से प्रेरित होकर महान संधिकर्ता पक्षों ने उपनिवेशवाद एवं जातीयता को पूर्णतः समाप्त करने हेतु वचनों को दोहराया ।

अनुच्छेद 3 --

सन्धिकर्ता पक्षों ने गुट निरपेक्षता की नीति और शान्तिपूर्ण सह अस्तित्व में विश्वास को विश्व में तनाव कम करने हेतु प्रकट किया ।

अनुच्छेद 4 --

सन्धिकर्ता पक्ष नियमित रूप से सम्पर्क एक दूसरे से अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं के बारे में जो कि दोनों राष्ट्रों से सम्बन्धित हो बैठकों एवं विचारों के आदान-प्रदान के माध्यम से बनाये रखेंगें ।

अनुच्छेद 5 --

सन्धिकर्ता पक्ष एक दूसरे के सर्वतोमुखी सहयोग को आर्थिक, वैज्ञानिक एवं तकनीकी क्षेत्र में बनाये रखेंगें । दोनों देश व्यापार, यातायात और संचार के क्षेत्रों में आपसी सहयोग को बढ़ावा देगें ।

अनुच्छेद 6 --

दोनों पक्षों ने आगे के लिये बाढ़ नियन्त्रण, नदी, नदी संग्रहण क्षेत्रीय विकास और जल विद्युत शक्ति और सिंचाई के क्षेत्र में संयुक्त अध्ययन और संयुक्त कार्यवाही पर सहमति व्यक्त की ।

अनुच्छेद 7 --

सन्धिकर्ता पक्ष कला, साहित्य, शिक्षा, संस्कृति , खेलकूद और स्वास्थ्य के क्षेत्र में सम्बन्धों में वृद्धि करेंगे ।

अनुच्छेद 8 --

दोनों देशों की मित्रता की कड़ी में प्रत्येक पक्ष ने घोषणा की कमी में किसी सैनिक गुट में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से प्रवेश नहीं करेगा अथवा भाग नहीं लेगा ।

अनुच्छेद 9 --

प्रत्येक महान सन्धिकर्ता किसी तीसरे सैनिक गुट को सहायता के लिये रोकेगा ।

अनुच्छेद 10 --

प्रत्येक सन्धिकर्ता पक्ष प्रतिज्ञापूर्वक घोषणा करते हैं कि इस सन्धि के सन्दर्भ में किसी भी प्रकार की गोपनीय अथवा स्पष्ट रूप से एक अथवा अन्य राष्ट्रों के प्रति टिप्पड़ी नहीं करेगा ।

अनुच्छेद 11 --

प्रस्तुत सन्धि पर 25 वर्षों तक के लिए हस्ताक्षर किये गये हैं इसके बाद दोनों महान सन्धिकर्ता पक्षों की सहमति होने पर इसका नवीनीकरण हो सकेगा । सन्धि का क्रियान्वयन हस्ताक्षर की तिथि से होगा ।

अनुच्छेद 12-

किसी भी प्रकार की मित्रता या सन्देह किसी अनुच्छेद किसी अनुच्छेद या अनुच्छेद की व्याख्या के सन्दर्भ में हुये विवाद को दोनों महान संविदाकारी पक्ष शान्तिपूर्ण एवं आपसी सौहार्द एवं सूझबूझ के साथ हल करेगें ।

## परिशिष्ट (ब)

गणतन्त्रीय भारत सरकार और गणतन्त्रीय बांगलादेश सरकार की ओर से फरक्का पर गंगा जल के वितरण और उसके जल वृद्धि के बहाव के सम्बन्ध में समझौता ।

लोक गणतन्त्रीय भारत सरकार और लोक गणतन्त्रीय बांगलादेश सरकार मित्रता और अच्छे पड़ोसीपन के सम्बन्धों को विकसित एवं मजबूत करने के लिये वचनबद्ध है ।

अपनी जनता की भलाई के लिये सामान्य अभिलाषा से प्रेरित है ।

दोनों देशों के भू-भाग से बहने वाली अन्तर्राष्ट्रीय नदियों के जल वितरण समझौते के लिये इच्छुक है और संयुक्त प्रयासों से अपने-अपने क्षेत्रों में अधिकतम जल संसाधनों का उपयोग करने का प्रयास करेंगें ।

फरक्का से गंगा जल वितरण के लिये पारस्परिक सहयोग की भावना से और दोनों देशों की जनता के परस्पर हितों की रक्षा के लिये इस दीर्घकालीन समस्या के समाधान के लिये सहमत है ।

उभय देश किसी भी एक देश के अधिकारों अथवा सम्प्रभुता को प्रभावित किये बिना, उसके सिवाय जो कि इस समझौते में निहित है था कानून के सामान्य सिद्धान्त या पूर्व निर्णय है, इस समस्या के न्यायसंगत समाधान के लिये इच्छुक है ।

निम्नलिखित ढंग से सहमत हुये --

(अ) फरक्का पर गंगा जल वितरण के लिये व्यवस्था,

अनुच्छेद 1 --

भारत द्वारा फरक्का पर गंगा के आवश्यक परिमाण की जल मात्रा बांगलादेश के लिये मुक्त करना तय हुआ ।

अनुच्छेद 2 --

(क) भारत और बांगलादेश के बीच 1 जनवरी से 31 मई तक प्रति वर्ष यहां पर उल्लिखित संलग्न सूची के कालम 2 में प्रमात्रा के आधार पर होगा जो कि फरक्का पर 1948 से 1973 के अभिलिखित गंगा जल बहाव के 75 % उपलब्धता पर संगणित करके आधारित किया गया है ।

(ख) भारत, बांगलादेश के कालम 4 में निर्देशित सूची के अनुसार 10 दिन के समय की प्रमात्रा उपलब्ध करायेगा ।

यदि सही ढंग से फरक्का पर पानी की उपलब्धता 10 दिन के समय काल में कालम 2 में निर्देशित प्रमात्रा से अधिक या कम रहा तो यह उस समयानुसार आनुपातिक ढंग से निर्धारित होगा । यदि उस 10 दिन की अवधि में गंगा का जलस्तर फरक्का पर इसस्तर तक गिर जाय कि कालम 4 में निर्देशित बांगलादेश के भाग 80 % से कम हो जाए तब पानी का बहाव बंगलादेश के लिये 10 दिन के बीच या दौरान कालम 4 में निर्देशित 80 % से कम न होगा ।

अनुच्छेद 3 --

अनुच्छेद 1 में उल्लिखित भारत द्वारा बांगलादेश को फरक्का तथा उस स्थान के मध्य जहां गंगा के दोनों किनारे बंगलादेश में है, प्रदान की जाने वाली पानी की मात्रा का स्तर मात्र उस स्थिति में कम किया जा सकता है जबकि भारत द्वारा अत्यधिक आवश्यकता पड़ने पर अधिकतम 200 क्यूसेक पानी का उपयोग किया जाय ।

अनुच्छेद 4—

एक समिति जिसके सदस्य दोनों सरकारों द्वारा मनोनीत किये जायेंगे ﴾जिसे बाद में संयुक्त समिति के नाम से जाना जायेगा﴿ गठित की जायेगी । वह संयुक्त समिति एक उपयुक्त दल की नियुक्ति करेगी जो कि फरक्का तथा हार्डिंग सेतु पर प्रतिदिन हार्डिंग सेतु के साथ-साथ सहायक नहर तथा फरक्का बांध से बहने वाले पानी का निरीक्षण तथा उसको अभिलिखित करेगा ।

अनुच्छेद ﴾5﴿—

संयुक्त समिति अपनी कार्यशैली तथा प्रक्रिया स्वयंनिर्धारित करेगी ।

अनुच्छेद 6 —

संयुक्त समिति दोनों सरकारों को सभी संग्रहित आंकड़े, तथा वार्षिक आख्या भी प्रस्तुत करेगी ।

अनुच्छेद ﴾7﴿

संयुक्त समिति समझौते के इस भाग में उपबन्धित सभी प्रकार के प्रबन्धों के कार्यान्वयन के लिए, समझौते के कार्यान्वयन के परीक्षण की स्थिति में आने वाली प्रत्येक कठिनाई के लिए तथा फरक्का बांध के संचालन के प्रति उत्तरदायी होगी । इस संदर्भ में उत्पन्न होने वाले किसी भी विवाद अथवा मतभेद जिसका निदान संयुक्त समिति द्वारा सम्भव न हो, उसे भारत तथा बांगलादेश की सरकारों द्वारा बराबर संख्या में मनोनीत विशेषज्ञों के पैनल को निदान हेतु सौंप दिया जायेगा । और यदि विवाद नहीं सुलझ पाता है तो इसे दोनों सरकारों को, अविलम्ब उपयुक्त स्तर पर पारस्परिक विचार विमर्श द्वारा निदान हेतु सौंप दिया जायेगा । फिर भी असफल रहने पर दोनों सरकारों की पारस्परिक सहमति से निर्धारित व्यवस्था द्वारा निदान किया जायेगा ।

(ब) दीर्घकालीन व्यवस्थायें

अनुच्छेद (8) -

शुष्क मौसम में गंगा के जल वृद्धि बहाव की दीर्घकालिक समस्या का हल निकालने में दोनों सरकारें पारस्परिक सहयोग की आवश्यकता अनुभव करेंगी ।

अनुच्छेद (9) --

भारत बांगलादेश संयुक्त नदी आयोग जो कि दोनों सरकारों द्वारा सन् 1972 में गठित किया गया, शुष्क ऋतु में जलवृद्धि बहाव से उत्पन्न समस्याओं से सम्बन्धित दोनों में से किसी भी सरकार द्वारा प्रस्तावित या प्रस्तावित होने वाली योजनाओं का सतत अन्वेषण एवं परीक्षण, अल्प व्यय एवं सुगमता को दृष्टिगत रखते हुये करेगा ।

अनुच्छेद (10) --

दोनों सरकारें संयुक्त नदी आयोग के अनुमोदनों को ध्यान में रखते हुये किसी योजना या योजनाओं पर सहमत होंगी और विचार करेंगी तथा उस योजना अथवा उन योजनाओं को शीघ्रातिशीघ्र लागू करने हेतु आवश्यक कार्यवाही करेंगी ।

अनुच्छेद (11)--

यदि इस समझौते से सम्बन्धित किसी भी समस्या, मतभेद या विवाद का निदान संयुक्त नदी आयोग द्वारा नहीं हो पाता है तो दोनों सरकारों को सौंप दिया जायेगा जो कि पारस्परिक विचार विमर्श द्वारा निदान हेतु उचित स्तर पर मिलेंगी ।

अनुच्छेद पुर्नविचार और अवधि

अनुच्छेद (12) उभयपक्ष समझौते के प्रावधानों को सद्भावनापूर्वक लागू करेंगें । अनु0 15 द्वारा निर्धारित समझौते के लागू रहने की अवधि में, फरक्का पर बांगला देश को दी जाने वाली जल की मात्रा इस समझौते के अनुसार कम न होगी ।

अनुच्छेद (13)--

समझौता लागू होने की तिथि से तीन वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात दोनों सरकारों द्वारा समझौते पर पुर्नविचार किया जायेगा । इसके पश्चात सभी पुर्नविचारण समझौते की अवधि के समाप्त होने से 6 माह पूर्व किये जायेंगे, या जैसी दोनों सरकारों की सहमति हो ।

अनुच्छेद (14)--

अनु0 13 में सन्दर्भित पुर्नविचार को अग्रिम कार्यवाही के अन्तर्गत समझौते की कार्यवाही, प्रभाव, क्रियान्वयन तथा समझौते के भाग अ तथा ब में समाहित व्यवस्थाओं के विकास पर विचारण किया जायेगा ।

अनुच्छेद (15) --

यह समझौता हस्ताक्षरित होकर प्रभावकारी होगा तथा लागू होने से 5 वर्ष तक प्रभावकारी रहेगा । अनु0 13 के प्रावधानों द्वारा इस समझौते को आपसी सहमति द्वारा निश्चित अवधि के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है ।

ढाका में 5 नवम्बर, 1977 को हिन्दी, बंगाली और अंग्रेजी भाषाओं में इसकी प्रतिलिपि बनायी गयी । भाषा सम्बन्धी किसी विवाद में अंग्रेजी टैक्स्ट ही मान्य होगा ।

(सुरजीत सिंह बरनाला)
कृषि एवं सिंचाई मन्त्री
भारत सरकार

(रियर एडमिरल मुशररफ हुसैन खाँ)
जल संसाधन, सदस्य, राष्ट्रपति सलाह परिषद
प्रभारी, संचार मंत्रालय, खाद्य आपूर्ति, जल संसाधन और विद्युत, बांगलादेश सरकार)

ढाका, 5, नवम्बर, 1977.

# Bibliography.

## - Primary Sources -

1. Ahemad Quazi, Kholiquzzaman Social Transformation in Bangladesh, Realities, Constraints, Vision and Strategy South Asia Forum No.2 Sprins. 1982.
2. Anthony, Mas Carenhas - The Rape of Bangladesh - Delhi Vikas Publications 1971.
3. Ahmed Neelufar, Migration from Eastern Bengal to Assam 1891-1931 New Delhi - 1977.
4. Abbas, B.M. Ganges Water Dispute, New Delhi Vikas, 1982.
5. Arora Prem and Chandra Prakash - International Relations Book Hire (Redg) New Delhi.
6. Ali, S.M., After the Darknight Problems of Sheikh Mujibur Rehman (Thomson Press) India h.T.D.Pub. Division Delhi.
7. Aiyar Swaminathan S. The Truth About Farakka Eastern Economist, September 12, 1980.
8. Appadorai, A. and M.S.Rajan. India's foreign policy and Relation, New Delhi - South Asian Publishers, 1985.
9. Brown W.Norman, The United States and India Pakistan, Bangladesh, Harvard University Press Cambridge Massachusetts, 1972.
10. Bangladesh Documents Printed at the B.N.K.Press Pvt.Ltd., Madras, Ministry of External Affairs New Delhi
11. Bajpai, Atal Bihari, India's foreign policy published by Rajpal and Sons, Kashmeeri Gate Delhi Printed by K.K.Printers, Delhi, first Edition 1979.

12. Bi .ndra, S.S. Determinants of Pakistan Foreign Policy
Deep and Deep Publication, New Delhi.

13. Banerjee, Subrat, Bangladesh National Book Trust
India, New Delhi.

14. Baz V.S. (Ed) Non-Alignment Perspectives and Prospects,
New Delhi - New Literature - 1983.

15. Bahadur Singh, I.J. (Ed.) Indians in South Asia -
Sterling, New Delhi - 1984.

16. Bi ndra, S.S., Indo-Bangladesh Relations, New Delhi -
Deep and Deep - 1982.

17. Biswas, Jay Sree - V.S. Bangladesh Relations - A study
of Political and Economic Development during
1971-87, Calcutta Publication, 1984.

18. Bangladesh Document - External Ministry of India
New Delhi.

19. Bi ndra S.S. - India and her Neighbours : A Study of
Political, Economic and Cultural Relations and
Interactions (New Delhi) 1984.

20. Bi ndra, S.S., Foundations of Sino-Pak Axis, Krushetra
University Journal Vol.VIII (1974)

21. Budharaj, V.S., Soviet Union and the Hindustan sub-
continent (Bombay) 1971.

22. Birendra Nath Dewan - South Asia Cooperation, A case of
Caution, Democratic World, April 12, 1981.

23. Chandra Prabodh, Member of Lok Sabha - Blood Bath in Bangladesh - Published by Adarsh Publications 18, Janpath New Delhi - Foreword by Ahuja Mathra Dass.

24. Chanan Charanjit, Economics of Bangladesh published by Surrinder Chanan for Marketing and Economic Research Bureau, E-71 Greater Kailash-I New Delhi, Printed by Sanjivan Press New Delhi 1972.

25. Choudhury, G.W., Professor of Political Science, University of Dacca, Pakistan's Relations with India, Meenakshi Prakashan, Begum Bridge, Meerut, India, 1971.

26. Candeth K.P. Lt.General "The Western Front, Indo-Pakistan War, 1971," Allied Publishers P.Ltd., New Delhi, 1984.

27. Chaudhary, G.W. India, Pakistan, Bangladesh and the Major Powers - Politics of a divided sub-continent, New York Free Press, 1975.

28. Chopra Prem (Ed.) Challenge of Bangladesh - A Special Debut - Bombay Popular - 1971.
How Pakistan violates Human Rights in Bangladesh, New Delhi, India Council of World Affairs, 1972.

29. Chaudhry Mohammad, Ahsan, Pakistan and United States, Pakistan Horizon, Vol.IX No.4, Dec. 1956.

30. Chopra, Prem - The search for South Asia, Perspective March 1978.

31. Chakravarty, Subhrajan and Virendra Narayan - Foreign Policy of Bangladesh, Trends and Issues, South Asian Studies - Jan.-July-Dec. 1977

32. Chanan Charanjit (ed) - South Asia - The Changing Environment, New Delhi M.E.R.B. Bookshelf 1979.

33. Das Gupta, Sukhranjan, Midnight Massacre in Dacca, Published by Vikash Publishing House Pvt. Ltd., 5, Ansari Road, New Delhi, 1979.

34. Dr.Gautam and Professor Mishra - Bangladesh Sahitya Niketan Shiridhar Nand Park, Kanpur, ARO Printing Press Prem Nagar Kanpur, 16 December, 1973.

35. Dutt, V.P. India's Foreign Policy - Vikas Publishing House, Delhi, Printed by Sanjaya Printers Sahadra, Delhi, 1984.

36. Das Gupta, R.K., Revolt in East Bengal, A Dasgupta and Company, New Delhi.

37. Dhar D.P., Emergence of Bangladesh, Socialist India, Delhi, 12 August,1972.

38. D.K.Palit, India's Foreign Relations - Pakistan Lightning Campaign, Indo-Pakistan War 1971 New Delhi - Thomson Press, 1972.

39. Dutt, V.P., Relations with Neighbours, World Focus, November-December, 1981.

40. Frauda (Marcus), Bangladesh - The first decade, New Delhi South Asian, 1982.

41. Payal, M.A. Utilization of water resources and flood control in India, Bangladesh and Pakistan, Asian Studies, Feb.1983.

42. Gupta, M.G. - Foreign Policies of Major World Powers. Y.K.Publishers, 8, Parsuram Nagar, Agra.

43. Gttatale, M.M. (editor) Bangladesh Crisis of Consequences Deen Dayal Research Institute, 1971.

44. Gupta, Vizay (Ed), India and Non-Alignment, New Delhi - New Literature, 1980.

45. Garg S.K. Capt.(Retd.) Spot-Light. "Freedom Fighters of Bangladesh on New Outlook based on author's Research Work, Allied Publishers, New Delhi,1984.

46. Gurvinder Singh, Indian Diplomacy in Bangladesh 1971-80, New Delhi J.N.U., 1981.

47. Ghosh, Sucheta, Role of India in the Emergence of Bangladesh, Calcutta Minerva, 1983.

48. Goswamy, B.N., 'Pakistan and China' A study of their relations (Bombay) 1971.

49. Hossain - (T) in Bangladeh - Struggle for freedom, Calcutta - Tapas-Saha, 1973.

50. Iqbal Zafar. "South Asia as a nuclear weapons free zone" Strategic Analysis (Islamabad) Vol.4. No.2 Winter 1987.

51. India and Foreign Review - India and Bangladesh Commitment to friendship and co-operation, India and Foreign Review Oct.1, 1981.

52. Johnson B.L.C., Bangladesh,Heineman Education Books Ltd., London 1975.

53. Jain, J.P., Soviet Policy Towards Pakistan and Bangladesh, New Delhi - Radiant Publishers, 1974.

54. Jain, J.P., China Pakistan and Bangladesh, New Delhi, Radiant, 1974.

55. Jahan Rounaq, Bangladesh Politics (Problems and Issues) Bangladesh University Press, 1980.

56. Jackson, Robert, South Asian Crisis - India, Pakistan and Bangladesh, Chatto and Windus, London, 1975.

57. Jackson, Rober, South Asian crisis- India, Pakistan and Bangladesh, New Delhi, Vikas, 1978.

58. Khan, Azizur Rehman. The Economy of Bangladesh, London Macmillan, 1972.

59. Kidwai, Saleem, Indo-Soviet Relations, New Delhi Publishing House, 1985.

60. Khan, M.A., The Pakistan American Alliance - Foreign Affairs Vol XXXXII No.2 January 1964.

61. Lachhman Singh, Victory in Bangladesh, Dehra Dun - Matjag Publication, 1981.

62. Mishra, Gulab Prakash, Indo-Pakistan Relations From the Taskant Agreement to the Simla Agreement, Ashish Publishing 8/81 House Punjabi Bagh, New Delhi.

63. Majumdar R.C., History and Culture of the Indian People Bhartiyavidya Bhavan Bombay, 1954.

64. Madhur Pradeep Srivastava, K.M.Srivastava, Non-Align Movement, New Delhi and Beyond Sterling Publishers Private Limited, New Delhi Publishers Pvt. Ltd. New Delhi 110016. Bangalore-560009,Jalandhar-144003.

65. Mishra, K.P.(ed) - Foreign Policy of India - A Book of Reading - Thomson Press, New Delhi,1977.

66. Mishra, K.P., Studies in Indian Foreign Policy, Vikash Publication, New Delhi.

67. Mishra, K.P., Foreign Policy and Asia its Planning, Bombay, 1970.

68. Maniruzzaman, Talukedar, Group Interests in Political Changes, Studies of Pakistan and Bangladesh, New Delhi - South Asian Publishers, 1982.

69. Man Singh Surjit - India's Search for Power - Indira Gandhi's Foreign Policy 1966-82, Safe Publication, New Delhi, Baverly Hills, London.

70. Mohhamad Ayub Etc. Bangladesh, a struggle for Nationalhood Delhi Vikas, 1971.

71. Menon K.P.S., Indo-Soviet Treaty Setting and Meaning, Delhi Vikas, 1971.

72. Mishra A.N., Diplomatic Triangle, China, India, America, Patna, Janki Prakashan, 1980.

73. Mohanty Jivendra Nath, China, Bangladesh Relations 1971-76, New Delhi J.N.U., 1979.

74. Maniruzzman (Talukedar) Bangladesh Revolution and its Aftermath, Dacca B.O.I., 1980.

75. Mishra, Pramod Kumar, Dacca summit and SAARC Publication sponsored by Netaji Institute for Asian Studies 1 Wood Burn Park, Calcutta.

76. Mirchandani G.G.(ed) Reporting India 1976, Abhinava Publications, New Delhi.

77. Mishra Pramod K., Determinants of Intra-Relations. Relations in South Asia, India Quarterly January-March, 1980.

78. Mohammad Ayoob, India, Pakistan and Bangladesh search for a new relationship. ICWA New Delhi, 1975.

79. Mishra P.K., India Pakistan, Nepal and Bangladesh - India as a factor in the Intra-regional interaction in South Asia, Delhi, Sundeep Prakashan, 1979.

80. Nayar, Kuldeep, India After Nehru - Vikas Publishers House, 1977.

81. Nayar, Kuldeep - Distant Neighbours a tale of the sub-continent, Delhi Vikas Publishers House, 1971.

82. Naik, J.A., Soviet Policy Towards India from Stalin to Brezer, Delhi Vikas Pub., 1970.

83. Nazmul Karim, A.K. Dynamic of Bangladesh Society New Delhi, Vikas 1980.

84. Naik J.A. India, Russia, China and Bangladesh (S Chand and Co.Pvt.Ltd,)New Delhi, 1972.

85. Noorani, A.G. Search for New Relationships in the Indian subcontinent, World Today June 1975.

86. Noorani, A.G. India the Superpowers and the neighbours Essays in Foreign Policy - New Delhi. South Asian Publishers 1985.

87. Oliver, Thomas W. United Nationas. In Bangladesh Princeton University Press.

88. Parekh, H.T. Prospect for Regional co-operation in South Asia, Capital Annual Number 1978-79.

89. P.C. Indo-Bangladesh Relations. A crisis of confidence, Radical Humanist Oct. 1980.

90. Paranjpe, Shrikant, India and South Asia Since 1971 New Delhi, Rediant Publishers, 1985.

91. Prasad Bimla, The origins of Indian foreign policy. The Indian National Congress and World Affairs 1885-1947, 1960.

92. Pant Chandra Shekhar, Indo-Bangladesh Trade Relations Problem and Prospects, New Delhi, J.N.U.,1980.

93. Rominson, E.A.G. and Keith Giffin _ The Economic Development of Bangladesh within socialist framework. First published 1974 by the McMillan Press Ltd. London and Basingstoke.

94. Rahman, Chaudhary Shamsher - Bangladesh Land and the people Government of Bangladesh - Dacca, 1973.

95. Rahman,M.M., The politics of non-alignment, Associated Publishers House, New Delhi 1969.

96. Rashid Harouner, Economics, Geography of Bangladesh, Dacca University Press, 1983.

97. Ray, Jayant Kumar, Farraka Agreement,International Studies April-June, 1978.

98. Ramakant - Regionalism in South Asia, Jaipur Alakh Publishers, 1983.

99. Srivastava Dr.N.K. - Foreign Policy of India, Published by Sahitya Bhavan Hospital Road, Agra, Printed by Gopal Printing Press, Agra, 1979.

100. Sanjaya, Assam. A crisis of identity - story of the movement in words and pictures, Sole Distribution, United Publishers Pan Bazar Main Road, Gauhati, 781001, Assam. Published by Krishna Kumar on behalf of Spectrum Publications Pan Bazar Gauhati, Printed at Bombay Offset Press 6/E Jhandewalan, New Delhi, 1980.

101. Sharma, Dr.S.R. - Bangladesh Crisis and Indian foreign policy, Published by Young Asia Publication 7, Ansari Road, New Delhi-110002 and Printed at Mechanical Type Sette rs and Printers Pvt.Ltd., D-39 N.D.S.E.Part I New Delhi, 1978.

102. S.R.Chakravarti, Virendra Narayan, Bangladesh Volume I, History and Culture, South Asia Studies Series 12 South Asia Publishers Jaipur,Rajasthan - Hindu, Muslim Relations in the rural Bangladesh, Profull C.Sarkar.

103. Singh, Kuldeep, India and Bangladesh, Ammol Publications Delhi - 1975, Emergence of Bangladesh and its Relations with India till 1975.

104. Siddique, Asharaf, Foloklorio. Bangladesh, Bangla Academy Press.

105. South Asian Regional Development, An Exercise in Open Diplomacy. Editor M.D.Dharam Dasani foreword by Ramakant Shalimar Publishing House Lanka Varanasi-2211005

106. Shrivastava Prabhat, The Discovery of Bangladesh, New Delhi, Sanjaya Publication, 1972.

107. Shrivastava Govind Narain, India and Non-Alignment and World Peace, New Delhi Publication 1984.

108. Siddique-Kamal, Political Economy Rural Poverty in Bangladesh, Dacca National Institute of Local Govt., 1982.

109. Sen Gupta Jyoti, History of freedom movement in Bangladesh 1943-73, Some Involvement, Calcutta Naya Prakash, 1974.

110. Sharma P.K., India, Pakistan, China and the contemporary world, National, Delhi,1972.

111. Sachidanand, Changing scenes in Southern Asia, Young India, May 15, 1975.

112. Singh Rao, Birendra, Speech at the Review meeting of Ganges water agreement, New Delhi January 1981. Foreign Affairs Record January, 1981.

113. Sharma, Surya P., India's Boundary and Territorial Disputes, Vikas Delhi, 1971.

114. Sen Gupta Bhabani (ed) Regional Co-operation and development in South Asia, New Delhi, South Asia Publishers, 1986.

115. Subrahmanyam, K. (ed), India and the nuclear challenge New Delhi, Hauear International 1986.

116. Salvi, P.G, India in world affairs, Delhi - Bir Publishing Co.1985.

117. Tiwari, J.N., War of Independence in Bangladesh printed by Brahamanand at the Indra Press (C.B.T.) New Delhi, and Published by him for Nava Chetna Prakashan P.B.116 Raj Ghat, Varanasi, 1971.

118. Tiring, Lawrence (ed), Subcontinent in World Politics India its neighbours and the Great Powers, New York Publishers, 1972.

119. Uppadhayaya, Vishwakarma, Indo-Soviet Co-operation, Delhi Naya Yuga, 1975.

120. Varma, S.P. and Mishra, K.P., Foreign Policies in South Asia, Orient Longmans, New Delhi, 1969.

121. Varma, S.P., South Asia as a Region, Problems and Prospects South Asian Survey, March 1976.

122. Vibhakar, Jagdish, New Limits, New Possibilities, Indo-Soviet Relations, Sahadra, Kar 1975.

123. Wilson, A., Jeyratnam and Dennis Dalton (Editors), The States of South Asia (Problems of National Integration), Vikas, 1982.

124. Yatindra Bhatnagar, Bangladesh, Birth of Nation, Delhi, Indian School Supply Depot, 1971.

125. Yatindra Bhatnagar - Mujib - The Architect of Bangladesh - A Political Biography - Delhi Indian School Supply Depot, 1971.

## Secondary Sources

Asian Records - 1971 to 1988

Annual Report Ministry of External Affairs Govt. of India 1971-72 to 87-88.

Ashok V.Desai, India Bangladesh Trade Prospects - Statesman Delhi, 12 January 1972.

Dinman Patrika

Desai Morarji - Farakka Agreement : An Acid Test of India's Foreign Policy. Indian and Foreign Review December 1, 1977.

Facts about Bangladesh - Published by Department of films and publications, Govt. of Bangladesh, Dacca, May 1980.

Gupta Shekhar, The unwanted immigrants publised by India Today June 15, 1984.

Gaugal S.C., Farakka accord - An example of India's good neighbourly policy - Indian Express, 11 October,77.

Ghosh, Shyamal, India - Bangladesh Relations - In Hindustan Times, New Delhi, 7 November 85.

Gangal S.C., Tiny Island of Big Discord by Amrit Bazar Patrika 8 January 82.

Gupta, Narendra, The Times of India-Nuclear Missiles in Tibet- New Delhi 25 March 1988.

Jit, Inder, Delhi-Dacca and friendship, Nagpur Times 10 April 1981.

Kaul, T.N., India in South Asia 4(11-12) Nov.Dec.1983 - 49-52 World Focus.

Mitra, Sunit, New Moor Island - Territorial Tug of War, Published by India today June 15-18.

Menon K.P.R., A Look at Indo-Bangla Ties, The Tribune - Assam 11 January 85.

Mehrotra Inder, New Delhi, Dhaka Dialogue Maintaining. The Times of India 17 Nov.1982.

Prabhakaran, M.S.S., Special Report 'Fears of Big Brothers' and enormous goodwill. The Hindu - Madras, 28 August 1984.

Reddy G.K., Assam Problem, Special Report, The Hindu - Madras 28 August 1984.

Sareen, Rajendra - Delhi & Dacca, New beginning. The Tribune - Chandigarh, 20 Sept.82.

Sen, Indra, Help Bangladesh Needs, Hindustan Standard, Calcutta 24 Jan.1972.

Thomas Moor, Mujib's Revenge from Grave. The Guardian, London, 28 August 1975.

The Patriot New Delhi, Bangladesh, The Economic Co-operation Exciting Prospects of Mutual Gain by Economic Analyst 17 January 72.

Vijay Viyas, Harisankar, Seven Sisters on a Branch. In Jansatta 20 November 1989.

Bangladesh Observer - Dacca

Bangladesh Times - Dacca

Indian Express - New Delhi

Nava Bharat Times

National Herald

Northern India Patrika